एकादश माला, खंड 4, अंक 16

गुरुवार, 1 अगस्त, 1996
10 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 1 अगस्त, 1996 के
लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
का शुद्धि-पत्र
....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
18	25	श्री यावरचन्द गेहलोत	श्री थावरचन्द गेहलोत
19	4	श्री यावर चन्द गेहलोत	श्री थावरचन्द गेहलोत
28	16	श्री सी·एम·इब्राही	श्री सी·एम·इब्राहीम
204	17	सूचना और प्रसारण मंत्री	नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
291	प्रश्न सं· 2507	श्री एस·डी·एम·आर. वाडियार	श्री एस·डी·एन·आर·वाडियार
366	नीचे से 3	संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री	संसदीय कार्य मंत्री एवं पर्यटन मंत्री
385	10	संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री	संसदीय कार्य मंत्री एवं पर्यटन मंत्री
388	14	खाद्य मंत्री	खाद्य मंत्री तथा .....
389	नीचे से 11	न गार	नागर ......
451	9	श्री गुमान मल लोढा	जस्टिस गुमान मल लोढा
454	नीचे से 7	(प्रो· रीता वर्मा पीठासीन हुए)	(प्रो· रीता वर्मा पीठासीन हुई)
529	16	श्री रमांकान्त डी·खलप	श्री रमाकांत डी· खलप

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 16, गुरुवार, 1 अगस्त, 1996/10 श्रावण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	301 से 304	1-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	305 से 320	28-49
अतारांकित प्रश्न संख्या	2384 से 2580	49-389
सभा पटल पर रखे गए पत्र		390-395
राज्य सभा से संदेश		395, 411
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996 - राज्य सभा द्वारा यथापारित - सभा पटल पर रखा गया		412
जम्मू-कश्मीर बजट-1996-97		396
उत्तर प्रदेश बजट - 1996-97		396-399
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
उपमहानिरीक्षक (पी.) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा माननीय संसद सदस्य श्रीमती सुभावती देवी के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनकी जान को कथित खतरा		400-406
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	
नियम 377 के अधीन मामले		406-410
(एक) महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार योजना को पांच वर्ष तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता		406-407
	श्री भाऊसाहेब पुंडलिक फुंडकर	
(दो) प्रस्तावित माक्सी-गोधरा बरास्ता-धार पीथमपुर रेल लाइन को जोड़ने का कार्य करने की आवश्यकता		407-408
	श्री छतर सिंह दरबार	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) दिल्ली के औद्योगिक एककों को स्थानान्तरित किए जाने के कारण इन एककों के परिसर में रहने वाले श्रमिकों के घर खाली न करवाया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल 408

(चार) बालाघाट जिले के औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वर भगत 408-409

(पांच) बिहार कै सीतामढ़ी जिले के सार्वजनिक टेलीफोन सेवा में सुधार करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय 409-410

(छह) महाराष्ट्र के अमरावती जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढ़े 410

(सात) बिहार की बरौनी बाढ़ नियंत्रण परियोजना को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 410

(आठ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक शाखा असम में तेजपुर के निकट विश्वनाथ चरली में स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका 410-411

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प-वापस लिया गया 412-416

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन), विधेयक-पारित हुआ 416-420

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, विधेयक

पारित करने के लिए प्रस्ताव 430-435

श्री एम. अरुणाचलम 413-415

श्री गिरधारी लाल भार्गव 420-423

खंड 2 से 63 और I 423

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री रमेश चेन्नित्तला 431

श्री हन्नान मोल्लाह 431-432

श्री जेवियर अराकल 432-433

श्री बनवारी लाल पुरोहित 433

श्री ए. सी. जोस 433-434

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प - **वापस लिया गया**

और

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक - **पारित हुआ।** 435

खंड 2 से 15 और 1 439-440

पारित करने के लिए प्रस्ताव 440

श्री एम. अरूणाचलम 440-441

सभा के कार्य के बारे में घोषणा 415

सदस्य के जान की धमकी के बारे में 417-420

औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश का निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प - **अस्वीकृत** 441

और

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक - **पारित हुआ**

श्री बसुदेव आचार्य 442-445

श्री गिरधारी लाल भार्गव 445-449

जस्टिस गुमान मल लोढा 449-452

श्री सत्यपाल जैन 452-455

श्री एम. अरूणाचलम 455-459

खंड 2, 3 और 1 459

पारित करने के लिए प्रस्ताव 459

माध्यस्थम् और सुलह (तीसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प 460

और

माध्यस्थम् और सुलह विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

जस्टिस गुमान मल लोढा	460-464
श्री रमाकान्त डी. खलप	464-468
	480
श्री भगवान शंकर रावत	468-472
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	472-476
श्री बलाई चन्द्र राय	476-481
श्री जार्ज फर्नान्डीज	481-491
श्री वी. धनंजय कुमार	491-496
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	496-500
श्री सुरेश प्रभु	501-507
श्री जी. एम. बनातवाला	507-513
श्री गिरधारी लाल भार्गव	513-516
प्रो. रासा सिंह रावत	516-518

लोक सभा

गुरुवार, 1 अगस्त, 1996/10 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की आपूर्ति

*301. + **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"** :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में उचित दर की दुकानों में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उचित दर की दुकानों से चावल, गेंहू, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं महीनों तक नहीं मिलती हैं;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त राज्यों में विशेषकर पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पास किसी भी क्षेत्र की उचित दर दुकानों में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

(ङ) जहां तक उपचारात्मक उपायों का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सरकार वस्तुओं की वसूली करने और उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य सरकारें उचित दर दुकानों के अपने तंत्र के जरिए अन्ततः उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं के बाद के वितरण के लिए जिम्मेदार है। जहां तक केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई है कि वे खाद्यान्नों की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति, विशेषकर पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सुनिश्चित करें।

श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा' : माननीय मंत्री जी से हमें प्रश्न के साथ पूरा न्याय करने की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने ऐसा न्याय नहीं किया जिससे हम संतुष्ट हो सकें। आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र और विशेषकर उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल क्षेत्र बीहड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ है जिससे पूरी हिमालयन बैल्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही ढंग से और कारगर ढंग से काम नहीं कर पाती। दूसरे, उत्तरांचल क्षेत्र की ओर से, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में कोई शिकायत नहीं आई लेकिन वहां की जनता को भारी शिकायत है। वहां 8 जून, 1996 से लगातार 22 जून, 1996 तक फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के सारे मजदूर हड़ताल पर चले गए जिससे तमाम रेल हैड्स पर, जैसे टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर और कोटद्वार रेल हैड्स पर गाड़ियों में और ट्रकों में सामान लोड नहीं हो सका। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जितने गोदाम थे वे सब खाली हो गए। फेयर प्राइस शाप्स पर खाद्यान्न का एक दाना भी उपलब्धा नहीं हुआ। दूसरी ओर, माननीय मंत्री जी ने यहां बताया कि राज्य सरकार से इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन स्वयं मैंने उत्तर प्रदेश के चीफ सैक्रेटरी को फैक्स किया, टेलीग्राम किया, कमिश्नर और जिला अधिकारी से इस बारे में बातचीत की है। आप जानते हैं कि हमारा बोर्डर का जिला है, नेपाल और तिब्बत से मिला हुआ क्षेत्र है, लेकिन वहां डिस्ट्रिक्ट सप्लाईज आफिसर की पोस्ट दो साल से खाली चल रही है। हमारे यहां तमाम चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आर.एफ.सी. के जरिए नहीं होता है, वह एक एक्सैप्शन है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाईज आफिसर के जरिए होता है लेकिन वह पोस्ट दो साल से खाली पड़ी है।

अगर सदन में सही तथ्य नहीं बताए जाएंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों के साथ कैसे न्याय हो जाएगा। पूरे देश के लिए पौलिसी एक जैसी बनाई गई है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की टीबोग्राफी ऐसी है कि वहां ट्रकों और जीपों के जरिए सामान लाने ले जाने के अतिरिक्त आवागमन के कोई साधन नहीं है। यदि उनमें सामान लोड नहीं होगा तो रेल सेवा या हवाई सेवा वहां पहले ही नहीं है।

यहां माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई शिकायत नहीं आई है, मैं आपके जरिए स्पेसिफिक डेट देकर यह जानना चाहता हूँ कि जून के जो आंकड़े मुझे मिले हैं उनके अनुसार हमारे पिथौरागढ़ जिले में 2500 मी. टन गेंहू की एलॉटमेंट हुई थी जिसके अगेन्स्ट मात्र 2096 मी. टन गेंहू पहुंच पाया तथा चावल 2500 मी. टन एलॉट किया गया था, जिसके अगेन्स्ट 1773 मी. टन ही पहुंचा। वहां प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल की प्रेस्क्रिप्शन है। मैं जानना चाहता हूं कि एलॉटमेंट के अगेन्स्ट जब इतना कम सामान वहां पहुंचा तो मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि वहां कोई कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ज्यादा लम्बा सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं आयेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय मंत्री जी ने जो शंका जाहिर की है कि हिली एरियाज में, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में खाद्यान्न की कमी है, इन्होंने कुछ आंकड़े भी पढ़े, मुझे पता नहीं माननीय सदस्य कहां से पढ़ रहे हैं लेकिन मैं आपको वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। तथ्य यह है कि जून, 1996 में हमारे पर्वतीय इलाकों में गेहूं का स्टाक 40,900 टन और राईस का स्टाक 35,000 टन था जिसके अगेन्स्ट 24,400 टन गेहूं 19,900 टन राइस की एलॉटमेंट हुई। इसमें लिफ्टिंग हुआ, व्हीट 23900 टन उठाया गया और राइस 17300 टन उठाया गया। व्हीट का जो परसेंटेज आया वह 98.0 है और राइस का परसेंटेज 86.9 है। स्पष्ट है कि जिन जिलों का आपने जिक्र किया है, उन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त भंडार है और उठान भी 98 प्रतिशत हुआ है। अब आप किस तरह से कहते हैं कि वहां कमी है? क्योंकि हमने स्टॉक पोजिशन भी बता दी है और जो लिफ्टिंग हुआ वह भी बताया है तथा जो अलोकेशन हुआ वह भी बताया है। आर. पी. डी. एस. में आप फूड ग्रेन्स तीन महीने का स्टॉक है और भी चाहेंगे तो और भी में भेजने को तैयार हूं।

श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा' : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी इसी से अराइज हो रहा है। मैंने पर्टीकुलर डेट्स दी है। जब स्ट्राइक हुई थी तो उस समय तो राशन गया नहीं है। आप इसकी जांच करवा लें। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इस समय भू-स्खलन से जगह-जगह सड़कें बंद हो गई हैं, खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है और वहां पर कोई बड़े गोदाम नहीं हैं। जो गोदाम हैं वे तराई में स्थित हैं और पर्वतीय क्षेत्र में, जो इंटीरियर इलाके हैं उनमें गोदामों की कमी है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस दिशा में प्रयास करेंगे कि वहां पर गोदाम बने? बरसात के सीजन में तथा हिमपात से सड़कें बंद हो जाती हैं। क्या मंत्री महोदय इससे पहले पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्टोर करने के लिए, बफर स्टॉक बनाने के लिए गोदाम बनाने का आश्वासन देंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तो उत्तर प्रदेश में, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में जो आर. पी. डी. एस. की कैपेसिटी है वह हारेवाला में 10 हजार मैट्रिक टन का गोदाम है, पिथौरागढ़ में 2500 मैट्रिक टन, यमुना घाट, जो गंगा घाट है उसकी 2500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। ये सब उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं। सीमली, जो चमौली जिले में पड़ता है, उसमें 5 हजार मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। कुछ नए आर. पी. डी. एस. में आर. पी. डी. एस. में हमने प्रस्ताव किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में अनाज की कमी न हो, इसके लिए अभी प्रस्ताव है कि मऊ में 5 हजार मैट्रिक टन, घनीरा में 35 हजार मैट्रिक टन, रोजा में 30 हजार मैट्रिक टन, इटावा में 6500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी का प्रस्ताव है। यह नॉन आर. पी. डी. एस. एरिया है और कुछ आर. पी. डी. एस. इलाके में भी जो प्रस्ताव है, जैसे - भदौही में 2500 मैट्रिक टन, पडरौना 2500 मैट्रिक टन, ये आर. पी. डी. एस. एरिया है। इसमें नया प्रस्ताव है इस पर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस गोदाम को कार्यान्वित करने की दिशा में वहां गोदाम की कैपेसिटी के साथ स्वीकृति देने को विचार हो रहा है।

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है कि बिहार में खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं है, जो आंकड़े हैं उनमें भी कोई शिकायत नहीं है। मैं आपके माध्यम से बिहार के एक इलाके का उदाहरण देना चाहूंगा। भारतीय खाद्य निगम, जो छपरा में स्थित है, जो पूरे गोपालगंज और सिवान को आपूर्ति करता है उसको पिछले वर्ष क्रिसमस के अवसर पर चीनी का अतिरिक्त कोटा भारत सरकार ने दिया था। सिवान और गोपालगंज के जो थोक विक्रेता थे उन्होंने दिसम्बर में ड्राफ्ट भी जमा करा दिया था। फिर भी दिसम्बर माह में उनको कोटा नहीं मिला। वहां भारतीय खाद्य निगम में कई अनियमितताएं हैं। इस संबंध में माननीय मंत्री जी क्या करना चाहेंगे? हथुआ, जो सिवान के बगल में चीनी मिल है, फिर भी सिवान के जो थोक विक्रेता हैं उनको सासामऊ से उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। जिसके कारण जून, 1996 में 3.50 रुपया प्रति बोरा उनको अतिरिक्त देना पड़ा था। जुलाई महीने में तो सासामऊ से छपरा भंडार में लाया गया और तब सिवान के थोक विक्रेताओं को दिया गया। जिसके कारण उनको ज्यादा चुकाना पड़ा। जबकि बगल में ही 15 किलोमीटर की दूरी पर हथुआ में चीनी मिल में स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम, जो इनके अधीन है, उस पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं तथा इस प्रकार से उपभोक्ताओं पर जो अधिक भार पड़ रहा है इसको दूर करने के क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तो दो हिस्सों में प्रश्न किया है। एक प्रश्न तो यह है कि सीवान में उपलब्ध नहीं होता है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार यानी केन्द्र सरकार का नियम है कि हम प्रमुख वितरण केन्द्र को आपूर्ति करते हैं और एलोकेशन

करके प्रमुख वितरण केन्द्र तक भेजते हैं। उसके बाद प्रमुख वितरण केन्द्र से राज्य सरकार जहां पर आवश्यकता है उसके अनुसार राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भेजती है। इस प्रकार से प्रमुख वितरण केन्द्र से आगे की आपूर्ति का काम राज्य सरकार का है, केन्द्र सरकार का नहीं।

जहां तक सवाल कमी का है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी बिहार सरकार से हमने अद्यतन जानकारी ली है जिसे मैं यहां आपकी सूचना के लिए उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"आदिम जाति क्षेत्रों सहित राज्य के किसी भी भाग से खाद्यान्नों जैसे चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।"

[हिन्दी]

यह सूचना हमें बिहार राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने दी है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल समेत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में हमारी राष्ट्रीय नीति क्या है, उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन को राष्ट्रीय औसत से कम आवंटन किया जाता है और मंत्री महोदय ऐसे क्षेत्रों तथा ऐसे राज्यों में, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं, आवटन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, यह निश्चित रूप से तथ्य के आलोक में उचित जंचता है क्योंकि अभी तक प्राप्त हुई हमारी सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों को जो ऐलोकेशन की जाती है, विशेषकर यूनियन टैरीटरीज के लिए वह बिलो नेशनल एवरेज है। इसमें आठ राज्य हैं - उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध प्रदेश, केरल और हरियाणा। इन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम आवंटन हो रहा है। जब मैं इसको देख रहा था, तो मैंने खुद सोचा कि इस पर कोई पाजिटिव पहल करनी चाहिए।

जहां तक सरकार का सवाल है, भारत सरकार इसको प्राथमिकता से लेती है और हम वर्तमान में जो प्रतिवर्ष आबंटन में देश भर के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं उसमें से अभी दो प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम पाने वाले राज्यों को आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है और एक प्रतिशत उन राज्यों के लिए है जो औसत राष्ट्रीय आबंटन से ऊपर हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, उस आलोक में हम पुनर्विचार करते हुए तीन प्रतिशत एलोकेशन उन राज्यों को तब तक देने का फैसला करेंगे जब तक कि वे राज्य नैशनल एवरेज के बराबर नहीं आ जाते हैं।

श्रीमती भगवती देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि एक व्यक्ति को बिहार में कितनी चीनी और कितना मिट्टी का तेल दिया जाता है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, एक यूनिट को कितना दिया जाता है, यह सवाल यहां नहीं है। यहां से तो हम राज्य सरकार को आपूर्ति करते हैं। यहां से हम राज्य सरकार को ऐलोकेशन, आबंटन करते हैं। कितनी करते हैं, यह मैं गेंहू, चावल और अन्य ऐसेंश्यल कमोडिटीज के बारे में बता सकता हूं। जो हमने राष्ट्रीय स्तर पर कंजूमर प्राइस चीनी की निश्चित की है वह सारे देश में रु. 9.05 प्रति किलो है। जहां तक चावल का सवाल है वह एफ. सी. आई. के गोदाम से रु. 5.37, 6.17 और 6.48 कामन, फाईन और सुपर फाईन के लिए, लेकिन यह हर राज्य के अनुसार वेरी करती है। हम एफ.सी.आई. की ओर से एक सा मानक मूल्य निश्चित करते हैं। माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, वह राज्य सरकार से संबंधित प्रतीत होता है।

श्रीमती भगवती देवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से कीमत नहीं पूछी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मिट्टी का तेल प्रति व्यक्ति प्रति मास कितने लीटर दिया जाता है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति मास 7.5 लीटर की दर से मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती है।

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा सीधा सा सवाल है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों पर जो गेंहू और चावल दिया जाता है, वह बहुत घटिया स्तर का होता है। उसको आदमी तो क्या जानवर भी खाना पसंद नहीं करते। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप इस क्वालिटी को नियंत्रित करने और अच्छी क्वालिटी का गेंहू और चावल भिजवाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? दूसरा मेरा सवाल है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक ही सवाल का जवाब देना है। दूसरा सवाल नहीं होगा।

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के दर्शन नहीं होते। भ्रष्टाचार के माध्यम से मिट्टी का तेल और शक्कर ब्लैक मार्केट में चली जाती है। हम अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को राज्य सरकार के रहमो-करम पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए क्या आप अनुसूचित जाति-जनजाति व पहाड़ी इलाकों में भ्रष्टाचार को समाप्त कर

मिट्टी का तेल और शक्कर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए व्यवस्था करेंगे ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार देश के गोदामों में जो आबंटन भेजती है उसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है कि वह खराब क्वालिटी का सामान न उठाए। उठान के समय खाद्यान्न के तीन नमूने लेने का नियम है जिसका पालन किया जाए और अच्छी क्वालिटी का माल उठाये, उनको इसके लिए पूरी आजादी है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह घटिया माल न उठाये। हमने यह प्रयास किया है कि पूरे देश में घटिया सामान की आपूर्ति न हो तथा इसके लिए हमने एफ.सी.आई. को आदेश भी जारी कर दिया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी देहात से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की समस्यायें बिल्कुल एक सी है। मंत्री जी इससे अवगत हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश को वस्तुओं की सप्लाई 1991 की जनसंख्या के अनुरूप दी जाती है ? दूसरा, क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को खाद्यान्न वस्तुओं व मिट्टी के तेल की सप्लाई एक समान मात्रा में दी जाती है या इसमें अंतर है ? यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कम दी जाती है तो इसके क्या कारण हैं ? जबकि मिट्टी के तेल की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। यदि इसमें अंतर है तो क्या मंत्री जी इसको व्यवस्थित करने के लिए कोई निर्देश देंगे और उत्तर प्रदेश में 1991 की जनसंख्या के अनुरूप इन चीजों की सप्लाई हो सके इसके लिए क्या कुछ सुनिश्चित हो जायेगा ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माकूल सवाल उठाया है। अभी तक जो आबंटन हुए हैं, वह अर्बन बेस पर हुए हैं खासकर मिट्टी के तेल के संदर्भ में, इसको ग्रामीण बेस पर देश के लिए हमने उत्तर प्रदेश में प्रयास शुरू कर दिया है। जहां-जहां इस तरह से संतुलन बिगड़ा है, उसको संतुलित करने की भी कोशिश कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप 68 जिलों को गत समय की तुलना में मिट्टी के तेल का अधिक आबंटन मिल रहा है। दूसरा आपने बताया कि शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में उपलब्धता में अंतर है इस विषय में अन्तर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार को इस दिशा में निर्देश भी दिये गये हैं।

श्री तारीक अनवर : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले मंत्री जी का एक बयान पढ़ने में आया कि वे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिव्यू कर रहे हैं और उसमें आर्थिक सीमा लगाने जा रहे हैं। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि जो गरीब लोग हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनके पास इतना पैसा कहां है कि वे एक साथ 15 दिनों के लिए या एक हफ्ते का सामान खरीद सकें। क्या केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करेगी कि जो दैनिक मजदूर हैं, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सके ? दूसरा, हमारे बिहार के अंदर पता नहीं दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता होगा कि शहरों में पर यूनिट ज्यादा आबंटन होता है और देहातों में कम होता है जबकि देहातों में ज्यादा आवश्यकता होती है जैसे मिट्टी के तेल की बात कही गयी। आज बिहार के देहात के अंदर 12 रुपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल बिक रहा है। यह चिन्ता का विषय है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर पूरी तरह से विचार करके उत्तर दें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पी.डी. एस. के रिव्यू का सवाल उठाया है। इसे पुनर्गठित करने का हम विचार कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, व्यवस्थित करने का जो काम अभी विचाराधीन है, उसमें हम जल्दी ही अंतिम रुप से निर्णय लेने वाले हैं। जिन वर्गों की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, इस व्यवस्था से एक भी मजदूर अलग नहीं होगा। आर्थिक क्राईटेरिया का सवाल सम्पन्न वर्ग के लिए..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपने उनको उत्तर नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पी. डी. एस. सिस्टम को पूरे तौर पर पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है जो सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है। इसमें गरीब लोगों को निश्चित रूप से काफी लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनको हम स्पेशल सबसीडाईज्ड रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाएंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा प्रश्न उन्होंने अभी जो उत्तर दिया है, उसके बारे में है।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। दुर्भाग्यवश, हमारी जानकारी के लिए उन कागजात को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। उस सम्मेलन में इस बात पर विवाद था कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति पर राजसहायता दी गई तो केरल जैसे घाटे वाले राज्यों का क्या होगा जहां स्थानीय से उत्पाद से केवल 14 प्रतिशत स्थानीय आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं ? क्या ऐसे क्षेत्रों को - बहुत से अन्य क्षेत्र भी हैं - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया जायेगा ? अन्यथा खाद्यान्नों आदि के बाज़ार मूल्य में काफी वृद्धि होगी। सरकार की क्या नीति है ?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात है, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि मूल्यों को नियंत्रित रखने की आधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की

है। हम नैशनल लैवल पर आबंटन देते हैं। माननीय सदस्य ने केरल के संबंध में जो चिन्ता जाहिर की है, उस बारे में मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब 4-5 जुलाई को बेसिक नीडस पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो उसमें मैंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। केरल के मुख्यमंत्री ने कुछ सवाल उठाए थे। परसों माननीय मुख्यमंत्री यहीं उपस्थित थे। इस संबंध में मैंने उनसे एक घंटे तक विस्तार से बातचीत की। केरल की सरकार इंटरनल रिसोर्सेस के आधार पर जो सबसिडी दे रही है, उसे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जरूर स्पैशल सबसीडाईज्ड रेट पर सामान दे रहे हैं।..... **(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : मंत्री जी ने अभी एक प्रश्न के जवाब में यह स्वीकार किया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने जा रहे है।..... **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

|हिन्दी|

श्री राम कृपाल यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास पुनर्गठित करने की जो योजना लम्बित है, उसे कब तक लागू करेंगे और इससे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो गरीब और पिछड़े इलाके हैं, खासतौर से पर्वतीय और जनजातीय इलाके, वहां के निवासियों को क्या लाभ मिलेगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, हम अगले एक महीने में पी.डी.एस. को रीस्ट्रक्चरिंग करने के संबंध में अंतिम रूप से सभी स्तरों पर फैसला लेने जा रहे हैं। बिहार में जो जनजातीय और पर्वतीय इलाके हैं, पी. डी. एस. के तहत उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इसलिए उनको स्पैशल सबसीडाईज्ड रेट पर खाद्यान्न देंगे।

|अनुवाद|

कर्मचारी पेंशन योजना

*302. **श्री ए. सी. जोस** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूर संघों आदि द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कौन-कौन से परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या इन सुझावों की जांच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) उपरोक्त योजना में आवश्यक संशोधनों को कब तक कर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अब तक कितने कर्मचारियों द्वारा इस पेंशन योजना को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कतिपय परिवर्तन करने के लिए सुझाव प्राप्त किए थे। इन सुझावों में अन्यों के साथ-साथ विवाहित पुत्रों और विवाहित पुत्रियों के बीच और पुनर्विवाहित विधुरों और पुनर्विवाहित विधवाओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने, 5000/- रु. प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों को योजना लाभ प्रदान करने, संराशीकरण के लिए प्रावधान करने, पेंशन की पूर्व अदायगी के लिए कटौती दर में कमी करने, चूक संबंधी मामलों में पेंशन की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने, परिवार पेंशन योजना, 1971 को स्वीकार न करने वाले अंशदाताओं के लिए योजना को लागू करने, छूट के मामले में परिवार पेंशन से संबंधित आहरण लाभ की वापसी और उजरती दर के कर्मकारों को इसकी परिधि के भीतर शामिल करने से संबंधित सुझाव हैं। इन सुझावों की अब जांच कर ली गई है और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में आवश्यक संशोधन करने के लिए दिनांक 28.2.1996 को एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अन्य सुझावों जैसे वैयक्तिक विकल्प की व्यवस्था करने, पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने और तृतीय लाभ के रूप में पेंशन प्रदान करने, को स्वीकार किए जाने के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है। 30.7.1996 की स्थिति के अनुसार, नई योजना के अधीन 72,372 लाभानुभोगियों को पेंशन वितरित की गई है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, सभी संगठित क्षेत्र के मजदूरों का विशेष रूप से 'सीटू', 'ऐटक' आदि जैसे श्रमिक संघ उनका समर्थन कर रहे हैं और फिर बैंक कर्मचारियों के संगठन भी बन गये हैं। मैं यह समझ सकता हूं। इससे केवल बैंक कर्मचारियों तथा वेतनभोगी अन्य कर्मचारियों को ही लाभ होता है।

लेकिन संगठित क्षेत्र में केवल 10 प्रतिशत ही कर्मकार हैं। शेष 90 प्रतिशत कर्मकार जिन में निर्माण कर्मकार भी शामिल हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। क्या मंत्री महोदय इस योजना का लाभ निर्माण कामगारों को भी पहुंचाने पर विचार करेंगे?

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि 90 प्रतिशत कर्मकार असंगठित क्षेत्र में हैं। जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का संबंध है, यह नियमित, ठेका और नैमेत्तिक कर्मचारियों के बीच भेद नहीं करता। महोदय, जो भी कर्मकार भविष्य निधि का सदस्य है, वह अपने आप पेंशन योजना का सदस्य बन जाता है। लगभग 195 लाख

कर्मकार भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं।

भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के अनेक कर्मचारी भी आते हैं जैसे कृषक, मछली संसाधन इकाईयों के कर्मकार, पत्थर खदान के कर्मकार, भवन और निर्माण कर्मकार, केरल के नारियल जटा कर्मकार भी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। जब 1952 में यह अधिनियम लागू किया गया उस समय केवल छः प्रतिष्ठान ऐसे थे जो इसके अन्तर्गत आते थे। लेकिन अब 177 प्रतिष्ठानों पर यह लागू होता है।

श्री ए. सी. जोस : इस समय संग्रह निधि में 8,900 करोड़ रुपये हैं जो 9,000 करोड़ रुपये की है। इस धन को अलग-अलग स्थानों पर रखा जाता है। उन्हें समुचित ब्याज नहीं मिलता। उन्हें समुचित ब्याज मिले तो पेंशन बढ़ाई जा सकती है। इस राशि से भी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस 9,000 करोड़ रुपये की राशि का समुचित उपयोग करने की हिदायतें देंगे ताकि इस धन से अधिकतम लाभ हो और जो कर्मकारों को दिया जा सके।

दूसरे, अब इस योजना में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि जो लोग परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य नहीं हैं वे इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। वे इस योजना के अन्तर्गत आना चाहते हैं तो उन्हें भारी राशि का भुगतान करना होगा। लेकिन यह वास्तव में असंभव है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह एक बार उन लोगों को छूट देंगे जो परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य नहीं हैं ताकि वे इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक भविष्य निधि योजना में कुछ योगदान तथा भुगतान करना पड़ता है। लाभ कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी राशि जमा है और निवेश पर कितनी आय होती है। जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध है, हमारे पास काफी राशि जमा है और स्थायी रूप से जमा है। भविष्य निधि की रकम के निवेश का पैटर्न वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। यह पैटर्न एक सा नहीं रहता और इस में समय-समय पर सुधार किया जाता है। कुछ ऐसे नियम हैं जिन के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में निवेश पर आय कम होती है। तथापि, कुछ अन्य निवेशों जैसे केन्द्रीय और राज्य सरकारी उपक्रमों की विशेष निक्षेप योजना में आय की दर 11 प्रतिशत के बीच है। आय की औसत दर 11.80 प्रतिशत है। हम भविष्य निधि में अंशदान करने वालों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देते हैं। हमारा निरन्तर यह प्रयास होगा कि वित्त मंत्री के साथ निरंतर और जोरदार तरीके से मामला उठाकर निवेशों पर आय बढ़ा व अधिक से अधिक की जाये। महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह मामला वित्त मंत्री के साथ उठाऊंगा।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या उन लोगों को एक बार छूट दी जा सकती है जो परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य नहीं बने हैं?

श्री एम. अरुणाचलम : जहां तक 1971 की योजना में अंशदान करने वाले लोगों का संबंध है, उनको यह विकल्प उपलब्ध है। मैं यह नहीं जानता कि जो धन दिया जाता है उस पर छूट है या नहीं। मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है कि पेंशन को मूल्य सूचकांक से जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है। जब महंगाई भत्ते का भुगतान करते समय मूल्य सूचकांक का ध्यान रखा जा सकता है तो पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना सरकार को असंभव क्यों लगा।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, जैसा कि मैंने वक्तव्य में उल्लेख किया है, पेंशन लाभों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि पेंशन योजना अंशदायी योजना है और ऐसी अंशदायी योजना किसी खुले सूचकांक से नहीं जोड़ी जा सकती। समय-समय पर पेंशन में तभी वृद्धि की जा सकेगी जब कोष की स्थिति अच्छी होगी।

महोदय, आरंभ में अधिसूचित योजना में केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन की मांग पर तीन वर्ष के अंतराल में पेंशन निधि का मूल्यांकन करने का प्रावधान था। अब सरकार ने हर वर्ष पेंशन निधि का मूल्यांकन करने और पेंशन संबंधी सभी लाभों की पुनरीक्षा करने का फैसला किया है। इस प्रकार निधि की स्थिति के अनुसार संभव हो तो कर्मचारी हर वर्ष अपनी पेंशन में कुछ वृद्धि की आशा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : मंत्री जी ने कहा है कि पेंशन योजना को प्राइस इंडेक्स से नहीं जोड़ा जा सकता। पेंशन देने का मतलब ही यही होता है कि जो कर्मचारी सेवा करते हुए रिटायर हुए हैं, उनके लिए राहत के उपाय करना, जिससे उनका गुजारा हो सके। अगर महंगाई के साथ प्राइस इंडेक्स को जोड़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी तो प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी, जो प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। यदि पेंशन योजना को प्राइस इंडेक्स से नहीं जोड़ा जा रहा है, तो क्या अन्य राहत के उपाय करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, मैंने इसका अभी उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कल रात राज्य सभा ने पेंशन योजना विधेयक पारित कर दिया है। आज यह विधेयक इस सभा में आ रहा है। अत: यह विधेयक अध्यादेश व्यपगत होने से पूर्व लोकसभा द्वारा पारित किया जाना है। अत: आज शाम को या निश्चित रूप से कल इस विधेयक पर चर्चा होगी। अत: इस विशेष मामले पर सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे पारित किया जाना है। यह न यहां है और न वहां है। हमें इसे अस्वीकार करना होगा ताकि अध्यादेश व्यपगत हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन आप जो भी सूचना मंत्री जी से प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : 'इसे पारित किया जाना है' यह बात अध्यक्ष पीठ से नहीं आनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं।

गेंहू का निर्यात

+

*303. **श्री अनंत कुमार** :

श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने निर्यात हेतु गेंहू के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप गेंहू के निर्यात पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है?

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। निर्यात के प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल से बेचे गए गेंहू के मूल्य में पिछली बार 1.7.1996 से वृद्धि की गई थी।

(ख) निर्यातें के प्रयोजन के लिए बेचे जाने वाले गेंहू का मूल्य 1.7.1996 से 4,410/- रुपये से बढ़ाकर 4,900/- रुपये प्रति टन कर दिया गया था। यह मूल्य केवल पंजाब और हरियाणा में स्थित भारतीय खाद्य निगम के उन गोदामों से बिक्री के लिए है जहां से निर्यात के प्रयोजन के लिए गेंहू की बिक्री की जानी है।

(ग) 1995-96 की आगे लाई गई वचनबद्धता के प्रति 5.00 लाख टन तक गैर-डुरम गेंहू का निर्यात/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को दिए गए प्राधिकार के प्रति 15.7.1996 तक लगभग 4.42 लाख टन गेंहू रिलीज किया जा चुका है और 0.58 लाख टन गेंहू की मात्रा शेष रह गई है। गेंहू निर्यातक निर्यात के प्रयोजन के लिए खुले बाजार से गेंहू खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। देश से गेंहू का निर्यात करने की संभावना अन्य बातों के साथ-साथ विश्व बाजार के मूल्यों पर निर्भर करती है जिसके बारे में इस समय ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि निर्यात के लिए गेंहू का मूल्य 4410 रुपये से बढ़ाकर 4900 रुपये कर दिया गया है अर्थात् 1.7.1996 से प्रति मीटरिक टन 490 रुपये की वृद्धि की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गेहूं के निर्यात मूल्य में इस वृद्धि का लाभ उत्पादकों अर्थात् किसानों को दिया गया है या नहीं। पिछली बार वसूली मूल्य कब निर्धारित किया गया था. और यह कितना निर्धारित किया गया था? मेरी जानकारी के अनुसार वसूली मूल्य 370 रुपये प्रति क्विंटल है और किसानों को जो वसूली मूल्य दिया जाता है तथा गेहूं के निर्यात मूल्य में 120 रुपये प्रति क्विंटल का अन्तर है। ऐसी स्थिति में यह अन्तर या लाभ कहां जाता है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गेहूं का निर्यातक दाम ही बढ़ा है। जहां तक किसानों के सपोर्ट प्राइस का संबंध है, किसानों को लाभ देने के लिए हर साल सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाता है। पिछली 1 अप्रैल 1995 को 360 रुपये प्रति क्विंटल गेंहू का दाम था और उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 1996 को किसानों के व्यापक हित के लिए 380 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री अनंत कुमार : नहीं, नहीं। यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है। मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का ही ठीक ढंग से उत्तर नहीं

दिया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज महोदय, उन्होंने पूछे गये प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। मैं समझती हूं, मंत्रीजी प्रश्न को समझे नहीं हैं।..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। सुषमा जी, मैं समझता हूं माननीय सदस्य प्रश्न स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ने गेहूं का निर्यात मूल्य 4,400 रुपये से बढ़ाकर 4,900 रुपये कर दिया है। निर्यात मूल्य में प्रति क्विंटल लगभग 490 रुपये की वृद्धि की गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि निर्यात मूल्य में इस वृद्धि का लाभ उत्पादकों को भी हुआ है या नहीं। सरकार ने वसूली मूल्य 360 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये प्रति क्विंटल किया है। अत: प्रति क्विंटल 110 रुपये का अन्तर है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि जो लाभ हो रहा है वह किसानों को भी होगा या नहीं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, किसानों को लाभ देने के लिए ही सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाता है। निर्यातक मूल्य अभी तक चार बार बढ़ाया गया है जिसमें अभी तक डोमेस्टिक ओपन सेल प्राइस जो हमारा था, एक्सपोर्ट सेल प्राइस उससे ज्यादा रहा है, कम नहीं रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनका प्रश्न यह नहीं है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आपको मेरा बचाव करना चाहिये।

महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है। गेहूं के निर्यात मूल्य में प्रति क्विंटल 110 रुपये की वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रति क्विंटल 110 रुपये की वृद्धि में से किसानों को कितना दिया जायेगा और उत्पादकों को कितना दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं समझता हूं, सीधा प्रश्न यह है कि जब आप निर्यात मूल्य बढ़ा रहे हैं तो क्या आप उसी अनुपात में वसूली मूल्य भी बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को लाभ पहुंचे ?

श्री अनंत कुमार ..... उसी अनुपात में।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं अनिवार्य रूप से उसी अनुपात में नहीं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : किसानों को लाभ देने के लिए ही सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाता है। चूंकि अभी माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह सही नहीं है। 4,900 रुपये प्रति क्विंटल एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है, माननीय सदस्य कह रहे थे कि.... **(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव अध्यक्ष महोदय, 4,410 रुपये प्रति क्विंटल दाम था, उसे बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसके भाग (ख) में कहा गया है,

> 'निर्यात के प्रयोजनार्थ बेचे जाने वाले गेहूं का दाम 1-7-96 से 4,410 रुपये से बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति मीटरिक टन कर दिया गया है।'

अत:, दाम 4,410 रुपये से बढ़ाकर 4,900 रुपये करने का अर्थ प्रति क्विंटल 110 रुपये की वृद्धि है। उन्होंने स्वयं अभी कहा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 380 रुपये है। गेहूं के निर्यात मूल्य में वृद्धि करने के पश्चात् उन्हें गेहूं के समर्थन मूल्य में भी तदनुसार वृद्धि करनी चाहिये क्योंकि इससे किसानों को लाभ होगा। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो फालतू धनराशि कहां जाती है? क्या यह धनराशि भारतीय खाद्य निगम में तस्करी, उठाईगिरी और चोरी पर पर्दा डालने के लिए खर्च की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों को लाभ दिया जाता है और किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सपोर्ट प्राइस हर साल बढ़ाया जाता है। जो एक्सपोर्ट सेल की दर निश्चित की जाती है उसमें समर्थन मूल्य के द्वारा और भी खर्च हैं जो डोमेस्टिक प्राइस है, तो एक्सपोर्ट प्राइस को उससे ज्यादा रखा जाता है ताकि किसानों को लाभ मिले। अभी आपने

कहा कि 20 रूपए मात्र बढ़ाया गया है। अभी आपने कहा है कि मात्र 20 रूपए बढ़ाए गए हैं। मूल्य तो समय-समय पर बढ़ाए जाते है। खरीफ 1996 सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का मामला अभी भी सरकार के पास विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से भारी चोरी, तस्करी तथा उठाईगिरी के बारे में जानकारी है। यदि हां, तो सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है? भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी सड़ी गेहूं पड़ी है? क्या यह सही है कि यह सड़ी गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जा रही है और अच्छी गेहूं का निर्यात किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, उस ओर मेरा ध्यान गया था। मैंने अभी एक राज्य के तीन गोदामों को सील किया है। बिहार में फुलवारी शरीफ में एफ. सी. आई के गोदाम हैं। मुझे ऐसा लगा कि वहां सामान के संबंध में अनियमितताये हैं। मैंने वहां के स्थानीय प्रशासन को बुलाया और वहां सब रिकार्ड और एकाउन्ट रजिस्टर को चैक किया। इनको देखने से लगा कि अनियमितताये हैं, इसलिए विजिलैंस कराया गया। यदि माननीय सदस्य किसी खास जगह की खास जानकारी देंगे कि गरीब लोगों को घटिया सामान दिया जाता है तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच कराऊंगा।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था और माननीय मंत्री ने उसका उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न था "भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितने टन सड़ी हुई गेहूं पड़ी है और उसका क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप जानकारी एकत्र करके सदस्य को दें।

श्री अनंत कुमार : महोदय, आपको मेरे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे जितनी करनी चाहिये उससे अधिक आपकी रक्षा की है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, बजाए आप उनको कहें कि वे तैयारी करके आयें, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।..... **(व्यवधान)** महोदय, मेरा प्रश्न है, आपने जो मूल्य बढ़ाए हैं, उससे क्या निर्यात बढ़ेगा और यदि निर्यात बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा? इसका जवाब दिया है कि देश से गेंहू निर्यात करने की संभावना अन्य बातों के साथ-साथ विश्व बाजार में गेंहू के मूल्य पर निर्भर करती है। जिसके बारे में इस समय ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं, आखिर जब गेहूं का निर्यात देश से करना है, तो आपके पास कोई खास एजेंसी नहीं है, जो ठीक से इस बात का अनुमान लगा सके कि हमें कितना नुकसान होने वाला है? इसके साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न है, जिसको अनंत कुमार जी ने भी पूछा है, देश में ऐसे बहुत से गोदाम हैं, जहां पर अनियमिततायें हैं। 17 तारीख के एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि कश्मीर में 5574 टन गेहूं डैमेज हो गया है, जिसका मूल्य तीन करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसी तरह से जम्मू में 123 टन अनाज डैमेज हुआ है। इस संबंध में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यह जो गेंहू डैमेज हुआ है, क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारा अनाज वहां से पाकिस्तान को भेजा जाता है और वहां की जो सरकारी एजेंसी है, वह भेजे हुए अनाज को खराब हुआ बता देती है। क्या इसकी एन्कवायरी के लिए सरकार तैयार है और अगर एन्क्वायरी कराई जाएगी, तो इसका जवाब हमें कब तक मिलेगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने सदन में स्पेसिफिक बताया है इसलिए निश्चित रूप से उसकी जांच करा कर माननीय सदस्य को सूचित किया जाएगा।

श्री गोवरचन्द गेहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि विश्व बाजार में गेंहू का भाव बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, यह उनको पता नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या विश्व बाजार में गेंहू का भाव बढ़ा है और यदि नहीं बढ़ा है तो फिर भारतवर्ष से निर्यात करने के लिए गेहूं का भाव क्यों बढ़ाया गया? क्या सरकार इस बात को मानती है कि निर्यात के भाव बढ़ाने के कारण किसानों के गेहूं का निर्यात होने के बजाए उसमें कमी होगी और किसानों को नुकसान होगा। क्या हरियाणा और पंजाब की तुलना में मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के गेहूं को भी निर्यात करने की सीमा में सम्मिलित करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने अभी जो सवाल उठाया है यह सिर्फ पंजाब और हरियाणा से सीमित मूल सवाल था, लेकिन माननीय सदस्य ने उसको शामिल करने के विषय में कहा है। अभी हमारे पास जो गेहूं का स्टाक है, उसमें खपत 131 लाख टन होगी और हमारे पास 1.7.96 को भंडार 143.4 लाख टन है। हम जरूरत के मुताबिक अपने देश की फूड की आवश्यकता को देखने के बाद निर्यात पर विचार करते हैं। प्रथम प्राथमिकता यह है कि हमारे देश की जो आवश्यकता है

वह पी. डी. एस. की है या अन्य जो जरूरत के लिए गेहूं जाता है उसको देखने के बाद ही हम निर्यात पर जा सकते हैं।..... **(व्यवधान)**

श्री बाबरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, विश्व बाजार में गेहूं के भाव बढ़े हैं तो फिर इन्होंने क्यों बढ़ाए हैं। मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री डी. नारायण स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जा रही गेहूं की मात्रा बढ़ाने का कोई इरादा रखती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण कर्नाटक जैसे देश के कुछ भागों में गेंहू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और रागी जैसे अन्य अनाज का आम लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले इस प्रकार के अनाज की सप्लाई करने का विचार रखती है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीने में 1 लाख 60 हजार मीट्रिक टन आपूर्ति विभिन्न राज्यों में ओपन सेल में की जाती थी। अभी हमने उसको बढ़ा कर साढ़े तीन लाख प्रति माह अलाटमेंट किया है। एफ. सी. आई. सभी राज्यों से बिक्री करती है, हमने जो पी. डी. एस. में आबंटन दिया है वह भी वितरित करेगी। गेंहू को बढ़ाने के संबंध में हम तो राज्यों को आबंटन देते हैं, अगर राज्य बढ़ाना चाहे तो वह प्रस्ताव भेजे हम उस पर विचार करेंगे।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है, मैं राजस्थान के लिए बात करूंगा जो आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र में खास करके अनाज नहीं मिलता और न ही चावल मिलता है। उस क्षेत्र में भारत सरकार ने जो अलाटमेंट किया है उसको करने के बाद उसका उठान कम हुआ, उसका क्या कारण है? भारत सरकार ने उनको उठान के लिए परमिशन नहीं दी। जब मैं उनसे पूछता हूं तो वे कहते हैं कि वैगन न मिलने के कारण अनाज नहीं आता, हम उठा कर लाते हैं।

महोदय, यह गंभीर प्रश्न है कि उस एरिये में अनाज है ही नहीं। अगर वहां पर उचित मूल्य की दुकान पर अनाज बराबर न मिले तो वहां लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वहां पर बंटवारा इस प्रकार से करते हैं कि 50 परसेंट लोगों को पहले दिया जाता है और बाकी 50 परसेंट लोगों को दूसरे महीने में दिया जाता है। पहले से ही अनाज का जो वितरण है वह कम मात्रा में मिलता है और फिर वह एक महीने में मिले या दूसरे महीने में मिले, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राजस्थान में जो उठान कम किया उसको पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था करेगी?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के उठाने का जहां तक संबंध है, राज्य सरकारें अपनी-अपनी क्षमता और साधनों के अनुरूप खाद्यान्न उठाती हैं। आफ-टेक की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी राज्यों को आबंटन करने की है। आफ-टेक के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें जितना प्रतिशत आफ-टेक बढ़ाएंगी, उसी के अनुसार हम एलोकेशन पर विचार करेंगे..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझता हूं। मैं क्या कर सकता हूं।

..... **(व्यवधान)**

चीनी का लेवी मूल्य

*304. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान चीनी के लेवी मूल्य के निर्धारण के लिए जोनवार क्या मानदंड अपनाए गए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान गन्ना विकास परिषद् आयोग को क्रमकर की वसूली में से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) गन्ने के लेवी मूल्य में गन्ने की लागत और इसकी संरक्षण लागत जोनवार कितनी-कितनी है;

(घ) उपरोक्त गन्ना मौसम के दौरान चीनी की लागत में प्रतिमाह जोनवार कितनी-कितनी बढ़ोतरी हुई; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान लेवी चीनी का एक्स फैक्ट्री मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इसका खुदरा मूल्य जोनवार कितना-कितना था?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) ब्यौरा संलग्न उपाबंध-I में दिया गया है।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित चीनी के खुदरा जारी मूल्य पूरे देश में एक-समान है। 1.2.1994 से यह 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1995-96 के दौरान बाह्य फैक्ट्री लेवी मूल्य संलग्न उपाबंध-II पर दिया गया है।

अनुबंध-I

चीनी मौसम 1995-96 के लिए प्राप्ति, अवधि, खरीद कर, कमीशन, गन्ना लागत, परिवर्तन लागत तथा वृद्धि को क्षेत्रवार दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र	प्राप्ति (%)	अवधि (दिन)	खरीद कर, उप कर (रु. प्रति कुंतल गन्ना)	कमीशन आदि रु. प्रति कुंतल गन्ना)	गन्ना लागत रु. प्रति कुंतल चीनी)	परिवर्तन लागत रु. प्रति कुंतल चीनी)	वृद्धि रु. प्रति कुंतल चीनी)
1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	9.28	109	0.500	0.120	507.85	247.34	41.56
हरियाणा	9.56	136	1.500	0.360	512.84	234.27	40.16
राजस्थान	9.12	90	0.000	0.000	507.95	320.75	42.40
प. उत्तर प्रदेश	9.64	150	2.000	1.488	562.62	232.39	39.32
मध्य उ.प्र.	9.49	135	2.000	1.476	557.74	211.64	37.36
पूर्वी उ.प्र.	9.27	133	2.000	1.454	561.26	258.31	44.64
उत्तर बिहार	9.24	108	2.540	0.150	547.69	271.27	47.44
दक्षिण बिहार	8.50	90	2.370	0.150	529.65	374.36	56.40
दक्षिण गुजरात	11.00	156	2.400	0.000	590.09	153.76	34.00
सौराष्ट्र	8.99	90	2.400	0.000	554.95	268.45	43.24
म.प्र.	9.59	90	1.706	0.000	529.07	329.72	48.28
मध्य महाराष्ट्र	10.82	163	2.500	0.000	546.77	166.04	36.24
दक्षिण महाराष्ट्र	11.00	163	2.500	0.000	600.36	139.03	34.00
उत्तर महाराष्ट्र	10.20	130	2.500	0.000	552.39	207.55	39.04
उत्तर पश्चिम कर्नाटक	11	162	5.500	1.000	618.27	123.09	35.40
शेष कर्नाटक	9.23	160	5.000	1.000	587.65	188.12	39.60
आन्ध्र प्रदेश	9.76	123	9.000	0.000	609.12	214.44	39.88
तमिलनाडु	8.93	180	7.560	0.500	634.04	195.33	33.72
असम-प. बंगाल-उड़ीसा-नागालैंड	8.50	90	0.000	0.000	522.17	385.06	58.36
केरल-गोवा-तटीय कर्नाटक	8.82	90	2.520	0.000	539.34	267.88	50.24

अनुबंध-II

वर्ष 1995-96 के लिए लेवी चीनी मूल्य को क्षेत्रवार दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं0	क्षेत्र	बायर्स कार्ट, लारी आदि में सभी आई एस एस ग्रेड लेवी चीनी मूल्य फैक्ट्री गेट/गोदाम (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) फैक्ट्री से 5 किलो मीटर की दूरी तक	सभी आई एस एस ग्रेड लेवी चीनी मूल्य के लिए रेलवे वैगन में (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) फैक्ट्री से 5 किलो मीटर की दूरी तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	937.73	939.30
2.	असम, नागालैंड, उड़ीसा और प0बंगाल	1039.88	1041.45
3.	बिहार (उत्तर)	940.69	942.26
4.	बिहार (दक्षिण)	1034.70	1036.27
5.	गुजरात (दक्षिण)	852.14	853.71
6.	गुजरात (सौराष्ट्र)	940.93	942.50
7.	हरियाणा	861.58	863.13
8.	उत्तर-पश्चिम कर्नाटक	851.05	852.62
9.	शेष कर्नाटक	889.66	891.23
10.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	931.75	933.32
11.	मध्य प्रदेश	981.36	982.93
12.	महाराष्ट्र (दक्षिण)	847.68	849.25
13.	महाराष्ट्र (उत्तर)	873.27	874.84
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	824.24	825.81
15.	पंजाब	871.04	872.61
16.	राजस्थान	945.39	946.96
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	937.38	938.95
18.	उत्तर प्रदेश (मध्य)	881.03	882.60
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	938.60	940.07
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	898.82	900.19

खरीद कर आदि के संबंध में उत्तर तथा दक्षिण बिहार क्षेत्र के लिए मूल्य न्यायालय के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करते हैं। यदि बिहार के उपर्युक्त क्षेत्रों में फैक्टियों से कोई राशि प्राप्त होती है तो संबंधित फैक्ट्री द्वारा इसे चीनी मूल्य इक्विलाइजेशन फंड में दिया जाएगा।

श्री सौम्य रंजन : अध्यक्ष महोदय, चीनी संकट हर दो या तीन वर्षों में उठ खड़ा होता है। मेरा प्रश्न विशेष रूप से चीनी के दाम और सरकार की चीनी नीति के बारे में मंत्री जी से कुछ जानकारी प्राप्त करने और इस ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने के बारे में है। यह चीनी का मामला हर दो या तीन वर्षों में एक विवादाम्पद प्रश्न बन जाता है। सभा को याद होगा कि केवल तीन वर्ष पूर्व यह मामला इस सभा में जोर शोर से उठाया गया था और इसकी जांच आदि भी हुई थी। आप इससे तीन या चार वर्ष पूर्व की अवधि पर दृष्टिपात करें तो आप को ऐसा और विवादाम्पद मामला दिखाई देगा।

चीनी नीति पर नज़र डालने से प्रतीत होता है कि सभी कुंजियां सरकार के पास हैं। किसी नई मिल को लाइसेंस देना है या नहीं, यह फैसला सरकार करेगी; किसी मिल की चीनी खुले बाजार में बेची जानी है या लेवी चीनी के रूप में बेची जानी है, यह फैसला सरकार करेगी; यह फैसला भी सरकार करेगी कि कितने प्रतिशत चीनी लेवी चीनी के रूप में बेची जायेगी और कितने प्रतिशत खुले बाजार में बेची जायेगी; यह फैसला भी सरकार करेगी कि कितनी चीनी खुले बाजार में बेची जायेगी और गन्ने का मूल्य भी सरकार निर्धारित करेगी..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री सौम्य रंजन : हर फैसला सरकार के हाथ में है। क्या सरकार यह स्वीकार करेगी कि यह पिछले चीनी संकट में चीनी नीति पर नज़र रखने में असफल रही? दुर्भाग्यवश, यह व्यंग्यपूर्ण है कि तीन वर्ष पूर्व हम चीनी का आयात करने की बात सोच रहे थे और अब चीनी का निर्यात करने की बात सोच रहे हैं। क्या मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि सरकार चीनी नीति और चीनी स्थिति पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं रही है?..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा प्रश्न पूछिये जिससे आपको स्वीकारात्मक उत्तर मिले। आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं जिसमें आपको नकारात्मक उत्तर मिलेगा?

श्री सौम्य रंजन : भावी चीनी नीति के बारे में सरकार का क्या विचार है? ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा है। माननीय सदस्य अपने समय की चीनी नीति की चर्चा कर रहे हैं। चीनी नीति पर निगरानी रखी जा रही है। चीनी पर 40 प्रतिशत लेवी है तथा 60 प्रतिशत खुले में बिक रही है। जहां तक स्टेचुटरी प्राइस का सवाल है, भारत सरकार जरूर मिनिमम स्टेचुटरी प्राइस तय करती है। लेकिन राज्यों को यह छूट है कि वे गन्ने का दाम अपने हिसाब से तय करें। अलग-अलग राज्यों में गन्ने के अलग-अलग दाम चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि चीनी नीति पर आवश्यक निगरानी रखी जा रही है। एक सम्यक नीति बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री सौम्य रंजन : क्या सरकार वास्तव में चीनी नीति बनाना चाहती है और किसानों या मिल मालिकों की तरफदारी नहीं करना चाहती? अभी-हाल ही में सरकार ने मिल मालिकों को यह सोच कर कुछ राहत दी है कि इसके लाभ किसानों को पहुंचेंगे। मेरा अनुपूरक प्रश्न यही है। मिल मालिक कुछ मांग रहे हैं लेकिन सरकार कुछ और दे रही है। आज उत्पादन फालतू है तो सरकार सुरक्षित भंडार बनाने पर क्यों नहीं विचार करती? आप निर्यात की अनुमति देने पर क्यों नहीं विचार करते। आप उन्हें दीर्घावधि ऋण देने के लिए बैंकों के कान क्यों मरोड़ते हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश के मामले में बैंक का कानून तोड़कर राहत देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। आप को उत्तर प्रदेश के चुनावों में वोट प्राप्त करने की अधिक चिन्ता है। चीनी नीति की कोई चिन्ता नहीं है। क्या आप सुरक्षित क्षेत्र बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप निर्यात की अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, 10 लाख टन चीनी निर्यात करने की जो अनुमति प्राप्त हुई है, वे हम निर्यात कर रहे हैं। माननीय सदस्य चीनी नीति का सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम कैनेलाइज सिस्टम को डिकैनेलाइज सिस्टम बनाने पर विचार कर रहे हैं। जहां तक सवाल फालतू बफर स्टाक का है, उसका समय-समय पर ध्यान रखा जाता है। हम देश भर के किसानों के एरियर्स का तीन महीने में पेमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह आर.बी.आई. की गाइडलाइन्स है। एक राज्य उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए ये गाइडलाइन्स जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. के. कारवींधन : महोदय, तमिलनाडु में कुछ चीनी कारखाने हैं। कृषकों ने इन चीनी कारखानों के साथ समझौते किये और ज़मीन पर काफी पैसा खर्च करके गन्ने की फसलें उगाई। लेकिन तेरह महीनों के बाद भी चीनी कारखाने गन्ने की कटाई करने के आर्डर नहीं दे रहे हैं क्योंकि चीनी कारखानों में पड़े चीनी के भंडार को निकाला नहीं गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हम पिक ऐंड चूस की नीति पर नहीं चल रहे हैं। हम डिसक्रिशनरी कोटे के माध्यम से किसी एक चीनी मिल को चीनी बेचने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पिछले महीने आपने देखा होगा कि 30 परसैंट फ्री सेल का जो कोटा था, उसके अगेन्स्ट पूरे देश की चीनी मिलों को एक साथ रियायत दी गई थी कि वे 30 परसैंट कोटे से ज्यादा चीनी बेच सकते हैं। ऐसी परमिशन हमने दी थी। पिक ऐंड चूस करने की जो अलग-अलग मिलों की मांग है, उस पर हम फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री नामदेव दिवाथे : अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत इसलिए दिनोंदिन खस्ता होती जा रही है कि वे निसर्ग पर आधारित हैं। अगर निसर्ग उनका साथ देता है तो उनकी हालत अच्छी हो जाती है। किसानों की हालत दुरूस्त करने के लिए खेती को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। गेंहू और चावल का जैसा न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है, क्या वैसा मूल्य चीनी का भी निर्धारित करेंगे। क्या कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मूल सवाल से नहीं उठता है।

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे (कोपरगांव) : अध्यक्ष महोदय, चीनी नीति पर बहस चल रही है। महाराष्ट्र में एक चीनी मिल किसी किसान को साढ़े चार सौ रुपया मीट्रिक टन भाव देती है और दूसरी चीनी मिल साढ़े आठ सौ रुपये भाव देती है। इसका एक जगह एक रेट है और दूसरी जगह दूसरा। उसमें कम से कम 200-400 रुपये का फर्क होता है। ऐसा फर्क क्यों है? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है?

देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहां स्टैटयूटरी मीनिमम प्राइस रहती है। संयोग से हम केवल चीनी का कज्यूमर प्राइस राष्ट्रीय लेवल पर 9 रुपये 5 पैसे तय कर पाए हैं। वे कोआपरेटिव मिलें हैं। 110 मिलें महाराष्ट्र में हैं। उसमें से अधिकांश 104 कोआपरेटिव मिलें हैं ...... **(व्यवधान)**

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : महाराष्ट्र में 410 मिलें नहीं हैं। मंत्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस : महोदय, सरकार की चीनी नीति आने वाली है और मुझे विश्वास है कि यह बहुत ही मधुर नीति होगी। केरल में ओणम नामक हमारा एक बहुत ही प्रिय त्योहार है। महोदय, आप जानते हैं कि केरल में चीनी की कमी है। मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री 'ओनम' त्योहार के दौरान, जो शीघ्र ही आने वाला है, बहुत कम कीमत पर केरल को अतिरिक्त चीनी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हम अलग से अतिरिक्त चीनी किसी राज्य को नहीं दे रहे हैं परन्तु पर्व के नाम पर या पर्व की महत्ता के आधार पर हम निश्चित रूप से केरल को अतिरिक्त चीनी आबंटित करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन का असंतोषजनक कार्यकरण

***305. श्री पी. नामग्याल :**

श्री सुरूम राव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के असंतोषजनक कार्यकरण और उनके प्रसारण में व्यवधान उत्पन्न हो जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और आज तक इस संबंध में राज्यवार स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का काम आमतौर पर संतोषजनक रहा है। तथापि, कुछ स्टूडियों और कतिपय ट्रांसमीटरों में अल्पकालीन गड़बड़ी की कुछ शिकायतें रही हैं। ये विद्युत सप्लाई में बाधा/खराबी होने, उपस्कर के कुछ हिस्से खराब होने, टेलीफोन/माइक्रोवेव सम्पर्कों के खराब होने, स्टाफ की कमी के कारण सीमित ट्रांसमिशन होने आदि से संबंधित हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जब कभी किसी आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र या ट्रांसमीटर में गड़बड़ी देखी जाती है अथवा ठीक काम न करने या बिल्कुल काम न करने की शिकायत मिलती है, तो दोष को दूर करने हेतु तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। अपनाए गए उपचारात्मक उपायों में से कुछ उपाय ये हैं-अतिरिक्त कलपुर्जे की उपयुक्त मालसूची रखना, राज्य बिजली बोर्डों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखना, सोपानबद्ध रूप से वैकल्पिक आधार पर विद्युत आपूर्ति उपस्कर की व्यवस्था करना, अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के समूह की देख-रेख के लिए अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना करना आदि। स्टाफ की कमी को दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्पादकता आधारित वेतन संबंधी समझौता

***306. लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हाल ही में अपने विमान अभियंताओं के साथ उत्पादकता आधारित वेतन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया का विचार कुछ और श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ उत्पादकता आधारित वेतन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) : करार के अधीन, भुगतानों को प्रेषण विश्वसनीयता और विमान उपलब्धता से सम्बद्ध किया गया है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया कर्मचारी गिल्ड के साथ इसी प्रकार के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसी प्रकार की स्कीम एयर इंडिया अधिकारी संघ पर लागू की गई है। अन्य संगठनों से समझौता-वार्त्ताएं की जा रही हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान किराए में वृद्धि

*307. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990 से आज तक की अवधि में विमान किराए में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विमान किराए में और वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) :

(क) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सैक्टरों पर 1.09.90 के बाद एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किरायों में की गई बढ़ोतरियों की सीमा नीचे दी गई है :

अवधि	प्रतिशत वृद्धि
01 जनवरी 90 - 30 मार्च 90	5.0 - 17.7
01 अप्रैल 90 - 30 जून 90	4.0 - 19.0
01 जुलाई 90 - 30 सितम्बर 90	4.54 - 27.54
01 अक्तूबर 90 - 31 दिसम्बर 90	2.0 - 10.0
01 जनवरी 91 - 30 मार्च 91	7.0 - 7.0
01 अप्रैल 91 - 30 जून 91	3.0 - 20.0
01 अक्तूबर 91 - 31 दिसम्बर 91	3.0 - 11.4
01 जनवरी 92 - 30 मार्च 92	3.0 - 3.0
01 अप्रैल 92 - 30 जून 92	5.0 - 15.0
01 जुलाई 92 - 30 सितम्बर 92	10.0 - 10.0
01 अक्तूबर 92 - 31 दिसम्बर 92	15.0 - 15.0
01 जनवरी 93 - 30 मार्च 93	8.5 - 8.5
01 अप्रैल 93 - 30 जून 93	15.0 - 26.5
01 जुलाई 93 - 30 सितम्बर 93	15.0 - 15.0
01 जनवरी 94 - 30 मार्च 94	4.6 - 6.5
01 अप्रेल 94 - 30 जून 94	3.0 - 20.0
01 जुलाई 94 - 30 सितम्बर 94	3.0 - 20.0
01 अप्रैल 95 - 30 जून 95	0.90 - 9.86
01 जुलाई 95 - 30 सितम्बर 95	2.40 - 2.40
01 अक्तूबर 95 - 31 दिसम्बर 95	10.00 - 15.40
01 जनवी 96 - 30 मार्च 96	3.40 - 20.00
01 अप्रैल 96 - 30 जून 96	10.00 - 15.00

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्देशीय सेक्टरों पर किरायों में की गई वृद्धि इस प्रकार है :

दिनांक 1	प्रतिशत वृद्धि 2
11.4.1990	15.7
26.9.1990	10.0
07.10.1991	20.0
02.10.1992	9.0
13.9.1993	15.0
25.7.1994	औसत 15% (10% से 20%)

1	2
15.6.1995	डॉलर किराया संशोधित आई एन आर किराया तथा डालर किराया का भेदक 15% पर निर्धारित (डालर किराया आई एन आर किराया की अपेक्षा 15% अधिक होगा)
01.10.1995	औसत 20% (12% से 23%)
01.01.1996	डालर किराये में 20% की वृद्धि

(ख) और (ग) लागत में होने वाली वृद्धि और यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विमान कंपनियां अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार अंतर्देशीय सेक्टरों पर किराये निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक अंतरराष्ट्रीय किरायों का संबंध है, इनमें की जाने वाली वृद्धि के संबंध में पहले तो विमानकंपनियों द्वारा "आयटा" की टैरिफ को-ऑर्डिनेटिंग कान्फ्रेन्स में चर्चा की जाती है और सहमति दी जाती है तथा फिर संबंधित सरकारों की स्वीकृति से ये वृद्धियां क्रियान्वित की जाती हैं। "आयटा" विभिन्न सेक्टरों के लिए अंतरराष्ट्रीय किरायों की ऐसी समीक्षा समय-समय पर करता रहता है।

चीनी का आयात और निर्यात

*308. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान किये गये चीनी के आयात या निर्यात के पीछे क्या औचित्य था;

(ख) उपरोक्त आयात/निर्यात के कारण देश को कितना घाटा/लाभ हुआ;

(ग) इस संबंध में यदि कोई घाटा हुआ है तो क्या सरकार उस घाटे को देखते हुए आयात ठेकों को रद्द करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन घाटों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (छ) पहली अक्तूबर 93 से 30 सितम्बर 94 तक चीनी उत्पादन मौसम में हुई कमी और बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हुई आपूर्ति की कम उपलब्धता को पूरा करने के लिए कैलेण्डर वर्ष 1994 में चीनी का आयात करना जरूरी हो गया था। कैलेण्डर वर्ष 1994 के दौरान राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 9.77 लाख टन चीनी का आयात किया गया था। चूंकि पहली अक्तूबर 1994 से शुरू हुए चीनी मौसम के प्रारंभ में उत्पादन की अच्छा रूख मौजूद नहीं था इसलिए सरकार ने राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को चीनी का उत्पादन अनुमानित स्तर तक नहीं होने की स्थिति में 5 लाख टन चीनी के आयात का अग्रिम अनुबंध पूरा करने का निर्देश दिया था ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके प्रति राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लगभग 4.09 लाख टन मात्रा का अनुबंध किया। तथापि, यह स्पष्ट हो गया था कि 1994-95 मौसम में उच्च उत्पादन होने की संभावना थी इसलिए सरकार ने राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यथासंभव अधिक से अधिक उच्च मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा अनुबंधित चीनी का निपटान करने के लिए निदेश दिए थे। परिणामस्वरूप, 1995 में केवल 1.99 लाख टन (लगभग) की मात्रा का आयात किया गया था।

आयातित चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के प्रयोजन के लिए थी और तदनुसार 9.05 रु. प्रति किलोग्राम के निर्गम मूल्य पर उपभोक्ताओं को जारी की गई थी। यद्यपि खातों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है, वित्तीय वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 591 करोड़ रु. और 164 करोड़ रुपये का भुगतान सब्सिडि के रूप में किया गया है। यह एक ओर आयात और वितरण लागत तथा दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वसूली मूल्य के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए है। आयात चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यवधान की संभावना को समाप्त करने के लिए किए गए थे इसलिए किसी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक चीनी के निर्यात का संबंध है, चीनी मौसम 1994-95 में हुए वास्तविक उच्च उत्पादन और 1995-96 मौसम में भी हो रहे अधिक उत्पादन, जिससे चीनी की अधिक उपलब्धता हो गई है, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगस्त 95 से और इसके बाद चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया ताकि चीनी मिलें अपने स्टाक को बेचने और गन्ना उत्पादकों को उनके बकाया का भुगतान करने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में समर्थ हो सकें।

नोएडा में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

*309. **श्री पंकज चौधरी** :

कुमारी उमा भारती :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन एवं आधुनिक कार्गो रख-रखाव केन्द्र की स्थापना करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमानचालक

*310 **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कितने विमानचालक नौकरी छोड़ कर चले गए,

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी विमानचालकों को सेवा में वापस बुलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विमानचालकों को क्या अतिरिक्त लाभ दिए जाने के प्रस्ताव हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) एयर इंडिया में से पलायन करने वाले विमान चालकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है किन्तु वर्ष 1993 से 1995 के बीच इंडियन एयरलाइन्स के 96 विमान चालकों ने त्यागपत्र दिया तथा 12 विमानचालक, जिन्होंने पहले त्यागपत्र दिया था, वापस आ गए। वर्ष 1996 में अब तक किसी भी विमानचालक ने नौकरी नहीं छोड़ी है। संगठन छोड़ते समय विमानचालकों ने कोई वजह नहीं बतायी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

"कॉर्डलेस" दूरसंचार प्रौद्योगिकी

*311 **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ यूरोपीय दूरसंचार कंपनियों ने भारत में "डिजीटल एनहांस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन टैक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को सक्रिय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका भारतीय दूरसंचार कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) यह बताया गया है कि अल्काटेल, इरिक्शन, नोकिया, फिलिप्स और सीमेंस नाम की पांच कंपनियों ने एक मंच बनाया है।

(ग) और (घ) बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के प्रदाता स्थानीय लूप में बेतार की इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थितियों में मिलने वाले तुलनात्मक फायदों की उनकी उम्मीद पर निर्भर करता है।

वक्फ संपत्तियां

*312. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश भर में वक्फ संपत्तियों को गैर-कानूनी रूप से बेचने और हस्तांतरित किये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) सरकार के पास पश्चिम बंगाल को छोड़कर वक्फ संपत्तियों के गैर-कानूनी रूप से बेचने या हस्तांतरित करने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंध से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति तथा उनकी जांच-पड़ताल के लिए एक विभागीय जांच किए जाने की पुष्टि की हैं। किन्तु विभागीय जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि इस तरह की रिपोर्ट के बारे में प्रेस में उल्लेख हुआ है और इस मामले पर राज्य विधान सभा में चर्चा हुई है।

(ख) वक्फ अधिनियम, 1995 में वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी बिक्री/हस्तांतरण से बचाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है।

विदेशी विमानों की निगरानी

*313. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागर विमानन महानिदेशक से अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लघंन करने वाले और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले विदेशी विमानों को भारतीय आकाश में घुसने से रोकने के उद्देश्य से इसकी कड़ी निगरानी करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून, 1996 में दो पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय क्षेत्र के नक्शे तैयार करने के लिए नीची उड़ान भरते हुए भारतीय क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर का कारगिल क्षेत्र) में प्रवेश किया था; और

(ग) यदि हां, तो भारत द्वारा दर्ज किए गए विरोध का ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी. नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक सेवाओं का निजीकरण

*314. **श्री अजय पाल सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवाओं का निजीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसाकि 2 जुलाई, 1996 "द इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन एजेन्सियों को किस प्रकार की डाक सेवाएं सौंपे जाने के प्रस्ताव हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

(क) से (घ) जैसा कि 2 जुलाई, 1996 के इकानॉमिक टाइम्स प्रकाशित समाचार में संक्षेप में उल्लेख किया गया है, डाक विभाग डाक-टिकटों और डाक-लेखन सामग्री की बिक्री जैसी मूलभूत डाक सुविधाएं व्यापक रूप से प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त एजेंटों को ऐसे कार्य करने की अनुमति देता आ रहा है।

इस समय निम्नलिखित एजेंसी प्रणालियां काम कर रही हैं :

लाइसेंस प्राप्त पोस्टल एजेंसी :

यह स्कीम 1985 से चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त एजेंटों को डाक-टिकटों और डाक-लेखन सामग्री की बिक्री तथा रजिस्टर्ड डाक वस्तुएं बुक करने की अनुमति दी जाती है। एजेंट द्वारा बेची गई डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री की राशि पर प्रतिशत कमीशन, बुक की गई प्रत्येक रजिस्टर्ड डाक वस्तु पर कमीशन दिया जाता है।

इस स्कीम के प्रति कर्मचारियों के विरोध को ध्यान में रखते हुए, 1987 से इस स्कीम के अंतर्गत कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है। तथापि, इस स्कीम के आस्थगित होने से पहले जिन एजेंटों को लाइसेंस दिए गए थे वे काम कर रहे हैं।

लाइसेंस प्राप्त डाक-टिकट विक्रेता :

यह स्कीम 1969 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में यह स्कीम उन्हीं शहरों में चलायी गयी थी जिनमें डाक सर्किल अध्यक्षों का मुख्यालय था। सन् 1983 से इस स्कीम का सभी क्षेत्रों में विस्तार किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति, फर्म या सोसाइटी को डाक-टिकटों और डाक-लेखन सामग्री की बिक्री के लिए एजेंसी लेने की अनुमति दी जाती है। एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ के धारक भी यह एजेंसी ले सकते हैं।

इस स्कीम के अधीन निर्धारित शर्तें पूरी होने पर पोस्टल डिवीजन के अध्यक्ष द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

पंचायत संचार सेवा योजना :

यह स्कीम 1995 में शुरू की गई थी। यह स्कीम ऐसे क्षेत्रों में मूलभूत डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए बनायी गई हैं जहां ऐसी सेवाएं नहीं है और वहां डाक घर खोलने का औचित्य बनता है। इस स्कीम में उस गांव की ग्राम पंचायत को जहां डाकघर खोलने का औचित्य बनता है, डाक-टिकटों और डाक-लेखन सामग्री की बिक्री, रजिस्टर्ड डाक वस्तुओं की बुकिंग, गांव में अन अकाउण्टेबल आर्टिकल्स का वितरण और लघु बचत योजनाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए पंचायत संचार सेवा केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

वर्ष 1996-97 में 250 पंचायत संचार सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

बालश्रम प्रथा का उन्मूलन

*315. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम प्रथा उन्मूलन के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों तथा इस पर नये सिरे से बल दिये जाने के बावजूद देश में बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों में लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त प्रयास किए जाने के बाद से ऐसे उद्योगों में लगाए गये बच्चों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) उद्योगों में विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) 1981 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल बाल श्रमिकों की जनसंख्या 13.06 मिलियन थी। 1987-88 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के आधार पर यह संख्या बढ़कर 17.02 मिलियन हो गयी। अधिकांश बाल श्रमिक घरेलू व्यवसायों सहित कृषि और संबंधित नियोजनों में लगे हुए हैं। कुल बाल श्रमिकों की जनसंख्या में से, लगभग 2.00 मिलियन बालकों के जोखिम कारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में लगे होने का अनुमान है। ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाते हों कि जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम की घटना में कमी आई है।

बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सरकार नें अनेक कार्रवाइयां की हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार (i) विधान (ii) बालकों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों, और (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से बाल श्रम समस्या का निपटान किया जा रहा है।

एक व्यापक कानून, अर्थात्, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 27 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध करने के लिए पहले ही विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 तथा मोटर और परिवहन (कर्मकार) अधिनियम, 1961 आदि जैसे विभिन्न अन्य श्रम कानूनों में संरक्षात्मक उपबंध विहित हैं। सरकार का दृष्टिकोण इन कानूनों के बाल श्रम से संबंधित सभी उपबंधों को सामंजस्यपूर्वक कार्यान्वित करना है।

फिलहाल, सरकार जोखिमकारी व्यवसायों में सन् 2002 तक लगभग 2.00 मिलियन कामकाजी बालकों के पुनर्वास कार्य में लगी हुई है। अभी तक विशेष स्कूलों के माध्यम से 1.5 लाख बालकों को शामिल करने के लिए 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है जिनमें बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख और छात्रवृत्ति आदि मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा, बाल श्रम की बुराई के विरुद्ध राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर व्यापक जागरूकता सृजन अभियान भी चलाए गए हैं। बाल श्रम प्रथा के विरुद्ध लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए इस देश में सर्वाधिक बाल श्रम की अधिकता वाले 133 जिलों के लिए जिला स्तरीय जागरुकता सृजन के लिए निधियां प्रदान की गयी हैं। आने वाले वर्षों में इन उपायों का समेकन और विस्तार किया जाएगा।

उपभोक्ता न्यायालय और शिकायत निवारण मंच

*316. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संपूर्ण देश में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के रूप में उपभोक्ता न्यायालयों की कार्यकुशलता और उनके कार्यकरण का किसी स्तर पर मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की मानीटरिंग/मूल्यांकन, करना एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार उपभोक्ता न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास होता है।

केन्द्रीय सरकार भी समय-समय पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण को मॉनीटर करती है। केन्द्रीय सरकार ने पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के जरिए "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता के मूल्यांकन" के बारे में एक नमूना सर्वेक्षण प्रायोजित किया था। दिसम्बर, 1994 में प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण की संक्षिप्त रिपोर्ट में उपभोक्ता न्यायालयों, उपभोक्ता शिक्षा तथा जागरूकता में सुधार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन सिफारिशों में उपभोक्ता न्यायालयों के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं तथा उसके साथ ही उनके लिए समान स्टाफिंग पैटर्न का प्रावधान करना, जिला न्यायालय के अध्यक्षों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना तथा उपभोक्ता न्यायालय के खर्च को योजनागत अनुदान के तहत लाना आदि शामिल है। चूंकि ये सिफारिशें उपभोक्ता न्यायालयों के प्रशासन तथा प्रबंध से संबंधित है अतः रिपोर्ट को उपर्युक्त कार्यवाही के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र सरकारें उपभोक्ता न्यायालयों को मजबूत कर सकें और साथ ही इन न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या में कमी कर सकें, केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक बार के अनुदान की एक केन्द्रीय स्कीम शुरू की है जिसके तहत 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 61 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1995-96 के दौरान, 29.98 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं और शेष राशि उपभोक्ता न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी।

टेलीफोन का अधिक बिल आना

*317. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 और 1996 के दौरान आज तक सरकार को एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. में टेलीफोन का अधिक बिल आने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल के कूचविहार जिले में शिकायतों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सूचना मंगवाई गई है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) 1. इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केवल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से प्रदान किए जाएं। जिन स्थानों पर सेवा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाती है, वहां एस. टी. डी. सार्वजनिक टेलीफोन की जरूरत को पूरा करने के लिए नए 128 पी सी- डॉट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोले जाते हैं।

2. इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के माध्यम से डायनामिक एस. टी. डी. नियंत्रण सुविधा प्रदान की जाती है। इस सुविधा के अंतर्गत टेलीफोन की एस. टी. डी. सुविधा को इच्छानुसार खोला अथवा बंद किया जा सकता है, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। इसके अलावा एस.टी.डी./आई.एस. डी. कालों की विस्तृत बिलिंग सुविधा भी उपलब्ध है जिसके द्वारा फ्रेंचाइजी एस.टी.डी. पी.सी.ओ. से की गई कॉलों के ब्यौरे जान सकता है।

3. आंतरिक (इंडोर) उपस्कर और बाह्य (आउटडोर) संयंत्रों की नियमित रूप से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई तकनीकी दोष नहीं है।

4. एक्सचेंजों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

5. सतर्कता यूनिट भी संभावित दुरुपयोग अथवा लाइन में विपथन (डाइवर्सन) के संबंध में आकस्मिक जांच करती है।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

*318. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया;

(ख) क्या तत्कालीन सरकार ने आयातित चीनी को सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचा था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बिक्री के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 के वित्तीय वर्ष के दौरान एस. टी. सी. तथा एम. एम. टी. सी. ने एक साथ लगभग 9.77 लाख टन चीनी आयात की। इस चीनी का मूल्य लगभग 37.93 करोड़ अमेरिकी डालर बैठता है।

यह चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात की गई थी। अत: 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम के जारी मूल्य पर बेची गई। इसे देखते हुए हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनिज उत्पादन

*319. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रोमाइट, ग्रेफाइट, बाक्साइट, डोलामाइट तथा मैंगनीज अयस्क किन-किन राज्यों में उपलब्ध है;

(ख) इन राज्यों में उक्त खनिज राज्यवार लगभग कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन खनिजों के वार्षिक उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन खनिजों के उचित दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) उपलब्ध क्रोमाइट, ग्रेफाइट, बाक्साइट, डोलोमाइट और मैंगनीज अयस्क का राज्य-वार विवरण निम्नवत् है :

क्र. सं.	खनिज	राज्य जहां उपलब्ध हैं
1.	क्रोमाइट	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, और तमिलनाडु।
2.	ग्रेफाइट	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु।
3.	बॉक्साइट	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
4.	डोलोमाइट	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल।
5.	मैंगनीज अयस्क	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।

(ख) राज्यवार भंडार विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिजों का राज्यवार वार्षिक उत्पादन विवरण-II पर है।

(घ) नई खनिज नीति, 1993 सहित सरकार की नीतियां खनिज क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 खनिज रियायत नियम, 1960 और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में भी खनिजों के उचित ढंग से विदोहन का प्रावधान है।

विवरण-I

1/4/90 तक क्रोमाइट, ग्रेफाइट, बाक्साइट, डोलोमाइट और मैंगनीज अयस्क के राज्यवार कुल प्राप्ति योग्य भंडार।

(इकाई : मिलियन टन में)

	राज्य	खनिज	कुल प्राप्ति योग्य भंडार
1.	आंध्र प्रदेश	बाक्साइट	592
		क्रोमाइट	0.067
		ग्रेफाइट	0.22
		डोलोमाइट	129.99
		मैंगनीज अयस्क	7.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	डोलोमाइट	58.37
3.	बिहार	बाक्साइट	61.10
		क्रोमाइट	0.334
		डोलोमाइट	47.25
		ग्रेफाइट	0.53
		मैंगनीज अयस्क	2.30
4.	गुजरात	बाक्साइट	107.74
		डोलोमाइट	681.63

	राज्य	खनिज	कुल प्राप्ति योग्य भंडार
		ग्रेफाइट	0.016
		मैगनीज अयस्क	1.48
5.	गोवा	बाक्साइट	28.08
		मैगनीज अयस्क	23.56
6.	हरियाणा	डोलोमाइट	7.25
7.	जम्मू व कश्मीर	बाक्साइट	1.78
8.	कर्नाटक	बाक्साइट	27.41
		क्रोमाइट	0.85
		डोलोमाइट	325.28
		मैगनीज अयस्क	64.55
9.	केरल	बाक्साइट	7.92
		ग्रेफाइट	0.52
10.	मध्य प्रदेश	बाक्साइट	140.79
		डोलोमाइट	1666.85
		ग्रेफाइट	0.010
		मैगनीज अयस्क	10.54
11.	महाराष्ट्र	बाक्साइट	87.25
		क्रोमाइट	0.47
		डोलोमाइट	223.23
		ग्रेफाइट	0.002
		मैंगनीज अयस्क	19.17
12.	मणिपुर	क्रोमाइट	0.002
13.	मेघालय	बाक्साइट	0.89
14.	उड़ीसा	बाक्साइट	1442.27
		क्रोमाइट	183*
		डोलोमाइट	1171.16
		ग्रेफाइट	0.95
		मैगनीज अयस्क	40.84
15.	राजस्थान	बाक्साइट	0.32
		डोलोमाइट	135.42

	राज्य	खनिज	कुल प्राप्ति योग्य भंडार
		ग्रेफाइट	0.47
		मैंगनीज अयस्क	0.41
16.	सिक्किम	डोलोमाइट	2.07
17.	तमिलनाडु	बाक्साइट	18.32
		क्रोमाइट	0.24
		डोलोमाइट	1.63
		ग्रेफाइट	0.39
18.	उत्तर प्रदेश	बाक्साइट	9.42
		डोलोमाइट	224.33
19.	पश्चिम बंगाल	डोलोमाइट	293.01
		मैगनीज अयस्क	0.10

विवरण-II

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक क्रोमाइट, ग्रेफाइट, बाक्साइट, डोलोमाइट और मैंगनीज अयस्क का राज्यवार वार्षिक उत्पादन।

(मात्रा टन में)

खनिज	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96(अ)
क्रोमाइट	भारत	1064684	1137886	1663969
	आंध्र प्रदेश	234	-	-
	कर्नाटक	33921	29062	59728
	महाराष्ट्र	1726	1090	1190
	मणिपुर	642	784	470
	उड़ीसा	1028161	1106950	1602581
ग्रेफाइट	भारत	83956	103053	126371
	आंध्र प्रदेश	214	175	114
	बिहार	22168	20119	20300
	केरल	-	173	304
	उड़ीसा	61574	60722	79423
	राजस्थान	-	535	5149
	तमिलनाडु	-	21329	21081
बाक्साइट	भारत	5534913	4898674	5443854

खनिज	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96(अ)
	बिहार	916485	927566	1000215
	गोआ	60323	69367	63871
	गुजरात	818330	637000	563546
	कर्नाटक	18860	19563	31760
	मध्य प्रदेश	533878	497050	517592
	महाराष्ट्र	685791	557273	719990
	उड़ीसा	2446217	2146569	2419605
	तमिलनाडु	53029	44286	127275
डोलोमाइट	भारत	3349526	3375558	3490836
	आंध्र प्रदेश	131753	222622	258312
	बिहार	284334	271493	349236
	गुजरात	290722	284349	406947
	कर्नाटक	23724	27409	42876
	मध्य प्रदेश	842922	913807	913550
	महाराष्ट्र	19253	29673	30398
	उड़ीसा	1583444	1416169	1294275
	राजस्थान	3545	8939	7721
	उत्तर प्रदेश	64650	63949	46935
	पश्चिम बंगाल	105179	137148	140586
मैंगनीज अयस्क	भारत	1696111	1680975	1797075
	आंध्र प्रदेश	64609	60987	53042
	बिहार	5568	4138	11867
	गोवा	20932	20554	17880
	कर्नाटक	372451	383576	430786
	मध्य प्रदेश	306953	341513	358559
	महाराष्ट्र	281204	287465	314141
	उड़ीसा	644394	582742	610800

अ = अनंतिम

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

*320. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1996 से 30 जून, 1996 तक की अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) क्या इसमें से कुछ संगठनों द्वारा इस धनराशि का दुरूपयोग किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) 1 अप्रैल, 1996 से 30 जून, 1996 तक की अवधि के दौरान गैर सरकारी संगठनों को 7.14 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त संगठनों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु कुछ अन्य संगठनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों के संबंध में जांच के आदेश दिए जाते हैं तथा यदि अभियोग उचित पाए जाते हैं तो अनुदान रोक दिया जाता है तथा अन्य समुचित कार्रवाई शुरू की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

2384. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से विशेषत: सांविधिक राशनिंग वाले क्षेत्र में बेची जा रही चीनी, आटा, मैदा, चावल (विभिन्न किस्में) गेंहू और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना-कितना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक/सी आई एल कोक आबंटित करती है। चीनी को छोड़कर जिसका सारे देश में 9.05 रु. प्रति किलो ग्राम का समान अंतिम खुदरा मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाता है, इन वस्तुओं के अंतिम खुदरा मूल्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न ऊपरिशीर्ष खर्चों जैसे दुलाई/रख-रखाव प्रभारों, स्थानीय लेवियों/करों, डीलर के मार्जिन आदि को ध्यान में रखते हुए स्वयं नियत किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार सांविधिक राशनिंग क्षेत्रों में उचित दर दुकान स्तर के मूल्यों का विवरण नहीं रखती है।

कोयला खान दुर्घटनाएं

2385. **श्री हाराधन राय** : क्या **श्रम मंत्री** कोयला खान दुर्घटनाओं के बारे में 29.7.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1052 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा ई.सी.एल. की न्यू केन्दा कोयला खान में 25 जनवरी 1994 को हुई खान दुर्घटना के संबंध में नियुक्त, जांच न्यायालय ने जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो जांच पूरी होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये एक स्थगन आदेश के कारण जांच न्यायालय काफी समय तक कार्रवाई आरंभ नहीं कर सका। स्थगन आदेश सितम्बर, 1995 में वापिस ले लिया गया। तब से जांच न्यायालय ने जांच आरंभ कर दी है। अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जांच न्यायालय की अवधि इस समय 24.10.96 तक बढ़ी हुई है।

सेटेलाइट टी. वी. नेटवर्क

2386. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिलों को सेटेलाइट टेलीविजन रिले नेटवर्क से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में सभी जिलों को कब तक इस नेटवर्क से जोड़ दिए जाने की संभावना है?

नागरिक विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) उपयुक्त डिश एंटिना का प्रयोग करने उपग्रह प्रदत टी.वी. सेवा पहले ही पूरे देश में उपलब्ध है।

असम में शाखा डाकघर

2387. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्थान-वार कितने शाखा डाकघर खोले गए;

(ख) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान राज्य में कुछ और नए डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए शाखा डाकघरों की स्थान-वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघर (स्थान-वार)

क्रम सं.	वर्ष	असम में शाखा डाकघर का नाम
1.	1993-94	1. उजानकुरी
		2. चमटपाथर
		3. बागुनकाटा
		4. लाफाकुची
		5. दिगोरखाल बाजार
		6. अलेग्जेंडर पुर
		7. बागबारी
		8. मणिगीपुर
		9. बोरशीओरा
		10. काकोरमारी
		11. कचादल
		12. अम्बारी
		13. पदमेरलगा, भाग-II
		14. रंगाजुली
		15. बारबिल कचारी
		16. तेलिसाल
		17. बजरछिगा
		18. दानीछपोरी
		19. हरकपाथर
		20. दिघाली देबेश
		21. खरकाटी
		22. रंगली पाथर
		23. गेलापुखुरी
		24. दिलाजी
		25. बुरहाछपोरीगांव
		26. काचाधरा-नाखंडर
2.	1994-95	शून्य
3.	1995-96	शून्य

उपभोक्ता शिकायतें तथा निवारण प्रणाली

2388. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके साथ हुई बैठक में उपभोक्ता शिकायत तथा निवारण प्रणाली को विशेष कर राज्य स्तर पर मजबूत किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेनाइट का खनन

2389. **श्री एन. एस. वी. चित्तन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ग्रेनाइट सम्पदा

का पता लगाने के लिए कोई जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात उत्पाद के रूप में ग्रेनाइट के खनन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) ग्रेनाइट के गौण खनिज होने के कारण संबंधित राज्य सरकारें गवेषण कार्य के लिए साथ-साथ भंडारों के विदोहन के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, इस खनिज द्वारा महत्व प्राप्त किए जाने को देखते हुए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 1994 से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लगभग 39,065 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के संसाधनों का गहन सर्वेक्षण आरंभ किया है। विभिन्न राज्यों में विस्तृत कवरेज का विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार ने ग्रेनाइट विकास परिषद् नामक एक निकाय गठित किया है जिसमें केन्द्र सरकार और इसके संगठन, राज्य सरकारों, औद्योगिक संघों के साथ-साथ निजी उद्यमियों के सदस्य शामिल हैं जो ग्रेनाइट उद्योग के विकास से संबंधित समस्याओं का निपटारा करेंगे।

विवरण

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ग्रेनाइट के संसाधनों का गहन सर्वेक्षण वर्ष 1994 से आरंभ किया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

	राज्य का नाम	शामिल किया गया क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12,000
2.	असम	80
3.	बिहार	645
4.	गुजरात	750
5.	हरियाणा	105
6.	कर्नाटक	3,950
7.	केरल	1,000
8.	मध्य प्रदेश	1,350
9.	महाराष्ट्र	1,950
10.	मेघालय	205
11.	उड़ीसा	1,200
12.	राजस्थान	11,000
13.	तमिल नाडु	2,050
14.	उत्तर प्रदेश	1,700
15.	पश्चिम बंगाल	1,080
	जोड़ :	39,065

चीनी का भंडार

2390. **श्री खनत कुमार मंडल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय प्रचुर मात्रा में चीनी का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) हाल ही में राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार खुली बिक्री हेतु कितनी चीनी जारी की गई; और

(घ) इसके निर्यात के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 30.6.96 तक फैक्टियों के पास 113.20 लाख टन चीनी का अनुमानित स्टॉक था।

(ग) अगस्त माह 1996 के लिए जारी खुली बिक्री चीनी का राज्यवार दर्शाने वाला विवरण दिया गया है।

(घ) चीनी उत्पादन के उच्चतर स्तर को देखते हुए सरकार ने अभी तक 10 लाख टन चीनी की मात्रा को वाणिज्यिक निर्यात के लिए अधिसूचित किया है।

विवरण

अगस्त माह 1996 के लिए जारी खुली बिक्री चीनी को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

	राज्य	अगस्त कोटा (मिलियन टन में)
1.	पंजाब	35496.8
2.	हरियाणा	20441.1

	राज्य	अगस्त कोटा (मिलियन टन में)
3.	राजस्थान	1286.8
4.	उत्तर प्रदेश	213235.2
5.	मध्य प्रदेश	6077.2
6.	गुजरात	44952.5
7.	महाराष्ट्र	236139.8
8.	बिहार	17282.4
9.	असम	492.5
10.	उड़ीसा	5083.4
11.	पश्चिम बंगाल	227.2
12.	नागालैंड	47.5
13.	आन्ध्र प्रदेश	32933.7
14.	कर्नाटक	48150.0
15.	तमिलनाडु	59679.9
16.	पांडिचेरी	2365.6
17.	केरल	407.4
18.	गोवा	741.0
		725000.0

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पांच सितारा होटलों का निर्माण

2391. **श्री वाणिकराव होडल्या गावीत** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने विदेशों में कुछ पांच सितारा होटलों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम ने विदेश में किसी भी पांच सितारा होटल का निर्माण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संक्रामक रोगों से पीड़ित विकलांग व्यक्ति

2392. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार देश में पोलियों, क्षयरोग कैंसर, अन्धता और अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित विकलांग और अन्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार विकलांग हुए और अन्य व्यक्तियों के कल्याण हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ग) क्या उक्त केन्द्रीय सहायता राशि में से प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए व्यय की निगरानी हेतु कोई व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों द्वारा उक्त सहायता राशि को कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (छ) अपेक्षित सूचना स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है।

विभिन्न प्रकार के विमान

2393. **श्री गुल्लापल्ली राजगोपाल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस ने विभिन्न प्रकार के विमानों की खरीद की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वी. एन. गाडगील) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्राप्त किए गए विमानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	इंडियन एयरलाइंस	एयर इंडिया
1993	7-ए-320	3-बी 747-400
1994	5-ए-320	1-बी 747-400
1995	-	-
1996	-	-
(जुलाई 1996 तक)		

एफ. एम. आकाशवाणी केन्द्र

2394. **श्री सौम्य रंजन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कुल कितने एफ. एम. आकाशवाणी केन्द्र हैं;

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान कितने नये एफ. एम. केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार एफ. एम. चैनलों पर स्टीरियोफोनिक प्रसारण प्रारंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक आरंभ कर दिया जायेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) राज्यवार मौजूदा एफ. एम. आकाशवाणी ट्रांसमीटर/केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में आगामी दो वर्षों के दौरान 36 एफ. एम. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ स्थानों से स्टीरियोफोनिक प्रसारण पहले ही शुरू कर दिया गया है और अन्य स्थानों पर इसे चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है।

विवरण

राज्य	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	8
अरूणाचल प्रदेश	-
असम	3
बिहार	6
दिल्ली	1
गोवा	1
गुजरात	2
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	6
केरल	4
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	13
मणिपुर	-
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	5
पंजाब	3
राजस्थान	8
सिक्किम	-
तमिलनाडु	1
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	5
पश्चिम बंगाल	2
संघ शासित प्रदेश	
कराईकाल (पांडिचेरी)	1
दमन	1
कुल :	94

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या

2395. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हुई है;

(ख) नई आर्थिक नीति के लागू किए जाने के बाद भारत की श्रम शक्ति में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ग) क्या नई आर्थिक नीति के लागू किए जाने के पश्चात् बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) संगठित क्षेत्र में (सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा 10 या उससे अधिक कामगारों वाले निजी क्षेत्र में सभी गैर-कृषीय प्रतिष्ठान) गत तीन वर्षों के दौरान कामगारों की संख्या में कोई कमी

दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस. एस.ओ.) द्वारा पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के आधार पर रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम-बल संबंधी अनुमान तैयार किए जाते हैं। नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 1993-94 से संबंधित है तथा इस पर आधारित अनुमानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

2396. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान तथा अब तक उत्तर प्रदेश में जिले-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ख) जून, 1996 तक राज्य में, जिला-वार और विशेषत: बरेली में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) इस संबंध में जिले-वार, प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस वर्ष के दौरान राज्य में टेलीफोन कनेक्शन की मांग को पूरा करने के लिए जिले-वार कितनी अतिरिक्त टेलीफोन लाइनें उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1995-96 (आज की तारीख तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों की जिला-वार संख्या अनुलग्नक के कालम (क) में दी गयी है।

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की राज्य में जिला-वार संख्या अनुलग्नक के कालम (ख) में दी गयी है। बरेली में यह संख्या 2892 है।

(ग) प्रतीक्षा-सूची को निपटाये जाने का जिला-वार संभावित समय विवरण के कालम (ग) में दिया गया है।

(घ) राज्य की मांग को पूरा करने के संबंध में इस वर्ष के दौरान प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों की जिला-वार प्रस्तावित संख्या विवरण के कालम (घ) में दी गयी है।

विवरण

क्र.स.	जिले का नाम	वर्ष 1995-96 अप्रैल 1995 से जून 1996 तक) के दौरान दिये टेलीफोन कनेक्शन	जून 1996	प्रतीक्षा सूची निपटाये जाने की संभावित तारीख्व	वर्ष 1996-97 के लिए सीधी एक्चेंज लाइनों के लिए लक्ष्य
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)					
1.	बुलन्दशहर को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद	20,483	19,430	मार्च, 1998	11,500
2.	आगरा इसमें फिरोजाबाद शामिल है।	11,225	9,139	मार्च, 1998	6,800
3.	मेरठ	14,412	3,216	मार्च, 1997	7,500
4.	देहरादून	6,615	10,789	मार्च, 1998	6,800
5.	मुजफ्फरनगर	5,081	6,206	मार्च, 1998	4,100
6.	हरिद्वारा सहित सहारनपुर	9,958	7,816	मार्च, 1998	6,200
7.	मुरादाबाद	3,638	4,947	मार्च, 1998	5,000
8.	अलीगढ़	3,143	3,310	मार्च, 1997	5,000
9.	ऊधमसिंह नगर सहित नैनीताल	6,626	5,559	मार्च, 1998	4,100

क्र.स.	जिले का नाम	वर्ष 1995-96 अप्रैल 1995 से जून 1996 तक) के दौरान दिये टेलीफोन कनेक्शन	जून 1996	प्रतीक्षा सूची निपटाये जाने की संभावित तारीख	वर्ष 1996-97 के लिए सीधी एक्चेंज लाइनों के लिए लक्ष्य
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
10.	बरेली	2,751	8,892	मार्च, 1997	4,000
11.	मथुरा इसमें एटा भी शामिल है।	4,033	4,528	मार्च, 1998	4,000
12.	रामपुर इसमें पीलीभीत सहित बदायूं शामिल है।	2,737	2,668	मार्च, 1998	2,500
13.	श्रीनगर (गढवाल) इसमें चमोली, पौढ़ी टेहरी और उत्तरकाशी शामिल है।	2,968	2,663	मार्च, 1998	2,200
14.	पिथौरागढ़ सहित अल्मोडा	1,072	1,098	मार्च, 1997	2,200
15.	बिजनौर	2,158	2,192	मार्च, 1997	3,100
	कुल जोड़	96,900	86,453		74,000
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)					
1.	लखनऊ	12,260	15,273	मार्च, 1998	11,191
2.	कानपुर	7,260	9,091	मार्च, 1997	11,387
3.	उन्नाव	1,122	245	मार्च, 1997	1,481
4.	वाराणसी	7,276	5,822	मार्च, 1997	8,561
5.	भदोही	406	1,036	मार्च, 1997	1,525
6.	इलाहाबाद	9,322	3,998	मार्च, 1998	3,350
7.	देवरिया	1,315	683	मार्च, 1997	912
8.	पड़रौना	895	788	मार्च, 1998	265
9.	मऊ	1,579	951	मार्च, 1998	885
10.	गोरखपुर	4,900	3,974	मार्च, 1997	6,805
11.	महराजगंज	725	-		709
12.	झांसी	3,680	1,253	मार्च, 1997	2,975
13.	ललितपुर	380	397	मार्च, 1998	348
14.	फैजाबाद	1,825	410	दिसंबर, 1996	944
15.	बाराबंकी	709	518	दिसंबर, 1996	2,038

क्र.स.	जिले का नाम	वर्ष 1995-96 अप्रैल 1995 से जून 1996 तक) के दौरान दिये टेलीफोन कनेक्शन	जून 1996	प्रतीक्षा सूची निपटाये जाने की संभावित तारीख	वर्ष 1996-97 के लिए सीधी एक्चेंज लाइनों के लिए लक्ष्य
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
16.	अम्बेदकरनगर	180	220	जून, 1997	600
17.	सीतापुर	1,063	305	मार्च, 1997	1,315
18.	लखीमपुर	1,380	380	मार्च, 1997	864
19.	शाहजहांपुर	1,358	973	मार्च, 1997	1,720
20.	हरदोई	527	410	जून, 1997	971
21.	इटावा	1,842	1,055	फरवरी, 1997	1,469
22.	मैनपुरी	521	605	जून, 1997	1,142
23.	फरूखाबाद	2,326	1,330	मार्च, 1998	936
24.	बांदा	698	710	मार्च, 1997	1,540
25.	हमीरपुर	400	60	मार्च, 1997	494
26.	उरई (जालौन)	1,500	1,280	मार्च, 1998	948
27.	महोबा	122	110	मार्च, 1997	565
28.	आजमगढ़	1,109	2,116	31.3.97	2,353
29.	बलिया	1,014	548	31.3.97	1,588
30.	गाजीपुर	582	319	31.3.97	1,586
31.	मिर्जापुर	605	676	31.3.97	620
32.	जौनपुर	1,525	1,164	31.3.97	1,319
33.	सोनभद्र	1,464	547	31.3.98	502
34.	गोण्डा	1,477	969	31.3.98	250
35.	सुल्तानपुर	1,631	1,042	31.3.97	1,369
36.	रायबरेली	872	135	31.3.97	869
37.	फतेहपुर	530	423	31.3.97	514
38.	बहराइच	467	740	31.3.97	1,707
39.	सिद्धार्थनगर	199	85	31.3.98	616
40.	प्रतापगढ	500	492	31.3.97	660
41.	बस्ती	621	624	31.3.97	599
	कुल जोड़ :	78,246	61,697		80,000

उपभोक्ता मंच में दायर मामले

2397. **श्री ब्रज मोहन राय :**

श्री जेवियर अराकल :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मंच में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न मंचों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ग) उक्त अवधि में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) इन मामलों को शीघ्रतिशीघ्र निपटाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर जिला मंचों में उनकी शुरूआत से दायर किए गए मामलों, उनके द्वारा निपटाए गए मामलों तथा वहां अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या के बारे में राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जिला उपभोक्ता प्रतिसोष मंच तथा राज्य आयोग, संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं। तथापि, मामलों के निपटान, जिला मंच में समान प्रक्रियाएं अपनाने के बारे में अनुदेश जारी करने से संबंधित मामले, संबंधित राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित राज्य आयोग द्वारा निर्देशित होते हैं। राज्य आयोगों तथा जिला मंचों को अनिर्णीत मामलों की संख्या में कमी करने के लिए उनकी आधारभूत सुविधाओं के मजबूत करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 61 करोड़ रुपए की एक बार की वित्तीय सहायता देने की एक केन्द्रीय स्कीम शुरू की है। इस वित्तीय सहायता को 1995-96 तथा 1996-97 में दिया जाना है 1995-96 में इसके लिए 2998.40 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

विवरण

जिला मंच

राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र

	आरंभकाल से दायर किए गए	आरंभकाल से निपटाए गए	अनिर्णीत मामले	निम्नलिखित को समाप्त अवधि
आंध्र प्रदेश	74163	61296	12867	31/12/95
अरुणाचल प्रदेश	77	68	9	31/12/95
असम	3997	2515	1482	31/12/95
बिहार	23362	13059	1003	30/12/95
गोवा	1406	791	619	31/9/95
गुजरात	38921	21068	17853	31/12/95
हरियाणा	34257	24884	9413	31/12/95
हिमाचल प्रदेश	6225	5125	1100	31/12/95
जम्मू व कश्मीर	5019	4782	237	31/12/95
कर्नाटक	33545	23469	10076	30/9/95

	आरंभकाल से दायर किए गए	आरंभकाल से निपटाए गए	अनिर्णीत मामले	निम्नलिखित को समाप्त अवधि
केरल	63105	56333	6772	31/12/95
मध्य प्रदेश	34935	23425	11510	31/12/95
महाराष्ट्र	57741	42212	15175	31/3/96
मणिपुर	611	601	10	30/9/95
मेघालय	124	68	56	31/3/96
मिजोरम	132	126	6	31/9/95
नागालैंड	13	6	7	30/9/94
उड़ीसा	15431	10183	5248	30/9/95
पंजाब	10855	6996	3859	30/9/94
राजस्थान	72793	52023	20770	31/12/95
सिक्किम	51	43	8	31/12/95
तमिलनाडु	32302	23819	8483	30/9/95
त्रिपुरा	436	370	66	31/12/95
उत्तर प्रदेश	91593	53159	38434	31/12/95
पश्चिम बंगाल	19165	4982	14183	31/12/95
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	109	98	11	31/3/96
चंड़ीगढ	6410	3498	2912	30/6/95
दादरा व नगर हवेली	19	10	9	31/12/95
दमन व दीव	32	16	16	30/9/94
दिल्ली	34194	24831	9363	30/6/96
लक्षद्वीप	23	21	2	31/3/96
पांडिचेरी	997	820	177	31/12/95

[अनुवाद]

असम में भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण

2398. **श्री केशव गंहत** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम में भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पाए गए खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में खनिज भंडारों के दोहन के लिए प्रयास और तेज करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रताप वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिज गवेषण की केवल एक मद अर्थात् कारबी एंगलांग जिले के बूरापहाड़ क्षेत्र में बहु-आयामी पत्थरों के लिये संसाधन सर्वेक्षण को लिया गया था। भंडारों की अभी गणना की जानी है।

(ग) और (घ) यह भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की सतत् प्रक्रिया है। जी. एस. आई. केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड के अनुमोदनानुसार असम सहित देश में सर्वेक्षण करती है। वर्ष 1996-97 के लिये प्रस्ताव में फील्ड सत्र 1996-97 के दौरान कारबी एंगलांग, गोलपाड़ा और कामरूप जिले असम में स्वर्ण और अन्य संभावित खनिजीकरण के दो गवेषण शामिल हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

2399. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की कमी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-वार कितने डाकघर खोल गये हैं;

(ग) क्या सरकार का 1996-97 के दौरान राज्य में नये डाकघर खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है और उक्त डाकघर कब तक खोले जाएगें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। बिहार में कुल 11,771 डाकघरों में से 11,047 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बिहार में कुछ डाकघरों का 93.8 प्रतिशत है।

(ख) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) वार्षिक योजना 1996-97 के दौरान 10 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 11 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। जिलावार लक्ष्य आबंटित नहीं किए जाते हैं। क्योंकि डाकघर मानदंडों पर आधारित औचित्य और प्रत्येक प्रस्ताव की मेरिट को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गये डाकघरों की जिला-वार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	खोले गये डाकघरों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	मुंगेर	2	-	-
2.	सारन	3	-	-
3.	नवादा	2	-	-
4.	गया	4	-	-
5.	जहानाबाद	1	-	-
6.	नालंदा	1	-	-
7.	बक्सर	2	-	-
8.	भागलपुर	1	-	-
9.	पटना	2	-	-
10.	रांची	4	-	-
11.	पश्चिम सिंहभूमि	4	-	-

क्र. सं.	जिले का नाम	खोले गये डाकघरों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
12.	पलामू	3	-	-
13.	बोकारो	1	-	-
14.	छपरा	1	-	-
15.	रोहतास	1	-	-
16.	बांका	1	-	-
17.	सीतामढ़ि	2	-	-
18.	दुमका	3	-	-
19.	पूर्वी चम्पारन	1	-	-
20.	पश्चिम चम्पारन	1	-	-
21.	पूर्व सिंहभूमि	3	-	-
22.	साहिबगंज	2	-	-
23.	लोहारडाकगा	8	-	-
24.	वैशाली	2	-	-
25.	गुमला	4	-	-
26.	भोजपुर	2	-	-
27.	देवगढ	1	-	-
28.	मधेपुर	2	-	-
29.	कटिहार	1	-	-
30.	किशनगंज	1	-	-
31.	हजारीबाग	1	-	-
32.	मुजफ्फनगर	5	-	-
33.	सिवान	2	-	-
34.	गोड्डा	1	-	-
35.	गिरीडीह	1	-	-
36.	जामुई	1	-	-
37.	भाभुआ	1	-	-
38.	सहरसा	2	-	-
39.	सुपौल	1	-	-
40.	अरारिया	1	-	-

क्र. सं.	जिले का नाम	खोले गये डाकघरों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
41.	समस्तीपुर	3	-	-
42.	दरभंगा	1	-	-
43.	पूर्णिया	1	-	-
44.	मधुबनी	1	-	-
45.	खगड़िया	2	-	-
	कुल	90	-	-

[अनुवाद]

असम में टेलीफोन एक्सचेंज

2400. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने हेतु गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में अब तक स्थापित किये गये टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है और 1996-97 के दौरान स्थान-वार कितने एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय असम राज्य में 285 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर 10 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना है बशर्ते कम से कम अपेक्षित रजिस्टर्ड मांग और अवसंरचना उपलब्धता हो।

1. कोटामोनी बाजार (चालू कर दिया)
2. रंगाचकुआ -वही-
3. सिंगरी
4. देवमोरनोईगांव
5. झकलाबांदा
6. बेबेजिया
7. जाजुली
8. धिलामारा
9. मानिकपुर
10. निपको कथालगुड़ी

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए आवंटित धनराशि

2401. **श्री ललित उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान से संबंधित कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कल्याण मंत्रालय द्वारा आबंटित धनराशि निम्नलिखित है :-

(रु. लाख में)

वर्ष	आबंटित राशि
1993-94	4487.06
1994-95	2746.75
1995-96	4967.11

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर नेपाली कार्यक्रम के लिए समय का आबंटन

2402. **श्री आर. बी. राई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता दूरदर्शन पर नेपाली कार्यक्रम के लिए प्रतिदिन क्या समय आबंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को नेपाली कार्यक्रम के लिए समय बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एक सप्ताह में चार दिनों के लिए 10 मिनट प्रतिदिन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

2403. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में आज तक की स्थिति के अनुसार कार्यरत इलेक्ट्रानिक तथा इलेक्ट्रोमेकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य में 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस प्रकार के कितने नए एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1683 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं और विवरण के अनुसार आंध प्रदेश सर्किल में 375 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेज हैं।

(ख) 1996-97 के दौरान राज्य में जिलेवार नये एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है उनकी संख्या नीचे दर्शायी गई है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रस्तावित नये एक्सचेंज की सं.
1.	हैदराबाद	17
2.	रंगारेड्डी	2
3.	गुन्टूर	1
4.	कृष्णा	1
5.	नेल्लौर	1
6.	विशाखापट्टनम	1
	कुल (राज्य में)	23

1997-98 के लिए अभी कार्यक्रम को प्रतिपादित किया जाना है।

विवरण

आंध प्रदेश टेलीकॉम

दिनांक 30.6.96 को प्रचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र0सं0	जिले का नाम	इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सं0	इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों की सं0
1.	आदिलाबाद	49	0
2.	अन्नथापुर	81	51
3.	चितूर	101	34
4.	कुडापाह	71	14
5.	पूर्वी गोदावरी	107	6
6.	गुन्टूर	113	5
7.	हैदराबाद	43	6
8.	करीमनगर	62	40
9.	खमाम	77	0
10.	कृष्णा	114	10
11.	कुरनूल	102	17
12.	महबूबनगर	71	32
13.	मेडक	60	29

क्र0सं0	जिले का नाम	इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सं0	इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों की सं0
14.	नालगोडा	65	10
15.	नेल्लोर	69	24
16.	निजामाबाद	45	31
17.	प्रकासम	57	22
18.	रंगारेड्डी	68	0
19.	श्रीकाकुलम	50	0
20.	विशाखापट्टनम	55	11
21.	विजयानगरम	44	1
22.	वारांगल	45	28
23.	पश्चिमी गोदावरी	134	4
	जोड़ :	1683	375

राज्य के कल्याण मंत्रियों द्वारा की गयी सिफारिशें

2404. **श्री के. एस. आर. मूर्ति** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से अब तक राज्य के कल्याण मंत्रियों द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से अब तक कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) शेष सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जैसा कि विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 2-3 फरवरी, 1996 को आयोजित बैठक में राज्य के कल्याण मंत्रियों द्वारा की गई सिफारिशें

सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्यान्वयन के के लिए की गई कार्रवाई
1	2
1. पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु क्षेत्रीय योजनाएं शीघ्रतापूर्वक तैयार की जाएं।	1. अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास योजनाओं को तैयार करने का काम मार्च, 1996 में आरम्भ किया गया।
2. साम्प्रदायिक दंगा पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को टी आर 27 के तहत ट्रेजरी से धन निकालने के लिए प्राधिकृत किया जाए जिसकी भरपाई उपयुक्त बजटीय आबंटन से हो।	2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
3. विभिन्न शैक्षिक, विकासात्मक और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावकारी मॉनिटरिंग के उपाय किए जाएं।	3. अल्पसंख्यकों तक लाभ के प्रवाह का प्रभावी तरीके से मॉनिटर करने के लिए इस विषय में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़ों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

1	2
4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों में भर्त्ती के संबंध में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के साथ बराबरी के आधार पर प्रतियोगिता करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पात्र अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए विशेष शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करे।	4. इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
5. राष्ट्र स्तरीय विकास और वित्त निगम की राज्य स्तरीय माध्यम एजेन्सियों को सुदृढ़ बनाना।	5. यह मामला सरकार के विचाराधीन है।
6. वर्तमान 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसको शीघ्रतापूर्वक नया रूप दिया जाए। अद्यतन बनाया जाए।	6. यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इस समय वर्तमान कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और इसकी मॉनिटरिंग पर बल दिया जा रहा है।

"जैली फील्ड केबल्स" का आयात

2405. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम, मुम्बई के प्रयोग हेतु 1989 में भूमिगत प्रयोग वाले "जैली फील्ड केबल्स" का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातित सामानों के निरीक्षण से यह पता चला कि 70 प्रतिशत "केबल ड्रम्स" क्षतिग्रस्त थे;

(घ) यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सामानों का मूल्य क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में बीमा कम्पनी के पास कोई दावा पेश किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) म.टे.नि.लि. मुम्बई के लिए विभिन्न साइजों की कुल 930.5 कि.मी. केबल का आर्डर दिया गया था जिसमें से 477.589 कि.मी. केवल म.टे.नि.लि., दिल्ली को दे दी गई थी।

(ग) जी, नहीं। कुल 930.5 कि.मी. में से केवल 37.25 कि.मी. केबल क्षतिग्रस्त हुई थी अर्थात लगभग 4 प्रतिशत।

(घ) 6,38,24,578 रुपये

(ङ) जी, हां।

(च) अभी दावे का निपटान नहीं किया गया है।

(छ) मैसर्स ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी ने नुकसान की देयता स्वीकार नहीं की।

(ज) चूंकि दावा स्वीकार नहीं किया गया था अत: एम.टी.एन.एल. ने क्षतिग्रस्त केबलों की लागत वसूल करने के लिए शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध उच्च न्यायालय के 1990 के ओ ओ सी जे मुकद्दमा संख्या 3955 तथा 1990 के ओ ओ सी जे मुकद्दमा संख्या 3885 के तहत उच्च न्यायालय में मुकद्दमा दायर कर दिया।

[हिन्दी]

सतर्कता के मामले

2406. **श्री पवन दीवान :**

श्री गणेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालयों और आंचलिक कार्यालयों में सतर्कता के मामलों में कितने कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं; और

(ख) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में भारतीय खाद्य निगम और इसके आंचलिक कार्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामलों की संख्या बताने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। प्रथम-दृष्टया आरोपों के सिद्ध होने पर अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाती है और जांच-कार्य पूरा होने पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी संभव होती है।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध चल रहे सतर्कता मामलों के ब्यौरे बताने वाला विवरण

	1994			1995			1996 (मार्च तक)					
	प्रारंभिक संख्या	शुरू किए गए मामले	अन्तिम रूप से निपटाए गए मामले	अन्तिम संख्या	प्रारंभिक संख्या	शुरू किए गए मामले	अन्तिम रूप से निपटाए गए मामले	अंतिम संख्या	प्रारंभिक संख्या	शुरू किए गए मामले	अन्तिम रूप से निपटाए गए मामले	अन्तिम संख्या
मुख्यालय	33	14	24	23	23	18	21	20	20	15	7	28
उत्तर जोन	375	344	521	198	198	372	346	224	224	110	91	243
पश्चिम जोन	132	119	146	105	105	105	144	66	66	29	47	48
पूर्व जोन	154	70	98	126	126	73	85	114	114	6	20	100
उत्तर पूर्व जोन	50	23	11	62	62	23	9	76	76	3	5	74
दक्षिण जोन	29	45	43	31	31	50	42	39	39	28	14	53
जोड़ :	773	615	843	545	545	641	647	539	539	191	184	546

विवरण-II

पिछले दो वर्षों के दौरान दोषी अधिकारियों/अधिकारियों पर लगाए गए दण्ड का ब्यौरा देने वाला विवरण

1994 जोन

	दण्ड का प्रकार	मुख्यालय	उत्तर	पश्चिम	पूर्व	उत्तर पूर्व	दक्षिण	जोड़
i)	पदच्युत/हटाए गए/अनिवार्य सेवानिवृत्ति	-	6	1	1	-	-	8
ii)	रैंक में कमी	1	22	2	1	-	-	26
iii)	वेतन के समय-मान में कमी	-	10	5	8	1	4	28
iv)	वेतन वृद्धि को रोकना/ वेतन से वसूली	6	233	60	15	1	16	331
v)	पदोन्नति को रोकना	-	16	-	-	1	1	18
vi)	निन्दा	4	101	43	10	-	6	164
	जोड़ :	11	388	111	35	3	27	575

1995 जोन

	दण्ड का प्रकार	मुख्यालय	उत्तर	पश्चिम	पूर्व	उत्तर पूर्व	दक्षिण	जोड़
1.	पदच्युत/हटाए गए/अनिवार्य सेवानिवृत्ति	2	14	3	-	-	-	19
2.	रैंक में कमी	-	12	2	5	-	-	19
3.	वेतन के समय-मान में कमी	2	26	2	18	1	1	50
4.	वेतन वृद्धि को रोकना/ वेतन से वसूली	-	160	71	16	-	5	252
5.	पदोन्नति को रोकना	-	16	7	-	-	-	23
6.	निन्दा	7	32	35	9	-	8	91
	जोड़ :	11	260	120	48	1	14	454

1996 जोन (मार्च तक)

	दण्ड का प्रकार	मुख्यालय	उत्तर	पश्चिम	पूर्व	उत्तर पूर्व	दक्षिण	जोड़
1.	पदच्युत/हटाए गए/अनिवार्य सेवानिवृत्ति	-	2	-	-	-	-	2
2.	रैंक में कमी	-	9	-	-	-	-	9
3.	वेतन के समय-मान में कमी	1	6	1	4	-	1	13
4.	वेतन वृद्धि को रोकना/ वेतन से वसूली	-	50	7	4	2	-	63
5.	पदोन्नति को रोकना	-	1	-	-	-	-	1
6.	निन्दा	3	10	6	4	-	6	29
	जोड़ :	4	78	14	12	2	7	117

[हिन्दी]

निर्माण कार्य में लगे मजदूर

2407. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक दिल्ली में भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए तैयार की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से राज्यवार कितने मजदूरों को लाभ हुआ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार, मुख्य कर्मकारों के बीच 28,762 व्यक्ति दिल्ली में ईंट बिछाने और अन्य निर्माण कर्मकारों के रूप में लगे थे। व्यावसायिक वर्गीकरण के बारे में 1991 जनगणना के आंकड़े

अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 20.6.96 को (i) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 1996 (ii) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996 नामक दो अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण कर्मकारों के लिए रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करने और एक कल्याण निधि स्थापित करने की व्यवस्था है।

(ग) ऊपर उल्लिखित दो अध्यादेशों के प्रयोजनों के लिए शेष वर्ष 1996-97 के दौरान 3 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है।

(घ) केन्द्रीय विधान से देश में लगभग 8.5 मिलियन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना

2408. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना के लिए लम्बित आवेदनों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना के लिए कमजोर वर्ग को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) दिनांक 8.11.91 के प्रेस नोट संख्या 16 के तहत चीनी उद्योग के लिए घोषित लाइसेंसिंग नीति सम्बंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार लाइसेंस देने में निजी क्षेत्र की तुलना में सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावों को उसी क्रम में प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) और (ग) 30.6.96 तक सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु आशय-पत्र प्रदान करने के लिए जांच समिति द्वारा जांच हेतु लम्बित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है :

(30.6.96 को स्थिति)

क्रम सं0	राज्य	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	कर्नाटक	2
2.	मध्य प्रदेश	3
3.	बिहार	1
4.	तमिलनाडु	2
	कुल :	8

चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए कमजोर वर्गों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में अपूर्ण योजनाएं

2409. **श्री सनत मेहता** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पर्यटन के विकास हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद भी कुछ योजनाएं अपूर्ण रह गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चौदह स्वीकृत योजनाओं में से दस पूरी हो गई हैं और चार परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक उपक्रमों में दुर्घटनाएं

2410. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कितनी दुर्घनाएं हुई;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा इस प्रकार के सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1994 और 1995 के दौरान राज्य में स्थित रजिस्ट्रीकृत कारखानों में दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार थी :-

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गैर-घातक दुर्घटनाओं की संख्या	दुर्घटनाओं की कुल संख्या
1994	85	2632	2717
1995	102	1967	2069

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधान और उनके अधीन उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में प्रबंधन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और दुर्घटनाओं के घटने/पुन: घटने को रोकने की व्यवस्था करने से संबंधित मामले में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में पहले ही व्यवस्था की गई है। पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करने और उनमें ऐसी दुर्घटनाओं को पुन: घटने से रोकने के लिए उन कारखानों के प्रबंधनों को अनुदेश भी जारी किए थे जहां राज्य कारखानों निरीक्षणालय ने दुर्घटना अन्वेषण किया था।

(ग) कारखानों के सभी मालिकों/प्रबंधकों से कारखाना अधिनियम, 1948 के आवश्यक उपबंधों और उनके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। सभी घातक दुर्घटनाओं (जिनमें व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हो) और गैर-घातक दुर्घटनाओं के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय कारखाना निरीक्षक द्वारा दुर्घटना जांच की जाती है। ऐसे मामलों में जहां दुर्घटनाएं प्रबंधनों द्वारा सुरक्षा उपबंधों के प्रति उपेक्षा करने के कारण घटी हो, उन मामलों में, कारखाना अधिनियम, 1948 और उत्तर प्रदेश कारखाना नियम के संगत प्रावधानों के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में कारखानों के मालिकों/प्रबंधकों को आगे जानकारी प्रदान की जाती है। अनुपालन की स्थिति में समुचित न्यायालयो में अभियोजन चलाए जाते हैं ताकि ऐसे सुरक्षा उपायों को और ऐसी दुर्घटनाओं को पुन: घटने से रोकने को भी सुनिश्चित किया जा सके। 51 और 66 घातक दुर्घटनाओं के मामले में, जो सुरक्षा उपबंधों के उल्लघंन के कारण घटीं, क्रमश: 1994 और 1995 के दौरान न्यायालयों में अभियोजन चलाए गए। जांच के दौरान जारी किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित विधिक उपबंध और अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है, जिसे बाद की जांच के दौरान सुनिश्चित भी किया जाता है।

रुग्ण चीनी मिलें

2411. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय रुग्ण चीनी मिलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की इन रुग्ण चीनी मिलों को पुन: चालू करने के संबंध में कोई कार्य योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन चीनी मिलों के कब तक पुन: चालू किए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन रुग्ण कंपनियों की जानकारी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजी जानी होती है। सरकारी कंपनियों को भी कवर करने के लिए इन प्रावधानों का विस्तार किया गया है। 30.6.96 तक 30 रुग्ण चीनी मिलों के बारे में जानकारी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजी गई थी। अव्यवहार्य होने की वजह से इनमें से 11 को खारिज कर दिया गया था। शेष 19 रुग्ण चीनी मिलों की राज्यवार सूची दर्शाने वाला विवरण, जैसाकि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा भेजा गया है, विवरण पर दिया गया है।

(ख) से (घ) चीनी मिलों को पुनर्स्थापना/आधुनिकी-करण की योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती है और वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत (अनुमोदित) करानी होती हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन ऐसी पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। इनके पुन: प्रवर्तन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

विवरण

30.6.96 तक बी आई. एफ. आर. के पास पंजीकृत रुग्ण कंपनियों को राज्यवार दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/कंपनी	
	आंध्र प्रदेश	
1.	चल्लापल्ली शूगर	रुग्ण नहीं घोषित
2.	किरलामपुडी शूगर मिल्स	रुग्ण नहीं घोषित
	बिहार	
3.	चम्पारन शूगर	बन्द करने की सिफारिश
	केरल	
4.	दी ट्रावनकोर शूगर्ज एंड कैमिकल्स लि.	जांचाधीन
	कर्नाटक	
5.	सालरजंग शूगर	बन्द करने की सिफारिश
6.	गंगावती शूगर	बन्द करने की सिफारिश
7.	दावनगारे शूगर कंपनी	रुग्ण नहीं घोषित
	मध्य प्रदेश	
8.	जीवाजी राव शूगर	बन्द करने की सिफारिश
	महाराष्ट्र	
9.	गोदावरी शूगर मिल्स	रुग्ण नहीं घोषित

पंजाब

10. भगवानपुरा शूगर मिल्स पुनर्उद्धार योजना मंजूर

राजस्थान

11. मेवाड़ शूगर पुनर्उद्धार योजना मंजूर

उत्तर प्रदेश

12. लक्ष्मी शूगर मिल्स पुनर्उद्धार योजना मंजूर
13. कानपुर शूगर वर्क्स लि. -वही-
14. शेरवानी शूगर सिंडीकेट लि. -वही-
15. स्वदेशी माइनिंग एंड मैनयुफैक्चरिंग कं. लि. बन्द करने के लिए नोटिस
16. घाटमपुर शूगर कं. लि. जांचाधीन
17. उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लि. जांचाधीन
18. नंदगंज सिहोरी शूगर कंपनी लि. जांचाधीन

पश्चिम बंगाल

19. राजनगेर केन (खेतान एग्रो काम्पलैक्स) पुनर्उद्धार योजना मंजूर

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र की स्थापना

2412. **श्री माधव सरदार** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के विलाईपाडा, बर्सरतपुर में अत्यधिक लौह अयस्क खानों को देखते हुए वहां नयागढ़ संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) उड़ीसा में विलाईपाड़ा बर्सरतपुर में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए इस समय केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन कंपनियों का उड़ीसा में क्योंझर जिले में विलाईपाडा और नयागढ में लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :

इकाई का नाम तथा स्थान	क्षमता (दस लाख टन वार्षिक)
नेशनल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड	चरण-1 : 0.08 (इस्पात)
नयागढ़ जिला - क्योंझर	चरण-11 . 1.20 (इस्पात)
मिडवेस्ट आयरन एंड स्टील लि.	चरण-1 : 0.20 (कच्चा लोहा)
विलाईपाडा, जिला-क्योंझर	चरण-11 : 0.50 (इस्पात)
एशियन अलायज लिमिटेड	चरण-1 : 0.50 (कच्चा लोहा)
विलाईपाडा, जिला-क्योंझर	चरण-11 : 1.00 (कच्चा लोहा)

एन. एफ. एफ. डी. सी. को धनराशि

2413. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो जारी की गई धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के इक्विटी के लिए 89 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी इक्विटी के लिए 7 करोड़ रुपए का अंशदान किया है तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य सरकारों ने प्रत्येक ने एक-एक करोड़ रुपये का अंशदान किया है। अन्य राज्य सरकारों से निगम के इक्विटी शेयर में भाग लेने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय कार्यवाही मंच द्वारा की गई सिफारिशें

2414. **श्री चित्त बसु** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, समान अवसर करने हेतु सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही मंच ने अब तक कई सिफारिशें;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी हां।

(ख) सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई मंच ने शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं जैसे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल, अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल, समुद्र पारीय छात्रवृत्ति, पत्थर और रेत की खदानों आदि के लिए लीज, लाइसेंस तथा परमिटों जहां अन्य पिछड़े वर्गों के लोग कार्यरत हैं वहां केवल अन्य पिछड़े वर्गों को देने, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अर्थपूर्ण तथा समन्वित मॉडलों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने, आरक्षण न्याय अदालतें स्थापित करने, ''पिछड़े वर्गों का विकास तथा कल्याण'' शब्दों को समवर्ती सूची की सूची में शामिल करने आदि की सिफारिश की है।

(ग) सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की व्यवहार्यता तथा उनकी वित्तीय कठिनाईयां की जांच कर रही है।

अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत गांवों का विकास

2415. **डा० सुरेश मनोहर जोशी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत किन-किन गांवों का विशेषकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में, विकास हेतु चयन किया गया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या उपरोक्त योजना के तहत गांवों में पेयजल, विद्यालय, बिजली एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

सहार एवं सांताक्रूज विमानपत्तनों के नाम बदलने की मांग

2416. **श्री राव नाईक** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता ने सहार एवं सांताक्रूज विमानपत्तनों के नाम बदल कर क्रमशः छत्रपति शिवाजी विमानपत्तन तथा जे. आर. डी. टाटा विमानपत्तन रखने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री डी. एम. इब्राहीम) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सांताक्रूज हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्व. जे. आर. डी. टाटा के नाम पर रखने तथा सहार अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने संबंधी अनुरोध भेजा था।

(ख) केन्द्र सरकार ने पहले ही 1988 में बम्बई हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के बाद इसका नाम बदलकर जवाहर लाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन रखने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

खाद्य सुरक्षा नीति

2417. **लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी** :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक खाद्य सुरक्षा नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त नीति कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ख) देश में खाद्य सुरक्षा पर एक उपयुक्त नीति पहले से ही जारी है। मौजूदा नीति में किसानों को उनके उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने, पेशकश किए गए गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की सरकारी एजेन्सियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूली करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की व्यवस्था है। यह नीति देश में वर्ष की विभिन्न तारीखों को चावल और गेहूं के न्यूनतम बफर

स्टाक बनाने की परिकल्पना भी करती है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मणिपुर में दूरसंचार सुविधाएं

2418. **श्री थ. चौबा सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मणिपुर में जिला/उप-मंडलीय मुख्यालय में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में ऐसे कितने जिला और उप-मंडलीय मुख्यालय हैं जहां अब तक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई/नहीं कराई गई हैं; और

(घ) सभी जिला-उप-मंडलीय मुख्यालयों में ऐसी सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मणिपुर के सभी 8 जिला मुख्यालयों और 30 में से 14 उप-मंडलीय मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। बाकी सभी 16 उप-मंडलीय मुख्यालयों को चालू वर्ष 1996-97 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है। ये 16 उप-मंडलीय मुख्यालय हैं :

चपिकरोंग, चिनधाट, हेंगलेप, पोरोमपात, कामजोंग, कासेमखुल्लेन, नंगबा, पावमाता, फूंगयार, सायकूल, थिनघाट, ताडूबी, तामेई, थानलोन, टिपईमिख, तौसेम।

गुजरात में पर्यटन स्थल

2419. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में उन पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक हवाई अथवा रेल मार्गों से नहीं जोड़ा गया है; और

(ख) इन स्थानों को हवाई, रेल अथवा सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) गुजरात में, सौराष्ट्र-कच्छ प्रदेश सहित राज्य सरकार द्वारा बहुत से पर्यटक स्थल चुने गए हैं, तथापि जो पर्यटक स्थल फिलहाल वायुमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं वे हैं :- अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, केशोद, पोरबंदर, राजकोट तथा बडोदरा।

मोधेरा, जहां सूर्य मंदिर स्थित है, वह रेल मार्ग द्वारा नहीं अपितु सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है तथा यहां मेहसाना रेल हैड द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तथापि, द्वारिका, पोरबंदर, वरावल, जूनागढ़, चोरवाड़, पालिताना, कोसाद, दीव तथा सासनगीर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र/कच्छ प्रदेश में प्रमुख पर्यटक केन्द्र हैं तथा रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा जुडे हुए हैं।

(ख) पर्यटक स्थलों का वायुमार्ग द्वारा जुड़ा होना, उनकी वाणिज्यिक क्षमता पर निर्भर करता है। इसी प्रकार, पर्यटक स्थलों का रेल मार्ग द्वारा जुड़ा होना, संसाधनों की उपलब्धता, पारम्परिक प्राथमिकता के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोधों पर भी निर्भर करता है।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

2420. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी लौह और इस्पात परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात उत्पादन हेतु क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1992 में सरकार द्वारा जारी किए गए "लोहे और इस्पात के उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन" में लोहे एवं इस्पात परियोजनाओं और कोक उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए देश में 25 संभावित स्थानों को अभिज्ञात किया गया है। इनमें ये शामिल हैं, आंध्र प्रदेश में 2, बिहार में 2, गोवा में 1, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 3, मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा में 3, उत्तर प्रदेश में 1, तथा पश्चिमी बंगाल में 2 । विद्युत चाप भट्टी पद्धति पर आधारित तथा कच्चे माल के रूप में इस्पात प्रगलन स्क्रैप/स्पंज के उपयोग करने वाले इस्पात संयंत्रों के लिए किसी विशिष्ट स्थान को नहीं बताया गया है। मार्गदर्शन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संभावित स्थानों की सूची मात्र सूचनात्मक है। स्थानों का चयन उन उद्यमियों के सर्वोत्तम वाणिज्यिक/आर्थिक विवेक पर छोड़ दिया गया है जो अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व विस्तृत शक्यता अध्ययन करने की जरूरत महसूस करेंगे।

(घ) वर्ष 1996-97 जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है, के दौरान परिसज्जित इस्पात का पूर्वानुमान उत्पादन 235.04 लाख टन है।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

2421. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री प्रमोद महाजन :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को गत तीन वर्षों के दौरान करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने घाटे के मामले में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा घाटे को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

2422. **श्री ए. सम्पथ** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार आज की तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन लम्बित आवेदनों को तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 30.6.96 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिए लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या राज्य-वार विवरण में दी गई है।

(ख) 1996-97 के दौरान, 24.5 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। शेष प्रतीक्षा सूची 1997-98 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटा दी जाएगी।

विवरण

30.6.1996 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिए लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या के ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य का नाम	30.6.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	आंध्र प्रदेश	175379
2.	असम	22590
3.	बिहार	48856
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन एवं नागर हवेली)	254602
5.	हरियाणा	91888
6.	हिमाचल प्रदेश	37696
7.	जम्मू एवं कश्मीर	32288
8.	कर्नाटक	195300
9.	केरल (लक्षद्वीप (संघ शासित राज्य) सहित)	505870
10.	मध्य प्रदेश	48326
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित, बंबई को छोड़कर)	278507
12.	बंबई	41682
13.	उत्तरपूर्व (अरूणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	10510
14.	उड़ीसा	22427
15.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	206872
16.	राजस्थान	161462
17.	तमिल नाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	394998
18.	उत्तर प्रदेश	152115
19.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	126050
20.	दिल्ली	51165
	जोड़ :	2858583

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम

2423. **श्री तारीक अनवर** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के गठन के बाद इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में इस निगम द्वारा कहां तक सफलता प्राप्त की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस निगम को सफल तथा उपयोगी बनाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम ने राज्य माध्यम एजेंसियों के ज़रिए कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत सितम्बर, 1994 तथा 30.6.1996 के बीच 6924 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है।

(ख) निगम द्वारा सहायता प्रदान की गई योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं तथा लाभग्राहियों की आर्थिक स्थितियों के सुधार की सीमा का निर्धारण अभी समय पूर्व है।

(ग) निगम को सफल तथा लाभदायक बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. केन्द्र सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों ने निगम की ईक्विटी में अंशदान किया है।
2. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम को आयकर में छूट प्रदान की गई है।
3. निगम के कार्यकलापों के संबंध में मास मीडिया के जरिए प्रचार किया गया है।
4. निगम के कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रगति रिपोर्ट मासिक रूप से मंगाकर मासिक आधार पर नियमित रूप से की जाती है।

टी. वी. टावर

2424. **श्री सुखराम** :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में अल्प शक्ति/उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामलों के संबंध में इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा कई स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ अन्य अंतरिम स्थानों का पता लगाया गया है जहां धनराशि आधारभूत सुविधा की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) हालांकि अनुबंध में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के रूप में दर्शायी गयी परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं तथा संसाधनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इनके 96-97 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है तथापि, प्रस्तावित स्कीम को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी किया जाना है। इन प्रस्तावित स्कीमों के पूरा होने में इन स्कीमों की मंजूरी की तारीख से 2 से 4 वर्ष के बीच का सामान्य समय लगेगा।

विवरण

देश में राज्यवार और स्थानवार कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित टी. वी. ट्रांसमीटरों की सूची।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	
	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाएं
1	2	3
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा	उ.श.ट्रा.
	कुर्नुल	वारंगल
	राजामुंदरी	ओंगोल
	हैदराबाद (डीडी-II)	
	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा
	कादिरी	वीनूकोण्डा
	बेलमपल्ली	कोंडुमुर
	मर्कापुर	कानिगिरी
	तंबलापल्ली	दत्तालुर
	पासरा	मदीपर्दु
	पेदानंदीपाडू	
	तुनी	
	राजमपेट	
	बांसवाड़ा	
	मचरला	
	भैंसा	
	नरसरावपेट	
	अचमपेट	
	जडचेरला	
	दर्सी	
	अ.अ.श.ट्रा.	
	सीतमपेट्टा	
अरूणाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	म्याओ	रोइंग
	अ.अ.श.ट्रां.	
	पिपू दिफू/नयापिन	

1	2	3
		ट्रांसपोजर
		गुवाहाटी
बिहार	अ.श.टू.	उ.श.टू.
	नौगुण्डी	मोतिहारी
	कोडरमा	जमशेदपुर
	फूलपारस	देवगढ़
	सराईकेला	अ.श.टू.
	लखीसराय	कस्बा
	सिकन्दरा	रोसेरा
	मुशाबनी	बोध गया
		झुमरी तलैया
	अ.अ.श.टू.	
	सिमडेगा	
	गढ़वा	
गोवा	अ.श.टू.	
	पणजी (डीडी-II)	
गुजरात	उ.श.टू.	उ.श.टू.
	भुज (स्थायी)	पालीतना
	अ.श.टू.	सूरत
	कोरवी	वदोरा
	दीसा	राधनपुर
	राजुला	जूनागढ़
	खंबालिया	अ.श.टू.
	अनोद	लूनावाडा
	मांगरोल(सूरत)	बोटड
	झगडिया	जामजोधपुर
	धावी	राजपीपला
	अ.अ.श.टू.	व्यारा
		धरमपुर
	सागवाडा	उमरगांव
		मोदासा

1	2	3
हरियाणा	अ.श.टू.	उ.श.टू.
	चरखी दादरी	हिसार
	रोहतक	
		अ.श.टू.
		महेन्द्रगढ़
		फिरोजपुर झिंका/
		पिनानगवान
		तोहाना
हिमाचल प्रदेश	अ.श.टू.	उ.श.टू.
	सुजानपुर	धरमशाला
	सुंदर नगर	अ.श.टू.
	रामपुर	आशापुरा
		मंडी (डीडी-II)
		नैना देवी
	अ.अ.श.टू.	अ.अ.श.टू.
	चौपाल	नेहरी
	कोटखई	कंडाघाट
	जहलमा	दलाश
	भरमौर	
	दसनी	
	होली	
	परवानू	
	डलहौजी	
	रोहरू	
	निचर	
	टिसा	
	चौड़ी खास	
	पीरभयानू	
	झटिंगरी	
	काजा	

1	2	3
	उदयपुर	
	आवाह देवी	
	करसोग	
	बंजर	
	चुंघई	
जम्मू और कश्मीर	**अ.श.टू.**	**उ.श.टू.**
	राजौरी	बाउशेरा
	पुंछ	कथुआ
	ऊधमपुर	
	ट्रांसपोजर	**अ.अ.श.टू.**
	नगरोटा	डरहल
		तांगस्ते
		रिंगडोम गोमपा
		गुलबेख/शरगेल
		बफलियाज
		खालसी
		चुशाल
		बटालिक
		तुतक
		बेसकैम्प (सियाचिन)
कर्नाटक	**उ.श.टू.**	**उ.श.टू.**
	गुलबर्गा	मंगरौल
	बंगलौर (डीडी-II)	मैसूर
		रायचूर
		हासन
	अ.श.टू.	
	गोकक	
	जामखंडी	
	हरपनहल्ली	
	बसवा कल्याण	

1	2	3
	सागर	
	अरसीकेरे	
	हट्टीहल	
	पुत्तुर	
	तुमकुर	
	अ.अ.श.टू.	
	मधुगिरि	
	सुल्या	
	बदामी	
केरल	उ.श.टू.	उ.श.टू.
	कालीकट (स्थायी)	कन्नानोर
	अ.श.टू.	अ.श.टू.
	थोडुपुझा	पाला
	आडूर	कन्नानोर (डीडी-11)
	अट्टापड्डी	
	अ.अ.श.टू.	अ.अ.श.टू.
	मुन्नार	एरटटुपेट्टा
	(देविकोलम)	मुण्डाकयाम
मध्य प्रदेश	अ.श.टू.	उ.श.टू.
	गाडरवारा	अंम्बिकापुर
	बड़ा मलेहरा	गुना
	केलारस	शहडोल
	सक्ती	सागर
	नारायणपुर	
	गारोट	अ.श.टू.
	सारंगगढ़	
	भानपुरा	खरोड
	सीतामऊ	पाथलगांव
	पिपरिया	मुलताई
	अ.अ.श.टू.	

1	2	3
	सिंगरौली	
	कोयलिबेडा	
	पेंड्रा रोड	
	डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट	
	गोडकपाल	
	बिजापुर	
महाराष्ट्र		उ.श.टू.ा.
		चन्द्रपुर
		जलगांव
		महिपतगढ़
		ब्रह्मपुरी
	अ.श.टू.ा.	अ.श.टू.ा.
	अम्बेट	रावर
	शिरपुर	पांढरकवाडा
	नवापुर	मंगलवेधा
	अहेरी	पाटन (सतारा)
	उमरखेड	खानपुर
	खोपोली	चिमूर
	मनगांव	आकलकोट
	सतना	दरियापुर
	सिरोंचा	धाडगांव
	चन्दूर	अर्जुनी
	चिकोली	कुरखेड़ा
	माहड	सिन्धवाही
		फालटन
		करन्जा (वर्धा)
		फुलगांव
		तिवसा
		सकिली
		तुमसार

1	2	3
		भन्डारा
		पिप्पलनेर सकरी
	अ.अ.श.टू.	अ.अ.श.टू.
	गालवाड	वाई
	गलकापुर	कोरेगांव
	भोकार	अस्थि
	ट्रान्सपोजर	
	बादलपुर	
मणिपुर	उ.श.टू.	
	चूडाचांदपुर	
	अ.अ.श.टू.	अ.अ.श.टू.
	नोरेह	जिरिबाम
	कांगपोक्पि	
मेघालय		शिलांग
मिजोरम	अ.अ.श.टू.	अ.श.टू.
	चमसफाई	लुंगलेई (डीडी-11)
		ट्रान्सपोजर
		आईजोल
नागालैंड	उ.श.टू.	अ.श.टू.
	नोकाकचुंग	नोकाकचुंग (डीडी-11)
	अ.अ.श.टू.	ट्रान्सपोजर
	फेक	बाड़ाबस्ती
	सतारवा	
उड़ीसा	उ.श.टू.	उ.श.टू.
	बालेश्वर	बेरहामपुर
	सम्बलपुर	
	नयागढ़	बर्हालदा
	सोनपुर	
	गोहाना	
	तुषरा/सेंधला	

1	2	3
	कविसूर्यनगर	
	सोहेला	
	उमरकोटा	
	कोटपाड़	
	गोडिया (कपिला)	
	स्वरिआर	
	पदुआ	
	करंजिआ	
	कुलाद	
	पटनागढ़	
	जलपारा	
	अ.अ.श.टू.	अ.अ.श.टू.
	औल	पाइकनाल
	थोमल रामपुर	
	चित्रकोन्डा	
	बाडाबारबिल	
	बारपल्ली	
	नागची	
	मच्छकुंड	
	काशीपुर	
	लंजीगढ़	
	जयापटना	
	सिमलीपालगढ़	
	उदयगिरी	
	सुकिन्दा	
	कोकसारा	
	कलमपुर	
	ट्रासंपोजर	
	धेनकनाल	
	चण्डीपाडा	

1	2	3
पंजाब	उ.श.टू.	
	फाजिल्का	
	अ.श.टू.	
	पटियाला	
राजस्थान	उ.श.टू.	उ.श.टू.
	बाड़मेर	अजमेर
	जैसलमेर	अनूपगढ़
	जोधपर	बीकानेर
		नाथद्वारा
	अ.श.टू.	अ.श.टू.
	बारी सदरी	नवलगढ़
	हिन्डन	संगवारा
	नकराना	कुशलगढ़
	करौली	पिरावा
	फलौदी	सिकराइ
	राजगढ़ (चुरू)	नागर
	माउंटआबू	किशनगढ़ (अलवर)
	प्रतापगढ़	नशीराबाद
	नोहर	भिनमाल
	शाहपुरा	सोजात
	नीमज़	बाली
	केसरियाजी	सांचोर
	तिबी	दरियावाद
		भारतपुर
		सूरजगढ़
		किशनगढ़ (अजमेर)
		विजयनगर
		अन्धी
		विराटनगर
		तारानगर

1	2	3
	अ.अ.श.टू.	अ.अ.श.टू.
	गंगापुर	कोटरा
	(भिलवाड़ा)	
	लालसोट	
	लक्ष्मणगढ़,	
	नीमका थाना	
सिक्किम	अ.अ.श.टू.	
	सिंगताम	
	रेंगपो	
	जोरेफांग	
तमिलनाडु		उ.श.टू.
		धर्मापुरी
		कुम्बाकोणम
		तिरूनेलवेली
	अ.श.टू.	अ.श.टू.
	पत्तूकोट्टाई	नात्ताम
	अत्तूर	गिंगी
	शंकरन कोविल	पलानी
	कृष्णागिरी	अम्बासमुदम
	तिरूवैयारू	देनकनीकोट्टा
	ईरोड	वन्दावासी
		चेय्यार
		कल्लाकुरची
		चिदम्बरम
	अ.अ.श.टू.	
	नेतूपलायम	
	वालपराई	
त्रिपुरा	अ.श.टू.	अ.श.टू.
	केलाशहर	जौलाईबारी
	तैलियापुरा	अमरपुर

1	2	3
		अम्बासा
		कैलाशहर (डीडी-II)
	अ.अ.श.टू.	
	धर्मनगर	
उत्तर प्रदेश	उ.श.टू.	उ.श.टू.
	बांदा	लखीमपुर
		जालौन
	अ.अ.श.टू.	
	अल्मोड़ा	
	औरेय्या	
	गुंज हुंडवारा	
	हल्द्वानी	
	महोबा	
	मऊ रानीपुर	
	नौगढ़	
	न्यू टिहरी	
	रुदौली	
	कासगंज	
	कर्णप्रयाग	
	नन्दपारा	
	अथदाना	
	नेनी दांडा	
	बारकोट	
	अमरोहा	
	अ.अ.श.टू.	अ.अ.श.टू.
	चमौली	नन्दप्रयाग
	चौखटिया	पोखरी
	जोशीमठ	
	देवप्रयाग	
	लेंसडाउन	

1	2	3
	प्रतापनगर	
	बिंसर	
	बसोठ/बिखीयासेन	
	गज्जा	
	फतेहपर्बत	
	खेतपर्वत	
	राजगढ़ी	
	सराईकोटा बैकुटम	
	सैहा	
	थराली	
	रूद्रप्रयाग	
	नौगांवखल	
	केदारनाथ	
	बद्रीनाथ	
	गौरीकुंड	
	मानेश्वर	
	मणिकपुर	
	दौसा	
	मनीला	
पश्चिम बंगाल		उ.श.टू.
		बलूरघाट
		खड़गपुर
		कृष्णनगर
		शान्तिनिकेतन
	अ.श.टू.	अ.श.टू.
	फरक्का	गढ़बेटा
	रायना	बलरामपुर
	मुर्शिदाबाद	कुच्छ बिहार
	(डीडी-2)	
	बसंती	
	विष्णुपुर	

1	2	3
		अ.अ.श.टू. बागवंडी
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	अ.श.टू. पोर्ट ब्लेयर (डीडी-2) अ.अ.श.टू. ग्रेट निकोबार	
दादर एवं नागर हवेली	अ.श.टू. सिल्वासा	
दमन एवं दीव	अ.श.टू. दीव	
लक्षद्वीप समूह		अ.श.टू. अंडरोट मिनीकॉय अमीनी
पांडिचेरी	अ.श.टू. पांडिचेरी (डीडी-II)	उ.श.टू. पांडिचेरी

आई. एच. डी./एच. टी. डी./पी. सी. ओ. बूथ

2425. **श्री बिरधारी लाल भार्गव :**

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, बिहार, पंजाब और हरियाणा में जिलेवार कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन राज्यों में इस प्रकार के बूथों की औसत संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक इस प्रकार के बूथों के आबंटन के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार कितने बूथों का आबंटन किया गया;

(च) उक्त अवधि के दौरान, आबंटन हेतु राज्यवार कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(छ) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जायेगी;

(ज) क्या इनमें से अधिकांश बूथ भली-भांति कार्य नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लोगों को अत्यधिक असुविधा होती है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी का स्वायत्त निकाय बनाना

2426. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन एवं आकाश-वाणी को स्वायत्त निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संसदीय कार्यवाही संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों के प्रसारण में विभिन्न राजनीतिक दलों को संसद में उनके सदस्यों की सं0 के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए एक स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने का प्रावधान है। तथापि, तेजी से बदलते प्रसारण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ परिवर्तन अपेक्षित हो सकते हैं। प्रसार भारती अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए दिनांक 28.12.95 को एक त्तीन सदस्यीय विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। उक्त दल की सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स पर पाबन्दी

2427. **श्री बघेश कुमार एम. कनोडिया :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स की उड़ानों पर पाबन्दी लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ईस्ट-वैस्ट एयरलाइंस की उड़ानों पर पाबन्दी कब तक हटा लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2428. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है;

(ख) क्या इस जिले में केबल बिछाने का कार्य चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर केबल बिछाने का कार्य चल रहा है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या बिलासपुर जिले के सभी क्षेत्रों में "ग्रुप डायलिंग" सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन स्थानों पर केबल तार बिछाए जा रहे हैं उनके नाम हैं :- कोरबा, दारी, बिलासपुर, तखतपुर, मुंगगोली, जोरहागांव, पेन्डरा, बेतालपुर, तथा बालको और यह कार्य वर्ष 1996-97 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। बिलासपुर जिले के 73 स्थानों में से 50 स्थानों पर ग्रुप डायलिंग उपलब्ध करायी गई है। बाकी 23 स्थानों में ग्रुप डायलिंग की सुविधा मार्च, 1997 तक उपलब्ध कराने की योजना है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोवा स्थित दूरदर्शन केन्द्र

2429. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पणजी-गोवा स्थित दूरदर्शन केन्द्र में कार्यक्रम बनाने की सुविधाएं बढ़ाकर उसे पूर्ण सुविधा सम्पन्न दूरदर्शन केन्द्र बनाने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गोवा स्थित मराठी कलाकारों के लाभार्थ मराठी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समय-सीमा बढ़ाने का भी है।

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) पणजी में कार्यरत दूरदर्शन केन्द्र में एक उच्च शक्ति (10 कि.वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर और सम्बद्ध उपस्कर सहित 50 वर्ग मीटर आकार के एक स्टूडियो वाली एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र शामिल है। वर्तमान में, गोवा में दूरदर्शन केन्द्र, पणजी में स्टूडियों सुविधा को बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अस्पताल और औषधालय

2430. **डा. बलिराम** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कर्मचारी राज्य बीमा के कुल कितने अस्पताल/औषधालय किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में 1996-97 और 1997-98 में कर्मचारी राज्य बीमा के और अधिक अस्पताल/औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) क.रा.बी. निगम ने उत्तर प्रदेश में नौएडा और बस्ती में (प्रत्येक में एक) दो और औषधालय स्थापित करने की योजना बनाई है। तथापि, उत्तर प्रदेश में एक नया क.रा.बी. अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

अ-उ.प्र. स्थित क.रा.बी. अस्पताल

1. क.रा.बी. (सामान्य) अस्पताल, कानपुर
2. क.रा.बी. (वक्ष) अस्पताल, कानपुर
3. क.रा.बी. (प्रसूति) अस्पताल, कानपुर
4. क.रा.बी. अस्पताल, मोदी नगर
5. क.रा.बी. अस्पताल, नैनी (इलाहाबाद)
6. क.रा.बी. अस्पताल, लखनऊ
7. क.रा.बी. अस्पताल, साहिबाबाद
8. क.रा.बी. अस्पताल, आगरा
9. क.रा.बी. अस्पताल, सहारनपुर
10. क.रा.बी. अस्पताल, किदवई नगर (कानपुर)
11. क.रा.बी. अस्पताल, बरेली
12. क.रा.बी. अस्पताल, जगमऊ (कानपुर)
13. क.रा.बी. अस्पताल, नोएडा
14. क.रा.बी. अस्पताल, अलीगढ़
15. क.रा.बी. अस्पताल, पीपरी
16. क.रा.बी. अस्पताल, वाराणसी

ब- क.रा.बी. औषधालय (पूर्णकालिक)

1. क.रा.बी. औषधालय, दया का पारो, कानपुर
2. -वही-, रायपुरुवा, कानपुर
3. -वही-, बाबूपुरुवा, कानपुर
4. -वही-, बेनाझाबार, कानपुर
5. -वही-, चमनगंज, कानपुर
6. -वही-, नाला रोड, कानपुर
7. -वही-, हूयायूंबाग, कानपुर
8. -वही-, ग्वालतोली/के. लाइंस, कानपुर
9. -वही-, रतनलाल नगर, कानपुर
10. -वही-, सूटरगंज, कानपुर
11. -वही-, रामबाग, कानपुर
12. -वही-, रानीगंज, कानपुर
13. -वही-, राली बाजार, कानपुर
14. -वही-, दललेपुरवा, कानपुर
15. -वही-, नवाबगंज, कानपुर
16. -वही-, मोरपुर, कानपुर
17. -वही-, पटकापुर, कानपुर
18. -वही-, शास्त्री नगर, कानपुर
19. -वही-, गोबिन्द नगर, कानपुर
20. -वही-, जूही पहला, कानपुर
21. -वही-, जूही दूसरा, कानपुर
22. -वही-, जूही तीसरा, कानपुर
23. -वही-, कबाड़ी बाजार, कानपुर
24. -वही-, कबाड़ी बाजार, कानपुर आयुर्वेदिक
25. -वही-, 80 फूट रोड, कानपुर

26. क.रा.बी. औषधालय, जजमायु, कानपुर
27. -वही-, पनकी, कानपुर
28. -वही-, उन्नाव
29. -वही-, इटावा
30. -वही-, झांसी
31. -वही-, फरूखाबाद
32. -वही-, जिवानीमंडी, आगरा
33. -वही-, छिपीतोला, आगरा
34. -वही-, नानोही, आगरा
35. -वही-, हीरनगांव
36. -वही-, फिरोजाबाद
37. -वही-, अलीगढ़
38. -वही-, हाथरस-I
39. -वही-, हाथरस-II
40. -वही-, सासनी
41. क.रा.बी. औषधालय, मैनपुरी
42. -वही-, शिकोहाबाद
43. -वही-, मथुरा
44. -वही-, नेहरू बाजार, सहारनपुर
45. -वही-, सिविल लाइंस, सहारनपुर
46. -वही-, हरिद्वार
47. -वही-, रूरकी
48. -वही-, नजीवाबाद
49. -वही-, रेस्ट केम्प, देहरादून
50. -वही-, प्रेम नगर, देहरादून
51. -वही-, ऋषिकेश
52. -वही-, कमला नगर
53. -वही-, न्यू राज नगर
54. -वही-, मोहन नगर
55. -वही-, पसौंदा
56. -वही-, सूर्यानगर
57. क.रा.बी. औषधालय, हापुड़
58. -वही-, खुर्जा
59. -वही-, सिकन्दराबाद
60. -वही-, बुलन्दशहर
61. -वही-, लोनी
62. -वही-, किरन कालोनी
63. -वही-, जिन्दल नगर
64. -वही-, इज्जत नगर, बरेली
65. -वही-, सी. बी. गंज, बरेली
66. -वही-, सिविल लाइंस, बरेली
67. -वही-, फोर्ट एरिया, रामपुर
68. -वही-, ज्वाला नगर
69. -वही-, मुरादाबाद (एम.)
70. -वही-, शाहजहांपुर
71. -वही-, काशीपुर
72. -वही-, लालकुआ
73. -वही-, गोविन्दपुरी
74. -वही-, आयल मिल गेट
75. -वही-, शान्तिनगर, मेरठ
76. -वही-, परतापुर
77. -वही-, मुज्जफरनगर
78. -वही-, ऐशबाग, लखनऊ
79. -वही-, सरोजनी नगर
80. -वही-, गोलागंज
81. क.रा.बी. महारनगर
82. -वही- अकबरपुर
83. -वही- बाराबंकी
84. -वही- रायबरेली
85. -वही- सेन्डोला
86. -वही- सीतापुर
87. -वही- सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

88. क.रा.बी. मगफोर्डगंज
89. -वही- नैनी-I
90. -वही- नैनी-II
91. -वही- मिरजापुर (सेथुआ)
92. -वही- छुर्क
93. -वही- के. सी. आई. रेनुकूट
94. -वही- रेनूकूट (एस. भदरा)
95. -वही- लहुराबोर, वाराणसी
96. -वही- टाउन हाल
97. -वही- भोलूपुर
98. -वही- इन्डस्ट्रियल एस्टेट
99. -वही- चन्दौली
100. -वही- भदोही
101. -वही- मऊनाथ भंजन
102. -वही- गोरखपुर
103. -वही- सहजनवां
104. -वही- सरदारनगर
105. -वही- गुइआडीह
106. -वही- शिवपुरी
107. -वही- सैक्टर 12 नोएडा
108. -वही- सैक्टर-12 नोएडा
109. -वही- रनिया
110. -वही- आयुर्वेदिक औषधालयं, कबाड़ी बाजार, कानपुर
111. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, नैनी, इलाहाबाद
112. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, लखनऊ
113. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, आगरा
114. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, मोदीनगर
115. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, सहिबाबाद
116. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, बरेली
117. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, सहारनपुर

118. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, जजमाऊ, कानपुर
119. -वही- आयुर्वेदिक औषधालय, किदवईनगर, कानपुर
120. क.रा.बी. आयुर्वेदिक औषधालय, पांडुनगर, कानपुर
121. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, गोविन्दनगर, कानपुर
122. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, जजमाऊ, कानपुर
123. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, किदवईनगर, कानपुर
124. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, सर्वोदयनगर, कानपुर
125. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, नैनी, इलाहाबाद
126. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, लखनऊ
127. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, आगरा
128. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, मोदीनगर
129. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, सहिबाबाद
130. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, बरेली
131. -वही- होम्योपैथिक औषधालय, सहारनपुर
132. -वही- सचल औषधालय, 'क' कानपुर
133. -वही- सचल औषधालय, 'ख' कानपुर
134. -वही- सचल औषधालय, 'क' आगरा
135. -वही- सचल औषधालय, 'ख' आगरा
136. -वही- सचल औषधालय, न्यू आगरा
137. -वही- सचल औषधालय, एतमादपुर
138. -वही- सचल औषधालय, मुरादाबाद
139. -वही- सचल औषधालय, बरेली
140. -वही- सचल औषधालय, इलाहाबाद
141. -वही- सचल औषधालय, वाराणसी
142. -वही- सचल औषधालय, 'क' लखनऊ
143. -वही- सचल औषधालय, 'ख' लखनऊ
144. -वही- सचल औषधालय, झांसी
145. -वही- सचल औषधालय, ऋषिकेष
146. -वही- सचल औषधालय, एन ई पी जैड, नोएडा, फेस-II

धारावाहिक

2431. **श्री सत्य नारायण जटिया :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन नेटवर्क और मेट्रो-चैनल पर कौन-2 से धारावाहिक गत तीन वर्षों से लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं;

(ख) इन धारावाहिकों को लगातार इतने लम्बे समय तक दिखाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न धारावाहिकों को समय आंबटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित करने का है ताकि नए धारावाहिकों को समय आबंटित किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन महीनों के दौरान समाज में समता कायम करने वाले कौन-2 से धारावाहिक प्रसारित किए गए?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे किसी भी धारावाहिक को उसी चैनल पर तीन वर्षों से अधिक के लिए प्रसारित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विषय अपेक्षा, लोकप्रियता दर निर्धारण और विज्ञापन अर्थक्षमता विभिन्न धारावाहिकों को समय आबंटित करने के मानदंड हैं।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन प्रत्येक चैनल पर पुराने तथा नए कार्यक्रमों के उचित मिश्रण को सुनिश्चित करते हुए बातों के साथ-2 समय-2 पर अपनी समग्र कार्यक्रम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न चैनलों की कार्यक्रम अनुसूची तैयार करता है।

(च) सामाजिक समता की अवधारण के विपरित कहानी वाले किसी भी धारावाहिक को दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है। तथापि, सामाजिक समता कायम करने वाले धारावाहिकों की गणना करना अथवा उनका नाम बताना कठिन है क्योंकि यह संदेश सदैव बहुत ही सूक्ष्म तथा प्रचारक पहुंच से दूर होता है।

महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्रों में कल्याण योजनाएं

2432. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कौन-कौन सी कल्याण योजनायें लागू की जा रही हैं;

(ख) ये योजनायें कब से लागू की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन योजनाओं की पुनरीक्षा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाएं तथा वह समय जब से वे कार्यान्वित की जा रही हैं, विवरण पद दी गई हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में विशेषरूप से कार्यान्वित की जा रही कोई अलग योजनाएं नहीं है।

(ग) और (घ) योजनाओं की प्रत्येक योजना अवधि के शुरू में समीक्षा की जा रही है। इन योजनाओं की राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा लक्षित समूह के साथ आवधिक बैठकों में आगे समीक्षा की जाती है तथा बैठक में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना को संशोधित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

विवरण

क्र. सं0	योजना का नाम	वह समय जब से ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।
1	2	3
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1980
2.	अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	1978-79
3.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	1989-90

1	2	3
4.	सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को मुक्ति तथा पुनर्वास	1991-92
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्तियां	1944-45
6.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे उन माता-पिता के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	1977-78
7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	1978-79
8.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए पुस्तक बैंक	1961-62
9.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	1989-90
10.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	1961-62
11.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का कौशल उन्नयन	1987-88
12.	अत्यंत कम साक्षरता स्तरों के अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	1993-94
13.	सिविल अधिकार संरक्षण/अत्याचार अधिनियम का कार्यान्वयन	1980-81
14.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	1979-80
15.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	1950-51
16.	डा. अम्बेडकर शताब्दी	1990-91
17.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1990-91
18.	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता	1979-80
19.	लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य आदिवासी विकास निगमों को सहायता	1992-93
20.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	1961-62
21.	अनुसूचिज जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	1989-90
22.	आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	1990-91
23.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1992-93
24.	आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पाटेकों में शैक्षणिक परिसर	1993-94
25.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	
	(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान तथा अनुसंधान फेलोशिप पुरस्कार	1950-51
	(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारत या अन्तरराज्यीय स्वरूप के परियोजनाओं को सहायता देना	1950-51
26.	ट्राइफेड में निवेश	1987-88
27.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	1987-88
28.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	1987-88
29.	तेल तथा तेलहन-बीजों का विकास	1987-88

निर्यातकों को गेंहू, चावल और चीनी की बिक्री के लिए मानदंड

2433. **श्री काशीराम राणा :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों को गेंहू, चावल और चीनी की बिक्री के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) निर्यात के लिए उपरोक्त वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को निर्यातकों से कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) :

गेंहू और चावल

(क) 1995-96 के दौरान अधिशेष स्टाक को कम करने के लिए सरकार ने 1995-96 के दौरान 30 लाख टन तक बढ़िया और उत्तम चावल और 25 लाख टन तक गेंहू का निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन हेतु बिक्री करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निम्नलिखित शर्त पर प्राधिकृत किया था:-

(1) गेंहू और चावल की बिक्री के लिए निर्धारित किए जाने वाले मूल्य घरेलू बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य से कम नहीं होने चाहिए।

(2) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति समय-समय पर मूल्यों को निर्धारित करने सहित सरकारी स्टाक से निर्यात करने से सम्बद्ध विभिन्न मामलों को देखेगी।

(ख) और (ग) 1995-96 के दौरान चावल की खरीदारी के लिए 107 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से भारतीय खाद्य निगम ने 72 आवेदकों को चावल रिलीज किया था। इसी प्रकार, गेहूं की खरीदारी के लिए 101 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से भारतीय खाद्य निगम ने 17 आवेदकों को गेंहू रिलीज किया था।

सरकारी स्टाक से गेहूं और चावल का निर्यात करने के लिए बिक्री की योजना 1995-96 में शुरू की गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने 1995-96 के दौरान निर्यातकों को 14.82 लाख टन बढ़िया और उत्तम चावल और 0.81 लाख टन गेंहू बेचा था। इसकी सुपुर्दगी दी थी।

चीनी :

(क) से (ग) चीनी का निर्यात 1958 के चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 (30) के उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित निर्यात एजेन्सियों के जरिए किया जाता है न कि सरकार द्वारा निर्यातकों को बिक्री करके किया जाता है। इस समय सरकार की दो अधिसूचित निर्यात एजेन्सियां अर्थात् भारतीय राज्य व्यापार निगम और मै. भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लि. हैं। प्रशासनिक प्रबंध के अनुसार, मै. भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लि. चीनी का वाणिज्यिक निर्यात और यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीह कोटे का निर्यात करता है। राज्य व्यापार निगम नेपाल को चीनी का निर्यात करता है।

सरकार उत्पादन की प्रवृत्ति, आन्तरिक खपत के लिए चीनी की आवश्यकता और उपलब्ध अधिशेष चीनी पर निर्भर करते हुए निर्यात एजेन्सी, मै. भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लि. के जरिए समय-समय पर निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा अधिसूचित करती हैं और किसी अन्य एजेन्सी, फर्म अथवा व्यक्ति को अपनी ओर से चीनी का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2434. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और अन्य महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में 30 जून, 1996 तक कितने आवेदक दर्ज थे;

(ख) इन सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जाने की संभावना है;

(ग) टेलीफोन स्वीकृत किए जाने और लगाए जाने के बीच की अवधि को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन लगाने में टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा विलंब किए जाने की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 30.6.96 की स्थिति के अनुसार महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :

दिल्ली	-	51,165
मुम्बई	-	41,682

कलकत्ता	-	68,116
मद्रास	-	87,733

(ख) इन सभी आवेदकों को वर्ष 1997 तक कनेक्शन प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(ग) टेलीफोन की स्वीकृति तथा स्थापना के बीच की अवधि कम करने के लिए किया गया उपाय विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली में एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर टेलीफोन लगाने में विलम्ब को कम करने के लिए किए गए उपाय विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

टेलीफोन की स्वीकृति और स्थापना के बीच की अवधि को घटाने के सम्बंध में किये गये उपाय :

* वाणिज्यिक कार्य का विकेन्द्रीकरण।
* वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा उन्हें कारगर बनाना।
* वाणिज्यिक कार्य का पुन: कम्प्यूटरीकरण।
* क्षेत्रीय इकाईयों को कार्य-आदेशों (ओबीएस) का त्वरित निर्गमन तथा प्रेषण।
* प्रतीक्षा सूची तथा प्रत्याशित मांग पर आधारित बाह्य संयंत्रों की अग्रिम आयोजना तथा निर्माण।
* कार्य आदेशों के निष्पादन का गहन अनुवीक्षण।

विवरण-II

दिल्ली में एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर टेलीफोन लगाने में विलंब को कम करने के संबंध में किये गये उपाय

* टेलीफोन स्थानांतरण के संबंध में वाणिज्यिक कार्य का विकेन्द्रीकरण।
* वाणिज्यिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा उन्हें कारगर बनान।
* स्पीड पोस्ट/कुरियर का प्रयोग करने वाले स्थानांतरण कार्य-आदेश (ओबीएस) का त्वरित प्रेषण।
* विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच अन्तर कार्यालय संचारण के लिए लगाये गए फैक्स का व्यापक प्रयोग
* अभिलेखों का उन्नयन।
* कार्य आदेशों के संचालन का गहन अनुवीक्षण।
* स्थानांतरण मामलों के संबंध में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य केबल बिछाने के लिए शीघ्रतिशीघ्र कार्रवाई।

[अनुवाद]

पोस्ट कार्ड के मूल्य में वृद्धि

2435. **श्री शरत पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न टेलीविजन प्रतियोगिताओं के लिए पोस्ट कार्ड के मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह वृद्धि कब से की जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने "कम्पीटिशन पोस्टकार्ड" नामक एक नई श्रेणी का पोस्टकार्ड शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस पोस्टकार्ड का प्रयोग टेलीविजन, रेडियो, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं या अन्य मीडिया के माध्यम से प्रतियोगिताओं के उत्तर भेजने के लिए किया जाएगा। इस पोस्टकार्ड का मूल्य 2 रु. होगा। यह नई सेवा वित्त विधेयक के पारित होने के उपरांत, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगी।

कन्नड़ कार्यक्रम

2436. **श्री एच. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन पर प्रतिदिन दिखाए जाने वाले कन्नड़ कार्यक्रमों को कुल कितना समय आवंटित किया गया;

(ख) क्या दूरदर्शन चैनल-9 पूरी तरह से कन्नड़ कार्यक्रमों के लिए है;

(ग) क्या इस चैनल के कार्यक्रम केबल की सुविधा रखने वाले लोग ही देख सकते हैं; और

(घ) इस चैनल का विस्तार कर कर्नाटक के सभी स्थानों पर पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव विकास मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री डी. एच. देवगौड़ा) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर से बुधवार तथा शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन चार घंटे के लिए कन्नड़ में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जबकि बुधवार एवं शनिवार को उक्त प्रसारण की अवधि क्रमश: 3 घंटे 20 मिनट और एक घंटा होती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल (डीडी-9) पर भी प्रतिदिन 7 घंटे एवं 30 मि. की अवधि के लिए कन्नड़ भाषा के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जबकि चैनल-9 (डीडी-9) पर कन्नड़ कार्यक्रम, उपयुक्त डिश एन्टेना प्रणाली का प्रयोग करके उपग्रह के माध्यम से कर्नाटक सहित समस्त देश में उपलब्ध है तथापि क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों को राज्य में कार्यरत विभिन्न उच्च शक्ति और अल्प टेलीविजन ट्रांसमीटरों द्वारा स्थलीय रूप से रिले किया जाता है जो उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर के साथ सम्बद्ध है।

महाराष्ट्र में डाकघर-उप-डाकघर

2437. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :**

श्री संदीपान थोरात :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघरों/उप-डाकघरों की स्थापना करने तथा उनका विस्तार/दर्जा बढ़ाने के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य में जिलावार निर्धारित लक्ष्यों तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी वर्ष के लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) राज्य में कितने नगरों/शहरों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है तथा और कितने क्षेत्रों में इस सेवा का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) राज्य में कारगर/त्वरित डाक सेवा उपलब्ध कराने तथा काफी ज्यादा राजस्व अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र डाक सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में डाकघर खोलने के लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1993-94	11	80	15	80
1994-95	8	9	4	-
1995-96	12	9	3	-
1996-97 (आज तक)	12	9	3	-

लक्ष्य और उपलब्धि का जिलावार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

आगामी वित्त वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि नवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में चार शहरों/नगरों अर्थात् मुम्बई, नागपुर, नासिक और पुणे स्पीड पोस्ट सेवा के राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल हैं।

महाराष्ट्र सर्किल के जिन शहरों/नगरों को प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया है, उनके नाम विवरण-II में दिए गए हैं।

किसी शहर में स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करता है :

(क) उस शहर में स्पीड पोस्ट को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त ट्रैफिक उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) इस शहर में स्पीड पोस्ट सेवा के मानदंडों के अनुरूप मानक स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए प्रचालनात्मक दृष्टि से व्यवहार्यता।

अभी महाराष्ट्र में स्पीड पोस्ट के राष्ट्रीय नेटवर्क का आगे विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

महाराष्ट्र डाक डिवीजन में पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य और प्राप्ति के जिलावार तथा डाक सर्किलवार ब्यौरे।

वर्ष	क्र. सं.	जिलों/डाक सर्किलों के नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
		जिलावार - अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		
1993-94	1.	अहमदनगर	8	6
	2.	अकोला	2	1
	3.	अमरावती	3	3
	4.	औरंगाबाद	1	-
	5.	बुलधाना	1	1
	6.	भण्डारा	1	1
	7.	बीड	1	1
	8.	चन्द्रपुर	2	1
	9.	धुले	5	7
	10.	गदचिरौली	5	7
	11.	जालना	1	1
	12.	कोल्हापुर	1	1
	13.	लातूर	1	-
	14.	नागपुर	-	1
	15.	नांदेड़	1	-
	16.	नाशिक	4	5
	17.	उस्मानाबाद	2	1
	18.	पुणे	13	9
	19.	रायगढ़	4	4
	20.	रत्नागिरि	1	2
	21.	शोलापुर	1	2
	22.	सतारा	3	8
	23.	सांगली	1	1
	24.	सिन्धुदुर्ग	1	-
	25.	थाणे	9	9
	26.	वर्धा	1	-

1	2	3	4	5
	27.	येवतमल	2	3
	28.	गोवा राज्य	4	4
		कुल : :	80	80

मंजूर किए गए विभागीय उप-डाकघर

	1.	बम्बई	3
	2.	औरंगाबाद	1
	3.	धुले	1
	4.	गदचिरौली	1
	5.	कोल्हापुर	1
	6.	लातूर	1
	7.	नासिक	2
	8.	सांगली	1
	9.	थाणे :	4
		कुल : :	15

वर्ष	क्र.सं.	जिला	लक्ष्य		प्राप्ति	
			अ.वि. शा.डा.	वि. उपडा.	अ.वि. शा. डा.	वि. उ.डा.
1994-95	1.	थाणे	1	1	-	1
	2.	रायगढ़	1	-	-	-
	3.	नासिक	-	1	-	-
	4.	धुले	1	-	-	-
	5.	औरंगाबाद	-	1	-	1
	6.	अमरावती	-	1	-	-
	7.	कोल्हापुर	-	1	-	-
	8.	सिंधुदुर्ग	-	1	-	-
	9.	पुणे	1	-	-	1
	10.	आगनगांव	-	1	-	-
	11.	गदचिरौली	1	-	-	-
	12.	नागपुर	2	-	-	-

वर्ष	क्र.सं.	जिला	लक्ष्य		प्राप्ति	
			अ.वि. शा.डा.	वि. उपडा.	अ.वि. शा. डा.	वि. उ.डा.
	13.	बुलधाना	1	-	-	-
	14.	गोवा राज्य	1	1	-	-
		कुल :	9	8	-	4

वर्ष	क्र.सं.	जिला/डाक क्षेत्र का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		शाखा उपडाकघर	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1995-96		**जिलावार**				
	1.	अहमदनगर	-	-	1	1
	2.	अमरावती	1	-	-	-
	3.	औरंगाबाद	-	-	1	-
	4.	चन्द्रपुर	-	-	2	-
	5.	धुले	1	-	-	-
	6.	गढ़चिरौली	1	-	-	-
	7.	जालना	-	-	1	-
	8.	कोल्हापुर	1	-	-	1
	9.	उम्मानाबाद	1	-	-	-
	10.	पुणे	1	-	2	1
	11.	परभनी	-	-	1	-
	12.	रायगढ़	1	-	-	-
	13.	सांगली	-	-	1	-
	14.	थाणे	1	-	2	-
		कुल :	8	-	11	3
		गोवा राज्य	1	-	1	-
		कुल	9	-	12	3
1996-97	1.	ठाणे	-	-	-	2
	2.	सतारा	-	-	-	1
		कुल :	-	-	-	3

टिप्पणी : वर्ष 1996-97 में डाकघर खोलने के जिलावार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गये हैं।

विवरण-II

बम्बई क्षेत्र प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट केन्द्रों का नाम	सेंटर का नाम, जिससे जुड़ा हुआ है	दोनों ओर से अथवा एक ओर से
मुम्बई	खण्डाला	दोनों ओर से
	लोनावाला	
	महाबलेश्वर	
	मालेगांव	
	पंचगनी	
	कोंकण भावन	
	थाणे	
	अलीबाग	
	पेन	
	रोहा एवी	
	महाद	
	वसई	
	वरार	
	बयानडेर पूर्व	
	बयानडेर पश्चिम	
	मीरा रोड	
	आनंद	
	औरंगाबाद	
	लातूर	
	कराड	
	उस्मानाबाद	
	सांगली	
	सतारा	
	शोलापुर	
	अमरावती	
	अकोला	
	बेलगांव	

बम्बई क्षेत्र प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट केन्द्रों का नाम	सेंटर का नाम, जिससे जुड़ा हुआ है	दोनों ओर से अथवा एक ओर से
	भुसावल	
	धुले	
	गांधीधाम	
	गुलबर्ग	
	इचलकरंजी	
	जलगांव	
	कोल्हापुर	
	कोपारगांव	दोनों ओर से
	निराज	
	नांदेड	
	पानीपत	
	पोर्ट ब्लेयर	
	राजकोट	
	शांतिनिकेतन	
	शिरडी	
	वर्धा	
	यवतमाल	
	जामनगर	
पुणे क्षेत्र		
पुणे	शोलापुर	दोनों ओर से
	पंचगनी	
	कराड	
	अहमदनगर	
	पढ़ारपुर	
	कोल्हापुर	
	सांगली	
	औरंगाबाद	
	ठाणे	

पुणे क्षेत्र प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट केन्द्रों का नाम	सेंटर का नाम, जिससे जुड़ा हुआ है	दोनों ओर से अथवा एक ओर से
	वाशी	
	अकोला	
	नागपुआ	
	लातूर	
	राजकोट	
	सतारा	
पुणे	नांदेड	एक ओर से
	गुलबर्ग	
	उस्मानाबाद	
	जलगांव	
	अमरावती	
	सरगांव	
लोनावाला	पुणे	एक ओर से
खंडाला	पुणे	एक ओर से
महाबलेश्वर	पुणे	एक ओर से
शोलापुर	हैदराबाद	दोनों ओर से
पंढरपुर	मुम्बई	दोनों ओर से
गोवा क्षेत्र		
पणजी	कोल्हापुर	दोनों ओर से
कोल्हापुर	पुणे	
कोल्हापुर	मुम्बई	
मिराज	पुणे	
मिराज	मुम्बई	
सांगली	मुम्बई	
सांगली	पुणे	
रत्नागिरी	मुम्बई	
सतारा	मुम्बई	
कराड	पुणे	

गोवा क्षेत्र *प्वाइंट-टू-प्वाइंट* स्पीड पोस्ट केन्द्रों का नाम	सेंटर का नाम, जिससे *जुड़ा हुआ है*	दोनों ओर से अथवा एक ओर से
इचलकरंजी	मुम्बई	
कुपवाड एम आई डीसी	मुम्बई/पुणे	
चिपतुन	मुम्बई	
लोहे		
नागपुर क्षेत्र		
नागपुर	अकोला	दोनों ओर से
	अमरावती	
	यवतमाल	
	वर्धा	
	नांदेड़	
	जलगांव	
अकोला	अमरावती	-वही-
	नागपुर	
	वर्धा	
	यवतमाल	
	मुम्बई	
	पुणे	
अमरावती	अकोला	-वही-
	वर्धा	
	यवतमाल	
	नागपुर	
	मुम्बई	
	पुणे	
वर्धा	मुम्बई	-वही-
	अकोला	
	अमरावती	
	यवतमाल	
	नागपुर	
यवतमाल	मुम्बई	-वही-
	अमरावती	
	वर्धा	
	नागपुर	

औरंगाबाद क्षेत्र प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट केन्द्रों का नाम	सेंटर का नाम, जिससे जुड़ा हुआ है	दोनों ओर से अथवा एक ओर से
औरंगाबाद	मुम्बई	दोनों ओर से
	पुणे	
	दिल्ली	
	नासिक	
	लातूर	
लातूर	मुम्बई	-वही-
	पुणे	
	औरंगाबाद	

घरेलू मार्गों पर विदेशी विमान कंपनियां

2438. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स आन्तरिक उड़ानों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को खपाने में असमर्थ है जिसके कारण काफी संख्या में यात्रियों को यात्रा करने के लिए इंतजार करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो देश के सभी हवाई अड्डों पर घरेलू यात्रियों की भीड़ समाप्त करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स की आन्तरिक उड़ानों में वृद्धि करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपलब्ध कराई जा रही क्षमता अन्तर्देशीय यात्री यातायात सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, निजी विमान कंपनियों ने भी कई अन्तर्देशीय मार्गों पर क्षमता में वृद्धि की है।

मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

2439. **श्री एन. डेविस** :

डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानत: कितने मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को विभिन्न पुनर्वास योजनाओं में शामिल किया गया है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के पश्चात् पुनर्वास योजना सहित सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न रियायती एवं सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विकलांगों के लिए बनाई गई योजनाओं हेतु वित्तीय परिव्यय को अभी भी उनकी समस्याओं के अनुरूप बनाया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उन पुनर्वास योजनाओं के लिए आबंटन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1991 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 16.15 मिलियन है। कुछ संगठनों द्वारा किए गए कतिपय अध्ययनों से यह विदित होता है कि लगभग 2-2.5 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक अवरूद्धता से पीड़ित है।

(ख) उन योजनाओं जिनके अंतर्गत केन्द्र सरकार विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सहायता अनुदान देती है, के अंतर्गत वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास सहित उनके लिए रियायतों और सहायता के लिए शुरू की गई एक अन्य योजना को विवरण-II दर्शाया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा विकलांगो को पुनर्वास सेवाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए इन एजेन्सियों द्वारा अपने-अपने संबंधित बजटों में पर्याप्त प्रावधान करते हुए आवश्यक वित्त जुटाना होता है।

विवरण-I

क्र. सं.	योजना का नाम	1994-95	1995-96
1.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	15,377	23,885
2.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	5,443	2,323

विवरण-II

1. विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत, विकलांगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अंतर्गत पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों, को शामिल किया गया है। आवर्ती मदों जैसे, कर्मचारी वेतन, अनुरक्षण शुल्क, फुटकर व्यय तथा अनावर्ती मदों जैसे भवन निर्माण, उपस्कर तथा फर्नीचर के लिए कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। परियोजनाओं जैसे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, होस्टलों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थापन सेवाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास

इस योजना में विकलांगता के चार प्रमुख क्षेत्रों - अस्थि, श्रवण तथा वाणी दृष्टि तथा मानसिक मंदता में विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा उनके स्तर में सुधार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 90 प्रतिशत की सीमा तक सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन जिलों में विद्यालय स्थापित करने को प्राथमिकता दी गई है जहां इस समय विशेष विद्यालय नहीं हैं। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों व्ययों के लिए सहायता दी जाती है।

3. जनशक्ति विकास के लिए प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु गैर सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 90 प्रतिशत तक सहातया दी जाती है।

5. राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग जनसंख्या की बहुआयामी समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निम्नलिखित चार राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण, व्यावसायिक दिशा-निर्देश सला कार्य, अनुसंधान, पुनर्वास, विकास उपर्युक्त सेवा माडयूल के विकास के क्षेत्र मे ये संस्थान शीर्ष स्तर के संगठन हैं। ये संस्थान अपंगता के अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख प्रलेखन तथा सूचना केन्द्रों के रूप में भी कार्य करते हैं।

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता
3. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद।

इन संस्थानों के अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से सेवा संस्थानों के रूप में निम्नलिखित दो संस्थानों को स्थापित किया गया है

1. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ओलटपुर, उड़ीसा

6. रोजगार

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक उपबंध है कि समुचित सरकार प्रत्येक स्थापना में कम से कम 3 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिनमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में निम्नलिखित विकलांगताओं से पीड़ितों के लिए प्रत्येक में एक प्रतिशत का

आरक्षण होगा :

(क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि

(ख) श्रवण विकृति तथा

(ग) चलन संबंधी विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्काघात।

विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह 'ग' तथा 'घ' में 3 प्रतिशत आरक्षण कानून के लागू होने से पहले भी रहा है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा तदनुसार आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विकलांगों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में 'आयु की छूट' तथा 'चिकित्सा संबंधी मानक' में छूट भी दी जाती है।

2. विकलांग व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 47 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 41 विशेष सैल विकलांग व्यक्तियों के लिए खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी समुचित रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को मदद करते हैं।

3. विकलांगों की शेष योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा उनको रोजगार प्रदान करने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

4. स्व-रोजगार को निम्नलिखित के जरिए बढ़ावा दिया गया है :-

(क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बिक्री, स्टालों, कियोस्कों तथा दुकानों को आबंटन,

(ख) ब्याज की रियायती दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण,

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन में वरीयता,

(घ) पेट्रोल पंपों, मिट्टी के तेल के डिपोओं आदि के वितरण में आरक्षण।

7. सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को बिकाऊ, आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से निर्मित सहायक यंत्र और उपकरणा खरीदने में सहायता करना है जो उनका शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास बढ़ाते हैं। यह योजना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियों, रजिस्टर्ड समितियों, न्यासों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों और कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों एजेंसियां कार्यरत हैं।

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 3600 रु. तक के मूल्य के सहायक यंत्र और उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाते हैं यदि उनकी मासिक आय 1200 रु. तक है और यदि आय 1201 रु. और 2500 रुपये के बीच है तो यह 50 प्रतिशत लागत पर प्रदान किए जाते हैं।

8. भारत सरकार ने अभी हाल ही में निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को अधिनयमित किया है। यह अधिनियम अपंग व्यक्तियों जिसमें मानसिक विकलांग भी शामिल हैं, के लिए अपंगता का निवारण तथा शीघ्र जांच, शिक्षा, रोजगार, भेदभाव न हो आदि का प्रावधान करता है।

9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को समर्थ बनाने हेतु रियायती दरों पर वित्त का अतिरिक्त माध्यम प्रदान करने के लिए की जा रही है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

2440. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों से संबंधित आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय उक्त आंकड़ों के अभाव में बाल श्रमिकों के कल्याण संबंधी कार्यों को किस प्रकार किया जाता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने सूचित किया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम से संबंधित डाटा प्रक्रियाधीन है।

(ग) और (घ) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रम के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 1981 की जनगणना के आधार पर बाल श्रम बहुल जिलों की पहचान की गई थी। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों की आरंभिक पहचान के आधार पर, विशेष स्कूलों के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक बालकों को शामिल करने के लिए अब तक 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जहां उन्हें बुनियादी कल्याण साधन जैसे गैर पारम्परिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा आदि प्रदान किये

जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाल श्रम से संबंधित व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए 123 जिलों को निधियां जारी की गई हैं।

गेहूं, चावल और चीनी की आपूर्ति

2441. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य को कम मात्रा में गेंहू, चावल और चीनी उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति 1991 की जनगणना के आधार पर न करके, मनमाने ढंग से की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषमता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ)

I गेंहू और चावल

बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेंहू और चावल का आवंटन माह दर माह आधार पर किया जाता है, यह आवंटन स्थानीय उपलब्धता, उत्पादन, सापेक्ष आवश्यकता, उठान प्रवृत्ति और अन्य सम्बद्ध मामलों के अनुसार किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित गेंहू और चावल की मात्रा अनुपूरक स्वरूप की होती है और इसका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समस्त आवश्यकता को पूरा करना नहीं है। बिहार में राज्य सरकार द्वारा उठान की गई मात्रा आबंटित मात्रा से काफी कम रही है।

II चीनी

आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आबंटन एक-समान मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार 1.1.1996 से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी उपलब्ध हो। इसके आधार पर बिहार का मासिक लेवी चीनी कोटा 36,707 टन बैठता है।

[अनुवाद]

कूच बिहार में नये टेलीफोन एक्सचेंज

2442. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में स्थानवार अब तक कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा एस. टी. डी. सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा एस. टी. डी. सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान श्रेणी-वार स्थान-वार कितने एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अभी तक स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 556 है। जिनमें से 358 एस टी डी सुविधायुक्त हैं। विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज तथा एस टी डी सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कई एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान 64 नए टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थापित किए जाने की संभावना है। विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में अभी तक स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

एक्सचेंज का नाम	एसटीडी की स्थिति	एक्सचेंज का नाम
1	2	3
टेलीफोन जिले का नाम - 24 परगना		
1.	अरबेलिया	एन
2.	अशोक नगर	एन
3.	बछदीहाट	ओ
4.	बदुरिया	एन
5.	बागदाह	ओ
6.	बसीरहाट	एन
7.	बेलियाघाटा बीआरडीजी	ओ
8.	बेराचम्पा	एन
9.	भेषिया	ओ
10.	बोनगांव	एम

1	2	3
11.	चांदपाड़ा डीजेडआर	एन
12.	चारघाट	एन
13.	गाईघाटा	एन
14.	गारपोटा	ओ
15.	गुपालनगर	एन
16.	गोपालपुर	ओ
17.	गोवरडंगा	एन
18.	गुमा	ओ
19.	हाबरा	एन
20.	हरोआ	एन
21.	हेलोंचा	ओ
22.	हिंगलगंज	ओ
23.	ईश्वरीगाछा	एन
24.	इटिण्डा	एन
25.	कटियाहाट	ओ
26.	नहाटा	ओ
27.	नजात	ओ
28.	राजरहाट	ओ
29.	स्वरूपनगर	ओ
30.	ताकी	एन
31.	ठाकुरनगर	एन
32.	जीरात मादामारा	एन
33.	बसन्ती	एन
34.	कैनिंग	एन
35.	डायमंड हारबौर	एन
36.	फालटा एफटीजेड	एन
37.	फतेहपुर	एन
38.	गंगासागर	एन
39.	गोचरन	एन
40.	गोसाहा	एन
41.	जयनगर	एन
42.	काकद्वीप	एन
43.	काशीनगर	ओ
44.	कालपी	एन
45.	लक्ष्मीकांतपुर	ओ
46.	मथुरापुर	एन
47.	मांगराहाट	ओ
48.	नामखाना	एन
49.	नूरपूर	एन
50.	पाथरप्रतिमा	एन
51.	रायदिघी	ओ
52.	रूद्रनगर	एन
53.	श्रीशा	एन
54.	ताल्दी	ओ
55.	अस्थी	एन
दूरसंचार जिले का नाम - बांकुरा		
56.	बालसी	एन
57.	बांकुरा-II	एन
58.	बरजोरा	एन
59.	बेलातोर	एन
60.	बिशनपुर	एन
61.	छातना	एन
62.	गंगाजलघाटी	एन
63.	गर्रईपुर	एन
64.	गेलिया	एन
65.	इन्दपुर	एन
66.	इन्दस	एन
67.	झौटीपहाडी	एन
68.	जोएपुर	एन
69.	जायरामबाटी	एन

1	2	3
70.	कमालपुर	ओ
71.	खलिया	एन
72.	कोटुलपुर	एन
73.	कुछाद्वीप	एन
74.	मलियारा	एन
75.	मेहिया	एन
76.	मुकुटमणिपुर	एन
77.	काण्डा	एन
78.	पंचमुढा	एन
79.	परियाबायडी	
80.	राधानगर	ओ
81.	रानीबाध	एन
82.	रसूलपुर	एम
83.	सलेडिहा	एन
84.	सलतोरन	ओ
85.	सरेंगा	एम
86.	शिमलापाल	एन
87.	सोनमुखी	एन
88.	तलाडांगढ	एन

दूरसंचार जिले का नाम - बीरभूम

1	2	3
89.	अहमदपुर	ओ
90.	बीटीपीपी (मुथाबेड़ा)	एन
91.	बासापाड़ा	ओ
92.	विष्णुपाड़ा	ओ
93.	बोलपुर	एन
94.	धतरा	ओ
95.	दूबराजपुर	एन
96.	इलुमबाजार	एन
97.	खैराशोल	ओ
98.	किरनाहोर	एन
99.	लाहपुर	एन
100.	लोहापुर	ओ
101.	मोहम्मद बाजार	ओ
102.	मारग्राम	ओ
103.	मयूरेश्वर	ओ
104.	मोल्लारपुर	एन
105.	मुरप्ताई	एन
106.	नालहाटी	एन
107.	नारायणपुर	ओ
108.	पंचमी	ओ
109.	पुरंदरपुर	ओ
110.	राजनगर	ओ
111.	रामपुरहाट	एन
112.	सेन्थिया	एन
113.	सूरी	एन
114.	तांतोपाड़ा	ओ
115.	तारापीठ	एन

दूरसंचार जिले का नाम - बर्द्धमान

1	2	3
116.	अंदल	एन
117.	अंगुनी	एन
118.	आसनसोल	एन
119.	बादला	एन
120.	बागुरा	ओ
121	बहुला	एन
122.	बैदयपुर	एन
123.	बारांकर	एन
124.	बरदिघी	एन
125.	भातर	ओ
126.	घेडिया	एन
127.	बिधाननगर (डीजीपी)	एन

1	2	3
128.	बोनपास	एन
129.	बुदबुध	ओ
130.	बुलबुलीताला	एन
131.	बर्दवान-II	एन
132.	बुर्नपुर	एन
133.	चकदिघी	एन
134.	चन्द्रपुर	ओ
135.	चिंचुरिया	एन
136.	चित्तरंजन	एन
137.	चुइपुनी	एन
138.	दैंहाट	एन
139.	देवीपुर	एन
140.	धात्रीग्राम	एन
141.	दिगनगर(1)	एन
142.	दोमोहानी	एन
143.	दुर्गापुर (सीसी)	एन
144.	दुर्गापुर (एल)	एन
145.	दुर्गापुर (एस)	एन
146.	गल्सी	एन
147.	गंगातीकुरी	ओ
148.	गसकारा	एन
149.	हटगोविंदापुर	एन
150.	जमालपुर	एन
151.	जमुरियाहाट	एन
152.	जुगराम	ओ
153.	कैचम	एन
154.	कजोरा	एन
155.	कालना	एन
156.	कमानपाड़ा	ओ
157.	कांद्रा	ओ
158.	करालाघाट	एन
159.	कसोमनगर	एन
160.	कटवा	एन
161.	केतुग्राम	ओ
162.	खुद्रन	एन
163.	कुचुट	एन
164.	कुरमुन	एन
165.	माहतेश्वर	एन
166.	मोदंलग्राम	ओ
167.	नाबाग्राम (आई)	ओ
168.	नादनघाट	ओ
169.	न्यामतपुर	एन
170.	नुबारनडांगा	एन
171.	नूतनहाट	ओ
172.	पालैत	एन
173.	पानागढ़ बाजार	एन
174.	पंढारदुमलाला	ओ
175.	पाण्डवेश्वर	एन
176.	पनूरिया	एन
177.	पराज	एन
178.	पारूलिया	एन
179.	पातुली	ओ
180.	रामगोपालपुर	ओ
181.	रानीगंज	एन
182.	रसूलपुर II	एन
183.	साहेबगंज	ओ
184.	भक्तिगढ़	एन
185.	समुद्रगढ़	एन
186.	सत्यछिया	एन
187.	सेहराबाजार	एन

1	2	3
188.	श्यामसुंदर	ओ
189.	सिंगलान	एन
190.	सिरखण्डा	एन
191.	उखरा	एन
192.	वाकिरहाट	एन
193.	चौधुरीहाट	एन
194.	दीवान हाट	ओ
195.	हल्दीबाड़ी	एन
196.	मेखलीगंज	एन
197.	पुण्डीबाड़ी	एन
198.	सीताइहाट	ओ
199.	चेंगियादौधा	एन
200.	कूच बिहार	एन
201.	दिनहाटा	एन
202.	माथा भंगा	एन
203.	निशिगंज	ओ
204.	शीतलकुची	ओ
205.	तुफानगंज	एन
दूरसंचार जिले का नाम - दार्जिलिंग		
206.	अलगढ़	एन
207.	विधाननगर	एन
208.	दार्जिलिंग	एन
209.	कालिम्पोंग	एन
210.	कुर्सियोंग	एन
211.	नेपोंग	ओ
212.	मुंगपा	एन
213.	नाकलहारी	एन
214.	शक्तिगढ़	एन
215.	सिलीगुडी II	एन
216.	सौरनीबाजार	ओ

1	2	3
217.	ताकदीह	ओ
218.	बागडोगरा	एन
219.	बिजनबाड़ी	ओ
220.	गोस्वाधन	ओ
221.	खारीबारी	ओ
222.	लावाबाजार	एन
223.	गिरिक	एन
224.	नगरीसपुर	ओ
225.	फांसीदेवा	एन
226.	सिलीगुढ़ी	एन
227.	सोनाडा	एन
228.	सुखियापोखरी	एन
229.	तिंधरिया	ओ
दूरसंचार जिले का नाम - हावड़ा		
230.	अजोध्या	एन
231.	आमटा	एन
232.	बागनान	एन
233.	चित्रसेनपुर	ओ
234.	एकसारा	एन
235.	गंगाधरपुर	ओ
236.	जगत बल्लवपुर	एन
237.	कानपुर पुरास	ओ
238.	पंचला	ओ
239.	श्यामपुर	ओ
240.	उदयनारायणपुर	ओ
दूरसंचार जिले का नाम - हुगली		
241.	आरामबाग	एन
242.	बालीपुर	एन
243.	भगवतीपुर	एन
244.	भण्डारहाती	ओ

1	2	3
245.	बोइंची	एन
246.	चम्पाडांगा	एन
247.	चांदीताला	एन
248.	दसघड़ा	एन
249.	धनियाखाली	एन
250.	गौरीहाटी	ओ
251.	गुरुप	एन
252.	हरिफल	एन
253.	जंगीपाड़ा	ओ
254.	कमरपुकलो	ओ
255.	खातुल	ओ
256.	महानाद	ओ
257.	मोलोयपुर	ओ
258.	नईसराय	एन
259.	पुलनान	ओ
260.	रामेश्वरपुर	एन
261.	तारकेश्वा	एन
262.	दिहीबादपुर	ओ
263.	गुप्तीपाड़ा	ओ
264.	हरिनखोला	ओ
265.	हेलन	ओ
266.	जिराट	एन
267.	खानाकुल	ओ
268.	कुलियापाड़ा	ओ
269.	मसत	एन
270.	पंडुआ	एन
271.	राजबलहाट	ओ
272.	सस्तीपुर	ओ

दूरसंचार जिले का नाम - मुर्शिदाबाद

273.	अमतला	ओ
274.	अमादी	ओ
275.	औरंगाबाद	एन
276.	आजिमगंज	ओ
277.	बोलदंगा	एन
278.	बरहमपुर-II	एन
279.	भगवंगोला	ओ
280.	धूलिया	एन
281.	दोमकल	ओ
282.	फार्क्का बारिंज	एन
283.	फार्क्का एनटीपीसी	एन
284.	गंकर	ओ
285.	हरिहरपाडा	ओ
286.	इरलामपुर (1)	एन
287.	तलंगा	ओ
288.	जंगीपुर	एन
289.	जियागंज	एन
290.	काण्डी	एन
291.	लालगोल्ड	एन
292.	मुर्शिदाबाद	एन
293.	नबाग्राम	ओ
294.	नगर	ओ
295.	नसीपुरहालगढ़ी	ओ
296.	पंचग्राम	ओ
297.	पंचतुपी	ओ
298.	फाटिकाबाडी	ओ
299.	रघुनाथगंज	एन
300.	रानीनगर	ओ
301.	सदरडीगी	ओ
302.	सागरपाडा	ओ
303.	शक्तिपुर	ओ

1	2	3
304.	गलार	गो
305.	सरगाछी	एन
306.	सतुई	ओ
307.	त्रिमोहनी(2)	ओ
दूरसंचार जिले का नाम : निदनापुर		
308.	अलंगगिरी	ओ
309.	अमर्शी	ओ
310.	अमलागोडा	एन
311.	बलीयाचाक	एन
312.	वसन्तीया	एन
313.	हाकुत	ओ
314.	बेल्दा	एन
315.	भगहानपुर	ओ
316.	चूपतिनगर	ओ
317.	बीनपुर	ओ
318.	बजलाचाक	एन
319.	चैतन्यपुर	एन
320.	चन्दकोना	एन
321.	वान्सेरपुर	एन
322.	कोर्न्टई	एन
323.	दधिका	एन
324.	दंतोन	ओ
325.	दसग्राम	एन
326.	दासपुर	एन
327.	दतिया	ओ
328.	दीघा	एन
329.	दुर्गाचाक	एन
330.	एगरा	एन
331.	गोदखली	ओ
332.	घाटल	एन

1	2	3
333.	गोमालतोर	एन
334.	गोमुण्डा	ओ
335.	गोपीबल्लवपुर	ओ
336.	गौरा	ओ
337.	हतिदया (टी)	एन
338.	हतिदया (टी)	एन
339.	हौर	ओ
340.	हेरिया	ओ
341.	हिजली	एन
342.	हूगढ़	एन
343.	जहाल्दा	ओ
344.	झारग्राम	एन
345.	काकगछिया	एन
346.	कालिंदी	ओ
347.	केशियारी	ओ
348.	कोशपुर	एन
349.	रवाकूरी	ओ
350.	खलसूली	ओ
351.	खडगपुर	एन
352.	खराड	ओ
353.	खिर्पाई	ओ
354.	खोरई बाजार	ओ
355.	कोलाघाट	एन
356.	लटिकरी	एन
357.	लोदा	ओ
358.	मादपुर	ओ
359.	मोहिशडल	एन
360.	मालीग्राम	ओ
361.	मानिकपाड़ा	ओ
362.	मरहतला	ओ

1	2	3
363.	मथचंदीपुर	एन
364.	मादना	एन
365.	मेचूडा	एन
366.	मिदनापुर	एन
367.	मिर्जापुर	ओ
368.	मोहनपुर	ओ
369.	मोंगलामारो	एन
370.	नचिंदा	एन
371.	नंदकुमार	एन
372.	नरदूल	ओ
373.	नारायणगढ़	ओ
374.	नीमपुर	एन
375.	नीमनकुरीबाजार	एन
376.	पंचेटगढ़	ओ
377.	पचकुरी	ओ
378.	पानीगरूल	ओ
379.	पंसकूरा	एन
380.	परमानंदपुर	ओ
381.	पाटसपुर	ओ
382.	प्रतापडिघी	ओ
383.	राधामोहनपुर	एन
384.	राजनगर(2)	ओ
385.	रामनगर	एन
386.	रसकूण्डू	एन
387.	रेयापाड़ा	एन
388.	रूपनारायणपुर	ओ
389.	सबोंग	एन
380.	सालबोनी	एन
391.	सतबंकूरा	एन
392.	सातमिली	एन

1	2	3
393.	श्यामसुंदर पटना	एन
394.	सिल्दा	ओ
395.	श्रृंगार	ओ
396.	तामालुक	एन
397.	तेमतनी	एन
दूरसंचार जिले का नाम - मालदा		
398.	अलनपुर	ओ
399.	अराई डंगा	ओ
400.	बोदर माइना	ओ
401.	बुलहुलचंडी	एन
402.	चन्चल	एन
403.	चांदीपुर	ओ
404.	धरमपुर	एन
405.	गजोले	एन
406.	हरिचन्द्रपुर	एन
407.	कालियाचेक	एन
408.	घजूरिया घाट	एन
409.	घुसीडा	ओ
410.	कोरियाली	एन
411.	मगुरा	ओ
412.	मेहदीपुर	ओ
413.	महाराजानगर	एन
414.	मालदह (यूनिट-I)	एन
415.	मालदह (यूनिट-II)	एन
416.	मंगलबाड़ी	एन
417.	मानिकचक	एन
418.	मिल्की	एन
419.	मोथाबाडी	एन
420.	फेकुआहाट	एन
421.	बालमपुर	एन

1	2	3
422.	रतुआ	एन
423.	रवली	एन
424.	सूजापुर टाउन	एन
425.	वैशून्नगर	एन
दूरसंचार जिले का नाम - जेपीजी		
426.	अलीपुरद्वार	एन
427.	बनारहाट	एन
428.	बरोबिसा	एन
429.	बेलाखोबा	एन
430.	बीरपाड़ा	एन
431.	बिराजोपुर	ओ
432.	चेसा	एन
433.	धूपकुडी	एन
434.	फलकाटा	एन
435.	गेरकाटा	ओ
436.	हासिमाडा	ओ
437.	जयगांव	एन
438.	जलपायीगुडी	एन
439.	जटेश्वार	ओ
440.	झालंग	ओ
441.	कालचीनी	ओ
442.	कामछागुडी	ओ
443.	क्रान्तिहाट	ओ
444.	कुमार ग्रामदुआर	एन
445.	लाटागुडी	एन
446.	मदरी हाट	एन
447.	मालबाजार	एन
448.	मतेली	एन
449.	मायनागुडी	एन
450.	नगराकाटा	एन

1	2	3
451.	उदलाबाडी	एन
452.	राजगंज	एन
453.	रानीनगर	ओ
454.	तोपुरहाट	ओ
दूरसंचार जिले का नाम : पुरुलिया		
455.	अदा	ओ
456.	अनारा	ओ
457.	बाराभूमि	एन
458.	छोलियामा	एन
459.	दुबिद	एन
460.	गढ़जयपुर	एन
461.	हुरा	एन
462.	जालदा	एन
463.	काशीपुर	एन
464.	मनबाजिया	एन
465.	पुंछा	एन
466.	पुरुलिया	एन
467.	रघुनाथपुर	एन
468.	रामचन्द्रपुरम	एन
469.	रंगाडिह	एन
470.	सन्थालडीह	एन
471.	टूल्लू	एन
दूरसंचार जिले का नाम - एन.डी.पी.		
472.	बाहिन	ओ
473.	भाटोल	ओ
474.	भूपालपुर	ओ
475.	चोपड़ा	ओ
476.	दलखोला	एन
477.	हेमताबाद	ओ
478.	इस्लामपुर (8)	एन

1	2	3
479.	इटानगर	एन
480.	कालियागंज	एन
481.	कान्ही	ओ
482.	करन्दिघी	एन
483.	कुरोर	ओ
484.	महराजहाट	ओ
485.	पांजीपाडा	एन
486.	रतिराजपुर	ओ
487.	रायगंज	एन
488.	रामगंज	ओ
489.	सांबपुरहाट	ओ
दूरसंचार जिले का नाम - एन डी एस		
490.	बलूरघाट	एन
491.	बुनियादपुर	ओ
492.	गंगारामपुर	एन
493.	गोपालगंज	एन
494.	हरिरामपुर	एन
495.	हिल्ली	एन
496.	कुसमण्डी	एन
497.	पाटिअम	ओ
498.	रामपुर	ओ
499.	तापन	ओ
500.	त्रिमोहिनी (1)	ओ
501.	रागुला	एन
502.	दारा अंदुलिया	ओ
503.	बेतई	ओ
504.	बेथुआदेहारी	एन
505.	रोरनगर	एन
506.	बकदाह	एन
507.	बपरा	ओ

1	2	3
508.	दायेरबाजार	ओ
509.	देबाग्राम	एन
510.	धुहुलिया	ओ
511.	दोघयार (2)	एन
512.	वत्ता पुलिया	एन
513.	पुलिया	एन
514.	हरिनघाटा	एन
515.	जोअन्यिागालुका	ओ
516.	कालीगंज	ओ
517.	करीमणेर	एन
518.	कृष्णानगर	एन
519.	मदनपुर	एन
520.	मजदिय	एन
521.	मटिआनी	ओ
522.	मायापुर	एन
523.	फुलगाछिया	ओ
524.	नहाद्वीप	एन
525.	नमरओखरा	ओ
526.	नजीरपुर	ओ
527.	पालसीपर्द	ओ
528.	प्लासी	एन
529.	पुरबा बिश्नुपुर	एन
530.	राणाघाट	एन
531.	सांतीपुर	एन
532.	श्यामपुर डीजेडआर	ओ
533.	स्वरूपगंज	एन
534.	तेहट्टा	ओ
दूरसंचार जिले का नाम - एस के एन ई		
535.	गंगतूक	एन
536.	पकचोंग	एन

1	2	3
537.	रांगली	एन
538.	रांगपू	एन
539.	रानीपूल	एन
540.	रेहनोंक	एन
541.	सिंगटाम	एन
दूरसंचार जिले का नाम - एसकेएमएन		
542.	घूठांग	एन
543.	मंगन	एन
दूरसंचार जिले का नाम - एस के एम एस		
544.	गोल्ली	ओ
545.	नामदे	एन
546.	रावंगला	एन
547.	तेम्बीबाजार	ओ
दूरसंचार जिले का नाम - एसकेएमडब्ल्यू		
548.	गेजिंग	एन
549.	नयाबाजार	एन
550.	सोम्बरिया	ओ
551.	सोरेंग	ओ
	कुल एक्सचेंज :	551
	एसटीडी युक्त :	358

विवरण-II

निम्नलिखित एजेंसियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे :

1. घोकसडंगा में एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने हेतु घोकसडंगा नागरिक समिति।
2. देवानघाट, निशीगंज, पुण्डीबेर, सिटैहाट, सीतलकुची, घोकसडंगा, बाकिसरहाट तथा तपूरहाट में एक्सचेंज लगाने के लिए सचिव कूच बिहार जिला बस मालिक संघ।
3. चन्द्रमन्धा में चन्द्रमन्धा व्यापार संघ।
4. बलरामपुर तथा बानेसर में एक्सचेंज लगाने हेतु कूच बिहार जिला बस मालिक संघ।
5. बारिक्सरहाट में बाक्सिरहाट बायावसायी समिति।

एन-का तात्पर्य है कि एन एस डी सुविधा से है।
ओ-का तात्पर्य एनएसडी सुविधारहित साधारण से है।

वर्तमान स्थिति

1. निम्नलिखित कस्बों में पहले से ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं :-

(1) दिवानहाट (2) निशीगंज (3) पूण्डीबाड़ी (4) सितैहाट (5) सीतलकूची (6) तपूरहाट (7) बाक्सिरहाट

पूण्डीबाड़ी और बाक्सिरहाट एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा है।

2. घोकसडंगा में एक्सचेंज लगाया जा रहा है।
3. बलारामपुर तथा बानेसर में 1996-97 के दौरान एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है।

विवरण-III

1996-97 में प्रस्तावित नए एक्सचेंज-पश्चिम बंगाल सर्किल दूरसंचार सर्किल

एक्सचेंज का प्रकार	क्र.सं.	अवस्थिति	जिला
1	2	3	4
डी-डाट 256पोर्ट	1.	बोगीटोला	मालदा
	2.	गोपालगंज	मालदा
	3.	नालागोला	मालदा
	4.	नजीरपुर	मालदा
	5.	देवतोला (कटली)	मालदा
	6.	रानीगंज	मालदा
	7.	पीरगंज	मालदा
	8.	कुमेदपुर	मालदा
	9.	आशापुर	मालदा
	10.	ग्वालपाड़ा	मालदा
	11.	सुल्तानगढ़	मालदा
	12.	बाटना	मालदा
	13.	सागीशपुर	मालदा
	14.	बंगालबाड़ी	मालदा
	15.	राशाखोआ	मालदा
	16.	श्यामपुर	मालदा
	17.	तांगीदिधी	मालदा
	18.	चुरान	मालदा

1	2	3	4
	19.	दसपाड़ा	मालदा
	20.	हपतीगंज	मालदा
	21.	खदाह	मालदा
	22.	दान्नीरहाट	मालदा
	23.	काशपुर	मालदा
	24.	बोल्ला	मालदा
	25.	बारीधारा	दार्जिलिंग
	26.	मुआ	दार्जिलिंग
	27.	केजेपी	दार्जिलिंग
	28.	शिवो के	दार्जिलिंग
	29.	घोशपुकूर	दार्जिलिंग
	30.	तापुरहाट	जलपाइगुड़ी
	31.	एथलबाड़ी	जलपाइगुड़ी
	32.	अपर पेण्ड़आ	गंगटोक
	33.	परंगिया	गंगटोक
	34.	बनकटी	बर्दवान
	35.	राजबंध	बर्दवान
	36.	बिजूर	बर्दवान
	37.	गंगपुर	बर्दवान
	38.	बारगुल	बर्दवान
	39.	रामनगर	बर्दवान
	40.	मेदगढ़ी	बर्दवान
	41.	सागरदीप	बर्दवान
	42.	होटोर	24 परगना (एस)
	43.	खारीबारी	24 परगना (एस)
	44.	भांगर	24 परगना (एस)
	45.	खालापोटी	24 परगना (एन)
	46.	बागजोला	24 परगना (एन)
	47.	अकाइपुर	24 परगना (एन)
	48.	पांचपोटा	24 परगना (एन)
	49.	कुरूलिया	24 परगना (एन)
	50.	बोरा	24 परगना (एन)
	51.	कमारकुण्डू	हुगली
	52.	बीशारिहाट	हावड़ा
	53.	शिकिरा	हावड़ा
	54.	बाराजागुलिया	कृष्णागर
	55.	हंसखाली	कृष्णागर
	56.	नृसिंहपुर	कृष्णागर
	57.	भोगपुर	न्योकापुर
	58.	पाटलिया	मिदनापुर
	59.	पारवी	बीरभूम
डी सी बी आर एस यू			
	1.	गातीगारा	दार्जिलिंग
	2.	सालीगारा	दार्जिलिंग
	3.	बेनारचिन्तो	बर्दवान
डी सी ओ-1 आरएसयू			
	1.	मालंचा	मिदनापुर
पी आई सी आर आर एस यू			
	1.	कुल्लू	बर्दवान

[हिन्दी]

गेंहू, चावल और चीनी के लिए राजसहायता

2443. **जस्टिस गुमानमल लोढा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उचित दर दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल और चीनी उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या उक्त वर्षों के दौरान निगम द्वारा समय-समय पर बिक्री और खरीद मूल्य में परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान बिक्री और खरीद मूल्यों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सब्सिडि रिलीज नहीं की जाती है। भारतीय खाद्य निगम को इस खाते पर निम्नलिखित राशि रिलीज की गई थी :-

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रिलीज की गई सब्सिडि		
	खाद्यान्न	चीनी	जोड़
1993-94	5537		5537
1994-95	4509	591	5100
1995-96	4960	382	5342

(अनन्तिम)

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान रहे गेंहू, चावल और चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

वर्ष	निर्गम मूल्य रु. प्रति क्विंटल				
	गेहूं	चावल		चीनी	
		साधारण	बढ़िया	उत्तम	
1993-94	330	437	497	518	830
1994-95	402	537	617	648	905
(1.2.94 से प्रभावी)					
1995-96	402	537	617	648	905

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गमों के सम्बन्ध में गेंहू और चावल के निर्गम मूल्य 50/- रु. प्रति क्विंटल कम हैं।

विवरण-II

1993-94, 1994-95 और 1995-96 वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूं, लेवी चावल और धान के निर्धारित किए गए मूल्य बताने वाला विवरण

1. **चावल के बसूली मूल्य** (दर रुपये प्रति क्विंटल)

	राज्य का नाम		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	साधारण	533.40	582.55	626.40
		बढ़िया	582.90	633.40	651.10
		उत्तम	620.90	671.85	684.00
2.	हरियाणा	साधारण	529.20	579.80	620.20
		बढ़िया	578.25	630.30	644.60
		उत्तम	616.00	668.50	677.15
3.	उत्तर प्रदेश	साधारण	501.45	558.85	600.90
		बढ़िया	531.75	589.85	624.50
		उत्तम	574.75	634.75	656.00
4.	आंध्र प्रदेश	साधारण	518.90	565.45	596.30
		बढ़िया	550.40	596.95	619.90
		उत्तम	581.90	628.45	651.20
5.	मध्य प्रदेश	साधारण	512.85	546.05	574.90
		बढ़िया	543.95	576.40	597.50
		उत्तम	575.10	606.75	627.60

1	2	3	4	5	6
6.	उड़ीसा	साधारण	528.80	576.15	601.70
		बढ़िया	560.90	608.30	625.50
		उत्तम	593.05	640.40	657.10
7.	असम	साधारण	514.70	545.25	585.60
		बढ़िया	554.30	584.30	608.70
		उत्तम	586.00	615.10	639.40
8.	पश्चिम बंगाल	साधारण	488.25	531.95	569.50
		बढ़िया	530.90	575.55	591.90
		उत्तम	561.20	605.85	621.70
9.	महाराष्ट्र	साधारण	501.65	546.30	576.10
		बढ़िया	531.90	576.60	598.70
		उत्तम	562.20	606.85	628.80
10.	गुजरात	साधारण	484.45	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
		बढ़िया	513.80	-	-
		उत्तम	543.15	-	-
11.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	साधारण	524.25	566.35	609.00
		बढ़िया	572.90	615.70	632.90
		उत्तम	610.25	653.05	664.90
12.	संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी	साधारण	489.05	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
		बढ़िया	518.70	-	-
		उत्तम	548.30	-	-
13.	दिल्ली	साधारण	529.20	553.85	620.20
		बढ़िया	578.25	602.05	644.60
		उत्तम	616.00	638.50	677.15
14.	बिहार	साधारण	500.20	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
		बढ़िया	535.90	-	-
		उत्तम	566.50	-	-
15.	कर्नाटक	साधारण	494.05	538.35	580.20
		बढ़िया	524.00	568.25	603.10
		उत्तम	553.95	598.20	633.50

1	2	3	4	5	6
16.	राजस्थान	साधारण	521.30	566.15	609.00
		बढ़िया	565.35	611.10	633.00
		उत्तम	606.75	653.10	665.00
17.	तमिलनाडु	साधारण	489.05	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
		बढ़िया	518.70	-	-
		उत्तम	548.30	-	-
2.	**धान का वसूली मूल्य**	साधारण	310.00	340.00	360.00
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बढ़िया	330.00	360.00	375.00
		उत्तम	350.00	380.00	395.00
3.	**गेंहू का वसूली मूल्य**		330.00	350.00	360.00
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				

विवरण-III

चीनी का क्रय मूल्य

लेवी चीनी के निकासी मूल्य गन्ने और रूपान्तरण लागत, आदि के लिए प्रदत्त किये जाने वाले सांविधित न्यूनतम मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। देश को कृषि-जलवायु की स्थिति पर आधारित बीस जोनों में बांटा गया है प्रत्येक जोन का लेवी चीनी का निकासी मूल्य भिन्न है (आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन वार्षिक रूप से अधिसूचित)

वर्ष-वार निकासी मूल्यों (वैगन सुपुर्दगी) की रेंज निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	चीनी वर्ष* पहली अक्तूबर-30 सितम्बर	निकासी मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)
1.	1993-94	651.55-902.13
2.	1994-95	748.25-943.12
3.	1995-96	825.81-1041.45

बौद्ध तीर्थस्थलों का विकास

2444. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुशीनगर के विकास हेतु भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ड.) सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ अभिनिर्धारित बौद्ध यात्रा परिपथों के विकास के लिए दिसम्बर, 1988 में जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओईसीएफ) के साथ एक आसान ऋण समझौता किया है। यह वित्तीय सहायता 7.76 बिलियन जापानी येन तक की है।

उत्तर प्रदेश में अभिनिर्धारित किए गए स्थान-सारनाथ, कुशीनगर, पिपरवाह और श्रावस्ती हैं। परियोजना के मुख्य घटक राष्ट्र और राज्य राजमार्गों को शक्ति प्रदान करना, स्थानीय सड़कों भू-दृश्यांकन को बढ़ावा देना, जल और विद्युत आपूर्ति का विकास करना तथा मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना है।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान कुशीनगर में एक रेस्तरां-व-प्रतीक्षालय को बनवाने के लिए 12.25 लाख रु. स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश वायुमार्ग ने बौद्ध परिपथों से जोड़ने के लिए कुशीनगर को मुख्य केन्द्रों में से एक दर्शाता है।

गैर-बासमती चावल

2445. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न गुणवत्ता वाले गैर-बासमती चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसलिए कम कीमत में बेचे जाते हैं क्योंकि इनकी देश में कम कीमत है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या देश में इन चावल के मूल्यों में वृद्धि की गई थी जबकि प्रतियोगी चावल निर्यातक देशों ने गत वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने चावल के मूल्य में कमी की है;

(ग) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान चावल निर्यात करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो निर्यात किए गए चावल की कुल मात्रा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) विभिन्न किस्मों, गुणवत्ता में अन्तर और निर्यात के लिए ग्रेडिंग और पैकेजिंग में अतिरिक्त खर्च होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय और आन्तरिक बाजारों में चल रहे मूल्यों की ठीक-ठीक तुलना करना सम्भव नहीं है

(ख) निर्यात-आयात नीति के अनुसार गैर-बासमती चावल का निर्यात किसी मात्रात्मक सीमा और न्यूनतम निर्यात मूल्य संबंधी प्रतिबन्धों के बिना किया जा सकता है। जहां तक निर्यात के प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा बढ़िया और उत्तम चावल के बिक्री मूल्य का संबंध है, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर इनमें समय - समय पर संशोधन किया गया था। पिछली बार 1.7.1996 से निर्यात बिक्री मूल्य में निम्नानुसार संशोधन किया गया था :-

बढिया/उत्तम चावल

पंजाब	-	7350 रूपये प्रति टन
हरियाणा	-	7300 रूपये प्रति टन
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	-	7200 रूपये प्रति टन
मध्य प्रदेश	-	7450 रूपये प्रति टन

(ग) से (ङ) 1995-96 के दौरान लगभग 55 लाख टन चावल का निर्यात करने से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। 1994-95 के दौरान देश से केवल 8.9 लाख टन चावल का निर्यात किया गया था।

हज के लिये उड़ानें

2446. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हज-तीर्थ यात्रा के लिये अतिरिक्त उड़ानें उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) क्या हज-तीर्थ यात्रा के लिये ऐसी उड़ानों में रियायत भी दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) हज, 1996 के दौरान हज-तीर्थ यात्रियों के परिवहन के लिए बंगलौर, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से सऊदी अरब जाने के लिए कुल 120 उड़ानें तथा वहां से वापसी के लिए 113 उड़ानें प्रचालित की गई थी।

सरकार द्वारा आने-जाने के लिए हज-तीर्थ यात्रा किराया 19,640.00 रूपये निश्चित किया गया था। जिसमें प्रति हज-तीर्थ यात्री 7640 रूपये की राजसहायता शामिल है।

[अनुवाद]

बिक्री कर/निगमित कर

2447. **श्री के. प्रधानी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार उपभोक्ता सोसाइटी को गत तीन वर्षों में बकाया 90 लाख रूपये के बिक्री कर/निगमित कर का भुगतान करने के लिये निर्देश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सुपर बाजार की कर योग्य आय कितनी-कितनी थी;

(घ) बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा क्या मांग की गई है; और

(ङ) इस विवाद की अद्यतन स्थिति क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सुपर बाजार दिल्ली ने सूचित किया है कि उसके बिक्री कर का निर्धारण 1992-93 तक तथा आय कर का निर्धारण 1993-94 तक पूरा कर लिया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि उनकी और कोई कर देयताएं बाकी नहीं हैं।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनकी कर योग्य आय नहीं है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने नीचे दिए अनुसार बिक्री कर का भुगतान किया है और उन्हें बिक्री कर प्राधिकारियों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष	भुगतान किया गया बिक्री कर
	(लाख रु. में)
1992-93	150.18
1993-94	182.24
1994-95	215.60

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में विमान पत्तन

2448. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में निर्माणाधीन नए विमान पत्तन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास

2449. **श्री ओ. पी. जिन्दल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की तुलना में पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की ही भांति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी संसद तथा राज्य विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों का 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में हैं।

2. लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को मानक में छूट के लाभ प्रदान किए जाते हैं जैसा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के मामले में हैं।

3. अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों के लिए सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दिए जा रहे 5 वर्षों के मुकाबले 3 वर्ष तक की वृद्धि की गई है।

4. सिविल सेवा परीक्षाओं के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, जो अन्यथा पात्र हैं, प्रयासों की संख्या में 7 तक की वृद्धि की गई है।

5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत एक आयोग अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है जैसा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मामले में हैं।

6. पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक कार्यकलापों का बढ़ावा देने और इन वर्गों के अधिक निर्धन समुदायों को कौशल विकास तथा स्वरोजगार उद्यमों में सहायता देने के लिए एक वित्तीय निगम अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) की स्थापना की गई है, जैसा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामलें में है।

7. सरकार ने अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग के नाम पर एक योजना कार्यान्वित की है, जैसा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का आबंटन

2450. **श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटिल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की कुल आबंटित मात्रा में से 50 प्रतिशत मात्रा की ही खरीद की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के कोटे को निर्धारित करने संबंधी प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 1995-96 में पहचान किए गए लगभग 1775 ब्लाकों, जिनमें, पहाड़ी, सूखा उन्मुख दूर-दराज, और आदिवासी क्षेत्र आते हैं, में सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटित किए गए लगभग 103.68 लाख टन गेंहू और चावल में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई गई मात्रा लगभग 43 लाख टन थी, इस प्रकार 1995-96 के दौरान संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटन के प्रति उठान लगभग 41.5 प्रतिशत था।

(ग) से (ङ) वर्तमान पद्धति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेंहू और चावल का आबंटन स्थानीय उपलब्धता, उत्पादन, उठान की प्रवृत्ति, सापेक्ष आवश्यकताओं आदि के अनुसार मास प्रति मास के आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और यह किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समस्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होता है। जहां तक संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, सामान्यतया प्रति परिवार प्रति मास 20 किलोग्राम की दर से आवंटन किया जाता है। इस प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

नई चीनी मिलों को लाइसेंस देना

2451. **श्री आस्कर फर्नान्डीज** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और अब तक कर्नाटक सरकार से नई चीनी मिलों और इसके विस्तार हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग कितने आवेदन स्वीकृत किये गये;

(ग) इनमें से कितने आवेदन लंबित हैं और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1994 तथा 1995 (जनवरी से दिसम्बर) के दौरान आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के माध्यम से 56 आवेदन पत्र नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए तथा 9 आवेदन वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए प्राप्त हुए। नई चीनी मिलों हेतु 56 आवेदनों में से 15 को मंजूरी दी गई है तथा विस्तार हेतु सभी 9 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) 30.6.1996 तक नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के माध्यम से प्राप्त 13 आवेदन खाद्य मंत्रालय की जांच समिति के विचारार्थ लम्बित थे।

इस समय, इस संबंध में कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

गेहूं, चावल और चीनी की कालाबाजारी

2452. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

श्री छीतू भाई गामीत :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार अच्छी किस्म के गेहूं, चावल व चीनी की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए उचित दर के दुकानदारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई;

(ग) कालाबाजारी करने पर पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किये जाने का विचार है; और

(घ) इस प्रकार की कालाबाजारी को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण एक विशाल कार्य है, जिसके अंतर्गत देशभर में लाखों मी.टन खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल का वितरण किया जाता है और इस प्रकार इसमें जहां-तहां थोड़ी बहुत कमियां होने से इंकार

नहीं किया जा सकता है। गेंहू, चावल तथा चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी की कुछ घटनाएं भी सरकार के ध्यान में आई हैं। तथापि, यह विभाग उचित दर दुकान के दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बरती गई ऐसी अनियमितताओं की तफ्सील नहीं रखत है। यह माना जाता है कि ये तफ्सील संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखी जा रही है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की संचलानात्मक जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है।

(ग) और (घ) कदाचारों को रोकने का कार्य एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें कदाचारों को कारगर ढंग से रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1988 बनाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के उपयुक्त वितरण तथा उसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को लागू करने की संचलानत्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रवर्तन कार्रवाई को मानीटर करती है और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत वस्तुओं में कदाचारों/चोरबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा इसी प्रकार के कानूनों के तहत कार्रवाई तेज करने हेतु समय-समय पर सलाह देती है। इस विषय पर केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों को एक पत्र भेजा है, जिसमें उनसे उनके प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय बनाने तथा चोरबाजारी आदि के मामलों पर, जैसे ही उनके ध्यान में आए, तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

डाक विभाग के विभागेत्तर एजेंट

2453. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक के विभागेत्तर एजेंटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को डाक के विभागेत्तर एजेंटों की ओर से उनकी सेवाओं को नियमित किए जाने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने के प्रस्ताव हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में, 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों की कुल संख्या 79,958 हैं।

(ख) और (ग) जी हां। इस कार्यालय में ऐसे अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों सहित अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं को नियमित बनाने और उनकी सेवा-शर्तों अर्थात् छुट्टी की मंजूरी, वेतनमान, वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि में सुधार करने की मांग की गयी है।

(घ) उपर्युक्त (ख) में जिन ज्ञापनों का उल्लेख किया गया है उन पर समय-समय पर विचार किया गया तथा जहां व्यवहार्य समझा गया, सुधार किये गये। न्यायमूर्ति तलवार की अध्यक्षता में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है। इस प्रक्रिया के चलते अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अंतरिम राहत की दो किस्तें मंजूर की गयी हैं। हाल में एक्स-ग्रेशिया ग्रेच्युटी की राशि को 6000 रु. तक बढ़ाया गया है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को अदा किये जाने वाले संयुक्त ड्यूटी भत्ते में और स्टेशनरी एलाउंस में भी अनेक अन्य सुधार किये गये हैं। ग्रुप "डी" के विभागीय संवर्ग में शत-प्रतिशत रिक्त पद तथा बाहरी उम्मीदवारों के लिए विभागीय पोस्टमैन संवर्ग में निर्धारित 50 प्रतिशत पद भी वरिष्ठतम पात्र ईडी एजेंटों को दिये गये हैं। इस प्रकार जो ईडी एजेण्ट विभागीय ग्रुप डी और पोस्टमैन संवर्ग में भर्ती हो जाता है, वह विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं और अधिकारों का पात्र बन जाता है। हालांकि, अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में कार्यभार प्रतिदिन 2 से 5 घंटे के बीच होता है जब कि विभागीय डाकघर पूरे 8 घंटे कार्य करते हैं। इस बात को तथा अन्य संबंधित पहलुओं अर्थात् कार्यात्मक और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों सहित सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं को नियमित बनाना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

गुड़गांव में भारतीय स्वास्थ निगम का प्रशिक्षण परिसर

2454. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या स्वास्थ मंत्री 23 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4064 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्वास्थ निगम के गुड़गांव स्थित प्रशिक्षण परिसर को दिसम्बर, 1995 तक पूरा न कर पाने और शुरू न कर सकने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा;

(ग) मंत्रालय, नई दिल्ली के ईस्ट आफ कैलाश में भारतीय स्वास्थ निगम को 14 वर्ष पूर्व पट्टा डीड के समाप्त होने के बाद भी उसके कब्जे वाली परिसम्पत्ति के मालिकों को हुए घाटे कि किस प्रकार क्षतिपूर्ति करेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और उपरोक्त परिसम्पत्ति को खाली करने में हुए अनावश्यक

विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा अपने वायदों को पूरा करने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) प्रारम्भिक अनुमान तैयार करते समय परामर्शदाता नामत: मैसर्स सी0पी0डब्ल्यूडी0 कंसलटेंसी सर्विसिज ने सभी ढांचों के लिए सामान्य गहराई की परिकल्पना की थी। तथापि, मिट्टी की परवर्ती जांच से पता चला था कि निचली धारण क्षमता में मिट्टी के मिल जाने से उपर्युक्तानुसार परिकल्पित गहराई पर्याप्त नहीं होगी। अत: परामर्शदाताओं को मजबूत नींव बनानी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के सभी भवनों के उप-ढांचों के निर्माण-कार्य की मात्रा में काफी वृद्धि हो गई है। सी0पी0डब्ल्यू. डी0 कंसलटेंसी सर्विसिज एक ही बार में परियोजना के दायरे में आने वाले विभिन्न भवनों और सर्विसिज के लिए विस्तृत अनुमान और संरचना-आरेखन प्रस्तुत नहीं कर सका। इसकी वजह से आवश्यक हो गया कि परियोजना के निर्माण-कार्य को विभिन्न चरणों के अन्तर्गत किया जाए। उपर्युक्त दोनों तथ्यों के परिणामस्वरूप कार्य पूरा होने की पूर्व में निर्धारित की गई दिसम्बर, 1995 की तारीख को भी आगे बढ़ाना पड़ा।

(ख) उपर्युक्त निर्माण-कार्य के पूरा होने की संशोधित तारीख 31 दिसम्बर, 1996 है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम की नीति के अनुसार संशोधित/नए लीज़ करार लागू होने के अध्यधीन मालिकों को 1.6.1992 से किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की पेशकश दी गई है।

(घ) इस मामले की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के गांवों में नए डाकघर खोलना

2455. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिलावार कितने डाकघर किराये के भवनों में चल रहे हैं:

(ख) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मध्य प्रदेश डाक सर्किल में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों का जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1996-97 के दौरान नए डाकघर खोलने के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं0	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	विगौडी जिला सतना
2.	चिंदा, जिला छिंदवाड़ा
3.	डबगावन, जिला रीवां
4.	कुलचूर, जला बालाघाट
5.	गरहूपरोरा, जिला बिलासपुर
6.	दौकापा, जिला बिलासपुर
7.	परसाडा, जिला बिलासपुर
8.	एसबेडा, जिला बस्तर

विवरण

मध्य प्रदेश में किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघर	
		प्रधान डाकघर	उप-डाकघर
1	2	3	4
1.	बालाघाट	-	22
2.	बस्तर	-	41
3.	बेतूल	-	17
4.	भिन्ड	-	17
5.	भोपाल	1	48
6.	बिलासपुर	1	73
7.	छतरपुर	-	20
8.	छिंदवाड़ा	-	25
9.	दामोह	-	15
10.	दतिया	-	8
11.	देवास	-	13
12.	धार	-	13

1	2	3	4
13.	दुर्ग	1	48
14.	गुना	-	18
15.	ग्वालियर	-	38
16.	होशंगाबाद	-	22
17.	इन्दौर	-	56
18.	जबलपुर	-	80
19.	छाबुआ	1	18
20.	खांडवा	-	32
21.	खारगौन	-	23
22.	मांडला	-	14
23.	मंदसौर	-	35
24.	मुरैना	-	13
25.	नरसिंहपुर	-	16
26.	पन्ना	-	12
27.	रायगढ़	-	27
28.	रायपुर	-	51
29.	रायसेन	-	13
30.	राजगढ़ (बिओरा)	-	13
31.	राजनन्दगांव	1	15
32.	रतलाम	-	25
33.	रीवा	-	36
34.	सागर	-	41
35.	सतना	1	25
36.	सिहोर	-	13
37.	सिओनी	-	18
38.	सहडोल	-	32
39.	शाजापुर	-	17
40.	शिवपुरी	-	17
41.	सिधी	-	18
42.	सरगोजा (अम्बिकापुर)	-	32
43.	टीकमगढ़	-	18
44.	उज्जैन	-	30
45.	बिदिशा	-	14
	कुल :	06	1192

उड़ीसा में टी0वी0 ट्रांसमीटर

2456. **कुमारी क्रिशा तोपनो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में हेनगीर और बरगांव में कम शक्ति/उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और राउरकेला में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का राज्य को डीडी-2 सुविधाएं देने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम): (क) से (ग) वर्तमान में उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के हेनगिर और बरगांव में टी.वी. ट्रांसमीटर अथवा राउरकेला में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीमें नहीं हैं। क्षेत्र में टी वी सेवा में और वृद्धि करने की दृष्टि से सम्बलपुर में मौजूदा उच्च शक्ति (1 कि.वा.) ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (10 कि.वा.) ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के 1997 के दौरान तैयार हो जाने की संभावना है। सेवा हेतु चालू हो जाने के पश्चात् संबलपुर स्थित उच्च शक्ति (10 कि.वा.) ट्रांसमीटर द्वारा हेनगिर को टी वी सेवा प्रदान करने की संभावना है बशर्ते कि भूभागीय परिस्थिति अनुकूल हो, जबकि बरगांव को इस ट्रांसमीटर से सीमावर्ती सेवा प्राप्त होने की सम्भावना है। उड़ीसा सहित देश के अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में टी वी सेवा का और विस्तार इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ड.) मैट्रो चैनल (डीडी-2) सेवा को रिले करने के लिए भिन्न-भिन्न शक्तियों के 7 टी वी ट्रांसमीटर उड़ीसा में पहले ही कार्यरत हैं। राज्य में मैट्रो चैनल (डीडी-2) सेवा को रिले करने के लिए वर्तमान में अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

पर्यटन संवर्धन के लिये जारी धनराशि

2457. **श्री के. सी. कोंडय्या** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के हम्पी और होस्पेट में पर्यटन संवर्धन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) हम्पी और होस्पेट जिलों में पर्यटन संवर्धन के लिये 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि जारी करने का विचार है; और

(ग) होस्पेट और बेलारी जिलों में 1996-97 के दौरान विदेशी तथा चालू पर्यटकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बेलारी-होस्पेट के मध्य थोरांगल में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के निर्माण के लिए 13.00 लाख रु. प्रदान किए हैं।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए, हास्पेट में एक यात्री निवास के निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप से 30.00 लाख रु. की राशि के लिए सहमत हो गए हैं।

(ग) ये सुविधाएं विदेशी पर्यटकों और घरेलू पर्यटकों दोनों के लिए हैं।

[हिन्दी]

लेवी चीनी मूल्य

2458. **श्री सुखलाल कुशवाहा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों ने लेवी चीनी का मूल्य बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं पर इस मूल्य वृद्धि का पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सांविधिक न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन के अनुरूप लेवी चीनी के निकासी मूल्य में प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाता है। सा. का नि. सं. 209 (अ.) दिनांक 14.5.96 द्वारा लेवी चीनी के निकासी मूल्य में 1.10.95 से संशोधन किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है। अतः उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

कारखाने से 5 किलोमीटर की दूरी तक अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में भा.ची.मा. श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार रेल डिब्बों में परिदान की दशा में (प्रति क्विंटल रुपयों में) कीमतें (उत्पाद शुल्क रहित)

क्रम सं.	जोन	शर्करा के भारतीय शर्करा मानक ग्रेड
1.	आंध्र प्रदेश	939.30
2.	असम, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	1041.45
3.	बिहार (उत्तरी) @	942.26
4.	बिहार (दक्षिणी) @	1036.27
5.	गुजरात (दक्षिणी)	853.71
6.	गुजरात (सौराष्ट्र)	942.50
7.	हरियाणा	863.13
8.	उत्तर पश्चिमी कर्नाटक	852.62
9.	शेष कर्नाटक	891.23
10.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	933.32
11.	मध्य प्रदेश	982.93
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	849.25
13.	महाराष्ट्र (उत्तरी)	874.84
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	825.81
15.	पंजाब	872.61
16.	राजस्थान	946.96
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	938.95
18.	उत्तर प्रदेश (मध्य)	882.60
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	940.07
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	900.19

@ = उत्तरी और दक्षिणी बिहार जोनों के लिए मूल्य क्रय कर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अध्यधीन है। यदि बिहार के उपर्युक्त जोनों में फैक्टियों से कोई धनराशि वसूल की जानी है तो संबंधित फैक्टियों द्वारा उक्त धनराशि चीनी मूल्य समीकरण निधि में जमा करनी होगी। जहां स्टेशन फैक्ट्री से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है प्रति क्विंटल 0.13 रूपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

विवरण-II

अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में भा. ची. मा. श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार कारखाने से 5 किलोमीटर की दूरी तक क्रेता की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधानों से कारखाने के द्वार पर/कारखाने के गोदाम में, परिदान की दशा में (प्रति क्विंटल रूपये में) कीमतें (उत्पाद शुल्क रहित)

क्रम सं.	जोन	शर्करा के भारतीय शर्करा मानक ग्रेड
1.	आंध प्रदेश	937ण73
2.	असम, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	1039.88
3.	बिहार (उत्तरी) @	940.69
4.	बिहार (दक्षिणी) @	1034.70
5.	गुजरात	852.14
6.	गुजरात (सौराष्ट्र)	940.13
7.	हरियाणा	861.56
8.	उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक	851.05
9.	शेष कर्नाटक	889.66
10.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	931.75
11.	मध्य प्रदेश	981.36
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	847.68
13.	महाराष्ट्र (उत्तरी)	873.27
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	824.24
15.	पंजाब	871.04
16.	राजस्थान	945.39
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	937.38
18.	उत्तर प्रदेश (मध्य)	881.03
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	938.50
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	898.62

@ = उत्तरी और दक्षिणी बिहार जोनों के लिए मूल्य क्रयकर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अध्यधीन है। यदि बिहार में उपर्युक्त जोनों में फैक्टियों से कोई धनराशि वसूल की जानी है तो संबंधित फैक्टियों द्वारा उक्त धनराशि चीनी मूल्य समीकरण निधि में जमा करनी होगी।

[अनुवाद]

धार्मिक अल्पसंख्यक

2459. **श्री ई. अहमद** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की कुल संख्या राज्यवार कितनी है और उसका संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने धार्मिक समुदायों विशेष रूप से मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्तर का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुसलमानों का सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत अन्य समुदायों की तुलना में बहुत ही कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) एक विवरण-I है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी नहीं। राज्य/संघ राज्य और केन्द्रीय पुलिस बलों में विभिन्न समुदायों के धर्मवार प्रतिनिधित्व से संबंधित विवरण-II और III के रूप में संलग्न है।

(च) सरकार ने अल्पसंख्यकों का जिसमें मुस्लिम् शामिल हैं, समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के/उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं। वे इस प्रकार हैं :-

(1) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में भर्ती के मामलों में अल्पसंख्यकों को पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया जाता है।

(2) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समूह ग और घ सेवाओं के मामले में दस अथवा अधिक रिक्त पदों के संबंध में भर्ती के उद्देश्य से गठित चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को मनोनित करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं।

(3) कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में अल्पसंख्यकों की भर्ती के पहलू को तिमाही के आधार पर मानिटर करता है। गृह मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस सेवाओं में भर्ती का मानिटर करता है।

(4) अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए कल्याण मंत्रालय और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(5) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया था।

विवरण-I

भारत की कुल जनसंख्या- 1991 की जनगणना-राज्यवार आंकड़े

राज्य	कुल जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल न्यूनतम जनसंख्या	न्यूनतम जनसंख्या की प्रतिशतता
आंध प्रदेश	66,508.008	59,281.950	5,923,954	1,216,348	21,910	22,153	439	71,84,804	10.80
		(89.14%)	(8.91%)	(1.83%)	(0.03%)	(0.03%)			
अरूणाचल प्रदेश	864,558	320,212	11,922	89,013	1,205	111,372	-	2,13,512	24.70
		(37.04%)	(1.38%)	(10.29%)	(0.14%)	(12.88%)			
असम	22,414,322	15,047,293	6,373,204	744,367	16,492	64,008	4	71,98,075	32.11
		(67.13%)	(28.43%)	(3.32%)	(0.07%)	(0.29%)			
बिहार	86,374,465	71,193,417	12,787,985	843,717	78,212	3,518	185	1,37,13;617	15.88
		(82.42%)	(14.81%)	(0.98%)	(0.09%)	-			
गोवा	1,169,793	756,621	61,455	349,225	1,087	240	47	4,12,054	35.22
		(64.68%)	(5.25%)	(29.86%)	(0.09%)	(0.02%)			
गुजरात	41,309,582	36,964,228	3,606,920	181,753	33,044	11,615	12,924	38,46,256	9.31
		(89.48%)	(8.73%)	(0.44%)	(0.08%)	(0.03%)			
हरियाणा	16,463,648	14,686,512	763,775	15,699	956,836	2,058	-	17,38,368	10.56
		(89.21%)	(4.64%)	(0.10%)	(5.81%)	(0.01%)			
हिमाचल प्रदेश	5,170,877	4,958,560	89,134	4,435	52,050	64,081	37	2,09,737	4.06
		(95.90%)	(1.72%)	(0.09%)	(1.01%)	(1.24%)			
कर्नाटक	44,977,201	38,432,027	5,234,023	859,478	10,101	73,012	568	61,77,182	13.73
		(85.45%)	(11.64%)	(1.91%)	(0.02%)	(0.16%)			

राज्य	कुल जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल न्यूनतम जनसंख्या	न्यूनतम जनसंख्या की प्रतिशतता
केरल	29,098,518	16,668,587 (57.28%)	6,788,364 (23.33%)	5,621,510 (19.32%)	2,224 (0.01%)	223	205	1,24,12,526	42.66
मध्य प्रदेश	66,181,170	61,412,898 (92.80%)	3,282,800 (4.96%)	426,598 (0.65%)	161,111 (0.24%)	216,667 (0.33%)	92	40,87,260	6.18
महाराष्ट्र	78,937,187	64,033,213 (81.12%)	7,628,755 (9.67%)	885,030 (1.12%)	161,184 (0.21%)	5,040,785 (6.39%)	60,501	1,37,76,255	17.45
मणिपुर	1,837,149	1,059,470 (57.67%)	133,535 (7.27%)	626,669 (34.11%)	1,301 (0.07%)	711 (0.04%)	-	7,62,216	41.49
मेघालय	1,774,778	260,306 (14.67%)	61,462 (3.46%)	1,146,092 (64.58%)	2,612 (0.15%)	2,934 (0.16%)	13	12,13,113	68.35
मिजोरम	689,756	34,788 (5.05%)	4,538 (0.66%)	591,342 (85.73%)	299 (0.04%)	54,024 (7.83%)	-	6,50,203	94.27
नागालैंड	1,209,546	122,473 (10.12%)	20,642 (1.71%)	1,057,940 (87.47%)	732 (0.06%)	581 (0.05%)	-	10,79,895	89.28
उड़ीसा	31,659,736	29,971,257 (94.67%)	577,775 (1.83%)	666,220 (2.10%)	17,296 (0.05%)	9,153 (0.03%)	10	12,70,454	4.01
पंजाब	20,281,969	6,989,226 (34.46%)	239,401 (1.18%)	225,163 (1.11%)	12,76,697 (62.95%)	24,930 (0.12%)	30	1,32,57,221	65.36
राजस्थान	44,005,990	39,201,099 (89.08%)	3,535,339 (8.01%)	47,989 (0.11%)	649,174 (1.48%)	4,467 (0.01%)	-	42,26,969	9.61
सिक्किम	406,457	277,881 (68.37%)	3,849 (0.95%)	13,413 (0.30%)	375 (0.09%)	110,371 (27.15%)	15	1,28,008	31.49
तमिलनाडु	55,858,946	49,532,052 (88.67%)	3,052,717 (5.47%)	3,179,410 (5.69%)	5,449 (0.01%)	2,128 -	153	62,39,857	11.17
त्रिपुरा	2,757,205	2,384,934 (86.50%)	196,495 (7.13%)	46,472 (1.68%)	740 (0.03%)	128,260 (4.65%)	-	3,71,967	13.49
उत्तर प्रदेश	139,112,287	113,712,829 (81.74%)	24,109,684 (17.33%)	199,575 (0.14%)	675,775 (0%)	221,433 (0.16%)	3892	2,52,06,856	18.12

राज्य	कुल जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल न्यूनतम जनसंख्या	न्यूनतम जनसंख्या की प्रतिशतता
पश्चिम बंगाल	68,077,965	50,866,624 (74.72%)	16,075,836 (23.61%)	383,477 (0.56%)	55,392 (0.08%)	203,578 (0.30%)	512	1,67,18,795	24.56
संघ राज्य क्षेत्र									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	280,661	189,521 (67.53%)	21,354 (7.61%)	67,211 (23.95%)	1,350 (0.48%)	322 (0.11%)	3	90,240	32.15
चंडीगढ़	642,015	486,895 (75.84%)	17,477 (2.72%)	5,030 (0.78%)	130,288 (20.29%)	699 (0.11%)	9	1,53,503	23.91
दादरा व नगर हवेली	138,477	132,213 (95.48%)	3,341 (2.41%)	2,092 (1.51%)	20 (0.01%)	200 ((0.15%)	78	5,731	4.14
दमन व दीव	101,586	89,153 (87.76%)	9,048 (8.91%)	2,904 (2.86%)	101 (0.01%)	31 (0.03%)	123	12,207	12.02
दिल्ली	9,420,644	7,882,164 (83.67%)	889,641 (9.44%)	83,152 (0.88%)	455,657 (4.84%)	13,906 (0.15%)	41	14,42,397	15.31
लक्ष्यद्वीप	51,707	2,337 (4.52%)	48,765 (94.31%)	598 (1.16%)	1 -	1 -	1	49,366	95.47
पांडिचेरी	807,785	695,981 (86.16%)	52,362 (6.54%)	58,362 (7.23%)	29 -	39 (0.01%)	3	1,11,300	13.78

विवरण-II

केन्द्रीय पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण (रैंकवार और धर्मवार)

क्र0सं0	केन्द्रीय पुलिस संगठनों के नाम	रैंकवार/धर्मवार	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	अन्य	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सीमा सुरक्षा बल								
	(31.12.95)	राजपत्रित	2214	52	42	294	1	2603	
		अ. रा. प.	158147	8072	3732	6658	257	176866	
		कुल	160361	8124	3774	6952	258	179469	10.6

क्र0सं0	केन्द्रीय पुलिस संगठनों के नाम	रैंकवार/धर्मवार	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	अन्य	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	केन्द्रीय	राजपत्रित	537	16	18	35	1	607	
	औद्योगिक	अ.रा.प	71392	3436	2463	2869	157	80317	
	सुरक्षा बल	कुल	71929	3452	2481	2904	158	80924	11.1
	(31.12.95)								
3.	केन्द्रीय रिजर्व	राजपत्रित	1566	81	65	145	3	1860	
	पुलिस बल	अ.रा.प.	142490	8873	4094	5407	229	161093	
	(31.12.95)	कुल	144056	8954	4159	5552	232	162953	11.5
4.	भारत तिब्बत	राजपत्रित	483	7	6	39	6	541	
	सीमा पुलिस	अ.रा.प	25965	612	256	1224	307	28304	
		कुल	26448	619	262	1263	313	28905	8.2
		कुल योग	402794	21149	10676	16671	961	452251	10.9

विवरण-III

मद सं0 8 के नीचे राज्य पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण(रैंकवार और धर्मवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हिन्दू	मुस्लिम	सिख	ईसाई	अन्य	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश(1.4.95) की स्थिति के अनुसार	51449	11438	181	1967	-	65035	20.9
2.	अरुणाचल प्रदेश (31.12.95)	4034	49	14	40	22	4159	3.0
3.	असम (31.12.95)	38944	4812	43	763	4	44566	12.6
4.	बिहार	----------			NF		----------	
5.	गोवा (31.12.95)	2675	65	-	346	-	3086	13.4
6.	गुजरात (31.3.95)	55873	3787	141	289	58	60148	7.1
7.	हरियाणा (30.9.95)	28655	399	1156	27	-	30237	5.2
8.	हिमाचल प्रदेश (30.9.95)	10981	177	194	5	80	11437	4.0
9.	जम्मू व कश्मीर (31.3.95)	9050	17946	1566	93	2142	30797	70.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	कर्नाटक (30.6.95)	40308	4308	3	1018	69	45706	11.8
11.	केरल (30.6.95)	28259	4008	-	6915	-	39182	27.9
12.	हिमाचल प्रदेश (31.12.95)	83621	3639	206	1345	105	88916	5.9
13.	महाराष्ट्र (30.9.95)	130420	7542	89	1204	8	139263	6.3
14.	मेघालय (1.4.94)	956	179	4	4229	1784	7152	86.6
15.	मणिपुर (30.9.95)	7802	1082	-	2563	-	11447	31.8
16.	मिजोरम (30.9.95)	771	40	40	5750	19	6620	88.3
17.	नागालेंड (31.3.94)	1721	122	57	639	-	2539	32.2
18.	उड़ीसा (30.3.95)	20915	1718	98	1257	-	29988	10.2
19.	पंजाब (31.12.95)	17333	345	50226	478	-	68382	74.6
20.	राजस्थान (30.9.95)	54653	3248	330	33	4	58268	6.2
21.	सिक्किम (30.9.95)	2003	2	3	78	832	2918	31.3
22.	तमिलनाडु (30.9.95)	62540	4084	-	7378	76	74078	15.5
23.	त्रिपुरा (30.9.95)	9451	287	2	130	86	9956	5.0
24.	उत्तर प्रदेश (31.12.94)	152903	8543	188	94	-	161728	5.4
25.	पश्चिम बंगाल (30.6.95)	73418	2441	18	236	322	76435	3.9
	संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार (30.9.95)	1709	143	57	685	-	2594	34.1
2.	चंडीगढ़ (30.9.95)	2390	25	1606	24	-	4045	40.9
3.	दादर व नगर हवेली (30.9.95)	223	6	-	-	-	229	2.6
4.	दमन व दीव (30.9.95)	191	6	1	44	-	242	21.0
5.	दिल्ली (30.9.95)	47014	1450	947	503	3	49917	5.8
6.	लक्ष्यद्वीप (30.9.95)	143	180	-	13	-	336	57.6
7.	पांडिचेरी (30.9.95)	1696	68	-	130	-	1894	10.2
	कुल :	948101	82139	57170	38276	5614	1131300	16.1

भविष्य निधि

2460. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में वर्षवार कर्मचारियों और श्रमिकों के भविष्य निधि के लिए कुल कितनी राशि एकत्रित की गई;

(ख) क्या ब्याज कमाने के उद्देश्य से इसमें अधिकांश राशि का निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को भविष्य निधि मामलों के निपटान के विलंब के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम0 अरुणाचलम) : (क) 1992-93 से 1994-95 के दौरान समूचे देश में नियोजकों और कर्मकारों से वसूल की गई क.भ.नि.की कुल राशि निम्नानुसार थी :-

वर्ष	वसूल की गई कुल भविष्य निधि (करोड़ रु. में)
1992-93	4666.42
1993-94	4954.85
1994-95	5076.89

(ख) और (ग) जी, हां। वसूल किये गये अंशदान लेकिन लाभानुभोगियों के बीच तत्काल वितरण के लिए अपेक्षित नहीं, को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्वरूप अनुसार निवेश किया जाता है। 1992-93 से 1994-95 के दौरान, क.भ.नि. संगठन द्वारा 14319.86 करोड़ रुपये का निवेश कराया गया।

(घ) से (च) भविष्य निधि दावों, परिवार पेंशन दावों, भविष्य निधि में संचित राशि के अन्तरण, अग्रिम राशियों के भुगतान, लेखों के वार्षिक स्टेटमेन्ट के मुद्दों आदि के निपटान के संबंध में याचिकायें/शिकायतें है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ऐसी सभी सार्वजनिक शिकायतों/याचिकाओं के निपटान के लिए पहले ही सार्वजनिक शिकायत सुनवाई प्रणाली विद्यमान है। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को त्वरित सेवा मुहैया कराने के लिए, क.भ.नि. संगठन में एक व्यापक कंम्यूटरीकरण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

तिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

2461. **श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुअनंतपुरम विमानपत्तन को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किये जाने के पश्चात् से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्तमान में उक्त विमानपत्तन से कितनी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या विमानपत्तन से और अधिक विमान सेवाएं शुरू करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर, बेहतर सामान हैंडलिंग, सुधरी हुई यात्री सुविधाएं संरक्षा उपस्कर आदि जैसी मूल सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। मुख्य धावनपथ के विस्तार, अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में सुधार, प्रिंसिपल एप्रोच लाइटिंग स्थापित करने आदि का कार्य चल रहा है।

(ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के अतिरिक्त पांच विदेशी विमान कंपनियां अर्थात् कुवैत एयरवेज, गल्फ एयर, एयर मालदिव्स, एयर लंका और ओमान एयर त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से प्रति सप्ताह 75 उड़ानें प्रचालित करती हैं।

(ग) और (घ) अतिरिक्त सेवाओं के लिए मांग समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। एयरलाइनों द्वारा हवाई सेवाओं की वाणिज्यिक साध्यता, विमान, क्षमता, विशेष मार्गों पर यातायात अधिकारों इत्यादि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर नयी सेवाएं आरंभ की जाती हैं।

सामाजिक विकास योजना

2462. **श्री अंचल दास** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों की खोज से जुड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा श्रमिकों के लिए आरंभ की गयी स्थानीय सामाजिक विकास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर उड़ीसा के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विकास कार्यक्रमों के संबंध में कोई

सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशि

2463. **श्री रावसाहब** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना किसानों को लगभग 900 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों ने बकाया राशि का भुगतान विकास पत्रों द्वारा किए जाने का विरोध करते हुए नगद भुगतान की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो गन्ना किसानों को नकद भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बैंच) ने 1996 की रिट याचिका संख्या 1720 (एम.बी.) वी. एम. सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के बारे में अन्तरिम आदेश पारित करते हुए उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त को यह निदेश दिया है कि वे जिला गन्ना अधिकारियो के जरिए करार के अनुसार चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले अपेक्षित गन्ने के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करें और गन्ना उत्पादकों/गन्ना उत्पादकों की सोसाइटी को इसका 15 दिनों के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करें। किसी विशिष्ट राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि एक जिला अधिकारी द्वारा विकास पत्रों के जरिए गन्ने की बकाया राशि का भुगतान किए जाने पर जोर देने के संबंध में समाचार पत्रों में छपी शिकायतों के प्रत्युत्तर में एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें निदेश दिया गया है कि ऐसी कोई शर्त लागू न की जाए।

मदुरै में पुराने दूरभाष केन्द्र

2464. **श्री ए. जी. एस. राम बाबू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै में पुराने दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इनके स्थान पर इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) दूरभाष कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं तथा ग्राहकों को कब तक कनेक्शन दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या और अधिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने तथा दूरभाष क्षेत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दो

(ख) जी हां।

(ग) इन्हें 1997-98 के दौरान, इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की योजना है।

(घ) 30.6.96 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 9112 है और वर्तमान प्रतीक्षा सूची 1996-97 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

(ङ) जी हां।

(च) 1996-97 के दौरान, मदुरै में निम्नलिखित नए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने/उनका विस्तार किए जाने की योजना है।

(ज) नई प्रौद्योगिकी वाला 10000 लाइनों का एक्सचेंज (ई डब्ल्यू एस डी) ई-10 बी इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज का 3000 लाइनों द्वारा विस्तार।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के शाखा पोस्ट मास्टर के संबंध में निर्णय

2465. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्थान में डाक विभाग के शाखा पोस्ट मास्टरों के संबंध में केन्द्रीय विवाचन न्यायाधिकरण (सेंट्रल अर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल) ने कितने निर्णय

दिए हैं;

(ख) क्या सभी निर्णयों को अब तक लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1995-96 के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (विवाचन नहीं) जयपुर और जोधपुर पीठों ने राजस्थान में विभागेत्तर शाखा पोस्टमास्टरों के संबंध में 15 निर्णय दिए हैं।

(ख) उपरोक्त 15 निर्णयों में से 9 को कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ग) कार्यान्वित किए गए निर्णयों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ओ.ए.संख्या		अभ्यर्थी का नाम	अधिकरण का नाम
1.	534/94	छोटू सिंह बनाम भारत सरकार	जयपुर
2.	229/93	ईश्वर लाल बनाम भारत सरकार	जोधपुर
3.	426/94	दयाल सिंह बनाम भारत सरकार	जयपुर
4.	148/95	जगदीश चन्द्र बनाम भारत सरकार	जोधपुर
5.	152/95	नेमीचंद बनाम भारत सरकार	जोधपुर
6.	28/92	मुरारी लाल बनाम भारत सरकार	जयपुर
7.	294/94	के.सी. शर्मा बनाम भारत सरकार	जयपुर
8.	317/93	डी. के. खटीक बनाम भारत सरकार	जयपुर
9.	351/95	भन्नार लाल बनाम भारत सरकार	जयपुर

(घ) चूंकि शेष छः निर्णय इस विभाग के पक्ष में हुए थे, अतः उन्हें लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा

2466. **श्री राजू राणा :**

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन हवाई अड्डों पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा है;

(ख) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार का विचार कुछ और हवाई अड्डों पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा उपलब्ध करवाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) रात्रि अवतरण सुविधाएं निम्नलिखित हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं : अगरतला, अमृतसर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, भोपाल, बंगलौर, भुवनेश्वर, कालीकट, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, मदुरै, मंगलौर, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, त्रिची, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, डिब्रूगढ़, दीमापुर, इम्फाल, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और तिरुवनन्तपुरम।

(ख) और (ग) जी, हां। असम में लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाओं का प्रावधान आरंभ कर दिया गया है।

कम्पेनियन फ्री स्कीम

2467. **श्री सुरेश कलमाडी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ''कम्पेनियन फ्री स्कीम'' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) किन-किन स्थानों के लिए सह यात्री हेतु मुफ्त टिकट उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) एयर इंडिया द्वारा अन्य किन-किन रियायती योजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) जी, हां। यह स्कीम भारत/यूरोप तथा भारत/यू.के. सेक्टरों पर प्रथम श्रेणी तथा एक्जीक्यूटिव श्रेणी के किराया देने वाले यात्रियों पर लागू है बशर्ते कि यात्री और उसका साथी दोनों एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं और भारत से यात्रा साथ-साथ करते हैं। यह स्कीम 31 अगस्त, 1996 तक लंदन, मैनचेस्टर, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एम्सटर्डम, जिनेवा तथा रोम के लिए उपलब्ध है और यह विद्यमान प्रोत्साहन स्कीमों यथा फ्रीक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राम आदि के अलावा है।

[हिन्दी]

एन. एम. डी. सी. में जल प्रदूषण

2468. **श्री महेन्द्र कर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एन. एम. डी. सी. डिपोजिट नं. 5 और डिपोटिज नं. 14 में लौह अयस्क का खनन किए जाने के कारण जल प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में जमीन पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित हुई है; और कितने किसान प्रभावित हुए हैं;

(ग) अब तक कितने किसानों को उनकी जमीन के प्रदूषित होने के लिए मुआवजा दिया गया है और कितने किसानों को अभी मुआवजा दिया जाना है; और

(घ) जल-प्रदूषण को स्थाई रूप से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) (क) एन. एम. डी. सी. द्वारा निक्षेप 14 और निक्षेप -5 में लौह अयस्क के खनन के कारण बोर्ड जल प्रदूषण नहीं हो रहा है। तथापि, पछोड़न बांध के ऊपरी प्रवाह में किरन्दुल नाले के ओवरफ्लो तथा तटबंधों के टूटने के बाद बचेली क्षेत्र में नाला नं. 25 के कारण कुछ कृषि भूमि प्रदूषित हुई है।

(ख) प्रभावित गांवों और कृषकों की संख्या और पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्रभावित निजी भूमि निम्नानुसार है :

परियोजना	गांवों की संख्या	प्रभावित कृषकों की संख्या	कुल प्रभावित निजी भूमि
बैलाडिला-14/11-सी	2	17	35.42 एकड़
बैलाडिला-5	1	22	15.00 एकड़

(ग) बैलाडिला निक्षेप-5 बचेली में जिन कृषकों की भूमि गाद के कारण प्रभावित हुई थी, को एन.एम.डी.सी. में स्थायी नौकरी दी गयी है। (शेष कृषकों के संबंध में) बचेली में 16 और किरन्दुल में 17 कृषकों के लिए आर्थिक मुआवजा देने के संबंध में जिला प्राधिकारियों के परामर्श से अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।

(घ) जल प्रदूषण से बचने के लिए एन.एम.डी.सी. द्वारा अपनाये गये उपायों में अन्य उपाय निम्नानुसार हैं :-

(1) लौह अयस्क चूरे की प्राप्ति के लिए स्क्रीनिंग संयंत्रों में कम गति के कलासिफायरों का उपयोग।

(2) स्क्रीनिंग संयंत्रों से स्लीम्स को पछोड़न बांध में डालना। पर्यावरण और वन मंत्रालय के जी.एस. आर. 422 ई. के अनुरूप केवल साफ सुथरे जल को बांध में बनाये गये वायर में छोड़ा जाता है।

(3) महत्वपूर्ण स्थानों पर निक्षेप-14 में 4 तथा निक्षेप-5 में 5 नियंत्रण बांध बनाये गए।

(4) नालों और नियंत्रण बांधों से नियमित रूप से गाद निकाला जाता है।

(5) छिदरे चूरे/माल को फैलने से रोकने के लिए वृक्षारोपरण के माध्यम से अपकृष्ट भूमि और पुराने अपशिष्ट ढेरों का नियमित रूप से सुधार किया जाता है।

(6) मृदा अपरदन कम करने के लिए स्लीपरों, ड्रम फीलों तथा शीशल वृक्षारोपण द्वारा अपशिष्ट ढेर के ढलाव को रोका जाता है।

(7) किरन्दुल नाले में बहने वाले पुराने अयस्क चूने के ढेरों से फैलने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए जाल में बंधे पत्थरों सहित 625 मीटर लम्बे रक्षापरक ठोकर का निर्माण किया गया है।

(8) घरेलू जल मल के उपचार के लिए किरन्दुल और बचेली में आक्सीजन तालाब बनाये गये हैं। इनकी नियमित रूप से जांच की जाती है और निगरानी रखी जाती है।

(9) सेवा केन्द्रों में कर्षण सड़कों के साथ-साथ तथा कैच पिटों अथवा सेटलिंग तालाबों के लिए उपयुक्त नाले बनाये गये हैं।

[अनुवाद]

पंजीकृत भर्ती एजेंट

2469. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के लागू होने के पश्चात् से सरकारी तौर पर पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या कितनी है;

(ख) श्रेणीवार अलग-अलग एजेंटों की संख्या कितनी है और इन एजेंटों द्वारा एकत्र की गयी कुल जमा राशि कितनी है;

(ग) क्या कुछ भर्ती एजेंटों के आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधिनियमन के पश्चात् अब तक 2782 भर्ती एजेन्ट सरकार द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। भर्ती एजेन्टों को मोटे तौर पर उनके द्वारा भर्ती किए जाने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, इस समय 300 कर्मकारों तक, 1000 कर्मकारों तक और 1000 कर्मकारों से अधिक के लिए वैध, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। चूंकि भर्ती एजेन्ट अपने उन्हीं लाइसेंन्सों को कर्मकारों की अधिक संख्या में भर्ती करने के लिए वैध बनाने हेतु नवीकरण/संशोधन कराते रहते हैं, इसलिए भर्ती एजेन्टों का श्रेणीवार कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है। भर्ती एजेन्टों को 3.00 लाख रुपये से 10.00 लाख रुपये के बीच बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो उनके द्वारा भर्ती किए जाने वाले कर्मकारों पर आधारित होता है। उन्हें सरकार के पास कोई नकद राशि जमा करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक को ठोस वित्तीय स्थिति, विश्वसनीयता, कार्य चलाने रहने के लिए उनकी मूलभूत सुविधाओं, उनके पूर्ववृत्त और बैंक गारंटी के रूप में उनके द्वारा प्रतिभूति प्रस्तुत करने को ध्यान में रखकर जारी किए जाते हैं। इन शर्तों के न पूरा होने की स्थिति में, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाते हैं।

असम में आकाशवाणी/दूरदर्शन के केन्द्र

2470. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) असम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऐसे प्रसारण केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है जहां असमिया भाषा में मौलिक कार्यक्रम बनाने की सुविधाएं उपलब्ध है;

(ख) राज्य में स्थानवार ऐसे कार्यान्वयनाधीन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रसारण और डीडी चैनल पर असमिया भाषा के कार्यक्रमों के प्रसारण को पर्याप्त समय दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) रविवार को दिखाई जाने वाली फिल्में जो क्रमावर्तनुसार भाषावार अकारादिक्रम से राष्ट्रीय नेट-वर्क पर प्रसारित की जाती है, के अलावा राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषा में कोई अन्य कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता है। दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी प्रातः 8.40 बजे से 8.45 बजे तक पांच मिनटों के एक दैनिक समाचार बुलेटिन के अतिरिक्त प्रतिदिन सायं छः बजे और 8.30 बजे के बीच असमिया कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलज (डीडी-13) पर प्रतिदिन 7 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए केवल असमिया तथा उत्तर पूर्व की अन्य भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

विवरण

कार्यरत स्टेशन/केन्द्र	कार्यान्वयनाधीन स्टेशन/केन्द्र
1	2
आकाशवाणी	
गुवाहाटी	कोकराझार (न.रे.के.)
डिब्रूगढ़	तेजपुर (न.रे.के.)
जोरहाट (स्था. रे.के)	
हाफलांग (स्था. रे.के.)	
नागांव (स्था. रे.के.)	
दिफू (स्था. रे.के.)	
सिलचर (स्था. रे.के.)	
दूरदर्शन	
गुवाहाटी (का. नि.के.)	
डिब्रूगढ़ (का. नि.के.)	
सिलचर (का. नि.के.)	

संकेत : स्था.रे.के. - स्थानीय रेडियो केन्द्र

न.रे.के. - नया रेडियो केन्द्र

का.नि.के. - कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण

2471. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने हेतु प्रति वर्ष दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार एवं स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में दी गई वित्तीय सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एन. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) संबंधित राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अटलांटा ओलम्पिक, 1996

2472. **श्री खनत कुमार मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा अटलांटा ओलम्पिक 1996 के विशेष प्रसारण अधिकार खरीदने के लिए कितनी राशि दी गई है;

(ख) खेलों के प्रसारण के दौरान दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से कितनी आय अर्जित करने की संभावना है;

(ग) भारत में खेलों के सीधे प्रसारण का समय क्या है;

(घ) इसका डीडी-1 और डीडी-2 के नियमित कार्यक्रमों के प्रसारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) दूरदर्शन द्वारा ई.एस.पी.एन. और स्टार स्पोर्टस चैनल की चुनौती का किस प्रकार सामना करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) महोदय, 6,40,000 अमरीकी डालर।

(ख) महोदय, 612 लाख रूपये।

(ग) 23.00 बजे से 06.30 बजे (अगला दिन)

(घ) चूंकि अटलांटा ओलम्पिक के खेल लगभग आधी रात को आरंभ होते हैं इसलिए इनके सीधे प्रसारण से डीडी-1 और डीडी-2 के नियमित कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ङ) दूरदर्शन का इसके स्वयं के प्रयास से अपने दर्शकों के लिए प्रमुख खेल आयोजनों को इसके स्थलीय/उपग्रह नेटवर्क पर सीधे प्रसारित करके ई.एस.पी.एन. एवं स्टार स्पोर्टस जैसे खेल चैनलों का चुनौती का सामना करने का प्रस्ताव है।

गुजरात के टी.वी. ट्रांसमीटरों/आकाशवाणी केन्द्रों, का विस्तार

2473. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार और स्थानवार टी.वी. ट्रांसमीटरों/आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना, विस्तार और उन्नयन हेतु गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थानवार अब तक स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय हुआ है।

(ग) इन प्राप्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, और

(घ) प्रत्येक मामले में कितना व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) हालांकि, आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना विस्तार तथा उन्नयन के बारे में गुजरात राज्य से आकाशवाणी को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि कई अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों और द्वारका ट्रांसमीटर की पुन: स्थापना करने के अलावा भुज, सूरत, पालनपुर, पानागढ़ और गाड़िया-धार में उच्चशक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु समय-समय पर टी. वी. कवरेज का विचार करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) से (घ) दिए गए विवरण के अनुसार।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए गए/ कार्यान्वयनाधीन टी.वी. ट्रांसमीटरों के ब्यौरे

चालू किए गए टी.वी. ट्रांसमीटर

उ.श.ट्रा.	भुज (अन्तरिम)
	अहमदाबाद (डीडी-II)
अ.श.ट्रा.	दांडी
	देवगढ बरिया
	धरगंधरा
	ईदर
	खम्बात
	महुआ
	मंगरौल (जूनागढ़)
	पालीताना
	रापर
	संजेली
	श्यामलाजी
	गांधी नगर (डीडी-II)
अ.अ.श. ट्रा.	नेतारांग

कार्यान्वयनाधीन टी.वी. ट्रांसमीटर

उ.श.ट्रा.	भुज (स्थायी सेट अप)
अ.श.ट्रा.	मोरवी
	दीसा
	राजुला
	खम्बालिया
	आमोद
	मंगरौल (सूरत)
	अगडिया
	बतवा
	राधानपुर
	लुम्बदी
	धानदुखा
	धरती
	उना
अ.अ.श.ट्रा	संगवारा

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू /कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी केन्द्रों के ब्यौरे

स्थान	स्कीम	अवस्थिति
अहवा	1 कि.वा.भी.वे. ट्रांसमीटर	चालू
	बहुउद्देश्यीय स्टूडियो	
अहमदाबाद	1 कि.वा.भी.वे. ट्रांसमीटर 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.....ा को में बदलना/उन्नयन	तकनीकी रूप से तैयार स्टाफ मंजूरी प्रतीक्षित है।
हिम्मतनगर	1 कि.वा.·भी.वे.ट्रा.	तथैव
	बहुउद्देशीय स्टूडियो	
	अभिग्रहण सुविधाएं	

विमान सुविधाएं

2474. **श्री चुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन एयरलाइंस एयर इण्डिया तथा निजी विमान सेवाओं के अंतर्गत भरी गयी उड़ानों में हुई विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इन दुर्घटनाओं में मृत/घायल लोगों के संबंध में दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री डी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	दुर्घटना की तिथि और स्थान	प्रचालक	व्यक्तियों की संख्या		दिया गया मुआवजा (रूपयों में)	दुर्घटनाओं का सम्भावित कारण
			मृत	घायल		
1.	15.11.1993 (तिरूपति के पास)	इंडियन एयरलाइन्स	शून्य	1	1,00,000	जब हैदराबाद में विमान के कमाण्डर को फ्लैप जाम और खराब दृश्यता का सामना करना पड़ा तब उसने अपने पास पर्याप्त ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही विमान को मद्रास के लिए मोड़ने का निर्णय लिया था।, इस गलत निर्णय के कारण ही दुर्घटना हुई थी। अन्ततः ईंधन की कमी के कारण विमान का बलात् अवतरण करना पड़ा।
2.	8.3.1994 (दिल्ली)	सहारा इंडिया एयरलाइंस	9	4	30,33,935	प्रशिक्षु विमानचालक विदुल महाजन द्वारा गलत रडर के अनुप्रयोग के कारण दुर्घटना हुई। अनुदेशक विमानचालक कैप्टन खुरानां ने रडर नियंत्रण को गार्ड/ब्लॉक नहीं किया था और स्पष्ट कमाण्ड नहीं दिए।
3.	17.12.1994 (हैदराबाद)	इंडियन एयरलाइन्स	1	शून्य	शून्य	विमान के अवतरण के बाद, जब तक अनाधिकृत मोपेड सवार धावनपथ को पार करने का प्रयास कर रहा था तब वह चलते विमान से टकराकर मर गया।
4.	1.7.1995 (बड़ोदा)	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	शून्य	शून्य	शून्य	'टच एंड गो' प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान, मुख्य पहियों के धावनपथ से स्पर्श करने के तुरंत बाद बांया मुख्य अवतरण गियर खराब हो गया और विमान बांयी तरफ झूल गया।
5.	2.12.1995 (दिल्ली)	इंडियन एयरलाइन्स	शून्य	शून्य	शून्य	'टच डाउन' के बाद विमान धावनपथ से आगे निकल गया। विमान को भारी क्षति हुई।
6.	18.5.1996 (कानपुर)	अर्चना एयरवेज	शून्य	शून्य	शून्य	दुर्घटना की जांच चल रही है।
7.	11.7.1996 (कुल्लू के पास)	अर्चना एयरवेज	9	3	7 लाख रुपये प्रति यात्री के हिसाब से बीमा दावे का निस्तारण किया जा रहा है।	दुर्घटना की जांच चल रही है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए इंटर कालेज खोलना

2475. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ स्थानों पर विशेषत: बरेली में बधिर और मूक व्यक्तियों के लिए इंटर कालेज खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या है; और जहां ये कालेज खोले जाएगें; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय ने ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करना

2476. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नए समुदायों को जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु विचार करने के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संशोधन के संबंध में विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए अक्तूबर, 1993 में एक सलाहकार समिति गठित की गई थी। उस समिति ने अपना कार्य सम्पन्न नहीं किया तथा अब अस्तित्व में नहीं है।

[अनुवाद]

डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

2477. **श्री केशव महन्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने का विचार है;

(ग) क्या डाकघरों के दर्जा बढ़ाए जाने के संबंध में कोई मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष जितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया उनकी संख्या का डाक सर्किलवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाने को उप डाकघर खोलने की योजना में शामिल कर लिया गया है। वार्षिक योजना 1996-97 के अंतर्गत 150 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1996-97 के दौरान विभागीय उप-डाकघर खोलने के लिए निर्धारित डाक-सर्किलवार लक्ष्य विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) जी हां

(घ) डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदंड विवरण-III में दिये गये हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया उनकी संख्या (राज्यवार तथा वर्षवार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दर्जा बढ़ाये गये डाकघरों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	2	-	-
2.	असम	2	3	-
3.	बिहार	-	-	-
4.	दिल्ली	1	1	-
5.	गुजरात	-	-	3
	दादर एवं नगर हवेली	-	-	-
	दमन एवं दीव	-	-	-
6.	हरियाणा	-	1	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	1	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	1
9.	कर्नाटक	4	1	1
10.	केरल	3	2	16
	लक्षद्वीप	-	-	-
11.	महाराष्ट्र	-	1	1
	गोवा	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	7	2	1
13.	उत्तर पूर्व			
	अरूणाचल प्रदेश	-	2	-
	मणिपुर	-	-	-
	मेघालय	-	2	-
	नागालैंड	-	-	-
	मिजोरम	-	-	-
	त्रिपुरा	-	-	-

क्र.सं.	राज्य का नाम	दर्जा बढ़ाये गये डाकघरों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
14.	उड़ीसा	4	1	-
15.	पंजाब	1	-	-
	चण्डीगढ़	-	-	-
16.	राजस्थान	1	-	1
17.	तमिलनाडु	1	2	15
	पाण्डिचेरी	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	2	2	1
19.	पश्चिम बंगाल	-	-	-
	सिक्किम	-	-	-
	अण्डमान एवं निकोबार	-	-	-
	कुल :	35	21	42

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य

क्र. सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य विभागीय उप डाकघर
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	4
3.	बिहार	11
4.	दिल्ली	10
5.	गुजरात	12
6.	हरियाणा	10
7.	हिमाचल प्रदेश	10
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	10
10.	केरल	9
11.	मध्य प्रदेश	9
12.	महाराष्ट्र	12
13.	उत्तर पूर्व	4
14.	उड़ीसा	4
15.	पंजाब	4
16.	राजस्थान	10
17.	तमिलनाडु	4
18.	उत्तर प्रदेश	16
19.	पश्चिम बंगाल	4
	कुल :	150

विवरण-III

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों का विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड

1. किसी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर का न्यूनतम दैनिक कार्यभार कम-से-कम 5 घंटे होना चाहिए।

2. सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटा प्रतिवर्ष 2400 रु. से तथा जनजातिय और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 4800 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में डाकघर को प्रारंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के दौरान डाकघर को 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि वह आगे बनाये रखे जाने का पात्र हो सके। लाभ और हानि का मूल्यांकन विभाग द्वारा अपनाये जा रहे आय और लागत के फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इस फार्मूले में डाक-टिकटों और डाकलेखन सामग्री की बिक्री, अनपेड और अदा किये गये अपर्याप्त शुल्क वाली वस्तुओं पर लिये गये डाक-शुल्क, डाकघर द्वारा मनीआर्डरों और जारी किये गये तथा अदा किये गये भारतीय पोस्टल आर्डरों से एवं बचत बैंक लेन-देन के कमीशन से डाकघर की आय को हिसाब में लिया जाता है। इन कार्यों से जो कुल राजस्व प्राप्त होता है, उसके प्रतिशत को डाकघर की आय की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाता है। डाकघर की लागत इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, किराये के रूप में देनदारी, निर्धारित स्टेशनरी चार्जेज, डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री आदि के मुद्रण की लागत को कवर करने के लिए बेची गयी डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री आदि पर आधारित होती है।

3. 20 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में 2 डाकघरों के बीच की दूरी कम-से-कम 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, और अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। यदि वितरण डाकघर है, तो नजदीकी वितरण डाकघर से उसकी दूरी 5 कि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

किसी उपडाकघर का प्रधान डाकघर में दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड :

किसी मौजूदा प्रधान डाकघर के अधीन जब उप-डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है तो उसके लेखा-अधिकार क्षेत्र का विभाजन करके किसी उप-डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि विभाजन के पश्चात् मौजूदा प्रधान डाकघर और प्रस्तावित प्रधान डाकघर के अधीन रखे जाने वाले उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो। किसी जिले में यदि ऐसे 20 उप डाकघर हैं जिन्हें प्रस्तावित प्रधान डाकघर के लेखा-अधिकार क्षेत्र के अधीन रखा जा सकता है तब भी एक प्रधान डाकघर बनाया जा सकता है। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में किसी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाने में वित्तीय दृष्टि से पर्याप्त लाभ होने की स्थिति में मानदंडों में ढील दी जा सकती है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

2478. **श्री राजमोहन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों को शीर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इन केन्द्रों ने आबंटित धनराशि में से शीर्षवार कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(ग) क्या इन केन्द्रों के खातों का लेखापरीक्षण किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-2 ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जी.एम. इदाहीम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति

2479. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 6-14 वर्ष की आयु के समूह में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की संख्या क्या है;

(ख) इन बच्चों को प्रशिक्षण देने तथा उनका उपचार करने के लिए देश में कितनी संस्थाएं स्थापित की गई हैं;

(ग) इन संस्थाओं में से प्रत्येक की प्रशिक्षण क्षमता क्या है;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या उन्हें प्रशिक्षण तथा पुनर्वास देने की क्षमता से काफी ज्यादा है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) देश में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों में मानसिक विकलांगों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1991 में 1-14 वर्ष आयु वर्ग में विलम्ब से मानसिक विकास वाले व्यक्तियों के संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों की जनसंख्या के लगभग 3 प्रतिशत का विलम्ब से मानसिक विकास होता है। कुछ संगठनों द्वारा किए गए कतिपय अध्ययनों से यह सुझाव प्राप्त होता है कि लगभग 2-2.5 प्रतिशत अनुमानित जनसंख्या मानसिक अवरुद्धता से पीड़ित है।

(ख) और (ग) भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1995 के दौरान मानसिक अवरुद्धता के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले (प्रशिक्षण सहित) संस्थाओं की कुल संख्या 626 है। प्रत्येक संगठन के पास औसतन 40 बच्चों की क्षमता है।

(घ) जी हां।

(ङ) कल्याण मंत्रालय ने सिकन्दराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थापित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य पुनर्वास और विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवसायियों को प्रशिक्षित करना है। इस संस्थान के 5 क्षेत्रीयकेन्द्र कलकत्ता, मुम्बई, नई दिल्ली, पटना, और दीमापुर में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान द्वारा समर्थित 13 केन्द्र और 7 सम्बद्ध केन्द्र हैं जो विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा, कल्याण मंत्रालय मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देता रहा है। मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों की पूरी देखभाल तथा उन्हें वसीयत की गई सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

निवारात्मक और पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले तथा मानसिक सुरक्षा इत्यादि के उपायों के प्रावधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अधिनियम, अर्थात् निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक 1995, 1996 के अधिनियम संख्या 1 के रूप में अधिनियमित किया गया है।

सिक्किम में दूरदर्शन स्टूडियों की स्थापना

2480. **श्री आर. बी. राई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगटोक सिक्किम में एक दूरदर्शन स्टूडियो/केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार गंगटोक में दूरदर्शन स्टूडियो/केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) सिक्किम राज्य सहित समस्त देश में टेलीफोन सेवा का विस्तार करने के लिए जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में, सिक्किम के गंगटोक में टेलीविजन स्टूडियों कार्यान्वयनाधीन है। स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है, भवन संबंधी नक्शे को अंतिम रूप दे दिया गया है और अधिकांश उपस्कर प्राप्त कर लिए गए है। इस बीच, 14/7/96 से गंगटोक स्थित उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर पर प्लेबैक सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

[हिन्दी]

देवा पर्यटक केन्द्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता

2481. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के देवा पर्यटक केन्द्र के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देवा पर्यटक केन्द्र के महत्व की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता अत्यंत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को और अधिक धनराशि प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पर्यटन विभाग, भारत सरकार वर्ष

1996-97 के लिए निम्नलिखित योजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है :-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
1.	बसों की खरीद	4.00
2.	विक्रमशिला में पर्यटक परिसर	30.00
3.	नेत्रहार्ट और रांची के बीच मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	35.00
	योग :	69.00

[अनुवाद]

कानपुर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का काटा जाना

2482. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मई, 1996 को सिरसागंज, कानपुर में आप्टिकल फाइबर के काटे जाने से, कानपुर का देश के अन्य शहरों से सम्पर्क टूट गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या खराबी के कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी नहीं। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें, आप्टिकल फाइबर केबल काटे जाने से 18.5.1996 को कानपुर का संपर्क शेष देश से टूटा हो. तथापि सिरसागंज के पास लोक निर्माण विभाग की एक पार्टी द्वारा ओएफसी को पहुंचाई गई क्षति के कारण आगरा-कानपुर ओएफसी संचार संपर्क 16.5.96 को बंद हो गया था जिसे 17.5.96 को 00.45 बजे ठीक कर दिया था।

(घ) आगरा और कानपुर के बीच एक वैकल्पिक रूट के तौर पर नया ओएफसी रूट चालू किये जाने की संभावना है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता

2483. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम से सहायता तभी प्राप्त करेंगे जब उनकी वार्षिक पारिवारिक आय योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा के नीचे होगी; और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम की स्थापना 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों में उन पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा से दोगुना नीचे अर्थात् 22,000 रु. प्रतिवर्ष है।

(ख) इस निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के उन वर्गों को स्व-रोजगार यूनिटों की स्थापना करने के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना परिकल्पित है जो आर्थिक रूप से अलाभान्वित है तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार की प्रबंध समिति

2484. **जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कार्यरत सुपर बाजार, नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार सहकारी स्टोर और इस प्रकार के अन्य बाजारों की प्रबन्धन समिति में आज की तिथि में मनोनीत सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन सदस्यों के मनोनयन हेतु प्राप्त संस्तुतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सदस्यों के मनोनयन हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार दिल्ली और केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी दिल्ली (केन्द्रीय भंडार) के बाइलाज में निहित उपबंधों के अनुसार उनके निदेशक मंडलों में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। दोनों सोसाइटियों में नामित किए गए सदस्यों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नई दिल्ली में कार्य कर रहे किसी भी अन्य स्टोर की प्रबंध समिति में भारत सरकार कोई सदस्य नामित नहीं करती है।

(ख) उपरोक्त दोनों स्टोरों में प्रत्येक में नामित किए जाने वाले निदेशक का एक-एक पद रिक्त है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में सुपर बाजार दिल्ली के संबंध में 9 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से केवल एक की सिफारिश की गई थी। सिफारिश किए आवेदक को सुपर बाजार दिल्ली के निदेश मंडल में नामित किया गया था।

(घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी सोसाइटी में मनोनीत सभी निदेशक पदेन हैसियत वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। सुपर बाजार, दिल्ली में 9 नामित निदेशकों में से 4 पदेन हैसियत वाले अधिकारी हैं और शेष वे लोग हैं जिन्हें सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में उनकी भूमिका को मद्देनजर रखकर नामित किया जाता है।

विवरण

निदेशक मंडलों में नामित निदेशकों के नाम

(क) सुपर बाजार, दिल्ली

1. श्री बलबीर सिंह, संयुक्त सचिव नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - अध्यक्ष
2. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि., नई दिल्ली - सदस्य
3. आयुक्त, खाद्य और नागरिक पूर्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार - सदस्य
4. लेखा नियंत्रक, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - सदस्य
5. श्रीमती डौली स्वामी - सदस्य
6. श्री के. एल. डावर - सदस्य
7. जत्थेदार प्रहलाद सिंह - सदस्य
8. श्री हरि शंकर गुप्ता - सदस्य
9. रिक्त

ख. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि. दिल्ली

1. श्री दिनेश चन्द, अतिरिक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय - अध्यक्ष
2. श्री अनुराग गोयल, संयुक्त सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय - सदस्य
3. श्री आर. के. सैनी, संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय - सदस्य
4. श्री के. सी. गोयल, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय - सदस्य
5. श्री बलबीर सिंह, संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - सदस्य
6. श्री एस. सी. नागपाल, निदेशक एवं मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग - सदस्य
7. श्री एस. पट्टनायक, सम्पदा निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य
8. श्री जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव एवं आयुक्त स्वाद्य और नागरिक आपूर्ति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार - सदस्य
9. रिक्त

[अनुवाद]

अलकनंदा कॉम्पलेक्स में डाकघर

2485. **श्री एन. एस. वी. चित्तन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर कैलाश-II तथा अलकनंदा अपार्टमेंट्स के निवासियों को अलकनंदा काम्पलेक्स में डाकघर न होने के कारण काफी अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाकघर के लिए वहां पर स्थान पहले से ही नियत कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो काम्पलेक्स में तेजी से विस्तार के बावजूद भी वहां पर डाकघर स्थापित करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक यह डाकघर कार्य करने लगेगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं, ग्रेटर कैलाश-II क्षेत्र में इस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले ही एक नॉन-डिलीवरी पोस्ट-आफिस है। इस समय अलकनंदा क्षेत्र को गोविंदपुरी डाकघर, कालकाजी द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, जो अलकनंदा क्षेत्र से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। इसके अलावा, ग्रेटर कैलाश और अलकनंदा क्षेत्रों के निवासियों को सेवा प्रदान करने के लिए चार अन्य डाकघर भी हैं, अर्थात् कैलाश कालोनी, 'एन' ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश भाग-I चितरंजन पार्क, हमदर्द नगर और कालका जी। अलकनंदा क्षेत्र के लिए भी एक डाकघर को मंजूरी दे दी

गयी है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, डाकघर भवन के निर्माण के लिए अलकनंदा मार्केट प्लेस में एक प्लॉट उपलब्ध है।

(घ) किराए पर उपयुक्त स्थान के न मिलने तथा संसाधनों की कमी के कारण अलकनंदा क्षेत्र में डाकघर खोलने में विलंब हो रहा है।

(ङ) अलकनंदा क्षेत्र में किराये पर उपयुक्त भवन मिलने या इस प्रयोजन के लिए, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, विभागीय भवन का निर्माण होने पर ही इस क्षेत्र में डाकघर काम करना शुरू कर सकता है।

सहकारी चीनी मिलें

2486. **श्री सनत मेहता** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितनी सहकारी चीनी मिलों के लिए जारी आशय पत्रों को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी सहकारी चीनी मिलें जो विकास के अग्रिम चरण में हैं को सहायता देने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्टिरयां स्थापित करने के लिए जारी आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों तथा कार्यान्वयन हेतु लम्बित का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(15.6.96 तक)

क्रम सं.	राज्य	कार्यान्वयन हेतु लम्बित आशय पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	हरियाणा	1
2.	पंजाब	1
3.	उत्तर प्रदेश	3
4.	गुजरात	9
5.	महाराष्ट्र	43
6.	कर्नाटक	8
7.	तमिलनाडु	2
8.	दादर एवं नगर हवेली	1
	कुल :	68

सामान्यत: एक नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने में 3-4 वर्ष का समय लगता है। चीनी वर्ष 1993-94 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 25 आशय पत्र तथा 1995-96 के दौरान एक आशय पत्र जारी किया गया तथा शेष आशय पत्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उद्यमी की है। केन्द्र सरकार सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई ऋण प्रदान नहीं करती। तथापि, इस प्रकार के ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा सीधे ही उद्यमियों को प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) भी चीनी मिलों की अंशदान पूंजी के लिए सहयोग देने हेतु राज्य सरकारों को ऋण सहायता प्रदान करती है।

विदेश संचार निगम के अधिकारियों की विशेष वेतन वृद्धि

2487. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम ने 1995-96 में नियुक्त कुछ उच्च अधिकारियों को उच्च योग्यता के तर्क के आधार पर 14 विशेष वेतन वृद्धियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये वेतन वृद्धियां किन नियमों के अंतर्गत की गई थी;

(ग) क्या इन अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न उठता।

डाकघर में भविष्य निधि का घोटाला

2488. **श्री मोहन रावले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1996 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में पी.एफ. रैकेट एट पोस्ट आफिस' शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त घोटाले की जांच अब तक पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(च) क्या डाक विभाग/डाकघर के कुछ अधिकारी /कर्मचारी इस मामले में शामिल पाए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, 94 से सितम्बर, 95 की अवधि के दौरान कालकाजी डाकघर में 14,84,306 रु. की धनराशि की धोखाधड़ी हुई है। यह धोखाधड़ी क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर, नेहरू प्लेस द्वारा कालका जी डाकघर, नई दिल्ली को जारी करने के लिए सौंपे गए मनीआर्डरों के साथ हुई।

(ग) जी हां।

(घ) इसके लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का पता लगा लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी हां।

(छ) और (ज) इसमें शामिल पाए गए 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उचित कार्रवाई शुरू की गई है।

केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को हुई हानि

2489. **श्री ए. सी. जोस** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेवी चीनी के निर्गम मूल्य और एक्सफैक्ट्री मूल्य में अंतर होने के कारण केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार उपरोक्त हानि की क्षतिपूर्ति करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) राज्य सरकार को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा एक निधि अर्थात् लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि के जरिये की जाती है। यह निधि केन्द्रीय सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखी जाती है। भारत सरकार ने चीनी के लेवी मूल्य में संशोधन करने के कारण राज्य एजेंसियों के अन्तर-मूल्य के दावों का उन्हें भुगतान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को 258.67 करोड़ रूपये और 155.62 करोड़ रूपये की सब्सिडि रिलीज की है। अत: केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 1.10.1995 से 30.6.1996 तक की अवधि के दौरान हुई हानियों के लिए भारतीय खाद्य निगम ने केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को पांच करोड़ चौरानवे लाख उनहत्तर हजार छ: सौ साठ रूपये (5,94,69,660/-रूपये) का "आन एकाउंट" भुगतान किया है।

"बाल्को" की विधानबाग इकाई

2490. **श्री आराधना राव** : क्या **खाद्य मंत्री** 04 दिसम्बर, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बाल्को" की विधानबाग इकाई के चालक संयंत्र (कंडक्टर प्लांट) को सुचारू ढंग से चलाने एवं उसका आधुनिकीकरण करने का कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) आल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर (एएएसी) का उत्पादन करने हेतु भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. की विधानबाग यूनिट के कंडक्टर प्लांट के पुर्नसुधार और आधुनिकीकरण का कार्य मैसर्स गलडा पावर एण्ड टेलिकाम लि. हैदराबाद को सौंपा गया था। 37 बोबीन स्ट्रेंडिंग मशीनों को छोड़कर सभी उपकरण/सुविधाओं की आपूर्ति/स्थापना/आरंभ करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। बकाया कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

राज्यों को आर्थिक सहायता

2491. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री दत्ता मेघे :

श्री गंगा राम कोली :

श्री कचरू भाऊ राउत :

डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को होटल, मोटल और अतिथि गृहों के निर्माण तथा उनके रख-रखाव के लिए कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की है या प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर होटल, मोटल और अतिथि गृह खोले गए तथा इनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या केन्द्र सरकार आगामी तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के नये होटल, मोटल और अतिथि गृह खोलने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों को होटलों, मोटलों औरअतिथि गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पर्यटक बंगलों, पर्यटक परिसरों, पर्यटक लाजों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, यात्री निवासों, जल-पान गृहों, तम्बुओं में निवास आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता।

क्रम सं.	राज्य	1992-93 स्वीकृत राशि	1993-94 स्वीकृत राशि	1994-95 स्वीकृत राशि	1995-96 स्वीकृत राशि
1.	आंध्र प्रदेश	9.51	114.28	171.99	13.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	448.27	45.40	-	52.26
3.	असम	78.66	78.11	52.99	70.24
4.	बिहार	54.41	9.75	103.10	116.53
5.	गोवा	42.71	78.82	76.74	181.06
6.	गुजरात	20.90	65.76	14.50	7.98
7.	हरियाणा	104.97	226.76	173.98	111.45
8.	हिमाचल प्रदेश	111.94	369.25	297.90	475.90
9.	जम्मू और कश्मीर	152.75	236.19	143.47	105.30
10.	कर्नाटक	184.66	177.44	229.96	229.76

क्रम सं.	राज्य	1992-93 स्वीकृत राशि	1993-94 स्वीकृत राशि	1994-95 स्वीकृत राशि	1995-96 स्वीकृत राशि
11.	केरल	150.88	97.40	287.05	209.94
12.	मध्य प्रदेश	39.87	38.42	-	-
13.	महाराष्ट्र	201.30	309.11	207.39	38.31
14.	मणिपुर	66.24	45.50	-	75.82
15.	मेघालय	9.77	1.85	-	4.09
16.	मिजोरम	47.70	88.18	56.49	154.66
17.	नागालैंड	7.17	16.66	23.08	51.60
18.	उड़ीसा	72.37	101.52	164.60	108.86
19.	पंजाब	135.83	111.21	113.93	140.49
20.	राजस्थान	153.31	285.70	94.86	176.85
21.	सिक्किम	49.12	130.89	-	24.61
22.	तमिलनाडु	107.42	402.45	132.45	249.65
23.	त्रिपुरा	80.28	9.31	46.61	35.43
24.	उत्तर प्रदेश	97.34	166.04	149.62	26.21
25.	पश्चिमी बंगाल	94.10	158.38	164.87	191.10
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार	53.50	53.47	-	45.00
2.	चंडीगढ़	13.70	18.66	21.38	17.20
3.	दादर और नगर हवेली	-	-	23.62	-
4.	दमन और द्वीव	28.50	12.03	44.29	44.21
5.	दिल्ली	58.34	133.71	37.41	28.23
6.	लक्षद्वीप	-	-	19.95	24.65
7.	पांडिचेरी	-	29.75	-	28.12
	जोड़ :	2273.92	3604.00	2842.29	3032.76

कम्प्यूटर प्रणाली

2492. **श्री पंकज चौधरी :**

कुमारी उमा भारती :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन तथा आकाश-वाणी केन्द्रों के प्रवेश द्वारा पर कम्पयूटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी लागत का अनुमान है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कन्ट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन

2493. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने "कन्ट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन" योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओं को रोकने संबंधी मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लेने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अधिकांश दुर्घटनाएं सी. एफ. आई. टी. से संबंधित होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 1985 से, टिवन/बहु-इंजन वाले विमानों की 52 दुर्घटनाएं हुई जिसमें केवल 11 "कन्ट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन" दुर्घटनाएं थी।

(घ) विमान दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सिविल उड़नयोग्यता अपेक्षाओं, हवाई संरक्षा परिपत्रों को जारी करना, उड़ान रिकार्डरों की निगरानी, प्रचालकों की सुरक्षा ऑडिट, विमान दुर्घटनाओं और घातक घटनाओं की जांच के बाद की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन, विमानक्षेत्रों इत्यादि के निरीक्षण जैसे कदम लगातार उठाए जाते हैं।

दिल्ली में टेलीफोन बिल संग्रह केन्द्रों की कार्यविधि

2494. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा दिल्ली और मुम्बई के विभिन्न स्थानों पर कितने टेलीफोन बिल संग्रह केन्द्र खोले गए;

(ख) क्या इन केन्द्रों की कार्यविधि सरकार के अन्य सभी कार्यालयों की भांति पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक है जिससे आम जनता को कार्यालयों में समय पर पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कठिनाई को कम करने के लिए इनकी कार्यविधि को प्रातः 8.30 बजे से तदनुसार आगे करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) एम.टी.एन.एल. में टेलीफोन बिल प्राप्त करने वाले केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

	दिल्ली	मुम्बई
एमटीएनएल कंउटर	31	43
बैंक कांउटर	86	186

सीटीओ/डीटीओ	44	16
डाकघर	-	32
	161	277

इसके अलावा दिल्ली में निर्धारित दिनों को 5 वाहन जगह-जगह घूमते रहते हैं।

(ख) बिल प्राप्त करने वाले केन्द्रों की समय-सारिणी इस प्रकार है :

एमटीएनएल काउंटर	प्रात: 10 बजे से 3.00 बजे तक
तारघर	प्रात: 10 बजे से 5.00 बजे तक
बैंक	बैंक की सामान्य कार्यालय अवधि
सचल चैन	प्रात: 10 बजे से 5.00 बजे तक

(ग) एमटीएनएल के बिल प्राप्त करने वाले केन्द्रों के समय में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एमटीएनएल ग्राहकों की सेवा करने और ग्राहकों को टेलीफोन बिलों के भुगतान में असुविधा से बचाने के लिए ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक

2495. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों ने करतार सिंह समिति रिपोर्ट को लागू कराने के लिए इस वर्ष मई के अंत में आंदोलन शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) करतार सिंह समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और किन-किन सिफारिशों को अब तक लागू कर दिया गया है; और

(घ) शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए और क्या कदम उठाने के प्रस्ताव हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) करतार सिंह समिति की मुख्य सिफारिशों, अन्य बातों के साथ-साथ टू टायर रेजीडेन्सी योजना लागू करने, सभी रेजीडेन्ट डाक्टरों के लिए मुफ्त सज्जित आवास के प्रावधान, एक दिन साप्ताहिक अवकाश, सेवा लाभों के लिए वरिष्ठ रेजीडेन्सी अवधि की गणना करने आदि से सम्बन्धित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, करतार सिंह समिति की सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित अस्पतालों/संस्थानों पर लागू हैं। ई एस आई अस्पताल केन्द्र सरकार द्वारा न तो पूर्ण रूप से और न ही आंशिक तौर पर वित्तपोषित है। इस प्रकार ई एस आई अस्पतालों के मामले में करतार सिंह समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों में विलम्ब

2496. **श्री अजय पाल सिंह** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान एअर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स की अलग-अलग कितने प्रतिशत उड़ानों में विलम्ब हुआ; और

(ख) इस संबंध में उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री डी. एन. द्विवेदी) : (क) और (ख) पिछले छ: महीनों के दौरान, एअर इंडिया की 22.2 प्रतिशत ओर इंडियन एयरलाइन्स की 32.9 प्रतिशत उड़ाने देरी से गई थीं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सभी तकनीकी देरियों की जांच की जाती है जिससे कारण को ढूंढा जा सके और तत्काल ही उपचारी कार्रवाई की जाती है। एयर इंडिया ने समन्वय कक्ष की स्थापना की है, जिससे उड़ान हैंडलिंग से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इन उपायों के फलस्वरूप, देरी को कम करना, संभव हो पाया है जो जनवरी, 1996 में 29.34 प्रतिशत से घटकर जून, 1996 में 16.57 प्रतिशत रह गई है।

[हिन्दी]

निर्यातकों को गेहूं, चावल तथा चीनी की आपूर्ति

2497. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री काशी राम राणा:

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कुछ फर्मों/एजेंसियों को निर्यात के लिए गेहूं, चावल तथा चीनी की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन फर्मों/एजेंसियों को गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्यवार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य पर यह मदें बेची गई;

(ग) कौन-कौन से देशों को इन मदों का निर्यात किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान उक्त मदों का निर्यात मूल्य क्या था; और

(घ) इन मदों के निर्यात से उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कितना लाभ हुआ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात के प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गए गेहूं और चावल के ब्यौरे और उनकी राज्यवार दर नीचे दी गई है :-

(मात्रा लाख टन में)

राज्य	1993-94		1994-95		1995-96 @		1996-97 @ (15.7.96 तक)	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	0.11	6.19	0.96	-
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	0.62	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	2.23	0.57	-
गुजरात	-	-	0.34*	0.15*	0.70	5.07	2.57	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	0.36	-	-
बिहार	-	-	-	-	-	0.29	-	0.06
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	0.06	-	-
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	0.17	-
पंजाब	-	-	-	-	-	-	0.15	-

(सभी आंकड़े अनन्तिम हैं)

@ = 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों में गेहूं और चावल के मूल्यों की रेंज संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

* = भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य व्यापार निगम को 1994-95 के दौरान निर्यात के प्रयोजन के लिए गेंहू और चावल जारी किया गया था। निगम ने 4350 रूपये से 4400 रूपये प्रति टन की दर पर गेंहू और 6600 रूपये प्रति टन की दर पर चावल जारी किया था।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने अधिशेष स्टाक की रख-रखाव लागत के खर्च की बचत करने और चालू/आगामी वसूली के लिए भंडारण स्थान उपलब्ध करने की दृष्टि से निर्यातकों को गेंहू और चावल की बिक्री की है, इस बिक्री की दरें घरेलू बिक्री के लिए निर्धारित की गई दरों से कम नहीं थी। भारतीय खाद्य निगम से गेंहू और चावल खरीदने के पश्चात् निर्यातकों द्वारा किन देशों को और किन मूल्यों पर बेचा जाता है, इसके संबंध में भारतीय खाद्य निगम को जानकारी नहीं रहती है।

चीनी

(क) से (घ) चीनी का निर्यात मैसर्स भारतीय चीनी

और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है जो चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 (1958 का 30) के उपबंधों के अधीन एक अधिसूचित निर्यात एजेंसी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा/के माध्यम से चीनी का कोई निर्यात नहीं किया गया। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम एक अधिसूचित निर्यात एजेंसी न होने के कारण चीनी का कोई निर्यात करने के लिए भी प्राधिकृत नहीं है।

विवरण

1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों में गेंहू और चावल के मूल्यों की रेंज

क्र.सं.	राज्य	1995-96			1996-97		
		गेंहू	चावल		गेंहू	चावल	
			बढ़िया	उत्तम		बढ़िया	उत्तम
1.	पंजाब	4100-4458.45	6700-7694	7000-8029	4410-4900*	7050-7350@	- 7350
2.	हरियाणा	4100-4458.45	6650-7629	6950-7975	4410-4900	7000-7300	- 7300
3.	उत्तर प्रदेश	4100-4458.45	6500-7629	6800-7802	- -4660	7000-7200	- 7200
4.	दिल्ली	4150-4458.45	6400-7347	6700-7694	- -4410	- -6740	- 7060
5.	हिमाचल प्रदेश	4150- ----	----	----	- - -	- - -	- -
6.	जम्मू और कश्मीर	4150- ----	6500-7629	6800-7802	- - -	- - 7000	- 7200
7.	राजस्थान	4150-4562.95	6900-7629	6800-7802	- - 4600	- - 7000	- 7200
8.	मध्य प्रदेश	4100-4562.95	6300-7228	6600-7574	- - 4730	6630-7450	6950-7450
9.	बिहार	4300-4719.30	6300-7228	6600-7574	- - 4750	- - 6630	- 6950
10.	उड़ीसा	4350-5136.50	6350-8968	6650-9303			
11.	पश्चिम बंगाल	4350-5136.50	6300-8968	6600-9303			
12.	महाराष्ट्र	4350-5136.50	6300-8968	6600-9303			
13.	गुजरात	4350-5136.50	6300-8968	6600-9303			
14.	आन्ध्र प्रदेश	4550-5136.50	6300-8968	6600-9303	5040-5073	8142-8438	8458-8753
15.	तमिलनाडु	4550-5136.50	6300-8968	6600-9303			
16.	कर्नाटक	4550-5136.50	6300-8968	6600-9303			
17.	केरल	4550-5136.50	6300-8968	6600-9303			

* 1.7.96 से निर्यात के प्रयोजन हेतु गेंहू की बिक्री केवल पंजाब और हरियाणा तक सीमित।

@ 1.7.96 से निर्यात के प्रयोजना हेतु चावल (बढ़िया व उत्तम) की बिक्री केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उ0प्र0 व मध्य प्रदेश तक सीमित।

[अनुवाद]

राजस्थान के पर्यटक केन्द्रों पर आई. एस. डी./ एस. टी. डी./ पी. सी. ओ. की सुविधाएं

2498. **श्री बिरधारी लाल भार्गव :**

श्री बहेन्द्र सिंह भाटी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सभी पर्यटक केन्द्रों पर आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन स्थानों पर उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सरिस्का और भरतपुर पक्षी - विहार को छोड़कर सभी पर्यटन केन्द्रों पर एस टी डी/आई एस डी सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ सुविधाएं पुष्कर, अजमेर, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जयसलमेर तथा रामदेवरा में प्रदान की गई हैं।

(ग) और (घ) सरिस्का और भरतपुर पक्षी - विहार में पात्र आवेदक न मिलने के कारण एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ प्रदान नहीं किए जा सके। तथा हाल ही में सरिस्का के लिए एक पात्र आवेदक चुना गया है।

(ङ) नवम्बर, 96 तक। भरतपुर पक्षी-विहार के मामले में यह पात्र आवेदक उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

उड़ान सुरक्षा सप्ताह

2499. **श्री गणेश कुमार एच. कनोडिया** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने हेतु "उड़ान सुरक्षा सप्ताह" मनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सभी विमान सेवाओं के लिए कोई आचार-संहिता तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एच. इब्राहीम) : (क) और (ख) प्रचालनात्मक, इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक, ग्राउण्ड हैंडलिंग संबंधी पहलुओं; हवाई यातायात सेवाओं की निगरानी, संचार और दिक्चालन सुविधाओं आदि की उपयोगिता सहित, विमान प्रचालनों की संरक्षा से संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता जगाने के उद्देश्य से, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 8.7.1996 से 14.7.1996 तक संरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था।

(ग) और (घ) सभी सिविल विमान सेवाओं का प्रचालन वायुयान अधिनियम, 1934 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय अन्य पिछड़े वर्गों के लिस्ट में समुदायों को शामिल करना

2500. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग ने भंडारी, खार्वो, नाथयोगी, धोबी तथा अन्य समुदायों की क्रीमी लेयर की पहचान करने तथा उन्हें अलग करने के संबंध में अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ताकि उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं तो, तो कब तक आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की जायेगी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) क्रीमी लेयर के रूप में समझे जाने वाले सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों पिछड़े वर्गों के लोगों को शामिल न करने के प्रश्न का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्रीय सूची में एक जाति/समुदाय के अनुरोध के विचार की प्रक्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। आयोग ने गोवा राज्य के संबंध में खार्वो नाथजोगी, गोसावी तथा धोबी जातियों के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है। जो सरकार के विचाराधीन है। भंडारी जाति के संबंध में, आयोग ने गोवा राज्य सरकार तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अपने सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए अनुरोध किया है ताकि उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निर्णय लेने में समर्थ हो सके।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लौह अयस्क की खपत

2501. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों में भारतीय लौह अयस्क की औसत खपत कितनी है;

(ख) एक वर्ष के दौरान निर्यात गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की तुलना में इसका किस हद तक उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के हित में लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) "सेल" के संयंत्र और इसकी सहायक

कंपनियां एक वर्ष में लगभग 180 से 190 लाख टन लौह अयस्क का उपयोग करती हैं। लगभग समग्र आवश्यकता उसके अपने निजी स्रोतों, जिसके उत्पादन का निर्यात नहीं किया जाता, से पूरी की जा रही हैं।

(ग) और (घ) लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कल्याण योजनाएं

2502. **डा. बलिराव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त धनराशि का समुचित उपयोग किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं तथा इन योजनाओं पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1497475 व्यक्तियों को लाभ हुआ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं का ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधि

रु. लाख में

क्र. सं.	नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	5933.29	6292.51	5839.03
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	238.77	282.32	-
3.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	2763.00	4505.49	3800.16
4.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	350.00	1421.51	1669.82
5.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	80.33	166.31	68.13
6.	अनुसूचित जाति के लड़कों के होस्टल	60.65	-	66.93
7.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के होस्टल	15.77	-	31.82
8.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक	103.09	78.21	15.00
9.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और सम्बद्ध	3.00	-	-
10.	सिविल अधिकार संरक्षण तथा अत्याचार अधिनियम का कार्यान्वयन	49.60	178.51	399.43
11.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन	-	4.92	-
12.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम	1510.84	1402.001	164.41
13.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	6.52	34.84	36.72
14.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	-	1376.00	93.00

[अनुवाद]

जोखिमपूर्ण स्थितियों में कार्यरत श्रमिक

2503. **श्री वाणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा स्लेट पलेटों के खनन और स्लेट पेंसिल, पटाखे, माचिस उद्योग, बीड़ी उद्योग जैसे उन कतिपय लघु उद्योगों में कार्य स्थिति की कोई जांच करायी गई है जहां श्रमिक सर्वाधिक जोखिमपूर्ण और हानिकारक परिस्थितियों में काम करने के कारण विभिन्न लाइलाज बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठा गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम0 अरूणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2504. **श्री हरिन पाठक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं और चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान और कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगाने का विचार है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं हैं और प्रत्येक ग्रामीण डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक लगाने के लिए राज्यवार और जिलावार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आवंटित करने में कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार 216632 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि अर्थात् 1996-97 के दौरान 75,000 अन्य गांवों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित डाक घरों के राज्य वार/जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रत्येक गांव डाकघर में पी. सी. ओ. देने का अलग से कोई लक्ष्य नहीं है।

(ग) और (घ) फ्रेंचाइज स्कीम के तहत ग्रामीण एसटीडी पीसीओ के आबंटन के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांगों भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और धर्मार्थ संस्थानों/अस्पतालों सहित अन्य वरीयता प्राप्त वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को तरजीह दी जाती है।

विवरण

आंध्र प्रदेश

31.3.95 को पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों का ब्यौरा (जिलावार)

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की सं.
1.	अनंतपुर	753
2.	चित्तूर	603
3.	कुडप्पा	656
4.	कुर्नूल	583
5.	पूर्वी गोदावरी	701
6.	श्रीकाकुलम	398
7.	विशाखापट्टनम	312
8.	विजयनगरम	602
9.	आदिलाबाद	451
10.	करीमनगर	678
11.	महबूबनगर	720
12.	मेडक	504
13.	नालगोंडा	615
14.	निजामाबाद	439
15.	वारंगल	656
16.	हैदराबाद	-
17.	रंगारेड्डी	295
18.	कृष्णा	586
19.	गुण्टूर	456
20.	खम्मम	447

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की सं.
21.	नेल्लूर	523
22.	प्रकाशम	576
23.	पश्चिमी गोदावरी	467
	जोड़ :	12023

असम

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों का जिलावार ब्यौरा (कालम-21)

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की सं.
1.	कामरूप	230
2.	नालबाड़ी	219
3.	बारपेटा	166
4.	गोलपाडा	81
5.	बोंगईगांव	92
6.	कोकराझार	84
7.	धुबरी	96
8.	काछार	207
9.	हैलाकडंडी	88
10.	करीमगंज	116
11.	एन.सी. हिल्स	63
12.	कर्बी-अंगलोंग	113
13.	नौगांव	211
14.	तेरीगांव	84
15.	दारांग	137
16.	सोनितपुर	171
17.	जोरहाट	113
18.	गोलाघाट	176
19.	सिबसागर	218
20.	तिनसुकिया	93
21.	डिब्रूगढ़	149
22.	लखीमपुर	148
23.	धेमाजी	63
	योग :	3118

बिहार

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की सं.
		ग्रामीण
1.	सारण	224
2.	वैशाली	181
3.	भोजपुर	250
4.	बक्सर	146
5.	गया	296
6.	नवादा	145
7.	जहानाबाद	126
8.	नालंदा	243
9.	भागलपुर	178
10.	बांका	141
11.	पटना	085
12.	बेगूसराय	188
13.	खगड़िया	110
14.	दरभंगा	192
15.	पूर्वी चंपारण	214
16.	पश्चिम चंपारण	212
17.	मधुबनी	284
18.	मुंगेर	049
19.	लक्खीसराय	019
20.	शेखपुरा	026
21.	जमुई	076

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की सं.
22.	मुजफ्फरपुर	386
23.	अररिया	005
24.	कटिहार	008
25.	किशनगंज	003
26.	पूर्णिया	12
27.	सहरसा	095
28.	मधेपुरा	119
29.	सुपौल	098
30.	सिवान	049
31.	गोपालगंज	076
32.	सीतामढ़ी	163
33.	श्योहार	824
34.	समस्तीपुर	359
35.	दुमका	228
36.	पांकुर	061
37.	बी. देवधर	118
38.	गोड्डा	118
39.	साहेबगंज	078
40.	औरंगाबाद	184
41.	पलामू	195
42.	गढ़वा	062
43.	हजारीबाग	137
44.	कोडरमा	029
45.	चतरा	068
46.	गिरिडीह	155
47.	पूर्वी सिंघभूम	021
48.	पश्चिमी सिंघभूम	029
49.	रांची	238
50.	गुमला	171
51.	लोहरडगा	077
52.	धनबाद	117
53.	बोकारो	089
54.	रोहतास	189
55.	भभुआ	095
	कुल जोड़ :	7241

गुजरात

दिनांक 31.3.95 को पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की सं.
1.	अहमदाबाद	484
2.	गांधीनगर	50
3.	मेहसाणा	353
4.	साबारकांठा	403
5.	बांसकांठा	322
6.	भड़ूच	369
7.	डांग	49
8.	खेड़ा	455
9.	पंचमहल	394
10.	सूरत	478
11.	बडोदरा	500
12.	वलसाड	420
13.	अमरेली	227
14.	भावनगर	327
15.	जामनगर	246
16.	जूनागढ़	345
17.	कच्छ भुज	388
18.	राजकोट	288
19.	सुरेन्द्रनगर	223
20.	दमन	6

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की सं.
21.	दिऊ	1
22.	दादरा तथा नागर हवेली	27
	कुल :	6220

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों में पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	अनंतनाग	137
2.	बारामूला	123
3.	बडगांव	63
4.	डोडा	100
5.	जम्मू	172
6.	कठुआ	103
7.	कुपवाड़ा	38
8.	कारगिल	44
9.	लेह	45
10.	पुलवामा	51
11.	राजौरी	115
12.	श्रीनगर	55
13.	उधमपुर	115
14.	पुंछ	55
	कुल :	1216

हरियाणा

दिनांक 30.6.95 को पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	अम्बाला	125
2.	यमुनानगर	84
3.	भिवानी	119
4.	फरीदाबाद	85
5.	गुडगांव	99
6.	महेन्द्रगढ़	83
7.	रेवाड़ी	91
8.	हिसार	162
9.	सिरसा	85
10.	करनाल	77
11.	जींद	69
12.	पानीपत	45
13.	कुरुक्षेत्र	58
14.	कैथल	87
15.	रोहतक	112
16.	सोनीपत	78
	कुल :	1459

हिमाचल प्रदेश

31.3.95 (कालम 21) की स्थिति के अनुसार उन डाकघरों के जिला वार ब्यौरे जहां पी.सी.ओ. सुविधाएं नहीं हैं।

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	बिलासपुर	85
2.	चम्बा	176
3.	हमीरपुर	137
4.	कांगड़ा	369
5.	किन्नौर	69
6.	कुल्लू	105
7.	लाहौल स्पीति	40
8.	मंडी	221
9.	शिमला	225
10.	सोलन	50

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
11.	सिरमौर	81
12.	ऊना	105
	जोड़ :	1663

कर्नाटक

31.3.95 (कॉलम 21) की स्थिति के अनुसार उन डाकघरों के जिला वार ब्यौरे जहां पी.सी.ओ. सुविधाएं नहीं हैं।

क्र. स.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	बेंगलूर शहरी	62
2.	बेंगलूर ग्रामीण	257
3.	बेलगाम	276
4.	बेल्लारी	243
5.	बीदर	158
6.	बीजापुर	376
7.	चिकमंगलूर	126
8.	चित्रदुर्ग	232
9.	दक्षिण कर्नाटक	181
10.	धारवाड़	263
11.	गुलबर्गा	435
12.	हासन	189
13.	कोडागिरी	101
14.	कोलार	226
15.	मंड्या	211
16.	मैसूर	180
17.	रायचूर	314
18.	शिमोगा	255
19.	तुमकुर	371
20.	उत्तर कर्नाटक	201
	कुल :	4657

केरल

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
केरल राज्य		
1	त्रिवेन्द्रम	254
2.	क्विलोन	164
3.	पथनमथिट्टा	179
4.	अल्लेप्पी	159
5.	कोट्टयम	200
6.	इडुक्की	205
7.	एर्नाकुलम	155
8.	त्रिचूर	242
9.	पालघाट	189
10.	कालाप्पुरम	249
11.	कालीकट	220
12.	व्यानन्द	128
13.	कन्नानोर	199
14.	कसरगोद	144
	जोड़ :	2682
	संघ राज्य क्षेत्र	
15.	लक्षद्वीप	1
16.	माहे, पांडिचेरी	-
	जोड़	2683

मध्य प्रदेश

31.3.95 (कॉलम 21) की स्थिति के अनुसार उन डाकघरों के जिला वार ब्यौरे जहां पी.सी.ओ. सुविधाएं नहीं हैं।

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	बालाघाट	194
2.	बस्तर	466
3.	बेतुल	175
4.	भिंड	205
5.	भोपाल	61

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
6.	बिलासपुर	561
7.	छत्तरपुर	193
8.	छिंदवाड़ा	202
9.	दामोह	143
10.	दत्तिया	61
11.	देवास	104
12.	धर	121
13.	दुर्ग	273
14.	गुना	144
15.	ग्वालियर	110
16.	होशंगाबाद	156
17.	इंदौर	97
18.	जबलपुर	251
19.	झबुआ	119
20.	खंडवा	99
21.	खरगोने	150
22.	मांडला	201
23.	मंदसौर	174
24.	मुरैना	188
25.	नरसिंहपुर	128
26.	पन्ना	142
27.	रायगढ़	353
28.	रायपुर	359
29.	रायसेन	174
30.	राजगढ़ (बीआइओ)	125
31.	राजनंदगांव	174
32.	रतलाम	86
33.	रेवा	271
34.	सागर	129
35.	सतना	228
36.	सेहोर	105
37.	सिभोनी	173
38.	शाहदोल	219
39.	शजापुर	106
40.	शिवपुरी	172
41.	सिद्धी	143
42.	सरगूजा	239
	(अम्बिकापुर)	166
43.	टीकमगढ़	166
44.	उज्जैन	103
45.	विदिशा	120
	कुल जोड़ :	8264

महाराष्ट्र

31.3.95 के अनुसार पी सी ओ सुविधा रहित डाकघरों के जिलेवार ब्यौरे (कॉलम-21)

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	बम्बई	-
2.	अहमदनगर	406
3.	अकोला	226
4.	अमरावती	300
5.	औरंगाबाद	228
6.	बुलदाना	185
7.	बीद	190
8.	भंडारा	155
9.	चन्दापुर	195
10.	धुले	171
11.		138
12.	जालना	108
13.	जलगांव	232

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
14.	कोल्हापुर	364
15.	लत्तूर	188
16.	नागपुर	219
17.	नंदोद	279
18.	नासिक	420
19.	असमानाबाद	167
20.	पुणे	435
21.	प्रभानी	141
22.	रायगढ़	247
23.	रतनागिरी	493
24.	सोलापुर	316
25.	सतारा	471
26.	सांगली	285
27.	सिंधुदुर्ग	282
28.	थाणे	294
29.	वारधा	75
30.	येतमाल	230
31.	साउथ गोवा	42
32.	उत्तरी गोआ	78
	कुल जोड़ :	7550

नागालैंड

1.	कोहिमा	108
2.	मौदकेहुंग	41
3.	मीन	20
4.	फेक	30
5.	तेनसंग	38
6.	वोखा	18
7.	जिमहेबोटो	1
	जोड़ :	270

मिजोरम

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	ऐजवाल	160
2.	लुंगलई	64
3.	छिमतुईपुई	126
	जोड़ :	350

त्रिपुरा

1.	त्रिपुरा पश्चिमी	192
2.	दक्षिणी त्रिपुरा	192
3.	उत्तर त्रिपुरा	205
	जोड़ :	589

उड़ीसा सर्किल में पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों के (जिलेवार) ब्यौरे

1.	अंगुल	142
2.	बालासोर	287
3.	बारगढ़	86
4.	बौध	28
5.	भद्र	201
6.	बोलनगीर	156
7.	कट्टक	231
8.	देवगढ़	-
9.	दीनकानल	125
10.	गाजपति	88
11.	गंजम	270
12.	जगोटसिंहपुर	214
13.	जाजपुर	209
14.	झरसुगड़ा	47
15.	कालदी	222
16.	केंद्रापाड़ा	174
17.	केअनदर	232
18.	खर्दा	213

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
19.	कोरापुट	194
20.	सांचकनगिरी	72
21.	मयूरभंज	511
22.	नवरंगपुर	149
23.	नयागढ़	171
24.	नौपारा	73
25.	फूलवाणी	222
26.	पुरी	203
27.	रायगढ़ा	168
28.	सम्बलपुर	147
29.	सुबनापुर	23
30.	सुन्दरगढ़	319
	जोड़ :	5177

उत्तर पूर्वी सर्किल

मेघालय

31.3.95 के अनुसार पी सी ओ सुविधा रहित डाकघरों के जिलेवार ब्यौरे

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	ईस्ट खासी हिल्स	127
2.	वेस्ट खासी हिल्स	82
3.	गौतिया हिल्स	61
4.	ईस्ट गोरो हिल्स	42
5.	वेस्ट गोरो हिल्स	75
	कुल जोड़ :	387

मणिपुर

1.	इम्फाल	121
2.	बिशनपुर	34
3.	थौबाल	77
4.	चंदेल	62
5.	चुराचंदनपुर	91
6.	सोनापति	107
7.	जनेनलोग	63
8.	इटखरूल	60
	जोड़ :	615

अरुणाचल प्रदेश

1.	जावंग	11
2.	वेस्ट कमेंग	18
3.	ईस्ट कमेंग	13
4.	लोअर सुबनसिरी	18
5.	अपर सुबनसिरी	12
6.	वेस्ट सिआंग	30
7.	इस्ट सिआंग	21
8.	विनंग लैली	21
9.	लोहित	41
10.	जिराय	11
11.	हंगलियांग	24
12.	पम्पाड़ा	15
	जोड़ :	261

पंजाब

31.3.95 के अनुसार पी सी ओ सुविधा रहित डाकघरों के जिलेवार ब्यौरे (कॉलम-21)

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
1.	लुधियाना	301
2.	फतेहगढ़ साहिब	74
3.	पटियाला	146
4.	रोपड़	131
5.	संगरूर	147
6.	अमृतसर	391

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
7.	भटिंडा	92
8.	फरीदकोट	296
9.	फिरोजपुर	201
10.	गुरूदासपुर	187
11.	जालन्धर	382
12.	होशियारपुर	335
13.	कपूरथला	108
14.	मंसा	51
15.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	7
	जोड	2869
	राजस्थान	
1.	अजमेर	311
2	अलवर	402
3.	बांसवाड़ा	200
4.	बरन	157
5.	भरतपुर	310
6.	बाड़मेर	383
7	भीलवाड़ा	283
8.	बीकानेर	134
9.	बूंदी	160
10.	चित्तौड़गढ़	330
11.	चूरू	290
12.	दौसा	204
13.	धौलपुर	161
14.	डुंगरपुर	232
15.	हनुमानगढ़	213
16.	जयपुर	429
17.	जालौर	199
18.	जैसलमेर	119
19.	झालावार	197
20.	झुनझुनू	293
21.	जोधपुर	296
22.	कोटा	130
23.	नागोर	335
24.	पाली	255
25.	राजसमंद	166
26.	सवाईमाधोपुर	375
27.	सीकर	333
28.	सिरोही	125
29.	श्रीगंगानगर	285
30.	टोंक	18
31.	उदयपुर	389
	जोड़ :	7885
	तमिलनाडु	
1.	चेंगलपट्टू एमजीआर	503
2.	कोयम्बटूर	90
3.	धर्मापुरी	309
4.	डिंगलोगुल अन्ना	112
5.	कमाराजार	122
6.	कन्याकुमारी	169
7.	मद्रास	-
8.	मदुरई	145
9.	एन.क्यू. मिलाथू	428
10.	नीलगिरि	26
11.	ए.ए.अम्बेडकर	92
12.	पी.एम.थीवर	122
13.	पेरियार	222
14.	पुडुकोट्टई	90
15.	रमनाथपुरम	115
16.	सालेम	331

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
17.	एस.ए.वल्लर	215
18.	थनजावुर	284
19.	तिरुचिरापल्ली	278
20.	टी. कोट्टाबोमन	174
21.	टी वी एम सम्बूवरावर	155
22.	वी. आर. पडाययची	315
23.	वीओ चिदम्बरम	79
	तमिलनाडु	4376
	पी.यू.टी.	40
	जोड़ :	4416

उत्तर प्रदेश सर्किल

कानपुर क्षेत्र

1.	कानपुर सिटी	77
2.	कानपुर (देहात)	231
3.	उन्नाव	184
4.	फतेहपुर	180
5.	फर्रुखाबाद	190
6.	बांदा	209
7.	हमीरपुर	65
8.	महोबा	66

इलाहाबाद क्षेत्र

9.	इलाहाबाद	413
10.	प्रतापगढ़	316
11.	वाराणसी	273
12.	गाजीपुर	321
13.	मिर्जापुर	166
14.	जौनपुर	359
15.	सोनभद्र	110
16.	भदोई	79

बरेली क्षेत्र

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
17.	अल्मोड़ा	308
18.	खोरी	240
19.	हरदोई	173
20.	बरेली	33
21.	बदायूं	166
22.	शाहजहांपुर	210
23.	नैनीताल	195
24.	पीलीभीत	91
25.	पिथौरागढ़	259
26.	मुरादाबाद	240
27.	रामपुर	68
28.	आगरा	224
29.	अलीगढ़	287
30.	बुलंदशर	196
31.	एटा	207
32.	इटावा	188
33.	झांसी	116
34.	ललितपुर	119
35.	जालौन	158
36.	मैनपुरी	106
37.	फिरोजाबाद	84
38.	मथुरा	91
39.	आजमगढ़	311
40.	मऊ	155
41.	गोरखपुर	292
42.	महाराजगंज	154
43.	बस्ती	349
44.	सिद्धार्थनगर	175
45.	गौंडा	399

क्र. सं.	जिले का नाम	पीसीओ सुविधा रहित डाकघरों की संख्या
46.	बलिया	263
47.	बहराइच	302
48.	देवरिया	225
49.	पड़रौना	198
	देहरादून क्षेत्र	
50.	बिजनौर	218
51.	चमोली	124
52.	देहरादून	138
53.	गाजियाबाद	172
54.	मेरठ	242
55.	मुजफ्फरनगर	195
56.	पौड़ी	331
57.	सहारनुपर	95
58.	टिहरी	182
59.	उत्तर काशी	108
60.	हरिद्वार	60
	लखनऊ क्षेत्र	
61.	लखनऊ	146
62.	फैजाबाद	520
63.	रायबरेली	200
64.	सुलतानपुर	398
65.	सीतापुर	330
66.	बाराबंकी	276
	जोड़ :	13451
	पश्चिम बंगाल	
1.	उत्तर 24-परगना	419
2.	दक्षिण 24-परगना	716
3.	कलकत्ता	-
4.	पुरूलिया	394
5.	मिदनापुर	1244
6.	हावड़ा	243
7.	हुगली	371
8.	बंकुरा	395
9.	नाडिया	341
10.	बर्दवान	562
11.	बीभूम	395
12.	मुर्शीदाबाद	472
13.	मालदा	290
14.	उत्तर दिनाजपुर	324
15.	दक्षिण दिनाजपुर	
16.	कूच बिहार	304
17.	दार्जिलिंग	147
18.	जलपाईगुड़ी	208
19.	उत्तर	17
20.	पूर्व	78
21.	पश्चिमी	23
22.	दक्षिणी	42
23.	अंडमान	56
24.	निकोबार	14
	जोड़ : .	7055

टेलीफोन बिलों का कम्प्यूटरीकरण

2505. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में टेलीफोन बिलों का कम्प्यूटरीकरण शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सभी महानगरों में टेलीफोन बिलों के कम्प्यूटीकरण के लिए क्या अवधि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :(क) और (ख) जी हां। महानगरीय जिलों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली पहले ही चलन में है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मचारियों को विभाग में और बाहर की एजेंसियों के जरिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विदेश संचार निगम द्वारा यूरो इश्यू जारी किया जाना

2506. **श्री शरत पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा ऋण हेतु विदेश संचार निगम को यूरो इश्यू जारी करने की अनुमति देने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) विदेश संचार निगम लि. को विदेशी मुद्रा ऋण यूरो-इश्यू जारी करने की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, विदेश संचार निगम लि. के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अतिरिक्त इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मैसूर के बीडी श्रमिक

2507. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने बीड़ी तथा सिगार श्रमिक हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन श्रमिकों के लिए आवासों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन श्रमिकों के कल्याण के क्या कल्याणकारी उपाय किए जाने के विचार हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) देश में इस समय, राज्यवार, अनुमानित बीड़ी कर्मकारों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) देश में बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और आमोद-प्रमोद के क्षेत्र में अनेक योजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

देश में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	बीड़ी कर्मकारों की संख्या
उत्तर प्रदेश	4,50,000
कर्नाटक	3,55,000
केरल	1,36,000
आंध्र प्रदेश	6,25,000
तमिलनाडु	6,21,000
राजस्थान	1,00,000
गुजरात	50,000
उड़ीसा	1,52,000
मध्य प्रदेश	6,50,000
बिहार	3,92,000
महाराष्ट्र	2,56,000
पश्चिम बंगाल	4,50,000
असम	8,000
त्रिपुरा	5,000
कुल :	42,50,000

पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का इस्पात उद्योग पर प्रभाव

2508. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का इस्पात उद्योग पर प्रभाव पड़ा है तथा क्या इससे इस्पात उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई आंकलन किया गया है;

(ग) क्या डीजल की मूल्य वृद्धि से कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी तथा परिणामस्वरूप तैयार माल और भी मंहगा होगा;

(घ) क्या इसे देखते हुए इस्पात के मूल्य में भी वृद्धि होगी;

(ङ) क्या इस्पात उद्योग से संबंधित संपूर्ण माल 85-90 प्रतिशत भाग की ढुलाई सड़क के माध्यम से की जाती है जिससे कीमतें और बढ़ेंगी; और

(च) यदि हां, तो इस वृद्धि से इस्पात उत्पादों पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि इस्पात उत्पादों को प्रभावित करेगी।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि से वर्ष 1996-97 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों पर प्रत्यक्ष रूप से लगभग 71 करोड़ रूपये का प्रभाव पड़ेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय सरकार का इस्पात के मूल्य निर्धारण पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है।

(ङ) और (च) इस्पात उत्पादो का मूल्यन कुछ सीमा तक प्रभावित होगा। उदाहरण के तौर पर विशाखाट्टनम इस्पात संयंत्र में उत्पादन की लागत पर परिसज्जित इस्पात के संबंध में 35 रूपये प्रति टन और कच्चे लोहे के संबंध में 5 रूपये प्रति टन प्रभाव पड़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

महिला यात्री से दुर्व्यवहार

2509. **कुमारी उमा भारती :**

श्री राव नाईक :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया की उड़ान में चालक दल के सदस्यों द्वारा महिला यात्रियों से दुर्व्यवहार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ङ) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (च) जी नहीं। तथापि, छुट्टी पर यात्रा कर रहे एक कर्मचारी पर विमान में एक महिला यात्री के साथ दुव्यर्वहार किये जाने का आरोप है। उक्त कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरूद्ध अनुशासनिक जांच शुरू की गई है।

[अनुवाद]

नॉन-इलैक्ट्रानिक मीडिया

2510. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा नॉन-इलैक्ट्रानिक मीडिया को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार की पंचायती राज लागू होने तथा योजना और कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण के संदर्भ में फील्ड पब्लिसिटी, आर्गेनाइजेशन का विस्तार करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के विचार की कोई योजना है;

(ग) क्या शोध और संदर्भ का वर्तमान स्वरूप केन्द्रीयकृत है या दिल्ली में क्षेत्रीय शोध और सन्दर्भ प्रभाग खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) इलैक्ट्रानिक और अन्य मीडिया इकाईयों के लिए परिव्यय में वृद्धि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) गैर इलैक्ट्रोनिक मीडिया का सुदृढ़ीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इसे मंत्रालय के क्षेत्रीय एककों की मॉनिटरिंग, पुनर्विवेशन समीक्षा तथा आधुनिकीकरण के माध्यम से संपन्न किया जाता है।

(ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के एकक स्थानीय पंचायतों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श करते हैं और उनके साथ कार्य करते हैं। श्रव्य-दृश्य उपकरणों के आधुनिकीकरण तथा क्षेत्रीय कार्मिकों की पहुंच में वृद्धि करने हेतु उपाय किए गए हैं। आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दूरवर्ती क्षेत्रों में नए एकक भी खोले गए हैं।

(ग) गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग दिल्ली में स्थित एक केन्द्रीयकृत प्रतिष्ठान है। दिल्ली में क्षेत्रीय गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 हेतु इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा गैर-इलैक्ट्रोनिक मीडिया एककों के लिए परिव्यय।

(आंकड़े लाखों में)

क्रम सं.	क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय (1995-96)	प्रस्तावित परिव्यय (1996-97)	1995-96 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि
1.	इलैक्ट्रोनिक क्षेत्र (आकाशवाणी/दूरदर्शन)	44878.00	48036 00	7.0
2.	गैर-इलैक्ट्रोनिक क्षेत्र (अन्य माध्यम एकक) (आंकड़ों में आंतरिक संसाधन शामिल हैं।)	4672.00	5262.00	12.6

कूच बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

2511. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) जिले में दिनहाट टेलीफोन एक्सचेंज के खराब कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां सरकार को कूचबिहार जिले में दिनहाटा टेलीफोन एक्सचेंज के ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री अमर राय प्रधान की दिनांक 12.9.95 की शिकायत प्राप्त हुई है।

जून, 1995 में अत्यधिक बिजली चमकने के कारण संचारण उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे सेवाओं में व्यवधान हुआ। उक्त उपस्कर 23.6.95 को ठीक कर दिया गया था। अधिक समय तक ऐसे व्यवधानों से बचने के लिए अतिरिक्त उपस्कर खरीदे गए हैं।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की पैकिंग

2512. **जस्टिस गुमानमल लोढा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेंहू और चावल की पैकिंग बदल दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996-97 के दौरान बदली हुई पैकिंग में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में आपूर्ति किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पुरानी पैकिंग की अपेक्षा नई पैकिंग पर अधिक खर्च आता है; और

(ङ) यदि हां, तो 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस पर कितनी अतिरिक्त राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि खाद्यान्नों (गेंहू और चावल) की 50 किलोग्राम की पैकिंग खरीफ मौसम 1994-95 में शुरू हुए पांच वर्षों के बीच चरणबद्ध ढंग से लागू की जाए।

(ग) राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा वसूल की गई मात्रा को छोड़कर भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी 1996-97 में वसूल की गई कुल 21.5 लाख टन मात्रा में से 6.59 लाख टन गेंहू 50 किलोग्राम की पैकिंग में भरी गई है। 1996-97 में धान/चावल की वसूली अभी शुरू होनी है।

(घ) और (ङ) जब खाद्यान्नों की भराई वर्तमान में 95 किलोग्राम की बोरियों की बजाय 50 किलोग्राम की बोरियों में की जाती है तो सिलाई, हैंडलिंग और ढुलाई में वहन की

जाने वाली अतिरिक्त लागत को छोड़कर जूट की बोरियों की प्रति क्विंटल लागत लगभग 24 प्रतिशत बढ़ जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में दूरसंचार प्रणाली का विस्तार

2513. **श्री संदीपान थोरात** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, जिलेवार महाराष्ट्र के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली के विकास, विस्तार और उन्नयन हेतु कितनी धनराशि का आबंटन/उपयोग किया गया है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है और धनराशि तथा उपस्करों की अनुपलब्धता के कारण विकास कार्य का क्रियान्वयन धीमा पड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो सम्पूर्ण महाराष्ट्र और विशेषकर शोलापुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्य में और विशेषकर शोलापुर जिले में क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विमान सेवायें

2514. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विमान सेवाओं के विस्तार की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी0 एम0 इब्राहीम) : (क) से (ग) जी हां। औरंगाबाद के लिए सेवाओं में वृद्धि करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। क्षमता और कर्मीदल सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इंडियन एयरलाइन्स फिलहाल औरंगाबाद के लिए सेवाओं में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

मानक/दिशा-निर्देश

2515. **श्री के0 प्रधानी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी और निजी विमान कम्पनियों की उड़ानों में मनोरंजन के संबंध में निर्धारित किए गए मानकों, दिशा-निर्देशों और विनियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री सी0 एम0 इब्राहीम) : (क)और (ख) सरकार द्वारा कोई मार्गदर्शी-सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए हैं सिवाय इसके कि भारत में अंतर्देशीय सेक्टरों पर विमानों में अल्कोहोलिक पेय पेश करने अथवा उपभोग करने की अनुमति नहीं है।

बाल श्रमिक

2516. **श्री पिनाकी मिश्र** :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री राव नाईक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में बाल श्रम विरोधी कानून के कार्यान्वयन में ढिलाई बरतने के कारण भारत सहित अन्य विकासशील देशों की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में बाल श्रम में लगे 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या बाल श्रम विरोधी उपायों का कार्यान्वयन असंतोषजनक रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम0 अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। जून, 1996 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन और मंत्रालयीन स्तर पर अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक में बाल श्रम विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। यह बताया गया था कि विकासशील देशों में बाल श्रम के गम्भीर सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी विवक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न हो रही है। सम्मेलन द्वारा अंगीकार किए गए

संकल्प में, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारों, नियोजकों और कर्मकारों के संगठनों से यह अपेक्षा की गयी है कि कार्य करते समय बालकों के शोषण को प्रतिषिद्ध करने संबंधी राष्ट्रीय विधान अधिनियमित करें और इसे प्रवर्तित करें।

(ग) से (ङ.) 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बालकों की कुल संख्या (0-14 वर्ष के आयु वर्ग में) 13.6 मिलियन थी। ये देश में बालकों (0-14 वर्ष) की कुल जनसंख्या का 4.26 प्रतिशत थे।

जोखिमकारी व्यवसायों में सन् 2002 तक बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है। बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्विति की जा रही हैं जिनमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुपूरक पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख और वजीफा आदि प्रदान किए जाते हैं। लोगों को बाल श्रम प्रथा के विरुद्ध संवेदनशील बनाने के लिए एक जागरूकता सृजन अभियान भी चलाया गया है। बाल श्रम का मूल कारण गरीबी और अल्प रोजगार होने के कारण, बाल श्रम के समूल उन्मूलन का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास के माध्यम से निर्धनता की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करके ही हासिल किया जा सकता है।

उड़ीसा में ऐल्यूमिनियम संयंत्र

2517. **डा0 कृपासिन्धु भोई** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नाल्को" द्वारा उड़ीसा के दमनजोड़ी तथा अनुगुल में ऐलुमिना तथा ऐल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) "नाल्को" द्वारा विस्थापित परिवारों के समुचित पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उन लोगों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) दमनजोड़ी में एल्यूमीना शोधनशाला की स्थापना के कारण 596 परिवारों को विस्थापित किया गया है और अंगुल में प्रगालक और कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के कारण 30 परिवारों को विस्थापित किया गया है।

(ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि0 (नाल्को) ने हटाये गये प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक योग्य व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने की नीति अपनाई है। इसके अलावा, दमनजोड़ी में 521 विस्थापित परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ) दमनजोड़ी में एल्यूमिना शोधनशाला के लिये अर्जित 4433.02 एकड़ भूमि के लिये विस्थापित परिवारों को 1.45 करोड़ रू. की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। अंगुल में प्रगालक और कैप्टिव पावर प्लांट के लिये अधिगृहित 3719.66 एकड़ भूमि के लिये विस्थापित परिवारों को 7.72 करोड़ रू. का मुआवजा दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाना

2518. **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्या इन ट्रांसमीटरों के संचालन के लिए अपेक्षित आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) संलग्न विवरण में दी गई जिले-वार संख्या के अनुसार 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में चालीस (40) ट्रांसमीटर परियोजनाओं को आरंभ करने/पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते संसाधन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन परियोजनाओं को चालू किया जाना स्टाफ मंजूरी की प्राप्ति पर निर्भर करेगा जिसके लिए हर साल संभव प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

30.7.1996 की स्थिति के अनुसार 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन तथा पूरा किए जाने हेतु संभावित टी.वी. ट्रांसमीटर (जिले-वार)।

क्र0सं0	जिला	ट्रांसमीटरों की संख्या
1.	अल्मोड़ा	6
2.	बहराइच	1

क्र0सं0	जिला	ट्रांसमीटरों की संख्या
3.	बांदा	1
4.	बाराबंकी	1
5.	बस्ती	2
6.	चमोली	7
7.	देहरादून	1
8.	एटा	2
9.	इटावा	1
10.	गढ़वाल	4
11.	हमीरपुर	1
12.	झांसी	1
13.	मुरादाबाद	1
14.	नैनीताल	1
15.	पिथौरागढ़	2
16.	सिद्धार्थनगर	1
17.	टिहरी गढ़वाल	5
18.	उत्तर काशी	2
	योग :	40

[अनुवाद]

निजी दूरदर्शन चैनल आपरेटर

2519. **श्री के0वी0 कोंडय्या** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने निजी दूरदर्शन चैनल कार्यरत है;

(ख) क्या इन चैनलों के प्रसारण समय को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) वर्तमान में, किसी भी निजी पार्टी को भारतीय भूमि से टेलीविजन चैनल का प्रचालन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेलीफोनों का स्थानान्तरण

2520. **श्री पवन दीवान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा टेलीफोन का स्थानांतरण किये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टेलीफोन स्थानांतरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) इनमें से कितने टेलीफोन का स्थानांतरण किया जा चुका है और 1996 के दौरान आज तक यह स्थानांतरण कब-कब किया गया;

(घ) क्या निर्धारित समय के पश्चात् कार्य करने के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) निर्धारित मानदण्ड है; एक ही एक्सचेंज में शिफ्ट के मामले में 7 दिन और एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट के मामले में 15 दिन। 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार 1996 के दौरान टेलीफोन शिफ्ट करने के संबंध में 43614 आवेदन प्राप्त हुए।

(ग) 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार, 1996 के दौरान मानदण्डों के भीतर शिफ्ट किए गए टेलीफोनों की संख्या 34143 है। टेलीफोन शिफ्ट करने के मामले निम्नलिखित कारणों से लंबित हैं :

(1) क्षेत्र का तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होना।

(2) उपभोक्ताओं की ओर से कमियां होने के कारण।

(3) वर्षा ऋतु।

(घ) जी नहीं। उपर्युक्त (ग) में दिए गए कारणों से मानदण्डों के भीतर टेलीफोन शिफ्ट न करने के लिए अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं।

(ड.) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन का स्थानांतरण/ठीक करना/ओ.बी. नम्बर

2521. **श्री के0 डी0 सुल्तानपुरी** : क्या **संचार मंत्री** यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरसंचार सर्किल द्वारा नये कार्यक्रमानुसार खराब पड़े टेलीफोन को ठीक करने, दिल्ली में एक जोन से दूसरे जोन में टेलीफोन कनेक्शन को स्थानांतरित करने, ओ. बी. नम्बर जारी करने के पश्चात् नये टेलीफोन कनेक्शन देने और ओ.बी. नम्बर जारी करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। निर्धारित समय सीमा/मानदण्ड हैं :-

(i) टेलीफोन दोष ठीक करने की अवधि- 48 घन्टे

(ii) एक जोन से दूसरे जोन में टेलीफोन- 15 घन्टे शिफ्ट करने की अवधि

(iii) ओ बी जारी करने के पश्चात् नया टेलीफोन कनेक्शन लगाने की अवधि- 15 दिन

(iv) संसद सदस्यों के कोटे से बिना बारी के मामलों में ओ बी प्राथमिकता आधार पर जारी की जाती है और ऐसे मामलों को छोड़कर जब कि वह क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य न हो टेलीफोन अधिकांशत: तत्काल लगा दिया जाता है।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

2522. **श्री अंचल दास** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले, और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और निर्धन व्यक्तियों के साथ होने वाली अनियमितताओं और पक्षपात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा निर्धन व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुओं की नियमित और निष्पक्ष आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) ऐसे कोई मामले सरकार के ध्यान में नहीं लाए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीब लोगों को वितरण करने समेत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

2523. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचर प्रभाग, कल्याण को टेलीफोन उपभोक्ताओं से 18 करोड़ रूपये के टेलीफोन बिलों को बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एक्सचेंज की देय बकाया राशि कितनी है; और

(ग) उक्त राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना मंगवाई गई है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

लम्बित प्रस्ताव

2524. **श्री रनजीव बिसवाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के प्रयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत उड़ीसा के कितने निर्माताओं/निर्देशकों से धारावाहिकों/टेली-फिल्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) उक्त प्रस्तावों में से कितने स्वीकृत हुए और लम्बित प्रस्तावों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या दूरदर्शन निदेशालय ने निर्माताओं को प्रस्तावों को अस्वीकार करने के संबंध में स्पष्ट कारण बताएं हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जी. एम. इदाहीम) : (क) प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) नीतिगत मामले के रूप में संकल्पना स्तर पर प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के कारण निर्माताओं को नहीं बताए जाते हैं।

असम में इलैक्ट्रानिक क्रास-बार एक्सचेंज

2525. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय कार्यरत इलैक्ट्रो मैकेनिकल तथा क्रास बार एक्सचेंजों की क्या संख्या है;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों को कार्य करते हुए 15 वर्ष का समय पूरा हो गया है;

(ग) क्या इन्हें इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस समय असम में 5 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान सभी इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से निम्नलिखित रूप से बदलने का प्रस्ताव है :

1.	गुवाहाटी	4800	लाइनें
2.	रंगिया	200	लाइनें
3.	दुलियाजान	300	लाइनें
4.	डिगबोई	300	लाइनें
5.	नागरूप	200	लाइनें

असम में चाय बागानों में श्रमिक

2526. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार कर इसमें असम के चाय बागानों के श्रमिकों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) चाय बागान श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, और उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत पहले ही शामिल किया जा चुका है। भविष्य निधि और अन्य लाभों के लिए उन्हें असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बागान श्रम अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख और कतिपय अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का केवल चाय बागान श्रमिकों के लिए और विस्तार किए जाने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

विमानन संबंधी नीति

2527. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यमान विमानन नीति में कतिपय अनियमितताओं को दूर करने के लिए तथा तेजी से बढ़ रहे उद्योग को और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक विमानन नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में नीति की घोषणा कब तक की जायेगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जी. एम. इनामदार) : (क) से (ग) विमानन नीति, प्राप्त अनुभव और व्यापार, वाणिज्य, यात्रा तथा पर्यटन सम्बन्धी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सतत् आधार पर विकसित/संशोधित की जाती है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल किया जाना

2528. **श्री आर. बी. राई** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली/गोरखा समुदाय की तंगम "लिम्बू एवं राई/किराट जातियों ने उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक रूख से विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियों की सूची में तमांग, लिम्बू तथा किराटी खम्बू (राई) समुदायों को शामिल करने के लिए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं तथा सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली स्थित प्रतिष्ठानों में आई.टी.डी.सी. द्वारा निवेश

2529. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा इसके दिल्ली स्थित प्रतिष्ठानों में आज तक कुल कितनी राशि का निवेश किया गया, तथा ये प्रतिष्ठान किन-किन

स्थानों पर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने दिल्ली स्थित इसकी इकाइयों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है/तैयार करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत कुमार जेना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इसके दिल्ली स्थित वाणिज्यक यूनिटों (एककों) अर्थात् होटल अशोक, जनपथ, लोदी, रणजीत, कुतुब, सम्राट, कनिष्का, अशोक यात्री निवास, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली और अशोक होटल में नि:शुल्क दुकानों पर कुल 12.71 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई।

(ख) सूचना निम्नानुसार दी गई है :

वर्ष	अर्जित किया गया निवल लाभ (कर से पहले) (करोड़ रुपयों में)
1993-94	24.02
1995-95	43.17
1995-96 (अनन्तिम)	65.19

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के वर्ष 1996-97 के लिए अस्थायी योजना प्रस्तावों में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:-

(1) मौजूदा लोदी होटल का 310 कमरों वाले एक पांच सितारा होटल में पुनर्निर्माण करना।

(2) होटल अशोक, सम्राट, कुतुब, कनिष्का, जनपथ, रणजीत और अशोक यात्री निवास नई दिल्ली में नवीनीकरण/सुधार के लिए योजनाओं हेतु 8.34 करोड़ रुपये की कुल योजना का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में पिछड़े समुदायों को शामिल करना

2530. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**

श्री चर्चिल अलेमाओ :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को विभिन्न पिछड़े वर्गों द्वारा उन्हें "अन्य पिछड़े वर्गों के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कनियारा सेवा समाज, मैसूर से उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक समुदाय को शामिल करना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है इसलिए आयोग ने कनियारा सेवा समाज से सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की इक्विटी पूंजी

2531. **श्री ए.सी. जोस :**

श्री राजेश चेन्नित्तला :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की इक्विटी पूंजी में निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत विमानपत्तन प्राधिकरण उक्त विमानपत्तन को विमान संचालन संबंधी उपकरण रेडार और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्टस लिमिटेड की इक्विटी पूंजी में निवेश करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता

2532. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को नेत्रहीन, बधिर एवं मूक, मंदबुद्धि तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विदेशी सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त विदेशी सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) :(क) और (ख) कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय विकलांगता तथा पुनर्वास अनुसंधान संस्थान के जरिए 1985-94 के लिए जिला पुनर्वास केन्द्र परियोजना के लिए यू.एस. इंडिया रूपया निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त की। वर्ष 1990-94 के लिए सहायता कल्याण मंत्रालय के शेयर को 20 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाने के साथ टेपरिंग आधार पर थी। पिछले तीन वर्षों के लिए विदेशी वित्तीय सहायता की राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है;

वर्ष	राशि
1993-94	26,87,631 रूपये
1994-95	शून्य
1995-96	शून्य

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय विकलांगता तथा पुनर्वास अनुसंधान संस्थान से वित्तीय सहायता 1985-89 के लिए सीतापुर तथा बेंगलपेर में जिला पुनर्वास केन्द्रों के लिए प्राप्त हुई थी।

[अनुवाद]

गुजरात में एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ

2533. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिले वार कितने एस टी डी / आई एस डी बूथ कार्यरत हैं;

(ख) क्या राज्य में इस प्रकार के नये बूथ आवंटित करने के लिए बहुत से आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित आवेदनों का निपटान कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच एक समिति द्वारा की जाती है जिसकी बैठक प्रत्येक महीने होती है और पात्र आवेदकों को मंजूरी प्रदान की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

क्रम सं.	जिला	कार्यरत एसटीडी/आई एसडी बूथों की संख्या	एसटीडी/आईएसडी बूथों के लिए आवंटन हेतु लम्बित आवेदन पत्र
1.	अहमदाबाद	1803	363
2.	गांधीनगर	44	98
3.	अमरेली	249	330
4.	भावनगर	452	723
5.	भड़ौच	567	56
6.	भुंज (कच्छ)	467	439
7.	बानसकाठा (पालनपुर)	286	103
8.	जामनगर	429	178

क्रम सं.	जिला	कार्यरत एसटीडी/आई एसडी बूथों की संख्या	एसटीडी/आईएसडी बूथों के लिए आवंटन हेतु लम्बित आवेदन पत्र
9.	जूनागढ़	660	426
10.	खेड़ा (नाडियाड)	841	432
11.	महेसाना	585	444
12.	पंचमहल (गोधरा)	293	29
13.	राजकोट	1011	434
14.	साबरकाठा (हिम्मतनगर)	236	49
15.	सूरत	713	377
16.	सुरेन्द्र नगर	273	66
17.	बलसार	591	258
18.	डांग	01	-
19.	बडोदरा	2077	-
	जोड़ :	11578	4805

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में मजदूर

2534. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय श्रेणीवार कुल कितने मजदूर है;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र में लगे मजदूरों को पूरे वर्ष में केवल अधिकतम सौ दिनों तक ही काम मिल पाता है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इन कृषि मजदूरों के लिए बेरोजगारी के दौरान रोजगार सुनिश्चित कराने हेतु कोई योजना लागू की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप इन मजदूरों के कितने दिन रोजगार मिलने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चौथी ग्रामीण श्रम जांच (आर एल ई) के अनुसार वर्ष 1983 (चौथी आर एस ई) के लिए कृषीय मजदूरी रोजगार में कृषीय श्रम घरों के पुरूषों और महिलाओं द्वारा प्रति वर्ष औसत श्रम दिवस 159 दिन और 136 दिन था।

(घ) से (च) जवाहर रोजगार योजना और महन जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों की सृष्टि करना है। इस योजना के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान सृजित रोजगार 977.14 लाख श्रम दिवस है। वर्ष 1994-95 के दौरान गहर जवाहर रोजगार योजना (आई जे आर वाई) के अधीन अतिरिक्त 113.47 लाख श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया। 2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पता लगाए गए पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसे अब विस्तारित करके 2448 पता लगाए गए पिछड़े ब्लाकों में शुरू किया गया है। इसका तात्पर्य अल्प कृषीय मौसम में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य के आश्वत मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना है। इस योजना से मुख्यत: कृषीय कर्मकारों को लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के अधीन सृजित किया गया रोजगार 188.89 लाख श्रम दिवस है।

विवरण

देश में कार्यरत श्रमिकों की कुल श्रेणी-वार संख्या (1991 की जनगणना)

क्रम सं.	श्रेणी	संख्या
1.	कुल प्रमुख कर्मकार	285,932,493
2.	कृषक	110,702,346
3.	कृषीय कर्मकार	75,597,744
4.	पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन शिकार और बागान, बगीचा और सम्बद्ध कार्यकलाप	6,040,739
5.	खनन और उत्खनन	1,751,275
6.	विनिर्माण, प्रसंस्करण, सेवा और मरम्मत	
	(क) घरेलू उद्योग में	6,804,021
	(ख) घरेलू उद्योग के अतिरिक्त	21,867,458
7.	निर्माण कार्य	5,543,205
8.	व्यवसाय और वाणिज्य	21,296,337
9.	परिवहन, भण्डारण और संचार	8,017,746
10.	अन्य सेवाएं	29,311,622

[अनुवाद]

बाल सुधार गृह में बच्चों की खराब दशा

2535. **श्री विनायकी मिश्र :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मई, 1996 के "नेशनल मेल" (भोपाल) में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि देश में 600 बाल सुधार गृहों में बच्चों की दशा अत्यंत शोचनीय है जिससे वे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाल सुधार गृहों की स्थिति में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे गृहों में बच्चे न्यूनतम अवधि के लिए रहें, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। तथापि, संवासियों की स्थिति यथोचित रूप से अच्छी है। संवासियों को एक बार सौंप दिए जाने पर उनको कैलोरी आवश्यकता के आधार पर निर्धारित आहार के अतिरिक्त कपड़े तथा बिस्तर प्रदान करने के मानदण्ड निर्धारित हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गृह में कल्याण अधिकारियों का एक दल है।

(ख) किशोर न्याय अधिनियम 1986 का कार्यान्वयन कार्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास है। इस अधिनियम में उपेक्षित या अपराधी किशोरों के देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास तथा पुर्नवास और अपराधी किशोरों से संबंधित कुछ मामलों और स्थिति पर निर्णय का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तथा उपेक्षित किशोरों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के पास शीघ्र वापसी के लिए किशोर कल्याण बोर्डों तथा न्यायालयों की स्थापना की जाती है।

किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुवर्ती उपाय के रूप में मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने तथा उन्हें मजबूत करने में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सहायता करने के लिए सरकार, किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत गृहों के निर्माण, विद्यमान गृहों के उन्नयन तथा संवासियों के भरण-पोषण के लिए 50:50 आधार पर राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों तथा किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियन्त्रण योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करती रही है।

घरेलू नौकर

2536. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में लगभग 20 मिलियन घरेलू नौकर अभी भी देश में अनियमित और संरक्षित श्रम बल है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गत वर्ष जेनेवा में हुए सम्मेलन में घरेलू नौकरों की सुरक्षा हेतु आम सहमति हुई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उक्त नौकरों की स्थिति बेहतर बनाने हेतु कोई विधान बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) बीड़ी

कर्मकारों जैसे गृह कर्मकारों के कुछ वर्गों को विनियमित और संरक्षित करने के लिए विधान लागू है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने जून, 1996 में घरेलू कार्य के संबंध में एक अभिसमय और सिफारिशें अंगीकार की हैं।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हड़ताल तथा तालाबंदी

2537. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हड़ताल तथा ताला बंदी के कारण राज्यवार कितने मानव दिवस बेकार गए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान श्रम असंतोष को काबू में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या मुद्रास्फीति के कारण न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 1993-96 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण राज्यवार नष्ट हुए श्रम दिवस संलग्न विवरण में दिए गये है।

(ख) देश में औद्योगिक संबंधों की स्थिति पर सरकार द्वारा सूक्ष्म और सतत् निगरानी रखी जा रही है। केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर औद्योगिक संबंध तंत्र, विवादों का निपटारा करने और मध्यस्थता, संराधन, विवाचन और न्यायनिर्णयन के माध्यम से कार्य बंदी कम करने, हेतु उचित उपाय करता है। नियमित परामर्शों और नियोजकों व कर्मकारों के संगठनों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्शों ने औद्योगिक संबंधों में सुधार लाने में सहायता की है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या से जुड़ा एक परिवर्ती घटक शामिल है। सूचकांक संख्या में उतार और चढ़ाव के आधार पर इस घटक को प्रत्येक छः माह में पुनरीक्षित किया जाता है जिसमें मजदूरी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का ध्यान रखा जाता है। राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

चुनिन्दा राज्यों में वर्ष 1993-96 के दौरान नष्ट हुए श्रम दिवस (हजारों में) (अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य	1993			1994			1995			1996 (जन.-अप्रैल)		
क्षेत्र	ह.	ता.	कु.	ह.	ता.	कु.	ह.	ता.	कु.	ह.	ता.	कु.
आन्ध्र प्रदेश	349	1653	2002	1028	2101	3129	1241	2895	4136	104	73	177
बिहार	65	398	463	134	372	506	161	467	628	54	59	113
दिल्ली	53	1	54	7	1	8	47	0	47	0	0	0
गोवा दमण और दीव	5	4	9	43	7	51	114	0	114	7	0	7
गुजरात	367	345	713	369	285	654	342	477	819	37	32	69
हरियाणा	148	312	460	138	152	290	44	5	49	0	0	0
कर्नाटक	295	61	356	70	315	386	219	201	420	79	118	197
केरल	467	1377	1844	1199	1155	2354	592	1131	1722	1	0	1
मध्य प्रदेश	153	0	153	288	32	320	97	0	97	74	16	90
महाराष्ट्र	631	2140	2771	845	1517	2363	648	1070	1718	116	280	397
उड़ीसा	87	13	100	61	27	89	125	8	133	1	0	1
पांडिचरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	249	51	301	250	0	250	354	38	392	32	5	36

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993 ह.	1993 ता.	1993 कु.	1994 ह.	1994 ता.	1994 कु.	1995 ह.	1995 ता.	1995 कु.	1996 (जन.-अप्रैल) ह.	1996 (जन.-अप्रैल) ता.	1996 (जन.-अप्रैल) कु.
राजस्थान	164	138	302	278	229	507	242	204	446	165	90	255
तमिलनाडु	2007	381	2387	1251	568	1819	822	193	1015	63	0	83
उत्तर प्रदेश	175	661	836	319	253	571	123	394	517	28	97	125
पश्चिम बंगाल	239	7013	7252	290	7236	7527	337	3462	3799	672	1131	1803
अन्य	160	138	298	81	80	160	212	25	238	79	0	79
कुल :	5615	14686	20301	6651	14332	20983	5720	10570	16290	1512	1901	3413

ह. = हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस

ता. = तालाबंदी के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस

कु. = कुल नष्ट हुए श्रम दिवस

0. = शून्य अथवा 500 से कम

आंकड़े अधिकतम मान में दिए जाने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि वे योग से मेल खाएं

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

"सेल" को लाभ और हानि

2538. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के प्रत्येक इस्पात संयंत्रों को प्रतिवर्ष कितना लाभ और कितनी हानि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके विभिन्न मदों का कितना उत्पादन हुआ और इसमें कितने श्रमिक कार्यरत थे?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के प्रत्येक इस्पात संयंत्रों के लाभ तथा हानि (-) को नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपये)

संयंत्र	93-94	94-95	95-96
भिलाई इस्पात संयंत्र	367.78	639.47	819.31
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(-) 212.57	(-) 94.33	(-) 173.98
राउरकेला इस्पात संयंत्र	3.41	18.97	(-) 56.64
बोकारो इस्पात संयंत्र	467.82	662.21	805.95
मिश्र इस्पात संयंत्र	(-) 14.23	(-) 5.87	1.12
सेलम इस्पात संयंत्र	4.05	21.14	4.15
अन्य	(-) 70.93	(-) 78.26	(-) 81.30
(सेल की गैर संयंत्र इकाइयां)			
सेल	545.33	1163.33	1318.61

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विक्रय इस्पात का उत्पादन तथा उसमें विहित श्रमशक्ति को नीचे दर्शाया गया है:

विक्रय इस्पात का उत्पादन

(हजार टन)

संयंत्र	1993-94	1994-95	1995-96
भिलाई इस्पात संयंत्र	3335	3409	3495
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	642	852	947
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1130	1201	1148
बोकारो इस्पात संयंत्र	3205	3168	3330
मिश्र इस्पात संयंत्र	160	154	187
सेलम इस्पात संयंत्र	46	56	48
सेल	8518	8840	9155

श्रम शक्ति

(अंकित तारीख को)

संयंत्र	31.3.94	31.3.95	31.3.96
भिलाई इस्पात संयंत्र	54663	53620	52730
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	30719	33796	34141
राउरकेला इस्पात संयंत्र	29590	29282	28567
बोकारो इस्पात संयंत्र	48075	47928	47485
मिश्र इस्पात संयंत्र	6775	6654	6533
सेलम इस्पात संयंत्र	1381	1529	1584
उपयोग	171203	172809	171040
अन्य (सेल की गैर संयंत्र इकाइयां)	16697	16697	16464
सेल कुल :	187900	189506	187504

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि

2539. **डा. बलिराम :**

श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष राज्य/संघ क्षेत्रवार केन्द्र सरकार ने देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) योजना के अनुसार कितने परिवारों को लाभ होगा तथा वास्तव में कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(ग) क्या आवंटित राशि का पूर्णतया उपयोग नहीं हो सका; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ केन्द्रीय/केन्द्र योजनाओं के अंतर्गत आवंटन योजनावार किया जाता है न कि राज्यवार। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई धनराशि संलग्न

विवरण-I में दी गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता उन्नयन एवं कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाओं को छोड़कर अधिकांश योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का उपयोग किया गया था। जिन योजनाओं के लिए आबंटित राशि का उपयोग नहीं किया जा सका, उसके निम्नलिखित कारण हैं :-

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों का प्राप्त न होना;

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ओर से पर्याप्त समान शेयर का प्रावधान न किया जाना।

विवरण-I

93-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिको-त्तर छात्र वृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्र-वृत्तियां	पुस्तक बैंक	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	ना.अ.सं.अ. तथा अत्या चार अधि- नियम	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति कार्यान्वयन	अ.जा. विकास निगम तथा पुनर्वास	एस सी ए	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतियां का उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1077.365	83.68	70.50	310.30	181.90	3.00	91.02	459.00	875.52	2416.06	-
2.	असम	-	-	5.78	-	-	0.50	-	-	22.10	220.51	-
3.	बिहार	590.144	65.80	9.91	40.44	70.77	8.56	26.50	-	113.52	2327.11	-
4.	गुजरात	357.951	14.57	0.05	15.05	39.50	5.53	92.74	200.00	96.07	796.82	-
5.	हरियाणा	68.00	14.56	5.84	-	-	3.56	5.21	714.00	164.31	424.53	2.90
6.	हिमाचल प्रदेश	3.272	4.40	0.60	-	-	1.00	1.00	-	53.43	699.54	1.10
7.	जम्मू व कश्मीर	33.754	-	0.13	-	0.14	0.59	-	-	61.00	70.83	-
8.	कर्नाटक	1077.436	1.86	4.87	3.09	108.68	1.00	148.86	-	212.35	1282.71	-
9.	केरल	106.764	1.90	13.67	25.02	6.95	6.96	19.99	-	124.20	402.84	-
10.	मध्य प्रदेश	474.76	168.96	36.90	0.64	-	3.00	16.75	1226.00	57.65	2803.81	-
11.	महाराष्ट्र	1240.04	20.03	20.49	56.43	68.24	1.00	96.14	378.00	108.16	1562.79	-
12.	मणिपुर	59.47	-	0.72	2.32	2.03	0.25	-	-	-	5.56	-
13.	मेघालय	74.279	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
14.	नागालैंड	60.00	-	-	-	-	0.60	-	11.00	-	-	-
15.	उड़ीसा	385.74	6.00	8.86	38.76	34.00	1.50	2.00	119.00	59.22	1075.66	3.92
16.	पंजाब	120.878	32.97	2.65	1.00	2.56	1.00	13.40	-	14.13	875.92	-
17.	राजस्थान	348.02	30.08	10.00	5.05	2.52	22.94	51.00	227.00	18.60	1829.89	5.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.06	-
19.	तमिलनाडु	736.98	7.32	29.48	50.55	43.62	2.00	69.36	-	318.50	1879.11	-
20.	त्रिपुरा	4.944	12.70	1.02	1.67	5.00	6.39	-	-	9.60	58.85	-
21.	उत्तर प्रदेश	350.00	80.33	103.09	15.77	60.65	3.00	49.59	3763.00	238.77	5933.29	-
22.	पश्चिम बंगाल	73.20	3.01	2.98	33.86	23.37	0.50	4.40	-	206.56	2322.75	-
23.	चण्डीगढ़	-	-	0.25	-	-	-	-	-	4.80	12.39	-
24.	दादार-नगर हवेली	3.13	-	-	-	-	-	5.00	-	*17-75	-	-
25.	दिल्ली	-	12.60	2.49	-	-	3.00	-	-	57.65	184.76	-
26.	गोवा	1.46	-	0.25	-	-	-	0.05	-	49.96	2.86	-
27.	पांडिचेरी	10.56	-	1.17	-	-	-	13.14	-	21.13	14.81	-
28.	दमन और दीव	2.562	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	मिजोरम	164.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.30	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	012	-	-	-	-	1.37
	कुल :	7479.359	561.10	332.08	599.95	650.00	76.41	706.15	7097.00	2934.63	27211.98	15.14

अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की योजना वार निर्मुक्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी.एस.पी. एस.सी.ए.	को अनुच्छेद275(1) के तहत निर्मुक्ति	लड़कों का होस्टल	लड़कियों का होस्टल	आश्रम स्कूल	व्यवसायिक केन्द्र	प्रशिक्षण टी.डी.सी. सी.	शैक्षणिक परिसर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1593.22	437.25	30.75	53.11	34.50	-	25.00	5.28
2.	असम	1087.57	301.50	-	-	-	-		
3.	बिहार	3497.39	801.00	-	-	-	-	-	
4.	गुजरात	2234.77	668.25	39.23	19.51	-	3.46	-	25.33
5.	गोवा								
6.	हरियाणा								
7.	हिमाचल प्रदेश	755.03	27.00	-	-	-	-		
8.	जम्मू व कश्मीर	518.60	105.75	5.97	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	कर्नाटक	439.76	251.75	-	-	-	-	-	-
10.	केरल	167.25	36.00	20.00	20.00	47.10	14.94	41.00	4.94
11.	मध्य प्रदेश	8117.65	1651.50	39.28	27.03	-	44.34	60.00	35.20
12.	महाराष्ट्र	2234.35	795.00	-	-	69.42	-	53.00	6.33
13.	मणिपुर	417.12	53.25	10.11	10.11	-	-	10.00	-
14.	मेघालय	-	148.50	9.80	9.80	-	15.00	-	-
15.	मिजोरम	-	63.75	-	-	-	-	-	-
16.	नागालैंड	-	90.00	-	-	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	3603.23	815.25	29.40	77.24	16.20	70.04	50.00	31.75
18.	पंजाब								
19.	राजस्थान	2664.68	576.75	36.75	12.25	-	29.56	61.40	16.16
20.	सिक्किम	73.67	9.75	-	-	-	-	-	-
21.	तमिलनाडु	214.05	72.00	-	-	34.65	47.73	-	-
22.	त्रिपुरा	372.37	80.25	18.38	7.31	10.00	-	35.00	-
23.	उत्तर प्रदेश	69.22	32.25	3.65	3.65	40.68	-	-	-
24.	पश्चिम बंगाल	319.06	423.00	26.41	23.74	-	8.56	-	-
25.	चण्डीगढ़								
26.	दिल्ली								
27.	पांडिचेरी								
28.	दमन और दीव	28.29	-	-	-	-	-	-	-
29.	दादर नगर हवेली								
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	77.22	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	60.75	-	-	-	-	-	-
32.	अरुणाचल प्रदेश								
	गोहाटी परियोजना								
	कुल :	29484.50	7500.00	269.72	263.75	252.55	190.00	350.40	125.00

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ योजनाएं

वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.सी.ए.	एस.सी. डी.सी.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	नैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	नैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	लड़कों का होस्टल	लड़कियों का होस्टल	पुस्तक बैंक	कोचिंग और सम्बद्ध	पीसीआर और अत्याचार	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3255.36	577.33	62.47	1391.65	-	475.68	489.68	53.90	-	121.12	40.00
2.	असम	273.34	24.12	-	670.96	105.57	9.00	9.00	3.00	-	-	-
3.	बिहार	-	-	-	451.00	22.00	-	-	16.90	-	-	1.70
4.	गुजरात	956.68	17.82	-	519.71	72.04	99.32	-	10.62	-	102.21	2.57
5.	गोवा	3.95	13.45	-	5.90	-	-	-	0.17	-	-	-
6.	हरियाणा	538.05	75.31	-	80.00	30.50	1.82	2.10	3.00	2.90	4.91	2.74
7.	हिमाचल प्रदेश	195.05	48.43	-	6.00	6.00	-	-	0.51	-	-	-
8.	जम्मू व कश्मीर	100.00	85.47	-	65.21	6.01	3.05	-	1.59	-	-	-
9.	केरल	508.81	79.20	-	199.00	3.80	9.50	-	7.00	-	-	-
10.	कर्नाटक	1873.76	310.21	400.00	1126.68	7.27	174.22	64.39	9.53	2.20	139.81	2.16
11.	मध्य प्रदेश	1097.57	51.88	1588.80	706.18	216.18	6.54	130.65	42.16	20.95	204.52	-
12.	महाराष्ट्र	1575.39	56.97	500.00	1997.92	42.96	4.03	-	35.55	-	10.52	0.80
13.	मणिपुर	6.09	-	-	92.26	-	-	-	0.35	-	-	-
14.	मेघालय	-	-	-	141.88	-	-	-	-	-	-	-
15.	मिजोरम	-	-	-	202.42	-	-	-	-	-	-	-
16.	नागालैंड	-	-	-	219.00	-	-	-	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	1332.84	28.82	-	291.26	4.00	35.60	41.40	10.16	21.07	2.10	-
18.	पंजाब	1626.72	28.82	-	73.00	78.76	2.70	3.30	4.34	3.75	33.50	5.43
19.	राजस्थान	886.37	9.80	-	438.56	97.69	7.58	-	15.00	8.32	39.88	4.60
20.	सिक्किम	4.22	-	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-
21.	तमिलनाडु	2055.66	186.54	243.98	714.63	61.11	17.04	3.60	50.62	31.81	70.34	-
22.	त्रिपुरा	100.00	-	-	86.49	12.60	0.47	-	0.87	0.83	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	6297.51	282.32	455.49	1421.51	166.31	-	-	78.21	4.92	178.51	-
24.	पश्चिम बंगाल	2813.37	233.29	-	-	3.42	-	-	1.50	2.18	5.15	4.00
25.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	0.75	0.10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	चण्डीगढ़	17.40	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	दादर, नगर हवेली	-	-	-	2.50	-	-	-	-	8.22	-	-
28.	दिल्ली	244.42	62.45	-	19.12	-	-	-	3.69	-	-	-
29.	दमन व दीव	-	17.75	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-
30.	पांडिचेरी	19.1	4.80	-	10.95	-	30.00	-	1.00	-	13.93	-
	कुल :	27300.85	2200.00	7300.00	9600.35	629.00	1000.00	620.00	350.00	100.00	740.00	200.00
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं

वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की योजना-वार निर्मुक्ति

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिवासी योजना के लिए विशेष कें. सहायता	अनुच्छेद 275(1) के तहत निर्मुक्ति	लड़कों का होस्टल	लड़कियों का होस्टल	आश्रम स्कूल	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	टी.डी.सी.सी	शैक्षणिक परिसर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1947.10	460.50	58.47	50.00	66.80	-	-	2.01
2.	असम	1112.67	315.00	16.00	-	-	-	-	-
3.	बिहार	1748.70	725.25	-	-	-	44.34	-	4.84
4.	गुजरात	2491.56	675.00	6.44	4.73		21.60	30.00	24.25
5.	गोवा								
6.	हरियाणा								
7.	हिमाचल प्रदेश	450.57	4.00	-	-	-	-	-	-
8.	जम्मू व कश्मीर	550.63	95.25	86.02	-	-	-	-	-
9.	कर्नाटक	409.03	210.00	-	-	67.50	-	-	-
10.	केरल	126.30	35.25	20.00	20.00	-	-	36.00	-
11.	मध्य प्रदेश	7535.72	1687.60	16.90	115.83	-	-	124.00	52.30
12.	महाराष्ट्र	2196.34	801.75	-	-	1.76	54.12	30.00	-
13.	मणिपुर	432.81	69.00	-	-	-	-	10.00	-
14.	मेघालय	-	166.50	11.00	11.00	-	-	15.00	-
15.	मिजोरम	-	72.00	-	-	-	-	-	-
16.	नागालैंड	-	116.25	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	उड़ीसा	3956.55	771.00	36.00	44.00	60.00	88.68	75.00	64.99
18.	पंजाब								
19.	राजस्थान	2202.79	600.00	-	-	24.50		30.00	48.19
20.	सिक्किम	75.10	9.75	-	-	-	-	-	-
21.	तमिलनाडु	256.88	63.00	-	-	-	10.05	-	-
22.	त्रिपुरा	480.01	93.75	39.17	19.44	19.44	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	70.41	31.50	-	-	-	-	-	-
24.	पश्चिम बंगाल	135.83	417.75	-	-	-	6.21	-	-
25.	चण्डीगढ़								
26.	दिल्ली								
27.	पांडिचेरी								
28.	दमन और दीव	35.50	-	-	3.00	10.00	-	-	-
29.	दादर नगर हवेली								
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	35.50	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप								
32.	अरूणाचल प्रदेश गोहाटी परियोजना	-	60.00	-	-	-	-	-	-
	कुल :	27500.00	7500.00	306.82	305.00	250.00	196.59	236.18	350.00

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ योजनाएं

1995-96 के दौरान केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.सी.ए.	एस.सी. डी.सी.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	नैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	नैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	लड़कों का होस्टल	लड़कियों का होस्टल	पुस्तक बैंक	कोचिंग और सम्बद्ध	पीसीआर और अत्याचार	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3425.41	575.67		2980.33	71.98	198.90	200.85	73.80	55.41	36.67	
2.	असम	222.65	30.74		625.98	-	9.00	9.00	3.00	1.93	2.50	
3.	बिहार	-	57.64		-	-	-	-	5.00	2.96	116.00	
4.	गुजरात	278.90	15.00		762.75	335.13	65.17	14.13	7.33	6.22	268.05	
5.	गोवा	2.09	13.45		0.40	-	-	-	0.39	-	0.25	3.20
6.	हरियाणा	623.00	49.00		70.70	54.81	1.82	-	3.00	-	3.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	हिमाचल प्रदेश	193.63	70.14		14.38	2.00	-	-	1.53	-	1.50	0.32
8.	जम्मू व कश्मीर	83.77	44.00		79.83	0.70	3.15	-	2.91	-	-	
9.	कर्नाटक	492.73	585.31		1078.82	5.03	324.45	37.50	10.19	2.91	158.51	
10.	केरल	2350.09	84.13		41.29	-	-	23.51	7.56	15.65	35.36	
11.	मध्य प्रदेश	2425.33	44.19	2000.18	820.89	153.10	216.30	-	33.87	-	194.62	
12.	महाराष्ट्र	1745.47	600.00	500.80	2557.20	28.26	93.98	-	29.22	1.83	124.36	
13.	मणिपुर	5.80	-		227.78	-	-	-	-	-	-	
14.	मेघालय	-	-		96.60	-	-	-	-	-	-	
15.	मिजोरम	-	-		122.40	-	-	-	-	-	-	
16.	नागालैंड	-	-		243.42	-	-	-	-	-	-	
17.	उड़ीसा	1311.82	96.05	200.56	741.29	2.48	25.29	49.59	11.01	-	5.00	17.85
18.	पंजाब	571.68	69.20	200.55	237.05	33.73	3.00	3.00	4.33	0.59	20.45	
19.	राजस्थान	1828.26	74.95	608.50	665.40	63.82	220.01	12.78	9.97	-	57.50	
20.	सिक्किम	3.57	-		-	-	-	-	-	-	-	
21.	तमिलनाडु	2803.55	268.96	1300.00	693.00	32.05	100.00	100.00	40.40		82.54	
22.	त्रिपुरा	70.26	-		82.35	12.77	6.00	24.00	0.25	-	-	0.09
23.	उत्तर प्रदेश	5839.03	-	3809.16	1669.82	68.13	66.93	31.82	15.00	-	399.43	
24.	पश्चिम बंगाल	2955.22	254.43		635.28		134.01	58.70	-	-	-	
25.	चण्डीगढ़	14.86	24.00		-	-	15.00	-	-	-	-	-
26.	दिल्ली	231.16	96.07		-	27.43	-	-	3.99	4.14	-	-
27.	पांडिचेरी	19.62	9.60		26.03	-	-	-	0.25	-	14.35	-
28.	दमन व दीव	37.47	37.47		2.64	-	-	-	0.28	-	0.10	-
29.	दादर व नगर हवेली	-	-		5.68	-	-	-	0.84	-	14.92	-
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह				1.28	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप											
32.	अरूणाचल प्रदेश गोहाटी परियोजना				3.00							0.71
	कुल :	27500.00	3100.00	9900.00	14485.63	892.00	1483.01	564.88	264.18	91.64	1536.84	22.17

1995-96 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को 6500 लाख रू. प्रदान किए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम इन निधियों को राज्य माध्यम एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनके माध्यम से निर्मुक्त करता है।

आदिवासी विकास की योजनाएं

वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की योजना-वार निर्मुक्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी.एस.पी. एस.सी.ए.	को अनुच्छेद275(1) के तहत निर्मुक्ति	लड़कों का होस्टल	लड़कियों का होस्टल	आश्रम स्कूल	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	टी.डी.सी. सी	शैक्षणिक परिसर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2140.32	460.30	92.63	91.00	72.17	44.34	90.00	2.49
2.	असम	1545.19	315.00	-	3.03	-	64.90	-	-
3.	बिहार	274.22	725.25	-	-	-	-	50.00	1.82
4.	गुजरात	3060.26	675.00	-	-	-	52.30	-	22.51
5.	गोवा								
6.	हरियाणा								
7.	हिमाचल प्रदेश	541.62	24.00	-	6.50	-	-	-	-
8.	जम्मू व कश्मीर	756.64	95.25	12.70	24.05	-	-	-	-
9.	कर्नाटक	659.99	210.00	-	-	-	-	-	-
10.	केरल	181.20	35.25	-	-	-	-	57.00	2.75
11.	मध्य प्रदेश	9579.66	1687.50	-	-	99.45	44.34	57.00	30.45
12.	महाराष्ट्र	2930.82	801.75	-	-	-	-	75.00	0.68
13.	मणिपुर	574.53	69.00	-	-	-	-	8.00	-
14.	मेघालय	-	166.50	13.75	13.75	-	-	-	-
15.	मिजोरम	-	72.00	-	-	-	-	-	-
16.	नागालैंड	-	116.25	-	-	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	4958.10	771.00	46.62	65.93	70.00	-	-	68.67
18.	पंजाब								
19.	राजस्थान	2819.04	600.00	-	66.74	-	-	-	20.65
20.	सिक्किम	100.19	9.75	-	-	-	-	-	-
21.	तमिलनाडु	274.44	63.00	-	-	-	-	-	-
22.	त्रिपुरा	564.97	93.75	38.38	19.44	38.38	59.12	63.00	-
23.	उत्तर प्रदेश	104.08	31.50	-	-	-	-	-	-
24.	पश्चिम बंगाल	1763.21	417.75	115.92	19.57	-	-	-	-
25.	चण्डीगढ़								
26.	दिल्ली								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	पांडिचेरी								
28.	दमन और दीव	59.31	-	-	20.00	-	-	-	-
29.	दादर नगर हवेली	-	-	45.00	40.00	-	-	-	-
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	112.21	-	-		-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप								
32.	अरूणाचल प्रदेश गोहाटी परियोजना	-	60.00	-	-	-	-	-	-
	कुल	33000.00	7500.00	365.00	370.00	280.00	150.00	285.00	400.00

विवरण-II

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ योजनाएं
वर्ष 1992-93, 93-94 और 94-95 के दौरान योजनावार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

			1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		
क्र.सं.	योजना	यूनिट	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	विशेष संघटक योजना को वि.के.सं	परिवारों की सं. एन ए		20.66 लाख	-	23.44 लाख		26.96 लाख		
2.	एस सी डी सी को सहायता	एकल		5.35 लाख		5.32 लाख		6.31 लाख		संकलनाधीन
3.	सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति	लाभग्राही	42000	16288	37000	13266	50000	25358	44000	संकलनाधीन
			42000	18583	107000	43320	150000	64967	122000	वही
4.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति सं.	-	15.31 लाख		14.90 लाख		5.34 लाख		18.47
5.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति सं.	-	99254		1.30 लाख		1.76 लाख		2.45
6.	अ.जा. लड़कियों के लिए होस्टल	होस्टलों की सं.	-	177		213		73		90
		संवासियों की सं.	-	9547		19452		7208		7521
7.	अ.जा. लड़कों के लिए होस्टल	होस्टलों की सं.		200		101		327		122
		संवासियों की सं.		10127		7020		24071		11417
8.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	छात्रों की सं.		11582		33120		37877		26567

विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना का एक योगज है और राज्यों द्वारा उनकी विशेष संघटक योजना के अंतर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम को मद 11 (क) के तहत विभिन्न आय सृजक गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि :

(क) ऐसी योजनाएं जिनके आगे लक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया है दीर्घावधि की हैं तथा इसलिए निर्धारित नहीं है।

* वर्ष 1994-95 में, 1,50,000 सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लक्ष्य की तुलना में 65,000 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया जा चुका है। 1995-96 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कल्याण मंत्रालय को सूचित किए गए 1,22,000 के लक्ष्य की तुलना में प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 80,000 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया गया। यद्यपि कुछ राज्यों से सूचना की अभी तक प्रतीक्षा है। राज्यों से सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकने के कारणों का संबंध बजीफे की अपर्याप्तता, योजना के तहत परियोजना को वित्त पोषित करने में वाणिज्यिक बैंकों की अनिच्छा तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति तथा पुनर्वास योजना तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही निम्न लागत स्वच्छता योजना के बीच कार्यान्वयन स्तर पर समन्वय की कमी है।

आदिवासी विकास के लिए योजनाएं

वर्ष 1993-94, 94-95 और 95-96 के लिए केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	योजनाएं	यूनिट	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	परिवार	10.42 लाख	10.51 लाख	7.96 लाख (फरवरी 96 तक)
2.	अ.ज.जा. के लिए लड़कों के होस्टल	होस्टल	53	66	34
3.	अ.ज.जा. के लिए लड़कियों के होस्टल	होस्टल	52	42	45
4.	अ.ज.जा. के लिए आश्रम स्कूल	स्कूल	64	18	163
5.	अ.ज.जा. लड़कियों के लिए कम साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर	परिसर	23	42	47
6.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	केन्द्र	15	19	19

[अनुवाद]

फीचर फिल्म

2540. **श्री वणिकराव होडल्या गावीत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान दिल्ली दूरदर्शन द्वारा श्रेणीवार कितनी फीचर फिल्में प्रसारित की गयीं;

(ख) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर केवल धार्मिक, सामाजिक, शिक्षप्रद तथा ऐतिहासिक फिल्में दिखाने तथा घटिया स्तर वाली तथा अश्लील फिल्मों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्देश जारी करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य फिल्में दिखाने का है?

नायर विनानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वी. एन. इडाडीग) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दूरदर्शन समय-समय पर अपनी कार्यक्रम अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न विषयों पर फिल्मों को प्रसारित करने का प्रयास करता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों पर ही प्रसारण के लिए विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसारण से पूर्व सभी फिल्मों का यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वदर्शन किया जाता है कि वे पारिवारिक दर्शन के लिए उपयुक्त हों।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1.1.93 से 31.12.95 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली पर प्रसारित फीचर फिल्मों की राज्यवार संख्या नीचे दी गयी है

क्र.सं.	श्रेणी	1.1.93 से 31.12.93 तक	1.1.94 से 31.12.94 तक	1.1.95 से 31.12.95 तक
1.	क्षेत्रीय फिल्में	54	45	61
2.	बाल फिल्में	8	12	6
3.	राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी फीचर फिल्में	145	134	118
4.	दिल्ली + अ.श.ट्रा. पर हिन्दी फीचर फिल्में	51	49	52
5.	बोलीगत फीचर फिल्में	22	17	17
	कुल :	280	257	254

अखबारी कागज को नियंत्रण मुक्त करना

2541. **श्री हरिन पाठक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखबारी कागज को नियंत्रण मुक्त करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 30.4.1995 की अधिसूचना सं. 3· (आर. ई-95) 92-97 द्वारा दिनांक 1.5.1995 से चमकीलें अखबारी कागज सहित सभी प्रकार के अखबारी कागजों को सभी व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से आयात योग्य बना दिया है तथा अखबारी कागज के आयात पर कोई सीमा-शुल्क भी नहीं है। भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत समाचार-पत्रों के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना अनुसूचित अखबारी कागज मिलों से क्रय करने हेतु स्वदेशी अखबारी कागज उपलब्ध है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कोच

2542. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के लाभ के लिए बंगलौर तथा मैसूर के बीच प्रतिदिन भारत पर्यटन विकास निगम के कितने कोच चलाए जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोचों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, बंगलौर तथा मैसूर के बीच अपनी कोच सेवा नहीं चला रहा है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम, नासिका में दर्ज निजी परिवहन अभिकर्ता द्वारा किराए पर कोच लेकर बंगलौर-मैसूर ऊटी बंगलौर के बीच दैनिक पैकेज टूअर चला रहा है।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार/निगम, रूटों की क्षमता पर निर्भर करते हुए पर्यटक केन्द्रों के बीच पर्यटक कोच चला सकते हैं।

खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच

2543. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों सहित खाद्य पदार्थों आदि की जांच के लिए कोई स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए यादृच्छिक नमूनों की जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। वसूली प्रयोजनों के लिए विभिन्न खाद्यान्नों की

एक समान विनिर्दिष्टियां तैयार करने के लिए खाद्यान्नों के नमूनों की जांच करने के लिए खाद्य मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, नई दिल्ली है। तथापि, खाद्य मंत्रालय के गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उचित दर की दुकानों से एकत्र किए गए खाद्यान्नों के नमूनों का भी इस प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 78 खाद्य प्रयोगशालाएं हैं जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के अधीन आने वाले खाद्य पदार्थों का विश्लेषण करती हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन गाजियाबाद, कलकत्ता, पुणे और मैसूर में चार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं हैं और वे भी इसी तरह का कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में उचित दर की दुकानों से एकत्र किए गए गेहूं और चावल के नमूनों का विश्लेषण विजातीय तत्व, क्षतिग्रस्त अनाज, मामूली क्षतिग्रस्त अनाज, टोटा अनाज, कच्चे और सिकुड़े हुए अनाज आदि जैसे भौतिक गुणवत्ता पैरामीटरों के लिए किया जाता है। 1994, 1995, 1996 (जून, 1996 तक) के दौरान उचित दर की दुकानों से क्रमश: 91, 125 तथा 48 नमूने एकत्र किए गए और केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, नई दिल्ली में उनका विश्लेषण किया गया। जिन मामलों में नमूने घटिया किस्म के पाए गए थे, वे मामले भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों के साथ तत्काल उपचारी उपाय करने हेतु उठाए गए थे 11 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रयोगशालाओं और 4 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्यान्नों सहित खाद्य प्रदार्थों के किए गए विश्लेषण के बारे में खाद्य मंत्रालय द्वारा सूचना एकत्र नहीं की जा रही है।

केरल में प्रतिधारा पर्यटन

2544. **श्री एन0के0 प्रेमचन्द्रन** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने प्रतिधारा पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास करना मुख्यतता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करता है। पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1996-97 के लिए केरल में बैकवाटर का विकास करने हेतु 10.00 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक परियोजना अभिनिर्धारित की है। राज्य सरकार को परियोजना के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

केरल सरकार ने बैकवाटरस में वेली-आकुलम को विकास के लिए और निवेश के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया है।

जाली राशन कार्ड

2545. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर बहुत से जाली राशन कार्ड हैं जबकि दूसरी ओर ग्रामीण/शहरी गरीब लोग बिना राशन कार्ड के हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समस्या की गम्भीरता का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शहरी/ग्रामीण गरीबों के लाभार्थ, सुचारू बनाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में, जहां समाज का अधिकांश गरीब तबका रहता है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जून, 1992 से जून, 1996 तक की अवधि के दौरान 10641170 जाली राशन कार्ड रद्द किए हैं और 8345758 अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए हैं। केंद्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की मॉनीटरिंग करती है और समय-समय पर होने वाली बैठकों में उनके कार्यकाल की समीक्षा करती हैं।

(घ) सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों की ओर केन्द्रित करते हुए उसे सुप्रवाही बनाने के एक प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन मंडल

2546. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार/विभिन्न संस्थानों की ओर से उत्तर प्रदेश स्थित बरेली में दूरसंचार

के एक नए मंडल की स्थापना के लिए कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के निवासियों को आरक्षण

2547. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"**: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके वहां के निवासियों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने श्री हरीश रावत, पूर्व संसद सदस्य और अन्य से एक आवेदन प्राप्त किया है जिसमें आयोग से केन्द्र/राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश के समस्त पहाड़ी क्षेत्र को पिछड़ा घोषित करने और केन्द्रीय/राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश/सुझाव देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) इस स्तर पर यह मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास विचाराधीन है।

[अनुवाद]

निजी विमान कम्पनियों पर बकाया राशि

2548. **श्री के0 सी0 कोंडय्या** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घरेलू मार्गो पर चल रही निजी विमान कम्पनियों की संख्या क्या है;

(ख) उन विमान कम्पनियां का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को लैंडिंग, पार्किंग एवं नैविगेशनल शुल्क अदा नहीं किए हैं;

(ग) उनमें से प्रत्येक पर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी0 एम0 इब्राहीम) : (क) इस समय 7 अनुसूचित और 19 एयर टैक्सी प्रचालक अंतर्देशीय सेक्टर पर प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) 31.5.1996 की स्थिति के अनुसार, अवतरण, पार्किंग और अन्य प्रभारों के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय प्रत्येक निजी एयरलाइन की ओर बकाया राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देय राशि की वसूली के लिए नियमित प्रयास किये जाते हैं। बकाया देयताओं का भुगतान करने में चूक के कारण ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स के मामले में उधार सुविधा बन्द कर दी गयी है। मैसर्स कांटीनेंटल एविएशन प्रा. लि. के संबंध में सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम के अधीन कार्रवाई भी आरंभ कर दी गयी है।

विवरण

31.5.1996 की स्थिति के अनुसार निजी एयरलाईनों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय बकाया राशि के ब्यौरे

क्र.सं.	पार्टी का नाम	देय राशि (लाख रू. में)
1.	एरियल सर्विसिज	0.02
2.	अर्चना एयरवेज	0.35
3.	कांटिनेंटल एविएशन	10.31
4.	एलबी एयरलाइनन्स	2.85
5.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	1250.82
6.	गुजरात एयरलाइन्स	0.17
7.	जेट एयरवेज	150.23
8.	जगसन एयरलाइन्स	0.30
9.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	3.74
10.	मेम्को	0.01
11.	मोदी लुफत एयरलाइन्स	167.23
12.	एनईपीसी एयरलाइन्स	16.37
13.	सहारा इंडिया लि.	87.47
14.	सराया एविएशन प्रा. लि.	0.28
15.	स्काई लाईन एनईपीसी	52.79

क्र.सं.	पार्टी का नाम	देय राशि
16.	ट्रांस भारत एविएशन प्रा. लि.	1.31
17.	यू. पी. एअर	48.06
18.	वी. आई एफ एयरवेज	11.94

[हिन्दी]

इस्पात का निर्यात

2549. **श्री ब्रज मोहन राम** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए श्रेणी-वार एवं संयंत्र-वार उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये इस्पात का देश-वार श्रेणी-वार एवं गुणवत्ता-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के 4 एकीकृत इस्पात संयंत्रों के विक्रेय इस्पात तथा 'सेल' के मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र के लिए विशेष इस्पात का पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का श्रेणीवार और संयंत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए इस्पात के निर्यात का देशवार, मात्रावार तथा श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भिलाई इस्पात संयंत्र

(हजार टन)

श्रेणी	1995-96		1994-95		1993-94	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
विक्रेय इस्पात						
सेमीज	995	1153	1005	1202	965	1146
संरचना उत्पाद	480	498	490	492	510	438
बार तथा छड़ें	600	558	490	583	450	655
रेल	500	468	500	463	500	475
प्लेटें	675	818	675	669	675	621
विक्रेय इस्पात	3250	3495	3160	3409	3100	3335

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

(हजार टन)

श्रेणी	1995-96		1994-95		1993-94	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
विक्रेय इस्पात						
सेमिज	509	381	324	271	293	142
संरचना उत्पाद	165	120	155	134	140	121
बार एवं छड़	250	227	250	216	240	160
व्हील्स एवं एक्सल	25	17	28	12	39	7

श्रेणी	1995-96		1994-95		1993-94	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
स्लिपर्स	25	7	40	22	55	29
फिश प्लेट	4	2	3	4	4	4
स्कैल्प	212	193	170	193	150	171
विक्रय इस्पात	1190	947	970	852	920	642

राउरकेला इस्पात संयंत्र

(हजार टन)

श्रेणी	1995-96		1994-95		1993-94	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
सेमीज	25	47	25	38	24	26
प्लेटें	370	326	341	365	345	350
एच. आर. शीटें/क्वायलें	209	259	227	260	197	266
सी. आर. क्वायलें/शीट्स	200	223	190	213	205	179
जस्तीकृत शीटें	160	141	155	145	155	128
विद्युत शीटें	76	49	72	55	69	52
टिन प्लेटें	65	23	65	35	50	49
पाइप	85	80	85	90	85	82
विक्रेय इस्पात	1190	1148	1160	1201	1130	1130

बोकारो इस्पात संयंत्र

(हजार टन)

श्रेणी	1995-96		1994-95		1993-94	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
विक्रेय इस्पात						
सेमिज	100	203	50	170	60	122
प्लेट	590	557	585	468	575	594
एच. आर. शीट्स/क्वायलें	1359	1492	1293	1565	125	1542
सी. आर. क्वायलें शीट्स	1001	908	1022	811	1030	791
जस्तीकृत शीटें	170	170	160	155	150	157
विक्रेय इस्पात	3220	3330	3110	3168	3050	3205

मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर

(हजार टन)

श्रेणी	1995-96		1994-95		1993-94	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
विक्रेय इस्पात (विशेष इस्पात)	175		175		181	
स्लैब		92.7		62.4		76.1
ब्लूम/बिलेट		56.4		52.9		47.6
बार		15.7		19.0		17.9
फोर्ज		7.7		6.3		5.8
प्लेट		11.7		9.5		8.2
अन्य		3.0		4.2		4.5
विक्रेय इस्पात	175	187.2	175	154.3	181	160.1

सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम

(हजार टन)

श्रेणी	1995-96		1994-95		1993-94	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
विक्रय इस्पात (विशेष इस्पात)	75		55		45	
शीट्स		8.8		11.1		9.5
क्वायलें		28.6		38.0		31.3
अन्य		4.7		6.7		5.0
विक्रेय इस्पात	75	42.1	55	55.8	45	45.8

विवरण-II

1995-96 के दौरान देशवार और श्रेणीवार निर्यात

मात्रा/टन

क्र.सं.	देश	प्लेट	स्लैब	बिलेट	संरचना उत्पाद	तार छड़ें/डी-बार	सी.आर.सी/सी.आर.एस.	एच.आर. सी/एच. आर.एस	जस्तीकृत तार/जी.पी.	कुल मात्रा
1.	आस्ट्रेलिया	6775			888				20	7683
2.	बांग्लादेश			14854						14854
3.	बैलजियम	44496								44496
4.	कनाडा	4002								4002
5.	जर्मनी	18964								18964
6.	पुर्तगाल	1995								1995

क्र.सं.	देश	प्लेट	स्लैब	बिलैट	संरचना उत्पाद	तार छड़ें / डी-बार	सी.आर.सी / सी.आर.एस.	एच.आर. सी / एच. आर.एस	जस्तीकृत तार / जी.पी.	कुल मात्रा
7.	इंडोनेशिया		3606	15114					20	18720
8.	इटली	15175								15175
9.	जापान	36566								36566
10.	कोरिया		14332							14332
11.	मलेशिया			4997				7319		12316
12.	मयामार					3911				3911
13.	नेपाल	973		54610		3253	5191	10947		74974
14.	फिलिपाइन्स			17074						17074
15.	सऊदी अरब			9532						9532
16.	स्पेन	3027								3027
17.	श्रीलंका				1045		2915	1349	100	5409
18.	ताईवान				2474				5184	7658
19.	थाईलैंड		15185	21736						36921
20.	यू.ए.ई.	680			6872		149	499		8200
21.	यू. के.	30736								30736
22.	वियतनाम	4978								4978
	कुल :	168367	33123	137917	11279	7164.	8255	20114	5304	391523

1994-95 के दौरान देशवार तथा श्रेणीवार निर्यात

क्र.सं.	देश	प्लेटें	स्लैब	ब्लूम	बिलैट	संरचना उत्पाद	तार छड़ें डीबार	सीआरसी / सीआरएस	एचआरसी / एचआरएस	जस्तीकृत मात्रा / तार / जीपी टन	कुल
1.	चीन	5423	-	14460	-	-	-	-			19883
2.	जापान	101477	-	-	-	-	-	-			101477
3.	मलेशिया	1612	-	-	-	2993	-	729	27080		32414
4.	यू एस ए	92423	12914	-	-	-	-	12255	1023		118615
5.	इन्डोनेशिया	1002	61145	-	19982	-	-	-	-		82129
6.	कोरिया	10277	30821	-	-	-	-	-	318		41416
7.	नेपाल	1926	-	-	35803	249	-	5234	5645		57851
8.	हांगकांग	2099	-	-	-	-	-	-			2099
9.	ताईवान	-	-	-	-	-	-	5107	5217		10324

क्र.सं.	देश	प्लेटें	स्लैब	ब्लूम	बिलैट	संरचना उत्पाद	तार छड़ें डीबार	सीआरसी/ सीआरएस	एचआरसी/ एचआरएस	जस्तीकृत तार/जीपी	मात्रा/ टन कुल
10.	सिंगापुर	-	-	-	-	1633	-	-	-		1633
11.	श्रीलंका	794	-	-	-	693	-	1545	847	300	4179
12.	थाईलैन्ड	2886	-	-	49462	2949	-	-	-		55297
13.	बांग्लादेश	-	-	-	1864	216	-	-	-		2080
14.	यू. ए. ई	-	-	-	-	4614	-	-	-		4614
15.	कनाडा								1305		1305
16.	स्पेन	5050									5050
17.	जर्मनी	11933									11933
18.	आस्ट्रेलिया	524									524
19.	इटली	19920						5207		1019	26146
	कुल :	257346	104880	14460	107111	13347	8994	30077	41435	1319	578969

1993-94 के दौरान देश-वार और श्रेणीवार निर्यात (मात्रा/टन)

क्रम सं0	देश	प्लेट	स्लैब	ब्लूम्स	बिलैट	संरचना उत्पाद	तार छड़ें/ डी-बार	सी.आर.सी./ सी.आर.एस.	एच.आर. सी/एच. आर.एस	कच्चा लोहा	कुल
1.	चीन	96352	76881	20440	-	23743	26915	5430	-	-	249761
2.	वियतनाम	6410	-	-	-	-	-	-	-	-	6410
3.	जापान	103882	-	-	-	-	-	-	498	-	104380
4.	मलेशिया	4253	-	-	-	2926	-	1808	11522	-	20509
5.	यू. एस. ए.	79037	-	-	-	-	-	8812	1783	-	89632
6.	इंडोनेशिया	-	14900	-	9710	-	-	-	-	18000	42610
7.	कोरिया	10367	35032	25014	-	-	-	-	-	-	70413
8.	नेपाल	212	-	-	6711	-	-	750	980	-	8653
9.	फिलिपाइन्स	-	-	-	9699	-	-	-	-	-	9699
10.	ताईवान	-	-	-	30094	-	-	-	5105	-	35199
11.	सिंगापुर	3339	-	-	-	1473	-	-	-	-	4812
12.	श्रीलंका	-	-	-	-	-	-	1502	555	-	2057
13.	थाईलैंड	-	-	-	3150	1339	-	-	-	-	4489
	कुल :	303852	126813	45454	59364	29481	26915	18302	20443	18000	648624

विशेष इस्पात का निर्यात

1993-94 से 1995-96 (मात्रा/टन)

श्रेणी	93-94	94-95	95-96	देश
मिश्र इस्पात संयंत्र				ताईवान, बैलजियम
बेदाग इस्पात				जर्मनी, सं. रा. अमरीका
स्लैब -	-	11204	6690	ताईवान, इटली
बिलैट -	-	632	-	ताईवान, सिंगापुर
प्लेट -	-	237	928	मलेशिया
मिश्र इस्पात :				
बार/बिलैट	47	-	-	यू. के. आस्ट्रेलिया
कुल:	47	12073	7618	
सेलम इस्पात संयंत्र				सं. रा. अमरीका, मलेशिया, आस्ट्रेलिया,
स्टेनलैस क्वायलस/शीट	6758	11410	7497	ब्राजील,
कुल	6758	11410	7497	कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क, हालैण्ड,
				इटली, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका

[अनुवाद]

सुरक्षा संबंधी खामियां

2550. **श्री प्रबोध महाजन** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "हिस्ट्रीशीटर एक्सपोजेज गेप्स इन देल्ही एयरपोर्ट सिक्यूरिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को पास जारी करने के संबंध में दोषी व्यक्तियों तथा अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी0 एम0 इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली हवाई अड्डे पर दिनांक 11-7-1996 को सोने की तस्करी के लिए, सीमा-शुल्क विभाग ने मैसर्स अम्बेसडर स्काई शैफ के कर्मचारियों सर्वश्री मोहिन्दर सिंह, छोटे लाल, ललित मोहन और हरीश चन्द को गिरफ्तार किया था।

(ग) अपराधियों के फोटो पहचान-पत्रों को रद्द कर दिया गया है। चूंकि फोटो पहचान-पत्र पुलिस द्वारा सत्यापन करने के बाद जारी किए गए हैं, इसलिए जिन अधिकारियों ने फोटो पहचान-पत्र जारी किए थे, उन्हें दोषी नहीं समझा जाता है।

(घ) आवेदकों के चरित्र/पूर्ववृत्त का कड़ाई से सत्यापन करने के अनुदेशों को दोहराया गया है।

जाजपुर, उड़ीसा में दूरभाष केन्द्र द्वारा काम नहीं करना

2551. **श्री अंचल दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जाजपुर, उड़ीसा में दूरभाष केन्द्र काम नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दूरभाष केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जाजपुर के टेलीफोन एक्सचेंज का कार्य संतोषजनक है। जाजपुर में 1000 लाइनों का एक आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

पहले ही काम कर रहा है। इसके कटक टैक्स के विश्वस्त डिजिटल मिडिया के साथ जोड़ा गया है।

मैट्रो चैनल के प्रसारण का विस्तार

2552. **श्री रनजीव सिंघवाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैट्रो चैनल का प्रसारण पूरे देश में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जी. एम. इनामदार) : (क) से (ग) हालांकि उपयुक्त डिश-एंटिना पद्धति का उपयोग करके उपग्रह के जरिए सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन मेट्रो सेवा (डीडी-II) उपलब्ध है तथापि, संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए प्रारंभ में राज्य की राजधानियों और देश के प्रमुख शहरों में स्थलीय रूप से इस सेवा का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 42 ट्रांसमीटरों के जरिए इस सेवा को स्थलीय रूप से रिले किया जा रहा है।

गोवा में टेलीफोन एक्सचेंज

2553. **श्री चर्चिल अलेमाओं** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं वहां टेलीफोन के उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है तथा इन एक्सचेंजों की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार गोवा में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस समय गोआ में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 65 है जिनकी सज्जित क्षमता 72512 है गोवा में उपभोक्ताओं की कुल संख्या 61830 है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान पोंडा तहसील के डाबल में सी-डाट 128 पोर्ट एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है।

असम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2554. **डा0 अरुण कुमार शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्धार के लिए असम के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त योजनाएं कब से लागू हैं;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या इस संबंध में कोई आवधिक समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) असम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ड.) और (च) प्रत्येक वर्ष कल्याण मंत्रालय, योजना आयोग द्वारा तथा श्रम और कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति द्वारा भी आवधिक समीक्षा की जाती है। योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हाल ही में नई दिल्ली में 2-3 फरवरी, 1996 को आयोजित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में तथा राज्य सचिवों के साथ 29.6.1996 को की गई।

विवरण

असम में अ. जा./अ. ज. जा. के लिए कल्याण योजनाओं का ब्यौरा

कल्याण योजना का नाम	जब से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है	लक्ष्य और उपलब्धियां
1	2	3
अनुसूचित जाति विकास प्रभाग		
1. कोचिंग और सम्बद्ध	1969	1.93 लाख रु. निर्मुक्त किए गए थे। 1995-96

1	2	3
		में भा. प्र. से. में बैठे अ. जा./अ. ज. जा. छात्रों की संख्या-135
		19 छात्रावासों के लिए 1995-96 के दौरान 9.00 लाख रु0।
2. अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	1989-90	1995-96 के लिए 16 छात्रावासों के लिए 9.00 लाख रुपए।
3. अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	तृतीय पंचवर्षीय योजना	1995-96 के दौरान 3.00 लाख रु0 निर्मुक्त किए गए थे।
4. अ. जा. तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक	1978-79	1995-96 के दौरान 1,45,814 (अन्तिम) अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए 625,985 लाख रु0 निर्मुक्त किए गए थे।
5. अ. जा./अ. ज. जा. के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1944-45	1990-91 के दौरान निर्मुक्त प्रत्येक 13 लाख रु0 में से असम राज्य सरकार के पास व्यय न की गई धनराशि 13.00 लाख रु0 है।
6. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे उन बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	1977-78	1995-96 में वार लाभार्थियों की संख्या 1612 है।
7. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अ.ज./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	1976-77 1990-91	1995-96 के दौरान 2.50 लाख रु. निर्मुक्त की गई है।
8. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	1992	(1) पहचान किए गए व्यक्तियों की संख्या 6,873 (2) 1994-95 के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं. 37 (3) पुनर्वासित व्यक्तियों की सं. -61
9. अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों का प्रतिभा उन्नयन	कल्याण मंत्रालय के पास 1993-94 से	असम राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है (रु. लाख में) निर्मुक्त उपयोग 1994-95 273.34 163.45
10. विशेष केन्द्रीय सहायता	मार्च, 1980	(48,000 लाभार्थियों के लक्ष्य में से 24,418 अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित हुए थे) (अनुसूचित जाति के परिवारों का लक्ष्य 28,000 है)
11. अनुसूचित जाति विकास निगम	1978-79	44,111 लाभार्थियों के लिए 1995-96 के दौरान 30.74 लाख रु. निर्मुक्त की गई थी।
12. गैर-सरकारी संगठन	1953-54	1995-96 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिए गए थे।
13. राष्ट्रीय समुदपारीय छात्रवृत्तियां	1953-54	1994-95 के दौरान 2 छात्रों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

1	2	3
आदिवासी विकास प्रभाग		
1. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास	1989-90	1994-95 के दौरान 32 छात्रावासों के लिए 16.00 लाख रुपए।
2. अ.ज.जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास		तृतीय पंचवर्षीय योजना 1995-96 के दौरान 7 छात्रावासों के लिए 3.03 लाख रु0
3. आश्रम स्कूल	1990-91	-
4. निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में अ.जा. की लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसर	1993-94	क्योंकि असम इस योजना में शामिल नहीं है।
5. गैर-सरकारी संगठन	1953-54	1995-96 के दौरान 3 गैर-सरकारी संगठनों के लिए 15.10 लाख रुपए।
6. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	1979-80	42.42 लाख रुपए।
7. विशेष केन्द्रीय सहायता		पंचम पंचवर्षीय योजना 3745.43 लाख रुपए
8. अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	1974-75	931.50 लाख रुपये
9. आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण	1992-93	6 केन्द्रों के लिए 64.895 लाख रुपए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2555. **श्री आर0 बी0 राई** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) देश में समन्वित आदिवासी, विकास परियोजना तथा निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत आने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केंद्रीय निर्गम मूल्य, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति क्विंटल 50 रु. कम है, पर वितरण के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न जारी करती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम खुदरा मूल्य नियत करते समय केन्द्रीय निर्गम मूल्य में प्रति कि.ग्रा. 25 पैसे से अधिक न जोड़ें, राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे इन क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को प्रति महीना कम से कम 20 कि.ग्रा. खाद्यान्न की उपलभ्यता सुनिश्चित करें और केन्द्रीय सरकार ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवंटन निर्धारित किए हुए है:

उड़ीसा में टी. वी. ट्रांसमीटर

2556. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में हेमगीर और बारगांव में कम शक्ति/उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और राउरकेला में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का राज्य को डीडी-2 सुविधाएं देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) वर्तमान में उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के हेमगिर और बरगांव में टी.वी. ट्रांसमीटर अथवा राउरकेला में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीमें नहीं हैं। क्षेत्र में टी वी सेवा में और वृद्धि करने की दृष्टि से सम्बलपुर में मौजूदा उच्च शक्ति (1 कि.वा.) ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (10 कि.वा.) ट्रांसमीटर

स्थापित करने की स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के 1997 के दौरान तैयार हो जाने की संभावना है। सेवा हेतु चालू हो जाने के पश्चात् संबलपुर स्थित उच्च शक्ति (10 कि.वा) ट्रांसमीटर द्वारा हेमगिर को टी वी सेवा प्रदान करने की संभावना है बशर्ते कि भूभागीय परिस्थिति अनुकूल हो, जबकि बरगांव को इस ट्रांसमीटर से सीमावर्ती सेवा प्राप्त होने की सम्भावना है। उड़ीसा सहित देश के अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में टी. वी. सेवा का और विस्तार इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) मेट्रो चैनल (डीडी-2) सेवा को रिले करने के लिए भिन्न-भिन्न शक्तियों के 7 टी वी ट्रांसमीटर उड़ीसा में पहले ही कार्यरत हैं। राज्य में मेट्रो चैनल (डीडी-2) सेवा को रिले करने के लिए वर्तमान में अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित खानाबदोश तथा अर्ध खानाबदोश कबीलों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

2557. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'आल इंडिया तापरीवास एण्ड विमुलेट जातीज फेडरेशन' द्वारा कुछ अधिसूचित खानाबदोश तथा अर्ध खानाबदोश कबीलों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कबीलों को कब तक अनुसूचित-जनजातियों की सूची में शामिल कर लिए जाने का अनुमान है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। हरियाणा तथा पंजाब की अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ समुदायों जैसे बाजीगर, सांसी तथा अन्यों को, जो इस समय इन राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने के लिए आल इण्डिया तापरीवास एण्ड विमुलेट जातीज फेडरेशन से प्राप्त हुए है।

(ग) ये अभिवेदन विचाराधीन हैं।

सी0 डी0 स्ट्रिप का उपलब्ध कराना

2558. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई0टी0आर0सी0 लखनऊ ने सरसों के तेल में मिलावट का पता लगाने के लिए एक सी0डी0स्ट्रिप की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह किट बाजार में कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी; और

(घ) बाजार में सी. डी. स्ट्रिप उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) आई. टी. आर. सी. लखनऊ ने सरसों के तेल में कृत्रिम रूप से मिलाए गए सिंथेटिक टौक्सिक येलो डाई, बटर येलो डाई की मिलावट का पता लगाने के लिए मौके पर पेपर स्ट्राइप का एक सरल परीक्षण विकसित किया है। संदिग्ध सरसों के तेल की एक बूंद को रसायन से लेप किए गए स्ट्राइप में डाला जाता है, जब रंग में परिवर्तन दिखाई दे तो वह कृत्रिम रूप से मिलाए गए येलो डाई बटर येलो की मौजूदगी का सूचक होता है।

(ग) इस परीक्षण की प्रौद्योगिकी को मई, 1996 में लखनऊ में स्थित एक उद्योग में नीलोफोर का हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस फर्म द्वारा जल्दी ही परीक्षण स्ट्राइप की खुले बाजार में बिक्री करने की संभावना है।

(घ) इस परीक्षण को गृहणियों/उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा इसका उपयोग स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा यादृच्छिक (रेंडम) बाजार, पूर्व छानबीन जांचों के लिए किया जा सकता है।

[हिन्दी]

पर्यटन के संवर्धन पर खर्च की गयी राशि

2559. **श्री नीतीश कुमार** :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दू माजरा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पर्यटन के संवर्धन के लिए नई योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यटन उद्योग को आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के योग्य बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की संदर्शी योजना क्या है?

संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र की सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करता है। वर्ष 1995-96 के दौरान दो नई स्कीमें यथा 1) स्मारकों को चमकाना 2) तीर्थ केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास और सुधार करना शुरू की गई है और पर्यटन विभाग ने इन स्कीमों के तहत 55.18 लाख रुपए सहायता के रूप में मुहैया किए हैं।

(ख) पर्यटन उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के अलावा प्राइवेट सेक्टर को विभिन्न प्रोत्साहन मुहैया करता है। ये प्रोत्साहन हैं:- तीन सितारा तक के होटलों और हैरिटेज होटलों को ब्याज इमदाद, सीमा शुल्क में रियायत, धारा 80 एच एन डी के तहत आय कर में छूट आदि।

(ग) पर्यटन विभाग ने रोजगार बढ़ाने के लिए देश में पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना हेतु कार्य दल की रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

दिल्ली में स्वैच्छिक संगठन

2560. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक इन संगठनों को उनके विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) क्या इन संगठनों ने केन्द्र सरकार को अपना लेखा प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को धन राशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(छ) इसके क्या परिणाम निकले?

कल्याण मंत्री (बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) दिल्ली में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं:-

(ख) इन संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता (राज्यवार) निम्नलिखित है:

(रुपए करोड़ में)

1993-94	4.90
1994-95	5.90
1995-96	5.15

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) से (छ) दो संगठनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

1. आल इंडिया डेफ एंड डम सोसायटी
2. हरमोन एज्यूकेशन सोसायटी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोधा किया गया है।

विवरण

अनुसूचित जाति कल्याण

1. हरिजन सेवक संघ, किंग्स वे, दिल्ली-9
2. शोषण उन्मूलन परिषद्, नायक भवन, चन्दलोक कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-95
3. समाज सेवा संघ, नं. 69/10, गली नं. 16 ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53
4. श्री मुक्तियार सिंह स्मृति शिक्षा समिति, पीठाकलन, दिल्ली-41
5. बाबा साहेब अम्बेडकर सेकण्डरी स्कूल सोसाइटी, अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली
6. अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, बी-4/433 सुल्तानपुरी, दिल्ली-41
7. मुक्ति संग्राम संघ, दिल्ली प्रदेश, डी 584 लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92
8. बाबा साहेब डा. बी. आर. अम्बेडकर अनुसंधान संस्थान, 3 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-4 रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-22
9. आल इंडिया काणार्क एज्यूकेशनस एंड वैलफेयर सोसायटी, 221, मानस कुंज रोड, उत्तर नगर, नई दिल्ली-39
10. चौ. दीपचंद जैलदार मेमोरियल एज्यूकेशनल सोसाइटी 408 मंदिर मार्ग, नांगलोई, नई दिल्ली-41

11. ग्रामोत्थान कल्याण परिषद् बी-5/7, सेक्टर 7 रोहिणी नई दिल्ली-85

12. इंटीग्रेटड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी 82 सेवक पार्क, नजफगढ़ रोड़ नई दिल्ली-59

13. सुषमा शिक्षा समिति, बी-4/34, नंदनगरी, दिल्ली।

14. नारी उत्थान समिति, 185/31, गली नं. 5 मेन कृष्णा गली, मौजपुर, दिल्ली

15. दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन, अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-55

16. वीकर सेक्शन वेलफेयर फेडरेशन, डी-1/43, डा. अम्बेडकर नगर, सेक्टर, 4, मदरगिरी, नई दिल्ली-62

17. लॉर्ड बुद्ध सोसाइटी आफ एजूकेशन 2830, गली नं. 2, बाहरी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली

18. अखिल भारतीय ग्रामीण एंव पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति, 12/498 कल्याण दिल्ली-91

19. श्री स्वतंत्र भारत शिक्षा समिति, दिल्ली

विकलांगों का कल्याण

1. स्पास्टिक सोसायटी फार नार्दन इंडिया, बलबीर सक्सेना मार्ग, एन आर राज स्कूल, हौज खास, नई दिल्ली-16

2. आल इंडिया डेफ एंड डम सोसाइटी नं. 4 व 7 आफ इंडस्ट्रियल एरिया विकास मार्ग एक्सटेंशन कढाडि कोडे, दिल्ली-92

3. आल इंडिया फेडरेशन आफ दी डेफ, 18, नार्दर्न काम्पलेक्स, नई दिल्ली

4. दिल्ली एसोसिएशन आफ दी डेफ, 92, कमला मार्किट, नई दिल्ली

5. हैंडिकैप्ड यूनैन वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर 14, पावर हाउस के समीप, रोहिणी, दिल्ली

6. एसोसिएशन फार एडवांसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन आफ हैंडिकैप्ड 224 वसंत विहार, नई दिल्ली

7. असोशिएशन आफ नेशनल ब्रदरहुड फार सोसियल वेलफयर, 21-22 के नया रोहतक रोड, नई दिल्ली-3

8. बलवंतराम मेहता विद्या भवन, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-II नई दिल्ली-48

9. दिल्ली सोसायटी फार वेलफेयर आप मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ओखला मार्ग, ओखला, नई दिल्ली

10. डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जामिया मिलिया, जामिया नगर, नई दिल्ली

11. एक्लैट सोसायटी फार दी वेलफेयर आफ एन आर, 16-ई/33, ईस्ट पेपर, पटेल नगर, नई दिल्ली-6

12. फेडरेशन फार दी वेलफेयर आफ एन आर, शहीद जीत सिंह मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

13. पेरेंट एसोशिएशन फार दि वेलफेयर आफ चिल्ड्रन आप मेंठली हैंडिकैप्ड, अंसारी नगर, नई दिल्ली

14. समाधान, जे-32 साउथ एक्शटेंशन, नई दिल्ली

15. तमन्ना, डी-6 वसंत विहार, नई दिल्ली

16. संजीवनी सोसायटी फार मेंटल हैल्थ ए - 6 इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली-67

17. अक्षय प्रतिष्ठान, पाकेट-3 सेक्टर-डी वसंत कुंज, नई दिल्ली

18. श्री देवसाहा बाबा शिक्षा समिति, बी-1605 शास्त्री नगर, दिल्ली-52

19. अमरज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, एन-92 ग्रेटर कैलाश-I नई दिल्ली

20. प्रभा इंस्टीटयूट आफ दी आर्टस् एंड क्राफ्टस फार हैंडिकेप्ड पर्सन्स, आराम बाग लेन, पहाड़गंज, नई दिल्ली

21. अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ, सेक्टर ई, बी 111 ब्लाक रघुबीर नगर, नई दिल्ली-27

22. आल इंडिया फेडरेशन आफ दी ब्लाइंड ब्रेले भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर-5 रोहिणी, दिल्ली

23. भारतीय ब्लाइंड एजूकेशन कल्चर वेलफेयर सोसाइटी 61/18, 11 तेलीवाडा शाहदरा, दिल्ली

24. ब्लाइंड रिलीफ एसोसियेशन लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, ओबराय इंटर कंटीनेंटल, नई दिल्ली

25. इंस्टीट्यूट फार दी ब्लाइंड, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली

26. जनता आदर्श अंध विद्यालय, सिरी फोर्ट रोड, सादिक नगर, नई दिल्ली

27. नेशनल ऐसोशिएशन फार दी ब्लाइंड सेक्टर-5 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

28. नेशनल फेडरेशन फार दी ब्लाइंड, 2328, लक्ष्मी नारायण स्ट्रीट, पहाड़गंज, नई दिल्ली

29. हिडकुष्ठ निवारण संघ, नई दिल्ली

विकलांगों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण लगाने/खरीद करने संबंधी

30. अमरज्योती चेरिटेबल ट्रस्ट, कडकडडूमा, विकास मार्ग, दिल्ली

31. दिल्ली काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, दिल्ली

32. आल इंडिया फेडरेशन फार डेफ, राम कृष्ण मार्ग, नई दिल्ली

33. दिल्ली मिडटाउन रोटेरी सर्विस ट्रस्ट, नई दिल्ली

पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

1. हमदर्द स्टडी सर्किल, नई दिल्ली

2. एस ओ एफ ई डी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

3. एस. एन. दास गुप्ता कालेज, नई दिल्ली

4. राव"ज आई ए एस स्टडी सर्किल, नई दिल्ली

5. इंप्लायमेंट टुडे, नई दिल्ली

6. सचदेवा न्यू पी टी कालेज, नई दिल्ली

7. दिल्ली पब्लिक कालेज आफ कंपीटीशन, नई दिल्ली

समाज रक्षा और बच्चों और वयोवृद्धों का कल्याण

1. एसोसिएशन फार नेशनल बदरहुड फार सोसियल वैलफेयर, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली

2. नेशनल एसोशिएशन फार दी ब्लाइंड, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

3. समाज सेवा संघ, बहमपुरी, दिल्ली

4. इंडिया काउंसिल आफ एजूकेशन सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली

5. एज केयर इंडिया साकेत

6. आल इंडिया कंफीडरेशन आफ दी ब्लाइंड, रोहिणी

7. हैंडिकैप्ड वेलफेयर फेडरेशन, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली

8. नेशनल फेडरेशन आफ दी ब्लाइंड, पहाड़गंज, नई दिल्ली

9. हिंद कुष्ठ निवारण सेवा संग, आर.के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली

10. फेडरेशन फार दी वेलफेयर आफ दी मेंटेली हैंडिकैप्ड शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली

11. ऐसोसिएशन फार नेशनल बदरहुड फार सोसियल वैलफेयर 21, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली

12. ऐसोसिएशन फार सोसियल हैल्थ इन इंडिया, 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली

13. बापू नेचन क्यूअर हास्पिटल एंड योगाश्रम, पटपड़गंज, दिल्ली

14. दिल्ली पुलिस फाउंडेशन, सराय रोहिल्ला दिल्ली

15. इंडियन काउंसिल आफ एजूकेशन, नानकपुरा, नई दिल्ली

16. सोसायटी फार प्रोमोशन आफ यूथ एंड मासेज, वसंत कुंज, नई दिल्ली

वयोवृद्धों का कल्याण

17. एसोसिएशन आफ नेशनल बदरहुड फार सोसियल वेलफेयर, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली

18. हैल्पेज इंडिया, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

19. आर्शिवाद सीनियर सीटीजन काउंसिल, सूर्य निकेतन

20. एज केयर इंडिया, साकेत

21. आल इंडिया वूमेन्स काफरेस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली

22. जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली

23. भारतीया आदिम-जाति सेवक संघ, अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली

असहाय बच्चों का कल्याण

24. बाल सहयोग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

25. प्रयास, जहांगीर पुरी, दिल्ली

26. सलाम बालक ट्रस्ट, वसंत विहार, नई दिल्ली

27. अंकुरण, जनकपुरी, नई दिल्ली

28. इंडियन कांउसिल आफ चाइल्ड वेलफेयर, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली

29. सेवा भारथी, झंडेवालान, नई दिल्ली।

[अनुवाद]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2561. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा अल्प विकसित क्षेत्रों में आरंभ की गई पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली गंभीर संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रणाली की हाल ही में की गई पुनरीक्षा के अनुसार इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अप्रैल और सितम्बर 1995 के बीच खाद्यान्न की खरीद में दस लाख टन से अधिक की कमी आई तथा आवंटन और खरीद में 30 लाख टन का अन्तर था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्गम मूल्यों की तुलना में खुले बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलभ्यता के कारण इस अवधि के दौरान आवंटन की तुलना में उठान कम रहा है।

(ङ.) सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों की ओर केन्द्रित करते हुए उसे सुप्रवाही बनाने तथा गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड

2562. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई आस्ट्रेलिया की कम्पनी कोलार स्थित भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड में प्रस्तावित सोने के खान संबंधी उद्यम से अलग हो रही है;

(ख) क्या पहले भी किसी अन्य विदेशी कम्पनी ने कोलार में सोना खोजने संबंधी अपना निर्णय वापस ले लिया था;

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी में और ज्यादा पैसा लगाने के अलावा और उपाय करने का है; और

(घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो द्वारा नियुक्त संचालक एजेन्सी भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई नई योजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा विश्वव्यापी रूप से आमंत्रित की गई निविदाओं के आधार पर दो विदेशी कम्पनियों का नाम सूची में रखा गया है। भारत गोल्ड माइंस लि0 ने सूची में रखी गई प्राथमिकता वाली कंपनी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कंपनी ने बाद में संयुक्त उद्यम प्रस्ताव से स्वयं को अलग कर लिया। सूची में रखी गई अलग पार्टी के साथ बातचीत को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

(ग) और (घ) भारत गोल्ड माइंस लि0 द्वारा तैयार किया गया और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को सौंपा गया पुनर्वास प्रस्ताव सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंगलोर में फिल्म उद्योग

2563. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, बैंगलोर में एक फिल्म और दूरदर्शन संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित संस्थान के लिए विश्व बैंक से मदद ली जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जी.एम. इदाहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वस्तुओं की आपूर्ति

2564. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सब्जियों/फलों/पोलीपैक दूध के मूल्य में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति की व्यवस्था कर इन वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों से बिक्री की अनुमति देने का है ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं को लाभ मिले; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क़) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बरेली में नए टेलीफोन एक्सचेंज

2565. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-प्रदेश के जिला बरेली में टेलीफोन एक्सचेंज की स्ट्राउजर प्रणाली को बहुत ही पुरानी घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके स्थान पर नया टेलीफोन एक्सचेंज कब तक प्रतिस्थापित कर दिए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) बरेली का स्ट्रोजर एक्सचेंज पहले 3000 लाइनों की क्षमता सहित 1977 में संस्थापित किया गया था और उसका विस्तार 10,000 लाइनों तक किया गया था। इस एक्सचेंज को अब बदल दिया गया है इसकी सभी लाइनें दिसंबर, 95 तक ई-10 बी इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में अन्तरित हो चुकी थीं।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्पीड पोस्ट सेवा

2566. **डा0 बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आजमगढ़ जिले में "स्पीड पोस्ट" सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में 9 शहरों में उपलब्ध है। ये शहर हैं- आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, और वाराणसी। आजमगढ़ जिले में अभी स्पीड पोस्ट सेवा सुलभ नहीं कराई गई है।

(ख) स्पीड पोस्ट नेटवर्क के अंतर्गत केवल एक निर्दिष्ट शहर/कस्बा ही कनेक्ट है, न कि समूचा जिला।

इसके अलावा किसी कस्बे में इस सेवा को शुरू करने का औचित्य प्रचालन व्यवहार्यता और वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र द्वारा कार्य नहीं किया जाना

2567. **श्री अंचल दास** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ताजपुर जिले में स्थित "नेस्को इस्पात संयंत्र" कार्य कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित दो इस्पात संयंत्रों को एकीकृत औद्योगिक कॅम्पलेक्स जिला जाजपुर, उड़ीसा में नैस्को ग्रुप द्वारा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:-

क्र0 सं.	इकाई का नाम	क्षमता (दस लाख टन वार्षिक)
1.	मिड ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील लि0	चरण-I 0.50 (कच्चा लोहा) चरण-II 1.20 (इस्पात)
2.	नैस्को कलिंगा स्टील लि0	चरण-I 2.25 (कच्चा लोहा और इस्पात) चरण-II 4.50 (कच्चा लोहा और इस्पात)

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मिड ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील लिमिटेड परियोजना के प्रथम चरण के अगस्त, 1996 में चालू हो जाने की संभावना है।

मनीआर्डर

2568. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों द्वारा भेजे जाने वाले मनीआर्डरों की धनराशि का भुगतान समय से नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) कितने दोषी डाक कर्मचारियों को दण्डित किया गया है; और

(ङ.) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि मनीआर्डर शीघ्र पहुचें?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सामान्यतया मनीआर्डर समय पर वितरित किये जाते हैं। कुल मनीआर्डर टैफिक में से केवल लगभग 0.1 प्रतिशत मामलों में ही मनीआर्डर के भुगतान में विलंब होने की शिकायतें मिलती हैं। पहाड़ी और दूर-दराज के इलाकों में मनीआर्डरों के भुगतान में यदा-कदा विलंब सामान्यतया बसों के अनियमित रूप से चलने, कठिन भू-भाग और खराब मौसम की वजह से होता है। तथापि, विशेष रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ डाकघर कभी-कभी मनीआर्डरों का तत्काल भुगतान नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्थानीय बैंक इस स्थिति में नहीं हैं कि वे डाकघरों को पर्याप्त नकद राशि उपलब्ध करा सकें तथा उन्हें कम राशि के ड्राफ्ट तैयार करने में कठिनाई होती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 में मनीआर्डरों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमशः 2,67,242 और 2,86,960 थी। इनमें विलंब, भुगतान न होने और पावती प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। सभी शिकायतों की जांच की जाती है और सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) मनीआर्डरों के भुगतान में चूक करने के लिए दण्डित किये गये डाक कर्मचारियों की संख्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ.) मनीआर्डरों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

i) मनीआर्डरों के भुगतान हेतु विशेष कर गांवो, पहाड़ी और दूर-दराज के इलाकों के डाकघरों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना।

ii) डाकघरों में पर्याप्त नकद राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उप डाकघरों और शाखा डाकघरों के कैश बैलेंस की आवधिक जांच करना।

iii) डाकघरों में, विशेष रूप से गांवों और दूर-दराज के इलाकों में, मनीआर्डरों के भुगतान की नियमित मानीटरिंग करना।

iv) निरीक्षण और विजिट अधिकारी जो एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में उप-डाकघरों एवं शाखा डाकघरों में विजिट करते हैं, कुछ निश्चित संख्या में मनीआर्डरों के भुगतान की जांच करते हैं।

v) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के डाकघरों में मनीआर्डरों के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

vi) ट्रांसमिशन में तेजी लाने के लिए गांवों की डाक में ढुलाई, जिसमें मनीआर्डर भी शामिल हैं, पैदल करने की बजाय मोटरों द्वारा उत्तरोत्तर आरंभ करना।

vii) देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये गये वी-सैट स्टेशनों के माध्यम से मनीआर्डरों का प्रेषण।

असम में परियोजनाएं

2569. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में स्थानवार दूरदर्शन ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए कितनी परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है तथा कितनी परियोजनाओं का काम लंबित पड़ा है;

(ख) परियोजनावार लंबित परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) राज्य में 1996-97 में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नये दूरदर्शन ट्रांसमीटरों/आकाशवाणी केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) असम में कार्यरत/कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कोकराझार, तेजपुर एवं धुबरी में स्थित आकाशवाणी परियोजना के मार्च, 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है, जबकि लुमडिंग परियोजना के नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। परिकल्पित दूरदर्शन परियोजनाओं को अभी मंजूरी दी जानी है और इन ट्रांसमीटरों के कार्यान्वयन का कार्य अपेक्षित निधियों/आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने के बाद शुरू किया जाएगा।

विवरण

पूरी की गई स्कीमें	कार्यान्वयनाधीन	स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित
आकाशवाणी		
स्था. आ.के. हाफ्लांग	न.आ.के.कोकराझार	
स्था.आ.के. नोगांव	न.आ.के.तेजपुर	
स्था. आ.के. दिफू	रि.के. धुबरी	
	सा.आ.के. लुमडिंग	
दूरदर्शन		
उ.श.ट्रा.		**उ.श.ट्रा.**
डिब्रूगढ़		तेजपुर
गुवाहाटी		जोरहाट
सिलचर		बोंगाईगांव
		कोकराझार
अ.श.ट्रा.		**अ.श.ट्रा.**
जोरहाट, सोनारी, गोलपाड़ा		बोकाघाट
बोंगाईगांव, गोलाघाट, हाफ्लांग		सिलचर (डीडी-II)
उत्तरी लखीमपुर, तिनसुखिया, लुमडिंग, हतसिंघमारी, मारघेरिट्टा,		डिब्रूगढ़ (डीडी-II)
होजई, धुबरी, दिफू, कोकराझार, नौगांव, नजीरा, तेजपुर,		
गुवाहाटी (डीडी-II)		
अ.अ.श.ट्रा.		
डिगबोई		
ट्रांसपोजर		
गुवाहाटी		गुवाहाटी में दूसरा ट्रांसपोजर

संकेत चिह्न: - स्था.आ.के. - स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
न.आ.के. - नया आकाशवाणी केन्द्र
रि.के. - रिले केन्द्र
सा.आ.के. - सामुदायिक आकाशवाणी केन्द्र
उ.श.ट्रा. - उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अ.श.ट्रा. - अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अ.अ.श.ट्रा. - अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में डाकघर

2570. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कितनी ग्राम पंचायतों में डाकघर की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) ग्राम पंचायतों के कितने डाकघरों में तार सुविधा उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत डाकघर में तार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार राज्य के मुख्य शहरों में स्पीड पोस्ट सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार में 8254 ग्राम पंचायतों में डाकघर सुविधा उपलब्ध है।

(ख) प्रत्येक गांव पंचायत में डाकघर खोलने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

(ग) 3394 ग्राम पंचायत डाकघरों में तार सुविधा उपलब्ध है।

(घ) जी नहीं। विभाग की राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में तार सुविधा उपलब्ध कराने की कोई नीति नहीं है क्योंकि तार सुविधा मांग और ट्रैफिक की मात्रा पर आधारित औचित्य के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(च) बिहार के मुख्य शहर, जिन्हें पहले ही राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है, वे हैं, - पटना, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, सीवान, मोतीहारी, बेतिया, गिरीडीह, आरा, नागलपुर, गया और बोकारो स्टील सिटी ऐसे शहर/नगर हैं, जिनमें प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट नेटवर्क के अंतर्गत सेवा प्रदान की जाती है।

(छ) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चावल निर्यात हेतु ठेका

2571. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल में केन्द्र सरकार के नामित प्रतिनिधि ने वर्ष 1995 के दौरान निविदाएं आमंत्रित किए बिना चावल के निर्यात हेतु ठेका दिए जाने के बारे में शिकायत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम चावल के निर्यात के लिए ठेके नहीं देता है। भारतीय खाद्य निगम समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार घरेलू उपयोग और निर्यात के प्रयोजन के लिए चावल और गेहूं की खुली बिक्री करता है। भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल में शामिल एक निदेशक ने निविदाएं आमंत्रित किए बगैर चावल का निर्यात करने हेतु बिक्री करने के संबंध में आपत्ति की थी।

(ख) से (घ) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान सरकारी स्टाक से 30 लाख टन बढ़िया और उत्तम चावल निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन से बिक्री करने के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्राधिकृत किया था कि निर्यात के लिए निर्धारित किए गए मूल्य खुले बाजार में सरकारी स्टाक से बेचे गए बढ़िया और उत्तम चावल के घरेलू मूल्य से कम नहीं होने चाहिए और निर्यात बिक्री मूल्य तथा अन्य सम्बद्ध मामले के संबंध में अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिए जाने चाहिए। चूंकि बढ़िया और उत्तम चावल उच्च स्तरीय समिति/सरकार के निर्णयानुसार बेचा गया था इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात हेतु चावल की बिक्री करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

[हिन्दी]

शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाएं

2572. **श्री नीतीश कुमार :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार से संबंध में योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले वार्षिक व्यय को पूरा करने हेतु धनराशि का आवंटन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए योजनावार कितनी धनराशि का अलग-अलग आवंटन किया गया;

(ङ) क्या आबंटित धनराशि का उचित उपयोग नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रचार और विस्तार के लिए 1995-96 के दौरान कोई योजना आरंभ नहीं की गई।

(ग) और (घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रचार और विस्तार करने के लिए आरंभ की जा रही योजनाओं का योजनवार आबंटन और व्यय सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने और राज्यों द्वारा बराबर की राशि का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण आबंटित धनराशि का उचित उपयोग, कुछ योजनाओं, अर्थात् कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए योग्यता उन्नयन को छोड़कर किया गया है।

राज्य सरकारों से प्रस्तावों को सभी प्रकार से पूर्ण करके समय पर भेजने और इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अपने-अपने राज्य बजटों में बराबर की राशि आबंटित करने का भी अनुरोध किया गया है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	योजना का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	72.40	96.35	145.00
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	14.00	10.00	7.50
3.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	5.60	3.50	3.60
4.	अ.जा. लड़कियों के लिए होस्टल	6.00	6.20	7.00
5.	अ.जा. लड़कों के लिए होस्टल	6.00	6.20	10.00
6.	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	2.00	2.00	3.00
7.	अ.जा./.अ.ज.जा. की योग्यता उन्नयन	0.55	1.00	1.00
8.	अ.ज.जा. लड़कियों के लिए होस्टल	3.00	3.05	3.50
9.	अ.ज.जा. लड़कों के लिए होस्टल	3.00	3.05	3.50
10.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय	2.50	2.50	3.00
11.	आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लड़कियों की साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर	1.25	1.85	2.00

दिल्ली में गेस्ट हाउस

2573. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पर्यटकों के लिए आज की तारीख तक कितने गेस्ट हाउस बनाए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस की यह संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में का उपचारात्मक उपाय किये गए?

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) गेस्ट हाउसों के निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग की कोई योजना नहीं हैं। तथापि, ऐसी लॉजिंग सुविधा का सृजन करना पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है।

आज तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा 344 होटलों/गेस्ट हाउसों के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

विद्यमान आवास को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पेइंग गेस्ट आवास के अनुमोदन करने और पंजीकृत करने के लिए योजनाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

औरंगाबाद में दूरसंचार प्रणाली

2574. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के औरंगाबाद जिले में दूरसंचार प्रणाली संकट की स्थिति में है;

(ख) क्या औरंगाबाद में दूरसंचार संबंधी सुविधायें आवश्यकता से काफी कम है;

(ग) क्या औरंगाबाद के दूरसंचार विभाग में भ्रष्टाचार के मामले भी सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) दूरसंचार विभाग के तीन कर्मचारी कदाचार में लिप्त पाये गये थे जिससे राजस्व की हानि हुई। उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

नशाबंदी

2575. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री एल. रमना :

श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह ज्ञात है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने नशाबंदी लागू कर दी है या निकट भविष्य में इसे लागू करने वाले हैं जिससे राजस्व की हानि होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों ने इस हानि को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा यह जानने के लिए नशीले पदार्थों के उपयोग से अपराध होते हैं, कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बोकारो स्टील संयंत्र की परियोजनाएं

2576. **श्री चित्त बसु** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कितने गांव प्रभावित हुए हैं; और

(ख) इन गांवों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) की स्थापना करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 49 गांवों की भूमि

का अधिग्रहण किया गया था। विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु उन्हें पुनर्वास स्थलों पर पेय जल सुविधा, सड़कों का निर्माण, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा विस्थापितों को रोजगार प्रदान करना और ठेके देने में उन्हें प्राथमिकता तथा रियायत देना राज्य सरकार और बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा उठाए गए कदम हैं।

[हिन्दी]

श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर

2577. **कुमारी उमा भारती :**

श्री अनंत कुमार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने हेतु कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) कर्मकारों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए संरक्षण और कल्याण प्रदान करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की अदायगी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, बोनस की अदायगी तथा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, मनोरंजन और जल आपूर्ति आदि जैसी कल्याण कारी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अनेक श्रम कानून पहले ही विद्यमान हैं। इन श्रम कानूनों की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाए उनमें संशोधन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विगत में हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बोनस की अधिकतम सीमा में वृद्धि करना, महंगाई भत्ता स्लैब शुरू करना, केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन और कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना लागू करना आदि जैसे अनेक कल्याणकारी उपाय शुरू किए गए हैं। भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अध्यादेश तथा भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद के चालू सत्र के दौरान लोक सभा में दो विधेयक पुर:स्थापित किए जा चुके हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य देश में भवन निर्माण और निर्माण कर्मकारों को संरक्षण और कल्याण मुहैया करवाना है। केन्द्रीय सरकार को पेंशन योजना तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 को प्रति-स्थापित करने के लिए दूसरा विधेयक राज्य सभा में पहले ही लम्बित हैं।

बेड उत्पादकों को गेंहू की आपूर्ति

2578. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न बेड उत्पादकों को रियायती दरों पर गेंहू उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन बेड उत्पादकों को गेहूं उपलब्ध कराया गया;

(घ) क्या यह सुविधा सभी उत्पादकों को प्रदान की जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) गार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को अक्तूबर, 1994 से और उसके फ्रेंचाइज्ड यूनिटों को फरवरी, 1995 से बेड तैयार करने के लिए केन्द्रीय पूल से 3020 रूपये प्रति टन की रियायती दर पर अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 1000 रूपये प्रति टन कम मूल्य पर गेहू की आपूर्ति इस शर्त पर की जाती है कि बेड के मूल्य में एक निश्चित कमी की जाएगी। बेड तैयार करने के लिए अक्तूबर, 1994 से एक वर्ष के लिए 1.50 लाख टन गेंहू की मात्रा निर्धारित की गई है। तत्पश्चात् गार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के फ्रेंचाइज्ड यूनिटों को प्रतिमास 2358 टन गेंहू की मात्रा उस मूल्य पर जारी करने की अनुमति दी गई थी जिन मूल्यों पर गार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को गेंहू जारी किया जाता है। इस योजना की अवधि 31.10.96 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) केवल गार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और उसके फ्रेंचाइज्ड यूनिटों को ही रियायती दर पर गेंहू दिया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं

(ङ) समूचे देश में बेड तैयार करने वाले लगभग 65,000 यूनिटें हैं। इन सभी यूनिटों को गेंहू का आवंटन करने में अंतर्गस्त सब्सिडि बहुत अधिक होगी और सरकार फिलहाल इसके लिए धनराशि की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा, इन यूनिटों द्वारा गेहूं के उचित उपयोग पर नजर रखने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में तदनुरूपी कमी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आबंटित धनराशि

2579. **डा. बलिराम** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्षवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों, अर्थात् 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को पर्यटन के विकास/उन्नयन के लिए स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रु. लाखों में)
1992-93	97.34
1993-94	151.04
1994-95	223.80
1995-96	26.21

[अनुवाद]

विज्ञापन उद्योग

2580. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विज्ञापन उद्योग ने देश की एक चौथाई आबादी, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया है;

(ख) क्या सरकार ने आबादी के इस संवेदनशील वर्ग के हितों और उन्हें विज्ञापन के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए विज्ञापन उद्योग के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जी. एम. इदाहीम) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) जी, हां। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपनी स्वयं की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिताओं से शासित होते हैं। बच्चों से संबंधित इन संहिताओ के संगत अंश संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके द्वारा प्रसारित/टेलीकास्ट विज्ञापनों में इन संहिताओं का उल्लंघन न हो।

विवरण

आकाशवाणी

18. किसी उत्पाद या सेवा के लिए किसी ऐसे विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमे किसी भी प्रकार से यह दर्शाया गया हो कि यदि बच्चे किसी वस्तु या सेवा को स्वयं नहीं खरीदेंगे या अन्य व्यक्तियों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वे अपने दायित्व से विमुख होंगे अथवा किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति उनकी वफादारी में कमी आएगी।

19. ऐसे किसी विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चे यह समझें कि यदि वे विज्ञापित उत्पाद को नहीं खरीदेंगे अथवा उसका उपयोग नहीं करेंगे तो अन्य बच्चों से हीन माने जाएंगे अथवा उक्त उत्पाद को न खरीदने या उसका उपयोग न करने से उन्हें निन्दा या उपहास का सामना करना पड़ेगा।

दूरदर्शन

22. किसी उत्पाद या सेवा के लिए किसी ऐसे विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार से यह दर्शाया गया हो कि यदि बच्चे किसी वस्तु या सेवा को स्वयं नहीं खरीदेंगे या अन्य व्यक्तियों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वे अपने दायित्व से विमुख होंगे अथवा किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति उनकी वफादारी में कमी आएगी।

23. ऐसे व्यक्ति किसी विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चे यह समझें कि यदि वे विज्ञापित उत्पाद को नहीं खरीदेंगे अथवा उसका उपयोग नहीं करेंगे तो अन्य बच्चों से हीन माने जाएंगे अथवा उक्त उत्पाद को न खरीदने या उसका उपयोग न करने से उन्हें निन्दा या उपहास का सामान करना पड़ेगा।

24. ऐसे किसी विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो अथवा निम्नलिखित जैसे हानिकारक क्रियाकलापों में उनकी रूचि पैदा होती हो-सड़क के बीच में खेलना, खतरनाक स्थिति में खिड़की से बाहर की ओर झुकना, माचिस की डिब्बी तथा अन्य ऐसी वस्तुओं से खेलना जिनसे दुर्घटना हो सकती है।

25. बच्चों को भीख मांगते हुए अथवा अशोभनीय या लज्जाजनक रूप में नहीं दर्शाया जाएगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण आदि।

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : महोदय में

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) :-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 227/96]

(3) वर्ष 1996-97 के लिए कल्याण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 228/96]

(4) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 और 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 और 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 229/96]

(6) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डीकैप्ड मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 230/96]

(8) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 231/96]

(10) (एक) इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डीकैप्ड नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डीकैप्ड नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 232/96]

[अनुवाद]

वर्ष 1996-97 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री जी. एम. इब्राहीम) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 233/96]

वर्ष 1996-97 के लिए नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 234/96]

वर्ष 1996-97 के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगे

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (श्री जी.टी. वेंकटरामन): महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 235/96]

वर्ष 1996-97 के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. ए.ल टी. 236/96]

[हिन्दी]

वर्ष 1996-97 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 237/96]

वर्ष 1996-97 के लिए संचार मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगे, आदि

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1996, जो 15 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.वि. 133 अ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 238/96]

(2) वर्ष 1996-97 के लिए संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग सहित) की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 239/96]

(3) वर्ष 1996-97 के लिए डाक विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 240/96]

[अनुवाद]

वर्ष 1996-97 के लिए महासागर विकास विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं डा. योगेन्द्र के. अलघ की ओर से वर्ष 1996-97 के लिए महासागर विकास विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 241/96]

वर्ष 1996-97 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खलीम इकबाल शेरवानी) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 242/96]

वर्ष 1996-97 के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : महोदय, मैं डा. यू. वेंकटेस्वरलू की ओर से वर्ष 1996-97 के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल. टी. 243/96]

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत अधिसूचना और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में, हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एन. वी. एन. सोमू:

महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी सामान्य आरक्षित इंजीनियर बल समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती (संशोधन) नियम, 1995, जो 22 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** सं. एल .टी. 244/96]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है :

> "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद् द्वारा विनियोग (रेल) संख्याक 3 विधेयक लौटाने जो लोकसभा द्वारा 30 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को अपनी सिफारिशें देने के लिए भेजा गया था तथा यह बताने का निर्देश हुआ है कि उक्त विधेयक के संबंध में इस सभा ने लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में फैब्रिक्स पर 10 परसेंट बेसिक एक्साईज ड्यूटी लगाई है। इस फैब्रिक्स पर कई सालों से 10 परसेंट एडीशनल एक्साईज ड्यूटी है। पूरी टैक्सटाईल इंडस्ट्री ने मांग की है कि यह एडीशनल एक्साईज ड्यूटी फैब्रिक्स से यार्न पर ले जायें परंतु ऐसा करने के बजाय वित्त मंत्री ने नये बजट में 10 परसेंट बेसिक एक्साईज ड्यूटी लगाई है। आज पहली अगस्त से देश के सारे प्रोसैसिंग हाउसेज स्ट्राईक पर जा रहे हैं। इससे लाखों कामगार बेकार हो जायेंगे और अरबों रूपये का कपड़ा उत्पादन होता है, वह ठप्प हो जायेगा। इससे जो विदेशी मुद्रा कपड़ा एक्सपोर्ट करने से मिलती थी, वह भी बंद हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह मांग करता हूं कि जो 10 परसेंट बेसिक एक्साईज ड्यूटी लगाई है यह अनबीयरेबल इम्पोजीशन है जबकि वित्त मंत्री ने कहा है कि माडवेट पर 50 परसेंट मिलेगा।

मैं मांग करता हूं कि वह तुरंत वापस कर लें क्योंकि इससे कपड़ा उद्योग और खासकर मैन मेड फैब्रिक बंद हो जाएगा। सूरत शहर में 70 प्रतिशत मैन मेड फैब्रिक बनता है। अहमदाबाद में जिस प्रकार से कॉटन मिलें बंद हो रही है। इस प्रकार से ये सभी मैन मेड फैब्रिक, सभी पावरलूम, प्रोसैसिंग हाउस बंद हो जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राणा साहब, मैं समझता हूं, यह पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : इसलिए मैं वित्त मंत्री से रैक्वेस्ट करता हूं कि वह 10 प्रतिशत बेसिक ऐक्साइज ड्यूटी तुरंत वापस करें, पोस्टपोन करें और जब भी जवाब दें, तब इस बारे में बताएं। मेरी बात का जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : तुरंत जवाब कहां मिल जाएगा?.....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ने सभा में दो छोटी सी मदें प्रस्तुत करनी हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.06 बजे

जम्मू-कश्मीर बजट, 1996-97

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवण प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

उत्तर प्रदेश बजट, 1996-97

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं जानता हूं कि समय के अभाव के कारण आप सभी को अवसर नहीं दे सकते। इसके लिए मैं आपको या किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं आपका और आपके माध्यम से सरकार का पश्चिम बंगाल के लाखों पटसन मजदूरों की दुर्दशा की ओर ध्यान

दिलाना चाहता हूं जिसकी ओर सरकार ध्यान दें। जब सभा अगली बार समवेत हो, कल अन्तिम दिन है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि हमने जो ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है उसको प्रथम प्राथमिकता दें और इस बीच सरकार पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों की समस्याओं की ओर ध्यान दें। यह बहुत गम्भीर स्थिति है क्योंकि लाखों पटसन मजदूर हर रोज बेरोजगार हो रहे हैं।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, यू.एन.डी.पी. ने अपनी सातवीं श्रृंखला के नवीनतम प्रतिवेदन में, जो मानव विकास प्रतिवेदन के नाम से अधिक जाना जाता है, अनेकों अन्य विकासशील देशों की भांति हमारे देश में गरीबी की सीमा और प्रभाव के बारे में सनसनीखेज रहस्यों का उद्घाटन किया है। योजना आयोग के अनुसार, हमारे देश में गरीब की सीमा और प्रभाव के बारे में सनसनीखेज सदस्यों का उद्घाटन किया है। योजना आयोग के अनुसार, हमारे देश में करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे हैं और यह गणना कैलोरी की खपत, कैलोरी की विशेष मात्रा के आधार पर की गई थी। संशोधित प्राक्कलनों से पता चलता है कि उनकी संख्या बढ़कर 38 करोड़ हो गई है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत में 55 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे हैं। सरकार ने देश से गरीबी का उन्मूलन करने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सात क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया है। उन्हें यू.एन.डी.पी. की नवीनतम रिपोर्ट का ध्यान रखना चाहिये जिसके अनुसार 55 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न है....**(व्यवधान)**

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : अध्यक्ष जी, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग वनांचल राज्य या झारखंड बनाने के लिए 60-70 वर्षों से आंदोलन चल रहा है परंतु किसी भी सरकार ने आज तक इस संबंध में कोई चिन्ता नहीं की, कोई विचार नहीं किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : वहां की जनता में आक्रोश बहुत उग्र रूप धारण कर रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस तरह से वहां काफी अशांति फैल रही है। 1995 में बिहार की जनता दल की सरकार और केन्द्र की सरकार ने मिलकर एक परिषद् का गठन किया था जो अधिकारहीन है। वहां उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वर्तमान सरकार छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग वनांचल राज्य बनाने पर विचार करें।.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती वर्मा, मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपका ध्यान आकर्षित किया था कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के हाथ में है। यह दिल्ली राजधानी है और राजधानी के अंदर अगर रोज कत्लेआम होंगे.....**(व्यवधान)** आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हैं।. .....**(व्यवधान)*** दिन-ब-दिन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। **(व्यवधान)*** और कई दिन तक दिल्ली स्टेट असेम्बली में हंगामा होता रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप होम मिनिस्टर को बोलिए कि वह जवाब दें।.....**(व्यवधान)** भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। नहीं, मैं अब और इसकी अनुमति नहीं दे सकता प्रश्न काल समाप्त हुआ।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? कृपया, सभी बैठ जायें। मैंने श्री वर्मा को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है लेकिन आपने कोई निर्देश नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा। आप मेरे पास आयें। मैं आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा।

.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आर. एल. पी. वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष जी, दक्षिण बिहार के जो पर्वतीय जिले हैं उन्होंने अलग राज्य की मांग की है। उस संदर्भ में मैं अपना बयान देना चाहता हूं..... ..**(व्यवधान)** महोदय, दक्षिण बिहार की रत्नगर्भा-वर्तमान 18

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

जिलों की पर्वतीय धरती वनांचल (झारखंड) पृथक राज्य बनाने के प्रश्न पर विगत 1954 के राज्य पुनर्गठन आयोग के समय करीब 2000 स्मारपत्रों के द्वारा यहां की जनता एवं तत्कालीन नेताओं ने मांग की थी। जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके पूर्व भी एक अलग राज्य मांगने के लिए वहां के नेताओं ने प्रयास किया था। इसके पूर्व भी झारखंड आंदोलन 1938 से प्रारंभ हो चुका था। यह विश्व का सबसे लम्बा जन आंदोलन है।

इस खनिज सम्पदा, वन सम्पदा से विपुल सम्पन्न भूभाग में रहने वाले करीब 2.5 करोड़ उपेक्षित पिछड़ी जनता को गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए विवश किया गया है। इसका एकमेव कारण है राज्य एवं केन्द्र सरकार जो इस सोने की अंडा देने वाली चिड़िया को पिंजरे में बंद रखकर आर्थिक दोहन अबाध गति से जारी रखने की कुत्सित मंशा से है।.....**(व्यवधान)**

बिहार के सांसदों की पुरजोर मांग है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर में पर्वत मालाओं से मंडित एवं दक्षिण पूर्व में नदियों से सीमांकन करके एक पृथक प्रदेश का स्पष्ट प्रारूप दिया है। प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे 2.5 करोड़ जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सर्वांगीण विकास के लिए पृथक वनांचल राज्य की घोषणा करें। यह न्याय का तकाजा है और 1938 से चलने वाले आंदोलन की पराकाष्ठा है।..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, आपका समय हो गया।

[अनुवाद]

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जायें। कृपया सुनिये।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। आप सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, कृपया बैठ जाइये। नहीं, आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। यह संसद है। क्या आप अध्यक्षपीठ के कहने अनुसार नहीं चल सकते।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ का सम्मान नहीं करते तो आप माननीय सदस्य कहलाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल एक माननीय महिला सदस्य ने एक उप महानिरीक्षक द्वारा तथाकथित दुर्व्यवहार का एक मामला सभा के ध्यान में लाया था और सभा ने मांग की थी कि गृह मंत्री एक वक्तव्य दें। मैं मंत्री महोदय से एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : सुषमा जी ने कहा था कि लॉ एंड आर्डर की हालत खराब है, इसी हाउस में कहा था। मैं सुषमा जी की बात से सहमत हूं कि दिल्ली में लॉ एंड आर्डर की हालत खराब है.....**(व्यवधान)** इनके हाथ में पुलिस मत देना.... .**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अपराह्न 12.16 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय संसद सदस्या श्रीमती सुभावती देवी के साथ गोरखपुर (उ0 प्र0) के उप महानिरीक्षक द्वारा कथित दुर्व्यवहार तथा उनकी जान को कथित खतरा

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सुभावती देवी, संसद सदस्या, के साथ, गोरखपुर (उ0 प्र0) के पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किए जाने और उनकी जान की कथित खतरे के बारे में यह वक्तव्य जारी कर रहा है। माननीय संसद सदस्या श्रीमती सुभावती देवी ने माननीय लोक सभा अध्यक्ष से, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया था। माननीय सदस्या ने यह भी कहा था कि 2 जुलाई, 1996 को गोरखपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मंगाई गई थी। माननीय संसद सदस्या द्वारा सूचित तथ्य और उनके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रत्युत्तर इस प्रकार है :-

माननीय सदस्या ने शिकायत में कहा है कि वे 2 जुलाई, 1996 को लगभग 7.00 बजे शाम को गोरखपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय में गई थी। उनके वहां जाने का उद्देश्य, पुलिस उप महानिरीक्षक को इलाके की समस्याओं से अवगत कराना था। यहां यह आरोप लगाया गया है कि जब माननीय संसद सदस्या ने पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रिज़वान अहमद का ध्यान इस इलाके में चोरी, डकैती आदि की हो रही घटनाओं की ओर आकर्षित किया तो श्री रिज़वान अहमद ने अचानक बीच में रोककर कहा कि माननीय सदस्या के स्वर्गीय पति भी एक डकैत और हत्यारे थे और इसीलिए उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। आगे यह आरोप भी लगाया गया है कि पुलिस उप महानिरीक्षक रिज़वान अहमद ने माननीय सदस्या पर यह आरोप भी लगाया कि वे चोरों और डकैतों के ग्रुप को साथ रखती हैं और पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी चोरों और डकैतों की पार्टी है।

माननीय संसद सदस्या ने आगे आरोप लगाया कि श्री रिज़वान अहमद द्वारा प्रयुक्त भाषा से यह पता चलता था कि माननीय संसद सदस्या के पति की हत्या के षडयंत्र में उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। माननीय संसद सदस्या द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके पति के हत्यारे और उनके साथी, माननीय संसद सदस्या को टेलीफोन पर बार-बार धमकियां दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित ब्यौरे सामने आए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर रेंज, द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित रिपोर्ट भेजी है :

(i) यह सही है कि 2 जुलाई, 1996 को लगभग 7.00 बजे शाम को माननीय संसद सदस्या, श्रीमती सुभावती देवी अपने कुछ समर्थकों के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर रेंज के कार्यालय में गयी थीं। श्री रिज़वान अहमद, पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर रेंज के कथन के अनुसार, माननीय संसद सदस्या, श्रीमती सुभावती देवी ने प्रारम्भ में, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, अपने परिवार के लिए सुरक्षा, उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित आग्नेयास्त्रों को वापस करने और गुलरिहा के थाना प्रभारी नामत: श्री फरीन्द्र यादव के खिलाफ शिकायत जैसे विषयों पर चर्चा शुरू की। बातचीत के दौरान श्री रिज़वान अहमद ने गुलरिहा के थाना प्रभारी के साथ टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया, जब श्री रिज़वान अहमद को बताया गया कि श्रीमती सुभावती देवी इस बात पर नाराज़ थी कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट के आधार पर पुलिस रामवृक्ष यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे इस बात का भी उल्लेख किया गया कि रामवृक्ष यादव एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ हत्या, इत्यादि जैसे अनेक गम्भीर आपराधिक मामले लम्बित पड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि श्रीमती सुभावती देवी उस समय खफा/नाराज हो गयीं जब पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रिज़वान अहमद ने तथ्य सुनकर गुलरिका के थाना प्रभारी से रामवृक्ष यादव को गिरफ्तार करने के लिए कहा।

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पुलिस उप-महानिरीक्षक, श्री रिज़वान अहमद ने गुलरिहा के थाना प्रभारी से बातचीत करने के बाद माननीय संसद सदस्या, श्रीमती सुभावती देवी से अनुरोध किया कि वह अपनी छवि पर बुरा प्रभाव न पड़ने देने के लिए अच्छे लोगों की संगत में रहें। रामवृक्ष यादव के प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक के रवैये को देखते हुए श्रीमती सुभावती देवी, माननीय संसद सदस्या ने पुलिस उप-महानिरीक्षक से कहा कि शायद वह भी उनके पति को एक हत्यारा समझते हैं। इस पर श्री रिज़वान अहमद ने नम्रतापूर्वक कहा कि चूंकि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है अत: उनके संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

(iii) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार श्री रिज़वान अहमद ने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया है जो माननीय संसद सदस्या द्वारा अपने पत्र में बताई गई है। राज्य सरकार ने आगे कहा कि श्री रिज़वान अहमद के कथन के ब्यौरों से यह नहीं कहा जा सकता है कि माननीय संसद सदस्या की किसी भी प्रकार से बेइज्जती की गई या श्री रिज़वान अहमद ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

(iv) उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि श्रीमती सुभावती देवी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर रेंज द्वारा जांच की गई है तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माननीय संसद सदस्या के पति की हत्या में श्री रिज़वान अहमद का कोई हाथ नहीं था।

(v) माननीय संसद सदस्या को उनके पति के कथित हत्यारों और उनके सहयोगियों द्वारा दी गई धमकियों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर रेंज को माननीय संसद सदस्या तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने तथा अभियुक्तों का पता लगाने और श्रीमती सुभावती देवी, माननीय संसद सदस्या तथा उनके परिवार को किसी भी तरह की हानि से बचाने हेतु कड़ी कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

महोदय, हम उनको पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे..... ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री पंडुरंग फुंडकर।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने काफी काम पूरा करना है।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शून्यकाल समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र हरदोई में एक चीनी मिल है जो इसी साल चालू हुई है,.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नही, नहीं। जीरो आवर खत्म हो गया। कृपया बैठिए।

.....**(व्यवधान)**

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): सर, मैंने नोटिस दिया है।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नोटिस तो सबने दिया है।

.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शून्यकाल समाप्त हो गया है।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने काफी कार्य मदों को निपटाना है। अन्यथा, सभा को शनिवार के दिन बैठना पड़ेगा। यदि हम कार्य पूरा नहीं करते हैं तो हमें शनिवार के दिन बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि संसद-सदस्यों को शनिवार यहां रूकना पड़े।

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : और नहीं

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पंडुरंग फुंडकर जी, कृपया पढ़िये

.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

.....**(व्यवधान)**

अपराह्न 12.27 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : अब हमने नियम 377 के अधीन मामले शुरू कर दिये हैं। श्री पंडुरंग अपना मामला पढ़े।

.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति महोदय, मेरा प्रिवलेज का नोटिस है। उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया है।. ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विशेषाधिकार का मामला बाद में आ सकता है।

.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाईये।

.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शून्यकाल आधे घण्टे का था और वह समाप्त हो गया है। अब अध्यक्ष महोदय ने नियम 377 के अधीन मामले शुरू कर दिये हैं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अत: अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। अध्यक्ष ने श्री पंडुरंग को अपना मामला पढ़ने के लिए पुकारा है।

.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं

.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय यह शून्यकाल नहीं है। अध्यक्ष ने नियम 377 के अधीन मामले आरम्भ कर दिये हैं और उन्होंने उनका नाम पुकारा है। मैं उन्हें बैठने के लिए कैसे कह सकता हूं।

.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति महोदय, मुझे प्रिवलेज का नोटिस दिए हुए चार दिन हो गए हैं।.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने प्रिवलेज का नोटिस दिया हुआ है, वह तो ठीक है, लेकिन पुरोहित जी, आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: पुरोहित जी, कृपया बैठ जायें। मुझे उत्तर देने दें।

.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री पुरोहित, आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और ऐसा आप को शोभा नहीं देता। आप कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

आप बैठिये।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके अधिकार क्या है?

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं यहां खड़ा हूं।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने प्रिविलेज का नोटिस दिया है।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह मामला माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। उनके द्वारा इस पर विचार कर लिये जाने के बाद ही आप को अवसर मिलेगा।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : चार दिन तक रिप्लाई नहीं आया।....(व्यवधान) कल आखिरी दिन है। हम कहां जायेंगे।. .....(व्यवधान) मैं एक मिनट में स्वत्म करता हूं।.....(व्यवधान) हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार है। मिनिस्टर साहब ने गलत रिप्लाई दिया है। ..... (व्यवधान) मिनिस्टर साहब ने यह रिप्लाई दिया है कि जो लिकेज है, वह डायरेक्ट नहीं करते। स्टेट की रिकमेंडेशन से लिकेज होता है जबकि मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर का लैटर दिया। उन्होंने कहा है कि हम रिकमंड नहीं करते।..... (व्यवधान) यह सब प्रिविलेज का मामला है।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदया, आप कृपया हमें अनुमति दें। (व्यवधान) एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है.... (व्यवधान) मैं उसे उठाना चाहता हूं .....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पुरोहित, आपके विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आप कृपया बैठ जायें।

..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्रीमती सुभावती देवी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर जाइये।

..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मंत्री जी, आप कृपया अपने सदस्यों को वापस अपने स्थानों पर जाने के लिए कहें। सभा में आचरण का यह कोई तरीका नहीं है।

..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : पुरोहित जी, माननीय अध्यक्ष ने आप के मामले पर विचार किया है और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अपराह्न 12.32 बजे

इस समय श्रीमती सुभावती देवी सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गई।

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर जाइये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब उनके दल के मुख्य सचेतक कहां हैं।

..... (व्यवधान)

अपराह्न 12.33 बजे

इस समय श्रीमती सुभावती देवी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अपराह्न 12.34 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री भाऊसाहेब पुंडलिक फुंडकर (अकोला) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र देश का 35 प्रतिशत कपास का उत्पादन करने वाला प्रदेश है। महाराष्ट्र में 1971 से कपास एकाधिकार योजना चल रही है उससे महाराष्ट्र के 20 लाख किसानों का कपास खरीद कर उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास कपास पणन संघ की ओर से होता है। इस योजना में 6000 कर्मचारी काम करते हैं और महाराष्ट्र की जिनींग प्रसींग फैक्ट्री, कृषि उपज बाजार, समिति, खरीद बिक्री संघ यह सब संस्थाएं इसके तहत काम करती हैं। इस योजना को चलाने के लिए केन्द्र सरकार की

मंजूरी आवश्यक होती है मगर केन्द्र सरकार इस योजना को एक-एक वर्ष की मंजूरी चलाने के लिए प्रदान करती है। इससे इस योजना को स्थिरता नहीं मिल पा रही है। अभी 30 जून, 1996 को इस योजना के एक वर्ष की अवधि समाप्त हुई है। 1995-96 वर्ष में इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख क्विंटल कपास की खरीद किसानों से हुयी है।

अत: मैं केन्द सरकार से आग्रह करता हूं कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि बढ़ाने के निर्णय का आदेश पारित करने का कष्ट करें।.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शांति, शांति। यहां क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, ट्रेजरी बैंच ऐसा व्यवहार कर रही है, यह तो अनपेक्षित है। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। आप सदन का काम करेंगे या रूलिंग पार्टी अपनी कांन्फ्रेंस करेगी। यदि कांन्फ्रेंस करनी है तो बाहर जाकर करें। ..... **(व्यवधान)** देखिए, अभी क्या हुआ। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने सरकारी पक्ष को बता दिया है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह तो प्रतिदिन हो रहा है।..... **(व्यवधान)**

(दो) प्रस्तावित मक्सी गोधरा वरास्ता धार पीथमपुर रेल लाईन को जोड़ने का कार्य आरंभ करने की आवश्यकता

श्री छतर सिंह दरबार (धार) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र धार है जो कि आदिवासी क्षेत्र है तथा अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह आज तक रेल लाइन से नहीं जुड़ पाया है जबकि हर वर्ष केन्द्र सरकार रेल बजट प्रस्तुत करते समय यह बात कहती है कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। धार जिले के अंतर्गत ही पीथमपुर नामक स्थान है जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। यहां पर लगभग 300 से 350 औद्योगिक इकाइयां हैं। इसी जिले में मांडु नामक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल तथा मोहन खेड़ा में जैन समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, जहां पर विदेशों से हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं परन्तु रेल सुविधा न होने के कारण उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इन सबके बावजूद यह क्षेत्र आज तक रेल से नहीं जुड़ा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन के क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मक्सी-गोधरा रेलवे लाइन जो कि वाया धार-पीथमपुर प्रस्तावित है उस पर अभी तक कोई कार्य आरंभ नहीं हुआ है। इस रेल बजट में भी इसके लिए धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

अत: मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रस्तावित मक्सी-गोधरा लाइन का सर्वे हो चुका है, इस लाइन में इन्दौर से पीथमपुर, धार को जोड़कर सर्वे कराया जाये।

(तीन) दिल्ली के औद्योगिक एककों को स्थानान्तरित किये जाने के कारण इन एककों के परिसर में रहने वाले श्रमिकों के घर खाली न करवाया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल (सदर दिल्ली) : सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय के हाल ही के आदेशानुसार दिल्ली की 168 औद्योगिक इकाईयों को प्रदूषण की दृष्टि से हानिकारक घोषित कर दिया गया था। इन औद्योगिक इकाईयों को आदेश दिया गया है कि यह आगामी 30 नवम्बर तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाए। इससे प्रदूषण की समस्या तो शायद हल हो सकती है किन्तु सरकार इस बात पर भी विचार करें कि इनसे जुड़े हुए मजदूरों के रिहायशी क्षेत्रों का क्या होगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन औद्योगिक इकाईयों के परिसर में, मिल में कार्य करने वाले मजदूरों के जो रहने के लिए घर बने हुए है उनसे मजदूरों को न उजाड़ा जाए। मजदूरों को इन मकानों का मालिक बना दिया जाए। उद्योगों के स्थानान्तरण से एक ओर तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और यदि उस पर उन मकानों से भी उजाड़ दिया गया तो वे हर ओर से उजड़ जाएंगे। इस आशंका से उनके मन में काफी असंतोष व्याप्त है और वे आंदोलन पर उतारू हैं।

मेरे ही संसदीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाईड्स लि. स्वतंत्र भारत मिल कालोनी, बिड़ला काटन मिल, अयोध्या टेक्सटाइल मिल कालोनी में हजारों गरीब, मजदूर, कर्मचारी वर्षों से रहते हैं। यदि सरकार यह निर्णय ले ले कि इन कर्मचारियों को वहीं रहने दिया जाएगा तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वर्षों से किराए पर रहने वाले इन मजदूर कर्मचारियों को मकानों का स्वामित्व दे दिया जाए।

(चार) बालाघाट जिले के औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : सभापति महोदय, बालाघाट जिला उद्योगविहीन जिला हैं। वहां लाखों बेरोजगार

शिक्षित आज रोजगार की तलाश में भटकते फिरते हैं। आजादी के पचास वर्षों के बाद भी वहां औद्योगिक विकास न होने से निश्चित रूप से युवाओं में निराशा जागृत होती है एवं युवा वर्ग विद्रोह कर अनेक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। बालाघाट जिले में नक्सलवादी गतिविधियां चल रही हैं और जिले के अनेक युवक इन गतिविधियों में संलग्न हैं।

जिले में अपार खनिज सम्पदा (तांबा, मैगनीज, डोलामाइट व संगमरमर) व वन सम्पदा (बांस, इमारती लकड़ी) हैं। वहां उन्नत कृषि में धान एवं सोयाबीन पर आधारित उद्योग लगाये जाने हेतु सरकार की ओर से प्रयास होने चाहिए। उद्योग विहीन जिलों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी सहायता का प्रावधान करना चाहिए, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके एवं युवक रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहें।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार को विशेष आर्थिक सहायता दी जाये ..... **(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, यह बहुत अनुचित है। यह लोग कांफ्रेस बाहर जाकर कर सकते हैं, उस पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सदन में इस तरह से नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं, वे बाहर जाकर बातचीत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार के सीतामढ़ी जिले में सार्वजनिक टेलीफोन सेवा में सुधार करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, बिहार के सीतामढ़ी जिले में करीब 115 एम.ए.ए.आर. सिस्टम सार्वजनिक टेलीफोन विभिन्न डाकघरों एवं पंचायत भवनों में लगा हुआ है, जिनमें से एक भी एम.ए.ए.आर. टेलीफोन इस समय कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव से 10-12 किलोमीटर की दूरी तय कर ग्रामवासी बाजार में जाकर फोन कर अपने सम्बन्धियों से सम्पर्क करते हैं। जिले में जब से एम.ए.ए. आर. फोन शुरू हुआ है, कोई छह महीने या अधिक से अधिक साल भर कार्य करने के बाद सभी मशीनें खराब पड़ी हैं, जबकि एक एम.ए.ए.आर. फोन सैट के ऊपर सरकार की लगभग तीन लाख रूपये की लागत पड़ती है। इस तरह करोड़ों रुपये सरकार की अलाभकारी योजना में फंसे हुए हैं।

दूरसंचार विभाग के जिला कार्यालय से सम्पर्क करने पर अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास एम.ए.ए.आर. फोन को ठीक करने के लिए कोई साधन नहीं है और टेक्नीशियन का अभाव है। इसके लिए इंजीनियर लखनऊ एवं बंगलौर से आते हैं। इंजीनियर के अभाव में राज्य एवं जिलों में सभी जगह फोन खराब पड़े हुए हैं।

केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिहार के सभी जिलों में एम.ए.ए.आर. बंद पड़े टेलीफोनों को ठीक कराने के लिए शीघ्र ही अभियंता की नियुक्ति प्रत्येक जिले में करें तथा रख-रखाव के लिए संसाधन उपलब्ध करायें।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अपराह्न 12.44 बजे

[अनुवाद]

(छ:) महाराष्ट्र के अमरावती जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने की आवश्यकता

श्री अनन्त गुढे (अमरावती) : महाराष्ट्र राज्य के अमरावती राजस्व प्रभाग में चार जिले आते हैं अर्थात् अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलधाना। अमरावती जिले में एक नगर निगम और नौ नगर परिषद् हैं। जल, सड़क परिवहन, वायु संचार वहां पर उपलब्ध हैं। अमरावती जिले में बहुत सी शिक्षा संस्थायें हैं और इंजीनियरी तथा चिकित्सा पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। अमरावती बडनेरा और राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 जैसे मुख्य रेल जंक्शन से जुड़ा हुआ है।

यद्यपि ये सुविधायें उपलब्ध हैं, फिर भी जिले में कोई बड़ा औद्योगिक संगठन नहीं है। बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल हो गई है और पाँच लाख से अधिक युवक बेरोजगार हैं।

मैं केन्द्रीय सराकर से अमरावती जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) बिहार की बरौनी बाढ़ नियंत्रण परियोजना को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : केन्द्रीय सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में बरौनी औद्योगिक नगर की बाढ़ से सुरक्षा की परियोजना लम्बित है। बरौनी-मधुसपुर में भीषण गंगा कटाव हो रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। खेतों मे लगी लहलहाती फसल उजड़ गई है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विस्थापितों के पुनर्वास एवम् बरौनी-मधुसपुर तथा बरौनी जं. तेल शोधाक एवम् खाद कारखाने की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

(आठ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक शाखा

असम में तेजपुर के निकट विश्वनाथ चरली में स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : असम में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर स्थित छः जिलों से, जिनकी आबादी करीब एक करोड़ है, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जो पर्याप्त आधुनिक नैदानिक सुविधाओं से सुसज्जित हो। जिला मुख्यालय स्तर के अस्पताल छोटे हैं, अच्छी तरह सुसज्जित नहीं हैं और उनमें भीड़भाड भी अधिक रहती है। उनमें विशेषज्ञ उपचार के लिए कोई सुविधा या कर्मचारी नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप गंभीर और पुराने मरीजों को नदी पार गोहाटी मेडीकल कालेज अस्पताल तथा अधिकांश मामलों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में काफी खर्च, असुविधा झेल कर तथा जीवन का जोखिम उठाकर जाना पड़ता है।

अतः स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक शाखा के रूप में विश्वनाथ चरली में जहां तेजपुर हवाई अड्डे से वाहन द्वारा एक घंटे में पहुंचा जा सकता है और जो अरूणाचल प्रदेश के बहुत ही निकट है, एक अध्यापन अस्पताल की स्थापना करने पर विचार करें। ऐसा करने से न केवल कमी पूरी होगी अपितु असम और पूर्वोत्तर राज्यों से हर महीने जो हजारों मरीज सीधे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर भागते हैं उनको भी राहत मिलेगी।

अपराह्न 12.47 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :-

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालक सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार मुझे लोकसभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 31 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 1996 को पारित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1996 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बंधी नियमो के नियम 111 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध (संशोधन) विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जो 31 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने पारित कर दिया है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.47½ बजे

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 1996 राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं 31 जुलाई, 1996 को राज्स सभा द्वारा यथापारित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 1996 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.48 बजे

[अनुवाद]

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक,

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधयेक - जारी

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति में फैसला किया गया था कि अब सभा भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार विधेयक पर विचर करेगी चूंकि इसे राज्य सभा के पास भेजा जाना है।

दूसरे, सभी राजनैतिक दलों के नेताओ के साथ हुई बैठक में संशोधनों पर विचार किया गया था और सराकर ने सम्बन्धित सदस्यों द्वारा पेश किये गये संशोधन स्वीकार कर लिये थे। यह फैसला हुआ था कि चूंकि सरकार ने सभी संशोधन स्वीकार कर लिये हैं, इस पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी और विधेयक सीधे पारित कर दिया जायेगा।

अब में मंत्री महोदय से वाद-विवाद का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

.....(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय, संशोधन सदस्यों को परिचारित नहीं किये गए हैं ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें परिचारित कर दिया गया है।

..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभी दल उपस्थित थे और सभी ने इसे स्वीकार कर लिया था। सरकार ने सभी संशोधन स्वीकार करने की कृपा की थी। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है। आप उनसे बात कर लें। मैं भी बाद में बात कर लूंगा।

[अनुवाद]

अब मैं मंत्री महोदय से अपना उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्रममंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने दो विधेयकों अर्थात् भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996 पर विचार के दौरान, जो मैंने 20 जून, 1996 को जारी किये गये संगत अध्यादेशों को स्थान लेने के लिए पेश किये हैं, बहस में भाग लिया है।

अपराह्न 12.49 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

बहस में बहुत से सदस्यों ने भाग लिया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भवन और सन्निर्माण कर्मकारों की दशा के बारे में, जिनके लाभ तथा सुरक्षा के उद्देश्य से ये विधेयक लाये गये हैं, सभा को काफी चिंता है। माननीय सदस्यों ने भी बहुत से संशोधन पेश किये हैं।

दलगत बातों को भुला कर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई, 1996 को प्रातः 10 बजे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में एक सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया था ताकि कोई सर्वसम्मत रास्ता निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित सभी बड़े राजनैतिक दलों तथा ग्रुपों ने इस बैठक में भाग लिया और उनके मार्गदर्शन में विधेयक में कुछ सरकारी संशोधन पेश करने का फैसला किया गया और सभी दल दोनों सदनों द्वारा इन दोनों विधेयकों को शीघ्र पारित करवाने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए सहमत हुए ताकि इन्हें अन्तर सत्र अवकाश के लिए सभा के स्थगित होने से पूर्व पारित किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अनुसार इस महीने की 21 तारीख को संगत अध्यादेशों की अवधि समाप्त होने तक उनके स्थान पर इन विधेयकों को लागू करना आवश्यक है।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किये गये सरकारी संशोधन मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेने और भारत के राष्ट्रपति की ताजा सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् ही मैंने पेश किये थे। इन संशोधनों को शामिल करने से इन विधेयकों के माध्यम से भवन और सनिर्माण कर्मकारों को काफी अधिक लाभ होंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब जो संशोधन शामिल किये जा रहे हैं उनके महत्व को सभा अच्छी तरह समझती है, मैं इन के विस्तार में नहीं जाऊंगा। तथापि मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यह प्रावधान करके कि प्राप्त होने वाला उपकर पहले भारत की समेकित निधि में जमा करके उसके बाद प्रत्येक कल्याण बोर्ड को संसद द्वारा दिये जाने के बजाय सीधे राज्य सरकारों द्वारा गठित कल्याण बोर्डों को जायेगा, संघीय भावना और विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य न केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये उपकर की वसूली कर सकेंगे अपितु उन्हें अपने द्वारा स्थगित त्रिपक्षीय कल्याण बोर्डों के माध्यम से अपने अपने राज्य में भवन और सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए वसूल की गई राशि खर्च करने की भी छूट होगी और उन्हें इस प्रयोजनार्थ अपने पक्ष में संसद द्वारा विनियोग किये जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा पहली बार किया जा रहा है क्योंकि अब तक संसद द्वारा उपकर के बारे में यह प्रावधान किया जाता रहा है कि जो उपकर वसूल किया जाता था उसे संसद द्वारा विनियोग के माध्यम से राज्यों को वितरित करने से पूर्व भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता था। मुझे इस में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकारें और कल्याण बोर्ड भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का उत्तरदायित्व और अनुशासन की भावना से निर्वहन करेंगे। इसके साथ, इस अधिनियम की उपयुक्तता के लिए एक संस्थापना में कर्मकारों की संख्या 50 से घटाकर दस करने और उपकर की दर एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करने सम्बन्धी संशोधनों का काफी महत्व है। यह ही नहीं कि ये विधेयक कई गुणा अधिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे अपितु कल्याण बोर्डों के पास धनराशि भी काफी अधिक आयेगी जिसमें उनके लिए भवन और सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण की अधिकाधिक योजनायें हाथ में लेना संभव होगा। इसके परिणामस्वरूप नियोक्ताओं का, जिन में दोनों केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सरकारी उपक्रम भी आते हैं, वित्तीय बोझ बढ़ जायेगा। मुझे आशा है कि नियोक्ताओं को अपने कर्मकारों के हित में, जो उनकी खुशहाली के लिए अपना खून और पसीना एक कर देते हैं लेकिन खुद अब तक कठिन जीवन व्यतीत करते रहे हैं, यह अतिरिक्त बोझ वहन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार मैंने जो अन्य सरकारी संशोधन पेश किये हैं उनसे भी कर्मकारों को काफी लाभ होगा। संक्षेप में, इन परिवर्तनों से ये विधेयक कर्मकारों की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी सामाजिक विधान बन गये हैं।

महोदय, चूंकि सरकार ने माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किये गये विभिन्न

संशोधन पहले ही शामिल कर लिये है, मैं समझता हूं कि बहस में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा अलग अलग दिये गये सुझावों का हवाला देकर मुझे सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिये क्योंकि अब जो विधेयक सभा के सामने हैं उनमें उनके सुझावों को शामिल कर लिया गया है।

महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सभा से इन दो विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करने का पुरजोर आग्रह करता हूं ताकि क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके और इसका लाभ भवन और सनिर्माण कर्मकारों को शीघ्र पहुंच सके।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर उन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और उन प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और चर्चा के माध्यम से तथा सहयोग की भावना से सभी दलों को स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने में सहायता की। अन्त में जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं माननीय अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इन प्रयासों में हमारी पूरी सहायता की।

अपराह्न 12.56 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति ने तीन परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। मैं उन्हें पढ़कर सुनाता हूं:

"(1) कि चूंकि सामान्य बजट (1996-97) पर सामान्य चर्चा आरम्भ करने और उसे पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है, इसलिए सभा की राय जानकर नियम 331छ को निलम्बित किया जाये ताकि स्थायी समितियां आगामी अवकाश के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार कर सकें।

(2) कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर चर्चा इस समय स्थगित रखी जाए।

(3) कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर लोक सभा द्वारा विचार आरम्भ किया जाए और उसे 2 अगस्त, 1996 तक पारित किया जाए।"

ये तीन परिवर्तन हैं। अब श्री भार्गव जी आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होगी।

अपराह्न 12.57 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तीसरा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प,

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक,

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प,

तथा

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक-जारी

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, यहां पर मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी ने केवल एक-दो सुझावों को ही माना है। इन्होंने एक तो यह मान लिया है कि जहां पर 50 से अधिक मजदूर होंगे वहां पर यदि उनके स्थान पर 10 मजदूर भी काम कर रहे होंगे तो उनको यह परिसीमा में ले आए। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि जो प्राइवेट आदमी मकान बना रहा है और 10 लाख रूपए से अधिक उस मकान की कीमत है तो उसमें भी जो मजदूर काम करेंगे उनको भी इसमें शामिल करना है। इन्होंने इसमें एक बात और मानी है कि जहां पर केन्द्र है वहां पर लोकसभा के तीन सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा और राज्यसभा से भी मेम्बर ले लेंगे। यदि कहीं पर स्टेट का मामला है तो वहां पर विधानसभा के सदस्यों को इसमें ले लिया जाएगा। मान्यवर, इसके अलावा इन्होंने कोई बात नहीं मानी है।

महोदय, मुझे यहां पर यह निवेदन करना है, यह जीवन में भारत के इतिहास में पहली बिल है जिसमें असंगठित मजदूरों के बारे में कहीं पर कोई विचार किया गया है। इसलिए मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि जब यह पहला अवसर है तो आप इसमें जल्दी न करें, इसमें और जो बहुत सारी बातें रह गई हैं उन सब को भी इसमें शामिल किया जाना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें एक दिक्कत तो यह हो गई कि आपने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं वह सुबह दिए हैं। उनसे ऐसा लग रहा था कि इन दो बिलों के पास होने के बाद फिर यह बिल यहां पर लाया जाएगा, उसके बाद सारी बातचीत होगी। लेकिन अभी आपने कहा कि तुरंत ही इसको 2 तारीख को पास कर देंगे, इसका मतलब यह है कि कल का दिन ही इसमें बाकी है। उम्मीद यह की जा रही थी कि यह बिल कल लाया जाएगा और उस पर मैं अपनी पूरी बात

जोर-शोर से रख सकूंगा। मान्यवर, मजदूरों के बारे में यह पहला बिल है।

मेरा निवेदन यह है कि इसमें मालिक की परिभाषा अभी तक स्पष्ट नहीं है। कौन मालिक है? कहीं-कहीं पर मजदूर भी मालिक है। मजदूर भी ठेका ले लेता है और मालिक की परिभाषा में आ जाता है। माननीय मंत्री जी, आपने इसमें मालिक की परिभाषा नहीं दी है। मालिक की परिभाषा इसमें दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : भार्गव जी, आप लंच के बाद अपनी बात जारी रखें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : ठीक है श्रीमान्। लंच के बाद लेने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा अपराहन् 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराहन् 01.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहन् भोजन के लिए अपराहन् 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराहन् 2.07 बजे

मध्याहन् भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर सात मिनट पर पुन: समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक सदस्य को जान की धमकी के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम सागर जी या श्रीमती सुभावती देवी में से कोई एक दो मिनट के लिये अपनी बात कह सकता है।

श्री राम सागर(बाराबंकी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज गृह मंत्री के बयान के बाद हमारा मन बहुत भरा हुआ है। मैं बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने और श्रीमती सुभावती देवी ने शून्य काल में अपनी व्यथा आपके सामने रखते हुये निवेदन किया था कि मार्च से लेकर 27 जुलाई तक इनके पति जो तीन बार एम. एल. ए रहे, प्रमुख थे और नेता थे, वे और 16 अन्य लोग बार-बार की घटनाओं में मारे गये और कम से कम 100 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे। मैं उन गरीब लोगों का बयान करना चाहता हूं जिनमें से किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं और कुछ लोग अपंग हो गये। हम लोगों ने आपकी इजाजत से इस घटना को यहां पर रखा और यह भी कहा था कि जिस समय यह घटना हुई, तब से अब तक आई. जी. और डी. आई. जी वहीं मौजूद हैं जिन्होंने बार-बार इस तरह ही घटनायें होने पर भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और न ही इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की गयी। इस कारण से बार-बार गोरखपुर और बासगांव में घटनाएं हो रही हैं। इस घटना का बयान करते हुए सदन के बहुत से साथियों ने हमारा साथ दिया था और यह मांग की थी कि सरकार वहां के आई.जी. और डीआई जी को तुरंत ट्रांसफर करें क्योंकि वे पूर्णतया इस घटना के लिये दोषी हैं सारे प्रकरण की सी बी आई से जांच कराई जाये और दलित समाज में पैदा हुये एम पी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर गृह मंत्री जी ने अधिकारियों के कल लिखे हुये बयान को पढ़ दिया। इस बयान में न तो उनको हटाये जाने की बात की गयी है और न ही सी बी आई द्वारा जांच कराये जाने की बात कही गयी है और न ही सुरक्षा की बात की गयी है। यहां पर गृह मंत्री जी ने जिम्मेदारी से अपना बयान नहीं दिया है। मैं आज भरे मन से इस सदन में आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अनैतिक कार्य और गैर-जिम्मेदार श्री देवेगौड़ा की सरकार और गृह मंत्री निभा रहे हैं। यदि इस प्रकार का कार्य करेंगे तो बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बयान हम और सुभावती जी इसलिए दर्ज करा रहे हैं कि गृह मंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल लोक सभा उठने वाली है। अगर उसके बाद हमारे ऊपर, इनके ऊपर या इस परिवार से जुड़े जो लोग हैं, उनके ऊपर कुछ हुआ तो केन्द्र सरकार इसके लिए पूर्णत: जिम्मेदार होगी। आज गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, हम उनके बयान के खिलाफ आपके सामने अपना बयान रिकार्ड कराना चाहते हैं और सदन का बहिष्कार करते हैं। आपने जो समय दिया और दोबारा आकर हमारी व्यथा को सुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.11 बजे

(तत्पश्चात श्री राम सागर तथा श्रीमती सुभावती देवी ने सदन से बहिर्गमन किया)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा।

श्री बुल्टार अनीस (सीतापुर) : उपाध्यक्ष जी, हमें भी इसी इश्यू पर एक बात पर जोर देना है। पहली बात यह है कि जो कल हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और गृह मंत्री जी ने बयान दिया है कि ये आरोप लगाए गए। यह हम लोगों ने नहीं कहा है जो इसके अंदर इन्होंने आरोप लगाए हैं। हम लोगों का इतना कहना है कि गोरखपुर में क्राइम बहुत बढ़ गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की यही हालत है। माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मंगाकर इस बात को देखेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में जिन लोगों ने सुभावती

जी पर हमला किया, उनकी सभा में हमला किया, उनको पकड़ने की बात नहीं कही गई है। इस रिपोर्ट के अंदर उनको ऐडवोकेट और सिक्यूरिटी देने की बात नहीं कही गई है। जो रिपोर्ट माननीय गृह मंत्री जी ने पेश की है, इसमें कहीं भी इनकी फेमिलीज़ को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं कही गई है। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मर्डर हो रहा है, उनको थ्रेट दिये जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर के शरीक है.....**(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : ये अनर्गल बात कर रहे हैं। **(व्यवधान)**.....*

श्री मुख्तार अनीस : ये असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

.....(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस : इस पूरी घटना की जांच की जाए और इस पूरे काण्ड में गोरखपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शरीक हैं, इनकी पहचान कराई जाए, तभी इस मामले का हल होगा। यह एक तरफा बात नहीं है। पूरे गोरखपुर में आतंक फैलाकर वहां के लोगों के साथ आप लोग अन्याय कर रहे है।.....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए। आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे स्पीकर साहब की डायरेक्शन मिली थी कि इन दो में से कोई भी एक माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहे तो कह लें। इस इश्यू को मैं यहीं क्लोज समझता हूं और मुझे यही कहना है कि मेम्बर्स को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा।

.....(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, मामला इतना सरल नहीं है। क्योंकि किसी भी संसद सदस्य ने यहां आकर यदि कोई बात की है तो वह सदन की प्रोपर्टी हो जाती है। जब गृह मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया तो बाकी सदस्य जो बोलकर गए है, वह भी अनुचित है। मेरा भी यह निवेदन है कि कुल मिलाकर सरकारी पक्ष का एक व्यक्ति दुखी होकर इस प्रकार की बात करे यह अत्यन्त कष्टपूर्ण है। सरकार ने भी जब जवाब दिया तो उन सारी बातों को सम्मिलित करके जवाब आना चाहिए था। सरकार को कहना चाहिए था कि जो सदस्य इससे प्रभावित हुआ है, उसके परिवार को सभी प्रकार से सुरक्षा देंगे किन्तु इस प्रकार की बात नहीं आई, जिसमें असंतोष के कारण सरकारी पक्ष के एक व्यक्ति को वाक-आउट करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरी छानबीन करके उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का काम सरकार करने वाली है?

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है बैठ जाइये, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है।

अपराह्न् 2.15 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प,

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार विधेयक,

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक-जारी

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। यूं तो सब लोगों ने मिल करके उसमें कुछ अमेंडमेंट दिये है। उसके लिए, जिन लोगों ने अमेंडमेंट दिये हैं और माननीय मंत्री जी ने भी मान लिए, मैं उन सभी को धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन कुछ बातें रह गई हैं वह मैं निवेदन कर रहा हूं। एक तो इसमें मालिक की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़े वक्त में कहें तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। दूसरे इसमें मालिक को लेवी कम लगाई गई है। तीसरी बात यह है कि इसमें दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले अथवा अपंग हो जाने वाले श्रमिकों के लिए मुआवजे की समुचित न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है।

चौथी बात यह है कि इसमें बोनस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन का कहीं पर भी प्रावधान नहीं किया गया है। जब कि वह वर्कर पांच साल, बीस साल या चाहे जिंदगी भर उसमें खपा दें तो भी उसके लिए न ग्रेच्यूटी है, न प्रोविडेंट फंड है और न ही पेंशन की व्यवस्था है।

मेरी पांचवी बात यह है कि इसमें दो परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। यानी दो परसेंट होना चाहिए। दो परसेंट से कम किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा और भारत सरकार भी इसमें अपना हिस्सा दें। क्योंकि राज्य सरकार तो इकठ्ठा करेगी, इकठ्ठा करके जो कुछ भी खर्चा होगा वह तो माइनस हो जायेगा, लेकिन इसके बाद यह व्यवस्था की गई है कि इनको एक परसेंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि दो परसेंट तो अवश्य मिलेगा ही। यह अगर कम्पलसरी हो जाए और इसके बाद भारत सरकार भी इसमें

अपना हिस्सा देती है, अर्थात भारत सरकार भी इसमें अपना हिस्सा दे तो ठीक रहेगा।

मेरा छठा सुझाव है कि राज्य बोर्ड को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए।

मेरा सातवां सुझाव यह है कि एक आल इंडिया वेज बोर्ड बने। क्योंकि जो अच्छा कारीगर है उसको अगर सौ, सवा सौ रूपये भी मिले तो मैं समझता हूं कि अच्छा कारीगर आज मिलता नहीं है। वह युग चले गये जब इतने पैसों में अच्छे कारीगर मिल जाया करते थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आल इंडिया वेज बोर्ड बनना चाहिए। राज्य के, केन्द्र के असंगठित क्षेत्र के जो काम करने वाले मजदूर हैं, वे भी इसमें शामिल हों और आखिरकार एक कारीगर को क्या मजदूरी मिले, यह भी तय करें। इसी प्रकार से केन्द्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो बोर्ड बन रहा है, उसमें जांच के लिए राजपत्रित अधिकारी रखे जाएं, जो कि इन सब बातों पर निगाह रखें। यह मेरा आठवां सुझाव है।

मेरा नौवा सुझाव यह है कि रकम को प्रोविडेट फंड या ई. एस. आई. स्कीम में डाल दिया जाए, जिससे कि उनकी रकम सुरक्षित रहेगी। जो दूसरा केन्द्र का फंड है, उसमें न डाला जाए। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का सुझाव शायद माना है। लेकिन इसमें मेरा सुझाव यह है कि प्रोविडेट फंड या ई. एस. आई. की स्कीम में उस रकम को डाल दिया जाए तो रकम सुरक्षित रहेगी।

मेरा एक निवेदन यह है कि अगर रिट्रेचमेंट हो जाए, एक कारीगर को यदि कोई निकाल दें, चाहें उसे काम करते हुए एक-दो साल हो जाएं और मालिक उसको निकाल दें तो रिट्रेचमेंट कम्पेनसेशन का उसमें प्रावधान होना चाहिए, वह नहीं होगा तो कारीगर भूखा मरेगा और जिस भावना से वर्षों के बाद जीवन में पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूर के हितार्थ यह बिल लाया गया है, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें रिट्रेचमेंट कम्पेनसेशन का प्रावधान हो। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें सांसद भी होंगे, विधान सभा के सदस्य भी होंगे, वह तो ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस बोर्ड में विशेषज्ञों को भी रखा जाना चाहिए और एग्रीकल्चर वर्कस को भी इस बिल के परव्यू में लाया जाए, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि हमने आपकी जो पार्टी है, जिसका नाम है जे. डी., जिसकी सरकार बनी है। इसका अर्थ यह है कि जुलाई से लेकर दिसम्बर तक। जे. का मतलब जुलाई और डी. का मतलब दिसम्बर, यह आपका कार्यकाल है। इसलिए मैं तो आपके हित के लिए यह बात कह रहा हूं कि अभी जो वक्त हैं इसका लाभ ले लो और अगर लाभ नहीं लोगे तो मजदूर ही भारतवर्ष में लगभग 80 प्रतिशत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दिसम्बर के बाद फिर जुलाई आयेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब नहीं आयेगा, इनके कार्यकाल में तो नहीं आयेगा। जुलाई से दिसम्बर तक काम कर लो। दिसम्बर में निश्चित रूप से यह सरकार जायेगी, इसलिए माननीय सदस्य आप मकानों की चिंता न करें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भलाई का काम करें। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का शोषण हो रहा है और जो कृष्णा अय्यर कमेटी है, उसने जो रिपोर्ट बनाई थी उसका आखिरकार क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान हो। कृष्णा अईयर साहब ने मेहनत करके जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसका भी इसमें प्रावधान होना चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मजदूर बहुत बड़े कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन बनाया, अनेकों फ्लैट्स बनाए, संसद भवन बनाया, संसद भवन में जो चारों ओर खम्बे लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी और हम सब लोग उन्हें रोजाना देखते हैं, वे सब राजस्थान के करोली पत्थर से बने हैं और इन्हें राजस्थान के, विशेषकर जयपुर के मजदूरों ने बनाया है जो मेरे पड़ोसी हैं। आप सब तो मेरे भाईबंद हैं, लेकिन वे मजदूर मेरे पड़ोसी है। मेरा निवेदन है कि जिन मजदूरों ने इतने सुन्दर भवन बनाए, राष्ट्रपति भवन बनाया, संसद भवन बनाया और दूसरे भवन बनाए, उनके हितार्थ जब आप इस बिल को सदन में लाए हैं, आपने इसमें जितने संशोधन किए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन जिन बातों को मैंने आपके सामने उठाया, उन्हें समविष्ट करते हुए यदि एक काम्प्रिहैंसिव बिल आप लाएं तो वह मजदूरों के ज्यादा हित में होगा।

अब कल से लोक सभा की छुट्टी होने वाली है। अब सदन 26 अगस्त से समवेत होगा, उस समय तक आप विचार कर लें। यदि मुझे बुलाने की आवश्यकता समझते हों तो मैं भी अपने सुझाव दे दूंगा। सभी से राय लेने के बाद, असंगठित मजदूरों के हित में आपको एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए। मजदूरों के बारे में वर्षों बाद, जब से लोक सभा बनी है, पहली बार आप यह बिल लाए हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा आपने जिन सुझावों को आपने मान लिया है, उसके लिये भी धन्यवाद। फिर भी जो बातें रह गई हैं, उन्हें भी आप मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको भी धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप रिजील्यूशन विदड्रा कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि बार-बार अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति का विरोध करता हूं- आप पहले राज्य सभा में अध्यादेश लाए, फिर लोक सभा में लाए, फिर राज्य सभा में लाए - तीन-तीन बार आर्डिनेंस निकालने की जो सरकार की गलत नीति है, अकर्मण्यता है अकर्मण्यता की स्थिति तो इनकी भी है, कांग्रेस के ये उत्तराधिकारी हैं, कांग्रेस की सारी जिम्मेदारी इन पर है, क्योंकि ये उनके बेटे हैं। उन्होंने जो गलती की, वही गलती ये भी न करें, जब ये उनके दत्तक पुत्र हैं इसलिए इन्हें वही गलती नहीं

करनी चाहिए। मैं बड़ी शुद्ध भावना से सारी बातें बताना चाहता हूं। कांग्रेस इनके पीछे लगी हुई है। इनके राज को कायम करने में कांग्रेस ने हथेली लगा रखी है। अभी मैंने जे. डी. वाली बात कही- जुलाई से दिसम्बर तक इनका कार्यकाल है। मुझे आशा है कि मेरी सारी बातें ये मानेंगे। अनेक धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने सांविधिक संकल्प वापस ले लिया?

श्री बिरधारी लाल भार्गव : जी हां सांविधिक संकल्प वापस ले लिया है क्योंकि उसमें मात्र अध्यादेश को निरस्त करने वाली बात है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सभा की अनुमति से अपना सांविधिक संकल्प वापस ले सकते हैं?

कई माननीय सदस्य : हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 40 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अधुपायों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ होगी।।

खंड 2 - परिभाषायें

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताव रूडी - अनुपस्थित श्री हन्नान मोल्लाह

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं अपने संशोधन पर बल नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के. वी. सुरेन्द्रनाथ और श्री ए. सी. जोस - अनुपस्थित।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 24,

"निजी निवास स्थान" **के पश्चात** निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये -

"ऐसे विनिर्माण की लागत दस लाख से अधिक नहीं होगी" (68)

(श्री एम. अरूणाचलम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3 - केन्द्रीय सलाहकार समिति

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, क्या आप संशोधन संख्या 15 पेश कर रहे हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह : मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया है। अत: मैं इसे पेश कर रहा हूं।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 3, -

(एक) पंक्ति 43 **के पश्चात्** निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाये -

(ख) संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;"

(दो) पंक्ति 44 -

"ख" **के स्थान पर** "ग" **प्रतिस्थापित किया जाये** (69)

पृष्ठ 4, -

(एक) पंक्ति 1,

'ग' **के स्थान पर** 'ख' **प्रतिस्थापित किया जाये**

(दो) पंक्ति 7,

'ग' **के स्थान पर** 'घ' **प्रतिस्थापित किया जाये** (70)

पृष्ठ 4,

पंक्ति 12 **के पश्चात्** निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये -

(4) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि केन्द्रीय सलाहकार समिति का पद इसके धारक को संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेगा।'' (71)

(श्री एम. अरूणाचलम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया"

खंड 4 - राज्य सलाहकार समिति

संशोधन किया गया

पृष्ठ 4, -

(एक) पंक्ति 18 **के पश्चात्** निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये

"स्व राज्य विधानमंडल के दो सदस्य राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;"

(दो) पृष्ठ 19 -

"स्व" **के स्थान पर** - 'ग' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(तीन) पंक्ति 20 -

'ग' **के स्थान पर** 'घ' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(चार) पंक्ति 21 -

'घ' **के स्थान पर** (ङ) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(पांच) पंक्ति 27 -

'घ' **के स्थान पर** 'ङ' **प्रतिस्थापित किया जाये।** (72)

(श्री एम. अरूणाचलम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, क्या आप संशोधन संख्या 17 पेश कर रहे हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

'कि खंड 5 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 6 से 11 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 12 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7,

(एक) पंक्ति 4, -

'पांच वर्ष' **के स्थान पर तीन वर्ष'** प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) पंक्ति 6 -

'पांच वर्ष' **के स्थान पर** 'तीन वर्ष' प्रतिस्थापित किया जाये। (73)

(श्री एम. अरूणाचलम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 15 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 16 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 17 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 18 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 19 से 21 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 19 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 22 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 23 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 24 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 25 से 28 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 25 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 29 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 30 से 34 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 30 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 35 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 36 से 38 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 36 से 38 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 39 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 40 से 44 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 40 से 44 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 45 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 46 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 47 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 48 से 57 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 48 से 57 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 58 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 58 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 59 से 61 विधेयक का अंग बनें'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 59 से 61 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 62 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 62 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 62क - कतिपय अधिनियमितियों की व्यावृति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, -

पंक्ति 7 **के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित** किया जाये -

कतिपय अधिनियमितियों की व्यावृति

"62क. इस अधिनियम में दी गई कोई बात एक राज्य में ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का उपबंध करने वाले किसी संगत कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत उपबन्धित योजनाओं की अपेक्षा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए अधिक लाभकारी हैं। (74)

(श्री एम. अरूणाचलम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि नया खंड 62क विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड 62क विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 63 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 63 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,

'पचास' **के स्थान पर** दस' प्रतिस्थापित किया जाये (67)

(श्री एम. अरूणाचलम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री एम. अरूणाचलम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

'कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री एस. बंगारप्पा (शिवोगा) : मुझे स्थिति स्पष्ट करने के लिए अध्यक्षपीठ को एक सुझाव देना है। विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व विपक्ष के किसी सदस्य के संशोधन को अस्वीकार करने के लिए 'पक्ष में' न कि 'विपक्ष में' मत लिया जाना चाहिए। मुझे सुनाई दिया कि 'पक्ष में' की बजाय केवल 'विपक्ष में' मत लिया गया। मैं यह महसूस करता हूं कि यदि सभा द्वारा अस्वीकार किये जाने वाले प्रस्ताव पर 'विपक्ष में' का मत लिया जाये तो यह विधेयक का अंग बन जाता है।

पीठासीन अधिकारी कार्यवाही वृत्तांत देखने की कृपा

करें। यदि 'पक्ष में' का मत लिया जाता है तो ठीक है। लेकिन यदि 'विपक्ष में' का मत लिया जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किये गये संशोधन का समर्थन हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करूंगा और देखूंगा।

श्री एच. बंगारप्पा : मैंने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया है कि कार्यवाही वृत्तांत में कोई ऐसी चीज नहीं जानी चाहिए जिससे यह भावना पैदा हो कि यह अवैध है या नियमों के विरुद्ध है, आदि आदि।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक व्यापक विधेयक है जो यह भव्य सभा पारित करने जा रही है। यह भारत के श्रमजीवी वर्ग के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। इस विधेयक का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि श्रमजीवी वर्ग में विशेष रूप से उन राज्यों में जिन्होंने अपने निजी प्रस्ताव पारित किये हैं, कुछ आशंकायें है। माननीय मंत्री ने इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाने की कृपा की थी। हमने कुछ संशोधन रखे थे। माननीय मंत्री सदस्यों द्वारा पेश किये गये कुछ संशोधन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गये।

तथापि, आगे कार्यान्वयन स्तर पर कुछ खामियां और कठिनाईयां हो सकती हैं जिनका मंत्रालय द्वारा नियम बनाते समय ध्यान रखा जा सकता है।

महोदय, इस विधान से हमारे देश के असंगठित क्षेत्र को निश्चित रूप से लाभ होगा।

मैं एक बार फिर भूतपूर्व श्रममंत्री श्री वेंकटस्वामी को बधाई देता हूं जिन्होंने आरंभ में यह विधेयक पेश किया और श्री अरूणाचलम को भी बधाई देता हूं जिन्हें अब इसे इस सभा में पारित करवाने का अवसर मिला हैं। आगे आने वाले दिनों में इस विधान से असंगठित क्षेत्र के गरीब और पददलित लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका श्रेय दोनों श्री वेंकटस्वामी और श्री अरूणाचलम को जाता है।

श्री इन्नान गोल्लाड (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधेयक का मसविदा तैयार करने वाले मंत्री और इसका संचालन करने वाले मंत्री को बधाई देने में चेन्नितला के साथ शरीक होता हूं। स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार उन्हें इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे आशा है कि इस विधेयक से पददलित लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग सन्निर्माण कर्मकार इसका लाभ उठा सकेंगे। किंतु हम जानते हैं कि निर्माणलाबी बहुत शक्तिशाली है और वह कई वर्षों तक इस विधेयक में बाधा डालने में बहुत सक्रिय रही है। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् भी सन्निर्माण लाबी इस में बाधायें डालने का प्रयास करेगी।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक सावधानी बरते और राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसी सभी बाधाओं को विफल करने का प्रयास करे और यह सुनिश्चित करे कि निर्माण श्रमिकों को इस से लाभ होगा।

बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं लेकिन सरकार ने कुछ ही मुद्दे स्वीकार किये हैं। और हम सभी इसे पारित करने के लिए सहमत हो गये है। लेकिन जहां तक स्वीकार न किये गये मुद्दों का संबंध हैं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आगामी वर्षों में इस संशोधन से प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्माण कर्मकारों के हित में कई और संशोधन किये जायें।

श्री जेवियर अराकल (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि मुझे खड़े होकर इस विधेयक का समर्थन करने का अवसर मिला है। 1977 में मुझे पहली बार, जब मैं एक विधायक था, केट्टिडा निर्माण होजीलाली संघ का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ था।

आज, जैसा कि श्री चेन्नितला ने कहा है, यह एक युगान्तरकारी घटना है। लेकिन विधेयक के क्रियान्वयन के बारे में मेरी अपनी आशंकायें हैं। बहरहाल, यह एक युगान्तरकारी घटना है और देश के गरीब लोग विशेष रूप से निर्माण कर्मकार इस की सहारना और समर्थन करेंगे।

महोदय, मैं इस सभा के विचारार्थ एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि हमने जाने या अनजाने ईंट निर्माताओं को इसमें शामिल नहीं किया है और कुछ अन्य सम्बद्ध व्यवसाय भी इसमें शामिल नहीं किये गये हैं। वे भी इस देश की असंगठित श्रमशक्ति का एक बहुत बड़ा वर्ग है। उन्हें इस कानून से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा।

दूसरे, 85 लाख नैमित्तिक निर्माण कर्मकारों में से कितनों को इस विधेयक का लाभ होगा? मैं बड़ी ईमानदारी से इस सभा से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। आगामी वर्षों में यह प्रश्न जरूर उठेगा। उस समय हमारे लोगों के मन में यह बात नहीं आनी चाहिये कि सभा ने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार नहीं किया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक अछूता है। इस क्षेत्र को संगठित करना कठिन है। महोदय, इस क्षेत्र में मेरा अनुभव यह रहा है कि जहां तक इस विषय का सम्बंध है, राज्य सरकार संगठित क्षेत्र में सबसे योग्य प्राधिकरण है। अब केन्द्र सरकार ने जिम्मेदारी ली हैं। क्या सरकार की नीति केन्द्र में शक्तियां केन्द्रित करने की रही हैं? बहरहाल, राज्य सलाहकार समिति का प्रावधान किया गया है। यह सभा द्वारा बनाया गया युगान्तरकारी विधान है।

मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं और मुझे इस बात का वास्तव में गर्व है कि 1977 में केरल में जिस चीज का उदय हुआ अब वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच रही है। मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में यह विधान अन्य असंगठित श्रम क्षेत्रों के लिए युगान्तरकारी घटना सिद्ध होगी।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब मजदूरों के हित के संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम इस बिल के माध्यम से उठाया गया है। हमने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सुझाव दिये थे, उन पर माननीय मंत्री जी ने गौर किया। उन सुझावों में से बहुत से सुझाव इन्होंने मान लिए। उदाहरण के तौर पर जो 50 की संख्या थी, उसको घटाकर 10 कर दिया, जो बोर्ड बने, उसमें पब्लिक रिप्रेजेटिव्ज़ को रिप्रेजेटेंशन मिले और इसी तरह से अन्य जो सुझाव थे, उन पर विचार-विमर्श करके सदन की सभी पार्टियों को इन्होंने कान्फीडेंस में लिया।

मैं इस अवसर पर इतना ही कहता हूं कि यह जो एमेंडिड बिल आया है, इस पर सरकार ने एक अच्छी परिपाटी शुरू की है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एमेंडमेंट लाई है, इसलिए हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। परंतु हम इस अवसर पर इतना जरूर कहेंगे, सरकार को इशारा करना चाहेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में सरकार को विशेष दक्षता की आवश्यकता है, नहीं तो यह पार्लियामेंट कई कानून बना देती है। कानून कानून की किताब में रह जाते हैं, पर असल में उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं इस अवसर पर विशेष आग्रह करूंगा कि यह जो बोर्ड बने, उसको विशेष अधिकार दें, स्टेट बोडर्स बनें, उनको विशेष अधिकार दें और उनको एक्टीवेंट करें, जिससे सही मायनों में मजदूरों का एक्सप्लायटेशन नहीं हो, मजदूरों पर कहीं भी अन्याय नहीं हो और अन्याय करने वालों को दंडित किया जा सके।

इतना कहते हुए मैं पुन: माननीय मंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि यह पहला कदम है और मजदूरों के हित में, मजदूरों के हित के संरक्षण की दिशा में जो यह कदम है, यह रूके नहीं, यह कदम आगे ही आगे बढ़ते जाएं, इतना ही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (इडुकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे अधिकांश संशोधन स्वीकार कर लिये हैं।

संसद द्वारा इस विधेयक को पारित किये जाने से ही राज्यों को कोई लाभ नहीं होगा। 'श्रम' विषय समवर्ती सूची में आता है। अधिकांश राज्यों को इसे पहले पारित कर लेना चाहिये था। लेकिन केरल और तमिलनाडु के सिवाय किसी अन्य राज्य ने इस प्रकार का विधेयक पारित नहीं किया है और वे इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

अत: माननीय मंत्री तथा केन्द्र सरकार के श्रम विभाग से मेरा अनुरोध है कि कोई तरीका ढूंढा जाये जिसके आधार पर एक अन्तिम तारीख निर्धारित की जाये ताकि इस अधिनियम को सभी राज्यों द्वारा क्रियान्वित या अंगीकृत किया जा सके। विशेष रूप से हिन्दी क्षेत्र और उत्तरी भारत में यह नितान्त आवश्यक है। जब तक केन्द्रीय श्रम मंत्री और केन्द्रीय श्रम विभाग दबाव नहीं डालेंगे, इस विधेयक को क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। यह विधेयक केन्द्र सरकार के लिए नहीं है। निस्संदेह, सलाहकार समिति का प्रावधान है और अन्य कई नियंत्रणों का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन जब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस कानून को एक निश्चित अवधि में क्रियान्वित करने की हिदायत नहीं की जायेगी, तब तक यह कानून केवल कागजों में ही रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरे बहुत से संशोधन स्वीकार कर लिये हैं। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। जैसा कि श्री रमेश चेन्नितला ने कहा है, श्री वेंकटस्वामी, भूतपूर्व श्रम मंत्री, वर्तमान अध्यक्ष महोदय, जो भूतपूर्व श्रम मंत्री हैं तथा अन्य ने इसके लिए काफी मेहनत की है और अन्ततः यह विधेयक आया है। अब श्री अरूणाचलम् के लिए यह सौभाग्य की बात है कि वह यह विधेयक लाये हैं और इसे पारित करवाया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह थर्ड रीडिंग है। किसी माननीय सदस्य का कोई नोटिस मेरे पास नहीं आया कि मैं इसमें बोलना चाहता हूं, लेकिन हाउस के हर सैक्शन से इस बिल को पास करने में कोआपरेशन मिला है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिमार्क्सेशन देकर मौका दे रहा हूं। रादर किसी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर भी इसके हकदार हैं, मैंने कहा यह दोनों एक पुराने मिनिस्टर, एक अब के मिनिस्टर हकदार हैं। मैं सारे हाउस को इसके लिए कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने मजदूरों के हक में बहुत अच्छा बिल पास किया और आगे के लिए कदम उठाया।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है :

'कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 23 पर आते हैं। श्री गिरधारी भार्गव क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो विदड्रा करूंगा, क्योंकि सब लोगों ने बात कह दी। यह बात सही है कि भारत में जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, मालिक हैं, इन सब की लॉबी वास्तव में मजबूत है और पहले दिन बिल का लाने में उन्होंने रूकावट डाली है। सेंस के बारे में मुझे इतना सा कहना है कि आपने इसमें इतना सा कहा है कि एक परसेंट से ज्यादा नहीं, माननीय जार्ज साहब भी बैठे हुए है, हमारे पिछले श्रम मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, यह बात सही है, आपको अब सारा ज्ञानवर्धन हुआ और आपने उस दिन ज्ञान का प्रकाश डाला। आप अगर अपने मंत्रालय के वक्त में इस काम को पूरा कर लेते तो.....* यह क्रेडिट आपको जाना चाहिए था, जो उनको जा रहा है।

राज्य बोर्ड को आपने अधिकार बहुत दे दिये, एक तो उसको अधिकार दें, इसमें विशेषज्ञ बिठाएं और आप दो परसेंट से कम किसी भी सूरत में नहीं रखें, यह प्रावधान आप रखें। सैंस का मतलब यह है, एक परसेंट से अधिक नहीं, यह नहीं, इफ एंड बट नहीं, यह कानूनी भाषा नहीं, दो परसेंट से कम नहीं मिलेगा, चाहे ज्यादा मिल जाय, एक तो आप यह बात मानें और फिर इसमें भारत सरकार का क्या योगदान होगा, यह तो कहें। वरना आप तो खाली वाहवाही लूट रहे हो। उनसे पैसा लिया और आपने बोर्ड भी बना दिया। एम.पीज. को भी ले लिया, एम.एल. एज. को भी ले लिया, सब को आप प्रसन्न करने में लगे हुए हो, इससे खर्चा बढ़ेगा और परिणाम यह होगा कि फिर राज्य सरकार को पैसा कम मिलेगा, मजदूरों के जो शौचालय बनाने हैं, मूत्रालय बनाने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, रैस्ट रूम बनाने हैं, उनके बच्चों के लिए शिशुशाला बनानी है, उनके स्कूल बनाने हैं, उनके चिकित्सालय बनाने हैं, वह कौन बनाएगा, उसके लिए कहां से पैसा मिलेगा? राज्य बोर्ड तो कुछ करेगा नहीं, फिर चाहे एम. एल. ए. को रख दो, चाहे एम. पी. को रख दो, चाहे विशेषज्ञ को रख दो, कुछ भी काम नहीं हो सकेगा। इसलिए ईमानदारी से यदि आप मजदूरों के हित में इस कानून को लाये हैं, जैसा आपका वचन था, आपने मिनिमम प्रोग्राम जब बनाया था, जिसमें आपने जे.डी. का जिक्र किया, 'जे' का मतलब जुलाई और 'डी' का मतलब दिसम्बर, जुलाई में आये, दिसम्बर में गये, इसलिए आपने जो मिनिमम कार्यक्रम बनाया, उसकी मैं आपको बार-बार याद दिला रहा हूं।

तुम वापस यहां पर आओगे। तुम हमारे साथी रहे हो, इसलिए मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार चल जाय, कुछ अच्छे काम कर दे। आप तो विपक्ष में ही रहेंगे, आप यहां पर आकर बैठोगे, इसलिए विपक्ष की सरकार यदि बनी, चाहे आप नीतीश कुमार जी को छोड़कर उधर चले गये, यह अलग बात है, तो भी यह विपक्ष की सरकार ही कहलाएगी। इसलिए आप ठीक प्रकार से काम करें। ... **(व्यवधान)** राम कृपाल जी, जरा बैठ जाओ, राम जी की कृपा है।

मेरा यही निवेदन करना है तो भी आप बदनाम हो गये कि इधर बैठते थे, उधर जाकर भी इन्होंने निहाल नहीं किया, इसलिए मैं तो आपको मजबूरन दिसम्बर तक का समय दे रहा हूं. .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जे.डी. का मतलब, जुलाई से दिसम्बर तक, इसीलिए आप कुछ काम कर लें, नहीं तो मालूम पड़ेगा कि कभी कोई विपक्ष की सरकार भी बनी थी और उसने काम किया। ..... **(व्यवधान)** मैं शोर्ट में बात बोलता हूं, मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

आप कम से कम दो प्रतिशत से अधिक दें, दो प्रतिशत से कम नहीं दें, कम से कम दो प्रतिशत, यह शब्द आ जाय, अंग्रेजी में उसको मिनिमम कहते हैं।..... **(व्यवधान)** आपने बोल दिया, इसलिए बात समझ में आ गई। आप कल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मिनिमम दो परसेंट मिले। भारत सरकार का उसमें क्या योगदान होगा, यह बात आप बतायें। फिर जो कुछ भी बात होगी, मंत्री जी कुछ बोलें तो सही। इतने सारे लोग बोले है, मैं बोला हूं।.... **(व्यवधान)**

श्री रवेश चेन्नितला (कोट्टायम) : आप मंत्री जी का अभिनंदन क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अभिनंदन तो कर ही रहा हूं, हृदय से कर रहा हूं कि आपको ही श्रेय मिल रहा है। अगर एल्फाबेटीकली श्रेय मिलना हो तो अरूणाचलम जी, 'अ' को मिले। पिछले वेंकटस्वामी का 'व' तो बाद में आता है, इसलिए 'अ' को श्रेय मिल जाय, इसलिए आप कम से कम यह बात तो कह दें कि सैस दो परसेंट से कम नहीं होगा, उसमें भारत सरकार का योगदान होगा और मालिकों की लाबी के सामने हम किसी प्रकार से नहीं झुकेंगे। मजदूरों के हित में हम काम करेंगे, यह बात ईमानदारी से यदि मंत्री जी कहें तो मेरे प्रस्ताव को वापस लेने में आपकी आज्ञा होगी तो आपकी आज्ञा के बाद तो कोई टिक ही नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी आज्ञा है।

मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और बैठ जाऊंगा। आपने दो बार बैठने के लिए कह दिया है। मेरे कानों में आपकी आवाज गूंज रही है बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैं आपकी आज्ञा मानकर बैठ जाता हूं और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सुझाव को निश्चित रूप से मानेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा पेश किया गया सांविधिक संकल्प वापस लिया जाये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम है, मंत्री जी सेस के बारे में कुछ बोलेंगे या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले बोल चुक हैं। वे बोलना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं समझा था कि विधेयक पारित होने के पश्चात् मैं बोल सकता हूं और उनको बधाई दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मंत्री जी ने मीठा आश्वासन दिया है। आश्वासन पर दुनिया टिकी हुई है। आपकी आज्ञा से, सदन की अनुमति से और .... **(व्यवधान)*** मैं वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा पेश किया गया सांविधिक संकल्प वापस लिया जाये ?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपने निरनुमोदन के प्रस्ताव को वापस लेता हूं। मैं सरकार का स्वागत करता हूं, इनका भी स्वागत करता हूं। ये लोग सरकार में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि जितना भी इनके पास समय है, ये उसमें अच्छा काम करें। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से, सदन की अनुमति से और मंत्री जी को देखकर अध्यादेश को निकाले जाने पर उसके निरनुमोदन के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, माननीय सदस्य सरकार से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं कि अध्यादेश जारी किया जायेगा और उसे इस सभा में संकल्प पेश करने की अनुमति दी जाये।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह तो हमारा अधिकार है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पूछानी) : ये जो अभी वापस ले रहे थे, मैं आपकी तवज्जोह की कोशिश कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख नहीं पाया।

श्री जी. एम. बनातवाला : वापस लिया, यह अच्छा किया, लेकिन वापस लेते हुए एक जुमला कहा, वह अच्छा नहीं है। इन्होंने कहा कि*.... इसलिए वापस लेता हूं, यह ठीक बात नहीं है। इसको रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही*.... यह असंसदीय भाषा नहीं हैं नीतीश जी चेयर पर वर्षों बैठ चुके हैं, इनसे पूछ लें आप देख लें, यह असंसदीय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। यह असंसदीय तो बेशक नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीजें असंसदीय न हों, वे अच्छी भी हों। मैं देख लूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप देख लें, मैंने बहुत अच्छी बात कही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रश्न यह है :

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3 - उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण

उपाध्यक्ष महोदय : हन्नान मोल्लाह जी, कृपया अपने संशोधन पेश कीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, सरकार ने सिद्धांत रूप से मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये हैं। अत: मैं उन्हें पेश नहीं कर रहा हूं।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2

''एक प्रतिशत'' **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये।** (15)

''दो प्रतिशत... लेकिन एक प्रतिशत से कम नहीं''

पृष्ठ 2 -

"पंक्ति 16 से 23" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**

"(3) उप-धारा(2) के अंतर्गत संग्रहीत उपकर के आगम का भुगतान उपकर संग्रहीत करने वाले स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपकर के संग्रहण की लागत घटाने के पश्चात् जो संग्रहीत राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, किया जायेगा।"

(श्री एम. अरूणाचलम)

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत किया

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 6 - छूट देने की शक्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2,

खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**

छूट देने की शक्ति "6. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राज्य के किसी नियोजक अथवा नियोजक वर्ग को इस अधिनियम के अंतर्गत संदेय, उपकर के संदाय से छूट दे सकती है। जहां ऐसा कर पहले ही उद्गृहीत किया जाता है और उस राज्य में लागू किसी संगत विधि क अंतर्गत संदेय है।"

(श्री एम. अरूणाचलम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, यथासंशोधित, इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 से 15 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम. अरूणाचलम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का वास्तव में आभारी हूं क्योंकि आप ने हमें इसे समय पर पारित करने दिया है। मैं माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका श्रेय पूरी सभा को जाता है।

श्री एन. अरुणाचलम : श्रीमन् यह सही है। मैं उन सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और मैं विशेष रूप से अपने प्रतिष्ठित साथी श्री गिरधारी लाल भार्गव का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सांविधिक संकल्प वापस ले लिया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मेरे अच्छे मित्र श्री भार्गव विधेयकों को अच्छी तरह पढ़े बिना सभा में आते हैं। उनकी केवल यही गलती है। 'नियोक्ता' और 'कर्मचारी' की परिभाषा का उल्लेख विधेयक में स्पष्ट रूप से किया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ऐसा नहीं है अरुणाचलम जी, मैं हर बिल पढ़कर आता हूं और एक-एक अमेंडमेंट पर आपसे बात कर सकता हूं तथा आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं पढ़कर नहीं आया हूं। मैं विधान सभा में चार बार रहा हूं, हर बिल पर बोला हूं और दसवीं तथा ग्यारहवीं लोक सभा में भी हर बिल पढ़कर आया हूं। अब आप शक्ल वाली बात पर मुझ पर आक्रमण कर रहे हो तो वह अलग बात है।.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एन. अरुणाचलम : विधेयक को देखने पर आपको पता चलेगा कि 'नियोक्ता' और 'कर्मकार' की परिभाषा का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। मृत्यु या चोट से होने वाली निर्योग्यता के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। माननीय सदस्य ने केन्द्रीय सरकार के योगदान के बारे में पूछा। केन्द्रीय सरकार सन्निर्माण कर्मकारों की सब से बड़ी नियोक्ता है। करीब 50 प्रतिशत केन्द्रीय योजना परिव्यय निर्माण परियोजनाओं पर किया जाता है। अत: इस विधेयक के माध्यम से जिस कल्याण निधि का प्रावधान किया जा रहा है उसमें सबसे अधिक योगदान केन्द्रीय सरकार का होगा।

मुझे आशा है कि आप इस सम्बंध में सरकार की नीति की सराहना करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है।

अपराह्न 3.04 बजे

औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश निरनुमोदन सम्बंधी सांविधिक संकल्प तथा

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित -जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 17 और 18 लेंगे अर्थात् श्री रमाकांत डी. खलप द्वारा पेश किये गये विधेयक पर आगे विचार। श्री बसुदेव आचार्य जो कल बोल रहे थे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किया गया था।

अपराह्न 3.05 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

किन्तु हमारा अनुभव यह है कि बहुत से मामलों में, जिन में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देता है, मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी जाती है। इस प्रकार वह प्रयोजन ही विफल हो जाता है जिसके लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी।

आर. एल. सी. श्रमिक न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के मामलों में हमारा यही अनुभव रहा है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि जहां मामले जमा हो गये है, जहां मामलों को तेजी से नहीं निपटाया जाता वहां कोई ऐसा उपाय किया जाना चाहिये कि मामले जमा न हों, मामलों को तेजी से निपटाया जाये और कर्मकारों को तेजी से न्याय मिले।

महोदय, इस सभा ने विमान निगम अधिनियम का निरसन कर दिया था। पहले केन्द्र सरकार 'विहित सरकार' थी लेकिन इस अधिनियम के निरसन के पश्चात् और केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को निगमों में तथा निगमों को सीमित कंपनियों में बदलने के पश्चात् अब उस धारा को बदलने की आवश्यकता है जिसमें 'विहित सरकार' का प्रावधान है।

विमानपत्तन प्राधिकरण में पड़े कुछ मामलों की मुझे जानकारी है। महोदय, हाल ही में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल- दो से करीब 220 ठेका कर्मकारों तथा 210 सफाई कर्मचारियों की अवैध रूप से छंटनी कर दी गई है। ये कर्मकार वहां पिछले 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसा ठेकेदारों के बदल जाने के बाद किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार ठेकेदारों के बदल जाने के पश्चात् इन 210 सफाई कर्मचारियों को अवैध रूप से हटा दिया गया है यद्यपि वे निरंतर चिरस्थायी काम करते रहे हैं। किन्तु इस अधिनियम की प्राय: प्रमुख नियोक्ता द्वारा अवहेलना की जाती है। कई बार भारत सरकार भी इस पहलू की उपेक्षा करती है। रेलवे के विभिन्न विभागों के बारे में, जहां काफी कर्मचारी काम करते हैं। हमारा यही अनुभव है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हर हवाई अड्डे पर नियमित काम ठेका मजदूरों द्वारा किया जाता है। ठेका मजदूरी अधिनियम में यह निषिद्ध है। इस अधिनियम के अनुसार

उन्हें वहीं वेतन दिया जाना चाहिये जो स्थायी मजदूरों को दिया जाता है। लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। श्री अरूणाचलम इस ओर ध्यान देंगे या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : ठेका श्रम (उत्पादन) अधिनियम की धारा 22 के अनुसार यदि कोई ठेका श्रमिक स्थायी श्रमिक का काम करता है तो उसे स्थायी श्रमिक के बराबर वेतन और भत्ते मिलेंगे। लेकिन ऐसा न तो हवाई अड्डों जैसे संगठनों और न ही रेलवे में किया जा रहा है। मैं रेलवे के मामले में अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कह सकता हूं। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों को भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। इन अधिनियमों का बार-बार उल्लंघन किया जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सफाई का काम नैमित्तिक काम नहीं है। क्या यह नियमित काम नहीं है?

श्री बसुदेव आचार्य: सफाई का काम नैमित्तिक काम नहीं है, यह नियमित काम है। ये 210 सफाई कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे थे। ठेकेदार बदल जाते थे तो भी इन कर्मचारियों को नहीं हटाया जाता था या उनकी रोजी खत्म नहीं की जाती थी।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : उनको नियमित करने के बजाय उन्हें बदल दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें निकाल दिया गया है। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें निकाला नहीं जाये। उन्हें पुन: अपने काम पर रखा जाना चाहिये। हम जानते हैं कि अवैध तालाबंदी के बारे में 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रावधान है। ऐसे बहुत से मामले सामने आये हैं जिनमें तालाबन्दी की घोषणा करने के पश्चात् उद्योग या उद्योगपतियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे गाजियाबाद में स्थित मोदी स्टील्स के एक मामले की जानकारी है। तीन वर्ष पहले इसमें अवैध तालाबन्दी की घोषणा की गई थी। इसमें 2,500 मजदूर काम करते थे और सभी का रोजगार खत्म कर दिया गया। मैंने यह मामला इस सभा में उठाया लेकिन इस अवैध कार्यवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रावधान है लेकिन जब प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो मंत्रालय या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

एयर इण्डिया में हाल ही में जो कुछ हुआ है, मैं उसका उल्लेख करूंगा। मेरे सामने एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ-एयर इंडिया कर्मचारी संघ एक मान्यता प्राप्त संघ है- द्वारा केवल प्रदर्शन किये जाने के कारण चार कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया। संघ के प्रतिनिधियों ने जो मजदूरी सम्बन्धी समझौता किया था वे उस से संतुष्ट नहीं थे। सामान्य कर्मचारी संतुष्ट न होने के कारण उन में कुछ रोष था। मजदूरों के इस प्रदर्शन के कारण चार कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया और पंद्रह कर्मचारियों को एयर इंडिया के प्रबन्धकों द्वारा आरोप पत्र दिया गया। मैं मंत्री महोदय से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। मैं नागर विमानन मंत्री से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि वह एयर इन्डिया के प्रबन्धकों के साथ भी एक बैठक करेंगे। लेकिन कोई बैठक नहीं हुई है। कर्मचारियों में रोष है। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एयर इंडिया के प्रबन्धकों द्वारा और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिये जाने की आशंका है।

मेरे पास जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों का एक मामला है। इन दो बड़े संगठनों के कर्मचारियों का क्या दोष है? उनके पास सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार नहीं है। क्रमश: 1981 और 1984 से पूर्व जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों के पास सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार था। यह अधिकार वापस ले लिया गया और उन्हें उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। वे पिछले 10 वर्षों से उच्चतम न्यायालय में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं।

अब सरकार बदल गई है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यह कर्मकारों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी संघ को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता दी जाये। जब सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह वचन दिया है तो जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिये? अब क्या हो रहा है? स्टील अथॉरिटी आफ इन्डिया, कोल इन्डिया, एयर इन्डिया, इन्डियन एयरलाइन्स और राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे अन्य संगठनों के साथ बातचीत होती है लेकिन जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के मामले में मजदूरी में संशोधन कर्मचारी संघ के साथ बातचीत कर के नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि उनकी मजदूरी में संशोधन अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि मजदूरी में संशोधन जीवन बीमा निगम और सामन्य बीमा निगम के कर्मचारियों पर थोपा जाता है। जब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी है तो जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जाता है?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण विधान है बीमा क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते की अनुमति नहीं दी

जाती है।

सभापति महोदय : वह इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री वसुदेव आचार्य: यद्यपि यह संशोधन बड़ा साधारण है और इसकी आवश्यकता निगम को एक सीमित कम्पनी में बदलने के कारण पड़ी है जिस का हमने उस समय भी विरोध किया था जब विमान निगम अधिनियम का निरसन किया गया था; फिर भी यह पारिणामिक परिवर्तन वाला संशोधन है। मैं अनुरोध करता हूं कि श्रम मंत्री एक व्यापक विधेयक लायें क्योंकि अधिनियम 1947 का है। इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अब संगत नहीं है। अत: अब व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है। एक व्यापक विधान लाते समय पिछले 50 वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि विभिन्न प्रावधानों का कैसे बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है। एक व्यापक और दोष विहीन विधान लाने की आवश्यकता है। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा विधान लाये ताकि प्रबन्धकों के श्रमिक-विरोधी कार्यकलापों पर रोक लगाई जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, इसमें मेरा निवेदन यह है कि यह अध्यादेश 11 अगस्त, 1995 को लगभग 10 माह पूर्व लाया गया। 28.11.95 को राज्यसभा में गया, 5.12.95 को पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। 15 जून, 1996 को नया अध्यादेश भी लेप्स हो गया। 20 जून, 96 को यह नया अध्यादेश लाए। इसमें वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं है और इसलिए दोष नही है क्योंकि यह गत सरकार का दोष है लेकिन यह बिल पास नहीं करा सके इसलिए अध्यादेश ले आए। चूंकि यह उनके उत्तराधिकारी हैं इसलिए थोड़ा सा दोष उन पर आना जरूरी है। यहां पर मेरा मतलब यह है कि:

[अनुवाद]

उपयुक्त प्राधिकरण की सही परिभाषा के अभाव में परिवहन क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में कई विवाद लम्बित हैं।

अपराह्न 3.22 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

[हिन्दी]

यानी केन्द्र सरकार के ही जो विभाग हैं उनकी शाखें स्टेट्स में भी हैं स्टेट्स में जब वह डिसप्युट गया तो राज्य सरकारों ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि यह कानून बनाने का सारा काम केन्द्रीय सरकार का है। इसलिए एप्रोप्रिएट आथोरिटी कौन हो, वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। राज्य सरकार इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय करने में अपने आपको असमर्थ पा रही थी। इसलिए फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया, ओएनजीसी, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस का नाम बदल कर के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी का नाम परिवर्तित करके, इन सारी कम्पनियों को लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब वह तो हो गया लेकिन इसमें मेरा निवेदन यह है कि उनमें मजदूरों का जो डिसप्यूट था, आखिरकार उनको कौन तय करेगा। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि सेंट्रल गर्वनेमेंट प्रोपर अथोरिटी है। इस मंशा से यह बिल यहां लाया गया। उनको लिमिटेड कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। वह तो हो गया, लेकिन मजदूरों का झगड़ा कौन तय करेगा। इसलिए यह बिल यहां पर लाया गया। मुझे यहां पर यह निवेदन करना है कि कितने केसस पेंडिंग है। इस अध्यादेश के बाद कितने केसेस को रेफर किया गया, क्योंकि यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला बिल है। केसेस को स्वीकृति अध्यादेश की बाद में मिली है यह एक प्रकार से परिवर्तन लाने का काम है।

महोदया, 1977 में जनता राज में भी इस मसौदे पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी। उन्होंने वर्किंग क्लास को, ट्रेड यूनियन को और इंडस्ट्रियल डिसप्यूट से जो संबंधित है उन सब को बुलाया। मेरा यहां पर यह निवेदन है कि यह जो कानून है यह अंग्रेजों के वक्त से बहुत पुराना कानून बना हुआ है। अब स्थिति बहुत बदल गई है। सरकार द्वारा चलाया जाने वाला बहुत बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रों में आ गया है। मालिक कौन होगा, अब जनता मालिक होगी और मजदूरों का भी सारे मामले में हिस्सा मिलेगा। उनका भी भाग होगा, यह परिवर्तित स्थिति है। मेरा मतलब है कि कंसीलिएशन आफिसर की बात भी करना और सरकार की तरफ से मान्यता भी न देना, मैं इन सारी बातों पर जा रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आप इस बिल को लाए हैं लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा ठीक करके लाते तो अच्छा होता और इसलिए अच्छा होता क्योंकि मेरी कुछ बातें है। आज किस्मत से मेरे सामने श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं, कल दूसरे मंत्री जी बैठे हुए थे। मैं भी चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी मेरे सामने हों, मैं उनको कुछ रचनात्मक सुझाव दूं और वे उनको मानें।

मेरी पहली मांग है कि जो ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त है, यह केवल उन्हीं पर लागू होगी। जहां ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त हैं उन्हें ही एग्रीमेंट करने का अधिकार होगा, दूसरी यूनियन को नहीं होगा। मेरा मतलब है कि जो बहुमत में है परन्तु उनको मान्यता नहीं है। इसलिए जो ट्रेड यूनियन को मान्यता दें वह आप गुप्त मतदान के आधार पर दें और जिस यूनियन को गुप्त मतदान के आधार पर ज्यादा वोट पड़ जाएं

उनको आप मान्यता दें, पहला मेरा यह निवेदन है आपने जो वर्कमैन की परिभाषा की है उसमें मेरा यह कहना है कि जो 1600 रूपए तनख्वाह पाने वाला मजदूर है उसके रूपए आप बढ़ाएं, यह मेरा दूसरा निवेदन है। तीसरा मेरा आपसे यह निवेदन है, आप भली प्रकार से जानते है कि जो कंसीलिएशन आफिसर है उसको कहीं किसी प्रकार ही कोई पावर नहीं है। वह यदि वहां पर फेल हो जाएगा तो राज्य सरकार को रेफर कर देगा और राज्य सरकार के पास मजदूरों के मामले वर्षो तक पेडिंग पड़े रहते हैं। उसके बाद काफी समय बाद जब राज्य सरकारों की नींद खुलती है जब राज्य सरकार उसको लेबर कोर्ट में भेजती है। इसलिए कंसीलिएशन आफिसर को कोई पावर नहीं है, मान्यता नहीं है। केवल मात्र जब वह फेल हो जाता है और अमुमन वह फेल ही होता है तो वह राज्य सरकार को रिपोर्ट कर देता है। उसके कारण से कई कारखाने आज हिन्दुस्तान में बंद हैं, कई कारखाने बीमार हैं और कई कारखानो में मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है।

मैं बिहार की बात नहीं करता परंतु आज उत्तर प्रदेश, कानपुर में कपड़े की जितनी मिलें हैं वे सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं और वहां के मजदूरों को वर्षो से वेतन नहीं मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है वहां पर उन सारी बंद मिलों को, जिनको सिक मिल कहते हैं उन सब मिलों को वापस चालू करने में किसी प्रकार से भी आप सक्षम नहीं है। वहां पर मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती। आज वहां पर कारखाने बंद पड़े हुए हैं। मेरा मतलब यह है कि जो कंसीलिएशन आफिसर है वह बोनस, ग्रेच्युअटी तक नहीं दिलवा सकता, और दिलवाने वाला व्यक्ति कौन है। यह बात आज तक इस देश में समझ नहीं आई है, आखिरकार आज कौन मजदूरों के हितों की बात करेगा? इस प्रकार से उस कंसीलिएशन आफिसर को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोर्ट का फैसला मजदूरों के पक्ष में हो जाए तो उस मजदूर के पक्ष में जो फैसला हो गया उसको कौन व्यक्ति लागू करवाएगा। इसलिए लेबर विभाग भी इसमें अक्षम है और जो सरकार है वह तो उनको कोर्ट में भेजने में देरी ही करती है लेकिन मजदूरों के पक्ष में फैसला होने के बाद भी कौन उस मजदूर के पक्ष में जो निर्णय हुआ है उसको लागू करवाएगा, ऐसी कोई शक्ति नजर नहीं आती है। अभी जैसे मेरे पूर्ववक्ता ने कहा है कि लेबर कोर्ट में और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जजेस तक नहीं है। उनके लिए बैठने का स्थान नहीं है। उनको फर्नीचर उपलब्ध नहीं है।..... **(व्यवधान)**

इस इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट में जो खामी रह गई है उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिला रहा हूं। आपने एयर इंडिया, एयर ट्रांसपोर्ट, ओएनजीसी को लिमिटेड कंपनी बना दिया है लेकिन अब मजदूरों के जो केसेस है उनको कौन तय करेगा? यह मूलत: दो अमेंडमेंट हैं। दूसरे अमेंडमेंट के बारे में मुझे जो कठिनाई नजर आ रही है वह यह है कि इन मजदूरों के हितों की बात कोई करेगा ही नहीं, कोई सोचने वाला नहीं होगा। तो यह जो कठिनाई मजदूरों के हितों के बारे में आ रही है उनके बारे में मैं आपके सामने विस्तृत रूप से निवेदन कर रहा हूं। इसके बाद वर्क्स कमेटी एक्ट में प्रावधान है, उसका चुनाव होता नहीं है और जो ग्रिवेंस कमेटी बनाई जाती है वह कहीं पर नहीं बनाई गई। मेरा यहां पर यह कहना है कि मजूदरों को, ट्रेड यूनियन को और राजनैतिक दल, इन तीनों को बुला लें और देश में एक औद्योगिक विवाद अधिनियम बने, इस प्रकार का मेरा सुझाव है। इस प्रकार के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का आश्वासन हमने भी लिया हे और आज यह सरकार भी देने जा रही है, वह आश्वासन भी पूरा हो। न्यायाधिकरणों में श्रमिकों के मामले वर्षो से पड़े हुए हैं उनको भी तय करने का मामला होगा।

अंत में मेरा निवेदन यह है कि उदारीकरण की जो नीति हमारे देश में आई है इसके कारण से अनआर्गनाइज़ड लेबर को बुरी तरह से शोषण हो रहा है और नयी टैक्नोलाजी के बारे में ट्रेनिंग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अब आखिर में मुझे यही निवेदन करना है कि देश में मल्टीनेशनल्स कंपनियां आ रही हैं। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं। माननीय रासा सिंह रावत जी को मालूम होगा कि कितने वर्षो तक हिन्दुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, शायद 200 साल तक किया। लेकिन अब जो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद फिर पार्लियामेंट रहेगी ही नहीं। वे आ गए तो फिर देश में कोई और दूसरी शक्ति आ जाएगी।

जिनके चित्र हमने सेंट्रल हॉल में लगा रखे हैं और जितने देश के नेता हुए हैं, चाहे सरदार वल्लभभाई पटेल हों, डा. एस. पी. मुखर्जी हों, दीनदयाल उपाध्याय हों, श्रीमती इंदिरा गांधी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, मदन मोहन मालवीय हों, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, इन सबने देश के लिए जो कुर्बानी दी थी, जो देश को आजाद कराया था वह इसलिए नहीं कराया था कि मेरे बेटे-पोते राज में आएंगे और देश को वापस गुलामी की जंजीरों में डाल देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि ये चित्र भी यहां से उखड़ जाएंगे और देश की यह लोक सभा भी नहीं रहेगी। अब न जाने कितनी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ जाएंगी और हम पर राज करेंगी। मल्टी-नेशनल कंपनियां इस देश में आ रही हैं क्योंकि भारत में उसे मजदूर सस्ते में मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के हित में, मजदूरों के हित में सोच कर इस बिल पर विचार करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इन सब मामलों को तय करने के लिए अपने हाथ में पावर ली है तो वह मेरे द्वारा जो रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं उन्हें माननीय मंत्री जी मान लें, तभी मजदूरों के हित में काम हो सकेगा। अन्यथा निजी कंपनियों में मजदूरों का शोषण होगा और उनके लिए ठीक प्रकार से व्यवस्था हो नहीं सकेगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि केन्द्र

सरकार मजबूत बने और मजदूरों के लिए जो सुझाव मैंने रखे हैं इन सारे सुझावों को सरकार माने।

आपने मुझे समय दिया और सब लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और सारे श्रोताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

जस्टिस भुवान बल लोढा (पाली) : माननीय सभापति महोदया, औद्योगिक क्षेत्र के लिए लाया गया यह बिल साधारण परिवर्तन के लिए है। कुछ कंपनियों के नाम, उनके मैनेजमेंट, उनके अमलगेमेशन और उस परिवर्तन को वैधानिकता देने के लिए यह बिल लाया गया है। इस संदर्भ में यह कहना आवश्यक होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में यह विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के लाखों कामगारों, विभिन्न प्रकार के मालिकों और मजदूरों के संबंधों का निर्धारण इससे होता है। इसमें कई परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं, फिर भी आज तक शोषण-विहीन समाज की रचना करने में हम असमर्थ रहे हैं। सबसे महत्पवूर्ण बात यह है कि प्रावधानों के होते हुए भी आज तक कुछ नहीं किया गया है। मैं अपने क्षेत्र पाली की बात बताना चाहता हूं। वहां पर महाराजा उम्मेद मिल्स (पाली) में करीब 5000 कामगार श्रमिक काम करते हैं। उनको पिछले चार महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। पहले वहां पर उद्योगपतियों द्वारा वर्कलोड को लेकर मनमानी की गई और उसके कारण हड़ताल हुई। सरकार ने औद्योगिक कानून के तहत कुछ शर्तें लगा कर के श्रमिकों को काम पर लाने के लिए मैनेजमेंट को बाध्य किया, लेकिन बाद में फिर मैनेजमेंट ने लॉक आउट कर दिया और लॉक-आउट करने के बाद लगभग पांच हजार मजदूर और उनका परिवार पिछले 3-4 महीनों से भूख के कगार पर हैं। चारों तरफ भुखमरी छा गई है। उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस के पैसे नहीं हैं। इस कारण उनके बच्चों को विद्यालयों से निकाला जा रहा है। इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस कानून के अप्रभावी होने के कारण उनका शोषण हो रहा है।

संविधान की धारा 41, 42(1) में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए। राइट टू वर्क संविधान की धारा 41 में रखा गया। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमैंट आर्टिकल 43(क) में रखा गया । जब संविधान में संशोधन करके वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमैंट रखा गया तो सारे भारत में उसका स्वागत हुआ।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 43(क) में कहा गया है :

"राज्य उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या किसी उद्योग में लगे अन्य संगठन के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान बना कर या किसी अन्य तरीके से कदम उठायेगा।"

अनुच्छेद 43 में कहा गया है :

कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि - राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 41, में कहा गया है :

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार, ... को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42 में कहा गया है :

"राज्य सभा की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए ..... उपबंध करेगा।

[हिन्दी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारे आर्टिकल्स संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन करके लाये गये। सारे देश में उस समय एक ऐसा वातावरण बना जिससे ऐसा लगने लगा कि कामगार मजदूरों का शोषण नहीं होगा, उनको मीनिमम वेजिस दी जाएंगी और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जब उनके बच्चे भूख से तिलमिलाते रहेंगे लेकिन ये सारे आर्टिकल्स संविधान में ही लिखे रह गए।

पिछले 10 सालों में जितनी सरकारें आई, उन्होंने बार-बार यह घोषणा की कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए प्रभावी कानून बनाए जाएंगे और उनको कार्यान्वित किया जाएगा लेकिन आज तक इसके ऊपर कुछ नहीं हो सका है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में महाराजा उम्मेद मिल बंद है। मैंने बार-बार इस सवाल को उठाया लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रभावी कदम नहीं उठाया गया जिससे पांच हजार कामगारों को काम मिल सके, वहां तालाबंदी दूर हो सके। उनके उजड़े घरों में जहां दो जून रोटी बनाने के टुकड़ों पर ताला लग गया।, वे आज भी भूखों मर रहे हैं, उनके घर उजड़ गए हैं, उनकी रसोई में खाना बनना बंद हो गया है। वहां नई रोशनी आए उनके बाल-बच्चों को खाने के लिए रोटी मिल सके और उनको चिकित्सा के साधन मिलें, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एम.पी.सी. के द्वारा इस मिल को टेक-ओवर करवाया जाए या अन्य प्रकार से कोई कार्यवाही की जाए। राजस्थान सरकार ने और वहां के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री ने एक विज्ञप्ति निकाल करके उद्योगपतियों को यह आज्ञा दी कि इस पर कार्य कीजिए लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार श्रमिकों और मजदूरों के हित

सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने का प्रयास कर रही है लेकिन कानून में खामियां होने के कारण कुछ कर नहीं पा रही है..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : लोढा जी, आप बुरा न मानें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आज 4 बजे शाम को सभा माध्यस्थम् और सुलह विधेयक, 1996 पर चर्चा आरंभ करेगी। अतः अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री गुमान मल लोढा : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। शून्य काल के दौरान मुझे समय नहीं दिया गया था। इसलिए मैंने उन्हें उन चीजों का उल्लेख करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया था।

सभापति महोदय : कोई बात नहीं। आपके अन्य साथी भी हैं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं निवेदन कर रहा था कि इन विशिष्ट परिस्थितियों में पाली में महाराजा उम्मेद मिल के 4-5 हजार मजदूरों को काम देने के लिए समझौते के द्वारा अथवा सरकारी आज्ञा के द्वारा अथवा इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट के द्वारा काम पर रखा जाए, यह मेरी अपी है। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, नेशनल टैक्सटालन कार्पोरेशन और उद्योगपति श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। जो उद्योगपति श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो श्रमिक अपने खून-पसीने से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते हैं, वे उनका शोषण करके लम्बे समय तक ऐसे कार्य करेंगे तो श्रमिकों के बीच असंतोष की आग बढ़ेगी। जैसा कि एक कवि ने कहा है:-

भूखे की सूखी रोटी से वज्र बनेगा महाभयंकर,

ऋषि दधीचि को ईर्ष्या होगी, तांडव नृत्य करेंगे शंकर,

जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको ही ठुकराता है,

उसकी हड्डी को नोच-नोच, जग वैभव भवन बनाता है,

जग की झूठन के थाल भरे, बेकार भले ये यों जाते,

रोटी की खातिर झुक-झुक कर, उसके बच्चे हैं मर जाते।"

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : एक तांडव नृत्य तो अयोध्या में हो गया।

जस्टिस गुमान मल लोढा : अनेक तांडव होंगे। शोषण रहित समाज को लाने के लिए, असमानता को समाप्त करने के लिए अनेक तांडव करने पड़ेंगे, अनेक क्रांतियां लानी पड़ेंगी.... **(व्यवधान)** इसलिए कलकत्ता में आपको हटा दिया गया और पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको ठुकरा दिया। आप वहां मजदूरों का शोषण कर रहे थे.... **(व्यवधान)** जिस वैशाखी के ऊपर आप सरकार चलाना चाहते हैं, वह सरकार ही समाप्त हो जाएगी.... **(व्यवधान)** आपकी परम्परा हम जानते हैं।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : हमारे यहां कलकत्ता में मुसलमान एक साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र के लिए जिस 'वंदे मातरम' को बनाया, उसके आधे हिस्से को इन्होंने काट दिया, यह इनकी परम्परा है। सृष्टिकरण की नीति के चलते इन्होंने ऐसा किया। बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने स्वतंत्रता की... **(व्यवधान)** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण को समाप्त कर उन्हें राहत दिलायी जाए। इसके लिए एक काम्प्रीहैंसिव बिल संविधान की धारा 40, 41, 42 और 43 के अनुसार लाया जाए। अगर वह नहीं लाया जाएगा तो आने वाले समय में उनके ऊपर शोषण बढ़ता रहेगा। शोषण विहीन समाज की रचना करने के लिए मात्र भारतीय मजदूर संघ ने जब हड़ताल का आह्वान किया, उसे भी मान्यता न देकर विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किये जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारण से श्रमिकों को शोषण समाप्त किया जाये। राजस्थान में महाराजा उम्मेद मल मिल, पाली और अन्य स्थानों पर श्रमिकों को काम पर लिया जाये और चार महीने तक जो मिल बंद रही, उस समय का वेतन श्रमिकों को दिलाया जाये। भविष्य में श्रमिकों के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में उचित प्रावधान किये जायें, केवल डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज के सैक्शन 41, 42, 43 लाने से कुछ नहीं होगा। उसको साकार रूप देने के लिये एक्ट, बिल और नोटिफिकेशन को कार्यान्वित करने के लिए मनोबल, पालिटिकल बिल लानी पड़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर, जहां तक इस अमेंडमेंट एक्ट का सवाल है, इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन श्रमिकों के हितों के लिये एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाया जाये, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय मुझे कुछ बातें कहने के लिए समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं केवल चार या पांच मिनट लूंगा क्योंकि यह विधेयक आज पारित किया जाना है।

महोदया, यह मजदूरों और कर्मकारों को कानून न्याय देने - मैं न केवल न्याय कहूंगा अपितु शीघ्र न्याय देने के लिए बनाया गया था। अनुभव से पता चला है कि हम उतने सफल नहीं हुए हैं जितनी हमने अधिनियम में कामना की थी। हम देखते हैं कि इस समय देश के विभिन्न भागों में विभिन्न श्रम न्यायालयों में हजारों मुकद्दमें लम्बित पड़े हैं।

इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं दो

या तीन सुझाव दूंगा। जब कोई विवाद होता है तो मामला सुलह अधिकारी या श्रम अधिकारी को भेजा जाता है। यदि प्रबन्धक झुकने के लिए तैयार नहीं होते तो कई बार एक मामले को निपटाने में महीनों लग जाते हैं। श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच इस लम्बी लड़ाई में गरीब मजदूर के लिए लड़ना और अपनी आजीविका अर्जित करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रबंधक काम चलाने वाले लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। इस सम्बंध में, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है कि सुलह अधिकारी के लिए एक विवाद को एक निर्धारित समय सीमा में 15 दिन या तीन सप्ताह या चार सप्ताह में - निपटाना आवश्यक होना चाहिये। उसे अनिश्चित काल तक एक मामले को लटकाने की छूट नहीं होनी चाहिये। उसे एक निश्चित समय में एक मामले का फैसला करना चाहिये। यदि वह उस अवधि में किसी मामले का फैसला नहीं करता तो मामला स्वत: श्रम न्यायालय को सौंप दिया जाना चाहिये।

कुछ मामलों में कुछ राज्य सरकारों ने विवादों को श्रम न्यायालय को सौंपने से इन्कार कर दिया है। मजदूरों को अपने आप उच्च-न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जाना पड़ता है। न्यायालय संबंधित अधिकारी को मामले को श्रम न्यायालय को सौंपने का निर्देश देता है। मैं समझता हूं कि एक मामले को एक अधिकार के तौर पर संबंधित श्रम न्यायालय को सौंपा जाना चाहिये यदि सुलह अधिकारी उसे निपटाने में असफल रहता है।

अपराह्न 3.48 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। हमें औद्योगिक न्यायालयों द्वारा मामलों को निपटाये जाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये। औद्योगिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों को अधिक से अधिक छ: महीने के भीतर विवाद को निपटा देना चाहिये। अब स्थिति यह है कि मजदूर न्यायालयों के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन वर्षों तक उनके मामलों का फैसला नहीं होता। मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे मामलों की मुझे जानकारी है जहां श्रम विवाद दो से चार वर्षों से लम्बित हैं और उनमें कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। गरीब मजदूर को, जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, जो कतिपय अन्य संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ उठाने में असमर्थ है, ताकतवर प्रबंधकों के साथ अपनी लड़ाई में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि वह ताकतवर प्रबंधकों से लड़ाई नहीं कर सकता, मेरा सुझाव है कि प्रावधान अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये। कानून में प्रावधान कर दिया जाना चाहिये कि श्रम न्यायालयों को छ: महीने या एक वर्ष के भीतर एक मामले में फैसला करना होगा। अन्यथा वर्षों तक मामले निपटाये नहीं जायेंगे।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं दो और सुझाव दूंगा। एक यह कि श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाये। हम उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत न्यायाधीशों को श्रम न्यायालय का काम करने के लिए कह सकते हैं। हम उन्हें कुछ विशेष विवाद सौंपने तथा उनके बारे में फैसला करने के लिए कह सकते हैं। हम सेशन न्यायाधीशों को यह काम सौंप सकते हैं। मामलों की संख्या बढ़ रही है लेकिन मामलों का फैसला करने वाले अधिकारियों की संख्या किन्ही कारणों से नहीं बढ़ाई जा रही है। इस कारण मजदूरों के मामलों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही हैं जबकि निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या घट रही है।

एक और बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि श्रम न्यायालय मजदूर के पक्ष में निर्णय दे भी दे तो भी मजदूर या कर्मकार के लिए उसे क्रियान्वित करवाना कठिन है। मजदूर न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकता है और यदि वह उच्च न्यायालय के पास जाता है तो उसे एक अच्छा वकील रखना पड़ेगा जो अच्छे पैसे मांगेगा। प्रबंध न्यायालय जा सकते हैं और कोई भी वकील रख सकते हैं - श्री नरसिम्हाराव जी ने भी ऐसा किया है - क्योंकि वे जानते हैं कि वे भुगतान कर सकते हैं चाहे एक लाख रूपये प्रतिदिन हो या दो लाख रूपये। गरीब मजदूर ऐसा नहीं कर सकता।

आप मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि मजदूरों, औद्योगिक कर्मकारों के मामलों में राज्य सरकारों को आगे आना चाहिये। जिन मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय द्वारा कर्मकारों के पक्ष में फैसले दिये जाते हैं उनमें राज्य सरकारों के वकीलों से कर्मकारों का बचाव करने के लिए कहा जाना चाहिये। कर्मकारों के लिए अपनी स्वयं रक्षा करना कठिन है। आपराधिक कानून में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के आने का कोई अधिकार नहीं है जैसाकि कल उच्चतम न्यायालय ने भी श्री नरसिम्हा राव के मामले में कहा है वे गैर-सरकारी व्यक्तियों को नहीं आने देंगे। राज्य सरकार उस व्यक्ति को लिए लड़ सकती है जिसके प्रति अन्याय हुआ है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को कहा जा सकता है कि यदि कोई फैसला किसी मजदूर के पक्ष में है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और यह कह सकती है कि वह फैसले का समर्थन करेगी। उन्हें फैसले का समर्थन करने की अटार्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को हिदायत देनी चाहिये।

अपराह्न 3.51 बजे

(प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुए)

मुझे फरीदाबाद के एक मामले की जानकारी है जिसमें 100 कर्मकारों को विचारण न्यायालय द्वारा मजदूरी दिये जाने का फैसला दिया गया। प्रबंधकों ने उच्च न्यायालय में अपील कर दी। उन्होंने एक अच्छा सा वकील रख लिया क्योंकि उनके पास साधन थे। लेकिन कर्मकार कोई वकील नहीं रख सके। विचारण न्यायालय ने उनके पक्ष में जो फैसला दिया था उसे इकतरफा रद्द

कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मजदूर पक्ष नहीं आया है।

अत: मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाये। जो फैसले मजदूरों के पक्ष में होते हैं और जिनका वह अपने बलबूते बचाव नहीं कर सकते और कोई सक्षम वकील नहीं रख सकते उनमें राज्य सरकार को आगे आना चाहिये या आप को अपने कानूनी सहायता कक्ष को उनका बचाव करने के लिए कहना चाहिए। मेरा आप से अनुरोध है कि फैसले के पालन के लिए कोई खंड शामिल किया जाना चाहिये। सी.पी.सी. आदेश 38 के अंतर्गत यदि कोई आप को नोट देता है और वह इसे स्वीकार नहीं करता तो आप सीधे एक मुकदमा दायर कर सकते हैं जिसका फैसला कुछ महीनों में हो जाता है। अत: मेरा अनुरोध है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी इस तरह का कोई खंड रखा जाना चाहिये। एक बार फैसला हो जाने के बाद इसे एक निर्धारित समय-सीमा में लागू करने के लिए कोई अभिकरण होने चाहिये और स्थगन खंड को हटा दिया जाना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि इस प्रयोजनार्थ एक संशोधन लाया जाये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि यदि श्रम न्यायालय मजदूर के पक्ष में कोई फैसला देता है तो उच्चतम न्यायालय उस पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विचार करे। लेकिन स्थगन मजदूरों को, दूसरे पक्ष को सुने बिना कदापि नहीं दिया जाना चाहिये। अन्यथा कर्मकारों को न्याय नहीं मिल पायेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं दोनों पीठासीन अधिकारियों, आप और आप से पहले विराजमान पीठासीन अधिकारी, के प्रति मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : महोदया, वाद-विवाद में भाग लेने और वाद-विवाद के दौरान मूल्यवान सुझाव देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

महोदया, मैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी माननीय विधि मंत्री का भी वाद-विवाद के दौरान इस सभा में उपस्थित रहने का कष्ट करने के लिए आभारी हूं क्योंकि मुझे एक अन्य विधि के संबंध में राज्य सभा में रहना पड़ा।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(क) का संशोधन करने के लिए प्रस्तावित विधेयक पुर:स्थापित करने का सीमित उद्देश्य अखिल भारत स्तर के संगठनों को निपटने के लिए केन्द्र सरकार को समुचित सरकार घोषित करना है। ऐसे प्रतिष्ठानों और कार्यकलापों का संबंध विमान परिवहन सेवाओं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से है। वे सभी राज्यों में फैले हैं और राष्ट्र स्तर के हैं। अत: इन प्रतिष्ठानों तथा इनके कार्यकलापों सम्बंधी औद्योगिक विवादों को निपटाने में एकरूपता लाने के लिए ऐसा करना उचित और वांछनीय समझा गया। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इन संगठनों के रूपान्तरण से पूर्व भी केन्द्र सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकार थी। सक्षम न्यायालय के अभाव में इन संगठनों से सम्बधित काफी विवाद सुलह, मध्यस्थता और न्याय-निर्णय के माध्यम से निपटाये जाने के लिए लम्बित पड़े थे। अत: इन संगठनों के लिए "उपयुक्त सरकार" के प्रश्न को अन्तिम रूप से शीघ्र हल करना आवश्यक हो गया था और इसे अधिक देर तक नहीं लटकाया जा सकता था। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक निर्णायक प्राधिकरण (सी.जी.आई.टी./राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण) के आदेश ही अखिल भारत स्तर पर लागू होते हैं। ऐसा केन्द्र सरकार द्वारा एक औद्योगिक विवाद का हवाला देकर ही किया जा सकता है।

महोदया, जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों तथा अन्य बातों का संबंध है, अधिकांश साथियों ने इसके बारे में व्यापक विधेयक लाने की बात कही है। श्री राजेन्द्र कुमार, श्री प्रदीप भट्टाचार्य, श्री वसुदेव आचार्य और श्री भार्गव ने यह बात कही है।

जहां तक व्यापक विधेयक का सम्बंध है, सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में व्यापक संशोधन करने क प्रस्ताव का प्रारूप सितम्बर, 1996 में होने वाली स्थायी श्रम समिति की आगामी त्रिपक्षीय बैठक में रखना चाहती है। तब सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य ने यह भी प्रश्न उठाया है कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विवादों के न्याय निर्णय के बारे में हमारी क्या स्थिति है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त सरकार बनाया जा रहा है। अक्तूबर, 1995 में पहले अध्यादेश की उद्घोषणा के बाद 79 विवादों के न्याय-निर्णय का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। चव्वन विवाद अभी ऐसे हैं जिनके मामले में अभी न्याय निर्णय लिया जाना है।

श्री बसुदेव आचार्य यह भी जानना चाहते थे कि केन्द्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए औद्योगिक विवाद सौंपने के क्या दिशा-निर्देश हैं। सुलह न होने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विहित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। सुलह न होने की सूचना पर पहले मंत्रालय के सम्बन्धित प्रभाग द्वारा विचार किया जाता है। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचाना भेजी जाती हैं और उन्हें 60 दिन की अवधि पूरी होने तक कोई उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में मंत्रालय यह निर्णय करता है कि प्रश्नगत विवाद केन्द्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए भेजा जाये अथवा नहीं।

कुछ परिस्थितियों में केन्द्र सरकार एक विवाद को न्यायनिर्णय के लिए भेजने से इन्कार कर देती है। वे हैं जब मामला पुराना हो; पहली नजर में कोई औद्योगिक विवाद न बनता हो; कानूनी इलाज उपलब्ध हो और मामला पहले ही

न्यायालय के विचाराधीन हो। इन परिस्थितियों में सरकार किसी मामले को न्याय निर्णय के लिए नहीं भेजती है।

माननीय श्री यादव चन्द गहलोत ने कहा है कि विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न क्यों नहीं किया गया है। इस विधेयक के कारण कोई खर्च नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया के बारे में है। यही कारण है कि इस विधेयक के साथ कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है।

मेरे प्रतिष्ठित साथियों श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री राजेन्द्र कुमार ने यह भी पूछा है कि गुप्त मतदान के आधार पर मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम और बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम में सदस्यता का सत्यापन करने की एक प्रक्रिया है जिनके अंतर्गत मान्यता के प्रयोजनार्थ मजदूर संघों की सदस्यता के सत्यापन का एक तरीका गुप्त मतदान हो सकता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता के प्रयोजनार्थ सदस्यता के सत्यापन हेतु गुप्त मतदान का एक तरीके के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध है, सदस्यता के सत्यापन के लिए गुप्त मतदान का आश्रय लिया जाये या नहीं, यह श्रम न्यायालयों पर निर्भर करता है।

मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री भार्गव ने उपदान तथा अन्य लाभों के संदाय का प्रश्न उठाया है। उपदान का संदाय औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके लिए दूसरे कानून हैं और उन्हें लागू करने के अन्य तरीके हैं।

मेरे प्रतिष्ठित साथी श्री रामेन्द्र कुमार ने प्रबंध में कर्मकारों की सद्भागिता के संबंध में नवीनतम स्थिति के बारे में पूछा है। न्यायाधीश लोढ़ा तथा अन्य सदस्यों ने भी यह प्रश्न उठाया है।

अपराह्न 4.00 बजे

वर्ष 1990 में इस संबंध में राज्य सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। वाद-विवाद के अन्त में विधेयक में कुछ रूपभेद करने का सुझाव दिया गया। तत्पश्चात् विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया। दसवीं लोकसभा के अंत में इस टिप्पणी के साथ विधेयक लौटा दिया गया कि परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुझाये गये रूपभेदों पर विचार किया जाये।

यह विधेयक इस वर्ष स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम आयोग की होने वाली त्रिपक्षीय बैठकों में रखने का विचार है।

मेरे प्रिय साथी श्री तोपदार ने रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को पुनः जीवित करने में बी.आई.एफ.आर. की भूमिका का प्रश्न उठाया। जैसा कि सभा को मालूम है, बी.आई.एफ.आर. रुग्ण और औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत एक सांविधिक संस्था है। बोर्ड के सदस्यों की अर्हता अधिनियम में विहित की गई है। रुग्णता निर्धारित करने, बी. आई.एफ.आर. को रुग्णता की सूचना देने, रुग्णता के कारणों की जांच करने तथा रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को पुनःजीवित करने के लिए एक ओपरेटिंग एजेन्सी नियुक्त करने की प्रक्रियाएं उल्लिखित की गई हैं।

बी.आई.एफ.आर. वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यह एक स्वतंत्र, स्वायत, सांविधिक संस्था है जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत प्रायः स्वतः कार्यवाही करता है। यह निश्चय करने के लिए कि किसी प्रतिष्ठान को पुनः जीवित किया जाये या बंद किया जाये, इसके लिए औद्योगिक रुग्णता की जांच करना अनिवार्य है क्योंकि यह देखना होता है कि प्रतिष्ठान अर्थक्षम है या नहीं और उसे पुनःजीवित किया जा सकता है या नहीं।.... **(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : महोदया, चार बजे नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ की जाती है।

श्री एम. अरुणाचलम : मेरे कुछ साथियों ने 'कर्मकार' की परिभाषा के बारे में प्रश्न उठाया है 'कर्मकार' की इस समूह जो परिभाषा है उसके अंतर्गत 1600 रुपये प्रतिमास वेतन पाने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारी भी आते हैं। गैर-पर्यवेक्षी कर्मकारों के मामले में अधिकतम वेतन की कोई सीमा नहीं है।

अधिनियम में उल्लिखित अधिकतम वेतन की सीमा बढ़ाने के लिए समय समय पर अनुरोध किया गया है।

सितम्बर, 1996 में होने वाली स्थायी श्रम समिति की आगामी त्रिपक्षीय बैठक में व्यापक संशोधन प्रस्ताव रखे जाने का विचार है। इसमें 'कर्मकार' की परिभाषा और कर्मकार के वेतन की अधिकतक सीमा में संशोधन के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

मेरे प्रतिष्ठित साथी श्री प्रदीप भट्टाचार्य और श्री वसुदेव आचार्य ने ठेका मजदूरों के बारे में एक प्रश्न उठाया। ठेका मजदूर (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1971 में छंटनी कर दिये गये ठेका मजदूरों के विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे छंटनी किये गये ठेका मजदूरों की दुर्दशा के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर श्रम मंत्रालय समय समय पर उनके विनियमन का मामला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभापति और नागर विमानन मंत्रालय के पास उठाता रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं। जब हम व्यापक विधेयक लाते हैं तो हम सुझावों के सभी रचनात्मक पहलूओं को उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अपना

सांविधिक संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं और सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 23) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब इन मद संख्या 19 और 20 पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री गुमान मल लोढा।

(व्यवधान)

श्री रवेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदया, कल यह फैसला किया गया था कि सी.टी.बी.टी. पर चार बजे चर्चा आरंभ की जायेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आज सी.टी.बी.टी. पर डिस्कशन सबसे अंत में आयेगा।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी वह लिस्टेड नहीं है। सबसे अंत में लिस्टेड है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चेयर से कहा गया था कि उसे आज 4.00 बजे लेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : महोदया, जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो उन्होंने कहा था कि सी.टी.बी.टी. पर आज शाम को 4 बजे चर्चा आरंभ की जायेगी। उन्होंने पूरी सभा में इसकी घोषणा की थी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है, उसके मुताबिक अभी यही चलेगा।

.... (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जैसी आपकी इच्छा।

अपराह्न 4.08 बजे

माध्यस्थम् और सुलह (तीसरा) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

तथा

माध्यस्थम और सुलह विधेयक

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 21 जून, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित माध्यस्थम और सुलह (तीसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 27) का निरनुमोदन करती है।"

महोदया, आज हम माध्यस्थम् और सुलह विधेयक 1996 तथा इससे पूर्व जारी किये गये अध्यादेश पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करना है कि संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई अध्यादेश बनाने की शक्ति का दुरुपयोग करने का यह एक और उदाहरण है। हमने बार-बार कहा है कि संविधान के अंतर्गत अध्यादेश बनाने की शक्ति का उपयोग बहुत कम किया जाये। इसका उपयोग तभी किया जाना होता है जब ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो। जब महामहिम राष्ट्रपति

को यह सूचना मिले कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और स्थिति ऐसी है कि संसद के अधिवेशन की प्रतीक्षा किये बिना कोई कानून बनाना आवश्यक है। अत: सरकार मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति से अध्यादेश बनाने की आपातकालीन असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का अनुरोध किया जाता और तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है।

अब एक ऐसा अवसर है जब बार-बार एक के बाद एक करके तीन अध्यादेश जारी किये गये हैं जैसा कि स्पष्ट है। इन अध्यादेशों के जो तीन कारण दिये गये हैं वे हैं पहला अवधि समाप्त होने, उसके बाद दूसरा अध्यादेश जारी किया जाना और उसकी अवधि भी समाप्त हो जाना और उसके बाद तीसरा अध्यादेश जारी किया जाना। ये सभी कारण पूर्णतया अपर्याप्त और अवैध हैं और समझ से बाहर हैं।

इस अध्यादेश का विषय माध्यस्थम् है। माध्यस्थम् के बारे में हमने 1948 से या इससे पूर्व 1937 से कानून बनाया हुआ है। इसमें कुछ संशोधन भी किये गये हैं। अत: माध्यस्थम कोई नई अवधारणा नहीं है। वास्तव में हमारे देश में 'पंच परमेश्वरम' की पुरानी कहावत है अर्थात् एक व्यक्ति जिसकी एक गांव में या एक क्षेत्र विशेष में भगवान की तरह पूजा होती है; वह सभी को कानूनी औपचारिकताओं, बारीकियों, मुकदमेबाजी करने, मामले दर्ज करने, उत्तर देने, साक्ष्य देने, जिरह करने, दस्तावेज पेश करने, तर्क देने की उलझनों में पड़े बिना और वर्षों तक इसे लम्बा किये बिना न्याय दे सकता है। 'पंच परमेश्वर की यह अवधारणा माध्यस्थम की अवधारणा है और यह माध्यस्थम् इस देश में 1940 तथा इससे पूर्व से विद्यमान है। इसके बारे में कई कानून हैं। अत: यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे सामने एकदम आ गई और महामहिम राष्ट्रपति के लिये असाधारण शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे कानून के लिए जिसकी कोई जल्दी नहीं थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग क्यों किया गया।

इसके अतिरिक्त एक और पहलू है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। इस माध्यस्थम् और सुलह विधेयक को पढ़ने से पता चलता है कि इसके कुछ प्रावधान पूरे देश भारत पर लागू होंगे और कुछ प्रावधान जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के सभी भागों पर लागू होंगे। अब यह समझ में नहीं आता कि माध्यस्थम् के मामलों में जम्मू और कश्मीर अपवाद क्यों हो। कानून बनाने और कानून लागू करने में ऐसे भेदभाव और फर्क के कारण हम पहले ही कष्ट उठा रहे हैं। मैं माननीय विधि मंत्री को याद दिलाता हूं कि जब ब्यालीसवां संशोधन संविधान में किया गया था और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके। इसमें एकता, समाजवाद और प्रभुसत्ता शब्द जोड़े गये थे तो उस समय प्रस्तावना के इन दो महत्वपूर्ण स्तम्भों को पहली बार ब्यालीसवें संशोधन के माध्यम से संविधान में सम्मिलित किया गया था। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि जब ब्यालीसवां संशोधन जम्मू और काश्मीर पर लागू करने के लिए अनुकूलन आदेश जारी किया गया था तो प्रस्तावना के अन्य वाक्यांश उनके मामले में लागू किये गये थे लेकिन समाजवाद और एकता शब्द लागू नहीं किये गये थे जैसे कि यह विचार हो.

.....

[हिन्दी]

श्री पी. आर. दासनुंशी (डायमंड हार्बर) : "सेकुलरिज्म ही है, "इंटेग्रिटी वर्ड नहीं है?

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : कृपया संशोधन देखिये।

श्री पी. आर. दासनुंशी : "धर्मनिरपेक्षता" लागू किया गया था; "एकता" शब्द उस में नहीं था।

जस्टिस गुमान मल लोढा : यदि आप ने अभी देख लिया है तो ठीक है। लेकिन मेरा विचार यह था और मैंने यह कई बार देखा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष दलों और धर्मनिरपेक्षवाद का सामान्य ढांचा, नींव, मूल सिद्धांत 13 या 14 या 15 दलों का यह संगठन, जो परस्पर विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं, वे सभी धर्मनिरपेक्षवाद के मूल सिद्धान्त की बात करते है- जम्मू और काश्मीर के मामले में लागू नहीं किया गया। माननीय विधि मंत्री का इसके बारे में क्या उत्तर है? मैंने यह प्रश्न कई बार उठाया है लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं दिया गया।

संभवतया इसका कोई उत्तर नहीं है। धर्मनिरपेक्षवाद जम्मू और कश्मीर पर क्यों नहीं लागू किया जाता? क्या वे एक मजहबी राज्य बनाना चाहते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कभी भी प्रधान मंत्री या विधिमंत्री या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने इस महत्वपूर्ण त्रुटि का स्पष्टीकरण नहीं किया है। इस से यह संकेत मिलता है कि वहां भी हम एक विशेष समुदाय की तुष्टि करना चाहते हैं और तुष्टि के लिए वे जो कुछ चाहें करते हैं और उनके अनुसार यह उनके मार्ग में नहीं आना चाहिए।

हम जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाने जा रहे हैं। मान लो कल जम्मू और कश्मीर की विधान सभा एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें यह कहा जाता है कि वे राज्य सभा के रूप में एक विशेष धर्म अपनाना चाहते हैं तो ये यहां बैठे सभी व्यक्ति, जो धर्मनिरपेक्षवाद की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इस विधि की विडम्बना के प्रति बहरे और गूंगे दर्शक बन जायेंगे। वे कुछ नहीं कह पायेंगे क्योंकि प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 370 मौजूद है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर का संविधान अलग है और क्योंकि कानून अलग-अलग आदेशों द्वारा लागू किये जाते हैं। यही कारण है कि इस अहानिकर कानून में, इस माध्यस्थम् कानून में कहा गया है कि दूसरा भाग लागू नहीं होगा। क्यों?

माध्यस्थम् और सुलह कानून का दूसरा भाग क्यों नहीं लागू होगा?

श्रीनगर या जम्मू में मध्यस्थता के लिए जाने वाले किसी व्यक्ति और दिल्ली अथवा अमृतसर में मध्यस्थता के लिए जाने वाले दूसरे व्यक्ति में क्या अंतर है? इनमें कोई अन्तर नहीं है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि यह लागू नहीं होना चाहिए। मैं माननीय विधि मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसे असंगत, आत्मघाती कदम का क्या औचित्य है जो संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है, जो संविधान की आधारशिला के प्रतिकूल है। यह समझ में नहीं आता कि जम्मू और कश्मीर को अलग क्यों रखा गया है।

जहां तक इसके अन्य प्रावधानों का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सुलह या मध्यस्थता के खिलाफ नहीं हूं। इस अधिनियम या विधेयक का मूल उद्देश्य तो ठीक है। वास्तव में काफी प्रावधान किये गये हैं सिवाय इसके यह तथाकथित विश्वीकरण या उदारीकरण या अंतर्राष्ट्रीय संधियों या संयुक्त राष्ट्र चार्टर या कुछ समझौते के कारण जो हमने किये हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू होता है और यह आपत्तिजनक नहीं है। हमें आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से उपभोक्ता सामान के क्षेत्र में सार्वभौमिकरण और उदारीकरण के बारे में कुछ आपत्तियां हैं। वह अलग विषय है। उस विषय में हमारा मतभेद रहा है।

हम कहते हैं कि कुटीर उद्योगों और उपभोक्ता सामान के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। उन्हें राजस्थान राज्य में आने, बीकानेर जाने, वहां से बीकानेरी भुजिया लेकर उनके पैकेट बनाने और उन पर अपना नाम लिखकर उन्हें बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह एक बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन मध्यस्थता के मामले में यह बात क्यों नहीं लागू होनी चाहिये? मेरा अनुरोध है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते तो हैं लेकिन एक चीज निश्चित है कि कोई ऐसी चीज नहीं की जानी चाहिये जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोक नीति के विरुद्ध है, जो देश के हितों के विरुद्ध है, जो राज्य के विरुद्ध है और न केवल अप्रत्यक्ष रूप से अपितु प्रत्यक्ष रूप से यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की जायेगी वह भारतीय संविधान के अनुरूप होगी। हम किसी अंतर्राष्ट्रीय विधिवेता या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति को हमारे संविधान की उपेक्षा करने, हमारे संविधान की अवहेलना करने या हमारे संविधान के प्रतिकूल जाने की इजाजत नहीं दे सकते। संविधान सर्वश्रेष्ठ है और संसद ही संविधान बना सकती है। अत: मध्यस्थ भारत का है, लंदन का है या मास्को का है उसे हमारे संविधान का पूरी तरह पालन करना ही होगा। यह प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिये। विधि मंत्री ने कहीं 'सार्वजनिक नीति' जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। यदि वह इस हद तक जा सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यदि इस हद तक नहीं जाया जा सकता तो यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये ताकि कभी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के नाम पर हमें ऐसी कंपनियों या कुछ शक्तियों के आगे न झुकना पड़े जैसा कि महाराष्ट्र में एनरान के मामले में हुआ। कई और भी कटु बातें थीं। मैं इस प्रयोजनार्थ सभा का समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल यह कहूंगा कि सभी मामलों में यह एहतियात बरता जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं जारी किये गये अध्यादेश का विरोध करने के प्रयोजनार्थ अपना संकल्प पेश करता हूं। जहां तक मुख्य विधेयक का संबंध है मैं इसकी मुख्य भावना का समर्थन करता हूं।

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं : कि देशीय माध्यस्थम् और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् जिनके अंतर्गत विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों का प्रवर्तन भी है, से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए तथा सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदया, भारत में माध्यस्थम् विधि में सुधार की आवश्यकता व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अंतर्गत माध्यस्थम संबंधी अपने एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जिस प्रकार से कार्यवाही की जाती है और बिना अपवाद उसे न्यायालयों में चुनौती दी जाती है उससे "वकीलों को हंसी और विधि दर्शनिकों को रोना" आता है। अभी हाल के एक निर्णय में न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि माध्यस्थम विधि को सरल कम विधिक और स्थितियों की वास्तविकताओं के प्रति अधिक संवेदी बनाया जाना चाहिये। लोक लेखा समिति ने भी माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के कार्यकरण के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की थी। भारत के विधि आयोग ने अपने 76वें प्रतिवेदन में माध्यस्थम अधिनियम, 1940 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था।

मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों द्वारा 4 दिसम्बर, 1993 को स्वीकृत संकल्प में भी कहा गया था कि न्यायालय न्याय प्रणाली का पूरा बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं है और कुछ विवादों को माध्यस्थम, मध्यस्थता और बातचीत जैसे वैकल्पिक तरीकों से हल करना होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विवादी विवादों के हल के लिए दूसरे रास्ते अपनायें जो प्रक्रिया की दृष्टि से अधिक लचीले होते हैं, इनमें मूल्यवान समय और पैसे की बचत होती है और सुनवाई का बोझ भी नहीं पड़ता।

अत: यह स्पष्ट है कि माध्यस्थम विधि में अविलम्ब और अनिवार्य रूप से सुधार करना आवश्यक है। प्रश्न यह था कि कैसे और किन सिद्धांतों के आधार पर कानून में सुधार किया

जाये। इस विषय पर कई नमूने उपलब्ध हैं। ऐसा एक नमूना संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम संबंधी आदर्श विधि और सुलह तथा माध्यस्थम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के नियम हैं।

उपलब्ध माडलों तथा विभिन्न हितों एवं विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने पर यह महसूस किया गया कि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 को रद्द करने और यू.एन.सी.आई.टी. आर.ए.एल. माडल के आधार पर एक नया कानून बनाने के निश्चित रूप से कुछ लाभ हैं। ऐसा करने से माध्यस्थम संबंधी सामान्य विधि और दीवानी विधि एक सी हो गई है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों तथा देशीय विवादों को सुलह द्वारा हल करने पर विश्व भर में अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। 'यूनसिटराल' ने 1980 में कुछ सुलह नियम अंगीकार किये थे और संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में सदस्य देशों द्वारा उक्त नियमों का पालन करने की सिफारिश की थी। अनेक देशों में देशीय विवादों के मामले में भी सुलह तथा निपटारे के अन्य कम औपचारिक तरीकों को अपनाया जा रहा है।

हमारा विश्वास है कि इस नये कानून के बनने से न्यायालयों पर बढ़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और मुकदमों को तेजी से तथा कम खर्चे पर निपटाया जा सकेगा। विवादों को निपटाने के अन्य तरीके विश्व के अन्य भागों में अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। माध्यस्थम, सुलह जैसे विवाद हल करने के वैकल्पिक तरीकों तथा विवाद हल करने के गैर-प्रतिपक्षी अन्य तरीकों का ऐसे सभी विवादों को हल करने में उपयोग किया जा सकता है जिनका निपटारा करने का पक्षकारों को अधिकार है।

राज्य सभा द्वारा यथापारित माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 1996 इस समय तीन अधिनियमों में बंटी माध्यस्थम विधि को समेकित करने के लिए लाया गया है। वे तीन अधिनियम हैं (1) माध्यस्थम (प्रोटोकोल और अभिसमय) अधिनियम, 1937 जो माध्यस्थम खंडों तथा विदेशों में दिये गये कतिपय माध्यस्थम पंचाटों के निष्पादन के बारे में है; (2) विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 जो विदेशी माध्यस्थम पंचाटों की मान्यता तथा प्रवर्तन के बारे में; और (3) माध्यस्थम अधिनियम, 1940 जो भारत में माध्यस्थमों के संचालन और भारत में दिये गये माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन के बारे में है। इस विधेयक में माध्यस्थम् संबंधी विद्यमान अधिनियमों को रद्द करने के साथ-साथ देशीय माध्यस्थम संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने तथा विदेशी माध्यस्थम पंचाटों को लागू करने का भी प्रावधान है। इसमें सुलह संबंधी विधि को भी परिभाषित किया गया है।

माध्यस्थम् और सुलह विधेयक, 1996 को अधिनियमित करने से जो लाभ होंगे उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं :

(क) नई विधि भारत में माध्यस्थम् और सुलह विधि के बारे में पूर्ण संहिता होगी।

(ख) नई विधि देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् और सुलह के मामले में लागू होगी और इस प्रकार हमारी विधियों में द्विभाजन खत्म हो जायेगा।

(ग) नई विधि उन विवादों के मामले में भी लागू होगी जिन्हें पक्षकारों द्वारा निपटाया जा सकता है।

(घ) जब तक माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा माध्यास्थम पंचाट नहीं दे दिया जाता अथवा पक्षकारों द्वारा सुलह के माध्यम से निपटारा समझौता नहीं हो जाता नई विधि से तब तक न्यायालयें की भूमिका कम से कम रह जायेगी।

(ङ) नई विधि के आधार पर पक्षकार माध्यास्थम् संस्थाओं का चयन भी कर सकेंगे जो उनकी ओर से कतिपय वाद-विषय तय करेंगे।

(च) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के मामले में पक्षकारों को विवाद पर लागू वास्तविक विधि के बारे में निर्णय लेने की भी छूट होगी।

(छ) नई विधि के अंतर्गत माध्यास्थम न्यायाधिकरण के लिए अपने पंचाट के कारण बताना आवश्यक होगा। इससे निर्णय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी और पक्षकारों की माध्यस्थम् प्रणाली में आस्था बढ़ेगी।

(ज) माध्यास्थम न्यायाधिकरण विवाद के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यास्थम प्रक्रिया के दौरान किसी समय मध्यस्थता, सुलह का अन्य प्रक्रियाओं का प्रयोग करने में सक्षम होगा।

(झ) देय तिथि से राशि के भुगतान की तिथि तक निर्णीत राशि पर माध्यास्थम न्यायाधिकरण द्वारा ब्याज दिये जाने के बारे में स्पष्ट प्रावधान होगा। इससे पंचाट के कार्यान्वयन में विलम्ब करने के उद्देश्य से पंचाट पर की जाने वाली तुच्छ आपत्तियां दायर नहीं की जायेंगी।

(ञ) माध्यास्थम पंचाट को रद्द करने के कारण स्पष्ट हो जायेंग।

(ट) एक पंचाट को चुनौती दिये जाने की स्थिति में न्यायालय माध्यस्थम न्यायाधिकरण को पंचाट रद्द करने के कारण दूर करने का अवसर देने के लिए सक्षम होगा।

(ठ) पंचाट देने के लिए एकदम निश्चित समय-सीमा नहीं होगी। इस से इस समय जो अधिकतर मुकदमेबाजी होती है वह खत्म हो जायेगी और पंचाट देने के लिए मध्यस्थ की समय-सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव न्यायालय में पेश करके माध्यस्थम कार्यवाही को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का सिलसिला खत्म हो जायेगा। नई विधि के अंतर्गत पक्षकारों का पंचाट देने की समय-सीमा निर्धारित करने की छूट होगी और वे समय-सीमा समाप्त होने से पूर्व या पश्चात् उसे बढ़ा सकेंगे।

(ड) यदि माध्यास्थम पंचाट को रद्द करने का आवेदन करने की अवधि समाप्त हो जाती है या ऐसा आवेदन करने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो मध्यास्थम पंचाट को ऐसे लागू किया जायेगा जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री हो। इससे एक पंचाट को निर्णय या डिक्री में बदलने के लिए की जाने वाली परिहार्य कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी।

(ढ) सुलह कार्यवाही के परिणामस्वरूप किये गये निपटारा समझौते की स्थिति तथा प्रभाव वहीं होगा जो एक माध्यास्थम पंचाट का होता है।

यह विधेयक 16 मई, 1995 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने विधेयक के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया और विधेयक के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का सुझाव दिया। मैं अपने बहुत ही मूल्यवान सुझाव देने के लिए समिति के सभापति तथा सदस्यों का ऋणी हूं। समिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं।

यह विधेयक आर्थिक सुधार प्रक्रिया का एक अंग है। चूंकि नई माध्यास्थम् विधि का अधिनियमन विवाद हल करने की वैकल्पिक पद्धतियों के भारत में विकास का आधार है और चूंकि प्रस्तावित विधान के प्रावधानों पर सभी की सहमति थी, यह महसूस किया गया कि एक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके तुरंत ही कानून बनाया जाये।

तदनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त 16 जनवरी, 1996 को माध्यास्थम और सुलह अध्यादेश, 1996 जारी किया गया। अध्यादेश 25 जनवरी, 1996 से लागू किया गया। अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण और अध्यादेश दो बार फिर एक बार 26 मार्च, 1996 को और बाद में 21 जून, 1996 को जारी करने के कारण दर्शाने वाले व्याख्यात्मक टिप्पण पहले ही सभा पटल पर रखे जा चुके हैं।

सांविधिक संकल्प पेश करते समय जस्टिस लोढा ने इस विधेयक को जम्मू तथा कश्मीर पर लागू न करने की बात कही है तथा कुछ अन्य बातें कही हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ अन्य माननीय सदस्य भी ऐसे प्रश्न उठाने जा रहे हैं। मैं उनका उत्तर एक बार अर्थात् वाद-विवाद के अंत में दूंगा।

जैसाकि जस्टिस लोढा ने कहा है, कि यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है। मैं यह विधेयक सभा के विचारार्थ सभा के समक्ष रखता हूं।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1996 को प्रख्यापित माध्यास्थम और सुलह (तीसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 27) का निरनुमोदन करती है।"

"कि देशीय माध्यस्थम् और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् जिनके अंतर्गत विदेशी माध्यस्थम पंचाटों का प्रवर्तन भी है, से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए तथा सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति जी, श्री रमाकांत डी. खलप जी ने जो बिल रखा है, उनकी भावना को तो मैं बधाई देता हूं, जिस भावना के अनुरूप उन्होंने इसे रखा है, लेकिन मैं खतरे की ओर इंगित जरूर करूंगा। उन्होंने बड़े फख्र के साथ कहा कि व्यापार का वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है, वहां तक तो ठीक है।

यूनाइटेड नेशंस में भी प्रस्ताव पास करके माडल बाइलाज़ बनाए हैं, उन माडल लाइलाज़ को देखकर भी बनाया, वहां तक भी बात समझ में आती है, मैं उनसे यह नहीं कह सकता कि वह आंखें बंद करके स्वयं ही सोच समझकर बनायें और दूसरों के ज्ञान का लाभ न लें। लेकिन आजकल इंटरनेशनल लेवल पर जो माडल बनाए जाते हैं, उन मॉडल्स के पीछे आलपिन चुभोई जाती है कि इसे मंजूर करो। गैट समझौते के अन्दर ऐसा ही हुआ है और अगर इस तरह का कोई दबाव उनके ऊपर है, तो उस दबाव की भावना का मैं प्रतिकार करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि देश की सोवरेंटी खतरे में न पड़ जाय। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों के अंतर्गत कोई दबाव डालकर भारत सरकार पर, भारत सरकार के विधानों के प्रावधानों के प्रतिकूल कोई काम करने के लिए अनुचित दबाव उन पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वह अपनी बुद्धि, विवेक और क्षमता को बढ़ाने के लिए और किसी के ज्ञान से लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो वह अर्जित करें, लेकिन दबाव में आकर नहीं करें। ऐसा भी न करें कि दबाव के भागीदार बन जाएं, उसमें दब जाएं और

यहां पर आकर कह दें कि मैं अपनी अक्ल से काम कर रहा हूं, यह मैं खलप जी को इन परसन नहीं कह रहा, भारत सरकार को कह रहा हूं, इसलिए मैंने यह बात कही है।

यह ठीक है कि व्यापार का वैश्वीकरण हुआ है और उस वैश्वीकरण के कारण जो ट्रेड के एवेन्यूज खुले हैं, चारों तरफ दरवाजे खुले हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कहीं सिमिलैरिटी, आईडेंटिटी आना आवश्यक है। उस सिमिलैरिटी और आईडेंटिटी को फैसिलिटेट करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका एक उद्देश्य है, यह ठीक बात है कि इसमें अगर एक सा कानून बन जाएगा तो लोगों को सहूलियत होगी। इंटरनेशनल लॉ कोर्ट्स में जो प्रावधान हैं और जिस तरह से न्याय मिल पाता है, उसकी प्रक्रिया बड़ी दुरूह है, खर्चीली है और इसलिए उससे भी राहत मिलेगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एकमुश्त कानून बनाने की जो बात कही गई हैं, वह भी अच्छी बात है। हमारे यहां तीन तरह के प्रावधान थे, जो पुराने पड़ गये थे। न्याय आवश्यकताओं के अनुरूप उन्होंने इन कंसोलिडेट बिल को बनाने का प्रयास किया है। इस सुझाव का और उनके प्रयासों का मैं स्वागत करता हूं। कानूनों की विविधता से जो व्यापारियों को असुविधा आती थी, वह असुविधा दूर होगी। उन्होंने जो अंग्रेजों में एक कहावत कह डाली कि वकील तो खुश होते हैं और दार्शनिक रोते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि समूची व्यवस्था के मूल में छिपा हुआ यह मर्म है और इस मर्म को जो उन्होंने पहचानने की कोशिश की है, इस मर्म को तो बहुत दिन पहले पहचाना जाना चाहिए था। आर्बीट्रेशन तो भारतीय परम्परा और पद्धति रही है, पर मैं उनको दोष इसलिए नहीं देता कि वे अभी जिस सरकार में आकर बैठे हैं, उस सरकार का अभी शैशवकाल है और इसलिए उससे पहले जो शासन में रहे, उनको यह देखना चाहिए था कि भारत के अन्दर जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पाश्चात्य मॉडल की जो कापी की गई है, उस कापी के स्थान पर जो भारतीय प्रक्रिया है उसकी पालना होनी चाहिए थी, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। लेकिन जब से अंगरेज इस देश में आए, उन्होंने भारतीय न्याय पद्धति को देश में आर्बिट्रेशन को जो पंचायती सिस्टम का एक बड़ा अंग था, उसको बदल दिया। पहले गांव-गांव में पंचायत होती थी। सारे झगड़े वहीं तय हो जाते थे। कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता था। हत्याओं तक के मामलों के फैसले गांवों की पंचायतों में तय होते थे, सामाजिक न्याय होता था, आज तो सामाजिक न्याय की परिभाषा ही बदल गई है। लेकिन वास्तव में न्याय तभी मिला करता था। इसलिए आर्बिट्रेशन के माध्यम से सरकार को नई सूझबूझ समझ आई है, उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं कि उसने महसूस कर लिया कि उच्चतम न्यायालय से लेकर तहसील स्तर के न्यायालय तक में, चाहे उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो या प्रशासकीय अधिकारियों के न्यायालय हों, मुकदमों के अम्बार लगे हुए हैं। अम्बार लगने के बाद वे मसले तय नहीं हो पाते हैं। एक कहावत है कि जो मुकदमा सिविल कोर्ट में जीत गया वह हार गया और जो हार गया वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया । मैं खुद वकालत के पेशे से आता हूं। मैं जानता हूं कि इस न्याय व्यवस्था के अंदर लोगों की कितनी दुर्गति होती है। इसलिए एक उपाय के रूप में मैं इसका स्वागत कर रहा हूं और देख रहा हूं कि यह ठीक हो गया है। अपने यहां कहा जाता है- पांच पंच मिल किए काजा। इसलिए पंचायत सिस्टम आप लागू करना चाहते हैं और सरकार का हृदय परिवर्तन हुआ है तो यह एक अच्छी बात होगी।

भारतीय कानून में संशोधन किया है उसमें तेजी से परिवर्तन आएगा। खलप जी विधि मंत्री हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि विधि मंत्री का काम केवल इस कानून तक सीमित नहीं है, समूची न्याय प्रणाली के अंदर परिवर्तन लाइए। आपको इतिहास भी याद रखेगा, एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी तक हमारी न्याय प्रणाली पश्चात्य न्याय प्रणाली की कापी है, उसका कैरीकेचर्ड फार्म है। उसमें मुकदमेबाजी में पीढ़ियां निकल जाती हैं। दादा मुकदमा दायर करता है और पोता फैसला सुने इसलिए फैसला एक्स्पीडाइट हो, सुनवाई जल्दी हो, इस प्रक्रिया को न्याय व्यवस्था में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनके प्रयासों में मै जिस ओर बैठा हूं, मैं और मेरी पार्टी उनको सहयोग देगी। लेकिन वह करने का प्रयास करें, जिससे लोगों को वास्तव में सामाजिक न्याय मिले। मैं तो यह भी चाहूंगा कि फौजदारी के मामलों में भी आर्बिट्रेशन लागू किया जाए। एक बार कोशिश की गई थी कि लोक अदालतें लगेंगी। लेकिन लोक अदालतों का सिस्टम फेल्योर सिद्ध हुआ। उसका लाभ लोगों को नहीं मिल सका और वह एक तमाशा बनकर रह गई। इसलिए फौजदारी के मामलों में भी ऐसा किया जाए।

मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में पहले न्याय पंचायती सिस्टम था। उसमें ज्यूडिशियल पावर्स न्याय पंचायतों को दी गई थीं। बाद में वह अधिकार विदड्रा कर लिया गया। उस सिस्टम को रिडेंट बना दिया गया, अप्रासंगिक बना दिया गया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया।

लोढ़ा जी ने एक बात यहां रखी थी। मैं भी कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं मंत्री जी क्या उत्तर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहना चाहूंगा कि उत्तरों से देश का इतिहास और आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। मैं नहीं समझता कि धारा 371 उसमें बाधक बनती है कि आर्बिट्रेशन जैसी अच्छी चीज अगर जम्मू-कश्मीर के लोगों को दी जाए कि पंचायतों से मामले तय करें और आपस में लड़े-झगड़ें नहीं, बर्बाद न हों। आज जम्मू-कश्मीर के लोग मुकदमेबाजी से बर्बाद हो रहे हैं। वहां पर मुकदमेबाजी से उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, उनका व्यापार बिगड़ रहा है। उनका कार्पेट का व्यवसाय है। उसमें विदेशी नई चीज लेकर आ रहे हैं। वे कहते हैं एल. सी, खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना एल. सी. के व्यापार

करिए। शेष भारत में भी ऐसा हो रहा है। इसमें बहुत भारी बेइमानी और घपले हो रहे हैं। शेष भारत में तो दूर कर लिए जाएंगे, लेकिन भारत के इस अभिन्न अंग को सुविधा से क्यों वंचित कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या धारा 371 उसमें बाधक बनती है, मेरी हिसाब से नहीं बनती है। जो प्रावधान हैं, उसके तहत आप कर सकते हैं। लेकिन राजनैतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। कश्मीर के लोग यह नहीं चाहते कि उनका शोषण किया जाए, उनका उत्पीड़न किया जाए और वे देश की और विश्व की व्यापारिक मुख्यधारा से वंचित रह जाएं। आपने स्टैंडिंग कमेटीज की सिफारिशों को स्वीकार करने की बात कही है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टैंडिंग कमेटीज तो दसवीं लोक सभा की देन हैं और जिसमें श्री शिवराज पाटिल जी, जो उस समय के हमारे अध्यक्ष थे और जो आज भी संयोग से सदस्य के रूप में हम लोगों के बीच में बैठे हैं, उनका भारी योगदान रहा है। इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा जो आपने कहा है, उसे मैंने पढ़ा भी है और वह अक्षरश: सत्य भी है कि स्टेंडिंग कमेटीज ने जो रिकमेंडेशन की हैं, वे सब आपने स्वीकार की हैं। इससे जो विधायी क्षेत्र है, उसमें मतैक्य बनने में सहूलियत भी हो रही है और थैड-बेयर डिसीजन होने के बाद स्टेंडिंग कमेटीज में विचार-विमर्श होने के बाद जब यह विधेयक यहां आया है, तो उसकी वांछनीयता भी देखने को मिल रही है। जो बेंचेज आपका विरोध भी कर सकती थी, वे बेंचेज भी आपके विधेयक का समर्थन कर रही है। इसलिए कि वहां पर चर्चा होने के बाद जो कमियां थीं, वे दूर की गई है।

इसके साथ ही, मैं अपनी बात को विराम देता हूं तथा इस बिल का समर्थन करता हूं और यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कश्मीर पर यह लागू किया जाए। मेरा अंतिम अनुरोध है कि कानून तो बन जाता है, लेकिन रूल्स नहीं बन पाते हैं। मैं नहीं जानता कि खलप जी किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन लीगल प्रोफेशन से जुड़े होने के कारण मैं जानता हूं कि जल्दबाजी में कानून तो बन जाता है और उसके बाद सरकार यह समझ लेती है कि कानून बन गया और मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन रूल्स नहीं बनते हैं। ये रूल्स बनने भी बहुत आवश्यक हैं और जब खलप जी उत्तर दें तो यह आश्वासन भी दें कि कितने समय के अन्दर रूल्स बन जाएंगे जिससे उसका ठीक प्रकर से उपयोग हो सके, यह मैं अवश्य उनसे कहना चाहूंगा। उसमें जो अनुबंध होते हैं, उसमें सामान्य बिक्री की असफलता, सामान की गुणवत्ता की खराबी या अनुबंधों के पालन में कमियां इत्यादि ये सब चीजें उसमें आती हैं। चूंकि सी. पी. सी. के प्रोसीजर को आपने एडोप्ट किया है और बिक्री को सी. पी. सी के अन्तर्गत उसके एनफोर्समेंट की बात कही है तो वह होगा, लेकिन सी. पी. सी. का नाम सुनते ही जो बात मैंने कही कि मुकदमें तीन पीढ़ी तक चलते हैं, वह न हों। उसमें ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए सोचा जाए कि सी. पी. सी. का नाम आते ही लोग उसका दुरूप्रयोग करके इसकी बिक्री के परिपालन में भी इसको बहुत लम्बा न खींचें। इसका आब्जर्वेशन किया जाए और उसके बाद अगर वहां भी कुछ कट-शोर्ट करना पड़े तो उसको भी करने के लिए मोनीटर किया जाए जिससे इस विधेयक की वास्तविक आत्मा के हिसाब से इसका परिपालन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदया, सभा के समक्ष अध्यादेश के स्थान पर अब जो माध्यास्थम् और सुलह विधेयक, 1995 लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं इस भव्य सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विधेयक पर भूतपूर्व विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री श्री एच. आर. भारद्वाज का नाम अंकित है।

इस अध्यादेश और इस सभा के समक्ष लाये गये कुछ अन्य अध्यादेशों में अन्तर है। यह अध्यादेश पहली बार इस प्रकार प्रख्यापित नहीं किया गया था। उस समय सरकार ने सभा के समक्ष आने और इसे विधान में परिणत करने का वास्तव में प्रयास किया था। इस प्रकार यह विधेयक पहली बार राज्य सभा में 16 मई, 1995 को प्रख्यापित किया गया था और इस प्रकार यह तीसरा अध्यादेश है। इन अध्यादेशों को समय-समय पर हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रख्यापित करना आवश्यक हो गया था।

करीब 14 महीने पूर्व मई में यह विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था और इसे गृह मंत्रालय से सम्बन्धित विभागीय स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने सावधानी पूर्वक इस पर विचार करने के पश्चात् 28 नवम्बर को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें समिति ने अपनी सिफारिशें दीं। सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं और शीतकालीन सत्र के दौरान सभा के समक्ष विधेयक भी विचारार्थ था। किन्तु, जैसाकि आप जानते है, दसवीं लोक सभा के सदस्यों को मालूम है कि शीलकालीन सत्र के दौरान संसद में किस प्रकार की स्थिति व्याप्त थी। कोई विधायीकार्य सम्पन्न नहीं किया जा सका और विधाई कार्य संसद का मुख्य काम है। संसद को और काम भी करने होते हैं लेकिन दूरसंचार नीति पर सभा में शोरगुल होने के कारण - जो उच्चतम न्यायालय में गई और जिसका नतीजा आप जानते हैं - विधायी कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। इस प्रकार सभा का समय बेकार के मामलों पर बर्बाद हो जाता है जो कई वार परिहार्य होते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : वह शोरगुल क्या था? आपने शोरगुल के बारे में कुछ कहा। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या आप चाहते हैं कि मैं

इसे अभी स्पष्ट करूं? मैं यह कहना चाहूंगा कि अध्यादेशों का विरोध किया जाता है लेकिन अच्छे प्रावधान अध्यादेशों के रूप में आये हैं। यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है और हम सभी ने इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है लेकिन सभा को अपना कार्य ऐसे ढंग से करना चाहिये कि ऐसे अवसर न आयें और हमारा अनुभव यह रहा कि आज तक केवल एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सम्बन्धी विधेयक आया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यादेश का विरोध करना हमारा अधिकार है। आप कैसे कहते हैं कि समय बर्बाद हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कल सभा करीब तीन सप्ताह के लिए स्थगित हो जायेगी और इस सत्र के दौरान आज तक हमने क्या किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सम्बन्धी एक विधेयक के अलावा कोई अन्य विधेयक पारित नहीं किया गया है। अन्य सभी विधेयक अध्यादेश बदलने के लिए हैं। वे सभी बहुत अच्छे विधेयक हैं और इन के प्रावधान बहुत उपयोगी हैं जिनसे गरीबो और पद-दलितों को लाभ होगा। अतः मैं यह कहूंगा कि कम से कम अब आगे पूरी सभा को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। आप हमेशा शक्ति के दुरूप्रयोग की बात करते हैं... (व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के अन्य प्रावधानों की ओर आता हूं। यह पहले कहा गया है कि हम न्यायालयों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। आप जानते हैं कि न्यायालयों के पास कितना अधिक काम है; उन पर काफी दबाव है और न्याय देने में भी काफी विलम्ब होता है। निस्संदेह हम सभी को इसकी जानकारी है। इस प्रकार बहुत सी परेशानी, व्यय और प्रक्रियात्मक अड़चनें आती हैं।

श्री अनिल बसु : हमारे पास न्यायालयों के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कुछ हद तक लोक अदालत भी एक विकल्प है।

श्री अनिल बसु : लेकिन लोक अदालत न्यायालयों का ही विस्तार है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मुझे आपकी व्याख्या पर खेद है। जहां तक समय और व्यय का सम्बन्ध है, लोक अदालत और नियमित न्यायालयों में अन्तर है।

महोदय, कहावत है कि न्याय में विलम्ब कोई न्याय नहीं है। विद्यमान प्रणाली में न्याय में विलम्ब होना अनिवार्य है। इन न्यायाधिकरणों तथा माध्यस्थम् का सम्बन्ध व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी मामलों से है। अब तक हमारे माध्यस्थम् मामलों को तीन कानूनों के आधार पर निपटाया जा रहा था- माध्यस्थम। अधिनियम, 1940, माध्यस्थम प्रोटोकोल अधिनियम, 1937 और विदेशी पंचाट तथा मान्यता प्रवर्तन अधिनियम, 1961- और इन तीनों विधानों के प्रावधान कुछ हद तक वर्तमान विधेयक में अन्तर्विष्ट कर लिये गये हैं। संसद की लोक लेखा समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय, विधि आयोग तथा अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं ने हमारे देश में माध्यस्थम प्रणाली के प्रतिकूल टिप्पणी की है। माननीय मंत्री ने भी ठीक ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम सम्बन्धी आदर्श विधि अंगीकृत की थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य देशों से भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि व्यापार सम्बन्धी विवाद माध्यस्थम के माध्यम से आपस में निपटाये जायें। विभिन्न देशों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षताओं के अनुसार इस आदर्श विधि का विभिन्न रूपों में संशोधन किया जा सकता है- यह आखिरकार एक नमूना है- और हम भी इसके आधार पर अपने देश में एक कानून बना सकते हैं।

इस विधेयक के प्रावधानों का सभा के सभी सदस्यों ने स्वागत किया है। इस विधेयक की अवधारणा विवादी पक्षकारों को उनके मंच, स्थान और समय पर अपने विवादों को विवाचन द्वारा सुलझाने की इजाजत देना है। इससे व्यय कम होगा और मामलों को तेजी से निपटाया जा सकेगा। इस दृष्टि से यह बहुत ही स्वागत योग्य विधेयक है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जी हां, महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

महोदया, भारत एक प्राचीन देश है। हमारे देश की परंपरायें बहुत समृद्ध हैं। हमारे देश में पंचायत प्रणाली की परंपरा रही है। इस दृष्टि से यह उस प्रणाली का विस्तार है। लेकिन इन दिनों कुछ गांवों और जाति पंचायतों के निर्णयों के बारे में समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है उसे स्मरण करने पर मुझे दुःख होता है। वे लोगों को फांसी देने के फैसले कर रहे हैं, उन्हें पेड़ के साथ बांध कर उनकी पिटाई करने के फैसले कर रहे हैं। महिलाओं को नंगा करने के फैसले कर रहे हैं। पंचायतों के ऐसे फैसले पिछले सप्ताह समाचारपत्रों में मुख्य रूप से प्रकाशित हुए थे। हमें ऐसी पंचायतों की जरूरत नहीं है लेकिन हमें सही ढंग की पंचायतों को प्रोत्साहन देना होगा। निस्संदेह, पंचाटों के निष्पादन को छोड़कर इस मामले में दीवानी प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और परिसीमन अधिनियम भी लागू होते हैं।

महोदया, जहां तक जम्मू-कश्मीर राज्य का संबंध है, इस विधेयक के कुछ प्रावधान - भाग एक, तीन और चार इस राज्य में केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह के मामले में लागू होते हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिये। विधि मंत्री को मैं यह केवल एक सुझाव दे रहा हूं। इसका कारण यह है कि इस राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है।

जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों के बाद वहां की विधान सभा इसके बारे में कानून बना सकती है या नहीं, इस पर विचार करना होगा। यह कानून निश्चित रूप से अब पूर्ण तथा जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होना चाहिये। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष रूप से जबसे हमने उदारीकृत आर्थिक नीति अपनाई है, भारी परिवर्तन हो रहे हैं। अत: हमें इसकी गति का ध्यान रखना होगा। हमारा माध्यस्थम अधिनियम पुराना पड़ गया है और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमें अपने अधिनियम में परिवर्तन करके इसे आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा। एक कानून का क्या प्रयोजन है? इसे बदलते समय और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा। उस दृष्टि से भी यह विधेयक बहुत अच्छा है।.... **(व्यवधान)** द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व 1939 में भी इसे अधिनियमित किया गया था।

मुझे इस विधेयक में कुछ असंगतियां दिखाई देती हैं। माध्यस्थम शब्द की परिभाषा दी गई लेकिन 'सुलह' की परिभाषा नहीं दी गई है। इसे भी सही शब्दों में परिभाषित किया जाये अन्यथा कुछ जटिलतायें पैदा हो सकती हैं। माध्यस्थम के संबंध में भी पक्षकारों को अपने मध्यस्थ, प्रक्रिया, समय आदि चुनने की काफी स्वतंत्रता दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सफल होगा। संख्या निर्धारित की जानी चाहिये थी और कुछ प्रक्रिया भी निर्धारित की जा सकती थी। निस्संदेह, यह एक नया प्रावधान है। दृष्टिकोण भी नया है और इसका श्रीगणेश अच्छा होना चाहिये। सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं और सरकार धारा 84(1) के अधीन आवश्यक नियम बनाने में इनका प्रयोग कर सकती है। मुझे आशा है कि यह विवादों को निपटाने की एक नये ढंग की प्रणाली होगी।

महोदया, मैं पुन: इस सरकार को तथा पूर्ववर्ती सरकार को बधाई देता हूं। वास्तव में इसका श्रेय पिछली सरकार को जाता है। यह अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार ने इस पर गौर किया और अध्यादेश को बदलने के लिए सभा के समक्ष यह विधेयक लाई जहां तक माध्यस्थम प्रणाली का संबंध है, इससे एक नया युग आरंभ होगा।

इस विधेयक के लागू होने के कुछ समय बाद सरकार को स्थिति का जायजा लेना चाहिये और इसे कार्यान्वित करने में जो दोष पाये जायें उन्हें दूर करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बलाई चन्द्र राय (बर्दवान) : सभापति महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसकी कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं।

जैसाकि विधि मंत्री ने कहा है, इस विधेयक का उद्देश्य कुछ प्रयोजन सिद्ध करना है लेकिन इस विधेयक के प्रावधान ऐसे हैं कि उन प्रयोजनों को पूरा करना संभव नहीं होगा।

अपराह्न 5.00

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ठीक ही कहा गया है कि विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक मंच तथा प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह बात सभी विकसित देशों तथा हमारे देश ने स्वीकार की है। वैकल्पिक मंच बनाने तथा वैकल्पिक प्रक्रियायें अंगीकार करने का कारण यह है कि ऐसा करने से विवादों को निपटाने में विलम्ब नहीं होगा। यह तरीका सस्ता होगा; अधिक समयोचित होगा लेकिन समान रूप से प्रभावोत्पादक होगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान अधिनियम की धारा 9 की ओर दिलाता हूं। अधिनियम की धारा 9 में प्रावधानन है कि समादेश, बिक्री, सुरक्षा तथा अन्य ऐसी राहतों के अन्तरिम आदेशों के लिए पक्षकार आवेदन देकर न्यायालय जा सकता है। इस कारण अन्तरिम आदेशों के लिए न्यायालय की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जायेगी। हम यह कह रहे थे कि न्यायालयों में मामले जमा न हों और उनको निपटाने में विलम्ब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अब हम न्यायालयों की कार्यवाही से बचना चाहते है। लेकिन न्यायालयों से अन्तरिम आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना अधिनियम के उद्देश्यों के प्रतिकूल है। इतना ही नहीं, धारा 9 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने का धारा 37 में प्रावधान है। इसका परिणाम यह होगा कि एक न्यायालय धारा 9 के अंतर्गत उल्लिखित मदों के बारे में अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और ये चीजें साधारण हैं। कोई मध्यस्थ ऐसा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपकृत पक्षकार उस आदेश के विरुद्ध एक मंच में अपील कर सकेगा और वह मंच न्यायालय होगा। इस कार्यवाही में निश्चित रूप से सालों लगेंगे। मुझे एक उच्च न्यायालय का 42 वर्ष का अनुभव है। अत: मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस कार्यवाही को पूरा करने में कई वर्ष लगेंगे और इस बीच मध्यस्थता की कार्यवाही रुक जायेगी। इससे कार्यवाही कैसे शीघ्र पूरी होगी?

कृपया धारा 27 पर भी विचार करें। एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर तथा मध्यस्थ के स्वविवेक से न्यायालय से कतिपय साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके भी

आप मध्यस्थता की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय को साक्ष्य एकत्र करने और रिकार्ड किया गया साक्ष्य मध्यस्थ को भेजने के लिए कहा जायेगा ताकि मध्यस्थ इस पर कार्यवाही कर सके। किसी विवाद को तेजी से निपटाने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने की यह पेचीदा प्रक्रिया बहुत ही बुरी प्रक्रिया है। इससे मध्यस्थता की गुणवत्ता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यह सही और सच है कि साक्ष्य अधिनियम और नागरिक प्रक्रिया संहिता अब लागू नहीं होंगे। इन कानूनों को हटा कर हमने निश्चित रूप से पुराने माध्यस्थम अधिनियम का आश्रय लिया है। लेकिन हमें अपने अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से कुछ प्रतिकूल कदम उठाने पड़ेंगे।

मैं आशा करता हूं, मंत्री महोदय जानते हैं कि एक या दो बैंकों से संबंधित करीब 300 करोड़ रूपये के प्रतिभूति घोटाले के एक हिस्से की इस समय उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थता कर रहे हैं। एक गवाह से 28 दिन तक जिरह की गई और आधी भी पूरी नहीं हुई। इस का कारण यह है कि मध्यस्थ को न्यायालय की तरह साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत असंगत या आवृत्तीय जिरह रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अत: एक पक्षकार कार्यवाही को आगे खींच सकता है। इस अधिनियम के अधीन मौखिक साक्ष्य भी अनुज्ञेय है। एक गवाह अनिश्चित काल तक अपनी गवाही जारी रख सकता है और एक बेईमान पक्षकार अनिश्चित अवधि के लिए कार्यवाही को लम्बा कर सकता है।

अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ ऐसे प्रावधान किये जायें जिससे मध्यस्थ साक्षी को असंगत प्रश्न पूछने और कार्यवाही में असंगत सामग्री लाने से रोक सके।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि मसविदा कुछ अनियत है। कोई भी दूसरी अनुसूची पर दृष्टिपात कर सकता है। एक मसविदा कितना अनियत हो सकता है, यह बात इस अधिनियम से स्पष्ट हो जाती है। कृपया पृष्ठ 32 पर दूसरी अनुसूची देखें जो इस प्रकार है :

> "माध्यस्थम खण्ड सम्बन्धी प्रोटोकोल :
>
> अधोहस्ताक्षरी सम्यक रूप से प्राधिकृत किये जाने पर घोषणा करता है कि वे उन देशों की ओर से जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित प्रावधान स्वीकार करते हैं....."

इसमें न तो कोई अधोहस्ताक्षरी है और न ही कोई अधोहस्ताक्षरी हो सकता है।

संसद के एक अधिनियम में राज्य सभा या लोकसभा यह पारित करेगी कि एक अनुसूची में अधोहस्ताक्षरी होगा, यह बात सोची भी नहीं जा सकती। यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई और इसका लोप नहीं किया गया।

खैर, अंगीकार करना एक बात है और नकल करना दूसरी बात है। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान जटिल हैं जिनमें निश्चित रूप से मध्यस्थता की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने में कोई मदद नहीं मिलेगी और कई विवाद तथा मुकदमें खड़े होंगे। विधेयक के विभिन्न खण्डों में एक देश का अभ्यासत: निवासी, वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। कौन 'अभ्यासत: निवासी' है? हम 'साधारणतया निवासी' शब्द से अभयस्त हैं। 'अभ्यासत: निवासी' शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे नये मुकदमों की बाढ़ आ जायेगी।

संदेहास्पद किस्म का एक और वाक्यांश है। यह सुनिश्चित है कि वाणिज्यिक मुकदमे क्या हैं, वाणिज्यिक कार्यवाही क्या है और वाणिज्यिक विवाद क्या हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कानूनी सम्बन्धों में सांविधिक वाणिज्यिक सम्बन्ध जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ आधुनिक राज्यों की संयुक्त उद्यम संविधि जैसी कोई संविधि नहीं है। चीन ने एक संयुक्त उद्यम विधि अंगीकृत की है। वाणिज्यिक वैधिक सम्बन्धों की परिभाषा नहीं की गई है। न्यायालयों द्वारा प्राय: कहा जाता है कि यह वाणिज्यिक मुकदमा है लेकिन वाणिज्यिक वैधिक सम्बन्धों का कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। अत: इसके बारे में भी व्याख्या का प्रश्न सामने आयेगा और व्याख्या से मुकदमेबाजी अभिप्रेत है जिससे बचा जा सकता था।

खण्ड 7(4) (क) में कहा गया है "पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज" मध्यस्थता करार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उनमें से एक पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। मान लो एक मध्यस्थता करार पर पक्षकारों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं और एक की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूर्वज, जिसने करार पर हस्ताक्षर किये हैं, के पक्षकारों के लिए मध्यस्थता स्वीकार करना अनिवार्य होना चाहिये। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान धारा 20 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। धारा 20 में प्रावधान है कि पक्षकार न केवल अपने मध्यस्थ का चयन कर सकते हैं अपितु मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान भी निर्धारित कर सकती है। इससे एक असंगति उत्पन्न होगी। दोनों पक्षकार मध्यस्थ को बारी-बारी संभवतया अपने-अपने ड्राइंग रूम में ले जाने का प्रयास करेंगे। एक पक्षकार कहेगा कि पहली बैठक मेरे ड्राइंग रूम में हो और और दूसरा पक्षकार कहेगा कि दूसरी बैठक मेरे ड्राइंग रूम में हो और मध्यस्थ ऐसा करता रहेगा। यदि संभव हो तो मध्यस्थ को पक्षकारों की सहमति से बैठक को स्थान निर्धारित करने का अधिकार दिया जाना चाहिये और यदि संभव न हो तो मध्यस्थ को उनकी सहमति की बिना मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

धारा 34(1) के स्पष्टीकरण में 'भ्रष्टाचार' शब्द का उल्लेख है। यह शब्द दो अन्य धाराओं में भी आया है। एक

पंचाट धोखाधड़ी के आधार पर खारिज किया जा सकता है। इसे भ्रष्टाचार के आधार पर भी खारिज किया जा सकता है। कानूनी तौर पर भ्रष्टाचार के बारे में हमारी कोई अवधारणा नहीं है। धोखाधड़ी की तरह भ्रष्टाचार की भी एक अवधारणा होनी चाहिये जिसे लागू किया जा सके। धोखाधड़ी से तथ्यों को या कानून को तोड़मरोड़ कर पेश करना अभिप्रेत है। इसका अर्थ यह है कि किसी चीज के बारे में तथ्य मालूम हैं लेकिन जानबूझकर उन्हें मरोड़-तरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार की कानूनी तौर पर अभी कोई परिभाषा नहीं है जिसके आधार पर पंचाट को खारिज किया जा सके। यदि भ्रष्टाचार की कोई अवधारणा है तो इसे अच्छी तरह परिभाषित किया जाना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार के आधार पर एक पंचाट खारिज किया जा सके।

अब मैं भाग दो की ओर आता हूं। ये उच्च संविदाकारी पक्षकार कौन हैं। हमने जो समझौता अंगीकार किया है उसमें "उच्च संविदाकारी पक्षकार" का उल्लेख है। यह अनुसूची में दिया गया है। मैंने राज्य सभा के वाद-विवाद पर नजर डाली है। विधि मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार उच्च संविदाकारी पक्षकार है। खैर, यदि 'उच्च संविदाकारी पक्षकार' वाक्यांश रखा जाना है तो अधिनियम में इसका अर्थ स्पष्ट करना होगा। अन्यथा यह कल्पना नहीं की जा सकती कि सरकार एक उच्च संविदाकारी पक्षकार है। उदाहरण के तौर पर जनरल मोटर्स जैसे कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके पास सरकार से भी अधिक निधियां है।

मैं विधि और न्याय मंत्री का ध्यान 'विदेशी पंचाट' शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आप धारा 44 पर दृष्टिपात करें और इसकी तुलना धारा 53 से करें तो आप पायेंगे कि धारा 44 में 11 अक्तूबर, 1960 अथवा उसके पश्चात् किये गये विदेशी पंचाट की बात कही गई है। जबकि धारा 53 में 24 जुलाई, 1924 या उसके पश्चात् किये गये पंचाटों तथा करारों की बात कही गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार के विदेशी पंचाटों की बात कही गई है। जिनमें से एक अक्तूबर, 1960 के बाद किया गया और दूसरा 24 जुलाई, 1924 को या उसके बाद किया गया। अब 24 जुलाई, 1924 के करार या 1960 के करार का हवाला देना, मैं समझता हूं बिल्कुल अनावश्यक है। चूंकि दो समझौतों - जनेवा समझौता और न्यूयार्क समझौता में इसका प्रावधान है, उसी रूप में अंगीकार करने का कोई कारण नहीं है। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 24 जुलाई, 1924 को क्या करार किया गया था। 1924 को बीते अब 70 से अधिक वर्ष हो गये हैं। इस नये कानून के अंतर्गत उस समय किये गये करार को लागू किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के अंतर्गत उन प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है।

कृपया जनेवा कन्वेशन का अनुच्छेद सात भी देखें जो पृष्ठ 30 पर दिया गया है। इस अनुच्छेद का पाठ इस प्रकार है:

"वर्तमान कन्वेंशन के उपबंध संविदाकारी राज्यों, राज्यों द्वारा किये गये माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन के बारे में बहुपक्षीय या द्विपक्षीय करारों की विधि मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न वे किसी हितवद्ध पक्षकार को ऐसे किसी अधिकार से वंचित करेंगे जिससे वह माध्यस्थम् पंचाट से उस देश की जहां ऐसे पंचाट पर निर्भर किया जा रहा है, विधि या संधियों द्वारा अनुज्ञात रीति से और विस्तार तक लाभ उठा सकेगा।"

परिणामत: विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान बोर्डो का गठन किया गया है। विश्व व्यापार संगठन ने एक बहुपक्षीय वाणिज्यिक समझौता किया है और हम चिरकाल से कह रहे हैं कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सार्वभौमिकता के प्रतिकूल है। अब इस खण्ड में प्रावधान है कि यद्यपि जनेवा सम्मेलन में एक माध्यास्थम समझौता किया गया है, यदि कोई ऐसा बहुपक्षीय या द्विपक्षीय समझौता किया जाता है जिसमें विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान बोर्डो को सम्मिलित किया जाता है तो वह उससे लाभ उठा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समझौते के बावजूद यदि वह कोई पेमेन्ट समझौता करता है तो उसे पुन: विश्व व्यापार संगठन की दया पर निर्भर करना पड़ेगा। यदि पक्षकार इस समझौते का पालन करने के लिए सहमत नहीं होते तो उन्हें विश्व व्यापार निगम के विवाद निपटान बोर्ड द्वारा इसे निपटाने का अवसर उपलब्ध होगा जो भारत तथा भारत के व्यापार और वाणिज्य के हितों के प्रतिकूल है।

इसके अतिरिक्त, कुछ चीजें वास्तव में विचित्र हैं। कृपया धारा 36 देखिये। इसका पाठ इस प्रकार है:

> "जहां पंचाट के अन्तर्गत माध्यस्थम पंचाट को खारिज करने के लिए आवेदन करने का समय नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत ऐसी रीति से पृष्ठांकित किया जायेगा जैसे कि यह न्यायालय की एक डिक्री हो।"

यह कैसे यहां ठीक बैठता है?

श्री रंगाकांत डी. खलप : महोदय, क्या मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर सकता हूं? हमने एक शुद्धि जारी की है। आप इसके साथ इसे ठीक तरह पढ़ें। मैं इसे पढ़ता हूं:

> "जहां धारा 34 के अधीन माध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, उक्त आवेदन किये जाने पर उसे नामंजूर कर दिया गया है, वहां पंचाट नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत उसी रीति से पृष्ठांकित किया जायेगा जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री हो।"

यह शुद्धि है।

श्री बलाई चन्द्र राय : यदि इसका यह पाठ है तो फिर ठीक है।

जबकि मैं निश्चित रूप से विधेयक का समर्थन करता हूं, मैं नहीं समझता कि देशीय माध्यस्थम के मामले में विधेयक के अन्तर्गत अपेक्षित तेजी से कार्यवाही की जा सकेगी।

"इस अधिनियम में, जो इंग्लैण्ड के 1931 के अधिनियम पर आधारित है। जिसमें 1979 अधिनियम द्वारा तीन बार संशोधन किया गया, दोष यह है कि माध्यस्थम कार्यवाही देर तक चलती है। इस विधेयक पर गहराई से विचार किया जाना चाहिये और मुझे विश्वास है कि मंत्रालय निश्चित रूप से इस पर गहराई से विचार करेगा और उस प्रावधान को हटा देगा जिसके कारण माध्यस्थम को लम्बा खींचा जा सकता है। पहले न्यायालयों के अन्तरिम आदेश होते हैं, फिर आवेदन होता है, विरोध में शपथ पत्र दिया जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है, सुनवाई आदि की तारीख निर्धारित होती है और फिर उसके विरुद्ध अपील होती है। यह कार्यवाही सालों तक चलती रहती है। अत: गलती को सुधारने के उद्देश्य से विधेयक पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

कुछ अन्य पैराग्राफ भी हैं। खण्ड 25(4) का पाठ इस प्रकार है :

> "यह भाग, धारा 40 की उप-धारा (1), धारा 41 और 43 के सिवाय, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अन्तर्गत प्रत्येक माध्यस्थम पर इस प्रकार लागू होगा जैसे कि माध्यस्थम एक माध्यस्थम करार के अनुसरण में हुआ हो और जैसे कि अन्य विधि माध्यस्थम करार हो सिवाय इसके कि इस भाग के उपबन्ध अन्य कानून अधिनियमित तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये अन्य नियमों के असंगत न हों।"

अत: इस पर विचार किया जाना चाहिये। अधिनियम का एक प्रयोजन है और इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य सराहनीय हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर अधिक गहराई से पुन: विचार किया जाये और इसकी त्रुटियों को सुधारा जाये"

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक के बारे में मुझे कई आपत्तियां हैं। इस बिल की शुरूआत प्रिएम्बल से होती है। सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है लेकिन इस बिल के प्रिएम्बल को अगर देखें तो उसके बारे में अभी यहां जो शब्द रावत जी ने इस बिल को बड़े उत्साह के साथ समर्थन करते हुए इस्तेमाल किए कि एक प्रकार से पाश्चात्य कानूनों का कैरिकचर लेकर हम इस देश में चल रहे हैं, मेरे विचार में यह कैरिकेचर नहीं, बल्कि पाश्चात्य लोगों ने जो भी तय किया, उसी को लेकर चलने का हम लोग फैसला करने जा रहे हैं।

अगर आप प्रिएम्बल को पढ़ें तो उसकी शुरूआत होती है -

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम विषयक स.रा.अं. व्या.वि. आ. आदर्श विधि को अंगीकार किया है;

[हिन्दी]

इसके बाद जितने ब्रेयरएज हैं -

[अनुवाद]

और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिफारिश की है कि सभी देश माध्यस्थम प्रक्रियाओं संबंधी विधि की एकरूपता की वांछनीयता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पद्धति की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त आदर्श विधि पर सम्यक् रूप से विचार करें;

[हिन्दी]

इससे अगला है -

[अनुवाद]

और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने 1980 में सं.रा.अ.व्या.वि.आ. सुलह नियमों को अंगीकार किया है; फिर यह कहा है -

[अनुवाद]

"और संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उन दशाओं में जहां अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में कोई विवाद उद्भूत होता है और पक्षकार सुलह के माध्यम से उस विवाद को सौहार्दपूर्ण निपटारा चाहते हैं, उक्त नियमों के उपयोग की सिफारिश की है;"

[हिन्दी]

उसके बाद कंसीलिएशन की बात आती है -

[अनुवाद]

और उक्त आदर्श विधि और नियमों ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों से उद्भूत होने वाले विवादों के उचित और दक्ष निपटारे के लिए एकीकृत विधिक संरचना की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है;

[हिन्दी]

और अन्त में है -

[अनुवाद]

और यह समीचीन है कि पूर्वोक्त आदर्श विधि और नियमों को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम और सुलह के संबंध में विधि बनाई जाए;

[हिन्दी]

यानी सब कुछ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए जो भी नियम था कानून बनाए, उसे हम स्वीकार कर रहे हैं और उसी के लिये यह विधेयक यहां लाया गया है।

उपाध्यक्ष जी, हम लोगों ने 1940 में जो कानून बनाया था, यह बात सही है कि उसमें अनेक संशोधन हुए और 1988 तक हुए संशोधनों का ब्यौरा यहां है। इसमें सिर्फ इतना ही जिक्र है कि उस कानून को आप रिपील कर रहे हैं, वह कानून खत्म हो रहा है। इसके शोर्ट टाइटल में आपने कहा है -

[अनुवाद]

"देशी माध्यस्थम से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाला विधयेक"

[हिन्दी]

मगर इन दो शब्दों को छोड़कर, एक जगह आप रिपील कर रहे हैं और यहां डॉमैस्टिक आर्बिट्रेशन का जो शब्द जोड़ रहे हैं, उससे आगे जो समूचा कानून आप लाये हैं, पाश्चात्य लोगों ने जो फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया है, उसी को हिन्दुस्तान पर लादने का फैसला आप यहां ले रहे हैं।

यहां किसी ने ठीक ही याद दिलाया कि पूर्व सरकार ने ऐसा फैसला लिया था, वैश्वीकरण की बात को स्वीकार किया था और आज की नई सरकार पूर्व सरकार के लोगों की मदद से अपना काम चला रही है, इसीलिए यह बिल यहां लाया गया है।

उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1980 और 1985 में जो प्रस्ताव या कानूनों का मॉडल संयुक्त राष्ट्र संघ ने या उसके किसी कमीशन ने बनाकर दिया था, उसे कितने राष्ट्रों ने आज तक स्वीकार किया है, कितने राष्ट्रों ने इस आधार पर अपने अपने देशों में कानून बनाए हैं, इसे मंत्री जी स्पष्ट करें। मेरी जानकारी के अनुसार जिन 10 देशों ने इसे स्वीकार किया है, दुनिया के जितने बड़े राष्ट्र हैं, जिनमें अमेरिका इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे हैं, उसके बाद जर्मनी का नम्बर आता है, फिर जापान और यूरोप के देश फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देश आते हैं, जो दुनिया में व्यापार करने वाले सबसे बड़े देश हैं और जिनके विवाद हर देश से होते रहते हैं, उनमें से क्या किसी राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन्स के बनाए हुए नियमों और कानूनों को अपने देश में कानून के तौर पर स्वीकार किया है? मंत्री जी इस बारे में पूरी जानकारी चर्चा का उत्तर देते हुए हमें दें।

दूसरे, हम इस प्रश्न का जवाब भी मंत्री जी से चाहेंगे कि क्या ऐसे भी कुछ देश हैं जिन्होंने अपने अंदरूनी आर्बीट्रेशन के लिए इन नियमों और कानूनों को स्वीकार किया है, इसमें इंटरनेशनल आर्बीट्रेशन की बात अलग है।

उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई एक आदर्श कानून या नियम आपको बनाकर दे दिया और उसको इस सदन के भीतर बहस के लिए लाए तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन अपने देश के भीतर किस प्रकार का आर्बिट्रेशन का नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि विश्व के कितने राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श कानूनों को अपने राष्ट्र के भीतर भी आर्बिट्रेशन के वास्ते स्वीकारा है, कानून बनाया है। स्वीकारा इस मायने में कि कानून बनाकर स्वीकारा है।

इस कानून के कई क्लॉजेज के बारे में हमारे पूर्व माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण इसमें से निकालकर दिखाए जिन पर कुछ परेशानी की बात उन्होंने व्यक्त की। मैं क्लॉज 11 पर मंत्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"किसी राष्ट्रीयता मध्यस्थ हो सकता है जब तक कि अन्यथा पक्षकार सहमत हों"

[हिन्दी]

यहां पर गांव में क्या हो रहा है, छोटे-छोटे लोगों को क्या परेशानी हो रही है, यह सारी चर्चा की। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। यानी कल कोई अमरीकी हम लोगों के यहां आकर आर्बिट्रेटर बन जाएगा। दुनिया के किसी भी मुल्क का आदमी कल यहां आ जाएगा। मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरा विवाद किसी गरीब से है जो मेरे चलते दिवाला निकालकर बैठा है और मैं किसी विदेशी मजबूत आदमी को यहां लाकर बिठाऊंगा जो क्वीन कौंसल है और वह क्वीन कौंसल अपने रुआब से यहां बैठ जाएगा। दुनिया के किसी भी मुल्क का आदमी हमारे देश में आकर ऑर्बिट्रेशन चलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह कानून केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध को लेकर नहीं है। यह तो देश के भीतर के मामलों को लेकर आपने कानून बनाया है। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि 11(1) का मामला क्या है? क्या यह केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को लेकर ही है या यह राष्ट्र के भीतर का मामला भी है? लेकिन अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय है तो आपने यहां यह बात नहीं बताई है कि विदेशी मामलों को लेकर दुनिया के किसी भी देश के आदमी को यहां

पर बुलाकर ऑर्बिट्रेटर करके यहां बिठाएंगे, यह आपने नहीं कहा है।

अब मैं क्लॉज 12 और 13 पर आता हूं। 12 क्या है? अगर आर्बिट्रेटर नियुक्त हो जाता है और व्यक्ति नियुक्त हो जाने के बाद, आप क्लाज 12 देखिए -

[अनुवाद]

12(1) जहां किसी व्यक्ति से किसी मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव किया जाता है वहां वह किसी ऐसी परिस्थिति को लिखित रूप में प्रकट करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाएं उठने की संभावना है।

12(2) कोई मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति के समय से और संपूर्ण माध्यस्थम् कार्यवाहियों के दौरान, विलम्ब के बिना लिखित रूप से पक्षकारों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट "किन्हीं परिस्थितियों को तब प्रकट करेगा जबकि उन्हें उसके द्वारा पहले ही सूचित न कर दिया गया हो।"

इसके पश्चात् उपधारा (3) देखिये जिसमें कहा गया है :

"किसी मध्यस्थ पर केवल तभी आक्षेप किया जा सकेगा, यदि (क) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाओं को उत्पन्न करती हों, या

(ख) वह पक्षकारों द्वारा तय पाई गई अर्हताओं को न रखता हो"

[हिन्दी]

अब यहां चैलेंज हो गया। पहले हमने बता दिया कि मैं बिल्कुल ही साफ-सुथरा हूं, जो विवाद हैं उनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। न उसकी बीवी से, न उसके रिश्तेदार से, न उसके भाई से, न उसकी बहन से, किसी से भी मेरा पारिवारिक, दोस्ताना या व्यापारिक रिश्ता नहीं है। आपने लिखकर दे दिया। फिर पता चला कि रिश्ते हैं, छिपे हैं। हिन्दुस्तान में हम सब जानते हैं कि रिश्ते कब और कैसे निकाले जाते हैं तथा कैसे खोजे जाते हैं। आज अदालतों में कितने मामले पड़े हैं, सी.बी.आई. की जांच हो रही है, यह हम सब जानते हैं। कितनी ना-ना करने के बाद फिर हां-हां हो जाती है। यह सब अनुभव हम लोग करते रहते हैं। अब ना-ना करने के बाद जानकारी आ गई कि यह मामला ना-ना का नहीं है, बल्कि यह हां-हां का मामला है। तो फिर क्या होगा?

अब क्लॉज 13 पर चलिए-

[अनुवाद]

13(1) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए पक्षकार किसी मध्यस्थ पर आक्षेप करने के लिए किसी प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र है।

13(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी करार के असफल होने पर, कोई पक्षकार, जो किसी मध्यस्थ पर आक्षेप करने का आशय रखता है, माध्यस्थम् अधिकरण के गठन की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् या धारा 12 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों से अवगत होने के पश्चात् माध्यस्थम् अधिकरण पर आपत्ति करने के लिए कारणों का लिखित कथन भेजेगा।"

जो मैंने पहले पढ़कर सुनाए।

अब एक आखिरी जुमला पढ़िए। क्लाज तीन पढ़िए-

[अनुवाद]

उप-खंड (3) में कहा गया है :

"जब तक कि वह मध्यस्थ, जिस पर उपधारा (2) के अधीन आक्षेप किया गया है, अपने पद से हट नहीं जाता है, या अन्य पक्षकार आक्षेप से सहमत नहीं हो जाता है, माध्यस्थम् अधिकरण आक्षेप पर विनिश्चय करेगा"

[हिन्दी]

कौन तय करेगा, जिसके बारे में हमने पकड़ा, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी आई कि दूसरी बाजू के साथ रिश्तेदारी है, कहीं न कहीं उनके हाथ मिले हुए हैं। जब उसे पकड़ लिया, तब उसे हटाना है या नहीं, यह भी वहीं व्यक्ति तय करेगा जिसके ऊपर हमने आपत्ति उठाई है। मैं बैठा हूं मैं आर्बिट्रेटर हूं, मेरा दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला हुआ है, बात पकड़ी गई, लेकिन मैं यहां रहूं या न रहूं, यह तय करने वाली कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है। मैं यह तय करूंगा कि मैं यहां बैठा रहूंगा।

[अनुवाद]

उप-धारा (4) में कहा गया है :

"यदि पक्षकारों द्वारा तय पाई गई किसी प्रक्रिया के अधीन या उपधारा (2) के अधीन प्रक्रिया के अधीन कोई आक्षेप सफल नहीं होता है तो माध्यस्थम अधिकरण, माध्यस्थम कार्यवाहियों को चालू रखेगा और माध्यस्थम् पंचाट करेगा।"

[हिन्दी]

तो मैंने चेलेंज किया, आपने कहा कि नहीं, हम बने रहेंगे और बने रहे, और आपने एक बार ऐसा तय किया, तो हम और फंस

गए। क्योंकि मैंने आपकी चोरी पकड़ी, मैंने आपको चुनौती दी, जो चुनौती दिया हुआ व्यक्ति है, आर्बिट्रेशन का मामला है, उसकी अपील कहीं दुनिया में नहीं है। इसके अंदर सारी अपील खत्म कर दी है, तो फिर क्या होगा, जिस व्यक्ति ने चेलेंज किया, उसको इंसाफ भी नहीं दिया और नुकसान भी और होने लगा।

इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस 12 और 13 क्लॉज का क्या अर्थ है। आप इस मुल्क को कहां पहुंचाना चाहते हैं इस इंटरनैशनल स्तर के कानून को आज हिन्दुस्तान में लाकर, जो आपकी नई आर्थिक नीति के चलते हुए और 13 पार्टियों और एक पूंछ की सरकार, जिसको आप सब मिलकर चला रहे हैं, ... **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हमारे मुंशी जी कह रहे हैं कि पूंछ ..... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमारे प्रियरंजन दास मुंशी जी को हमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही।.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यह असंसदीय शब्द नहीं है। यह अच्छा शब्द है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, अब मेरी आपत्ति है, मैं 17 नंबर का क्लाज पढ़ रहा हूं -

[अनुवाद]

खंड 17 में कहा गया है :

"जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, माध्यस्थम अधिकरण, किसी पक्षकार के अनुरोध पर ..... आदेश दे सकेगा।"

[हिन्दी]

अब मैं यहां पर विशेष भार दे रहा हूं 'आर्डर पर'

[अनुवाद]

किसी पक्षकार को संरक्षण का कोई अंतरिम उपाय, जैसा माध्यस्थम् अधिकरण विवाद की विषय वस्तु के संबंध में आवश्यक समझे, करने के लिए ....."

[हिन्दी]

यानी मैं जाता हूं और कहता हूं कि हम अमुक चीज के ऊपर रोक लगाना चाहते हैं या अमुक माल को यहां बनाए रखना चाहते हैं या अमुक चीज को लाना चाहते हैं, तो इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी हैं। इसमें आर्बिट्रेटर सीधा आदेश देगा कि अमुक चीज होनी चाहिए। इसमें मुझे कहीं भी कोई चीज की सुनवाई की बात नजर नहीं आ रही है। मैंने मांग की और आपने आदेश दे दिया।

अब ऐसी स्थिति में मैं आपका ध्यान क्लाज 9 की ओर ले जा रहा हूं। अब क्लाज 9 पढ़िए -

[अनुवाद]

खंड 9 में कहा गया है :

"कोई पक्षकार, माध्यस्थम् कार्यवाहियों से पूर्व या उनके दौरान या माध्यस्थम पंचाट किये जाने के पश्चात् किसी समय किन्तु उसके किसी न्यायालय की डिक्री होने से पूर्व.... न्यायालय को आवेदन कर सकता है ..

[हिन्दी]

यहां अदालत आ गई -

[अनुवाद]

किस लिए?

"..... निम्नलिखित विषयो में किसी भी बाबत संरक्षण के अंतरिम अध्युपाय के किए किसी... और न्यायालय की आदेश करने के लिए वही शक्ति होगी जो उसके पास उसके समक्ष किन्ही कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए और उनके संबंध में होती है, अर्थात् -

(क) किसी माल का, जो माध्यस्थम करार की विषय वस्तु है, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय।

(ख) माध्यस्थम् में विवाद में रकम उपाप्त करना;

(ग) निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण..... "

[हिन्दी]

आदि-आदि। यानी जिस चीज पर भी आपको इंटरिम फैसला चाहिए, उसके बारे में आपने सैक्शन 9 के अंतर्गत अदालत बना रखी है। जब आपने इसमें अदालत की सुविधा बना रखी है, तो मैं इस 17 का अधिकार नहीं समझ पा रहा हूं। यहां आप आर्बिट्रेटर को अधिकार दे रहे हैं कि वह जो चाहे कर सकता है। केवल कहना है कि इससे मुझे आज 10 लाख रुपये दिलवाइए और हम आदेश करेंगे कि आज 10 लाख रुपए दे दीजिए।

इसलिए हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है और यह कैसे किया गया? मैं आपको सैक्शन 31 पर ले जाता हूं क्योंकि मैंने 10 लाख की चर्चा की है।

[अनुवाद]

उस राशि पर जिसका संदाय किये जाने का माध्यस्थम

पंचाट द्वारा निदेश दिय गया है, जब तक कि पंचाट में अन्यथा निदेश ने किया गया हो, पंचाट की तारीख से संदाय किये जाने की तारीख तक, अठारह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संदेय होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, रिजर्व बैंक के कुछ तो नियम हैं कितना पैसा होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान में भी कुछ मैक्सिमम रेट होता है। जब कोई भी सरकार अपने पास बहुत पैसा रखती है तो उसको वापिस करते समय वह कितना ब्याज देती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि एकाएक 18 प्रतिशत कहां आ गया? आपने गांव के लोगों का मामला यहां पर छेड़ा। हिन्दुस्तान में कैसे अभी तक सब मामल बिगड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून अब देश को कैसे उठा रहा है, गांव के लोगों को कैसे न्याय मिल रहा है आदि ये सारी बातें आ गयीं और आप 18 प्रतिशत ब्याज लगायेंगे। दो घरों के बीच में विवाद है, दो भाइयों के बीच में विवाद है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका यहां पर क्या अर्थ है। सवाल मेक्सिमम का नहीं है। अगर आपने एक बार मेक्सिमम लिखकर दे दिया, जहां तक मेरी समझ है कि वे सब यहां पर नहीं है।

[अनुवाद]

"..... जब तक कि अन्यथा पंचाट में निदेश नहीं किया जाता ब्याज लगेगा" मंत्री महोदय अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है। आप मुझे गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप सभा को गुमराह कर रहे हैं, आप मुझे गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।" एक माध्यस्थम पंचाट के आधार पर दी जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा जब तक कि पंचाट में अन्यथा निदेश नहीं किया जाता" अधिकतम निर्धारित नहीं किया गया है। इस पर लगेगा... यह निश्चित है कि ब्याज का भुगतान करना होगा जब कि अन्यथा निदेश नहीं किया गया। अन्यथा निर्णय बीस हो सकता है; यह पच्चीस भी हो सकता है। यह दस नहीं हो सकता है। इस खंड यही अर्थ है।

कोई अधिकतम दर निर्धारित नहीं की गई है। यह 18 प्रतिशत होगी जब तक कि अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता। मेरे मित्र श्री पी. आर. दासमुंशी जैसा मध्यस्थ कह सकता है कि 18 प्रतिशत बहुत अधिक है, मैं बारह प्रतिशत मानूंगा। दूसरी ओर मेरे मित्र श्री वेंकटस्वामी जैसा मध्यस्थ कह सकता है कि नहीं 25 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा'.... यह खुला है। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि यह 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। बहरहाल, 18 प्रतिशत बहुत अधिक राशि है।

[हिन्दी]

इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि यह सब मामला क्या है। यानी हमने इस कानून के जरिये विश्वीकरण को पूरे तौर पर तय किया है। .... **(व्यवधान)** बिल्कुल हो गया है और आपने उसका इतनी खूबी के साथ अध्ययन किया है। हम बहुत परेशान हैं। ..... **(व्यवधान)** हम सचमुच बहुत परेशान हैं लेकिन हम आपको बोलते समय टोकना नहीं चाहते थे।

प्रो. राधा सिंह रावत : मैं नहीं बोला था। हमारे साथी बोले थे। .... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे आवाज आपके जैसे लगी थी।.... **(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, पहले जो माननीय सदस्य बोले थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयार्क कन्वेंशन अवार्ड और जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड की चर्चा यहां पर की। जब हमने इसको पढ़ा तो मेरे मन में यह परेशानी पैदा हो गयी कि यह क्या मामला है। हम लोग 1924 और 1960 की तरफ क्यों जा रहे हैं? कौन लोग हैं जिनके लिए इंतजामी करने का कानून है? यह सवाल गौण नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पिछले 40 साल में भारत सरकार से या हिन्दुस्तान के किसी बड़े व्यापारी से विवाद था। आजादी से पहले अंग्रेजों को हिन्दुस्तान के साथ व्यापार था। ईस्ट इंडिया कंपनी बर्खास्त हो चुकी थी लेकिन कई और कम्पनियां यहां पर काम रही थी। ऐसे कई मामले हैं जिनके लिए इस कानून के अंतर्गत इंतजामी हो रही है। न्यूयार्क कन्वेंशन अवार्ड और जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड, एक 1960 और दूसरा 1924 का, उसको भी इस कानून के अंतर्गत फिर से मंच पर लाने की कोई सोच तो नहीं है। ऐसा मेरे मन में डर है।

मैं न ही किसी पर आक्षेप लगा रहा हूं न ही आरोप कर रहा हूं। लेकिन मेरे मन में जो बात है, उसे सदन के सामने रखना अपना फर्ज समझता हूं। हम समझते हैं कि यह कानून, जिसकी हमने यहां पर इतनी तारीफ सुनी, उस तारीफ के लायक नहीं है। एक, इस कानून में सुधार होना बहुत जरूरी है। दूसरा, देश के भीतर का जो आर्बिट्रेशन का मामला है, उसमें अगर 1940 का यह कानून, मुझे नहीं मालूम कि इस कानून में कौन सी आपत्तियां आ गई, यदि आपको यह आपत्ति नजर आई कि वकील और आर्बिट्रेटर लोग समय खा रहे हैं और उसके चलते बहुत परेशानियां हो रही हैं जैसे प्रिय रंजन दास जी ने भाषण न करते हुए यहां पर कई बार कह दिया। आपने ठीक कहा। लेकिन अदालतों के हर मामले पर वही बात है। क्या हम कल अदालतों को बंद करेंगे? हिन्दुस्तान में मजदूरों का कौन सा मामला है जो 25-30 सालों से अदालतों में नहीं पड़ा है। एक कर्मचारी को रेलवे बोर्ड ऐसे ही निकाल देती है क्योंकि उसको रखना नहीं है। कुछ वजह नहीं है, केवल किसी एक अधिकारी की बेईमानी का बचाना है, छुपाना है। इसलिए किसी को ऐसे ही निकाला जाता है। उसकी जिन्दगी मिट जाने तक उसका अदालत से फैसला नहीं आता है। हम इसका अनुभव कर चुके हैं। हम रेल मंत्री के तौर पर इन चीजों का अनुभव कर चुके हैं। .... **(व्यवधान)** यही तो मैं कह रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं कह

रहा हूं।.... (व्यवधान) इसलिए मैं जानना चाहूंगा, हमारे आर्बिट्रेटर आखिरकार इसी देश की धरती से निकले हुए लोग हैं, सभी उसी गंगा का पानी पीने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्बिट्रेशन का कानून बनाने में हिन्दुस्तान के इंसान की सोच में कौन सा परिवर्तन आने वाला है। व्यक्ति जो वही होगा। इस कानून के अंतर्गत आप देश के भीतर के आर्बिट्रेशन में भी काम करना चाहते हों, व्यक्ति तो वही है। उसमें तो कोई बदलाव आप नहीं ला पा रहे हैं। जो माननीय सदस्य मेरे पहले बोले, उन्होंने इस बात को यहां पर काफी रखा कि अन्ततोगत्वा कौन व्यक्ति इन सारी चीजों को करने वाला है, किसके हाथों में यह सारा काम जाने वाला है बात तो यहीं आकर केन्द्रित हो जाती है। इसलिए यदि हमारा यह अनुभव हो कि इस कानून को चलाते हुए इसके साथ जुड़ी हुई जो भी जमातें हैं, उन लोगों ने समय काटने का, लोगों को तंग करने का, विशेषकर ग्रामीणों को परेशान करने के तौर-तरीकों को अपना लिया तो उसके लिए यह इलाज नहीं है। हमारे जूडीशियल, आर्बिट्रेशन या कन्सीलिएशन की इंतजामी में जो खामियां हैं, उन खामियों पर आप बहस कीजिए। उन खामियों को सुधारने को काम कीजिए।

आज के अखबारों में इमरान खान और इयान बॉथम के बीच में हुए विवाद का लंदन की अदालत का निर्णय आ गया। दस दिन पहले मामला शुरू हुआ, सुनवाई शुरू हो गई और दस दिन में फैसला आ गया। हिन्दुस्तान में वहीं मामला बीस साल चलता। इमरान खान शायद बूढ़ा हो जाता, बॉथम शायद मर जाता, तब तक अदालत में मामला चलता रहता। अमरीका में वहां के सबसे बड़े बाक्सर ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। पन्द्रह दिन में उसकी सारी जांच हो गई, दो महीने में उसको चार साल की सजा हो गई। वह सजा को पूरा करके बाहर आकर फिर किसी हरकत में फंस गया। लेकिन मुकदमे तेजी से करने की जिम्मेदारी अदालतों पर हैं और अदालतों को ठीक ढंग से बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है, संसद के ऊपर है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है - 'थरोइंग द बेबी विद दा बॉथ वाटर' हिन्दुस्तान में वही होता है और आज हम इस कानून के द्वारा भी, मुझे लगता है वही कर रहे हैं कि कुछ खराबियां हैं इसलिए अपने कानून को मिटाओ और विदेशी कानून को ले आओ, देश और विदेश दोनों के मामलों को हल करने के लिए इसी कानून को अपनाओ। मुझे इससे घोर आपत्ति है और इसलिए मैं इस कानून का समर्थन तो नहीं कर सकता लेकिन अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज के तुरंत बाद बोलना बहुत ही कठिन है। लेकिन विधेयक की भावना का स्वागत करना होगा।

महोदय, इस विधेयक की अवधारणा में काफी परिवर्तन हुआ है जैसा कि मैं समझता हूं। 1940 में अधिनियम में केवल मध्यस्थता का प्रावधान था। लेकिन नये विधेयक में कुछ विवादों को सुलह द्वारा निपटाने का भी प्रावधान है। यह पहलू स्वागत योग्य है। विश्व के विकास के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य सामाजिक दायित्वों की पूर्ति से विवादों, मतभेदों, परस्पर विरोधी विचारधाराओं, असहमति आदि को बढ़ावा मिला है।

विधि न्यायालयों के समक्ष अनेक मामले लम्बित हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा गया है, कानूनी कार्यवाही जटिल, टेढी तथा लम्बी होने के कारण पक्षकार एक स्थान पर कभी नहीं मिल सकते और अपनी शिकायतों को दूर नहीं कर सकते। इसके साथ हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिये कि विवादों को शीघ्र हल करने की दृष्टि से हम जल्दबाज़ी में गलत निर्णय न लें, भ्रांति न बढ़ायें और भ्रामक स्थिति पैदा न करें।

इस जटिल विश्व में ऐसे विवादों और परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों तथा मतभेदों को आपसी बातचीत द्वारा हल करना होगा और इस उद्देश्य से सभी संबंधित पक्षकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास करना होगा जहां वे सहमत हो सकें और शिकायतों को तेजी से दूर कर सकें।

मैं खंड 61 के प्रावधान पर बल देना चाहूंगा जो विवादों को सुलह द्वारा हल करने के बारे में है। मेरे मन में एक संदेह पैदा होता है क्योंकि जो सुलह तंत्र का प्रावधान है वह अनिवार्य नहीं है, वह वैकल्पिक है। यदि संबंधित पक्षकार ध्यान नहीं रखेंगे तो यह प्रावधान संभवतया निरर्थक हो जायेगा। मैं शब्दावली को पढ़ूं तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जायेगी।

अपराह्न 5.48 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

> "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय और जब तक कि पक्षकारों ने अन्यथा करार न किया हो, यह भाग विधिक संबंध से, जो चाहे संविदाजात हो या नहीं, उद्भूत विवादों के सुलह को और उससे सम्बंधित सभी कार्यवाहियों को लागू होगा।
>
> यह भाग वहां लागू नहीं होगा जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर कतिपय विवादों को सुलह के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।"

अतः मुझे खंड (दो) के दूसरे भाग पर आपत्ति है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार जो दूसरे से अधिक शक्तिशाली है, जानबूझकर सुलह की कार्यवाही को, जिसके आधार पर विवाद को तेजी से निपटाया जा सकता है, रोक सकता है। निस्संदेह खंड 74 में इसे कुछ कठोर बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें कहा गया है कि सुलह कार्यवाही पूरी होने पर जो निपटारा समझौता किया जायेगा उसका वही प्रभाव तथा महत्व होगा जो एक मध्यस्थ के पंचाट का होता है। लेकिन चुनौती संबंधी अन्य

प्रावधानों की ओर श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ध्यान दिलाया है। इन चुनौतियों का सामना उन लोगों को करना पड़ सकता है जो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। उनके क्षेत्राधिकार, किस रीति से उन्होंने कार्यवाही का संचालन किया है और वे जिस निर्णय पर पहुंचे हैं, आदि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

अत: मेरा निवेदन है कि एक नया कानून बनाने के बाद और वह भी, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों के अनुरूप जो विश्व समुदाय के कानून से प्राय: मेल खाता है और संयुक्त राष्ट्र की आदर्श विधि की नकल मात्र है, मामलों को निपटाने में देर की जा सकती है और उन्हें चिरकाल तक लटकाया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो चाहते हैं कि विवादों को तेजी से निपटाया जाये। मेरा निवेदन है कि इन प्रावधानों की पुनरीक्षा आवश्यक है ताकि इस विधेयक के अधिनियम बनने पर ऐसे सभी विवादों को तेजी से निपटाया जा सके।

इस विधेयक में मुझे कहीं भी ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान दिखाई नहीं दिया जिस में माध्यस्थम समझौते का नमूना दिया गया हो। इससे पक्षकारों के मन में भ्रांति और संदेह उत्पन्न होने की काफी संभावना है। कई बार पक्षकार भ्रांति के कारण गुमराह हो सकता है। उसे माध्यस्थम् कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान है कि पक्षकारों के बीच एक विवाद को भी मध्यस्थम के हवाले किया जा सकता है और यह जरूरी नहीं कि ऐसे समय पर की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा दिया जाये। अत: इसे भी स्पष्ट किया जाये ताकि किसी कार्यवाही के पक्षकार गुमराह न हों अथवा किसी भ्रांति के कारण उन्हें कार्यवाही करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

मेरा विचार है कि सुलह तंत्र के बारे में भी विस्तार से बताने की आवश्यकता है। अब मैं प्रस्तावित मध्यस्थ और ऐसी सुलह कार्यवाही में संलग्न व्यक्तियों की संख्या की ओर आता हूं। निस्संदेह, विधेयक में प्रावधान है कि सुलह कार्यवाही नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट नियमों से आबद्ध नहीं होगी। फिर भी तंत्र को सुचारु रूप से काम करना चाहिये। सुलह तंत्र को एक निश्चित दर्जा प्रदान करना होगा और सुलह तंत्र को कुछ शक्तियां प्रदान करनी होंगी ताकि इस प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। संभवतया, इस सरकार का मुख्य उद्देश्य है... **(व्यवधान)** यह विधेयक पूर्ववर्ती शासन ने तैयार किया था और वर्तमान सरकार मुख्य रूप से बाहरी समर्थन पर निर्भर है। यह स्पष्ट है। वर्तमान सरकार पूर्णतया उन पर निर्भर है।

अत: मुझे विधि मंत्री पर तरस आता है जिन्हें पुरानी वसीयत को चलाना पड़ा और अब वह कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं के अनुदेशों पर प्राय: निर्भर हैं। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही भी इसी का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे थे। उनका कहना था कि यह स्वागत योग्य पहलू हैं, हम सब को इसका समर्थन करना चाहिये। जैसाकि मैंने आरंभ में कहा है, हमें इस विधेयक की भावना को स्वीकार करना होगा और इसका समर्थन करना होगा लेकिन यदि वास्तव में इसे ऐसे विवादों को तेजी से निपटाने के एक तंत्र के रूप में काम करना है तो कुछ प्रावधानों की पुनरीक्षा करना आवश्यक है जिनकी ओर मैं ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है। एक पक्षकार को माध्यस्थम कार्यवाही के लिए जो अदालती कार्यवाही का प्रतिरूप है, बाध्य करने के बजाय सुलह तंत्र पर अधिक बल देना होगा। हम इसके बारे में जानते हैं और हम मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होते हैं और वहां भी हमें कानूनी कार्यवाही की तरह विभिन्न औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है जैसे कथन, प्रतिकथन, शपथपत्र दर्ज कराना, दस्तावेज पेश करना और मांगना, पक्षकारों को बुलाना। मध्यस्थों के समक्ष भी इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ेगी। विवादों को तेजी से निपटाने का यह तरीका नहीं है। अत: मैं पुन: आग्रह करता हूं कि सुलह तंत्र को, जिसका नये विधान में प्रावधान किया जा रहा है, मजबूत किया जाये और संभवतया तभी हम वांछित उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। लेकिन सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिये।

अर्थव्यवस्था के विश्वीकरण से विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं और वे हमारे निवेश संबंधी तथा अन्य मामलों में अधिकाधिक भाग ले रही हैं। वे विद्युत क्षेत्र में आ रही हैं। वे हमारे उपभोक्ता सामान क्षेत्र में भी प्रवेश कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े पैमाने पर हमारे देश में आ रही हैं। इस विधेयक के प्रावधानों से उन्हें भारतीयों को लूटने का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। ऐसा न हो कि हमें इससे और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अत: सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिये। हमारे देश में प्रवेश करने से पूर्व, यहां पर निवेश करने से पूर्व उन्होंने हमें दिखा दिया है कि विवादों को कैसे निपटाया जाना चाहिये। संभवतया उन्होंने यह सोच लिया है कि उनके यहां आने से कुछ विवाद खड़े होना स्वाभाविक है। अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों की पुनरीक्षा करना आवश्यक है। मैं इस पर बल देता हूं और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक के प्रावधानों को सावधानी से पढ़ें। 1940 के अधिनियम को अमल में लाने में पिछले कई वर्षों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए विधेयक के प्रावधानों की पुनरीक्षा करना आवश्यक है।

मंत्री महोदय आवश्यक संशोधन लायें ताकि इन प्रावधानों पर इस सभा में विस्तार से चर्चा की जा सके और हम एक समीचीन विधान बना सकें।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मेरा सुझाव है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए। जैसी कि लीडर्स मीटिंग में बात हुई थी कि आज और कल, दोनों दिन, सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर जो भी

बिल्स हैं और सीटीबीटी के डिसकशन को पूरा कर लिया जाये। इसलिए सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए। इस बिल के पास होने के बाद हम सीटीबीटी पर चर्चा आज ही समाप्त कर सकते हैं। यह लीडर्स मीटिंग में तय हुआ था। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : महोदय, मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं कि ऐसा समझौता नेताओं के बीच में सभा में नहीं हुआ था। मेरा निवेदन यह है कि टैस्ट बैन ट्रीटी अपने आपमें महत्वपूर्ण विषय है और चर्चा वैसे भी फैक्वर्ड हो गई है। इस चर्चा को वैसे भी पहले लिया जाना चाहिए था।

श्री श्रीकान्त जेना : अभी एक ही बिल है।

श्री जसवंत सिंह : एक हो या डेढ़ हो या जितनी भी हो। सदन के हालात आप देख लीजिए। मुझे उसको ब्यान करने की जरूरत नहीं है। यह चर्चा अपने आपमें जरूरी चर्चा है। आप बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, दो-तीन मंत्री महोदय बैठे हुए है, वे स्वीकृति दे दे और कल आप इसको सीधे दो बजे से या ढ़ाई बजे से, फर्स्ट आइटम रख दीजिए और तीन बजे तक इसको पूरा कर दीजिए।

[अनुवाद]

दिन के अन्त में सी. टी. बी. टी पर चर्चा समाप्त करना एक महत्वपूर्ण मसले के साथ न्याय नहीं होगा। मेरा यह मत है

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, हमें कुछ देर और बैठना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : आप देखिए, कल साढ़े तीन बजे पीएमबी है। पिछले सप्ताह का प्राईवेट मैम्बर बीजनेस निर्णय अनुसार बाद में लिया जाएगां। इसका मतलब है कि जो आर्डिनेसेस हैं, वे कल ही पास किए जायेंगे। अगर पास नहीं करेंगे, तो समस्या आ जाएगी। साथ ही सीटीबीटी पर चर्चा आज नहीं करेगें, तो फिर इसको कल पीएमबी खत्म होने के बाद लेना पड़ेगा, नहीं तो सीटीबीटी 26 तारीख को चला जाएगा। इससे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि अभी जो बिल चल रहा है, उसको खत्म करके सीटीबीटी ले लेंगे। लीडर्स मीटिंग में भी यही तय हुआ था कि दो घन्टे आज और कल सदन का समय बढ़ाकर बिलों को पास करने के बाद सीटीबीटी ले लेंगे तथा पीएमबी को पोस्टपोन नहीं करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा कर, आठ बजे तक बैठ कर, बिल पास करने के बाद सीटीबीटी पर चर्चा समाप्त कर सकते हैं। संबंधित मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। यह सीरीयस बिजनेस शुरू हो जाएगा, जसवन्त सिंह जी और जार्ज फर्नान्डीज जी जब सीटीबीटी पर चर्चा करेंगे, तो सब लोग यहां पर आ जायेंगे। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, हम छः बजे के बाद इस विधेयक के पारित होने तक बैठने के लिए सहमत हो गये थे।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, हम इस शर्त पर बैठ सकते हैं कि सी. टी. बी. टी. पर चर्चा आज होगी।

श्री रवेश चेन्नितला(कोट्टायम) : महोदय, सी.टी.बी. टी. पर आज चर्चा होनी चाहिये।

सभापति महोदय : अब हम छः बजे के बाद दो घंटों के लिए बैठने के लिए सहमत होते हैं।

हां, श्री मनोरंजन भक्त।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं ने श्री आई. पी. हजारिका का नाम भेजा है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर): महोदय, मैं विचाराधीन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संसद देश में विधि-निर्माताओं की उच्चतम संस्था है। विधि -निर्माता होने के नाते हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिये। नये कानून बनाने चाहियें और पुराने कानूनों को बेहतरी के लिए बदलना चाहिये। अतः हमें इस मनोवृत्ति का त्याग करना होगा कि कोई भी परिवर्तन खराब है।इस सभा में हमारा विश्वास है कि हर परिवर्तन बेहतरी के लिए होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि हम परिवर्तनों का विरोध करें या कोई कानून बनाने का केवल इसलिए विरोध करें कि यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग जैसी एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा तैयार किये गये नमूने के आधार पर तैयार किया गया है।

कुछ समय पूर्व स्वदेशी-जागरण मंच की सभा में गूंज थी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बाहर की हर चीज जो भी यहां अंगीकार की जाती है खराब है और इसलिए उसका त्याग कर दिया जाना चाहिये। इस अधिनियम के प्रावधान केवल इसलिए दोषपूर्ण नहीं हो जाते कि यह कानून संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के माडल के आधार पर तैयार किया गया है या यह कानून इस सभा में महान कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरःस्थापित किया गया है। यहां इस सभा में नये कानून बनाने के लिए हैं। हमारा काम समय की चुनौतियों के अनुसार कानूनों को बदलना है।

आज हमारे सामने ऐसी स्थिति है जिसमें हमने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लाये हैं। हमने अपनी अर्थव्यवस्था विश्व के सभी देशों के लिए खोलने की नीति अपनाई है। अतः यह आवश्यक और उचित है कि हम अपना माध्यस्थम कानून अंतर्राष्ट्रीय धारणा के अनुसार बदलें। यह एक आवश्यकता है और निस्संदेह आज यह बहुत आवश्यक है।

मैंने अपने जीवन काल में कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को अन्तिम रूप दिया है। मैंने देखा है कि विदेशी पक्षकारों ने अनिवार्य रूप से विकसित देशों ने ही नहीं, अपितु अविकसित देशों ने भी हमारी विधि प्रणाली के बारे में आशंका व्यक्त की है। उन्होंने इसके बारे में केवल इसलिए संदेह व्यक्त नहीं किया कि इसमें समय लगता है अपितु कई मामलों में वे महसूस करते हैं कि स्थिति भ्रांतिपूर्ण है और अधिक पारदर्शी नहीं है। मैंने जो सौदे किये उनमें मैंने देखा कि यदि किसी चीज की कीमत 100 डालर प्रति टन है और यदि हम किसी आपूर्तिकर्ता को एक संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का फैसला भारत में करने के लिए बाध्य करते हैं तो हमें एक या दो डालर अधिक का भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन यदि हम विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर, पेरिस का हस्तक्षेप स्वीकार करते हैं या नौवहन के मामले में लंदन अधिकारिता, बाल्टिक क्लब माध्यस्थम आदि स्वीकार करते हैं तो आपूर्तिकर्ता हमें बेहतर शर्तों पर माल की पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार बड़ी परियोजनाओं के मामले में भी हमने बार-बार देखा है कि विवादों को निपटाने सम्बंधी खंड से सदैव समस्यायें ही पैदा होती हैं क्योंकि अनेकों विदेशी अनिवार्य रूप से पश्चिम से या विकसित देशों से नहीं सदैव आपस में स्वीकार्य विवादों की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए ही तैयार होते हैं। हमने डाभोल विद्युत परियोजना संबंधी हाल के एनरान समझौते में देखा है कि उनकी भी मांग थी कि विवादों का फैसला लंदन के न्यायालयों में हो और तब हम सभी ने महसूस किया था कि यह हमारे देश हमारी न्यायिक प्रणाली और निस्संदेह हमारी गौरवशाली न्यायिक हिरासत का अपमान है। लेकिन सचाई सचाई है और यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश, में विदेशी निवेश आये तो हमें राष्ट्रीय गर्व को भूलना होगा। हमें आज के विश्व की वास्तविकताओं को स्वीकार करना होगा और उनसे समझौता करना होगा। उदाहरण के तौर पर कृपया देखें कि हमारे बिजली क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगले 15 वर्षों में हमारे 100 हजार मैगावाट अधिक बिजली का उत्पादन करना होगा या देश में विद्युत प्रजनन क्षमता 80,000 से 90,000 मैगावाट बढ़ानी होगी इस पर 4,00,000 करोड़ रूपये का निवेश करना होगा। यह आशा करना कि इस अवधि के दौरान अपने संसाधनों से इतनी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकेंगे हास्यास्पद होगा।

आज की सभ्यता में बिजली भी उतनी जरूरी है जितनी पानी और खाना। हम बिजली के बिना गुजारा नहीं कर सकते। अत: यदि हमें एक देश के रूप में जिन्दा रहने के लिए बिजली की व्यवस्था करनी है तो हमें विदेशी निवेश को आमंत्रित करना होगा। यदि हमने उचित शर्तों पर विदेशी निवेश आकर्षित करना है तो हमें विवादों को निपटाने की ऐसी प्रक्रिया स्वीकार करनी होगी जो धन देने वाले लोगों को स्वीकार्य हो। हम उन्हें अपनी शर्तें मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अत: यह स्थिति अथवा समय की मजबूरी है। यदि हम अनुचित उग्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित होकर विदेशी निवेशकों की न्याय संगत मांगों को नहीं मानते तो हम विदेशों से निवेश आकर्षित नहीं कर पायेंगे।

इस विधि के द्वारा वर्तमान माध्यस्थम विधि के कई पहलुओं में सुधार किया जा रहा है। इस विधि में जो एक बहुत अच्छी चीज की गई है वह है सुलह संबंधी विधान जिससे इस देश के न्यायालयों के लिए काम बहुत आसान हो जायेगा। इसी प्रकार एक डिक्री को लीजिये। हमें पहले माध्यस्थम के पश्चात् डिक्री निष्पादित कराने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता था। इसकी अपनी समस्यायें थीं। आज बदले हुए कानून के अंतर्गत पंचाट ही एक डिक्री होगा और इसे सीधे निष्पादित किया जा सकेगा।

इसी प्रकार पहले मध्यस्थों की अपनी कई समस्यायें थीं। आज इस विधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत हम मध्यस्थों की आजादी या निष्पक्षता को चुनौती दे सकते हैं इस प्रकार का प्रावधान पहले नहीं था।

इस विधेयक के बहुत से पहलू ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती विधान की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतर हैं। इस विधान द्वारा तीन अधिनियमों का निरसन किया गया है जो माध्यस्थम् का आधार थे। विद्यमान कानून की सभी अच्छी बातें इस विधान में सम्मिलित की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने समस्याओं को गहराई से अध्ययन करके काफी काम किया है। उन्होंने एक आदर्श विधान तैयार किया है। यह अच्छा है और मैं सरकार को- वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार को, मेरी पार्टी की सरकार को- यह आदर्श विधान अंगीकार करने और पहले अध्यादेश तथा अब यह विधान लाने के लिए बधाई देता हूं। किंतु इस विधेयक में और सुधार करने के लिए कुछ पहलुओं पर आगे विचार करने की आवश्यकता है।

धारा 34 का उदाहरण लीजिये। इसमें कतिपय विशिष्ट आधारों पर माध्यस्थम पंचाट रद्द करने का प्रावधान है। इसमें माध्यस्थम समझौता मान्य न होने अथवा पक्षकार को सही सूचना दिये जाने तथा कुछ प्रक्रियात्मक अथवा तकनीकी आधार शामिल हैं। लेकिन विधि का कोई मुद्दा अंतर्ग्रस्त होने की स्थिति में माध्यस्थम पंचाट को रद्द करने का प्रावधान नहीं किया गया है। यह कानून संयुक्त राष्ट्र संगठन के अलावा व्यापारी समुदाय तथा ऐसे विवादों से संबंधित पेशावर लोगों की मांग पर आया है। वे सभी महसूस करते हैं कि यदि कोई कानूनी मुद्दा हो तो माध्यस्थम पंचाट को चुनौती देने, उसके विरुद्ध अपील करने या उसे रद्द करने का कोई प्रावधान होना चाहिये। इसका कारण यह है कि प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत जो मध्यस्थ बनेंगे उनमें से अनेकों वकील न होकर तकनीकी व्यक्ति, उद्योगपति और व्यवसायी होंगे। अत: उनके द्वारा कानूनी गलती होना स्वाभाविक है। वे जो फैसला करते हैं जरूरी नहीं कि वह विद्यमान विधि का प्रवृत्त विधि के पूर्णतया अनुरूप है। अत: जहां कोई विधि का प्रश्न

अंतर्ग्रस्त हो वहां माध्यस्थम पंचाट को रद्द करने का कोई प्रावधान होना चाहिये। मुझे पता चला है कि इंग्लैंड की माध्यस्थम विधि में ऐसा प्रावधान है।

दूसरे, धारा 11 में कुछ परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्या न्यायाधीश और वाणिज्यिक विवादों के अन्य माध्यस्थम विवादों में राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को दी गई है। अनेक मामलों में उच्च न्यायालयों ने आगे निचले या अधीनस्थ न्यायालयों को इन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए अपने निजी नियम बनाये हैं।

अब इसमें कई बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मंशा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रत्यायोजित शक्तियों का आगे अधीनस्थ न्यायालयों को प्रत्यायोजन किया जा सके। इस विशेष मामले में हम महसूस करते हैं कि यदि मुख्य न्यायाधीश अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहते तो वे अपनी ओर से काम करने के लिए देश में विद्यमान माध्यस्थम संगठन मनोनीत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति होनी चाहिये और भारतीय माध्यस्थम परिषद या भारतीय माध्यस्थम सोसाइटी जैसे कुछ संगठनों को मान्यता देने के लिए सरकार को नियम बनाने चाहियें। ऐसी कुछ संस्थायें हाल ही में देश में अस्तित्व में आई हैं। वाणिज्य चैम्बरों को ऐसी शक्तियां देने पर भी विचार किया जा सकता है।

इस कानून में एक और चीज़ का भी उल्लेख नहीं है और वह है चिरकाल से न्यायालयों में लम्बित वाणिज्यिक विवाद। इस विधि में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिये था जिसके अन्तर्गत चिरकाल से लम्बित विवादों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए माध्यस्थम संगठनों को सौंपा जा सके। उस स्थिति में माध्यस्थम संगठन विधि के इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं और बहुत कम समय में विवादों को हल कर सकते हैं क्योंकि उन्हें खंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना पड़ेगा।

जहां तक सुलह संबंधी प्रावधानों का संबंध है, यह न्यायालयों में मुकदमेंबाजी कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन धारा 64(2) में प्रावधान है कि पक्षकार एक सुलह अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में उपयुक्त संस्थाओं या व्यक्तियों की सहायता ले सकते हैं। उस स्थिति में पक्षकार ऐसी संस्था से अनुरोध कर सकता है कि वह सुलह अधिकारी के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति के नाम की सिफारिश करे। ऐसी संस्था को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। सरकार की ऐसी माध्यस्थम संस्थाओं को मान्यता देने की कोई नीति होगी तो बहुत से विश्वसनीय और प्रतिष्ठित संगठन, जिनके पास श्रेष्ठ न्यायविद हैं, बन जायेंगे और वे वाणिज्यिक विवादों के निर्णय के मामले में न्यायालयों के बोझ को काफी हद तक कम कर सकेंगे।

अंत में मैं धारा 31 के एक खंड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें प्रावधान है कि माध्यस्थम पंचाटों में ब्याज, मुकदमे की लागत, शुल्क आदि के बारे में फैसला दिया जायेगा लेकिन माध्यस्थम में भी व्यर्थ मुकदमे बाजी या बदले की मुकदमेबाजी को विरुत्साहित करने के लिए, मैं समझता हूं, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान सम्मिलित किये जाने चाहिये जिनके अन्तर्गत तुच्छ कारणों से विवाद उठाने वाले या गलत उद्देश्यों से प्रेरित होकर ऐसे विवाद, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, उठाने वाले पर जुर्माना लगाया जा सके।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं उन चीजों का हवाला देना चाहता हूं जिनका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने एक विशेष मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को एक पक्षकार द्वारा दी गई चुनौती का फैसला करने के लिए माध्यस्थम न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव देते हुए किया है। यह कहना सही नहीं है कि मध्यस्थ ही अपने बारे में फैसला करेगा। मध्यस्थ दोनों स्वयं अपराधी और स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। यह नहीं भूलना चाहिये कि दो मध्यस्थ होते हैं और एक पंच भी हो सकता है जिसकी नियुक्ति विवादग्रस्त दो पक्षकारों द्वारा की जायेगी और वे सभी मिलकर विवाद का फैसला करेंगे। अत: यह कहना सही नहीं है कि जिस व्यक्ति को चुनौती दी जायेगी वही सभी मामलों में फैसला करेगा। यह कहा गया है कि मध्यस्थों को निरंकुश शक्तियां दी गई है। जैसा कि पहले कहा गया है, एक मध्यस्थ नहीं अपितु, एक से अधिक मध्यस्थ मध्यस्थ की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर की गई आपत्तियों के बारे में फैसला लेंगे। अत: ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिये कि इस संबंध में मध्यस्थों को निरंकुश शक्तियां दी गई हैं।

जहां तक ब्याज दर तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, यह वर्तमान प्रक्रिया पर आधारित है। इस समय अधिकांश वाणिज्यिक विवादों में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।

यदि कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया जाता तो वे स्थिति के अनुसार ब्याज की दर बढ़ा या कम कर सकते हैं और इससे कुछ भ्रांतियां पैदा होती हैं और सम्बन्धित पक्षकारों के मन में कुछ संदेह पैदा होते हैं। अत: यह काफी प्रशंसनीय है कि विधेयक में फिलहाल एक निश्चित 18 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई है। समय समय पर इसे बदलना आवश्यक हो सकता है लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान ब्याज ढांचे को ध्यान में रखते हुए विधेयक में यह एक प्रशंसनीय प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूं विधेयक में ही 18 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर का प्रावधान करने में कोई कठिनाई नहीं है।

इसके साथ मैं एक बार फिर विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं इस सभा में पहली बार इस ग्यारहवीं लोक सभा में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि इस ग्यारहवीं लोक सभा का काम इस लोक सभा के अस्तित्व में आने से पूर्व पारित सभी अध्यादेशों का अनुसमर्थन करना है। यदि वर्तमान प्रथा जारी रही तो संभवतया हमें विगत में जारी किये गये विभिन्न अध्यादेशों के बारे में फैसला करना होगा। इस समय बहुत से विधेयक लम्बित हैं और हो सकता है उन्हें अब पारित न किया जा सके। अत: संभवतया जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होगा तो इन सभी विधेयकों को अध्यादेशों के माध्यम से लागू किया जायेगा और हमें अगली बार पुन: उनपर विचार करना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि इन अध्यादेशों को पारित करना आवश्यक है क्योंकि ये पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

मेरे प्रिय मित्र श्री रमाकांत खलप को उन बच्चों का पालन-पोषण करना है जो अध्यादेशों के माध्यम से मजबूरन जन्म लेते हैं और उनकी पूरी देखभाल करनी है और मुझे विश्वास है कि वह इस कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज़ ने कहा है, उन्हें बच्चे को नहाने के पानी के साथ फैंकना नहीं है अपितु उन्हें उस बच्चे की देखभाल करनी है जो उसका अपना नहीं है।

मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि चूंकि अब भारत विश्व की अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहा है, कुछ ऐसे जटिल सौदे करने पड़ रहे हैं जिन के लिए विधान बनाना आवश्यक है। 1940 में पहली बार जब ऐसा कानून बनाया गया था तब ऐसे सौदों की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अत: यह स्पष्ट है कि यह विधेयक जटिल स्थितियों से निपटने के लिए लाया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जब जटिल वाणिज्यिक सौदों से निपटने के उद्देश्य से विधान लाया गया है तो विधान भी जटिल हो और कई कारणों से समझ से बाहर हो।

मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया गया था और अब यह विधेयक लाया गया है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। एक मूल चीज़, जिसके लिए ऐसा विधेयक वास्तव में लाया जाना चाहिये, न्याय में विलम्ब को कम करना है। कहीं भी यहां तक कि उद्देश्यों के कथन में भी यह नहीं कहा गया है कि यह अध्यादेश पहले जारी करने का उद्देश्य यह था। यदि ऐसा नहीं है तो नया विधान लाने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि हमारी न्यायिक प्रणाली में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के सौदों से निपटने का प्रावधान है। उद्देश्य खण्ड में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा विधि के वास्तविक प्रावधानों में भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि कितने समय में माध्यस्थम को सौंपे गये विवादों का फैसला किया जायेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि इस कानून के लागू होने से विवादों को निपटाने में अधिक विलम्ब होगा क्योंकि पहले मामलों को पहले माध्यस्थम को सौंपने और फिर सामान्य न्यायिक प्रणाली अपनाने की प्रवृत्ति रहेगी। अत: ऐसे मामलों को निपटाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक था। लेकिन विचाराधीन विधेयक में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है।

ऐसा कोई भी विवाद विशेष रूप से वाणिज्यिक सौदे सम्बन्धी विवाद न्याय निर्णय के लिए सौंपा जाता है क्योंकि सौदे के पक्षकार किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद को स्वयं पक्षकार नहीं निपटा सकते जिससे ऐसे विवाद को माध्यस्थम के लिए सौंपा जाता है। प्रत्येक पक्ष अपना निजी मध्यस्थ नियुक्त करेगा और चूंकि इन मध्यस्थों की उन पक्षकारों के प्रतिनिष्ठा होगी जिन्होंने उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया है, उनका विवाद के बारे में मतभेद बरकरार रहेगा। यही कारण है कि 1940 के माध्यस्थम अधिनियम में पंच का प्रावधान किया गया था।

निस्संदेह पीठासीन अधिकारी का उल्लेख है लेकिन इस विशेष कानून में पंच का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। धारा 10(1) के अन्तर्गत, जहां मध्यस्थ नियुक्त करने की बात कही गई है, केवल पीठासीन अधिकारियों का उल्लेख है, पंच का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अभाव में यह संभव है कि पक्षकारों के बीच विवाद हल न हों, मध्यस्थ भी आपस में लड़ते रहें और विवादों का समाधान न कर सकें जिसके लिए यह तंत्र बनाया गया है।

हमारा एक इतिहास है। हमने विगत में कुछ कानून बनाये थे लेकिन हमने उन्हें जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं किया। मेरी समझ में यह नहीं आता कि अब 1996 में जब यह समझा जा रहा है कि जम्मू और काश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और अनेकों नई चीजें हो रही हैं, तो ऐसा कानून जम्मू और काश्मीर में लागू क्यों न किया जाये जो देश का अभिन्न अंग है? जहां तक वाणिज्यिक लेनदेनों का सम्बन्ध है, क्या इसका अर्थ यह है कि हम भारत में विवादों का समाधान नहीं करेंगे और विदेशी निवेशक जो इस देश में आना पसन्द करेंगे, चैन की सांस लेंगे जब ऐसे विवादों को माध्यस्थम कार्यवाही के लिए सौंपा जा सकेगा? इसका अर्थ यह है कि हम नहीं चाहते कि जम्मू और काश्मीर में कोई विदेशी निवेश हो। क्या इसका अर्थ यह है कि इस प्रावधान को जम्मू और काश्मीर पर लागू करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में, मुझे विश्वास है, मंत्री महोदय हमें अपने उत्तर के दौरान जानकारी देने की कृपा करेंगे।

महोदय, इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण चीज़ का उल्लेख नहीं है और वह है एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अर्हता। महोदय, मध्यस्थ को अनेक शक्तियां दी गई हैं। निचली अदालत में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्हताएं निर्धारित की

गई है। लेकिन जहां तक एक मध्यस्थ की नियुक्ति का सम्बन्ध है, एक मध्यस्थ की क्या अर्हता हो इस का फैसला हम माध्यस्थम के पक्षकारों पर छोड़ रहे हैं। साथ ही हम कतिपय मामलों में मध्यस्थम की नियुक्ति करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दे रहे हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश किस आधार पर अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और यह निर्णय करेंगे कि कौन मध्यस्थ बनने के योग्य है जबकि विधि में ही इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता? इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये कि मध्यस्थ बनने के योग्य कौन होगा। एक मध्यस्थ के रूप में एक विदेशी की नियुक्ति करने का भी प्रावधान है। जब एक विदेशी मध्यस्थ बन सकता है तो एक न्यायाधीश के लिए उसकी अर्हताएं जानना संभव नहीं होगा। उसे उसका विवरण प्राप्त करना होगा। अत: अर्हता के लिए विशिष्ट प्रावधान करना आवश्यक है। तभी इस समस्या को हल किया जा सकेगा।

महोदय, एक विदेशी मध्यस्थ को शुल्क का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आय कर अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा करके इस शुल्क का भुगतान किया जा सकता है क्योंकि आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि कोई विदेशी तकनीशियन देश में किस प्रकार नियुक्त होगा, उसको भुगतान कैसे किया जायेगा, किन शर्तों पर ऐसे परिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है और कितने परिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि एक विदेशी मध्यस्थ पर यह कानून लागू नहीं होगा या इस अधिनियम के रहते उस विधि के प्रावधान लागू नहीं होंगे अथवा हमें इसके परिणामस्वरूप पुन: मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा।

महोदय, एक प्रावधान में यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थ का चयन करने के मामले में मुख्य न्यायाधीश एक तटस्थ देश के किसी व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। महोदय, यह अच्छा प्रावधान है। हम अपनी क्रिकेट के मामले में इसका पहले ही पालन कर रहे हैं। जब पाकिस्तान और भारत खेलते हैं तो हम वेस्ट इन्डीज तथा इंग्लैण्ड के अमपायर नियुक्त करते है। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्य न्यायाधीश कैसे और किस आधार पर विभिन्न देशों में तटस्थ पंचों की नियुक्ति करेंगे, ऐसी नियुक्तियां करने के लिए किन औपचारिकताओं का पालन करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला है लेकिन विधेयक में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदय, मेरा एक और प्रश्न है और इसका सम्बन्ध ऐसे मुद्दे से है जो पूर्व वक्ताओं द्वारा पहले उठाया जा चुका है। यह 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी के बारे में है। इस समय विद्यमान बाज़ार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 18 प्रतिशत की दर काफी संगीन है। विशेष रूप से इसलिए कि इस समय सरकार 13 से 14 प्रतिशत की दर से ऋण लेती है। वाणिज्यिक सौदे 18 प्रतिशत पर हो रहे हैं। सरकार 14 प्रतिशत की दर से ऋण लेती हैं तो उसे समझदार कहा जायेगा। लेकिन वित्त मंत्री का भाषण सुनने के बाद हम निश्चित रूप से यह महसूस करते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है और उस स्थिति में जब तक यह विधेयक पारित होता है और राष्ट्रपति इसे अपनी सहमति देते हैं, तब तक मुझे विश्वास है देश में ब्याज की दरें कम हो जायेंगी। बहरहाल, पश्चिमी देशों में इस समय ब्याज की दरें 4 से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अत: अच्छा यह होगा कि कोई व्यवसायिक सौदा न किया जाये अपितु कोई ठेका किया जाये और फिर माध्यस्थम की मांग की जाये और 18 प्रतिशत ब्याज की दर से हर्जाना मांगा जाये। व्यवसाय की दृष्टि से ऐसा करना बेहतर होगा। अत: ब्याज की दर किसी विशेष आंकड़े से जोड़ने की आवश्यकता है। इसे बैंक दर से जोड़ना बेहतर होगा। इसे 'लिबोर' से भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय सौदों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

इसे किसी आंकड़े से जोड़ना आवश्यक है क्योंकि यह 18 प्रतिशत नहीं हो सकता। जैसा कि मेरे एक मित्र ने पहले कहा है, ब्याज की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने या 15 प्रतिशत से 13 प्रतिशत करने या 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत बढ़ाने के लिए संशोधन लाने या अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ऐसे अध्यादेशों से बचा जा सकता है। इस 18 प्रतिशत ब्याज दर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किसी मापदण्ड से जोड़ दिया जाता है तो अध्यादेश का अनुसमर्थन करने के लिए स्वलप जी को नया विधेयक पुन: लाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा।

महोदय, अंग्रेजों तथा लातीनी भाषा ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को बढ़ावा देने में जो सराहनीय योगदान किया है उसे मैं समझता हूं। जब हमने अपने कानून लिखे तो हमें लतीनी भाषा के कई वाक्यांशों का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यही भाषा समझी जाती थी। लेकिन अब जब हम 1996 में कानून बना रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमारे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिनका लातीनी वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किया जा सके? क्या यह हमारी प्रणाली की असफलता है? हमें लातीनी भाषा का प्रयोग क्यों करना पड़ता है? हम जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्री स्तर पर ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। हम अपने वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते थे और यह कह सकते थे कि यह उसी का पर्यायवाची है या इसका वही अर्थ है। लेकिन हम 1996 में भी उसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। हम सदैव कहते हैं कि हमारे देश में अब अधिक निवेश होने की संभावना है क्योंकि हमारी न्यायिक प्रणाली बेहतर है। चीन में कोई न्यायिक प्रणाली नहीं है लेकिन वहां भारत से प्राय: बीस गुणा 'विदेशी सीधा निवेश' होता है और चीन में निश्चित रूप से इस तरह के माध्यस्थयम कानून नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि चीन ऐसा कानून बनाता है तो वह ऐसी शब्दावली का प्रयोग

नहीं करेगा और निश्चित रूप से अपनी स्वदेशी कानूनी भाषा का प्रयोग करेगा।

महोदय, खण्ड 37(1) के प्रावधान कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं समझना चाहूंगा। इसका पाठ इस प्रकार है :

"अपीलनीय आदेश : निम्नलिखित आदेशों की कोई अपील उस न्यायालय में होगी जो आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल डिक्रियों की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत हो,

अर्थात् : - "

क्या इसका अर्थ यह है कि हमें इसकी सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय बनाना पड़ेगा या वही न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा? "विधि द्वारा प्राधिकृत" का वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह इस बारे में है कि हमारा क्षेत्राधिकार क्या होगा?" इसका ठीक ठीक क्या अर्थ है? संभवतया इसे पुन: स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू खण्ड 38(1) में है। इसका पाठ इस प्रकार है :

> "माध्यस्थम अधिकरण, धारा 31 की उप-धारा(8) में निर्दिष्ट खर्च के लिए अग्रिम के रूप में, यथा स्थिति, निक्षेप या अनुपूरक निक्षेप की रकम नियत कर सकेगा, जिसकी वह उसे प्रस्तुत दावे की बाबत, उपागत होने की प्रत्याशा करता है।"

जहां तक निक्षेपों का सम्बन्ध है, हमारे मित्र ने डाभोल विद्युत निगम के लेनदेन का हवाला दिया है। यह सौदा कुल 3,000 करोड़ रूपये का है। न्यायालय यह निर्देश देता भी है कि यह इस राशि के पांच प्रतिशत के बराबर जमा करे तो यह निक्षेप केवल 150 करोड़ रूपये का होगा। इन विशेष मध्यस्थों पर इस प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता। वे इस प्रकार की किसी न्यायिक प्रणाली के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह 150 करोड़ रूपये की राशि कौन रखेगा? 150 करोड़ रूपये के इस राशि के लिए प्रतिभूति क्या है? हो सकता है कि समझौते के पक्षकारों को मध्यस्थ से इस धन की वसूली के लिए न्यायालय जाना पड़े। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि हम उन्हें कानूनी तौर पर निक्षेप एकत्र करने के लिए कह रहे हैं और यह राशि वे एकत्र करेंगे। और न्यायालय के रूप में अपने पास रखेंगे। अत: क्या गारंटी है और किस आधार पर यह राशि सुरक्षित रखी जा सकती है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सही ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है हमें यह विषय स्पष्ट किया जायेगा।

मैं मोटे तौर पर दो बातें कहूंगा। यह इस विशेष विधान की है। यद्यपि इस विधान का उद्देश्य विलम्ब कम करना है, वास्तव में इसके परिणामस्वरूप अधिक विलम्ब हो सकता है। साक्ष्य अधिनियम माध्यस्थम कार्यवाही के मामले में लागू नहीं होगा। लेकिन साक्ष्य एकत्र करने के लिए कोई व्यक्ति धारा 27 के अन्तर्गत न्यायालय जा सकता है। अत: वास्तव में हम एक ओर यह कह रहे हैं कि ये विशेष मध्यस्थ ऐसे तरीके से काम कर सकेंगे जिस तरीके से माध्यस्थम के पक्षकार चाहेंगे या मध्यस्थ स्वयं चाहेंगे। साक्ष्य एकत्र करने या कार्यवाही की भाषा के बारे में भी वे स्वयं फैसला कर सकेंगे। एक ओर हम कह रहे हैं कि किसी मुद्दे को लेकर वे न्यायालय जा सकते हैं। अत: इस से भी विलम्ब होगा। धारा 14(2) का प्रावधान भी ऐसा है कि इससे विलम्ब की समस्या का समाधान होने की बजाय विलम्ब अधिक होगा।

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि खण्ड (क) में उल्लिखित किसी बात पर विवाद रहता है अर्थात यदि मध्यस्थ वास्तविक कारण से या कानूनी कारण से असमर्थ हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। लेकिन यदि विवाद रहता है तो क्या होगा? महोदय, आप जानते हैं कि भारत में किसी बात पर और हर बात पर विवाद हो सकता है। अत: इस बात की काफी संभावना है कि प्रत्येक नियुक्ति पर विवाद होगा और यह पहलू पुन: न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अत: इससे विलम्ब ही होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस खण्ड की शब्दावली बदलने या इसका प्रारूप पुन: तैयार करने की आवश्यकता है। तभी यह समस्या दूर होगी।

इस विधेयक के कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं। मैं उनका संक्षेप में उल्लेख करूंगा। पहला तो खण्ड 13(2) है जिसमें कहा गया है कि एक मध्यस्थ की असमर्थता के बारे में जानकारी होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर माध्यस्थम के पक्षकार को न्यायालय जाना होगा। यह किस आधार पर किया जायेगा? यह तो एक तरह से समय पर पाबन्दी है। यदि एक पक्षकार 16 वें दिन न्यायालय में जाता है तो इसी आधार पर उसकी अपील अस्वीकार की जा सकती है। अत: हमें किस आधार पर 15 दिनों की अवधि की गणना करनी चाहिये? यह अवधि कब से शुरू होगी? इसमें निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अत: इस अस्पष्टता के कारण विलम्ब हो सकता है।

मैं केवल एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो खण्ड 31(8) के बारे में है। इस में कहा गया है कि माध्यस्थम की लागत के बारे में मध्यस्थ निर्णय दे सकेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं, माध्यस्थम के पक्षकार होते हैं जो विदेशी भी हो सकते हैं। अत: यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में मध्यस्थ द्वारा जो जुर्माना लगाया जायेगा उसका कई बार विदेशी मुद्राओं में भी भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, धन के दूसरे देशों में प्रत्यावर्तन के बारे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधान क्या हैं? क्या यह अधिनियम भी लागू होगा या इससे उसके प्रावधान निष्प्रभावी हो जायेंगे? यदि नहीं तो इससे समस्या का समाधान होने की बजाय गलतफहमी बढ़ेगी।

अन्त में मैं खण्ड 34(2) (ख) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसमें किसी पंचाट की बात कही गई है। यदि यह सरकारी नीति के विरुद्ध होता है, तो इसका खण्डन किया जा सकता है। हमने इस विधेयक के उद्देश्यों में भी कहा है कि चूंकि देश में कोई सामान्य विधि विद्यमान नहीं है, हम इस प्रकार का विधेयक लाने का प्रयास कर रहे है। सार्वजनिक नीति जैसा विषय विवाद्य है। किस आधार पर यह सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल है? इसे ठीक ढंग से समझना कठिन है और इससे समस्या का समाधान होने की बजाय समस्या और अधिक उलझ जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पूना नी): सभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से देश की माध्यस्थम विधि में काफी परिवर्तन किया जा रहा है। इसके द्वारा हमारे कम से कम तीन अधिनियमों में अन्तर्विष्ट माध्यस्थम विधि का समेकन तथा संशोधन किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा जो अनुचित समेकन किया जा रहा है उस पर मुझे आपत्ति है। विधेयक दोनों देशीय माध्यस्थम तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पर लागू होता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन देशों को अलग रखा जाना चाहिये था। अन्यथा कम से कम देशीय माध्यस्थम के मामले में भ्रांतियां और तकलीफें होना आवश्यंभावी है।

हम संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित आदर्श विधि पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि इस आदर्श विधि में भी, जिसका इस विधेयक में उल्लेख है, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम का विस्तार सीमित करने की बात कही गई है। मैं मंत्री महोदय तथा इस सभा का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम संबंधी आदर्श विधि के अनुच्छेदों की ओर आकर्षित करता हूं जिसकी हम नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अनुच्छेद 1 के अनुसार इस विधि का विस्तार क्षेत्र इस प्रकार होगा :

> "यह विधि इस राज्य अथवा किसी अन्य राज्य या राज्यों के बीच लागू किसी करार के अध्याधीन अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पर लागू होगी।"

अब हम इस विदेशी माध्यस्थम विधि पर इतने अनुरक्त हैं कि हम इसे राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी लागू करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस विदेशी विधि पर इतने अनुरक्त हैं कि हम गांवों में जाकर ग्रामीणों को भी बताना चाहते हैं, "संयुक्त राष्ट्र में बना कानून है।" अन्तर्राष्ट्रीय माडल में भी इस आशय का प्रस्ताव नहीं किया गया है। मुझे खेद है, मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि मुहावरा है, हम राजा से भी अधिक वफादार होने का प्रयास कर रहे है और इस मामले में हम अन्तर्राष्ट्रीय माडल से भी अधिक निष्ठावान होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामने कई उलझनें आयेंगी और यह आवश्यक है कि दोनों राष्ट्रीय माध्यस्थम विधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम विधि की स्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार अलग-अलग समझा जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय माडल के अनुसार यह विधि (एक) अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम; (दो) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम, और (तीन) राष्ट्र के बीच तथा एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच लागू किसी समझौते के अधीन लागू होनी चाहिये। अत: जिस अन्तर्राष्ट्रीय माडल की हम बात कर रहे हैं वह न केवल अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम अपितु अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम तक ही सीमित है। प्रस्तावित माध्यस्थम विधि राष्ट्रीय माध्यस्थम, राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम, राष्ट्रीय गैर-वाणिज्यिक माध्यस्थम, अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-वाणिज्यिक माध्यस्थसम, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम, की खिचड़ी है। इस विधि में इन सभी विधियों को सम्मिलित कर लिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई गई है। या संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश पर बनाई गई है। अत: हम विधियों के समेकन के नाम से जो यह नया विधेयक लाये हैं इसका विस्तार क्षेत्र निर्धारित करने के प्रश्न पर हमें अधिक गहराई से विचार करना चाहिये था।

एक और मुद्दा भी विचारणीय है और वह धारा 1 (च) में दी गई अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम की परिभाषा के बारे में है। हमें बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम वहां होगा जहां एक व्यक्ति एक नागरिक है या नियमित रूप से भारत को छोड़कर किसी अन्य देश का निवासी है या जहां किसी देश में निकाय नियमित है, आदि। अत: एक व्यक्ति, एक सरकार तथा एक संस्था के साथ, जो विदेशी है, लेनदेन इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आता है। मुझे खेद है, इस विधेयक का विस्तार क्षेत्र इतना व्यापक नहीं होना चाहिये था। हमें राष्ट्र-हित में अन्य देश की अन्योन्यता के प्रश्न पर विचार करना चाहिये था और इस विधेयक का विस्तार क्षेत्र उन देशों तथा उन देशों के व्यक्तियों तथा संस्थाओं तक सीमित रखना चाहिये था जिनके साथ हमारे अन्योन्य सम्बन्ध हैं या जो प्राय: वैसी ही माध्यस्थम विधि अपनाते हैं जैसी कि आज हम अपना रहे हैं।

महोदय, यह विधेयक उदारीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाये जाने तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमि को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। निस्संदेह, विवादों के हल करने के लिए वैकल्पिक प्रणालियों या माध्यस्थम, मध्यस्थता, सुलह आदि पद्धतियों की सख्त जरूरत है और यह जरूरत इतनी सख्त थी कि अध्यादेश के माध्यम से यह विधि प्रस्थापित करनी पड़ी। इस में कोई संदेह नहीं कि इस विधेयक से न्यायालयों को भी मुकदमेंबाजी के भारी दबाव से छुटकारा मिलेगा। मुझे पता चला है कि हमारे देश के न्यायालयों में 2.5 करोड़ से अधिक मामले लम्बित हैं। तीसरे, विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह विधेयक संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस सिफारिश को

ध्यान में रखते हुए लाया गया है कि देशों को माध्यस्थम सम्बन्ध माडल विधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम तथा सुलह नियमों का पालन करना चाहिये जो संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग द्वारा अपनाये गये हैं

यह विधेयक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग द्वारा बनाये गये माडल के अनुरूप होने की आशा की जाती है। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या यह विधेयक वास्तव में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग द्वारा दिये गये माडल कानून के अनुरूप है। हम देखेंगे कि इसमें कुछ अबोधगम्य परिवर्तन किये गये हैं। इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं इस माडल पर अनुरक्त हूं। इसके बारे में मैं पहले ही अपने विचार स्पष्ट कर चुका हूं। यहां मैं यह कहूंगा कि जब आप यह कहते हैं कि आप संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के माडल के अनुसार कानून बना रहे हैं तो फिर भी उसमें गम्भीर परिवर्तन किये जा रहे हैं। समय की कमी के कारण मैं उन सभी परिवर्तनों का उल्लेख नहीं करूंगा; इस विधेयक के प्रावधानों का अन्तर्राष्ट्रीय माडल के प्रावधानों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें उनका पता चल जायेगा। मैं केवल कुछ परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा।

मध्यस्थों की संख्या के प्रश्न को लीजिये। खण्ड 19(2) में कहा गया है : "संख्या पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जायेगी जिसके न होने पर एक अनन्य मध्यस्थ ..... केवल एक मध्यस्थ।" लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुच्छेद 10 में कहा गया है; "मध्यस्थम समझौते द्वारा मध्यस्थों की संख्या निर्धारित न होने की स्थिति में मध्यस्थों की संख्या तीन होगी।" मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह परिवर्तन क्यों किया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सोच समझ कर मध्यस्थों की संख्या तीन रखी गई। हमारा यह कहना अविवेकपूर्ण है कि मध्यस्थों की संख्या एक होगी। यह एक गम्भीर परिवर्तन है और इसके लिए हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं कहूंगा कि हम राजा से भी अधिक वफादार बनने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा गम्भीर प्रश्न मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती के बारे में है। एक पक्षकार को एक मध्यस्थ की ईमानदारी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में गम्भीर आपत्ति हो सकती है। हमारे विधेयक के खण्ड 13 (4) और (5) में कहा गया है कि आपत्ति उसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण से की जायेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि आपत्ति समाप्त हो जाती है तो अपील नहीं की जा सकेगी। वे सुनवाई करने के पश्चात् अपना निर्णय देंगे। यह तो ठीक है। अब हम यह देखेंगे कि हम जिस अन्तर्राष्ट्रीय माडल विधि के प्रावधानों की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं उसके प्रावधान क्या हैं। यह एक गम्भीर बात है। माडल विधि में अपील का प्रावधान है। माडल विधि के अनुच्छेद 13(3) में प्रावधान है कि यदि मध्यस्थ के बारे में एक पक्षकार द्वारा की गई आपत्ति माध्यस्थम न्यायाधिकरण में असफल हो जाती है तो पक्षकार तीस दिन के भीतर न्यायालय में अपील कर सकेगा। लेकिन हम जो विधेयक लाये हैं उसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय माडल का भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम यह कह कर अन्तर्राष्ट्रीय माडल से भी अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बनने का प्रयास कर रहे हैं कि यह नहीं होगा; माध्यस्थम जारी रहेगा और अन्त में ही आपको पंचाट पसन्द नहीं है तो आप न्यायालय जा सकेंगे और न्यायालय से निष्पक्षता के आधार पर या किसी एक मध्यस्थ की असमर्थता जैसी अन्य बातों के आधार पर पंचाट को रद्द करने का अनुरोध कर सकेंगे।

सभापति महोदय, हम किस ओर अग्रसर हो रहे है? एक ओर इस सभा को बताया जा रहा है कि हम माडल विधि की नकल कर रहे हैं जैसी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सिफारिश की गई है और दूसरी ओर हम उन से हट कर कठिनाईयां पैदा कर रहे हैं यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय माडल के विभिन्न प्रावधान आपत्तिजनक हैं।

मैं अपने विधेयक के खंड 34 का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि पंचाट भारत की सार्वजनिक नीति के अनुरूप न हुआ तो न्यायालय इसे रद्द कर सकता है। यह अच्छी बात है लेकिन 'सार्वजनिक नीति' से क्या अभिप्रेत है। यह शब्द बड़ा व्यापक है। इससे मुकदमेबाजी के द्वारा खुल जायेंगे। इसमें हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं किया गया है सिवाय इसके कि अंतर्राष्ट्रीय माडल के मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हमने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय माडल का अनुकरण न करके एक स्पष्टीकरण दे दिया है और इस प्रकार और उलझने पैदा कर ली हैं। हमने इस प्रश्न पर दूसरा स्पष्टीकरण देने के लिए एक संशोधन की सूचना भी दी है।

हमें बताया गया है कि हम माडल विधि के अनुसार अपनी विधि बना रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय माडल के अनुच्छेद 36 में इस प्रश्न का भी उल्लेख है कि न्यायालय कब पंचाटों को लागू करने से इंकार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माडल के अनुच्छेद 36 की इस विधेयक के खंड 57(1) और 57(2) से तुलना करने पर आपको काफी अंतर दिखाई देगा।

यहां मैं पंचाट को रद्द करने की बात नहीं कह रहा। अब मैं एक पक्षकार द्वारा पंचाट को अपने पक्ष में लागू करवाने के लिए न्यायालय जाने की बात कह रहा हूं। यहां सार्वजनिक नीति का प्रश्न नहीं उठता। अंतर्राष्ट्रीय माडल में राष्ट्र की सार्वजनिक नीति की बात कही गई है। लेकिन यहां पंचाट को लागू करने के मामले में न्यायालय अपनी ओर से यह प्रश्न नहीं उठा सकता। न्यायालय इस प्रश्न पर तभी विचार कर सकता है जब एक पक्षकार पंचाट को रद्द करने की मांग करता है, अन्यथा नहीं।

मैं ऐसे गंभीर अबोधगम्य परिवर्तनों के कई अन्य उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन समय की सीमायें हैं। जैसाकि मैंने कहा है,

इस विधेयक द्वारा माध्यस्थम अधिनियम, जो 1940 से लागू है, माध्यस्थम (प्रोटोकोल और अभिसमय) अधिनियम, जो 1937 से लागू है, और विदेशी पंचाट अधिनियम, जो 1961 से लागू है, का निरसन किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारे माध्यस्थम कानून आधी शताब्दी से अधिक समय के लिए कसौटी पर खरे उतरे हैं। अब इस विधेयक के द्वारा कानून में भारी परिवर्तन किये जा रहे हैं। हमें इस मामले में सावधानी बरतनी होगी ताकि हमारे कानून, उच्चतम न्यायालय के शब्दों के अनुसार, वकीलों के हंसी और विधि दार्शनिकों के लिए आंसू न बन जायें। हमें ऐसी स्थिति से बचना होगा। लेकिन विधेयक के खंड 18 में कहा गया है :

> "पक्षकारों से समानता का बर्ताव किया जायेगा और प्रत्येक पक्षकार को अपना मामला प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा।"

क्या पक्षकार वास्तव में बराबर हैं। कृपया विधेयक पर नजर डालें। हर जगह माध्यस्थम करार को हर दूसरे कानून से श्रेष्ठ माना गया है। पक्षकारों को माध्यस्थम के स्थान के बारे में फैसला करने की छूट है, उन्हें हर प्रकार के माध्यस्थम में राष्ट्रीय वाणिज्यिक गैर-वाणिज्यिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थमों में मध्यस्थों की राष्ट्रीयता के बारे में फैसला करने की छूट हैं पक्षकारों को प्रक्रिया के बारे में फैसला करने की छूट है। माध्यस्थम करारों के आधार पर इसका निर्णय न हो सके तो मध्यस्थ कोई भी प्रक्रिया अपनाने का निर्णय ले सकते हैं।

इसी प्रकार पक्षकार किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के मामले में किसी देश के कानून का पालन करने का फैसला कर सकते हैं। हम सभी देशों के कानूनों का बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं। हम एक देश में बने कानूनों को आयात करते हैं और यह देखते हैं कि वहां पर कितनी छूट दी जाती है। यदि माध्यस्थम करार में इस बात का उल्लेख नहीं होगा कि किस देश का कानून लागू होगा तो मध्यस्थ किसी देश के कानून को लागू कर सकेगा जिसे वह सही और उपयुक्त समझे।

मैं समझता हूं, बड़े-बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी कंपनियों, जिनके साथ उनका लेनदेन हो सकता है, के दबाव में राष्ट्रीय हितों तथा राष्ट्रीय कंपनियों के हितों को तिलांजलि दे दी गई है। माध्यस्थम का स्थान करार के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मध्यस्थ कोई भी निर्णय ले सकते हैं। अब समस्याओं की ओर ध्यान दें। मान लो कि कलकत्ता या मुम्बई अथवा हमारे देश के किसी अन्य नगर के किसी व्यापारी को किसी विदेशी फर्म, न्यूयार्क की किसी फर्म के साथ वाणिज्यिक लेनदेन है और यह निर्णय किया जाता है कि माध्यस्थम का स्थान न्यूयार्क होगा तो क्या सभी साक्षियों को भारत से न्यूयार्क ले जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पूरी विदेशी मुद्रा देगा?

अपराह्न 7.00 बजे

विदेशी मुद्रा पर कुछ पाबन्दियां हैं। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आ सकती है। जब उन सभी साक्षियों को न्यूयार्क ले जाना संभव न हो। लेकिन विधेयक के प्रावधान ऐसे हैं कि न्यायालय सहायता नहीं कर सकेंगे।

हमारे उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया। माइकल गोलोडोज बनाम सेराजुद्दीन एंड कंपनी - ए. आई. आर. 1963 उच्चतम न्यायालय 1844 - के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 1940 के माध्यस्थम अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त कारण दिया गया है लेकिन इस विधेयक में नहीं दिया गया है। लेकिन 'पर्याप्तं कारण' अभिव्यक्ति का लाभ उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस बात का पर्याप्त कारण है कि माध्यस्थम करार का ऐसा प्रावधान अभिभावी नहीं हो सकता क्योंकि अन्यथा कलकत्ता का यह व्यापारी सभी साक्षियों को न्यूयार्क नहीं ले जा सकेगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इसकी अनुमति नहीं देगा।

सभापति महोदय : इस मामले में मेरे पास भी समय की कमी है।

श्री जी. एम. बनातवाला : हां, हां। हम ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय संकट पैदा हो सकता है। हमें आज इन बातों पर विचार करना होगा। कानूनों को बदलने के साथ-साथ हमें अपने पक्षकारों के लिए आवश्यक परित्राणों का भी प्रावधान करना होगा। जापान, तेईवान और कोरिया में माध्यस्थम करारों का नमूना तैयार करने में भी संस्थागत मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस मामले में लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार को आगे आना चाहिये।

मैं संक्षेप में एक या दो खंडों का हवाला देने के पश्चात् अपना भाषण समाप्त करूंगा। खंड 3 (1) (क) में कहा गया है कि यदि नोटिस अन्तिम ज्ञात पते पर भेजा जाता है तो इसे प्राप्त हुआ समझा जायेगा। यह ऐसा समय होता है जब दूसरे पक्षकार को ढूंढना कठिन होता है। इस समय हमारे देश में न केवल अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस भेजने अपितु इसे समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति करने की भी प्रथा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और समाचार पत्रों में विज्ञापित करने की शर्त नहीं रखी जाती है तो मुझे डर है कि कानून बनने के बाद इस खंड का अनुचित लाभ उठाया जायेगा और इसका पूरी तरह दुरूपयोग किया जायेगा।

खंड 11(6) में कहा गया है कि जब एक पक्षकार मध्यस्थों की नियुक्ति में कार्य करने में असफल रहता है तो दूसरा पक्षकार करार के अंतर्गत नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में मुख्य न्यायाधीश के पास जा सकेगा बशर्ते कि करार में कुछ अन्य उपायों का प्रावधान न हो ताकि नियुक्ति की जा सके।

जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंचा जा सकते हैं तो यह कहने की क्या आवश्यकता है कि उसे अन्य उद्देश्यों से नहीं मिला जाना चाहिये क्योंकि अन्य उद्देश्यों का विधेयक में उल्लेख है। यह राष्ट्रीय गरिमा का अपमान है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और इसे गंभीरता से लेंगे

अब मैं समाप्त करता हूं, आप बेचैन हैं। अत: मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। माननीय सदस्य श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका यहां बोल रहे थे। उन्होंने सभा से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की वास्तविकताओं तथा आकस्मिकताओं पर विचार करने की पुरजोर अपील की। हमें उनके साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन करना है। अत: ऐसे प्रावधान करना आवश्यक है। मैं केवल यह कहूंगा कि हमें राष्ट्र हित में ऐसे प्रावधानों की रक्षा करनी होगी। दुर्भाग्यवश इस विधेयक में यह कमी रह गई है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर सभापति जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का ए. आई.आर. 1981 का पेज 2075 गुरुनानक फाउंडेशन वर्सेस वतन सिंह के बारे में कहा गया, आपने जो उदाहरण दिया कि

[अनुवाद]

"वकील हंसते हैं और विधि दार्शनिक रोते हैं"

[हिन्दी]

यह आपने कोटेशन प्रस्तुत किया। मेरा निवेदन करना यह है कि फिर दूसरे जजेज ने जो फैसला दिया, उन्होंने यह बात भी कही थी कि जो कानून बने,

[अनुवाद]

बहुत ही सरल, कम से कम तकनीकी और वास्तविक स्थिति के प्रति अधिक संवेदी हो

[हिन्दी]

यह बात भी कही गई है। मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि फिर यह मामला पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में गया, सब में गया।

पहले पंच फैसले सब को मान्य हुआ करते थे और पंच फैसले में चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे जायदाद का हो, पति-पत्नी का कहीं झगड़ा हो गया हो या कहीं पर किसी की हत्या कर दी गई हो तो वह मामला भी पंच फैसले द्वारा तय हुआ करता था, वह भारतीय सभ्यता कहलाती थी। अब वह भारतीय प्राचीन सभ्यता तो रही नहीं, अब आप पाश्चात्य सभ्यता में चले गये, अब उसमें इंटरनेशनल होगा, यूनाइटेड नेशंस होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपको जो कहा है, वही कहना मानना है। इंटरनेशनल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय तरीकों से न्याय होगा, उनका जो मॉडल कानून होगा, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो आप बिलकुल उलटे चले गये, कहां तो पंच का फैसला था और कहां अब संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला हैं। आप नीचे से सीधे एकदम बिलकुल रिवर्स चले गये।

मेरा निवेदन करना यह है कि जैसा माननीय जार्ज साहब ने भी कहा कि वह हिन्दुस्तान का व्यक्ति हो और कोई भी हो, वह आर्बिट्रेटर बन सकता है। अमेरिका, जर्मनी और जापान ने भी क्या इस मॉडल कानून को मान लिया है, यह तो आप बताइये। यदि मान लिया है तो वह भारतवर्ष के लिए कम्पलसरी नहीं है कि हम उस कानून को मानें। मेरा मतलब यहां यह है कि बाकी राष्ट्रीयता वाला व्यक्ति स्वयं तय करेगा, जो चाहे सो करेगा 18 परसेंट ब्याज और सारी बातें यहां पर कही गई हैं।

मेरा निवेदन करना यह है कि 11 अध्यादेश निकले, तीसरी बार इसका अध्यादेश निकला है, पूरे भारतवर्ष में पार्ट एक, दो, तीन और चार लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में पार्ट एक, तीन और चार लागू होगा और पार्ट दो लागू नहीं होगा, तो इसका क्या कारण है? पार्ट दो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, इसके पीछे आपका आशय क्या है? यदि संयुक्त मोर्चा की सरकार, जे.डी. की सरकार यह डर रही हो कि,

[अनुवाद]

यह अनुच्छेद 370 की तरह नहीं है कि आप इससे डरने लगें।

[हिन्दी]

यानि धारा 370 तो है नहीं, कहीं बी.जे.पी. की बात मान जाओ और उसके बाद कहीं हमारी जय जयकार हो जाये, यदि आप इससे डर रहे हो तब तो बात अलग है, वरना पार्ट नंबर दो को क्यों नहीं माना जाएगा, यह आप बताएं? यह लाए हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एक यूनिवर्सल माडल लॉ है, लेकिन यह कहां है? उस माडल लॉ की कापी तो हमें दें। इतना अच्छा नाम है, लेनिक यह कहां है, यह पता नहीं है। सभापति महोदय, अगर आपकी टेबल पर हो या लाइब्रेरी में हो, तो हम मान सकते हैं। इसके बाद था

[अनुवाद]

> "यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। परंतु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।"

[हिन्दी]

आपके इस कानून के बारे में नियम बनने चाहिए थे, वे भी नहीं बने। उसकी भी हमारे पास कापी नहीं है। यह सीधे-सीधे सिम्पली पीस आफ पेपर हैं। इसका क्या अर्थ लगाएं। आप कश्मीर में क्यों नहीं लागू कर रहे, यह भी हमें बताएं?

[अनुवाद]

स्वदेशीय माध्यस्थम और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यथम तथा विदेशी माध्यस्थम पंचाटों को लागू करने से सम्बंधित विधि में समेकित और संशोधित करने के लिए तथा सुलह से संबंधित विधि को परिदर्शित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए .....

[हिन्दी]

कौन से देश हैं जिन्होंने इसको लागू किया

[अनुवाद]

उन्हें विधि न्यायालय में रद्द किया जायेगा

[हिन्दी]

यह आर्बिट्रेशन का एक्ट 1940 में बना था। तब से यह लागू है। पुराना कानून है, खत्म नहीं किया गया। नियम नहीं बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है। यह कानून अभी अधूरा है। इसलिए इस कानून को ठीक प्रकार से लाया जाना चाहिये। कहीं आप अंतरराष्ट्रीय दबाव में तो नहीं आ गए, अगर यह सही है तो अलग बात है। इसका उद्देश्य ठीक है। रावत जी ने यहां इसके बारे में कहा है। कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा, यह बताया जाए? नियम क्यों नहीं बना, क्योंकि जब तक नियम नहीं बनाएंगे, तब तक यह पीस आफ पेपर है। मंत्री जी यहां नहीं हैं, दूसरे मंत्री हैं।

सभापति महोदय : वे नोट कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तब ठीक है। इस प्रकार से जो पंच फैसला पहले मान्य हुआ करता था, उसमें न जाकर अंतरराष्ट्रीय फैसले की ओर से, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से या अमरीका की ओर से यहां लाए तो बात और है। वैसे इसमें कई अच्छी बातें हैं। भगवान शंकर रावत जी ने जो बातें कहीं हैं मैं उनकी ताईद करता हूं। लोढा जी ने भी काफी बातें इस संबंध में कही हैं। वे हाई कोर्ट के जज रहे हैं और असम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। उन्होंने केवल पोस्ट कार्ड को रिट मानकर फैसला दिया था। उन्होंने जो बातें कही हैं, उनको माना जाए, यही मेरा निवेदन है। इसलिए मैं इसका अर्धसमर्थन करता हूं और इसमें जो खामियां हैं, कहीं हम विदेशियों के चक्कर में न पड़ जाएं। जब बड़े-बड़े राष्ट्र इस कानून को नहीं मान रहे हैं तो फिर हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रो. राम सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, मैं मध्यस्थता और सुलह विधेयक 1996 का कुछ समर्थन करता हूं। जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय विवशताएं खड़ी हो गई हैं और व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया कुछ ऐसी हो गई हैं तथा दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आज फिर ग्लोबेलाइजेशन की बात यहां पर हो रही है, उदारीकरण और नई-नई आर्थिक नीतियां हैं, 'गैट' और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन आदि ये सारी बातें हो रही हैं, उन सबके संदर्भ में अत्यंत आवश्यक था कि कानूनों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कराया जाए और इसी परिवेश के अन्दर हमारी जो प्राचीन काल से न्याय करने की प्रणाली प्रचलित थी, पंचायत व्यवस्था या पंच परमेश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए मध्यस्थता और सुलह विधेयक में भी उसे एक प्रकार से स्वीकार किया गया है कि कहीं जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त करने के लिए उनके पक्ष की इच्छा के आधार पर वह स्वयं अपना आरबीट्रेटर तय करें और उनके माध्यम से न्याय प्राप्त करें। माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में इसका उत्तर देते हुए कहा था कि इसका लक्ष्य

[अनुवाद]

अपने निजी मंच का विनिश्चय करना, अपने निजी स्थान का विनिश्चय करना और अपने निजी समय का विनिश्चय करना"

[हिन्दी]

यह तो बात सही कही है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में आज़ व्यापार के क्षेत्र में इतनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं कि आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब बौद्धिक सम्पदा संबंधी विवाद पैदा हो गया या पेटेन्टीकरण के बारे में भी कोई विवाद पैदा हो गया या डम्पिंग आदि के मामले को लेकर हमारे देश के व्यापार को या हमारे देश के हितों को आघात पहुंचाने के लिए अगर किसी विदेशी शक्ति ने या विदेशी कंपनियों ने ऐसा कोई फ्रॉड रचा तो क्या उसका विरोध करना यहां एक सक्षम और प्रभावी उपाय सिद्ध होगा? क्या उन सारे विवादों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज विश्व के व्यापार में जो तेजी और मंदी आ रही है, मंहगाई में जो उतार-चढ़ाव आ रहा है और जो डम्पिंग की समस्या पैदा हो रही है और 'गैट' तथा 'डंकल' के अंतर्गत जिन कानूनों को मानने के लिए पिछली सरकार को भी विवश होना पड़ा था और संसद को चर्चा का अवसर प्रदान किए बिना हस्ताक्षर करने पड़े थे, उसी के आधार पर बहुउद्देशीय कंपनियों को उदारीकरण के नाम पर खुली छूट दी गई।

अभी हांगकांग का एक बैंक तथा इंग्लैंड का एक बैंक दिवालिया घोषित हो गया और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई कि व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में भी विवाद पैदा हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भौतिक संपदा तथा पेटेन्टीकरण संबंधी बातें भी उसमें लेंगे? इसके बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अन्तर्गत विदेशी मध्यस्थ की बात को और पंचायतों की प्रवर्तन संबंधी समेकित और संशोधित तथा सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ कमियां रह गई और उन कमियों की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे कमियां हैं नियम संख्या 82, 83 और सैक्शन 84 है जिनमें कहा गया है कि :-

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों द्वारा नियमों का बनाया जाना और कठिनाईयों का दूर किया जाना"

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय के द्वारा नियमों का निर्माण करना और पंचायत या मध्यस्थता आदि या सुलह आदि के बारे में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने संबंधी आपने नियम अभी तक नहीं बनाए हैं। जिसके फलस्वरूप आगे जाकर अच्छा कानून भी कारगर सिद्ध नहीं होगा, प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यह जो कानून बना है तथा यह मध्यस्थता और सुलह विधेयक और न्यूयार्क कनवेंशन की बात जो जेनेवा कनवेंशन की बात कही गई है, इन सारे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को इस देश के अन्दर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्रकार की खुली छूट प्रदान की जा रही है तो इसके लिए नियम भी यथाशीघ्र बनाए जाने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में बताएं कि नियम कब तक आप बनाएंगे ताकि उन नियमों के बारे में भी सही जानकारी सदन को प्राप्त हो सके और सैन्ट्रल गवर्नमेंट को जो नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श करके नियमों को बनाएगा या नियम बनाने के लिए कौन सी एजेंसी होगी, इसके बारे में भी थोड़ा स्पष्टीकरण करा दें।

एक और जगह पर यहां पर कहा गया है, सैक्शन 34 के क्लॉज 2 के अन्तर्गत इसमें यह है कि कहीं पश्चिम के अन्धानुकरण से बचने के लिए आपने शब्द दिया है कि भारत की लोक नीति के विरुद्ध नहीं हो। लेकिन स्टार चैनल और केबल चैनल के माध्यम से जो नग्नता, कामुकता और अश्लीलता दिखा रहे हैं, जबकि भारत की संस्कृति और सभ्यता अलग है। हमारे यहां नग्नता, कामुकता, अश्लीलता दिखाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। हमारी अपनी मर्यादा है, हमारे अपने मानवीय मूल्य हैं, हमारी अपनी विरासत है, उस सबको ताक में रखकर लेट नाइट ऑवर्स के अन्दर जो फिल्में दिखाई जाती हैं, तो इस प्रकार का उल्लंघन किया जाता है। क्या इस प्रकार का उल्लंघन लोक नीति के विरुद्ध नहीं है? उनके विरुद्ध यह माध्यस्थम या पंचायत या सुलह या इस प्रकार के कानूनों का उपयोग कब होगा? जिन विदेशी कंपनियों को छूट दी गई है, विदेशी अखबार भी यहां पर आ जाएंगे और विदेशी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिन्ट मीडिया भी यदि आ जाएगा, हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके बारे में माननीय मंत्री जी थोड़ा स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। चूंकि 2.5 करोड़ केस न्यायालयों के अन्दर दर्ज हैं। वहां पर एक स्थान पर लिखा है कि उनकी संख्या मध्यस्थ की संख्या पक्षधर तय करेंगे और तय नहीं करेंगे तो फिर एक इनकी तरफ से और एक उनकी तरफ से होगा। माध्यस्थम अगर होंगे नहीं तो उनकी संख्या 4-4, 5-5 होगी तो पूरी बेंच की बेंच बैठेगी। इस समस्या का तुरन्त और शीघ्रता से हल होना चाहिए और वह नहीं हो पाएगा।

उल्लंघन करने वालों के लिए सजा वगैरह आपने रखी है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्ति प्रदान की है, वह शक्ति प्रदान करें ताकि उनके नुकीले दांत हों और वे नियंत्रण कर सकें। इस प्रकार की पंचायत के निर्णय को मानने के लिए संबंधित पक्ष मजबूर हो जाए और अपील करने की सुविधा प्राप्त हो। लेकिन "जस्टिस हरीड एज जस्टिस बरीड" अर्थात् न्याय में जल्दी की जाती है तो न्याय नष्ट हो जाता है और "जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाईड" अर्थात् न्याय में विलम्ब किया जाता है तो न्याय से इंकार हो जाता है। इसलिए यह मध्यस्था और सुलह का जो मार्ग निकलता है, वह सही निकाला है, इसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय जार्ज साहब ने जिन विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और हमारे प्रथम वक्ता श्री भगवान शंकर रावत जो थे, उन्होंने भी जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन विसंगतियों को दूर करने के लिए अगर एक काम्प्रीहेसिव, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा व्यापक विधेयक बना सकें तो अति उत्तम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : सभापति महोदय, आशा के अनुरूप इस विधेयक पर बहस में विभिन्न मुद्दे उठाये गये हैं जिनमें से कुछ का इस विधेयक में समावेश किया गया है और कुछ का नहीं।

जस्टिस गुमान मल लोढा ने बार-बार अध्यादेश जारी करने के अधिकार पर आपत्ति की है।

मैं उनकी इस आपत्ति से सहमत हूं कि अध्यादेश जारी करने के अधिकार का अन्धाधुन्ध प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन मैंने अपने आरम्भिक भाषण में इन अध्यादेशों को जारी

करने के कारण स्पष्ट कर दिये थे। अन्तराल की परिस्थितियों का सामना करने के लिए इन अध्यादेशों को जारी करना आवश्यक हो गया था। जस्टिस लोढा इन परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हैं।

उनकी दूसरी मुख्य आपत्ति इस अधिनियम के प्रवर्तन अथवा उनके अपने शब्दों में इसे जम्मू-काश्मीर पर लागू न करने के बारे में है। इस सम्बन्ध में पहले मैं जस्टिस लोढ़ा से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे साथ खण्ड 1 का पाठ पढ़े।

खण्ड 1(2) में स्पष्ट कहा गया है :

"इसका सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। परन्तुक में कहा गया है :

> "परन्तुक यह कि भाग 1, भाग 3 और भाग 4 जम्मू-काश्मीर राज्य पर केवल वहां तक लागू होंगे, जहां तक वे,अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम या अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह यथास्थिति से संबंधित है।"

जस्टिस लोढा चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रावधान के कारण स्पष्ट करूं। महोदय, मुझे विश्वास है कि जस्टिस लोढा उन संवैधानिक प्रावधानों से अच्छी तरह अवगत हैं जिनके कारण इस खण्ड को वर्तमान रूप में अधिनियमित करना पड़ा। मैं समझता हूं, उन्होंने स्वयं कई बार अनुच्छेद 370 का हवाला दिया है। हमें संविधान, जम्मू और काश्मीर आदेश को भी देखना होगा। इसे जम्मू और काश्मीर पर लागू करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। समयवर्ती सूची की प्रविष्टि 13 जिस रूप में जम्मू और काश्मीर पर लागू होती है उसका पाठ इस प्रकार है :

> "प्रविष्टि 13: सिविल प्रक्रिया, जहां तक इस का सम्बन्ध किसी दूसरे देश में राजनयिक या कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथपत्रों में शपथ लिये जाने से है।" सूची 1 में भी प्रविष्टि 13 का उल्लेख है। यहां पर प्रविष्टि 13 का पाठ इस प्रकार है :
>
> "इसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगठनों तथा निकायों में भाग लेने तथा उनमें लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने से है।"

अब इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक भाग एक, तीन और चार का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम अथवा जैसी भी स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह से संबंध है, ये भाग जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होते हैं। हम राष्ट्रीय माध्यस्थम संबंधी अन्य प्रावधान संविधान के प्रावधानों और संविधान जम्मू और कश्मीर आदेश के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं कर सकते।

प्राय: सभी सदस्यों ने विवादों को हल करने की भारत की प्राचीन तथा कथित पंच परमेश्वर पद्धति तथा पंचायती प्रणाली का हवाला दिया है। वास्तव में इस माध्यस्थम् विधेयक में प्राचीन भारतीय प्रणाली का समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है। पक्षकारों को स्थान का चयन करने की छूट है, उन्हें अपने मध्यस्थों का चयन करने और जो भी विवाद है उसे इन लोगों को सौंपने की छूट दी जा रही है। विधि के अनुसार पंचाट इनके द्वारा दिया जायेगा। यदि आप चाहें तो इन्हें **पंच परमेश्वर** कह सकते हैं क्योंकि इन की तीन, पांच आदि विषम संख्या हो सकती है।

यदि ये परमेश्वर पंचाट देते हैं तो वह पंचाट दोषमुक्त होगा और उसको एक डिक्री के रूप में कार्यान्वित किया जा सकेगा। इस प्रकार बिल्कुल यही चीज इस विधेयक में रखी गई है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि जब यह प्रणाली हमारे देश में विद्यमान है तो किसी दूसरे देश या संयुक्त राष्ट्र में जाने और उनके कानून की नकल करने की क्या आवश्यकता है। विशेष रूप से श्री बनातवाला को इस बात पर आपत्ति थी कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाये गये कानून की नकल कर रहे हैं। मेरा विचार है कि माननीय श्री फर्नान्डीज ने भी यही बात कही। दोनों ने कहा है :

"क्या हमारी माध्यस्थम का सुलह प्रणाली हमारे देश की भावी आवश्कताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं उनसे पूरी तरह असहमत नहीं हूं। हमारी अपनी विधि- 1940 का माध्यस्थम अधिनियम है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने इसकी क्रियान्विति के संबंध में, लोगों के अनुभव के संबंध में जो कुछ कहा है, उसे मैं पुन: उद्धृत करता हूं :

> "माध्यस्थम अधिनियम 1940 के अंतर्गत कार्यवाही पर वकील हंसते है और विधि दार्शनिक रोते हैं। न्यायविदों, न्यायाधीशों तथा बहुत से अन्य लोगों ने टिप्पणी की है कि अब समय आ गया है जबकि हमें सरल कानून बनाने चाहियें, प्रक्रियायें सरल बनानी चाहिये जिससे यह चीज इतनी सरल हो जायें कि लोग विवादों का निपटाने के लिए इस प्रणाली को अपनाने में वास्तव में खुशी महसूस करें।"

हमें संयुक्त राष्ट्र के माध्यस्थम कानून का सहारा इसलिए लेना पड़ा कि अब एक नये युग का सूत्रपात हुआ है, हमारे देश में एक नये आर्थिक वातावरण का उदय हुआ है और हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आ रहे हैं वे इस आशय की कुछ गारंटी चाहते हैं कि यदि कोई विवाद पैदा हो तो हमारे पास ऐसा कोई मंच हो जहां वे अपना विवाद रख सकें और अपनी शिकायत या उस विवाद का हल ढूंढ सकें।

माननीय सुरेश प्रभु ने चीन में व्याप्त परिस्थितियों का

हवाला दिया। कुछ समय पूर्व मुझे श्री सुरेश प्रभु के साथ चीन की यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उन्होंने जो कुछ कहा है कुछ हद तक सही है कि चीन में विदेशी सीधा निवेश इस समय जितना है वह भारत में विदेशी सीधे निवेश की तुलना में संभवतया 20 से 30 गुणा है। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं कही है । मेरी जानकारी के अनुसार चीन में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण उत्पन्न नई स्थिति का सामना करने के लिए चीन ने अलग-अलग करीब 130 कानूनों को अंगीकृत किया है। क्या हमने भारत में ऐसी प्रक्रिया अपनाई है? प्रश्न यह है। वास्तव में लोग हमसे पूछते हैं कि वे निवेश करने के लिए यहां आयें तो क्या हमारे पास ऐसे कानून हैं कि उनके यहां आने पर जो स्थिति उत्पन्न हो उससे निपटा जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक और प्रश्न उठाया। वह जानना चाहते थे कि अन्य कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र का यह माडल कानून अपनाया है। मैंने पूछताछ करने का प्रयास किया है और मुझे बताया गया है कि अधिकांश देशों ने संयुक्त राष्ट्र का माडल कानून अपनाया है। उन्होंने इस स्वीकृत माडल के अनुसार अपनी प्रणाली में रूपभेद किया है। मुझे याद है, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे देश में ऐसा माडल कानून विद्यमान है तो वह सदस्यों को उपलब्ध क्यों नहीं किया गया है। वास्तव में समिति ने जिस समय इस मामले पर विचार किया था उस समय वह माडल कानून सदस्यों को उपलब्ध किया गया था। यह विधेयक कोई नई चीज नहीं है।

यह ठीक ही कहा गया है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिये कि इस विधेयक को लाने का गौरव या श्रेय मुझे या मेरी सरकार को जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। यह विधेयक पहले ही सभा के समक्ष था। पूर्ववर्ती सरकार इसे लाई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किये गये माडल कानून का उन्होंने लाभ उठाया है और उसके आधार पर ही यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, मैं पुन: जस्टिस लोढा का उल्लेख करूंगा जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न का जिक्र किया है यद्यपि वास्तव में उसका इस विधि से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस विषय पर जम्मू और कश्मीर आदेश अधिनियमित करते समय अवश्य विचार किया गया होगा और संभवतया तब सभा ने इस विषय पर चर्चा की थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी नहीं है।

क्या हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में इस विधि को स्वीकार कर रहे हैं? इसके उत्तर में मैं कहूंगा कि नहीं। हम यथासंभव आधुनिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। निस्संदेह हम माध्यस्थम की प्राचीन धारणाओं के संदर्भ में एक आधुनिक ढांचा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्राचीन और नवीन का मिश्रण हो सके और हमारे विवादों का समाधान हो सके।

न्याय में विलम्ब विषय पर इस सभा में एक बार फिर चर्चा हुई। मैं एक बार फिर माननीय सदस्य श्री प्रभु का उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी प्रक्रियात्मक उलझन के कारण बढ़ रही है। मुकदमेबाज, न्यायाधीश और वकील इसी उलझन के कारण न्यायालयों में जाते हैं। उन्होंने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का हवाला देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी उलझन पैदा होने की संभावना है। जब भी कोई कानून बनता है तो विभिन्न लोग उस का अलग-अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं। न्यायविद और विधि विशेषज्ञ इस अधिनियम को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती देने का प्रयास करेंगे। वे कानून को या कानून के अन्तर्गत कार्यवाही को चुनौती देंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन हम ने प्रक्रियात्मक पहलुओं को माध्यस्थम और सुलह के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का प्रयास किया है। हमने सिविल प्रक्रिया संहिता को बाहर रखने का प्रयास किया है। हमने केवल पंचाटों के निष्पादन तथा यदि आवश्यक हो तो साक्षियों की उपस्थिति की गारंटी सम्बन्धी पहलुओं को इसके क्षेत्राधिकार में रखा है। अन्य पहलुओं सम्बन्धी प्रक्रिया को इसके क्षेत्राधिकार में रखा है। अन्य पहलुओं सम्बन्धी प्रक्रिया को इसके क्षेत्राधिकार में नहीं रखा गया है। मुझे पूरी आशा है - वास्तव में इस आशा से ही यह विधेयक लाया गया है कि जब पक्षकार वहां जायें तो वे अपनी इच्छा से जायें। उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जायेगा और वे यह सोच कर वहां जायेंगे कि यदि वे न्यायालयों में जाते हैं तो मुकदमेबाजी में विलम्ब होगा और संभवतया उनको इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने श्री इमरान खान के हाल के मामले का हवाला देकर ठीक ही किया है। उन्होंने अमेरिका के एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया है। हमने देखा है कि दूसरे देशों में कुछ मामले इतनी तेजी से निपटाये गये कि कुछ महीनों, कुछ दिनों अथवा सप्ताहों में हमें उत्तर मिल गया। क्या हम अपने देश भारत में ऐसी प्रणाली विकसित नहीं कर सकते? इस मामले में भी आशा की जा सकती है। मुझे आशा है कि यह एक आशा ही नहीं रहेगी। इसके अलावा, न्यायाधीश विधेयक पर बोलते समय मैंने जो कुछ कहा था उसे मैं दोहराता हूं। हमें इस आशा से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि विदेशों में जिस तरह की प्रणाली है वैसी प्रणाली एक दिन हमारे देश में भी होगी और जब कोई मामला न्यायालय में जायेगा तो उसका फैसला दिनों में अथवा सप्ताहों में अथवा महीनों में हो जायेगा। हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि हम विवाद हल करने की एक ऐसी वैकल्पिक प्रणाली का विकास कर सकें जो काफी मजबूत हो, पूरे देश में व्याप्त हो और सभी नागरिक इसका लाभ उठा सकें ताकि मामलों की जो संख्या बढ़ रही है और न्यायालयों में जो ढेरों मामले जमा हो गये हैं उनका सफाया किया जा सके।

संभवत: हमारे सामने एक सुन्दर चित्र है जिसमें एक मामला न्यायालय में आता है, उस पर दिन-प्रतिदिन विचारण

होता है और मामला तेजी से निपटा दिया जाता है। वास्तव में इस विधेयक के पीछे यह एक आकांक्षा, यह एक धारणा है।

महोदय, नियमों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या सरकार ने नियम बनाये हैं? क्या उच्च न्यायालय नियम बनायेगा और यदि नियम नहीं बनाये गये हैं तो क्या यह लागू होगा? हमें इस विधेयक के प्रावधानों पर दृष्टिपात करना होगा। मैं भाग चार का उल्लेख करूंगा जिसमें अनुपूरक प्रावधान दिये गये हैं- खंड 82 का पाठ इस प्रकार है :

> "उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों के संबंध में इस अध्यादेश से संगत नियम बना सकता हूं।"

मैं सदस्यों से खंड 83 पर भी दृष्टिपात करने का अनुरोध करूंगा जो कठिनाई दूर करने के बारे में है।

> "यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों"

लेकिन इसके अन्तर्गत भी दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। इसके अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्षों के अवसान के पश्चात् कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जायेगा। अत: हमें इस विधि को क्रियान्वित करना आरम्भ कर देना चाहिये और किसी समय कोई कठिनाई पैदा होती है तो उसको दूर करने के बारे में इसमें प्रावधान है। विधेयक में आगे कहा गया है :

> "केन्द्रीय सरकार, इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। "

हम इसे खण्ड 85 के साथ पढ़ते हैं जिसके द्वारा पुराने कानूनों का निरसन किया गया है।

> "माध्यस्थम् (प्रोटोकोल और अभिसमय) अधिनियम, 1937, माध्यस्थम अधिनियम 1940 और विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं"

लेकिन निरसन करते समय क्या किया गया है?

> "ऐसे निरसन के होते हुए भी -
>
> (क) उक्त अधिनियमितियों के उपबन्ध, ऐसी माध्यस्थम कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व आरम्भ हुई थी, तब तक लागू होंगे जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो....."

> "इससे हमें एक माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये एक और प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। यह कहा गया था, "पुराने कानूनों का क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर इस में मिल जाता है।
>
> "....जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा समझौता न हो, यह अधिनियम ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर या उसके पश्चात् प्रारंभ हुई हैं,
>
> इसमें यह भी कहा गया है :
>
> " (ख) उक्त अधिनियमितियों के अधीन बनाए गए सभी नियम और प्रकाशित अधिसूचनाएं जहां तक वे इस अध्यादेश के विरुद्ध नहीं है, क्रमश: इस अधिनियम के अधीन की गई या जारी की गई समझी जायेगी"

अत: मैं समझता हूं कि भाग चार के अनुपूरक प्रावधानों में प्राय: हर स्थिति से निपटने का प्रावधान है। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने यहां जो संदेह व्यक्त किये हैं उनसे वे बेचैन न हों। यह विधि काफी व्यापक है और इसमें हर स्थिति से निपटने के बारे में प्रावधान है।

किसी ने कहा कि माध्यस्थम की परिभाषा दी गई है लेकिन समझौते की परिभाषा नहीं दी गई है। मैं यह कहूंगा के माध्यस्थम की परिभाषा भी नहीं दी गई है। माध्यस्थम की परिभाषा क्यों नहीं दी गई है? खण्ड 2(1) (क) में कहा गया है।

> "माध्यस्थम' से कोई माध्यस्थम् अभिप्रेत है जो चाहे स्थायी माध्यस्थम संस्था द्वारा प्रशासित किया गया हो या नहीं।"

विधेयक में केवल यही परिभाषा दी गई है। इसमें वास्तव में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि माध्यस्थम क्या है।

श्री सुरेश प्रभु : यह नकारात्मक परिभाषा है।

श्री रवाकांत डी. खलप : आप कह सकते हैं कि यह सम्मिलनकारी परिभाषा है। अत: यह विषय- दोनों माध्यस्थम् और समझौता पक्षकारों पर छोड़ दिया गया है। जब भी उन्हें लगे कि असहमति है और यह महसूस करें कि इसे दूर किया जाना चाहिये तो वे तीसरे व्यक्ति के पास जा सकते हैं और वही व्यक्ति मध्यस्थ होगा अथवा वे तीसरे व्यक्ति के पास जा सकते हैं और आपस में इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि उन्हें सुलह करार करना चाहिये। इस प्रकार यही सुलह है। हमें इस पहलू पर इस दृष्टि से देखना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें न्यायालयों की आवश्यकता नहीं है। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि

हमें फिर भी न्यायालयों में जाना पड़ेगा। यह तथ्य नहीं हो सकता। हम किसी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप को पूर्णतया वर्जित नहीं कर सकते। यदि प्रारम्भिक चरणों में न्यायालय की आवश्यकता नहीं होगी तो अन्तिम चरण में, जब पंचाट दिया जाता है, इसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा दो और बातें हैं। क्या अंतरिम चरण में न्यायालयों को हस्तक्षेप करना चाहिये? इस संबंध में दो प्रकार के प्रावधान हैं। मध्यस्थ को अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय को भी अन्तरिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। इन दोनों के बीच अन्तर यह है कि एक मामले में पक्षकार स्वयं सहमत होते हैं कि इसमें अन्तर्ग्रस्त चीजों की रक्षा के लिए आदेश दिया जाये अथवा यदि सहमति नहीं होती है, यदि पक्षकार न्यायालय जाते हैं तो अन्तरिम आदेश लेने होंगे। अतः मैं समझता हूं, इससे हमें यह महसूस नहीं करना चाहिये कि हम किसी चरण में एक बार फिर न्यायालयों को अन्तरिम आदेश देने का अधिकार दे रहे हैं। वास्तव में यह एक ऐसा प्रावधान है जो मेरी राय में एक समर्थकारी प्रावधान है। इससे पक्षकारों को-समय समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने में सहायता मिलेगी।

इसी प्रकार ऐसे अन्तरिम आदेशों का आश्रय लेने के बारे में भी प्रश्न उठाया गया। कुछ सदस्यों ने पूछा। क्या इससे विलम्ब होगी कुल विलम्ब अवश्य होगा। लेकिन यह ऐसा विलम्ब नहीं है जो सामान्यतया सामान्य कानूनी प्रक्रिया में होता है।

जनेवा कन्वेंशन तथा न्यूयार्क कन्वेंशन का भी उल्लेख दिया गया है। यह कहा गया कि 'उच्च संविदाकारी पक्षकार' शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया। मैं समझता हूं, मेरे मित्र श्री सुरेश प्रभु ने लेतीनी वाक्यांशों का भी उल्लेख किया। क्या मैं सही कह रहा हूं? उन्होंने **एक्स एइको एट बोनो, एगीएबल कम्पोजिटर** का उल्लेख किया। मैं इन शब्दों का उस तरह उच्चारण करने का प्रयास कर रहा हूं जिस तरह वे करते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इनका अच्छी तरह उच्चारण कर सकता हूं ... **(व्यवधान)** इसे भी स्पष्ट किया गया है। इन वाक्यांशों का कभी-कभी प्रयोग होता है और ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग होने के कारण ऐसे वाक्यांश हमारी विधि शब्दावली में प्रायः घुलमिल जाते हैं। हमें ऐसी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इससे केवल यह अभिप्रेत है कि साम्या के सिद्धांत लागू करने होंगे अथवा आप को समझौते के आधार पर निपटारा करना होगा। न्यायालय और पक्षकार इस आधार पर अर्थ समझते हैं। किसी को इस शब्दावली से डरने की आवश्यकता नहीं है।

मैं समझता हूं कि किसी सदस्य ने समझौते के मामले में गोपनीयता का प्रश्न उठाया। यदि समझौते की कार्यवाही सफल नहीं होती है तो पक्षकार न्यायालय जाते हैं। यह पूछा गया कि समझौते की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षकारों के समक्ष या मध्यस्थों के समक्ष जो साक्ष्य आयेगा क्या ऐसे पक्षकारों को उस का प्रयोग करने का अधिकार होगा? नहीं, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। खंड 75 के अधीन कार्यवाही को गोपनीय रखा जाता है। सुलह की कार्यवाही के दौरान दिये गये साक्ष्य का किसी अन्य कार्यवाही में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

कुछ सदस्यों ने पूछा यदि मध्यस्थ साधारण नागरिक होंगे और यदि उस कानून की उनको पूरी जानकारी नहीं होगी जिसके बारे में उन्होंने फैसला करना है या उन्हें इस तरह की समस्या की जानकारी नहीं है जिस तरह की समस्या उनके सामने आई है तो क्या होगा? मान लो एक मध्यस्थ डाक्टर है और उसके सामने जो मसला है वह इंजीनियरी के बारे में है या मध्यस्थ एक इंजीनियर है और उसके सामने डाक्टर संबंधी कोई समस्या है तो क्या होगा। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि मध्यस्थ के सामने जो मामले आते हैं उनमें से अधिकांश में इस बात की आवश्यकता होती है कि उसे उस मामले के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। यदि मध्यस्थ महसूस करते हैं कि उनके सामने जो मामला है वह तकनीकी है तो वे विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं। इसके बारे में प्रावधान किया गया है।

मैं केवल एक मुद्दे को लूंगा और शेष मुद्दों की केवल पुनरावृत्ति हुई है। श्री रावत ने बौद्धिक संपति अधिकार, पेटेंट विधेयक आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों का उल्लेख किया है। इसका उत्तर यह है कि पक्षकारों के बीच जो भी विवाद पैदा होता है उसके बारे में पक्षकार इस बात के लिए सहमत हों कि इसे माध्यस्थम को सौंपा जाये तो इस प्रकार का विवाद इस विधान के अंतर्गत आयेगा। अतः इस विधि के क्षेत्राधिकार में एक सामान्य पारिवारिक विवाद से लेकर जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवाद आते हैं। पूरी विधि का क्षेत्र यही तक है। और फिर यह क्षेत्र.. .. **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : उच्च संविदाकारी पक्षकार के बारे में आप का क्या कहना है?

श्री रमाकांत डी. खलप : उच्च संविदाकारी पक्षकार शब्दों का प्रयोग राष्ट्रों के संदर्भ में किया गया है। जनेवा कन्वेंशन या न्यूयार्क कन्वेंशन में, जिनका यहां उल्लेख किया गया है सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सामान्यतया सार्वभौम राष्ट्र जो इस कन्वेंशन के पक्षकार होते हैं, अपने आप को उच्च संविदाकारी पक्षकार बताते हैं लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता। इसी कारण से इसे स्वीकार कर लिया गया है।

यदि कोई व्यक्ति प्रोटोकोल के बारे में जानना चाहता है तो मैं कहूंगा कि प्रोटोकोल संबंधी प्रावधान इस विधेयक में यह दिखाने के लिए शब्दशः सम्मिलित किये गये हैं कि इन प्रोटोकोल के अंतर्गत जो पहलू आते हैं वे इस माध्यस्थम विधेयक का अंग है। अतः यह एक अच्छा विधान है जो पिछली सरकार सभा के समक्ष लाई थी। मुझे इस सभा में इसे संचालित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसका श्रेय नहीं लेना

चाहता। इसमें मेरा कोई योगदान है तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने का अवसर प्रदान करें। मैंने ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास किया है। अत: मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मैं 1-2 चीजों पर खुलासा चाहता हूं। आपने अपने तर्क में जो चर्चा की, वह इसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को लेकर की। हमारा विवाद सबसे बड़ा इसी पर है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के मामलों को समझ सकते हैं लेकिन घरेलू मामलों के लिए जो यह बिल लाए है, उसके पीछे आपका क्या तर्क है। वह आपके जवाब में स्पष्ट नहीं है। असल में आपने इसके बारे में एक वाक्य भी नहीं कहा है। आपने शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय चीजों को लेकर की।

मेरी 2-3 बातें हैं। जब मैंने पूछा था कि कितने राष्ट्रों ने यूनाइटेड नेशन्स के प्रस्तावों का अनुकरण कर अपने देश में कानून बनाए, आपने कहा कि बहुमत ने बनाए हैं। मैं जानना चहता हूं कि कितने राष्ट्रों ने बनाए? दुनिया में 184 या 185 राष्ट्र हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़े हुए है..... **(व्यवधान)** 200 से ज्यादा या उसके आसपास हो सकते हैं। मैजोरिटी का मतलब मैजोरिटी आफ नेशन्स नहीं बल्कि

[अनुवाद]

कितने राष्ट्रों का बहुमत

[हिन्दी]

उन राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाए हुए नियमों को क्या अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए ही अपने देश में अपनाया है या घरेलू मामलों के लिए भी अपनाया। अगर घरेलू मामलों के लिए अपनाया तो किन देशों ने उसे घरेलू मामलों के लिए अपनाया?

मैंने जो ठोस बातें यहां उठायी थीं, जैसे बनातवाला जी ने क्लाज 13 पर सवाल किया। क्लाज 13 के मुताबिक अगर आप उसकी बात को कबूल नहीं करते हैं यानी जो शिकायत करता है और कहता है कि आप यहां इस पद पर बैठने के काबिल नहीं है, अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो फिर अदालत में जाने वाली बात पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने नियम बनाये हैं। आपके कानून ने उसको हटा दिया है। आपने इस पर कुछ नहीं कहा। चूंकि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाए हुए सारे दस्तावेज को लेकर चल रहे हैं तो जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां उसको हटा दिया है।

इसी तरह से किसी भी राष्ट्रीयता के सवाल पर हिन्दुस्तान में आर्बिट्रेशन कर सकता है यानी घरेलू विवादों के लिए कोई विदेशी यहां आकर आर्बिट्रेटर बनकर बैठ सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिन का जवाब दिए बिना कानून को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आप इन चीजों का जवाब दें।

सभापति महोदय : अब दोबारा बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

सभापति महोदय : आपने चार मुद्दों के बारे में विशिष्ट स्पष्टीकरण मांगे हैं।

श्री रवाकांत डी. खलप : पहला प्रश्न यह है कि कितने राष्ट्रों ने इस विधि को अंगीकार किया है। मैंने एक उत्तर दिया जो मैं समझता हूं बहुत स्पष्ट नहीं है। मैंने कहा कि अधिकांश देशों ने इसे अंगीकार किया है। मेर पास यही जानकारी है। उनमें से कुछ देशों ने इसे राष्ट्रीय माध्यस्थम के मामले में भी लागू किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको अभी भी यह मालूम नहीं है कि कितने देशों ने इसे अंगीकार किया हैं क्योंकि आपने कहा कि अधिकांश देशों ने इसे अंगीकार किया है। मैं समझता हूं, आपको अधिकांश देशों द्वारा इसे अंगीकार किये जाने की जानकारी दी गई है क्योंकि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसे सभा की अवमानता समझा जायेगा। अब बहुमत कम हो रहा है; अब बहुमत नहीं रहा।

सभापति महोदय : जो कुछ भी हो, बहुत से देश।

श्री रवाकान्त डी. खलप : मैं सही उत्तर दूंगा। मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा।

सभापति महोदय : इस समय आप यह कहें के कुछ देशों ने इसे अपनाया है।

श्री रवाकांत डी. खलप : मैं सही आंकडे दूंगा।

दूसरा प्रश्न यह था कि क्या कुछ देशों ने भी इसे अपनाया है। मैं इस प्रश्न का सही उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं हूं। श्री बनातवाला जी को मैंने सही समझा है तो उन्होंने सार्वजनिक नीति का प्रश्न उठाया। उनका एक प्रश्न यह भी था।

अनुच्छेद 13 आक्षेप करने की प्रक्रिया के बारे में है। इसका पाठ इस प्रकार है :

> "यदि पक्षकारों द्वारा तय पाई गई किसी प्रक्रिया के अधीन या इस अनुच्छेद के पैरा 2 की प्रक्रिया की अधीन कोई आक्षेप सफल नहीं होता है तो आक्षेप करने वाला पक्षकार आक्षेप को रद्द करने के विनिश्चय की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् तीस दिन के भीतर न्यायालय से या अनुच्छेद 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों से अनुरोध कर सकेगा जो आक्षेप के बारे में विनिश्चय करेंगे जो विनिश्चय किसी अपील के

अध्याधीन नहीं होगा। ऐसे अनुरोध के लम्बित रहते माध्यस्थम न्यायाधिकरण माध्यस्थम समेत, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, माध्यस्थम कार्यवाहियां जारी रख सकेगा और एक माध्यस्थम पंचाट कर सकेगा।"

एक बार फिर धारणा यह है। यदि इस चरण में ही हम मामले को इस आधार पर न्यायालय में जाने देते हैं कि हमें मध्यस्थ की नियुक्ति पर ही आपत्ति है तो होगा यह कि यह एक मृतजात बच्चे के समान होगा।

अपराह्न 8.00 बजे

जैसे ही आप उसे चुनौती देंगे और न्यायालय जायेंगे, मामला वहीं रूक जायेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि माडल और नियमों में इसका प्रावधान है। आप माडल विधि और नियमों पर बहुत आश्रित हैं। आपने इस प्रावधान को उससे बाहर क्यों रखा है?

श्री रंगाकान्त डी. खलप : मैं यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। हमने इस प्रावधान को शामिल नहीं किया है क्योंकि हमारा अपनी निजी विधिक प्रणाली के मामले में अनुभव यह है कि ज्यों ही हम वहां जाते हैं यह एक मकड़ी का जाल बन जाता है। हम वहां जाकर फंस जाते हैं। अत: जहां तक..... **(व्यवधान)**

श्री जी. एम. बनातवाला : सभापति भी आपके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं.....**(व्यवधान)**

श्री रंगाकांत डी. खलप : बाद में पंचाट को चुनौती दी जानी है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। चुनौती का प्रावधान है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चुनौती का प्रावधान नहीं है।

श्री रंगाकान्त डी. खलप : इसका निश्चित रूप से प्रावधान किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसका प्रावधान कहां है? माध्यस्थम पंचाटों की अन्तिमता सम्बन्धी खण्ड 35 में कहा गया है:

"इस भाग के अधीन रहते हुए माध्यस्थम् पंचाट अंतिम होगा और पक्षकारों तथा उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर, बाध्यकारी होगा।"

श्री रंगाकांत डी. खलप : नहीं, महोदय। यह खण्ड 34(2) में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला : वह उस वक्त आता है जब सारा आर्बिट्रेशन खत्म हो जाये और अवार्ड दे दिया जाये तो उसके बाद वह रोता-पीटता जाये, यह कोई तरीका है?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसमें विधेयक के बहुत से पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि आप खण्ड 34(2) पढ़ना आरम्भ करें तो इसमें कहा गया है".....न्यायालय द्वारा अपास्त किया जायेगा यदि आवेदन करने वाला पक्षकार प्रमाण देता है कि पक्षकार किसी असमर्थता के अन्तर्गत था अथवा..... ....."आदि। ये सभी तकनीकी चीजें हैं। इसका गुणदोषों से कुछ लेना देना नहीं है। इसका स्वभावत: मामले में कुछ लेना देना नहीं है।

[हिन्दी]

आप 34 को लेकर पढ़िये। ये सब टैक्नैलटीज हैं, अगर पूरी नहीं हुई हों तो वहां बात आ जाती है।

श्री रंगाकांत डी. खलप : कंसैप्ट यह है कि आर्बीट्रेशन जब शुरू होता है, उस वक्त अगर आर्बीट्रेटर को कैपेसिटी या इनकपैसिटी के कारण चैलेंज किया जाये या कोई और कारण हो तो उस वक्त मामला कोर्ट में न जाये।

श्री जी. एम. बनातवाला : इलैक्शन प्रोसैस स्टॉप नहीं होता है, आर्बीट्रेशन प्रोसैस भी चलता रहेगा, चाहे जो अंजाम हो।

[अनुवाद]

श्री रंगाकांत डी. खलप : हां, एक तरह से यह सही है। यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार जो जाता है तो हम सीधे न्यायालय नहीं जाते; हम चुनाव याचिका पर फैसले की प्रतीक्षा करते हैं।

इस मामले में न्यायालयों पर निर्भरता यथासंभव कम करने का प्रयास कर रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह बात मानता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि एक परन्तुक का प्रावधान किया गया है। इस परंतुक के अनुसार मैं इसे चुनौती दे सकता हूं। चुनौती का प्रावधान है लेकिन यह कौन फैसला करेगा कि मेरी चुनौती न्यायोचित है या नहीं? मैं जो आपत्ति करूंगा वह एक व्यक्ति के विरुद्ध होगी। वह स्वयं इसका फैसला करेगा दूसरे शब्दों में अपराधी स्वयं उन आरोपों के बारे में निर्णय करेगा जो उसके विरुद्ध लगाये जायेंगे।

सभापति महोदय : उन्होंने अब स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस मामले के बारे में कोई विधिक या नैतिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जो इसे विशेष मुद्दे पर उठा सकता हो।

श्री रवाकांत डी. खलप : इसका उत्तर है। हम यह कह सकते हैं कि मध्यस्थ तीन हैं और एक मध्यस्थ को चुनौती दी गई है.... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : केवल एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने का भी प्रावधान है। इस आशय का कहीं प्रावधान नहीं है कि मध्यस्थ तीन होंगे। खंड 2(1) (घ) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'माध्यस्थम न्यायाधिकरण' से एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों की सूची अभिप्रेत है। यदि मैं अकेला मध्यस्थ हूं और मेरी सदाशयता को चुनौती दी जाती है तो मैं ही फैसला करूंगा और कहूंगा, 'आप मेरे बारे में जो कुछ कहते है उसकी मुझे चिन्ता नहीं है; मैं अपनी कार्यवाही जारी रखूंगा। इसके विरुद्ध अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है.... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : क्या आप मध्यस्थों की सूची चाहते हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस कानून में त्रुटियां हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। मैं केवल यही चाहता हूं। यह संसद केवल यह कहकर कोई विधान पारित नहीं कर सकती, "हम जल्दी में हैं अब हमें इसे शीघ्र खत्म करना चाहिये। महोदय, विधान इस तरह पारित नहीं होता .... **(व्यवधान)** यह मेरी समझ में नहीं आता। मुझे बड़ा खेद है।

श्री रवाकांत डी. खलप : इस मामले में यह इस प्रकार हुआ है। सामान्यतया पक्षकार एक मध्यस्थ के लिए सहमत नहीं होते तो वे तीन मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं। वे संख्या बढ़ा सकते हैं और अग्रसर हो सकते है। यदि एक मध्यस्थ को चुनौती दी जाती है तो वे उस पहलू पर एक साथ विचार कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक मध्यस्थ होगा। एक मध्यस्थ या मध्यस्थों की तालिका' का प्रावधान किया गया है। यदि आपत्ति की जाती है तो उस आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आमरा) : मान्यवर, मैं एग्री नहीं करता। आप जो बात कह रहे हैं, वह पासिबल नहीं हैं अगर सोल आर्बिट्रेटर एक बार तय नहीं हुआ या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर तय नहीं हुआ, उसके बाद अगर पार्टी को यह लगे कि आर्बिट्रेटर बेईमानी कर रहा है, क्या फिर पैनल आफ आर्बीट्रेटर तय हो सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उस पर अपील नहीं है।

[अनुवाद]

अपील के प्रावधान उस समय नहीं आते। मैं यह कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : जब तक फाईनल न हो जाये, किसी भी पीरियड में पार्टी को पावर नहीं कि वह पैनल के लिये आग्रह कर सके।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, ये सभी तकनीकी चीजें हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, इस विधेयक में भी यह परिकल्पना की गई है कि बाद में चुनौती दी जा सकती है। यह आरंभ में नहीं है। विधेयक में भी ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है।

इसी कारण वे कह रहे हैं कि बाद में भी चुनौती दी जा सकती है। आरंभ में दोनों पक्षकार एक ही मध्यस्थ के लिए सहमत होंगे लेकिन बाद में ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। जिसकी परिकल्पना इस विधेयक में ही की गई है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : उस इवैन्चुअल्टी में क्या होगा, वह बताइये। उसके बाद बेइमान आर्बीट्रेटर तय हो गया था उसमें विश्वास नहीं रहा और फिर बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते और उसमें पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर ऐड कराना चाहें तो ऐड करा नहीं सकते, तब उसकी पोजीशन क्या होगी?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो आप 34 पद लीजिये।

[अनुवाद]

सभा को मालूम होना चाहिये कि खंड 34(2) क्या है इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। यह मात्र एक तकनीकी बात है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : उसके बाद टैक्नीकल आस्पैक्ट पर चैलेंज किया जा सकेगा। उसकी अपील भी नहीं होगी। वह सोल आर्बिट्रेटर ईश्वर का अवतार बन जायेगा और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। वह जो चाहे, सो करेगा।

[अनुवाद]

श्री रवाकांत डी. खलप : इसका उत्तर बड़ा सीधा-सादा है। पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम का सहारा आपसी सहमति से लिया जाता है।

[हिन्दी]

इसमें दोनों पार्टीज तब आर्बिट्रेटर्स चूज करेंगे जब

उनके बीच में पहले कसैंट हो सकती है।

[अनुवाद].

कि दोनों पक्षकार इस पर सहमत हैं। असमर्थता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपत्ति की जा सकती है। ऐसे मामले में इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, प्रश्न उठता है। कृपया धारा 12 पढ़िये। मान लो कि हम दोनों एक विशेष मध्यस्थ के लिए सहमत हो जाते हैं। तब उस मध्यस्थ को वक्तव्य देना होगा कि इस मामले में उसकी अपनी कोई रूचि नहीं है या उसका उस मामले में किसी तरह कोई हाथ नहीं है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उस मामले में उसका हाथ है। ऐसी स्थिति में हमें उसी के पास जाना होगा और कहना होगा कि आपका हाथ है। इस संबंध में विधि में प्रावधान है कि वह यह तय करेगा कि क्या उसे मध्यस्थ के रूप में बैठना चाहिये अथवा नहीं और यदि वह मध्यस्थ के रूप में बैठने का फैसला करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और धारा 34 में बाद में अपील के चरण में भी इसका प्रावधान नहीं हैं उन्होंने धारा 34(2) का उल्लेख किया। इसमें क्या कहा गया है?

इस का पाठ इस प्रकार है :

"(2) कोई माध्यस्थम पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि -

(क) आवेदन करने वाला पक्षकार यह सबूत देता है कि -

(एक) कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था:"

इसके अंतर्गत वह समस्या नहीं आती जो मैं उठा रहा हूं। इसमें आगे कहा गया है :

(दो) माध्यस्थम करार उस विधि के, जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधि मान्य नहीं हैं;

यह भी एक तकनीकी पहलू है।

(तीन) आवेदन करने वाले पक्षकार को, मध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अन्यथा अपना पक्ष कथन प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या

(चार) पंचाट ऐसे विवाद से संबंधित है जिसके निर्देशित नहीं किया गया है या जो माध्यस्थम के लिए रखे गये निबन्धनों के भीतर नहीं आता है या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चय है जो माध्यस्थम के लिए निवेदित विषय के क्षेत्र से बाहर है :

परंतु यदि, माध्यस्थम के लिए निर्देशित किये गये विषयों पर विनिश्चयों को उन विषयों के बारे में किये गये विनिश्चयों से पृथक किया जा सकता है, जिन्हें निर्देशित नहीं किया गया है, तो माध्यस्थम पंचाट के केवल उस भाग को, जिसमें माध्यस्थम के लिए निर्देशित न किये गये विषयों पर विनिश्चय है, अपास्त किया जा सकेगा; या

(पांच) माध्यस्थम अधिकरण की संरचना या माध्यस्थम प्रक्रिया, पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा करार इस भाग के उपबंधों के विरोध में न हो और जिससे पक्षकार नहीं हट सकते थे, या ऐसे करार के आभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं थी;

महोदय, खंड 13 की इसमें क्या भूमिका है? खंड 13 के अंतर्गत यह कैसे आयेगा? आप खंड 12 और 13 का अनुशीलन करें। तभी पूरी प्रक्रिया आपकी समझ में आयेगी।

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, हम खंड 13 का पुन: अनुशीलन करेंगे जिसमें चुनौती प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। हम खंड 12 का भी अध्ययन करेंगे जिसमें चुनौती के कारणों का ब्यौरा दिया गया है। मध्यस्थ का पहला कर्तव्य यह है :

"जहां किसी व्यक्ति से किसी मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव किया जाता है वहां वह किसी ऐसी परिस्थिति को लिखित रूप में प्रकट करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता का निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाएं उठने की संभावना हो।

(2) कोई मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति के समय से और संपूर्ण माध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान, विलम्ब के बिना लिखित रूप से पक्षकारों को उपधारा(1) में निर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों को तब प्रकट करेगा जबकि उन्हें उसके द्वारा पहले ही सूचित न कर दिया गया हो।

(3) किसी मध्यस्थ को केवल तभी चुनौती दी जा सकेगी, यदि -

(क) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाओं को उत्पन्न करती हों, या

(ख) वह पक्षकारों द्वारा तय पाई गई अर्हताओं को न रखता हो।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दोनों (क) और (ख) को रेखांकित कीजिए।

श्री रमाकांत डी. खलप : ये दो चीजें हैं।

"(4) कोई पक्षकार उसके द्वारा नियुक्त या जिसकी नियुक्ति में उसने भाग लिया हो, किसी मध्यस्थ पर केवल उन कारणों से जिनसे वह नियुक्त किये जाने के पश्चात् अवगत होता है, आक्षेप कर सकेगा।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है।

श्री रवाकांत डी. खलप : अब हम खंड 13 लेते हैं। इसका पाठ इस प्रकार है :

"13(1) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए पक्षकार किसी मध्यस्थ पर आक्षेप के लिए किसी प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी करार के असफल होने पर कोई पक्षकार, जो किसी मध्यस्थ पर आक्षेप करने का आशय रखता है, माध्यस्थम अधिकरण के गठन की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् या धारा 12 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों से अवगत होने के पश्चात् पंद्रह दिनों के भीतर माध्यस्थम अधिकरण पर आपत्ति करने के लिए कारणों का लिखित कथन भेजेगा।

(3) जब तक कि वह मध्यस्थ, जिस पर उपधारा (2) के अधीन आक्षेप किया गया है, अपने पद से हट नहीं जाता है या अन्य पक्षकार आक्षेप से सहमत नहीं हो जाता है, माध्यस्थम् अधिकरण आक्षेप पर विनिश्चय करेगा।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह विनिश्चय करता है.... **(व्यवधान)**

श्री रवाकांत डी. खलप : इसका पाठ आगे इस प्रकार है :

"(4) यदि पक्षकारों द्वारा तय पाइ गई किसी प्रक्रिया के अधीन या उपधारा(2) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोई आक्षेप सफल नहीं होता है तो माध्यस्थम् अधिकरण, माध्यस्थम कार्यवाहियों को चालू रखेगा और माध्यस्थम पंचाट करेगा।"

श्री भगवान शंकर रावत : यही समस्या है।

श्री रवाकांत डी. खलप : इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह विनिश्चय करता है। वह पंचाट देता है। वह अन्तिम है।

श्री रवाकांत डी. खलप : इसका प्रावधान है। हम खंड 13 का उपखंड 5 पढ़ेंगे। इसका पाठ इस प्रकार है :

"(5) जहां उपधारा (4) के अधीन कोई माध्यस्थम पंचाट किया जाता है वहां मध्यस्थम आक्षेप करने वाला पक्षकार धारा 34 के अनुसार ऐसा माध्यस्थम पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

आपने एक मध्यस्थ द्वारा पंचाट दिये जाने के पश्चात् उसके विरुद्ध आपत्ति की है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन इसे धारा 34 में सम्मिलित नहीं किया गया है..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला : 34 में इसकी जरूरत ही नहीं है। .... **(व्यवधान)**

श्री रवाकांत डी. खलप : जिस चीज का जिक्र आप करते हैं, उसका सौल्यूशन सेक्शन 3 में लिखा हुआ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं है। .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

न्यायालय एक माध्यस्थम पंचाट को अपास्त कर सकता है। .... **(व्यवधान)** यह आपको वापस 13(5) की ओर नहीं ले जाता। कुछ गलती हो गई है क्योंकि 13(5) के अंतर्गत यह नहीं कहा गया हे कि..... **(व्यवधान)** यह सीमित करता है।

श्री रवाकांत डी. खलप : हम इसे पुन: पढ़ेंगे।

"(5) जहां उप-धारा (4) के अधीन कोई माध्यस्थम पंचाट किया जाता है.... "

श्री संतोष मोहन देव : आप इस समय कुछ नहीं कर सकते।

श्री रवांकात डी. खलप : नहीं, नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। इसका पाठ इस प्रकार है :

(5) जहां उपधारा (4) के अधीन कोई माध्यस्थम पंचाट किया जाता है वहां मध्यस्थ पर आक्षेप करने वाला पक्षकार, धारा 34 के अनुसार ऐसा माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।"

[हिन्दी]

कौन सा आर्बिट्रेरल अवार्ड? ऐसा आर्बिट्रेरल अवार्ड जो ऐसे आरबिट्रेटर ने दिया है जिनके खिलाफ हम लोगों ने औबजेक्शन ले रखा है।

श्री भगवान शंकर रावत : किन ग्राउंड्ज पर ?

[अनुवाद]

श्री रवाकांत डी. खलप : ग्राउंड्ज, यह है कि आपने क्या कहा।

आप खंड 12(3) का पुनः अवलोकन करें। इसका पाठ इस प्रकार है :

"किसी मध्यस्थ पर केवल तभी आक्षेप किया जा सकेगा, यदि-

(क) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाओं को उत्पन्न करती हों, या

(ख) वह पक्षकारों द्वारा तय पाई गई अर्हताओं को न रखता हो।"

[हिन्दी]

अगर इनकी इंडीपेंडेंस के बारे में आपको डाउट है और आपने चैलेंज उठाया और चैलेंज उठाने के बाद वह आर्बिट्रेटर कहता है कि यह चैलेंज मैं नहीं मानता हूं और मैं आगे जाऊंगा और आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी दे रहा हूं तो ऐसा अवार्ड आपको मानना पड़ेगा क्योंकि एक ही आर्बिट्रेटर है या तीन आर्बिट्रेटर हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में हमें जाना नहीं है क्योंकि कोर्ट में जाने से और टाइम लगेगा, डीले होगा।

[अनुवाद]

हम ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करते। अतः हम कहते हैं कि इस मध्यस्थ को कार्यवाही करने दें और पंचाट देने दें। वह पंचाट दे देता है तो यह अंतिम नहीं होगा। महोदय, कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उपधारा 5 में कहा गया है :

"जहां उपधारा (4) के अधीन कोई माध्यस्थम् पंचाट किया जाता है, वहां मध्यस्थम पर आक्षेप करने वाला पक्षकार, ऐसा माध्यस्थम पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसी स्थिति में धारा 34 दोषपूर्ण है क्योंकि धारा 34 एक माध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के बारे में है। इसमें धारा 13 का कोई हवाला नहीं दिया गया हैं इन दो धाराओं में से एक धारा दोषपूर्ण है। हम विधान पारित करते समय ऐसी विधि नहीं बना सकते जिसमें असंगतियों की भरमार हो।

सभापति महोदय : कृपया धारा 34 स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : आप 34 को पढ़िये और बता दीजिये। अगर इसमें कोई प्रावधान है तो बताइये..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रवाकांत डी. खलप : इसमें यह कहा गया है -

"एक माध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन किया जायेगा।"

यह कैसे किया जायेगा? यह धारा 34 के अनुसार किया जायेगा। और धारा 34 में क्या दिया गया है?

"माध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध न्यायालय का आश्रय केवल उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करके किया जा सकेगा।"

उपधारा 2 और 3 क्या है :

"कि आवेदन करने वाला पक्षकार यह सबूत देता है कि कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था... "

[हिन्दी]

यह इनकैपेसिटी और इमपार्शिएलिटी यहीं पर आती है। इनकी इंडिपेडेंस और इमपार्शिएलिटी के बारे में अगर कोई डाउट है तो यही इनकी इनकैपेसिटी हो गयी।

[अनुवाद]

इसके अलावा (दो) में माध्यस्थम करार आदि विधि मान्य न होने की बात कही गई है..... **(व्यवधान)** मुझे एक बात कहने दीजिये। खंड 13 को धारा 34 के साथ पढ़ना होगा।

श्री सुरेश प्रभु : इसका आपको यहां उल्लेख करना होगा। उन कारणों को अब स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जिन से धारा 34 लागू होगी। धारा 34 का सहारा एक विशेष स्थिति में लिया जा सकता है। जिसका आपने स्पष्ट रूप से धारा 34 के खंड 2 में उल्लेख किया हैं

श्री संतोष मोहन देव : श्री जार्ज फर्नान्डीज और अन्य जो कुछ कह रहे हैं उसके आधार पर आप अभी संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन आप एक स्पष्टीकरण टिप्पण दे सकते हैं जिसमें श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा है उसका उल्लेख कर सकते हैं। इससे ही उनका समाधान हो जायेगा क्योंकि भाषा में कुछ गड़बड़ है। सभा द्वारा इस स्पष्टीकरण टिप्पण को सर्वसम्मति से जोड़ दिया जाता है तो इससे हम सभी का समाधान हो जायेगा। हमें यह कार्य सर्वसम्मति से करना चाहिये और मामले को खत्म करना चाहिये। इससे नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह यह कह रहे हैं कि धारा 34 के बारे में आप का नियम स्पष्ट नहीं है। अतः इसमें स्पष्टीकरण टिप्पण दिया जाना चाहिये।

श्री सुरेश प्रभु : खंड 34 के उप-खंड 2 (पांच) में (छ) जोड़ कर आप यह कहेंगे कि आपने धारा 13 में जो ब्यौरा दिया है वह सही है और खंड 34 के अंतर्गत एक पंचाट को अपास्त करने के लिए यह भी उपलब्ध होगा।

श्री रवाकांत डी. खलप : महोदय, मेरी राय में इसकी

आवश्यकता नहीं है। जब आप कहते हैं कि कोई चुनौती धारा 34 के अनुसार दी जायेगी तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? इसमें यह प्रावधान है कि किस तरीके से चुनौती दी जायेगी और वह तरीका धारा 34 में दिया गया है तथा कारण धारा 13 में उपलब्ध है। धारा 34 के प्रयोजनार्थ धारा 13 में उपलब्ध कारण का प्रयोग करने के लिए अपील की जा सकती है और आप इसे अपास्त कर सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : मान लो आप जो कुछ कह रहे हैं वह सही सिद्ध होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि धारा 34 में आक्षेप करने की प्रक्रिया दी गई है और कारण की खोज खंड 13 के अंतर्गत की जा सकती है। अत: वास्तव में ये सभी प्रावधान खंड 13 में होने चाहिये।

श्री रवाकांत डी. खलप : 'के अनुसार' का क्या अर्थ है? धारा 13(4) में कहा गया है कि इसे धारा 34 के अनुसार चुनौती दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो हम इसे दोबारा पढेंगे।

> "माध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध न्यायालय का आश्रय ऐसे पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करके किया जा सकेगा।"

लागू करने का प्रावधान दोनों धारा 13 और धारा 34 में है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : विधि मंत्री के प्रति सम्मान के साथ हम धारा 13(5) को पुन: पढेंगे जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है।

> "जहां उपधारा (4) के अधीन कोई माध्यस्थम पंचाट किया जाता है वहां मध्यस्थ पर आक्षेप करने वाला पक्षकार, धारा 34 के अनुसार ऐसा माध्यस्थम पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।"

श्री रवाकांत डी. खलप : 'के अनुसार' शब्द महत्वपूर्ण हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : धारा 34 के अनुसार। अब धारा 34 कोई बहुप्रयोजन किस्म की धारा नहीं है और इसका अवाध रूप से किसी संगत अथवा असंगत खंड के संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें यह बिलकुल स्पष्ट है कि किन परिस्थितियों में मध्यास्थ पंचाट न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है। धारा 34(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक माध्यस्थम पंचाट को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकेगा यदि इसमें कहा जाता है कि माध्यस्थम को अपास्त किया जाये।

सभापति महोदय : निम्नलिखित परिस्थितियों में -

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह ठीक है। महोदय, धारा 13 को किसी रूप में इसके अंतर्गत नहीं लाया जाता, तो वह इसके अंतर्गत नहीं आयेगा।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यही कारण है .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अगर नीचे एक नोट लग जाये तो इसमें माननीय मंत्री जी को क्या परेशानी है? इससे प्रावधान और ज्यादा क्लिअर हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : यह प्रतिष्ठा का मामला नहीं है। इससे न्यायालयों में राष्ट्रीय संकट पैदा हो जायेगा और जब एक मध्यस्थ के पक्षपात को चुनौती दी जायेगी तो हमारे पास कोई उपचार नहीं होगा। ऐसी चीजें सामने आयेंगी। यह समस्या खड़ी होने का कारण यह है कि हम ने माडल विधि को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया है और कानून को अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से उसमें कुछ परिवर्तन किये हैं। माडल विधि के अनुच्छेद 13 में उसी समय और उसी चरण पर अपील करने का प्रावधान था। इसके अलावा माडल विधि में एक मध्यस्थम का भी प्रावधान नहीं था। इस में कम से कम तीन मध्यस्थों का प्रावधान है। हमने एक मध्यस्थ का प्रावधान किया है। अत: आपने कुछ उलझन पैदा कर दी है। कहीं तो हमने माडल विधि का अनुकरण किया है और कहीं हम इससे हट गये हैं।

हमें इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिये। इसमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिये अथवा इसमें समुचित स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये।

इस विधेयक की एक अन्य धारा में कहा गया है:

> "यदि विधि प्रशासित करने में कोई कठिनाई अनुभव की जाती है तो एक आदेश किया जा सकता है और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है।"

मुझे इस पहलू पर काफी संदेह है कि क्या आदेश मात्र से इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह केवल तकनीकी मामला नहीं है। यह मामला माध्यस्थम की आधारशिला है। अत: हमें इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिये।

श्री रवाकांत डी. खलप : महोदय, इसे प्रतिष्ठा का मामला बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने आप को कोई विधि विशेषज्ञ नहीं समझता। मैं इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार चलने का ही प्रयास कर रहा हूं और माननीय सदस्यों

द्वारा उठाई गई समस्याओं का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी कोई समस्या रह सकती है। इस विधेयक का एक खण्ड, खण्ड 83 है जिसमें कहा गया है :

> "यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई क़ठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस आदेश के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :
>
> परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।"

महोदय, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है। यह खण्ड अभी भी है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : यह इंकन्सिस्टैंट है।

श्री रामाकांत डी. खलप आप बताईये कि क्या इंकन्सिस्टैंट है।

श्री भगवान शंकर रावत : क्लॉज 13 एंड क्लॉज 34 के प्रावधानों में आपस में विरोधाभास है। अगर इसमें आप एक्सप्लेनेटरी नोट जोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।

श्री रामाकांत डी. खलप : आपने कहा कि इंकन्सिस्टैंट है, लेकिन इकन्सिस्टैंट कैसे है? क्लॉज 13 यह क्लॉज 34 किस तरह से इंकन्सिस्टैंट है?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप विधि के प्रावधानों के बाहर नहीं जा सकते। खण्ड 83 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों में एक आदेश जारी करने न कि विधि में संशोधन करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

क्लॉज 83 क्या चीज़ है?

[अनुवाद]

> "यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हों....."

इस में केवल नियम बनाने की शक्तियों का प्रावधान है। आप विधि में ही संशोधन नहीं कर सकते। वे यह नहीं कह सकते कि अब आगे इसे विधि के रूप में अलग कर दिया जायेगा।

श्री रामाकांत डी. खलप : मैं इस मामले में आप से सहमत हूं। खण्ड 83 का प्रयोग करके आप मुख्य विधि में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि खण्ड 13 (5) में उप-धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये माध्यस्थम के पंचाट के बारे में उल्लेख है। अब उप-धारा 4 में कहा गया है:

> "यदि पक्षकारों द्वारा तय पाई गई किसी प्रक्रिया के अधीन या उपधारा (2) के अधीन प्रक्रिया के अधीन कोई आक्षेप सफल नहीं होता है तो माध्यस्थम अधिकरण माध्यस्थम, कार्यवाहियों को चालू रखेगा और माध्यस्थम् पंचाट करेगा।"

[हिन्दी]

अगर आर्बिट्रेटर के बारे में कुछ ओब्जैक्शन है।

[अनुवाद]

और यदि वह आक्षेप सही सिद्ध नहीं होता तो माध्यस्थम की कार्यवाही जारी रहेगी।

[हिन्दी]

ओबजैक्शन यहीं पर है।

[अनुवाद]

अब मैंने एक मध्यस्थ को मुझे कोई पंचाट देने में असमर्थ कहा है, तो मैं इसके प्रभाव में कैसे आऊंगा।

यह मूल परिभाषा प्रतीत होती है। हमें इस तर्क से प्रभावित नहीं होना चाहिये। हमें प्रभावित इस लिए नहीं होना चाहिये कि हम जब पहली बार उसकी नियुक्ति करते हैं तो उसकी नियुक्ति के बारे में सहमति ली जाती है। उसे अपनी असमर्थता के कारण बताने के लिए कहा जाता है। उसे यह लिखित रूप में देना होता है। उसके पश्चात् भी यदि ऐसा होता है और पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देते हैं तो इस चुनौती को स्वीकार किया जा सकता है अथवा स्वीकार नहीं भी किया जा सकता। इसे स्वीकार किया जाता है तो वह अपने पद से हट जाता है और यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो वह पंचाट देने तक माध्यस्थम की कार्यवाही जारी रख सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती क्योंकि पक्षकार इसी आधार पर इसे उप-धारा 5 के अन्तर्गत चुनौती दे सकता है और इस कारण का उल्लेख धारा 34 के अन्तर्गत करना होगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : उस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं हो सकता, यही तो हम बार-बार कह रहे हैं।

श्री रामाकांत डी. खलप : कैसे नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

विभिन्न कारणों में यही पंचाट को चुनौती देने का एक कारण बन जाता है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मंत्री जी, जितना आप कह रहे हैं वह लिखवा दीजिए। जो लिख जाएगा, वही रह जाएगा। ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा।

जस्टिस भुवान बल लोढा : माननीय मंत्री जी एक समस्या है। उठाई गई आपत्ति वैद्य है क्योंकि व्याख्या विधि की शब्दावली के आधार पर की जानी है।

खण्ड 13 अपने वर्तमान रूप में न्यायाधिकरण को निश्चित रूप से यह निर्णय करने की शक्तियां देता है कि जिस त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया गया है वह वास्तव में है या नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें वीटो का अधिकार है। मध्यस्थ यह कह सकता है, "आप कह रहे हैं कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है और आपका कोई सम्बन्ध नहीं है; अत: मैं आपका आवेदन पत्र अस्वीकार करता हूं।"

अब विधानमण्डल अपने विवेक से अपील या उपचार का प्रावधान कर सकता है। विधानमंडल ऐसा करने में सक्षम है लेकिन सामान्य विधि में, माध्यस्थम अधिनियम में, जो हमारे पास 1940 विद्यमान है, यह अवचार हुआ करता था। यदि किसी मध्यस्थम के सम्बन्धों के कारण, किसी पक्षकार के साथ कोई पदधारण करने के कारण या इस तरह की किसी चीज़ के कारण दिलचस्पी होती है तो उसके द्वारा दिया गया कोई पंचाट अवचार के कारण व्यर्थ हो जायेगा और उसे अवचार के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। वर्तमान माध्यस्थम अधिनिमय के अनुसार यह स्थिति है। मेरा यह विचार है। यदि मैं गलत हूं तो माननीय विधि मंत्री मेरी भूल सुधार सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप बिल्कुल सही हैं।

जस्टिस श्री भुवान बल लोढा : अब क्या हम मूल विधि की भावना के प्रतिकूल वीटो शक्ति देने जा रहे हैं। क्या यह प्रगति या गतिशीलता है? क्या विधि नियम यही हैं जिसे हम अंगीकृत करने जा रहे हैं?

जैसा कि मैंने कहा है, यह विधान मंडल के विवेक पर निर्भर करता है। यदि आप कहते हैं, हम मध्यस्थ को पूरा अधिकार देना चाहते हैं, हम उसे वीटो का अधिकार देना चाहते हैं, तो आप इसे ठुकरा दीजिये। आगे आपत्ति या विरोध नहीं किया जाता, चुनौती नहीं दी जाती, अपील नहीं की जाती या आवेदन पत्र नहीं दिया जाता तो आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा अब तक लागू माध्यस्थम विधान और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की भावना के विरुद्ध होगा। अत: मैं कहूंगा कि मध्यस्थ को वीटो का अधिकार देना संभव नहीं है। यदि ऐसा है तो दूसरा प्रश्न, जो उठाया गया है, यह उठता है कि क्या इसे खण्ड 34 के अधीन उठाया जा सकता है। अत: खण्ड 34 के पाठ के आधार पर तथा साधारण व्याकरणिक परिभाषा के आधार पर उत्तर यह है कि खण्ड 34 में कहीं भी यह परिकल्पना नहीं की गई है कि एक मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट इस आधार पर अपास्त किया जा सकता है कि मध्यस्थ की उसमें दिलचस्पी थी या उसमें कोई त्रुटि थी जिसकी खण्ड 13 में परिकल्पना की गई थी और उसे गलती से अस्वीकार किया गया है। मध्यस्थ को आपत्ति स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की छूट है। इसे खण्ड 34 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती।

अब यह तर्क दिया गया है कि क्योंकि उप-खण्ड 5 में कहा गया है "कि धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये आदेश को धारा 34 के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती है," अत: यह कल्पना की जा सकती है कि विधिक कल्पना के आधार पर धारा 34 (1,2,3,4) में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त यह भी एक कारण है। यह तर्क संभवतया माननीय विधि मंत्री ने दिया है। यह मान्य होता यदि धारा 34 में और राइडर न होता। माननीय विधि मंत्री की समस्या यह है कि जब हमने धारा 34 के अनुसार कार्यवाही करनी है तो धारा 34 लागू होगी। इसका पाठ इस प्रकार है :

> "माध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध न्यायालय का आश्रय..... के अनुसार, ऐसे पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करके किया जा सकेगा।"

अब यहां तक तो ठीक है। अत: उप-धारा 2 और उप-धारा 3 राइडर हैं। यह अनियन्त्रित नहीं है। यह उप-खण्ड 2 और उप-खण्ड 3 के अनुसार चुनौती देने का सीमित अधिकार है। उप-खण्ड 2 या इसकी शब्दावली में कहीं भी यह परिकल्पना नहीं की गई है कि इसका धारा 13 के प्रति-निर्देश है। लेकिन यदि "अवचार, खण्ड 13 के उपखण्ड 4 के अन्तर्गत आवेदन पत्र की गलती से अस्वीकृति" कहा जाता तो यह ठीक होता। इसलिए एक न्यायविद् ने कहा था कि "विधि एक गैर-संहिताबद्ध सामान्य बुद्धि और संहिताबद्ध अनापशनाप है" अत: जब वे इसे संहिताबद्ध करते हैं, तो वे कुछ भी रख सकते हैं लेकिन जब विधायक यहां कहते है, हम यहां 'अनापशनाप' की हामी भरने के लिए नहीं है तो हमें सोचना होगा और कहना होगा कि यह अनापशनाप है तो हम इसे सार्थक बनायेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : आप कोई उपाय बतायें।

जस्टिस भुवान बल लोढा : आप ने जो उपाय बताया है वह सही है। यह स्पष्टीकरण के रूप में हो सकता है। इसे खंड 34 में भी जोड़ा जा सकता है। खंड 34 में एक और उप-खंड जोड़ दिया जाये तो ठीक होगा। जैसा कि आप ने कहा है, खंड 34 में पहले ही उप खंड 2 (1,2,3,4,5) है। इसमें उप-खंड 5 के पश्चात् एक और उप-खंड जोड़ा जाये तो ठीक होगा।

अन्यथा आप एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं। स्पष्टीकरण भी एक तरह से जोड़ना ही है। लेकिन विधि मंत्री सरकार द्वारा स्पष्टीकरण के माध्यम से कठिनाईयां दूर करने की जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वह विधायी शक्ति नहीं है अपितु अधीनस्थ विधायी शक्ति है। उसका यहां किसी कमी को पूरा करने के लिए या कोई असंगत स्थिति, जिसकी मूल अधिनियम में परिकल्पना नहीं की गई है, पैदा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता तो मूल अधिनियम अभिभावी होगा। अतः मैं कहना चाहूंगा कि वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। वह इसका प्रयोग करते हैं तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसे ठुकरा देगा क्योंकि यह विधायी शक्ति नहीं है। यह अधीनस्थ विधान की शक्ति है। प्रत्यायोजित विधान की शक्ति है और प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान के अंतर्गत कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिनियम से मेल न खाता हो।

अतः मंत्री महोदय के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वह इसे कल तक स्थगित कर दें और ठंडे तथा शांत मन से इस पर विचार करें। हमें कोई जल्दी नहीं है। अब पूरी बहस खत्म हो गई है। हम इस पर आगे कोई बहस नहीं करेंगे। आप अपने विधि अधिकारियों के साथ इस मामले पर कल शांतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। आप अपने विधि अधिकारियों के साथ बैठ सकते हैं। आप इसे इस पक्ष और उस पक्ष के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये बिना शांतिपूर्वक बैठकर ठंडे दिल से इस पर विचार कर सकते हैं। यह इस पक्ष या उस पक्ष का मामला नहीं है। हम भारत के 80 करोड़ लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। यह भारत का ही कानून नहीं है अपितु अंतर्राष्ट्रीय कानून है। यह पूरे विश्व के लिए है।

सभापति महोदय : श्री लोढा, मंत्री महोदय आप के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री रमाकांत डी. खलप : इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाये गये इस प्रश्न की ओर वापस आता हूं कि कितने देशों ने इसे अंगीकार किया हैं। मैंने कहा था कि अधिकांश देशों ने इसे अंगीकार किया है। मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे अब यह जानकारी मिली है कि 40 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम स्वीकार की है और राष्ट्रीय सुलह तथा माध्यस्थम के लिए स्वीडन तथा नीदरलैंड .... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां तो यह बात है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस विधि के विरूद्ध मैंने जो कुछ कहा है वह सही है। विश्व के केवल दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारणों से ऐसा विधान बनाया है। प्रत्येक देश को अपनी सार्वभौमिकता की चिंता है। प्रत्येक देश को अपनी विधियों की चिंता है जो उसके चरित्र, उसके स्वरूप और उसकी समस्याओं के अनुरूप है। अब हम अपनी विधियों और अपनी विधिक प्रक्रियाओं के अंतर्राष्ट्रीयकरण में भी विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। महोदय, मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं.... **व्यवधान** मैंने केवल यह कहा था मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। अब मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।..... **(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : श्री जार्ज फर्नान्डीज गोलियथ है। मैं उनके हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं अपनी सीमाओं के अन्दर उत्तर दूंगा। मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि यदि हम विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है।.... **(व्यवधान)**

श्री सुरेश प्रभु : हम कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा कर सकते हैं .... **(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : वर्तमान विधि में दोनों राष्ट्रीय सुलह और अंतर्राष्ट्रीय सुलह का ध्यान रखा गया है। मध्यस्थम अधिनियम, 1940 के सिद्धांतों का इसमें समावेश किया जाता है तो मैं यह नहीं कह सकूंगा कि इससे हमारी सार्वभौमिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह मेरा विनम्र निवेदन है .... **(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : यह आप का बच्चा नहीं है यह आपके आने से पहले ही विद्यमान था। .... **(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : चूंकि यह मेरी दत्तक संतान है.... **(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। यह कांग्रेस की संतान है।..... **(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : माननीय सदस्य श्री लोढा की टिप्पणी के संदर्भ में मैं पुनः दोहराता हूं। मैं यह मानता हूं कि खंड 13(5) जिसमें खंड 34 के अनुसार पंचाट को चुनौती देने का प्रावधान है, ऐसा उपचार है जिसके अनुसार एक पक्षकार द्वारा मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थ को चुनौती देने के मामले से उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सकता है।.....**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : उप खण्ड (2) और (3) के राइडरों का क्या होगा?.....**(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : मेरी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई राइडर नहीं है। ऐसी कोई सीमा नहीं है। .....**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : हम एक चीज कर सकते हैं। अटार्नी-जनरल को बुलाया जा सकता है। संविधान के एक प्रावधान के अनुसार अटार्नी जनरल को अपनी राय देने के लिए बुलाया जा सकता है.....**(व्यवधान)**

श्री रमाकांत डी. खलप : अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी के मन में ऐसा प्रश्न रहता है तो संविधान के अनुच्छेद 226 में इसका समाधान है। इतना ही पर्याप्त है।.....**(व्यवधान)**

श्री सुरेश प्रभु : किसी विधान में विधानमंडल की मंशा महत्वपूर्ण है। अत: मंशा यदि इतनी स्पष्ट है तो इसे संहिताबद्ध करके अच्छी तरह स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया जाता।..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्री संतोष मोहन देव जी ने जो बात कही है उसको मानने में क्या हर्ज है।..... **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): इसकी कोई आवश्यकता नहीं है..... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वे इस विधि के प्रवर्त्तक हैं।..... **(व्यवधान)** जब जन्म देने वाले पिता इसका विरोध कर रहे हैं तो पोषण करने वाले पिता इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं?..... **(व्यवधान)**

जस्टिस भगवान मल लोढा : अटार्नी जनरल को सुनवाई का अधिकार है और अटार्नी जनरल इसे स्पष्ट कर सकते हैं।..... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न उठाये हैं और माननीय मंत्री ने उनका उत्तर दिया है। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। इस भव्यसभा से मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री ने माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् वह माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों की पुन: जांच करवायेंगे। मंत्री जी यदि सोचते हैं कि सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्न मान्य हैं तो वह बाद में सभा में एक संशोधन ला सकते है। इस विधेयक को आज पारित किया जा सकता है..... **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : कोई कानून अन्तिम नहीं होता। ..... **(व्यवधान)**

जस्टिस भगवान मल लोढा: अटार्नी जनरल को अपनी राय देने के लिए बुलाने में मंत्री को क्या आपत्ति है? संविधान में इसका प्रावधान किस लिए किया गया है?..... **(व्यवधान)** अटार्नी जनरल किस लिए है?..... **(व्यवधान)** उन्हें आकर इसे स्पष्ट करना चाहिये..... **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : कोई कानून कभी अन्तिम नहीं होता हम कानूनों में संशोधन करते रहे हैं और यदि कोई कठिनाई होगी तो सभा को इस कानून में भी संशोधन करने का अधिकार होगा। सरकार सभा के समक्ष आयेगी। अत: यह सड़क का अन्त नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : यह चीज प्रकट हो रही है और आप कानून बनाने जा रहे है..... **(व्यवधान)** इससे कितना लिटीगेशन बढ़ जायेगा, लोगों के साथ कितना अन्याय बढ़ जायेगा।..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस पर आगे पुनर्विचार करने की आवश्यकता हुई तो ऐसा किया जायेगा?..... **(व्यवधान)**

श्री रंगाकांत डी. खलप : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जहां तक सभा का सम्बन्ध है, हम सर्वसत्ता सम्पन्न और सर्वोच्च हैं। हम कभी भी कानूनों में संशोधन कर सकते हैं और ऐसा सदैव होता रहा है। ऐसा कई बार हुआ है। निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के मामले में भी हमने कहा है कि एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा। इस मामले में भी जस्टिस लोढा ने कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है और मैं उनसे सहमत नहीं हूं। जैसाकि श्री संतोष मोहन देव ने भी कहा है, यदि ऐसा आवश्यक हो जाता है तो हमें सभा के समक्ष पुन: आने में कोई शर्म नहीं होगी।..... **(व्यवधान)**

जस्टिस भगवान मल लोढा : लेकिन कल तक कोई अनहोनी नहीं हो जायेगी। उन्हें अटार्नी जनरल की राय ले लेनी चाहिये। यदि अटार्नी जनरल कहते हैं कि उनकी यह राय है तो हम उसका पालन करेंगे।..... **(व्यवधान)**

श्री जी. एम. बनातवाला : इस विधि के निर्माण में बड़ा अनियमित रवैया अपनाया जा रहा है..... **(व्यवधान)**

श्री रंगाकांत डी. खलप : अत: मैं श्री लोढा जी से अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : लोढ़ा जी, मैं समझता हूं, मंत्री ने उत्तर दे दिया है। अब आपको उत्तर देने का अधिकार है।

जस्टिस भगवान मल लोढ़ा : महोदय, हमारी समस्या यह है कि इसे किसी तरह एक या दो मिनटों में समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। हमने इस पर विस्तार से बहस की है और कुछ बातें सामने आई हैं। संभवतया आरम्भ में किसी ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया। लेकिन एक बार बहुत ही गम्भीर संवैधानिक और कानूनी पहलू प्रकाश में आने के बाद यदि हम महसूस करते हैं कि वे ऐसे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हम यह कानून न केवल भारत के लिए, न केवल आम लोगों के लिए, एक ग्रामीण के लिए, एक छोटे से व्यापारी के लिए अपितु, बहुत बड़े विश्व के लिए बना रहे हैं। और ऐसा करते समय माननीय मंत्री यह मानते हों कि कानून बनाने में नैसर्गिक न्याय के कुछ सिद्धान्तों का उल्लघंन किया जा रहा है और मध्यस्थ को अपने पूर्वग्रह के बारे में फैसला करने के लिए वीटो का अधिकार देकर और उसके लिए किसी उपाय की व्यवस्था न करके कोई अनुचित चीज की जा रही है तो यह कहना कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, समस्या

का समाधान नहीं होगा। यह तो समस्या से बचने का प्रयास है। माननीय विधि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि हमें समस्या से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिये। हमें इसका डटकर सामना करना चाहिये और यदि हम इसका डटकर सामना करते हैं तो संविधान में ऐसे टेढ़े कानूनी मामलों से निपटने का प्रावधान हैं जिनकी परिभाषायें कठिन होती हैं या दो परिभाषायें संभव हैं। माननीय संसद-सदस्य चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में उनका मार्गदर्शन किया जाये। मुझे याद है और मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि जब गोहत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का मामला उठाया गया उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। उस समय यह प्रश्न उठा कि क्या यह राज्य विषय है या केन्द्रीय विषय है। इस पर विस्तार से बहस हुई। बहस से पता चला कि लोग चाहते हैं कि कानून बने यद्यपि कोई मतविभाजन नहीं हुआ।

उस समय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि चूंकि यह टेढ़ा मामला है, गोहत्या निषेध विधि सूची एक में आती है या सूची दो में अर्थात् राज्य सूची में आती है या समवर्ती सूची में आती है, इसके बारे में अटार्नी जनरल की राय लेने के लिए उसे बुलाया जाना चाहिये। अटार्नी जनरल को बुलाया गया और उन्होंने राय दी कि यह राज्य विषय है और इस आधार पर सभा ने इस मामले को बंद कर दिया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरी बहस के दौरान, जो अब तक हुई है, हमने देखा है सदस्यों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हमारी बात का समर्थन किया है। उस तरफ बैठे सदस्यों ने, जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, इस बारे में हमारे कथन को उचित और न्यायसंगत पाया है। हम अन्य चीजों को अलग रख सकते हैं क्योंकि उनके बारे में अलग अलग राजनैतिक विचारधारा हो सकती है। लेकिन धारा 34 की धारा 13 के साथ व्याख्या करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 13 के आधार पर धारा 34 में कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किये जा सकते। मैं माननीय विधि मंत्री से सब से बड़े लोकतंत्र के विधि मंत्री से - एक ऐसे देश के विधि मंत्री से जिसका लिखित संविधान है और जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है और हम रोज विधि शासन और नैसर्गिक न्याय की दुहाई देते हैं - एक छोटा सा अनुरोध यह करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें। मैं यह नहीं कहता कि यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का मामला है।

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, क्या मैं इस मामले में थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं?

महोदय, अब यह सारा होहल्ला मध्यस्थ को चुनौती देने तथा माध्यस्थम कार्यवाही चलाने के लिए उसकी शक्ति के बारे में है।

अब हम अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम और सुलह नियमों को लेते हैं जिन पर यह विधेयक आधारित है। श्री बनातवाला ने कहा है कि माडल नियमों के अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि मध्यस्थ को चुनौती दी जाती है तो चुनौती को ठुकराने के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 30 दिनों के भीतर इस अनुच्छेद में उल्लिखित न्यायालय या अन्य पक्षकार चुनौती के बार में निर्णय करेंगे जिसके बारे में न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है। इसका अर्थ यह है कि इसमें इस बात का उल्लेख था कि यह न्यायालय जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 13 में आगे कहा गया है कि ऐसे अनुरोध के विचाराधीन रहते माध्यस्थम न्यायाधिकरण और मध्यस्थ, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, माध्यस्थम कार्यवाही जारी रख सकेंगे और पंचाट दे सकेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप केवल इसे सम्मिलित कर लीजिये। हमें कोई एतराज़ नहीं होगा।

[हिन्दी]

सभापति जी, हम इतना ही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते।

[अनुवाद]

आप इस सम्मिलित कर लें, हमें कोई परेशानी नहीं है।

[हिन्दी]

वरना मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं बार-बार इस पर बहस नहीं छेड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं इस कानून का यहां समर्थन करने के लिए बैठ भी नहीं पाउंगा। अगर इस बात को इसी तरह से यही खत्म करना है तो फिर हम इस सदन से निकल जाएंगे। .... **(व्यवधान)** इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 34 में अगर कोई जाता है तो 34 में जब आप उसे भेज देते हैं तीन साल आप आर्बिट्रेशन चलाएंगे, उस पर उसका समय, उसका खर्च सब कुछ हो गया और उसके बाद आप उसे कहेंगे कि अभी जाकर आप अपील करो, जबकि मेरी समझ में अपील का अधिकार भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, हालांकि मुझे वह संपूर्णतया मंजूर नहीं है, लेकिन उसको आप जोड़ दीजिए तो कम से कम इतनी तो राहत मिल जाएगी अभी तो कुछ राहत नहीं है, इसलिए आप उसको उसमें कबूल करिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : आपने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि आपने इस अधिनियम में भी माडल विधि का समावेश किया है। आपने यह कहा है कि माध्यस्थम कार्यवाही इस तथ्य के बावजूद जारी रहेगी कि चुनौती विचाराधीन है। चुनौती के विचाराधीन रहते पंचाट दिया जा सकता है। लेकिन वह पंचाट शुरू कैसे किया जा सकता है? इसे अपास्त कैसे किया जा सकता है? यही कारण है कि धारा 34 को अच्छी तरह परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसे धारा

34(2) (छ:) के बाद सम्मिलित किया जाये। इतना ही कहना है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मैं बोल रहा हूं। उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए मेरी अनुमति ली है।...(**व्यवधान**)

श्री रमाकांत डी. खलप : माननीय सदस्यगण, अब छोटी सी बात पर हम अड़े हुए हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह छोटी सी बात नहीं है।

श्री रमाकांत डी. खलप : मेरी राय में यह छोटी सी बात है क्योंकि यह प्रक्रिया से संबंधित है। मैं यह नहीं कहता कि महत्व की दृष्टि से यह छोटी सी बात है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की दृष्टि से यह छोटी सी बात हैं। इसमें यह लिखा गया है कि आप मध्यस्थ को चुनौती दे सकते हैं और फिर भी आपको इस माध्यस्थम के लिए उसी व्यक्ति के समक्ष जाना होगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय माडल विधि में वे इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उन्हें चुनौती देने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन जो व्यक्ति मध्यस्थ को चुनौती देता है उसके समक्ष जाता रहेगा। इतना ही नहीं, मध्यस्थ को पंचाट देने का भी अधिकार होगा। इस प्रकार अन्ततः यह होगा कि इस मध्यस्थ को चुनौती का अन्तिम पंचाट में विलय हो जायेगा।

श्री संतोष मोहन देव : विधि मंत्री ने बहुत ठोस तर्क दिया है लेकिन साथ ही जवाबी तर्क भी उतना ही ठोस है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं बोल रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसे आज रात लम्बित रखें और कल प्रातः अपने सचिव के साथ या जैसा कि सुझाव दिया गया है किसी विधि विशेषज्ञ के साथ बातचीत करें और इस बारे में उनकी सही राय लें। आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है या कया वे संतुष्ट हैं और महसूस करते हैं कि आपने अच्छा किया है। आज सभा को स्थगित कर दिया जाना चाहिये। आप उनकी राय ले सकते हैं और हम कल इस विधेयक को पारित करेंगे।

श्री रमाकांत डी. खलप : उस स्थिति में, मैं श्री बनातवाला से एक अनुरोध करना चाहता हूं। उन्होंने एक संशोधन पेश किया है। उनका कहना था कि हमने सार्वजनिक नीति को परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने केवल इसी आधार पर यह संशोधन पेश किया है। मैं इस संबंध में एक छोटा सा स्पष्टीकरण दूंगा और उसके बाद श्री बनातवाला से यह संशोधन वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : हम अभी उस चरण में नहीं पहुंचे हैं। यह अपरिपक्व है।

सभापति महोदय : अब सभा शुक्रवार, 2 अगस्त, 1996 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 8.53 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 2 अगस्त, 1996/11 श्रावण, 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।